

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय आर्थिक चिन्तन

(Indian Economic Thought)

(महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के बी. ए.
पार्ट-प्रथम के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार)

लेखक U. G. C. BOOKS

डॉ. एम. एल. छीपा

प्रोफेसर एव विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

शंकर लाल शर्मा

विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय महाविद्यालय
राजगढ़ (अलवर)

CBH

कॉलेज बुक हाउस (प्रा.) लि.

चौडा रास्ता, जयपुर-3

प्रकाशक 1-1) -1-1
कॉलेज बुक हाउस (प्रा.) लि.
चौडा रास्ता, जयपुर-3
फोन ऑफिस, 568763, 561963

© लेखकाधीन

1995

प्रथम संस्करण 2002
द्वितीय संस्करण - 2004

मूल्य 150-00 रुपये

लेजर टाईप सेटिंग
मेघा कम्प्यूटर जयपुर

मुद्रक
कन्हैया ऑफसेट प्रिन्टर्स,
जयपुर

D. G. C. BOOKS

आमुख

भारत का अतीत सभी दृष्टि से वैभवशाली रहा है। आर्थिक चिन्तन की दृष्टि से वेदों से लेकर ब्राह्मण ग्रन्थो उपनिषदो नीति ग्रन्थो महाकाव्यो स्मृतिग्रन्थ प्रमुख है। यहा शुक्राचार्य से लेकर मनु, बृहस्पति कामदक विदुर चाणक्य जैसे अनेक अर्थशास्त्रज्ञो ने शोषण मुक्त समाज का ढाचा तैयार किया। लोहिया के आय वितरण की असमानता का विचार नौरोजी का निकासी सिद्धात गांधी का प्रन्यासी सिद्धात विकेन्द्रीकरण खादी का अर्थशास्त्र व स्वदेशी का विगर नेहरू का तीव्र औद्योगीकरण का सिद्धान्त चरणसिंह का कृषि एव ग्रामीण आर्थिक विकास तथा दीन दयाल की एकात्म अर्थनीति आदि मौलिक विचार भारतीय अर्थिक चिन्तन की प्रमुख विशेषता है परन्तु आर्थिक चिन्तन के क्षेत्र मे अब तक भारतीय योगदान की उपेक्षा की जाती रही है। भारतीय आर्थिक चिन्तन के उपेक्षित रहने के पीछे पाश्चात्य आर्थिक विचारको तथा पश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित भारतीय विद्वानो के मध्य प्रचलित यह पूर्वाग्रह उत्तरदायी रहा कि भारतीय चिन्तन मूल रूप से आध्यात्मिक सामाजिक व कुछ सीमा तक राजनीतिक रहा है तथा आर्थिक पक्ष को तो इसमे कोई स्थान ही नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि हमारा पुरातन साहित्य सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक विचारो से भरा पडा है। आवश्यकता उसके एक जगह सकलन की है।

यह भी बडे आश्चर्य की बात है कि भारत के अधिकारा विश्वविद्यालयो से विद्यार्थी अर्थशास्त्र विषय लेकर स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर लेता है परन्तु उन्हे भारतीय आर्थिक विचारो या आर्थिक चिन्तन का किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता।

प्रस्तुत पुस्तक मुख्यत एम डी एस विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान मे रखकर लिखी गयी है परन्तु आशा है कि भारतीय आर्थिक चिन्तन मे रुचि रखने वाले अन्य छात्र शिक्षक शोधार्थी व जिज्ञासु लोग भी इस पुस्तक से लाभान्वित हो सकेगे। हमने भारतीय आर्थिक चिन्तन से संबंधित सभी बिखरे हुए साहित्य को एक जगह सकलित कर सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

इस पुस्तक का लेखन विद्वान सहयोगियो, सामाजिक सेवा तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान मे लगे मित्रो व सस्थाओ शोध छात्रो तथा अन्य विद्यार्थियो से हमे प्राप्त प्रेरणा प्रोत्साहन व सहयोग का ही परिणाम है। हम उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

हम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा पी एल चतुर्वेदी पूर्व कुलपति प्रो काता आहूजा व राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो एम सी वैश्य के विशेषत कृतज्ञ हैं जिन्होने भारतीय आर्थिक चिन्तन पर लेखन के लिए प्रेरित किया तथा बहुमूल्य सुझाव देकर सहयोग दिया।

हम दीन दयाल शाध सस्थान क डॉ महेश शर्मा के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हाने इस पुस्तक मे प दीन दयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारो पर विशेष लेखन व मौलिक साहित्य प्रदान कर हमे सहयोग किया ।

कॉलेज बुक हाउस (प्रा) लि के श्री हर्षवर्धन जैन व मनीष जैन विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जिन्हाने पुस्तक के प्रकाशन को अल्प समय म ही समभव बनाया है ।

पाठय पुस्तक लखन के प्रयास मे काफी प्रयत्ना के बावजूद कई अशुद्धिया रही होंगी उनक सुधार सशोधन हेतु विद्वान शिक्षका व छात्रो के सुझावा का सदैव स्वागत व अपेक्षा रहेगी ।

लेखकगण

SYLLABUS-ECONOMICS
M.D S. UNIVERSITY, AJMER

B A Part-I

Indian Economic Thought

Max Marks 100

Paper-II

3 hrs duration

Note

Unit I

Prominent ancient Indian economic thinkers and major source books (Only names and brief knowledge) Definition & scope of economics accordingly to Kautilya and Shukra Basic assumptions integral man, integrated rationality Dharma based economic structure Four purusarthas Human wants – nature origin and kinds The concept of restrained consumption & co-consumption Meaning and importance of wealth & code of conduct for earning and spending

Unit II

Economic ideas of Manu Shukra and Kautilya in the field of consumption, production, Exchange distribution and public finance

Unit III

Economic thoughts of Swami Dayanand Saraswati Dada Bhai Narauji Mahadev Govind Ranade Gopal Krishna Gokhle

Unit IV

Economic ideas of R C Dutta M N Roy, M K Gandhi and Vinoba Bhave

Unit V

Major Economic ideas of B R Ambedkar J L Nehru, Ram Manohar Lohiya, Deen Dayal Upadhyaya, Charansingh , J K Mehta and Amratya Sen

Book Recommended

- 1 Gupta, B L (1992) Value and Distribution System in Ancient India Gian Publishing House, New Delhi
- 2 Ganguli, B N (1977) Indian Economic Thought a 19th Century Perspective Tata McGraw hill New Delhi
- 3 Kautilya (1951) Arthshastra Translated by R Sharma Shastri

- 4 Kulkarni, S A (1987) *Ekatma Arthhiti*, Suruchi Prakashan, New Delhi
- 5 M G Bokare *Hindu Economics*, Janki Prakashan, New Delhi
- 6 Romesh Dutt *Economic History of India Vol I & II*
- 7 D R Gadgil *The Industrial Evolution of India in Recent Times 1860-1930* (1971)
- 8 M C Varsh *Aarthik Vicharo Ka ithas*
- 9 Gandhi M K (1974), *India of my dreams*, Navjivan Publishing House, Ahmedabad
- 10 Sen, A K (1987), *On Epics and Economics*, oxford, New York
- 11 Sen, A K (1981)] *Poverty and Famines An Essay on Enticement and Deprivation*, oxford, University Press, Oxford
- 12 Sen A K (1971), *Collective Choice and social welfare*, New Halland, Adxterdarm

विषयानुक्रमिका

इकाई- I

1 भारतीय आर्थिक विचारों की रूपरेखा	1-11
2 प्रमुख प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतक एवं आर्थिक स्रोत ग्रन्थ	12-39
3 प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्षेत्र एवं मान्यताएँ	40-58
4 प्राचीन भारत में आवश्यकता एवं उपभोग की अवधारणा	59-80
5 धन का अर्थ महत्व एवं धनार्जन की आचार-सहिता	81-99
6 प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन परम्परा एवं पश्चिमी आर्थिक चिन्तन।	100-111

इकाई-II

7 मनु	112-133
8 शुक्र	134-175
9 कौटिल्य	176-192

इकाई- III


10 स्वामी दयानन्द सरस्वती	193-232
11 दादा भाई नौरोजी	233-244
12 महादेव गोविन्द रानाडे	245-255
13 गोपाल कृष्ण गोखले	256-265

इकाई-IV

14 आर सी दत्त	266-275
15 एम एन राय	276-286
16 महात्मा गाँधी	287-321
17 विनोबा भावे	322-333

इकाई-V

18 बी आर अम्बेडकर	334-352
19 जवाहर लाल नेहरू	353-374
20 राम मनोहर लोहिया	375-385
21 दीनदयाल उपाध्याय	386-435
22 जे के मेहता	436-469
23 चरण सिंह	470-501
24 अमर्त्य सेन	502-511



भारतीय आर्थिक विचारों की रूपरेखा

मानव मस्तिष्क विचारों का केन्द्र है। मानव के विचारों में कल व परिस्थितियों के सापेक्ष परिमार्जन व रुपान्तरण होते हैं, तथा ये वैचारिक परिवर्तन ही वस्तुतः मानव-चेतना के विकास के सवाहक होते हैं, मानव चेतना ही आर्थिक सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को साकार तथा क्रियाशील बनाती है तथा सिद्धांतों का निरूपण संभव बनाती है। मनुष्य की विचारशक्ति के साथ ही आर्थिक विचारों का भी विकास हुआ है। प्रो अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार मानव विचार के इतिहास में अर्थशास्त्र के सिद्धांत के विधिवत नियमों का विकास भले ही हाल में हुआ हो परन्तु अर्थशास्त्र सबंधी बातों के बारे में मनन और विचार-विमर्श तभी से चल आ रहा है जब से मनुष्य ने विचारना शुरू किया। अपनी आवश्यकताओं के लिये मनुष्य सदा से ही आर्थिक प्रयत्न करता रहा है। जैसे आर्थिक प्रगति हुई आवश्यकताओं का विस्तार हुआ और मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का स्वरूप भी बदलते हुए परिवेश में आगे बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए प्रारंभिक युग में मनुष्य पत्थरों से जंगली जानवरों का शिकार करता था क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकताएं सीमित थीं। लेकिन आज के औद्योगिक युग में मशीनों एवं वैज्ञानिक प्रयोगों तथा आविष्कारों ने मानव प्रयत्नों की दिशा ही बदल दी है। जहाँ पहले का जीवन स्थिर था आज का जीवन बहुत ही गतिशील हो गया है। आर्थिक उन्नति के क्रम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने विभिन्न माध्यमों एवं समस्याओं जैसे मुद्रा बैंक वाणिज्य उद्योग एवं यातायात इत्यादि का संगठन किया जिससे भौतिक सम्भ्रता का निर्माण हुआ। इस प्रकार आर्थिक विचारों का इतिहास बहुत प्राचीन है जो मानव के प्रारंभिक प्रयत्नों से जुड़ा हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि आर्थिक चिंतन और इतिहास के बीच सदैव ही पारस्परिक और प्रभावपूर्ण संबंध पाया गया है। जहाँ एक ओर कालविशेष की स्थितियाँ एवं समस्याएँ तत्कालीन आर्थिक चिंतन के स्वरूप एवं दिशा को प्रभावित करती हैं वहीं दूसरी ओर आर्थिक विचार भी इतिहास की दिशा को निर्धारित करने में योगदान देते हैं।

आर्थिक विचार समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप हमेशा बदलते रहे हैं और इनके स्वरूप में निरंतर विकास तथा परिवर्तन होता रहा। यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि प्राचीन आर्थिक विचारों को वर्तमान की भाँति वैज्ञानिक रूप में ही न मिल पाया है किन्तु

उनकी उपयोगिता व महत्व इस दृष्टि से असदिग्ध हैं कि वे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की वास्तविकता से अवगत कराते हैं। निस्कोच इन्हें वैज्ञानिक विचारों की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है।

अनेक अर्थशास्त्री इन विचारों का मान्यता देने से कतराते हैं। उनके अनुसार केवल आधुनिक वैज्ञानिक आर्थिक विचार ही वास्तविक विचार हैं। यह दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्राचीन आर्थिक विचारों की यदि अवहेलना कर दी जाए तो निश्चय ही आर्थिक विचारों का इतिहास अधूरा रह जायेगा। इस पुस्तक में भारत में आर्थिक चिन्तन के क्रम विकास तथा भारतीय आर्थिक विचारों की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

पश्चात्त्य एवं भारतीय चिन्तन का आधार

वीसवीं सदी का अन्तिम दशक परिवर्तन का दशक था। इस समय विश्व में परिवर्तन इतने तीव्र गति से हा रहे हैं कि यह अवश्यभावी लगता है कि जो विचारधाराएँ आज प्रचलित हैं इक्कीसवीं सदी में उनका स्थान नयी विचारधाराएँ उभर कर ले लेंगी। हम जानते हैं कि 20 वीं सदी में पूँजीवाद और साम्यवाद सारे विश्व में छाये रहे तथा विश्व इन दोनों की संघर्ष स्थली बना रहा। साम्यवादी विचारधारा तो आज विश्व के अधिकांश देशों से समाप्त हो गयी है तथा पूँजीवाद के कारण जिस गति से सामाजिक संस्थाओं मानवीय मूल्यों व नैतिकता का ह्रास हुआ है एवं अमर्यादित उपभोग व अति ऊर्जा केंद्रित औद्योगिकीकरण से जो पर्यावरण का समक्ष संकट खड़ा हो गया है उससे अब विश्व ने विकास के तीसरे वैकल्पिक प्रतिमान को खोजना प्रारम्भ कर दिया है। भारतीय आर्थिक चिन्तन परंपरा का अध्ययन आर्थिक प्रणाली का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करने का आशाजनक संकेत देता है। वैदिक युग से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय चिन्तन में व्याप्त मानववादी आग्रह आर्थिक प्रणाली में 'मानव की उस सर्वोपरिता को रेखांकित करते हैं जिसकी साम्यवादी व पूँजीवादी आर्थिक प्रणालियों में उपेक्षा हुई है।

पूँजीवाद का जन्म तो अठारहवीं शताब्दी में ही हो गया था। उसने विश्व के अधिकांश देशों में साम्राज्य विस्तार कर अपनी जड़ें जमा ली थी। प्रायः यह माना जाता है कि पूँजीवादी देशों का विकास औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। परन्तु यदि सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि औद्योगिक क्रांति साम्राज्यवादियों द्वारा औपनिवेशिक राष्ट्रों की लूट से एकत्र धन के कारण संभव हो सकी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1760 में शुरू हुई हो पायी। उसका कारण था सन 1757 में भारत में प्लासी की लड़ाई हुई जिससे भारी धन लूट कर बहा ले जाया गया। इस कारण अनेक आविष्कार जो उस समय रुके पड़े थे लूट के धन से संभव हो सके। 1757 की प्लासी तथा 1815 में वाटर लू की लड़ाई के बीच प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपया (आज की कीमत पर 5000 करोड़

रु प्रतिवर्ष से भी अधिक) लूट के रूप में हिन्दुस्तान से जाता रहा तथा इसी धन में इंग्लैण्ड में औद्योगीकरण की नींव रखी। इस तरह सम्पूर्ण यूरोप का औद्योगीकरण उपनिवेशों के दारिद्रीकरण से सीधा जुड़ा हुआ है।

अमेरिका की समृद्धि का मूल कारण है कि अमेरिका में विश्व की 4 प्रतिशत जनसंख्या रहती है जबकि वह दुनिया के 40 प्रतिशत से अधिक प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रहा है। मैसाच्युसेट्स इस्टीमेट ऑफ टेक्नालोजी जैसे अग्रणी संस्था के अध्ययन से स्पष्ट है कि अमेरिका अकेला अपने आर्थिक विकास के लिए विश्व के 42 प्रतिशत अल्युमिनियम 44 प्रतिशत कोयला 33 प्रतिशत तांबा 28 प्रतिशत लोहा 38 प्रतिशत निकेल 63 प्रतिशत प्राकृतिक गैस 33 प्रतिशत पेट्रोल अन्य पदार्थ आदि पुनर्निर्मित न किये जा सकने वाले खनिजों का उपभोग कर रहा है। अमेरिका के आम नागरिक के पास इतनी समृद्धि है कि दुनिया के विकासशील राष्ट्र अमेरिका के विकास को आदर्श मानकर चल रहे हैं। आज आम अमेरिकी नागरिक के पास कार, टेलीफोन टेलीविजन फ्रिज वातानुकूलित मकान गैस तथा एशोआराम की सभी वस्तुएँ मौजूद हैं।

आज भी अधिकांश विकासशील देश विवसित राष्ट्रों को कच्चे माल की पूर्ति कर रहे हैं और यदि इन राष्ट्रों को कच्चे माल की पूर्ति बंद हो जाये तो इनकी हालत खराब हो सकती है। ये राष्ट्र पहले तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के अन्तर्गत उनसे कच्चा माल प्राप्त कर लेते थे परन्तु आज वे इनको कर्जदार बनाकर आर्थिक साम्राज्यवाद फैला रहे हैं तथा अपनी शर्तों के अनुसार कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत जैसे देश इन देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के कर्जदार बने हुए हैं। सूडान कृषि के लिए बड़ा प्रगतिशील है परन्तु उसे कर्ज देकर कपास उत्पादन के लिए दबाव डाला जा रहा है तथा वहां के लोग भूखों मर रहे हैं। जापान की कड़की की आवश्यकताएँ मलेशिया के जंगल साफ करके पूरी की जा रही हैं। अफ्रीका के जंगल अमेरिका व यूरोप की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नष्ट हो रहे हैं तथा पर्यावरण का संकट खड़ा कर रहे हैं। इसलिए अब प्रश्न उठ रहा है कि सीमित साधनों का अनर्थादित उपभोग कैसे हो सकता है। इन पूँजीवादी देशों में आज जिस गति से पारिवारिक जीवन टूट रहा है मानवीय मूल्यों का हास हो रहा है तथा अनेक सामाजिक बुराईयाँ पनप रही हैं उनसे नागरिक व्रस्त है।

यदि हम चाहे कि हिन्दुस्तान के लोगों को अमेरिका के लोगों जितनी समृद्धि मिले तो यह तभी संभव होगा जब दुनिया भर के प्राकृतिक साधन केवल हिन्दुस्तान में प्रयुक्त हो तथा अन्य किसी देश को कुछ भी नहीं मिले। क्या यह संभव है ? इसलिए आज अमेरिका में तथा अन्य विकासशील देशों में विचार प्रारम्भ हो गया है कि क्या विकास का यह पथ दुनिया के अन्य देशों में चल सकता है ?

दूसरी तरफ 1817 में पूँजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ में साम्यवाद

का जन्म हुआ। 1961 में साम्यवादी सोवियत संघ द्वारा इस प्रकार का दावा किया गया कि हम इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं कि अगले 20 वर्षों में पूंजीवाद पूरी तरह समाप्त हो जायगा। परन्तु 20 वर्ष बाद 1981 में सोवियत संघ की स्थिति में निरंतर गिरावट की स्थिति चालू हो गयी। उनका मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा भी पूरा नहीं हो पाया तथा यह विचार प्रारम्भ हो गया कि इस व्यवस्था को अधिक दिन तक नहीं चलाया जा सकता है। यह सोचकर गोर्बाच्चाव ने 'ग्लासनास्त' (खुलापन) तथा 'पेरस्त्रोइका' (पुनर्रचना) जैसे दो नाम लेकर परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ की। और अंत में रुस से साम्यवाद समाप्त हो गया। चीन ने भी 1978 में देग जियाओ पिंग ने ऐसे ही दो शब्दों 'गायंगी व काईफांग' (विदेशों के लिए खाल देना) का प्रयोग किया।

इन दोनों देशों में विद्यमान स्थितियों से यह स्पष्ट होता है रुस कि व चीन को अपनी मौलिक नीति में केवल इसलिए परिवर्तन करना पड़ा कि वे लोगों की च्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज विश्व के अधिकांश साम्यवादी देशों ने साम्यवादी विचारधारा को तिलजलि दे दी है।

रुस की यह स्थिति इसलिए हुई कि उसने अमेरिका से शस्त्रों की होड़ में अपार धन खर्च किया तथा इस कारण वह नागरिकों के लिए उपभोग वस्तुओं का भी उत्पादन नहीं कर पाया। इसलिए आज साम्यवादी देश भी पूंजीवादी देशों का अनुसरण कर रहे हैं।

परन्तु पूंजीवादी देशों में भी जो दुर्व्यवस्था बन रही है उसके लिए पूंजीवाद की चार अवधारणाएँ उत्तरदायी हैं। पूंजीवाद का प्रथम सिद्धान्त है **अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for existence)**—पूंजीवाद के जनक एडम स्मिथ व कीस के विचार ने पूंजीवाद को बनाने में काफी सहायता की। एडम स्मिथ ने कहा कि कभी किसी का भला मत करो यदि भला करना ही हो तो तब करो जब ऐसा करने से तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो (**Do't try to do any good let good come out as a by product of selfishness**)। कीस ने बताया कि आगे आने वाले सौ सालों के लिए के लिए हम यह मान ले तथा दूसरों से भी मनवा ले कि बुरा ही अच्छा है तथा अच्छा ही बुरा परिणाम देता है अच्छे से परिणाम नहीं मिलता। लोभ व लालच को हम कुछ और वर्षों तक अपना भगवान बनाकर रखे वयो कि उरती के माध्यम से हम गरीबी के बोगदे (**Tunnel**) को पार करके प्रकाश की किरण देख सकते हैं। स्पष्ट है कि पूंजीवाद का सम्पूर्ण महल स्वार्थ की मान्यता पर खड़ा है। इसलिए लोग अमेरिका में स्वार्द्धात्मक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी सोच रहा है। परिवारों में भी यह बात पहुँच गयी है कि दूसरा कोई मुझ से आगे नहीं पहुँच जाये अतः सभी को मशीनी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इसी कारण वहाँ लोग कई शारीरिक व मानसिक कष्ट भोग रहे हैं तथा सामाजिक व नैतिक बुराईयों से ग्रस्त हैं। पूंजीवाद का दूसरा सिद्धान्त है **सर्वात्तम**

का अस्तित्व' (Survival of the fittest) अर्थात् जो योग्यतम होगा उसका अस्तित्व होगा बाकी नष्ट हो जायेगे, इसी कारण पाश्चात्य देशों में अरबों रुपया रक्षा पर खर्च हो रहा है। अमेरिका व रुस ने किस प्रकार अपनी प्रधानता बनाए रखने व उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए दुनिया को दो खंभों में बाँटे रखा तथा अरबों डालर घातक हथियारों के जखीरे एकत्र करने पर व्यय किये। इन दोनों के पास आज इतने घातक हथियार हैं कि वे चाहे तो दुनिया का 14 बार विध्वंस कर सकते हैं। पूजीवाद का तीसरा सिद्धांत है 'प्रकृति का शोषण' (Exploitation of nature) पाश्चात्य जीवन दृष्टि में यह भी एक मान्यता है कि भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी पर प्रकृति का उपभोग करने के लिए भेजा है और इसलिए मनुष्य यह समझता है कि पृथ्वी पर जो पेड़-पौधे पशु-पक्षी आदि हैं वे मेरे उपभोग के लिए हैं तथा मैं प्रकृति का मनमाना शोषण कर सकता हूँ। अर्नाल्ड टायन्बी ने रीडर्स डाइजैस्ट में एक लेख में लिखा है कि आज हमारे सामने पर्यावरण की समस्याएँ जो खड़ी हैं उनका मूल कारण पाश्चात्य जीवन दृष्टि की यह मान्यता है कि भगवान ने मनुष्य को सम्पूर्ण सृष्टि में अपने सुख के लिए उपभोग करने का अधिकार दिया है। पूजीवाद का चौथा सिद्धांत है 'व्यक्तिगत अधिकार' (Individual rights)—अर्थात् हर व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार होते हैं जो उसे मिलने ही चाहिए। इसी धारणा के कारण आज दुनिया में अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं तथा जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं।

इन सब के विपरीत भारतीय जीवन दृष्टि में इन चारों सिद्धांतों के विपरीत आस्थाएँ हैं। अस्तित्व के लिए 'सघर्ष' के स्थान पर भारतीय दृष्टिकोण में 'समन्वय एवं सहयोग' में विश्वास व्यक्त किया गया है। भारतीय मान्यता है कि अस्तित्व के लिए कोई सघर्ष नहीं है विश्व में सब जगह समन्वय व सहयोग है, सघर्ष कहीं नजर आता है तो वह केवल अज्ञान के कारण है, अज्ञान जिस दिन समाप्त हो जायेगा सघर्ष भी समाप्त हो जायेगा।

'सर्वोत्तम का अस्तित्व' के स्थान पर भारतीय जीवन दृष्टि 'सर्वे भवन्तु सुखिन' अर्थात् सभी सुखी होने चाहिए में विश्वास करती है। हम विश्वास करते हैं कि दुनियाँ में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने किसी न किसी प्रयोजन से भेजा है इसलिए उसे कष्ट क्यों होना चाहिए। किसी भी सस्कृति की श्रेष्ठता का सहज मापदण्ड यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करती है या नहीं। जो सबल होते हैं वे तो अपनी रक्षा कर लेते हैं परन्तु दुर्बलों की जहाँ रक्षा होती है वह समाज सुसस्कृत है। साम्यवादी विचार के अनुसार जो कमायेगा वह खायेगा परन्तु भारतीय विचार में जो कमायेगा वह खिलायेगा रहा है। खुद कमाना व खुद खाना यह प्रकृति है (यही पशु प्रवृत्ति होती है कि आप-आप घरते रहते हैं) दूसरे का छीनना और खाना विकृति है तथा खुद कमाना और दूसरे को खिलाना यह सस्कृति है। अतः किसी सस्कृति की श्रेष्ठता का माप-दण्ड यही है कि उस सस्कृति में लोग दुर्बल लोगों की कितनी चिन्ता करते हैं।

'प्रकृति के शोषण' की पारश्चात्य प्रवृत्ति की जगह भारतीय मान्यता है कि प्रकृति का दोहन' करो। भारतीय आस्था है कि जीवन प्रकृति पर अवलंबित है प्रकृति नष्ट हो जायेगी तो हम सब नष्ट हो जायेंगे। इसी कारण भारतीय परम्पराओं में प्रकृति की पूजा की जाती है। भारतीय लोगों ने प्रकृति से नाता जोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तुलसी वटवृक्ष पीपल आदि पेड़ पौधों की पूजा होती है नदियों को पवित्र माना गया है। पशियों को दाना डाला जाता है। पर्यावरण की रक्षा करना हमारी परम्पराओं में विद्यमान है।

पारश्चात्य जीवन दृष्टि के अन्तिम सिद्धांत 'व्यक्तिगत अधिकार' की जगह भारतीय परम्परा 'मनुष्य के कर्तव्य' को प्राथमिक मानती है। गांधीजी ने कहा कि मनुष्य के अधिकारों का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता। गांधी के मत में अधिकार केवल कर्तव्यों के प्रति समर्पण का सहज परिणाम होते हैं। यदि सभी व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दूसरे के अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जायेगी। जैसे माता-पिता के कर्तव्यों में सतानों के अधिकार निहित हैं सतानों के कर्तव्यों में माता-पिता के अधिकार सुरक्षित हैं गुरु के कर्तव्यों में शिष्य के अधिकारों की रक्षा निहित है तथा शिष्य के कर्तव्यों में शासक के अधिकार सुरक्षित हैं। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने-अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दूसरे के अधिकारों की अपने आप रक्षा हो जायेगी।

पारश्चात्य जीवन दर्शन तथा भारतीय जीवन दर्शन में व्याप्त यह मौलिक अन्तर आर्थिक विचारों में भी झलकता है। भारत का अतीत सभी दृष्टि से वैभवशाली रहा है। पश्चिमी देशों में मनुष्य के आर्थिक विकास का विचार शुरु होने से बहुत पूर्व ही भारत में उत्कृष्ट श्रेणी के वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ कार्यरत थे। जन सामान्य के आरोग्य का खयाल रखने वाला आयुर्वेद आज भी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। भारतीय ज्योतिर्विदों ने सब से पहले यह जान लिया था कि सूरज स्थिर है तथा पृथ्वी घूमती है। दशमान पद्धति का मूल स्थान भारतीय गणित शास्त्र माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण की संकल्पना भारतीय पदार्थ विज्ञान शास्त्रज्ञों को न्यूटन के पहले से ही विदित थी। अजंता एलोरा की गुफाओं में अंकित चित्रों का रंग हमारे विकसित रसायन शास्त्र का परिचायक है। बंदूक के बारूद से लेकर कई रसायन भारत से निर्यात किये जाते थे। हमारे वास्तुशास्त्र के विकास की पहचान अनेक भवनों और मन्दिरों के रूप में मौजूद है। कुतुब मीनार के पास जग न लगने वाला लोह स्तम्भ हमारे विकसित धातु शास्त्र की पहचान देता है। उच्च श्रेणी के वस्त्रों से लेकर लोहे तक का निर्माण करने के लिए भारत दुनिया में मशहूर था। शुक्राचार्य से लेकर चाणक्य तक अनेक अर्थशास्त्रज्ञों ने यहाँ शोषणमुक्त समाज का आर्थिक ढांचा बनाया। इसमें विकसित कृषि व्यवस्था तथा हर घर उद्योग का केन्द्र बने ऐसी रचना थी। समाज शास्त्र योग शास्त्र तथा आध्यात्मिक शास्त्रों में तो हमारी विरासत अमूल्य है।

परन्तु भारत पर अनवरत आक्रमणों तथा गुलामी की वजह से सौच में परिवर्तन आया। अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन में आर्थिक शोषण हुआ तथा हमारी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था नष्ट हो गयी तथा आत्मनिर्भर गाँव उजड़ने लगे। भारतीय कुशल कारीगर बेकार होने लगे। 1947 की राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने परिश्रमी शैली की अर्थ नीति अपना कर देश के विकास का ढाँचा ही बदल दिया। 1956 से समाजवाद से प्रेरित विकास की नीति के अर्न्तगत श्रमप्रधान देश में भारी औद्योगीकरण पर बल दिया गया तथा इस निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाया मिला। श्रम प्रधान तकनीक की जगह पूँजी प्रधान तकनीक अपनायी गयी। भारी मात्रा में विदेशों से पूँजी व तकनीक का आयात करने से भुगतान सतुलन विपक्ष में चला गया। हम सार्वजनिक क्षेत्र को निरंतर घाटे में चलाते रहे तथा विदेशों से भारी मात्रा में कर्जा लेते रहे। कर्जा चुकाने के लिए अधिक कर्जा लेने के लिए बाध्य होना पडा तथा आज देश 5 लाख करोड से अधिक के ऋण के 'मकड़ी जाल' में फस गया है तथा कठोर शर्तों पर ऋण मिलने लगा है। देश में आर्थिक साम्राज्यवाद के बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। देश में आज चारों ओर 'डकैल' प्रस्तावों की चर्चा है। देश गरीबी बेरोजगारी विषमता व मुद्रास्फीति आदि की समस्याओं से ग्रस्त है। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों में भारतीय आर्थिक चिन्तन पर भी विचार करना उपयोगी होगा जिससे आर्थिक विकास के सम्बन्ध में एक दिशा प्राप्त हो सके।

प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोत

प्राचीन सस्कृत वाङ्मय अमूल्य भारतीय निधि है। आज उसके गहन अध्ययन व विश्लेषण की महती आवश्यकता है क्योंकि इसके द्वारा सभ्यता एवं सस्कृति के मूल प्रेरणा स्रोतों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे लाभ उठाया जा सकता है।

प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के गभीर अनुशीलन की अभी तक प्रायः उपेक्षा की गई है। सस्कृत वाङ्मय में बिखरे आर्थिक विचारों का संकलन कर उसका व्यवस्थित व सूत्रबद्ध प्रस्तुतीकरण श्रमसाध्य व कठिन अवश्य है परन्तु असम्भव नहीं।

आर्थिक विचारों को वस्तुतः सभी प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्त स्रोतों को हम निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर आर्थिक विचारों का अध्ययन कर सकते हैं -

(1) ऐतिहासिक स्रोत - इसमें शिलालेख एवं ध्वसावशेषों के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में वर्णित प्रागैतिहासिक तथा सिंधु सभ्यता का परिगणन होता है।

(2) वैदिक साहित्य - वैदिक साहित्य में चार वेद (ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्ववेद) उपनिषद (मुख्यतः 108) आरण्यक ब्राह्मण सूत्रग्रन्थ जातक आदि की गणना की जाती है।

(3) स्मृति साहित्य - स्मृतियाँ सौ से भी अधिक हैं। प्रमुख स्मृतियों में मनु,

याज्ञवल्क्य नारद बृहस्पति गौतम पाराशर हारीत वशिष्ठ की स्मृतिया उल्लेखनीय हैं। स्मृतियों में आर्थिक विचारों को भी काफी महत्व प्रदान किया गया है।

(4) पुराण—इतिहास — इस साहित्य में रामायण महाभारत तथा उपपुराणों को शामिल किया जाता है। वायु अग्नि विष्णु वामन भागवत पुराण आदि ऐसे पुराण हैं जिनमें अर्थव्यवस्था संबंधी विचार पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं।

(5) खण्ड काव्य व अन्य सरकृत साहित्य — इस श्रेणी में कालिदास काणभट्ट भास शूद्रक दण्डी आदि के ग्रन्थ तथा नीति साहित्य सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(6) ऐतिहासिक विचारक — मेगस्थनीज हेनसाग फाहियान तथा इब्नबतूता आदि विदेशी इतिहासकारों के अतिरिक्त अबुलफजल फरिश्त बदाउनी आदि के ग्रन्थों से आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। इसी कड़ी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख जरूरी है क्योंकि उसमें राजनीतिक प्रणाली के साथ-साथ आर्थिक व्यवस्था के विशिष्ट पक्षों यथा—उत्पादन वितरण मूल्य—नियंत्रण संपत्ति का विनियमन कृषि वाणिज्य व व्यवसाय की उन्नति व्यापारियों व उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करारोपण तथा समग्रत आर्थिक प्रणाली में राज्य की भूमिका आदि का व्यवस्थित विवेचन किया गया है।

(7) मुद्राएँ तथा सिक्के — सिन्धु सभ्यता से ही मुद्रा विभिन्न रूपों में प्राप्त हुई हैं जिनसे जीवन रहन-सहन व्यापार व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी मिलती रही है।

यह निर्विवाद सत्य है कि अभी तक भारतीय ढाडगमय में यत्र-तत्र बिचारे हुए आर्थिक विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सका है। अतएव सामाजिक परिवर्तन के परिवेश में ही आर्थिक विचारों के विकास का अध्ययन समीचीन जान पड़ता है। आर्थिक विचार देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुकूल बदलते हैं और विकसित होते रहे हैं। यहाँ पर भारतीय आर्थिक विचारों का विवेचन इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया गया है।

ज्ञान की किसी भी शाखा को वैज्ञानिक बनाने के लिए उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा अनुशीलन कर सभी सामान्य परिस्थितियों में खरे उतरने वाले मूलभूत शाश्वत सिद्धांतों का निरूपण आवश्यक है। प्राचीन आर्थिक विचारों में सत्य का अभाव नहीं है। अतएव तथाकथित वैज्ञानिकता का बहाना लेकर उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता और न ही मानव जाति के ऐतिहासिक विकास क्रम से अलग किया जा सकता है। वैदिक ग्रन्थों से सम्बद्ध आर्थिक विचार दर्शन धर्म एवं नीतिशास्त्र से समन्वय स्थापित कर आगे बढ़े तथा सदैव विकास की ओर उन्मुख रहे, वस्तुतः सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विकास के साथ आर्थिक विचारों का विकास क्रम भी चलता रहा है।

आर्थिक तथा सामाजिक विचारों का संबंध

आधुनिक अर्थशास्त्री आज के वातावरण में उत्पन्न समस्याओं जैसे मूल्य

अर्न्तर्देशीय व्यापार, बड़े पैमाने पर उत्पादन सहा एकाधिकार आदि पर विचार करते हैं। इसी प्रकार प्राचीन विचारकों ने भी सम-सामयिक आर्थिक स्थितियों और समस्याओं पर विचार किया। उनके चिन्तन की आधार शिला एक सुखी सम्पन्न क्रियाशील उत्क्रमणशील मानव समाज की परिकल्पना थी। परन्तु समाज ज्यो-ज्यो विकसित होता गया त्यों-त्यों इन विचारों में भी विकास परिवर्तन एवं सशोधन होता गया।

इससे प्रकट होता है कि आर्थिक विचारों तथा सामाजिक विकास के इतिहास में एक घनिष्ठ संबंध है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित आर्थिक विचारों की निम्न विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं -

(1) प्राचीन हिन्दू दार्शनिक अर्थशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक नहीं मानते थे। वे जीवन को समग्रता की दृष्टि से देखते थे और उनके धार्मिक नैतिक दार्शनिक राजनैतिक और आर्थिक विचार मिले हुए थे। कौटिल्य ने चार विज्ञानों का उल्लेख किया है दर्शन नीतिशास्त्र अर्थशास्त्र और राजनीति। व्यक्ति के कल्याण के लिए चारों विज्ञान आवश्यक माने गए हैं। भारतीय ग्रंथों में आर्थिक विचारों को नैतिक उपेक्षाओं से पृथक नहीं किया गया।

(2) प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित था। प्रजा की समृद्धि और आर्थिक जीवन के नियमन का उतरदायित्व राज्य पर होता था। सार्वजनिक कल्याण ही राज्य का लक्ष्य होता था। वर्ग संघर्ष तथा वर्गों में आपस में द्वेष एवं घृणा को उचित नहीं माना गया। राज्य में यातायात साधनों की व्यवस्था वस्तुओं में मिलावट की मनाही नम तौल की उचित व्यवस्था इत्यादि के संबंध में राजकीय दायित्वों का प्रतिपादन इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी आर्थिक कल्याण राज्य का प्रमुख उद्देश्य था।

(3) भारत में प्राचीन काल में लोगों का जीवन भौतिकवादी नहीं था उनका दैनिक जीवन धार्मिक और नैतिक वातावरण से प्रभावित था। यही कारण है कि उस समय आर्थिक विचारों का स्वतंत्र महत्व नहीं था। यह विचार प्रचलित था कि धर्म का पालन करने से स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्णाश्रम द्वारा सामाजिक समतुलन सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन युग में आर्थिक जीवन काफी सरल था और औद्योगिक क्रियाएँ विकसित नहीं हुई थी।

प्राचीन आर्थिक विचारों की उपयोगिता

प्राचीन अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विचारों के अध्ययन के द्वारा सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे प्रच्छन्न आर्थिक पहलुओं का पता चलता है जिनसे वर्तमान सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है साथ ही युग विशेष की आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक समस्याओं और उसके निदान के उपायों की जानकारी के माध्यम से आज के प्रगतिशील समाज में बाधक तत्वों से निपटने में भी मदद मिलती है।

यद्यपि पाश्चात्य अर्थशास्त्र पर विश्वास रखने वाले कतिपय अर्थशास्त्री प्राचीन युग को अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए आर्थिक विचारों की दृष्टि से उपयोगी स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार प्राचीन आर्थिक विचारों का अध्ययन अनावश्यक एवं अप्रसंगिक है। किन्तु इस विचार से सहमत होना कठिन है।

प्राचीन आर्थिक विचारों की सहायता से न केवल हमें अपने पूर्वजों के रहन-सहन के स्तर का ज्ञान होता है बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्यों, व्यवहारों तथा उद्देश्यों आदर्शों का भी ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इन विचारों का अध्ययन हमें तत्कालीन सभ्यता के विकास की दिशा को भी समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है। प्राचीन साहित्य दर्शन एवं अर्थशास्त्र का जिज्ञासु अध्येता अतीत की उपेक्षा नहीं कर सकता।

यदि आधुनिक अर्थशास्त्री नवीन या उपयुक्त विचारों की स्थापना करना चाहता है तो उसे प्राचीन आर्थिक विचारों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। वर्तमान अतीत की भूमि पर ही खड़ा है। आज आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को नियंत्रित एवं विकसित करने के लिए जो भी सिद्धांत स्वीकृत हैं उन सबका आधार पारम्परिक विचार हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पाश्चात्य अर्थशास्त्र अथवा विचारों का इतिहास प्राचीन नहीं है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद ही अर्थशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ। अर्थशास्त्रियों ने कतिपय यूनानी दार्शनिकों के विचारों का सहारा लेकर ही अपने विचारों सिद्धांतों को निरूपित किया और हमारे देश के अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्रियों विचारकों ने उन्हीं का अधानुकरण करके उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों-विचारों को भारतीय परिवेश में आरोपित कर दिया। इस प्रकार पश्चिम-प्रेरित आर्थिक-विचार प्रणाली की भारतीय सदर्भ में उपयोगिता व वैधता के गंभीर परीक्षण की आवश्यकता है।

प्राचीन आर्थिक विचारों की परम्परा में अनेक ऐसे विचार भी मिलते हैं जो आधुनिक युग में भी परिवर्तित और सशोधित रूप में मौजूद हैं। ये विचार ही हमें बताते हैं कि कोई भी ऐसा युग नहीं रहा है जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक चिंतन न हुआ हो। दूसरे शब्दों में आज के आर्थिक विचारों में प्राचीन विचारों का अत्यंत विकसित रूप ही हमें देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ सामाजिक कल्याण की भावना द्रव्य-पण्य विनिमय व्याज लगान सम्पत्ति धन आदि से संबंधित विचार आधुनिक युग की देन नहीं हैं उनका उद्भव अत्यंत प्राचीन है।

यथार्थ इतिहास का निर्माण पुजीभूत क्रमिकता से होता है जिसमें एक व्यवस्था सगति और नियमितता होती है। भारतीय सस्कृति का उद्भव ऋग्वैदिक काल से माना जाता है और तब से ही इसकी धारा अविच्छिन्न रूप में आज तक प्रवाहित रही है। वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रन्थ आरण्यक उपनिषद् महाकाव्य पुराण नीतिग्रन्थ स्मृति साहित्य

आदि ग्रन्थों में आर्थिक विचार प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन के स्रोत ग्रन्थों में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्षेत्र आवश्यकता व उपभोग सम्बन्धी अवधारणा धन की अवधारणा एवं धनार्जन की आचार संहिता के अलावा मनु, शुक्र तथा कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचारों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानन्द सरस्वती दादा भाई नौरोजी महादेव गोविंद रानाडे गोपालकृष्ण गोखले आर सी दत्त एम एन राय महात्मा गाँधी आदि विचारकों ने ब्रिटिश शासन की शोषणवादी नीतियों के खिलाफ अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत कर जनता को जागरूक बनाया। उन्होंने ब्रिटिश नीति के कारण अत्यधिक व दोषपूर्ण करारोपण धन का देश से बाह्य प्रवाह आदि की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा देश की आर्थिक उन्नति के लिए स्वशासन स्वदेशी राम राज्य आदि को आधार बनाया।

1947 में देश को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ हमने यह कल्पना की थी कि राजनैतिक आजादी तो मिल गई अब हम पलक झपकते ही वही पुराना वैभव और सम्पन्नता को प्राप्त कर लेंगे। परन्तु हमारी यह धारणा निर्मूल सिद्ध हुई। नेहरूजी एवं हमारे नीति निर्माता पश्चात्य एवं रूसी दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि पुरातन भारतीय दर्शन को छोड़ हमने पश्चिमी अवधारणा का अनुसरण कर प्रगति करना चाहा। इसी वजह से गाँधी जी के सुझाये गये रास्ते को भी छोड़ दिया। कृषि के बजाय बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग भी नष्ट हो गये। 50 साल में ऊपर का आर्थिक नियोजन भी कुछ नहीं कर सका।

नेहरू जी की पश्चात्य परक नीतियों एवं आर्थिक व्यूहरचना की राममनोहर लोहिया दीन दयाल उपाध्याय चरणसिंह आदि ने आलोचना की तथा प्राचीन भारतीय परम्पराओं एवं लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय आर्थिक विकास की व्यूहरचना भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही बननी चाहिए न कि पश्चिम के विकास मॉडलों पर। पुस्तक में उपरोक्त विद्वानों के आर्थिक विचारों के साथ विनोबा भावे जे के मेहता तथा अमृत्य सेन के प्रमुख विचारों का भी विवेचन किया गया है।

प्रश्न

- 1 पश्चात्य एवं भारतीय आर्थिक चिन्तन के क्या आधार हैं ? भारतीय आर्थिक विचारों की उपयोगिता बताते हुए आर्थिक व सामाजिक विचारों में सम्बन्ध बताइये।
- 2 भारतीय आर्थिक विचारों के स्रोतों की व्याख्या करते हुए भारतीय आर्थिक विचारों का संक्षिप्त इतिहास बताइये।



प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतक एवं आर्थिक स्रोत ग्रन्थ

(Prominent Ancient Indian Economic Thinkers and
Source books)

भारत का अतीत सभी दृष्टि से वैभवशाली रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत का योगदान अविस्मरणीय है। साख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल, प्रसिद्ध अणु सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद, जनसामान्य के आरोग्य की रक्षा करने वाले आयुर्वेद के जनक आचार्य चरक महान भारतीय सर्जन आचार्य सूत्रूत, गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर भरकराचार्य आर्यभट्ट द्वितीय भारतीय रसायनविद् नागार्जुन आदि ने प्राचीन समय में विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान किया जबकि विश्व को उस समय तक इन विषयों का ज्ञान भी नहीं था। विज्ञान के अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में समाज विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिशास्त्र अर्थशास्त्र लोकप्रशासन समाजशास्त्र भूगोल तथा साहित्य कला के क्षेत्र में शिक्षा संस्कृति संगीत एवं विधि आदि का भी जगह-जगह वर्णन है। आचार्य बृहस्पति शुक्र मनु कौटिल्य याज्ञवल्क्य नारद विष्णु वशिष्ठ विदुर सुधन्या कामदक आदि गनीथियो ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है।

भारतीय ज्योतिषविदों ने सर्वप्रथम यह जान लिया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके घासों ओर चक्कर लगाती है। अथर्ववेद में सूर्य को काल विभाजन का मुख्य कारण माना गया है। सूर्य अपनी कक्षा में दिना सहारे भ्रमण करता है और उसी के प्रकाश से चन्द्रमा एवं अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि पृथ्वी गोल है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कीली पर घुमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आज की कारगोलाजी (Cosmology) की थ्योरी कपिल के साख्यदर्शन से मिलती-जुलती है। भारकराचार्य (लीलावती उनका प्रमुख ग्रन्थ है) ने रगोलशास्त्री स्मार्त से सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की सूर्य से प्रदक्षिणा की अवधि मापी थी। शून्य का आविष्कार पाँचवीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने किया। दशमलव पद्धति का जन्म भी भारतीय गणित शास्त्र को माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अलवरुनी लिखते हैं कि मैंने अनेक भाषाओं के अक सीखे हैं पर किसी भी जाति में हजार से आगे की संख्या का कोई नाम नहीं मिला। हिन्दुओं में अठारह अकों की संख्या के लिए नाम है जिसमें अंतिम संख्या

का नाम परार्थ बताया गया है। श्री धराचार्य ने ग्यारहवीं शताब्दी में वर्ग समीकरण (Quadratic equation) की व्याख्या की थी। फ्रांसीसी विद्वान डॉ. थीर्बो ने स्वीकार किया है कि भारत ही रेखागणित के मूल सिद्धांतों का आविष्कर्ता है। वैदिक वाङ्मय में टूटी हड्डियों को जोड़ने कीर फाइ पोल्डिस और बाण की नोक से मवाद निकालने तथा धातु की जड़ा बनाने का विवरण प्राप्त होता है। सुश्रुत विश्व का प्रथम सर्जन माना गया है उन्हें सिजेरियन मोलियाविद अवयव प्रत्यारोपण पथरी आदि जटिल शल्य क्रियाओं के साथ बेहोशी की दया का ज्ञान था। औषधि विज्ञान के जनक चरक ने 2500 वर्ष पूर्व आयुर्वेद का निर्माण किया।

साहित्य के दृष्टिकोण से तत्कालीन समय में कोई देश भारत की तुलना नहीं कर सकता। वेद विश्व साहित्य की प्रथम पुस्तक मानी गई है। वेदों के अलावा उपनिषद पुराण रामायण महाभारत स्मृतियाँ भक्तियों मेघदूत अभिज्ञानशाकुन्तलम आदि साहित्य के दृष्टिकोण से ऐसे ग्रन्थों की रचना भारत में हुई है। भारतीय साहित्य के उच्च कोटि होने का प्रमाण इसी बात से सिद्ध होता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रथम गवर्नर वारेन हैस्टिंग्स ने सर चार्ल्स विल्किन्सन से गीता और उपनिषदों का अनुवाद करवाकर उन्हें 1784 में ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित करवाया। जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने वेद एवं उपनिषदों का अनुवाद करने में अपने जीवन के 45 वर्ष लगा दिए थे। अजन्ता एलोरा की गुफाओं में अंकित चित्रों का रंग हमारे विकसित रसायन-शास्त्र का परिचायक है। हमारे वास्तुशास्त्र के विकास के प्रमाण अनेक मन्दिरों एवं मंदिरों में आज भी मौजूद हैं। कुतुबमीनार के पास जग न लगने वाला लोह स्तम्भ हमारे विकसित धातुशास्त्र एवं उन्नत तकनीक का परिचय देता है। बेंतूर (कर्नाटक) के चित्र केशव मंदिर परिसर में चालीस फीट ऊंचा तथा बीस हजार किलोग्राम वजन का एक प्रस्तर सीधा खड़ा है। यह एक हजार वर्ष से बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। यह मुकल्ल्याकर्षण तथा भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों के ज्ञान के बिना संभव नहीं था। भारत की उच्च तकनीक की झलक 1916 के औद्योगिक आयोग के इन शब्दों में मिलती हैं जिस समय आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के जन्मदाता यूरोप में जगती जातियाँ निवास करती थी तब भारत अपने शासकों की अयार सम्पत्ति और अपने शिल्पकारों की कलात्मक निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। मौलिक ज्ञान एवं सम्पन्नता के कारण भारत को विश्वगुरु एवं सोने की धिड़िया जैसी उपाधियाँ प्राप्त थीं।

पश्चिमी देशों के आर्थिक विचार मुख्य रूप से यूरोप एवं अमेरिका में विकसित हुए। इन आर्थिक विचारों में समाज को पूँजीपतियों भूस्वामियों श्रमिकों आदि वर्गों में विभाजित कर कई तरह के आर्थिक सिद्धांतों एवं आर्थिक उपायों का प्रतिपादन किया। आर्थिक विचारधाराओं को विकसित करने में नावर्स की भी अत्यधिक भूमिका रही है। धीरे-धीरे इन विचारधाराओं में कई समूह तथा उपसमूह विकसित हुए परन्तु मुख्य रूप से पूँजीवाद तथा साम्यवाद—ये दो विचारधाराएँ ही हावी रही। इन दोनों विचारधाराओं

ने हमेशा यह दावा किया गया कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान कर उसको ऐसा जीवन स्तर उपलब्ध करवायेगी जो कि सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होगा।

1989 से पूर्व विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ दो खेमों में बटी हुई थी। उनमें से कुछ को अमेरिका की प्रजातांत्रिक पूँजीवादी व्यवस्था के साथ तथा कुछ को सोवियत रूस की साम्यवादी व्यवस्था के साथ जुड़े रहना ज्यादा लाभ नजर आता था। भारत जैसे कुछ देशों ने अपने आपको निर्गुट घोषित कर पूँजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाओं के मिश्रण को अपने विकास का आधार बनाने की कोशिश की। 1989 से पूर्व विश्व इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की संघर्ष स्थली बना रहा तथा हमेशा शीतयुद्ध का वातावरण बना रहा। 1989 में रूस की साम्यवादी व्यवस्था के विघटन के कारण पूँजीवादी व्यवस्था के समक्ष चुनौती समाप्त हो गई। यही कारण रहा कि अन्य वैकल्पिक आर्थिक विकास के मॉडल के अभाव में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएँ पूँजीवादी आर्थिक विकास के मॉडल को ही अपना रही हैं। परन्तु आज विश्व अर्थव्यवस्था के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित है कि क्या पूँजीवाद की यह बाजार केन्द्रित अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण दीर्घकाल तक चल पायेगा? क्या इससे हम शोषणमुक्त समाज की स्थापना कर सकेंगे? या बेरोजगारी गरीबी भुखमरी मुद्रास्फीति आय की असमानता आदि समस्याओं को सुलझाने हेतु कोई नयी आदर्श व्यवस्था सामने आयेगी जिसमें विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान छिपा होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विश्व के सम्पूर्ण बौद्धिक समुदाय में विवाद का विषय बने हुए हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि कुछ पश्चिमी विवेकशील विचारक यह अनुभव करने लगे हैं कि यूरोपीय राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं द्वारा किये जा रहे बचाव के प्रयासों के बावजूद भी मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित पूँजीवादी ढाँचा एक दिन अनिवार्यतः समाप्त हो जायगा।

आज यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि पूँजीवाद की विभिन्न आर्थिक अवधारणाएँ किन दार्शनिक आधारों पर टिकी हुई हैं। यदि हम पाश्चात्य आर्थिक अवधारणाओं का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि पाश्चात्य आर्थिक-दर्शन एक प्रकार से टुकड़ो-टुकड़ो में बटा हुआ (compartmentalised thinking) दर्शन है जिसमें आर्थिक मानव की कल्पना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं काम तक सीमित है। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में वैयक्तिक प्रसन्नता (happiness for one self) को केन्द्र बिन्दु बनाया गया है और इसलिए प्रत्येक का लाभ कमाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। पाश्चात्य दर्शन पर ईसाइयत के प्रभाव के कारण उपभोगवाद का संवर्द्धन हुआ है। स्वयं के उपभोग को बढ़ाने के उद्देश्य पूँजीवादी देशों में शोषण तथा अधिकार प्रेरित कर्त्तव्यों का जन्म हुआ है। इस आर्थिक दर्शन में कृत्रिम दुर्लभताओं के कारण कीमतों की वर्द्धमान प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्रतियोगिता के नाम पर कई अन्य विधियाँ से एकाधिकारी प्रवृत्तियों का बढ़ते हुए देखा जा सकता है। अधिकांश आर्थिक सिद्धांतों के मजदूरी-रोजगार पर केन्द्रित होने के कारण आय के वितरण में भारी

असमानताओं का अवलोकन किया जा सकता है। इन देशों की बढ़ती हुई उपभोग की आवश्यकताओं के कारण तथा अति-ऊर्जा केन्द्रित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के कारण जिस गति से प्रकृति का शोषण किया जा रहा है उसके कारण विश्व के समक्ष पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया है। पश्चात्य आर्थिक दर्शन की उपर्युक्त सभी अवधारणाएँ मुख्य रूप से पूजीवाद के निम्न चार सिद्धांतों पर आधारित रही हैं—(i) अस्तित्व के लिए संघर्ष (ii) सर्वोत्तम का अस्तित्व (iii) प्रकृति का शोषण (iv) वैयक्तिक अधिकार।

अतः आज आवश्यकता इस बात की है क्या विश्व को उपर्युक्त इन चार सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक अवधारणाओं पर आगे बढ़ना चाहिए या इनके विपरीत भारतीय दर्शन पर आधारित आर्थिक अवधारणाओं का विचार विश्व के समक्ष रखना है।

भारतीय दर्शन के मूल आधार पश्चात्य दर्शन—अस्तित्व के लिए संघर्ष के स्थान पर परस्पर सहयोग को प्रमुखता देता है। सर्वोत्तम का अस्तित्व के स्थान पर समन्वय एवं सहयोग को आधार माना गया है। प्रकृति के शोषण के स्थान पर प्रकृति के दोहन की आवश्यकता को प्रतिपादित किया गया है तथा वैयक्तिक अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन के उपर्युक्त इन चार सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक मानव के स्थान पर समग्र मानव की कल्पना की गई है जो अर्थ एवं काम के अतिरिक्त धर्म तथा मोक्ष से भी ओतप्रोत रहता है। वैयक्तिक प्रसन्नता के स्थान पर सबके कल्याण की कल्पना की गई है। भारतीय दर्शन में पश्चिम के लाभ उद्देश्य के स्थान पर सेवा की भावना तथा उपभोगवाद के स्थान पर सम्यक्त उपभोग को स्थान दिया गया है। पश्चात्य दर्शन में जहाँ शोषण को प्रमुखता है वहाँ भारतीय दर्शन में अन्त्योदय के विचार को अपनाया गया है। पश्चात्य दर्शन के कृत्रिम दुर्लभता के स्थान पर प्राचीन भारतीय वाङ्मय में विपुल उत्पादन की परिकल्पना की गई है। जहाँ पश्चात्य दर्शन में मजदूरी रोजगार पर आधारित आर्थिक सिद्धांत है वहीं भारतीय दर्शन में स्वरोजगार केन्द्रित आर्थिक अवधारणाएँ शामिल हैं। इस प्रकार पश्चात्य आर्थिक दर्शन एवं भारतीय आर्थिक दर्शन के मूलभूत अंतर देखे जा सकते हैं।

स्वतंत्रता पश्चात पचास वर्षों से अधिक भारत का आर्थिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाएँ किसी न किसी प्रकार पश्चिम के प्रारूपों पर ही आधारित रही हैं। 1990 के बाद देश में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाये जाने के बाद भी आज देश के समक्ष गरीबी बेरोजगारी आय की असमानताएँ तथा बढ़ता हुआ प्रदूषण आदि समस्याएँ विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इन समस्याओं के अनवरत चलते रहने के कारण भारतीय मन अब वर्तमान आर्थिक नीतियों से विचलित होने लगा है तथा इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि क्या इन समस्याओं का समाधान हमारे प्राचीन आर्थिक चिन्तन में नहीं है? यदि इनका समाधान प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में है तो क्या पूर्व में उस समाधान को शोध करके देश

के समक्ष रखा गया। इसी बात से प्रेरित होकर प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि अब तक मकाले शिक्षा व्यवस्था के कारण तथा पाश्चात्य दृष्टि से प्रेरित भारतीय विद्वानों के पूर्वाग्रहों के कारण प्राचीन भारतीय आर्थिक अवधारणाओं को उपेक्षित रखा गया तथा भारतीय चिंतन के बारे में यह धारणा व्यक्त की गई कि भारतीय चिंतन मूलरूप से आध्यात्मिक सामाजिक व कुछ सीमा तक राजनीतिक रहा है तथा आर्थिक पक्ष को तो इसमें कोई स्थान ही नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि हमारा प्राचीन साहित्य सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक न्यायिक एवं आर्थिक विचारों से भरा पड़ा है तथा आज उनकी उपयोगिता सार्थक जान पड़ती है।

प्रमुख प्राचीन आर्थिक चिंतक

विश्व में अर्थशास्त्र की चिंतन परम्परा भारत में सर्वाधिक प्राचीन रही है। ब्रह्मा द्वारा संहिता के निर्माण के बाद इसे मनु ने धर्मशास्त्र बृहस्पति ने अर्थशास्त्र तथा नदी ने कामशास्त्र के रूप में रचना की। इस दृष्टि से आचार्य बृहस्पति ही अर्थशास्त्र के जनक कहे जा सकते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान ए वी कीथ ने अपने शोधपत्र *A History of Sanskrit Literature* में लिखा है कि आचार्य बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्राचीनतम सस्थापक (Primordial Founder) हैं। महाभारत में भी आचार्य बृहस्पति को ही अर्थशास्त्र का प्राचीनतम सस्थापक माना है। उशाना (शुक्र) तथा बृहस्पति का उल्लेख महाभारत में राजशास्त्र निर्माता के रूप में किया गया है।¹ एक अन्य स्थान पर महाभारत में बृहस्पति विशालाक्ष काव्य (शुक्र) इन्द्र प्राचेतस मनु भारद्वाज और गौरशिरा मुनि को राजशास्त्र निर्माता बतलाया है।² प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारकों में कौटिल्य का नाम सबसे अंत में आता है परन्तु कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम शुक्राचार्य एवं बृहस्पति को नमस्कार लिखा है। इससे तात्पर्य है कि शुक्र तथा बृहस्पति दोनों महान अर्थशास्त्री रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पौंध सम्प्रदायों के नाम उल्लिखित हैं—

(1) मानव (2) बार्हस्पत्य (3) औशनस (4) धाराशर तथा (5) आम्भीय। इनके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारद्वाज विशालाक्ष पिशुन पिशुनपुत्र पाराशर कौणपदन्त वातव्याधि बाहुदत्तीपुत्र (इन्द्र) कात्यायन कणिक भारद्वाज दीर्घ धारायण घोटमुख किन्जल्क आदि का उल्लेख मिलता है। कामदक नीतिसार के अनुसार नारद शुक्र (इन्द्र) बृहस्पति भार्गव (शुक्र) भारद्वाज भीष्म पाराशर मनु कौटिल्य द्वारा ब्रह्मा द्वारा रचित शास्त्र को सक्षिप्त किया। नीतिप्रशासिका में ब्रह्मा महेश्वर इन्द्र प्राचेतस मनु बृहस्पति शुक्र भारद्वाज वेदव्यास तथा गौरशिरा को तथा बुद्धचरित³ में भृगु अगिरा शुक्र और बृहस्पति को राजशास्त्र निर्माताओं के रूप में उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार ब्रह्मा विशालाक्ष (शक्र) बाहुदन्त (इन्द्र) बृहस्पति (देवगुरु) कामदक वातव्याधि (उद्धव) कौटिल्य मनु याज्ञवल्क्य पाराशर कात्यायन तथा विभिन्न स्मृतिकार एवं नीतिकार प्रमुख आर्थिक विचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं। पुराणों में अग्निपुराण

(अध्याय 218-242) गरुड पुराण (अध्याय 108-115) मत्स्य पुराण (अध्याय 215-243) मार्कण्डेय पुराण कालिक पुराण भागवत पुराण के अलावा मनुस्मृति बृहत्पाराशर स्मृति जैन व बौद्ध ग्रन्थ बुद्धहारित स्मृति रामायण महाभारत वेद कालीदास के ग्रन्थो आदि सभी में आर्थिक विचारों का वर्णन प्राप्त होता है।

कुछ प्रमुख अर्थ चिंतकों एवं साहित्य का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।

1 अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य बृहस्पति

अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक (Father of Economics) के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र में योगदान की चर्चा की जाती है तो उनका समय 1723-1790 तक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक *An Inquiry into the Nature and Causes of wealth of Nations* का प्रकाशन 1776 में हुआ।

बृहस्पतियाम अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि आचार्य बृहस्पति ने चारों पुरुषार्थों (धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष) में से सर्वाधिक महत्त्व अर्थ को दिया तथा उनके अर्थ शब्द में धर्म काम तथा मोक्ष के अलावा इस ससार के सभी विषय शामिल हैं। एडम स्मिथ के राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political economy) में भी अर्थ का इतना व्यापक समावेश नहीं है।


कौटिल्य ने एक जगह लिखा है कि पृथ्वी की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए आचार्य बृहस्पति समेत जितने भी पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र-विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है उन सब का सार-सकलन कर मैंने अर्थशास्त्र की रचना की है।

पृथ्वी की प्राप्ति (लाभ) तथा उसकी रक्षा में अर्थशास्त्र के तीन आशय हैं—विशुद्ध अर्थशास्त्र (Pure Economics) पर्यावरणीय अर्थशास्त्र (Environmental Economics) तथा राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy)। विशुद्ध अर्थशास्त्र का तात्पर्य वार्ता से है। वार्ता में मोटे रूप से वे सभी व्यवसाय शामिल हैं जिनसे व्यक्ति आजीविका प्राप्त करता है। वार्ताशास्त्र में उपभोग उत्पादन विनिमय तथा वितरण जैसी सभी आर्थिक क्रियाएँ शामिल हैं। दूसरा अर्थशास्त्र का आशय राजनीतिक अर्थशास्त्र से है। स्मिथ की राजनीतिक अर्थशास्त्र की उक्त पुस्तक स्मिथ के गुरु प्रो हबेसन के व्याख्याओं पर आधारित थी जिसमें प्राकृतिक अध्यात्म विद्या नीतिशास्त्र न्याय शास्त्र तथा राज्य की दौलत समृद्धि एवं शक्ति बढ़ाने के नियम आदि का समावेश था। श्रम, मुद्रा मजदूरी लगान पूँजी संचय स्वतंत्र व्यापार करारोपण के नियम आदि उनके प्रमुख आर्थिक विचार थे।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि क्या एडम स्मिथ से पूर्व कहीं आर्थिक विचारों पर कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ ? यदि भारत के प्राचीन आर्थिक चिंतन पर विचार किया जाय तो आचार्य बृहस्पति को अर्थशास्त्र के प्रणेता कह सकते हैं।

आचार्य वात्स्यायन ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'कामसूत्र' (संस्कृत भाषा में) में बताया कि सप्ताह के रचयिता ब्रह्मा ने "संहिता" की रचना की जिसमें एक करोड़ से भी अधिक श्लोक थे। कालांतर में इस संहिता में से तीन विद्याओ—धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र एवं काम शास्त्र (कर्म शास्त्र) का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य मनु ने धर्मशास्त्र की आचार्य बृहस्पति ने अर्थशास्त्र की तथा आचार्य नदी ने काम शास्त्र की रचना की।

प्रभु ब्रह्मा द्वारा रचित संहिता (SANHITA)



प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ए. बी. केथ (A B Keith)¹⁰ ने अपनी पुस्तक A History of Sanskrit Literature में लिखा है कि आचार्य बृहस्पति अर्थशास्त्र के जनक थे।


महाभारत महाकाव्य में भी आचार्य बृहस्पति को अर्थशास्त्र का प्रवर्तक बताया गया है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि बृहस्पतियाम अर्थशास्त्र आचार्य बृहस्पति द्वारा लिखा गया है। बृहस्पतियाम अर्थशास्त्र का वर्णन आचार्य भास द्वारा लिखित प्रतिमा तथा आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखित 'काम सूत्र' में भी मिलता है।

मौर्य काल में आचार्य कौटिल्य ने कौटिलीयम अर्थशास्त्रम् (231-320 ई पू) की रचना की जिसमें उन्होंने आचार्य बृहस्पति एवं आचार्य शुक्र को नमस्कार किया है जिससे तात्पर्य यह है कि आचार्य बृहस्पति एवं आचार्य शुक्र कौटिल्य के पूर्व हुए हैं। उन्होंने प्रथम अधिकरण में ही इस प्रकार लिखा है—

ॐ नम शुक्रबृहस्पतिभ्याम्। अर्थात् शुक्राचार्य और बृहस्पति के लिए नमस्कार है।"

आचार्य कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के प्रथम अधिकरण (अध्याय) विद्या सम्बन्धी विचार के अन्तर्गत बताया है कि विद्याये चार प्रकार की होती है—आ-वीक्षकी त्रयी वार्ता तथा दण्डनीति। मनु सम्प्रदाय के आचार्यों ने केवल तीन विद्याये—त्रयी वार्ता तथा दण्ड नीति मानी है। परन्तु आचार्य बृहस्पति ने केवल दो विद्याये—वार्ता तथा दण्डनीति को प्रमुख माना है। आचार्य शुक्र ने केवल दण्ड नीति का ही विद्या माना है तथा उसी को ही सभी विद्याओ का स्थान तथा कारण स्वीकार किया है। इन विद्याओ को सार रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है—

विद्या (ज्ञान)



महाभारत में कहा गया है कि जब धर्म-विप्लव के कारण लोगो में अनाचार अधिक बढ़ गया था तो सभी सन्नस्त देवता गण ब्रह्मा के पास गये तो ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायो में एक शास्त्र की रचना की तथा उसमें सभी पुरुषार्थ (धर्म अर्थ काम एव मोक्ष आदि) ये मानव जीवन के लक्ष्य माने जाते हैं तथा दण्ड-नीति आदि उपयोगी विषयों का समावेश है जिसे नीतिशास्त्र (सहिता) का नाम दिया गया। इसी शास्त्र से आचार्य बृहस्पति ने अपने शास्त्र की रचना की। शुक्र-नीति-सार के अनुसार इस ब्रह्मा द्वारा रचित नीतिशास्त्र में एक करोड़ श्लोक थे परन्तु प्रजा की आयु में हास को देखकर भगवान शंकर ने उस 'नीति शास्त्र' को दस हजार अध्यायो में संक्षिप्त किया। इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम भगवान शंकर के पर्याय विशालाक्ष के आधार पर वैशालाक्ष नीतिशास्त्र पड़ा। पुन इन्द्र ने इस विशालाक्ष शास्त्र को पाँच हजार अध्यायो में संक्षिप्त किया तथा उसका नाम बाहुदन्तक शास्त्र रखा गया। तत्परचात बृहस्पति ने इस बाहुदन्तक शास्त्र को तीन हजार अध्यायो में संक्षिप्त किया जिसका नाम बार्हस्पत्य शास्त्र पड़ा। अर्थशास्त्र का तीसरा आशय पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से है जिसमें पृथ्वी से प्राप्तियों व रक्षा के लिए पर्यावरण सतुलन बनाना आवश्यक है जो प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा उनके रक्षा के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय शामिल हैं। तीसरे पृथ्वी से प्राप्तियों व रक्षा के लिए सुदृढ़ राज्य व्यवस्था (राजा) एव उसकी दण्ड नीति से हैं।

बुद्धचरित नीति प्रकाशिका अश्वघोष ने बृहस्पति को राजशास्त्र (अर्थशास्त्र विषयक) निर्माता के रूप में उल्लेख किया है। बृहस्पति की वार्ता की अवधारणा में "कृषिपालन, पालय वाणिज्यम च वार्ता" से अभिप्राय कृषि डेयरी और वाणिज्य विषयों का अनुशीलन है जो वस्तुतः अर्थशास्त्र ही है। ऐसी विद्या का ज्ञान राज्य शासन एव लोक कल्याण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। आचार्य बृहस्पति धर्म (कर्तव्य) और वार्ता (अर्थ) दोनों में सतुलन पर बल देते हैं। जबकि परदातवर्ती आचार्य शुक्र दण्ड नीति को ही पूर्ण विद्या मानते हैं। आचार्य कौटिल्य ने भी शुक्र के मत को ही स्वीकार किया है। इस प्रकार आचार्य बृहस्पति आचार्य शुक्र से परिष्ठ रहे हैं तथा उनको अर्थशास्त्र का जनक (Founder of Economics) कहा जाना चाहिए। बृहस्पति के प्रमुख आर्थिक विचारों को निम्नलिखित बिन्दुओं में व्यक्त कर अध्ययन किया जा सकता है।

(1) वर्णाश्रम-बृहस्पति ने अपने पूर्व धर्मशास्त्रकारों की भांति भारतीय समाज के

लिए एक आदर्श कल्पना प्रस्तुत की थी जिसे वर्णाश्रम धर्म का नाम दिया गया है। चारों वर्ण अपने-अपने कर्तव्यों से भी समस्त क्रियाओं का संचालन करते थे। आपात काल में अवश्य बृहस्पति दूसरी वृत्ति अपनाने की आज्ञा देते हैं।

(2) धन का महत्त्व— बृहस्पति भी चाणक्य तथा शुक्र की भांति धन को ही समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्गम मानते हैं।⁹ उनके अनुसार सम्पूर्ण व्यावहारिक क्रियाओं का संचालन धन के माध्यम से होता है। अतः असकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को पयत्नशील होना चाहिए। बृहस्पति ने कोश-संवर्द्धन के लिए अधिकाधिक धन प्राप्ति न्यायोचित ढंग से प्राप्त करने की सलाह दी है।

(3) सह-उपभोग की अवधारणा— बृहस्पति धन के समान वितरण के पक्ष में थे और चाहते थे कि उपार्जित किया गया धन समाज में समान रूप से वितरित किया जाय। जीविकोपार्जन से जो भी धन की प्राप्ति हो अपने बधु-बाधव के साथ बाटकर उसका उपभोग करना चाहिए।¹⁰ बृहस्पति उपार्जित धन का उपभोग उन्हीं वस्तुओं पर करने की सलाह देते हैं जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है।

(4) बृहस्पति की वित्तीय नीति— बृहस्पति का कहना है कि जो राजा अधिक धन इकट्ठा करने के विचार से जनता पर अधिकाधिक कर लगाता है उससे राष्ट्र की वृद्धि नहीं होती वरन् राष्ट्र का पतन हो जाता है।

हीन मध्योन्तमत्वेन प्रमिन्नानि प्रथक प्रथक विशेष एषा नर्दिष्टश्चतुर्गामप्यनुक्रमात्।

बृह स्पृति व्यवहार काण्ड 1/15

बृहस्पति करों के संग्रहण में विश्वासपात्र एवं ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति पर जोर देते हैं। कामदकीय नीतिसार में लिखा है कि —

बृहस्पतेरविश्वास इतिशास्त्रार्थ निश्चय

विश्वासी च तथा च स्याद् यथा सव्यवहारवान्। कामदकीय नीतिसार (5/85-88)

कर नीति निर्धारण सिद्धान्त— बृहस्पति राज्य संचालन के लिए उचित कर नीति को आवश्यक मानते थे। उनकी कर नीति निम्न सिद्धांतों पर आधारित थी।

(i) लोकहित— बृहस्पति कर निर्धारण का प्रथम व अंतिम उद्देश्य लोकहित को मानते हैं क्योंकि इसी के द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था सुनियंत्रित होती है। देश, प्रजा भूमि तथा समय पर विचार करके ही कर निर्धारण एवं वसूली करनी चाहिए। करों की वसूली छमाही या वार्षिक होनी चाहिए।¹¹

(ii) शास्त्रविधि अनुकूल— करारोपण शास्त्र की विधि के अनुकूल होना चाहिए। बृहस्पति ने कर की वसूली एक मापदण्ड तथा निश्चय होना अनिवार्य माना है। उन्होंने शुल्क स्थानों या चुगीघरों पर होने वाले अन्याय को राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर आघात माना है।

(iii) कर निर्धारण का आर्थिक आधार— बृहस्पति वर्णों की आजीविका के आधार पर करों की दरों में भी भिन्नता की व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण

क्षत्रिय वैश्य तथा सेवाजीवी की आय पर कर की मात्रा पृथक्-पृथक् होनी चाहिए।

(iv) बृहस्पति धीरे-धीरे कर बढ़ाने के पक्ष में थे ताकि करो की अधिकता से जनता में असंतोष भी उत्पन्न न हो तथा कर के अनाव में कोश भी क्षीण न हो। उन्होंने कर निर्धारण एवं वसूली में ईमानदारी तथा अनुशासन पर जोर दिया है। उनका मत था कि जिस राजा का मंत्री ही धन लो लुप्त हो जाता है उस राजा के पास धन कहाँ ? अतः वे शुल्क स्थानों पर अन्याय को विनाशकारी मानते थे।*

भाग- कृषि भूमि तथा ऋतु के अनुरूप उपज का राजकीय भाग की वसूली को बृहस्पति देश स्थिति उपज तथा समयानुसार वसूल करने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार कृषि बल अर्थात्-कृषि पर जीविका निर्वाह करने वाले किसान खिल वर्ष और बसत की उपज का क्रमशः $1/10$ $1/8$ तथा $1/6$ भाग राजा को दे। तथा यह कर देश की स्थिति के अनुसार छठे महीने या वार्षिक रूप में देना चाहिए।

शुल्क-बृहस्पति के शुल्क के बारे में विचार था कि शुल्क स्थान पर पहुँच कर व्यापारी को यथोचित शुल्क देना चाहिए। शुल्क की राशि बृहस्पति ने 10वाँ अश माना है। बृहस्पति वाणिज्य के अलावा कुसीद तथा शिल्पियों से प्राप्त होने वाले धन पर भी शुल्क लगाने का प्रावधान करते हैं।

कुसीद कृषि वाणिज्य शुल्क शिल्पानुवृत्तिभिः

कृतोपकारदाप्त च शबल समुदाहृतम् ॥ बृह-स्मृति व्यवहार काण्ड 7/4

मृतक सम्पत्ति कर-बृहस्पति के अनुसार मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का निरीक्षण करना राजकीय अधिकारियों का कार्य है। यदि मृतक का कोई उत्तराधिकारी है तो उसे अन्य लोगों से स्थिति प्रमाणित करवानी होती है कि वही उसका उत्तराधिकारी है। अतः उसे वर्ण के अनुकूल राजकीय अश देना पड़ता है। बृहस्पति राजा का अश शुद्र के धन से $1/6$ भाग वैश्य के धन से $1/9$ भाग क्षत्रिय के धन से $1/10$ भाग तथा ब्राह्मण के धन से $1/20$ भाग मानते हैं।

अन्यकर-उक्त स्त्रोतों के अलावा तस्कर वृत्ति कर, दण्ड युद्ध कुसीदनिधि गणिका आदि से प्राप्त होने वाली आय को भी बृहस्पति ने राजकीय आय का स्त्रोत माना है।

सार्वजनिक व्यय-दार्हस्पत्य अशो में व्यय की मदों का स्पष्ट विवरण तो प्राप्त नहीं होता परन्तु कोश वृद्धि के नियमों में ही व्यय की मदों का विवरण प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति ने राष्ट्रीय आय का उपभोग उचित मदों पर ही करने की सलाह दी है। राजकीय व्यय प्रजारक्षण के निमित्त युद्ध निर्णय रक्षण राष्ट्रीय प्रशासन मन्त्रिमण्डल विभिन्न अधिकारियों का वेतन राजकीय परिवर्धन की योजनाओं तथा सामाजिक कार्यों पर किया जाना चाहिए।

* बृह स्मृति व्यवहार काण्ड 13/16

धन के प्रकार-आय के साधनों में धन की गणना प्रमुख थी। बृहस्पति तीन प्रकार का धन मानते हैं।

(अ) शुक्ल-श्रुत शौर्य तप कथा शिष्य एवं यान आदि की गणना इस धन रूप में की जाती है।

(ब) शबल-कुसीद कृषि वाणिज्य शुल्क शिल्प उपकार के प्रतिरूप से प्राप्त होने वाली आय की गणना शबल धन में की गई है।

(स) कृष्य धन-इस धन में द्यूत साहस ब्याज या धोखे से प्राप्त धन को शामिल किया गया है।

2. मनु (मानव)-मनु को वैदिक संहिताओं में ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। मनु को प्रथम मानव मानव प्राप्ति का पथप्रदर्शक कहा गया है। मनु रचित मानव धर्मशास्त्र भारतीय धर्मशास्त्र में आदिम व मुख्य ग्रन्थ माना जाता है परन्तु मानव धर्मशास्त्र अभी तक देखने में नहीं आया। वर्तमान मनुस्मृति को अच्छी मूल सूत्रों के आधार पर लिखी हुई कृति मान सकते हैं। मनु के आर्थिक विचारों को अध्याय-7 में भी लिखा गया है।

3. अश्विनस (शुक्र)- इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'उशाना' के पर्याय शब्द शुक्राचार्य भार्गव काव्य दैत्यगुरु भृगु आदि हैं। इनके द्वारा सम्पादित ब्रह्मनीति शास्त्र के संक्षिप्त रूप के निर्देश के प्रसंग में महाभारत में इन्हें अमित प्रज्ञ महायज्ञा आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। इस सम्प्रदाय द्वारा संकलित शुक्र नीति की अन्यान्य प्राचीन ग्रन्थों में अत्यन्त प्रशंसा की गयी है। शुक्र नीति सार-शुक्र की ही परम्परा में लिखा ग्रन्थ है। आचार्य शुक्र के शुक्र नीति में वर्णित आर्थिक विचारों की चर्चा आगे अध्याय 8 में दी गयी है।

4. पाराशर-ऋग्वेद में शत्यातु तथा वशिष्ठ के साथ पाराशर का भी उल्लेख है। निरुक्त (वेद का अर्थ स्पष्ट करने वाला ग्रन्थ) के अनुसार पाराशर वशिष्ठ के पुत्र थे किन्तु वाल्मीकि रामायण में इन्हें शक्ति का पुत्र तथा वशिष्ठ का पौत्र कहा गया है। जिन सात ऋषियों को ऋग्वेदीय मंत्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें पाराशर का नाम भी सम्मिलित है।

स्मृति शास्त्र में पाराशर स्मृति अथवा संहिता प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस संहिता का प्रणयन कलियुग के लिए किया गया था (कलौ पाराशर स्मृत)। इसके प्रस्ताविक श्लोकों में लिखा है कि ऋषि लोग व्यास के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि आप कलियुग के लिए धर्मापदेश करें। व्यास जी ऋषियों को अपने पिता पाराशर के पास ले गये जिन्होंने इस स्मृति का प्रणयन किया। इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की गयी है और कहा गया है कि मनु, गौतम शख लिखित तथा पाराशर स्मृतियों क्रमशः सत्य युग त्रेता द्वापर तथा कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैं। आचार्य कोटिल्य ने अमात्यों की नियुक्ति में आचार्य पाराशर का उल्लेख किया है।

महाभारत के शांति पर्व में आचार्य पाराशर का राजा जनक को दिये गये उपदेशों में आर्थिक पक्ष को व्यक्त किया गया है।

संसार में जीवन निर्वाह के लिए चार प्रकार की जीविका का विधान है (ब्राह्मण के लिए दान लेना क्षत्रिय के लिए कर लेना वैश्य के लिए खेती आदि तथा शुद्र के लिए सेवा)। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होता है उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है।

धन के सम्बन्ध में आचार्य पाराशर ने बताया कि जो धन न्याय से प्राप्त हुआ है तथा न्याय से ही बढ़ाया गया हो उसे धर्म के उद्देश्य हेतु यत्नपूर्वक बचाये रखना चाहिए—यह धर्मशास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाले को क्रूर-कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अधर्म से सम्पत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए।

5 भारद्वाज—ये भारद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि हैं। ये यजुर्वेद के एक श्रोत एव गृह्य शाखा के सूत्रकार थे। तैत्तरीय प्रातिशाख्य में इनका उल्लेख आचार्य के रूप में तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों में व्याकरण के रूप में हुआ है। इससे विदित होता है कि ऋषि भारद्वाज शिक्षा शास्त्री व्याकरण श्रोत एव गृह्य सूत्रकार भी थे। कौटिल्य ने अमात्यों (साधारण मंत्री) की नियुक्ति में आचार्य भारद्वाज के अभिमत की चर्चा की है। भारद्वाज के अनुसार राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं।

6 विशालाक्ष—कौटिलीय अर्थशास्त्र के प्रकरण 3/अध्याय 7 में अमात्यों की नियुक्ति में आचार्य विशालाक्ष द्वारा आचार्य भारद्वाज के राजा के सहपाठियों को अमात्य बनाने के सुझाव पर टिप्पणी की है। आचार्य विशालाक्ष के अभिमत से राजा के सहपाठी विश्वास पात्र हो ऐसा आवश्यक नहीं हैं। एक साथ खेलने उठने-बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए विशालाक्ष के अनुसार अमात्य उनको बनाना चाहिए जो गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे हो। समानशील तथा समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते हैं।

7 पिशुन—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में आचार्य पिशुन का भी अमात्यों की नियुक्ति वाले अध्याय में वर्णन किया है। आचार्य पिशुन के अनुसार जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करे वह उसकी राजा के प्रति भक्ति है प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है सेवाधर्म है, यह बुद्धि का प्रमाण नहीं, जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्ति करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ सम्पन्न करके दिखा सकें।

8 कौणपदन्त—आचार्य कौटिल्य ने कौणपदन्त का भी उल्लेख अमात्यों की नियुक्ति में किया है। आचार्य कौणपदन्त आचार्य पिशुन के मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि आचार्य पिशुन के अनुसार लगाये गये लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्य पद जिनकों वंश परम्परा से उपलब्ध रहा हो उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। वे ही सम्पूर्ण नीति-नीति से परिचित रहते हैं। यही कारण है कि वे अपना अपकार होने पर भी परम्परा सम्बन्ध के कारण राजा को नहीं छोड़ते।

9 वातव्याधि—आचार्य कौटिल्य ने अमात्यों की नियुक्ति में आचार्य वातव्याधि का भी उल्लेख किया है। आचार्य वातव्याधि कौणपदन्त के अभिमत के समर्थक नहीं हैं। उनकी मान्यता है कि इस प्रकार अमात्य, राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके राजा के समान स्वतंत्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए नीति कुराल राजा नये व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे। नये अमात्य दण्डधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समझ कर उसकी कभी अवमानना नहीं करते।

10 आचार्य बाहुदन्ती पुत्र (इन्द्र)— इनके अनुसार आचार्य वातव्याधि का मत भी उचित नहीं है। आचार्य बाहुदन्ती-पुत्र के अनुसार नीतिशास्त्र पारंगत किन्तु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग कुलीन—बुद्धिमान—विश्वास पात्र वीर और राजमक्त हो उनको अमात्य पद पर लगाना चाहिए।

बाहुदन्तेय इन्द्र का पर्याय है। बाहुदन्तक जो कि नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ है इसमें आचार्य बाहुदन्ती पुत्र के विचारों का उल्लेख है। 'बाहुदन्तक ग्रन्थ' विशालाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र का सक्षिप्त रूप है। यह भीष्म पितामह के समय बार्हस्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। राजनीति की परम्परा में कथित है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्यों में दण्डनीति शास्त्र की रचना की। उसका सक्षिप्त संस्करण दस हजार पद्यों में विशालाक्ष ने किया। इसका भी सक्षिप्तीकरण आचार्य बाहुदन्तक ने 5000 पद्यों में किया।

11 कौटिल्य—आचार्य कौटिल्य का पर्याय चाणक्य विष्णुगुप्त भी है। चाणक्य उन्हें चणक के पुत्र होने के कारण तथा कौटिल्य उन्हें कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है। वे दोनों नाम उनके पितृ-प्रदत्त न होकर वंश नाम या उपाधि नाम हैं। कौटिल्य का वास्तविक पितृ प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त नाम का हयाला आचार्य कामदक के नीतिसार में उपलब्ध होता है जिसकी रचना 400 ई पू के लगभग हुई। कामदकीय नीतिसार से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। कामदकीय नीतिसार का आधार कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही था। आचार्य कौटिल्य के आर्थिक विचार अध्याय 9 में वर्णित हैं।

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन के प्रमुख स्रोत ग्रन्थ

प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रमुख स्रोत ग्रन्थ वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वेदांग छ शास्त्र कल्पसूत्र व्याकरण ज्योतिष स्मृति पुराण महाकाव्य नीतियाँ आदि हैं। इन मौलिक ग्रन्थों के भी कई भाग हैं। जैसे वेदों में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद ब्राह्मण ग्रन्थों में ऐतरेय शतपथ साम तथा गोपथ, उपवेद में आयुर्वेद धनुर्वेद गार्धर्व वेद अथर्व वेद, आरण्यक में ऐतरेय शाखायन तैत्तरीय मैत्रायणी तलव भार बृहदारण्यक उपनिषद में ईश केन कठ प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य ऐतरेयी तैत्तरीयी छान्दोग्य बृहदारण्यक, वेदांग में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द व ज्योतिष, शास्त्रों में न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदाङ्ग, कल्पसूत्र में श्रौत सूत्र (आखलायन शाखायन कात्यायन बोधायन आपस्तम्ब हिरण्यकेशी वैखानस भारद्वाज मानव लाट्यायन द्राह्मयण जैमिनीय वैतान) गृह्य सूत्र (गोथिल व पारस्कर) धर्म सूत्र एव शुल्य सूत्र, व्याकरण में पाणिनीय निरुक्त निघण्टु एव पतञ्जलि, ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष सूर्य सिद्धान्तादि, स्मृतियों में मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति नारद स्मृति पाराशर स्मृति हारीत स्मृति बृहस्पति स्मृति, पुराणों में ब्रह्म पद्म विष्णु शिव लिङ्ग गरुड नारद भागवत अग्नि स्कन्द भविष्य ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेय वामन मत्स्य कूर्म एव ब्रह्मांड, महाकाव्यों में रामायण तथा महा भारत नीतियों में विदुर नीति चाणक्य नीति शुक्र नीति कामन्दक नीति कणिक नीति आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जैन व बौद्ध धर्म ग्रन्थों तथा दक्षिणी भारत के साहित्य में भी आर्थिक विचार प्राप्त होते हैं। भारत में अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थों की रचना परम्परा 18वीं शताब्दी तक पहुँचती है। इनमें वैशम्पायन रचित नीति प्रकाशिका भोज का 'युक्ति कल्पतरु' सोमदेव का नीति वाक्यामृत लक्ष्मीधर के कृत्य कल्पतरु का राजनीति खण्ड घण्डेश्वर का राजनीति रत्नाकर मित्र मिश्र का प्रकाश आदि प्रमुख हैं।

परन्तु आर्थिक ज्ञान एवं आर्थिक अवधारणाएँ सभी ग्रन्थों में नहीं हैं। आर्थिक ज्ञान किन्तु ग्रन्थों में है इस क्षेत्र में भी अधिक शोध नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाएँ आर्थिक विचार आदि शब्दों का प्रयोग काफी व्यापक अर्थों में होता था। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र विधि शास्त्र, नीतिशास्त्र आदि सभी का समावेश एक ही शास्त्र में हुआ करता था। अतः विशुद्ध रूप से आर्थिक विचारों का सकलन तत्पर्युक्त मौलिक ग्रन्थों से ही करना होता है।

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन के स्रोत ग्रन्थों की संख्या इतनी अधिक है तथा उनमें दिया गया आर्थिक ज्ञान इतना व्यापक है कि यहाँ अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए सभी का समावेश करना संभव नहीं है। फिर भी प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन के प्रमुख स्रोत ग्रन्थों में निम्न ग्रन्थों का परिचय देना उचित रहेगा।

(1) चार वेद

(2) उपनिषद

- (3) विदुर नीति
- (4) शान्ति पर्व
- (5) मनुस्मृति
- (6) याज्ञवल्क्य स्मृति
- (7) शुक्र नीति
- (8) कौटिल्य का अर्थशास्त्र।

1 चार वेद

वैदिक परम्परा के अनुसार सृष्टि के रचयिता—ब्रह्मा के मुख से वेद प्रकट हुए। तत्पश्चात् ब्रह्मा का यह दिव्य ज्ञान ऋषियों को प्रदान किया गया तथा ऋषियों ने उक्त ज्ञान को मंत्रों से सम्बद्ध किया।

प्राचीन समय में 'वेद' शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय के अर्थ में होता था जिसमें सहिता ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद सभी सम्मिलित थे। परन्तु आगे चलकर 'वेद' शब्द केवल चार वेद सहिताओं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्व वेद का ही द्योतक रह गया। दयानन्द सरस्वती के अनुसार 'वेद' शब्द का आशय 'सहिता' भाग से ही है। ब्राह्मण आदि ग्रन्थ वेद—व्याख्यान और भाष्य माने जाते हैं।

विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दते लभन्ते,

विदन्ति विचारयन्ति सर्वे गुणध्या सत्यविद्याम्

येर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः।”

अर्थात् जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं अथवा विचारते हैं अथवा विद्वान् होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं उनको वेद कहते हैं। आचार्य मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय कहा है।

चार वेदों के चार उपवेद भी माने जाते हैं—आयुर्वेद धनुर्वेद गार्धर्व वेद तथा अथर्व वेद। कहते हैं कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है गार्धर्व वेद सामवेद का तथा अथर्व वेद (अर्थशास्त्र) अथर्व वेद का उपवेद है। कहा जाता है कि द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास ने समस्त वेद वाग्मय का सम्पादन किया तथा चारों वेदों को अपने चार शिष्यों को पढाया जिन्होंने अपनी-अपनी शैली में वेदों का प्रचार किया।

(अ) ऋग्वेद

ऋग्वेद प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का आधारभूत ग्रन्थ है। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख तत्त्व वेदों में प्राप्त होते हैं। मानवीय सभ्यता की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद तथा ऋग्वेद में आधुनिक अर्थशास्त्र के सभी तत्त्व विद्यमान हैं। अतः पश्चिमी अर्थशास्त्रियों से यह कहा जा सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक भारत में लिखी गयी है तथा उसके प्रमुख सूत्र चार वेदों में भी ऋग्वेद में हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में आर्थिक संसाधन जनसंख्या उत्पादन उपभोग विनिमय वितरण सार्वजनिक वित्त वित्तीय ऋणकारी राज्य

आदि मुख्य भाग होते हैं तथा ऋग्वेद में ये सभी तत्त्व विद्यमान हैं। ऋग्वेद विश्व में मानव सम्यता का प्रथम ग्रंथ है। इसमें अर्थशास्त्र के निम्न तत्वों का वर्णन मिलता है।

(i) जनसंख्या—प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जनता का अधिकतम कल्याण करना होता है। जन समुदाय प्रत्येक अर्थव्यवस्था का विषय क्षेत्र होता है। ऋग्वेद में लोगों की दीर्घायु पर जोर दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित होकर दैनिक गतिविधियों को नियन्त्रित करे तो वह सौ वर्ष तक जीवित रह सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि लोगों को साहसी होना चाहिए तथा अपनी सम्पत्ति आदि की रक्षा की शक्ति होनी चाहिए। सत्तानोत्पत्ति से सम्बन्धित प्रार्थनाएँ हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। हमें समाज में योद्धा स्वरूप नागरिक होना चाहिए। परिवार को एक इकाई के रूप में माना गया है।

ऋग्वेद में व्यावसायिक संरचना दी गयी है योद्धा किसान शिल्पकार व्यापारी आदि का वर्णन मिलता है। अच्छे व बुरे लोगों का वर्णन भी हमें इस ग्रंथ में मिलता है। बुरे लोगों की दण्ड की व्यवस्था है उदाहरण के लिए जुआ तथा जुआरी किस प्रकार परिवार व समाज के लिए कष्टदायक होता है इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है।

(ii) आर्थिक साधन—आज आधुनिक अर्थशास्त्र में आर्थिक साधनों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में प्रमुख आर्थिक साधनों जैसे—भूमि समुद्र वर्षा जलवायु वन पेड़-पौधे खनिज तथा पशुधन का बहुत ही रोचक वर्णन है।

(iii) उपभोग—हम अर्थशास्त्र में इच्छाओं/आवश्यकताओं के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में यज्ञ का वर्णन है अर्थात् हम अग्नि देव की पूजा करते हैं। यज्ञ इच्छाओं व उपभोग का केन्द्र बिन्दु है। इच्छाओं को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। इच्छाएँ हमें पाप तथा दुष्टता की तरफ नहीं प्रेरित करे ऐसा ऋग्वेद में कई जगह वर्णित है। हमें अपनी आवश्यकताओं की सतुष्टि करनी चाहिए।

(iv) उत्पादन—ऋग्वेद में कृषि उत्पादन प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। अन्नो के प्रकार दिये हुए हैं। शिल्प कपड़ा मकान सोम घी दूध आदि उत्पादों का उल्लेख है। खाती चर्मकार दर्जी नाई आदि व्यवसायियों का भी वर्णन है।

(v) विनिमय—अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के विनिमय की व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था में व्यापारियों के इधर-उधर भ्रमण का वर्णन है। कई श्लोकों में वस्तु की कीमत आपूर्ति तथा बाजार में क्रय आदि का उल्लेख मिलता है।

(vi) वितरण—घरों में नौकर (सेवक) रखने का सदर्थ मिलता है। कई प्रार्थनाएँ अधिक सम्पत्ति एवं अधिक नौकर होने की की गयी हैं। लोगों की सम्पत्ति के खत्म होने का भी जिक्र ऋग्वेद में है।

(vii) करारोपण—ऋग्वेद में एक श्लोक में जनता द्वारा राजा को कर देने की सलाह दी गयी है। इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ ऐसी प्रार्थनाओं तथा आशीर्वाद का उल्लेख है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध अर्थशास्त्र से है जैसे—

(क) प्रकृति की उदारता का दर्शन,

(ख) लोगो द्वारा भगवान की पूजा तथा बदले में विपुल मात्रा में खाद्यान्न दूध पशुधन गाड़ियों बच्चे दीर्घायु अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए प्रार्थना।

(ग) भगवान उनको विपुल मात्रा में वस्तुएँ व साधन प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं वशर्ते वे धर्म का पालन करे तथा सही जीवन व्यतीत करे।

(घ) भगवान लोगो को सभी साधन प्रदान करते हैं परन्तु राक्षस (दुष्ट लोग) साधनों के प्रवाह में बाधा पहुँचाते हैं लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तथा भगवान राक्षसों को मार कर साधन प्रवाह के गतिरोध को दूर करते हैं तथा विपुलता की स्थिति को पुनः निश्चित करते हैं।

(ङ) जो साधनों का दुरुपयोग करते हैं भगवान उनको चेतावनी देते हैं तथा दुरुपयोग करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था की जाती है।

(ब) यजुर्वेद

कर्मकाण्ड प्रधान इस वेद में जहाँ यज्ञों और यज्ञ के विधानों का दर्शन है वही ज्ञान-विज्ञान आत्मा-परमात्मा तथा समाजोपयोगी सम्पूर्ण ज्ञान है। यजुर्वेद में अर्थशास्त्र व आर्थिक अवधारणाओं से सम्बन्धित प्रमुख श्लोकों का अर्थ निम्न प्रकार है।

(i) सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना—हे भगवान ! पृथ्वी आदि लोक में हमें स्वस्थ इन्द्रिया पशु तथा उन्नति के साधन प्राप्त कराएँ। हमें और हमारे पशुओं धनो तथा सत्तानों को कोई हानि न पहुँचाएँ। सभी पदार्थ हमें सुख देने वाले हों। हम दुष्टों को सत्तापमुक्त करे तथा सुखद स्थान व अपार सुख प्राप्त करे। उक्त प्रार्थना से मुनष्य के उद्देश्य फलन की जानकारी होती है।

(ii) अग्नि से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना—यज्ञ (अग्निदेय) को मनुष्य ने विभिन्न कष्टों के मुक्तिदाता धन-सत्तान एवं समृद्धिदाता अन्नोत्पादक वर्षा कारक विधाकत अन्न-जल के रक्षक कल्याणकारी कर्म कराने वाला गृहपति बनाने वाले आदि नामों से सम्बोधित किया है। आगे प्रार्थना में कहा गया है कि यह अग्नि हमें उस स्वर्ग में स्थापित करे जहाँ मधु दुग्ध दधि आदि की अक्षीण धाराएँ साथ बहती हैं। यह अग्नि यज्ञ के विघ्नकर्ताओं को अपने तीक्ष्ण तेज से भगा दे तथा हमें धन प्रदान करे।

(iii) कृषि की प्रधानता— हे पृथ्वी ! तुम रत्न-धन की रान और कृषि-कर्म सम्पादन कारिणी हो मुझे इच्छित ऐश्वर्य दो और मेरी रक्षा करो। उक्त प्रार्थना से कृषि की प्रधानता तथा बहुमूल्य खनिजों की जानकारी प्राप्त होती है।

(iv) उपभोग के प्रति दृष्टिकोण—यजुर्वेद में कहा गया है कि ससार में जो भी पदार्थ है उनमें ईश्वर व्याप्त है वे उसी के हैं। अतः उनका त्याग-भावना से भोग करो। किरी के धन का लोभ न करो। उक्त वाक्यों में प्राचीन समय में हमारा उपभोग के

* यजुर्वेद 12/70 18/12

** यजुर्वेद 40/1

प्रति दृष्टिकोण नजर आता है जो आज के उपभोगवादी संस्कृति के विरुद्ध है। किसी के धन का लोभ न करने की सलाह आज के युग में वास्तव में काफी सार्थक है।

(१) कार्य संस्कृति व जीवन की प्रत्याशा— इस लोक में धर्मयुक्त कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करो। इससे भिन्न दूसरा कोई मार्ग नहीं है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्म से लिप्त नहीं होता। जो मन मनुष्यों को कार्य में प्रवृत्त करता है तथा मनुष्यों को प्रेरित करके ऐसे ले जाता है जैसे—सारथी लगाम से वेगवान रथ को ले जाता है। वह मेरा मन शिव सकल्प वाला हो। हे देव ! तुम कृषि, वृष्टि और बीज द्वारा उत्पन्न होने वाले प्राणियों को कर्म प्रवृत्त करने वाले इन्द्रियों को अपने-अपने कर्म में लगाने वाले, जीवन के साथ चलने वाले मूख मिटाने वाले के समान हो। मैं तुम्हें अन्न लाभ कर्म प्रवृत्ति इन्द्रियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए स्थापित करता हूँ।

(११) अन्न की किस्म—महान बल धारक उस अन्न की हम स्तुति करते हैं जिसके बल से इन्द्र ने वृत्र को मारा [वृत्र सूखा (अनावृष्टि) का दानव है तथा उन बादला का प्रतीक है जो आकाश में छोये रहने पर भी एक बूँद जल नहीं बरसाते इन्द्र अपने वज्र प्रहार से वृत्ररूपी दानव का वध कर जल को मुक्त करता है तथा फिर पृथ्वी पर वर्षा होती है] आगे प्रार्थना में कहा जाता है कि हमारी बात मानो और हमारा कल्याण करो। हमारी सकल्प सिद्धि के लिए हमारी आयु वृद्धि करो।

(१११) व्यावसायिक संरचना—एक प्रार्थना में कहा गया है कि अद्भुत धनों के धारक और मनुष्यों के कर्म दृष्टा सविता (परमेश्वर) को हम यज्ञ में बुलाते हैं। ब्राह्मण को परमात्म सेवनीय है। क्षत्रिय को वीर कर्म वैश्य को मरुदगण शूद्र को सेवा चोर को अन्धकार नपुंसक को पापाघरण व्यभिचारिणी को कामाधार सेवनीय है। हे परमेश्वर! नृत्य के लिए सूत को, गीत के लिए नट को धर्म रक्षा के लिए सभापति को मलता के लिए स्तुति करने वाले को, बुद्धि के लिए काशीगर को धीरज के लिए महीन काम करने वाले बढई को उत्पन्न कीजिये। हे परमेश्वर! बर्तन पकाने के ताप को झेलने के लिए कुम्हार को, बुद्धि बढ़ाने के लिए शौना कर्मा को सुन्दर स्वरूप बनाने के लिए मरिग बनाने वाले को शुभारंभण के लिए गुणो को बोलने वाले को बाण बनाने के लिए बाणकर्ता को हथियार बनाने के लिए आयुधकर्ता को उत्पन्न कीजिये। हे जगदीश्वर! बड़े तालाबों के प्रबन्ध के लिए धीवर को समीपस्थ निकृष्ट क्रियाओं के लिए दास को छोटे जलाशयों के प्रबन्ध के लिए निषाद को नरसल वाली भूमि के लिए मत्स्य जीवी को पार की भूमि के लिए नौका को इस पार से उस पार पहुँचाने वाले को, तैरने के साधनों के लिए बाघ बाधने वाले को, शब्दों के लिए व्याघ्र पुत्र को श्वानों के लिए भील को गुदाओं के लिए बहेलिये को उत्पन्न कीजिये।

(११११) पशुधन की महत्ता—हे देव! हमें सब धनों को प्राप्त कराओ। हम

दानशील उपासक धनो का सदुपयोग करे। हम वीर पुत्र पाये। हम गौओ और अश्वो से युक्त हो तथा हमारे ऐश्वर्य मनुष्य तथा पशु पुष्टि प्राप्त करे। यज्ञफल के रूप में मुझे पशुधन गृह सम्पत्ति इच्छित पदार्थ प्राप्त हो। ग्राम्य-घन्य-पशु धन पुत्रादि से मैं सम्पन्न होऊँ।

(स) सामवेद

चारों वेदों में सामवेद तृतीय वेद है। इसमें अग्नि इन्द्र वरुण पूषा अर्यमा धावा-पृथिवी सूर्य सोम आदि की स्तुतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उपदेश तथा शिक्षाप्रद मंत्र हैं। वेद को अखिल धर्म का मूल कहा गया है परन्तु गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इससे सामवेद की उत्कृष्टता प्रकट होती है। सामवेद में प्रमुख आर्थिक विचार निम्न है।

(i) सामवेद में अग्नि से प्रार्थना की गयी है कि तुम धन के स्वामी हो। तुम्हारी उपासना करने पर सब सुख प्राप्त होते हैं। तुम हमारे लिए अन्न उत्पन्न करने वाले हो सुख के साधन धन को देने वाले हो उस अग्नि के लिए हमारी मुख्य स्तुतियाँ पहुँचे। अग्नि को गो आदि पशुओं धन एव सतान का भी अधिपति बताया गया है। हे अग्नि! तू पृथ्वी के लिए हितकारी जल बरसाने वाला है तथा कृषि को पुष्ट करता है। मनुष्य से कहा गया है कि तेरा जो बड़े से बड़ा वहनशील द्रव्य है उसे प्रकाशमान अग्नि में होम दे। ऐसा करने से तेरे बहुत साधन तथा बहुत-सा अनाज उपजेगा।

(ii) इन्द्र से रक्षा के लिए बहुत धन तथा सदा प्रहार सह सकने वाली विजयी सेना को सृष्ट रखने के लिए प्रार्थना की गयी है। विपुल धन से धनी इन्द्र तुम बड़े हाथों वाले हो। हमें प्रशरानीय एव ग्रहणीय धन सब ओर से संग्रह कराओ। मनुष्य से कहा गया है कि सूर्य की किरण से चन्द्रमा प्रकाशित होता है। अत्यधिक वर्षा करने वाला इन्द्र जब जल बरसाता है तो सूर्य की पुष्टिकारक किरणों वृक्ष-घनस्पति पोषण करने में सहायक होती है। धन-धान्यादि की गमनशील इन्द्र वर्षा तथा पूषा पोषण करता है। पृथ्वी माता के समान उस वृष्टि-पुष्टि को धारण करती है तथा वायुओं को अपने साथ घुमाती हुई अन्य उत्पन्न करने की इच्छा करती है।

हे इन्द्र! जैसे हमारे पूर्व-यज्ञ में पधारें थे वैसे ही गौ अश्व रथ एव प्रतिष्ठाप्रद धन देने के लिए इस यज्ञ में पधारिए। हे इन्द्र! जो मनुष्य तुम्हारा सखा हो जाता है वह अश्वो रथो और गोओ वाला होकर श्रेष्ठ रूप और अन्न-धन से सम्पन्न हो जाता है।

हे इन्द्र तुम जितने धन के स्वामी हो वह मेरा ही होगा। अतः मुझे इतना दीजिये कि मैं सोम गायक को धन देने में समर्थ होऊँ। मैं व्यर्थ नष्ट करने में धन का उपयोग न करूँ।

(iii) सामवेद के आरण्यक काण्डम् में कहा गया है कि हे परमेश्वर! हम मनुष्यों

के इन सब अन्नो को प्राप्त करते तथा बाटना चाहते हुए न्यायपूर्वक बाटते हैं। अन्न कहता है कि हे मनुष्यो! मैं वायु आदि देवताओं का पूर्वज हूँ और सच्चा अमृत देने वाला हूँ। जो मेरा दान करता है वह ऐसे मनुष्यो की रक्षा करता है जो किसी को न देकर आप ही खाते है उस अन्न खाते हुए को मैं स्वयं खा जाता हूँ।

(iv) सोम से प्रार्थना की गयी है कि तू हमारे लिए गौ अश्व सुवर्ण आदि ऐश्वर्य और अन्नो का दाता बन। हे सोम! हमारे लिए विपुल रस विपुल अन्न तथा सौभाग्य बरसाओ। हमारी गौओं के लिए सुख की वर्षा करो। अन्न-राशि से हमारा घर पूर्ण करो।

(v) समुद्र से उत्पन्न अश्विनीकुमार अपनी अच्छा तथा कर्म से धनो के प्रदायक है। उनसे प्रार्थना की गयी है कि हमें विपुल पशु-धन एवं सुवर्णादि धन हमारे गृहो की ओर प्रेरित करो। हमें तेजस्वी बनाने के लिए अन्न प्रदान करो। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामवेद में उपभोक्ता के उद्देश्य तथा उपभोग के प्रति दृष्टि धन के संग्रह एवं उपयोग की दृष्टि वितरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद में भी विपुलता की बात की गयी है।

(द) अथर्व वेद

वेदो में अथर्ववेद का भी काफी महत्त्व है। मानव जीवन का जितना वैज्ञानिक विवेचन इसमें है उतना अन्यत्र कही नहीं है। इसमें जल अन्न औषधि अग्नि आदि की प्रार्थना की गयी है तथा सभी से सुख समृद्धि की कामना की गयी है।

व्यापार के सम्बन्ध में इन्द्र से प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना में कहा गया है कि मैं इन्द्र की वणिक् भाव से स्तुति करता हूँ। वह इन्द्र यहाँ आगमन करे और वणिक् की हिसा करने वाले शत्रु मार्ग को रोकने वाले दस्यु तथा व्याघ्र आदि को नष्ट करते हुए अग्रसर हो। इन्द्र मुझे व्यापार से होने वाले लाभ के रूप में धन प्रदान करें। व्यापार के सम्बन्ध में आशा की गयी है कि जिन देशों से हम व्यापार करते हैं उन देशों के मार्ग घृत-दुग्ध से हमारी सेवा करने वाले हो जिससे मैं क्रय-विक्रय द्वारा प्राप्त मूलधन को लाभ सहित घर लें आऊँ।

हे अग्नि! मैं व्यापार में लाभ की कामना करता हुआ शीघ्र चलने की शक्ति पाने के निमित्त तुम्हारी स्तुति करता हुआ धन सम्पन्न बनूँ। इस प्रार्थना में आगे कहा गया है कि हे अग्ने! दूर मार्ग चलने के कारण हमारे व्रत का लोप हो गया है उस दोष को क्षमा करो। मुझे इस दूर देश में कष्ट सहने की शक्ति दो। क्रय-विक्रय दोनों लाभप्रद और सुखदायी हों। हे देव गण! मूलधन से बढ़ा हुआ लाभ का धन हमें सुखी बनायें। हे अग्ने! लाभ को रोकने वाले देवताओं को उस हवि (भेट) से सतुष्ट कर लौटा दो। हे देवगण! जिस धन की मैं वृद्धि करना चाहता हूँ वह धन तुम्हारी कृपा से निरंतर बढ़े। इन्द्र सविता सोम प्रजापति और अग्नि मेरे मन

को उस धन की ओर प्रेरित करे जिस धन की इच्छा करता हुआ मैं व्यापार करने की इच्छा करता हूँ। अथर्व वेद में सूर्य को धारणकर्ता तथा पोषणकर्ता तथा दरिद्र व्यक्ति के लिए काम्य फल का साधन माना गया है।

कृषि के सम्बन्ध में अथर्व वेद में बड़ा ही सुन्दर चित्रण है। कृषक सुखपूर्वक खेत जोते। वृषभ उन्हें सुख देने वाले हों हल और रस्सियाँ अनुकूल हों। हे शुन देव! तुम चाबुक में रस भर दो। आकाशस्थ जल के देवता! इस जुती हुई भूमि को वृष्टि जल से भिगो दो। हे जीते! हम तुझे नमस्कार करते हैं तू जिस प्रकार सुन्दर फल से युक्त हो उसी प्रकार हमारे सामने आओ।

समानता की चर्चा अथर्व वेद में काफी रोचकता से की गयी है। परमेश्वर कहते हैं। हे विवादी पुरुषो! तुम्हारे लिए मैं विद्वेष भाव को दूर करने वाला प्रीतियुक्त सामजस्य कर्मदाता हूँ। गौएँ जैसे- बत्स से स्नेह करती हो वैसे ही तुम परस्पर व्यवहार करो। पुत्र पिता का अनुगत हो माता भी पुत्र के अनुकूल मन वाली हो पत्नी पति से मधुर वाणी बोलने वाली हो। भाग बाटने के लिए भ्राता भ्राता का बुरा न करे। बहिन-भाई से बैर नहीं करे। यह सब भाई समान कार्य और समान गति वाले होकर मंगलमय बातें करे। तुम समान मन वाले समान कार्य वाले रहकर छोटे-बड़ों का ध्यान रखते हुए परस्पर सुन्दर वचन कहते हुए जाओ। हे मनुष्यो! मैं तुम्हें समान कार्यों में प्रवृत्त करता हूँ समानता के इच्छुको तम्हाश अन्न-पानी का उपभोग एक जैसा हो।

उत्तराधिकार की संस्था का उस समय अस्तित्व था इसकी जानकारी इस श्लोक से लगती है-अन्न उत्पत्ति के कर्म को शीघ्र प्राप्त करे। यह सभी दृश्य प्राणी वृद्धि से अन्न पैदा करने वाले 'बीज प्रसव देवता' के बीच रहते हैं वे दान न देने वाले को भी दान करने की प्रेरणा करे। हमारे धन को पुत्र, पौत्रादि में विरकाल तक स्थिर करे।

धन प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रार्थना करता है- पृथ्वी आकाश दिन रात्रि, जल और औषधि हमको इच्छित धन दे। पूर्वादि दिशाएँ हमको काम्य धन प्राप्त कराये। सर्व प्रकार धन देने वाली वाणी का मैं उच्चारण करता हूँ। अथर्ववेद में सौ हाथों से घनार्जन करने तथा हजार हाथों से बाटने का निर्देश दिया गया है।

पशुधन में बैल (वृषभ) के महत्त्व की इस श्लोक से जानकारी प्राप्त होती है-गाड़ी को खींचने वाला बैल जोतने व भार देने के कर्म द्वारा पृथ्वी का पोषण करता है यही चारु पुरोडाश की उत्पत्ति में सहायक होने से अकाल का पोषक है। यह वृषभ इन्द्र रूप प्रतीत होता है। जैसे इन्द्र वृष्टि जल से इस चराचरात्मक ससार का पालन करता है वैसे ही वृषभ पशुओं की उत्पत्ति करता हुआ दूध दही घान्य आदि प्राप्त करता हुआ ससार का पोषण करता है।

ऋण चुकाने के महत्त्व का भी अथर्व वेद में सुन्दर वर्णन है। ऋणी पुरुष के पश्चात् पुत्र पौत्रादि ऋण से तर जाते हैं। जिस ऋणी का पिता से चला आता ऋण

पुत्र-पौत्रादि चुका देते हैं वे भी तर जाते हैं। जिनके कुल में पुत्र-पौत्रादि नहीं होते और अपने तथा अपने पिता के ऋण का भुगतान नहीं कर पाते परन्तु भुगतान करने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है तो वे उस इच्छा के कारण ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। चार वर्णों में ब्राह्मण के धन एवं सम्पत्ति को छीनने से सम्बन्धित बातें इस प्रकार हैं—ब्राह्मण के अन्न को स्वादिष्ट वस्तु समझकर भक्षण करने वाला पापी अनेक विपत्तियों को निगलता है। ब्राह्मण से कर चाहने वाले और उन पर थूकने वाले रक्त की नदी में बालो को खाते हुए अब तक पड़े हैं। जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की गौ तडपती है वह उसके तेज का नाश कर देती है। जो राजा ब्राह्मण को नष्ट करता है वहा ब्राह्मण दुखी रहता है वह राज्य और राजा नष्ट हो जाते हैं।

ब्राह्मण पर डाली गयी विपत्ति उस पापी के राज्य को चार नेत्र चार ठोड़ी आठ पैर दो मुख और दो जीभ वाली होती हुई नष्ट कर देती है। हे नारद! जो ब्राह्मण के धन को अपना धन समझता है उसे वृक्ष भी अपनी छाया में नहीं आने देना चाहते हैं। वरुण कहते हैं कि ब्राह्मण का धन छीनना विष के समान है। ब्राह्मण की सम्पत्ति लेकर कोई जीवित नहीं रहता है।

2. उपनिषद

उपनिषदों में ग्यारह उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ये हैं—इशावास्योपनिषद केनोपनिषद कठोपनिषद प्रश्नोपनिषद मुण्डकोपनिषद माण्डूक्योपनिषद ऐतरेयोपनिषद तैत्तिरीयोपनिषद श्वेताश्वतरोपनिषद छान्दोग्योपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद आदि। इनको संक्षेप में ईश केन कठ प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य ऐतरेयी तैत्तिरेयी श्वेताश्वतर छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक कहते हैं।

ऋग्वेद में मानव जाति को विपुल धन एवं सम्पत्ति का आशीर्वाद दिया है। ऋग्वेद के प्रत्येक पृष्ठ पर शिमुलता एवं धन का सदर्भ मिल जाता है। यजुर्वेद तो ज्ञान की समकालीन पुस्तक थी। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में समस्या को सुचारु रूप से स्पष्ट किया है। इस अध्याय को यजुर्वेद से अलग कर ईशावास्योपनिषद के रूप में लिखा गया है।

प्रो एम जी बोकरे ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू अर्थशास्त्र' में ईशा उपनिषद में व्यक्त आर्थिक शब्दावली से सम्बन्धित निम्न बातें बतायी गयी हैं—

- (i) इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के साधन दिये गये हैं।
- (ii) अपनी आय दूसरों को दे देनी चाहिए।
- (iii) अपनी आय का उपभोग करो।
- (iv) दूसरों के धन का अपहरण मत करो।
- (v) धन किसका ? धन क्या है ?

यदि हम उपर्युक्त मुद्दों पर विचार करें तो सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत होंगे कि ये आधुनिक अर्थशास्त्र के मूलभूत तत्त्व हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम **An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations** था जो कि ईशा उपनिषद में सुझाये गये धन/सम्पत्ति की अवधारणा के नजदीक है।

3 विदुर नीति

विदुर नीति में महाभारत के उद्योग पर्व के अन्तर्गत राजा धृतराष्ट्र को विदुर द्वारा दिये गये उपदेश संकलित हैं। विदुर नीति के अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था तथा उसकी अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र का वर्णन है। महात्मा विदुर का मानना है कि यदि समाज द्वारा धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन नहीं होता है तो समाज पथ भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने धृष्टकेतु को चेतावनी दी थी कि उसके निर्णय पाण्डवों के प्रति दुर्भावनापूर्ण हैं अतः आगे बुरे दिनों के लिए तैयार रहो। विदुर नीति के अन्तर्गत व्यक्ति एवं समष्टि परक विचार विमर्श है। उदाहरण के लिए परिवार एक व्यक्ति इकाई है अतः पति-पत्नी सम्बन्ध पुत्र-पुत्रियों के जीवन की गुणवत्ता आदि परिवार के व्यक्ति परक विचार है। समष्टि स्तर पर महात्मा विदुर ने सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था को दण्ड नीति से सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अपराध तथा असामंजस्य पर नियंत्रण नहीं किया गया तो राष्ट्र की दुर्दशा हो जाती है। राष्ट्र के नागरिक राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तथा उसे हटा देंगे। राजा के गैर-अनुशासित होने पर राजनीतिक व्यवस्था ही खण्डित हो जाती है। महात्मा विदुर ने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित निम्न निर्देश दिये हैं।

(i) लोगों को बचत करनी चाहिए जिससे वे सफ़ट के समय स्वयं तथा पत्नियों को रक्षा कर सकें।

(ii) जीवन में स्व-रोजगार श्रेष्ठ स्तर है।

(iii) दूसरे के धन का स्वामित्व हरण वास्तव में आत्महत्या के समान है।

(iv) एक परिवार को बिना बच्चों की बहिन तथा गरीब मित्र को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

(v) जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से शहद एकत्र करती है उसी तरह राजा को प्रजा से कर लेना चाहिए।

(vi) राज्य को आय एवं व्यय का अनुमान लगाना चाहिए तथा उसकी क्रियान्विति के लिए प्रशासक नियुक्त करने चाहिए। यह वास्तव में आधुनिक बजट निर्माण प्रक्रिया ही है।

4 शान्ति पर्व

शान्ति पर्व महाभारत के विभिन्न पर्वों में से एक है। महाभारत संस्कृत वाङ्मय की एक अमूल्य निधि है। इसे शास्त्रों में पंचम वेद की सजा दी गयी है। यह भारत का

सच्चा इतिहास तो है ही परन्तु साथ ही सभी तरह का ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। इसे भारतीय ज्ञान का विश्व कोष कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैयायन वेदव्यास ने कहा— 'यन्नेहास्ति न कुत्रचित्'—अर्थात् जिस विषय की चर्चा इसमें नहीं की गयी उसकी चर्चा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। महाभारत में आदिपर्व समापर्व वनपर्व विराटपर्व उद्योगपर्व भीष्मपर्व द्रोणपर्व कर्णपर्व शल्यपर्व सौप्तिकपर्व स्त्रीपर्व शान्तिपर्व, अनुशासनपर्व आश्वमेधिकपर्व आश्रमवासिकपर्व मौसलपर्व महाप्रास्थानिकपर्व तथा स्वर्गारोहणपर्व प्रमुख हैं।

शान्तिपर्व में अर्थशास्त्र से सम्बन्धित निम्न बातें हैं —

(i) राज्य अपने नागरिकों की सुस्था तथा उनकी आजीविका की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। यही विषय आधुनिक अर्थशास्त्र का है।

(ii) राजा को सड़को का निर्माण तथा पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

(iii) ब्राह्मणों द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षा के आश्रयों की व्यवस्था राजा द्वारा दिये गये दान से होनी चाहिए। नागरिकों को भी दान देना चाहिए।

(iv) ज्ञान धन कमाने में सहायता करता है तथा धन से सुख की प्राप्ति होती है।

(v) राजा को बाजार के लिए स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(vi) वस्तुओं के उत्पादन में लोगों में प्रतियोगिता को उचित बताया गया है। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए।

(vii) यदि किसी कार्य में साझेदारी है तो लाभ व हानि को बराबर बाटना चाहिए। यदि साझेदारी में दिवाला निकल जाता है तो दायित्वों को बटवारा पूँजी के अनुपात में करना चाहिए।

राजस्व के सम्बन्ध में शान्तिपर्व में निम्न बातें मिलती हैं—

(i) राज्य को आय व व्यय का अनुमान लगाना चाहिए तथा उसी के अनुसार कर्म प्रारियों को रोजगार देना चाहिए।

(ii) युद्ध के समय राज्य को नागरिकों से जमाएँ एकत्र करनी चाहिए तथा युद्ध के बाद लोटा दी जानी चाहिए।

(iii) जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से शहद एकत्र करती है उसी तरह राज्य को कर लेना चाहिए।

(iv) प्रारम्भ में कर बहुत कम होने चाहिए तत्परचात धीरे-धीरे उनमें वृद्धि करनी चाहिए।

(v) जब तक सकट काल न हो राज्य को जनता से धन एवं करों की माग नहीं करनी चाहिए। सकट के समय नागरिकों को अपनी सम्पत्ति को छिपाना नहीं चाहिए।

(vi) वस्तुओं की लागत का अनुमान लगाने के बाद कर लगाना चाहिए।

राज्य व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा "हे राजन! दण्ड ही समस्त प्रजाओं का शासन और इनकी रक्षा करता है सबके को

(i) मजदूरी-पूर्ण तथा अपूर्ण कार्य की मजदूरी की परिभाषा दी गयी है। प्रत्याशित लाभ से अधिक होने पर बोनस प्रदान करने के लिए कहा गया है। यह राजा का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि मजदूरी की इन निर्धारित दरों का भुगतान हो रहा है या नहीं।

(ii) साझेदारी-साझेदारी का विभिन्न प्रकार की देयताओं तथा लाभ के विभाजन के सम्बन्ध में विवेचन दिया गया है।

(iii) सयुक्त परिवार में सम्पत्ति वितरण के नियम दिये गये हैं।

(iv) आयात-निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण मिलता है।

(v) ऋण पर ब्याज को परिभाषित किया है।

(vi) उत्पादन लागत की सिफारिश की गयी है।

(vii) कार्टेल व्यवस्था में वस्तुओं की बिक्री नियोजित है।

(viii) वजन एवं माप बताये गये हैं। कम तौल तथा मिलावट के लिए दण्ड की व्यवस्था है।

7 शुक्र नीति

शुक्र को दैत्यगुरु उशना भार्गव भृगु आदि नामों से भी जाना जाता है। शुक्र (उशना) राजशास्त्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये दण्ड नीति के एक सम्प्रदाय (औशनस) के प्रवर्तक कहे गये हैं जिसके अनुसार दण्ड नीति ही एक मात्र विद्या है। शुक्रनीतिसार शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है।

शुक्र नीति पूर्णरूप से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं से सम्बन्धित है। शुक्रनीति में वैदिक साहित्य से किये गये धर्मशास्त्र के अनुसार जनता तथा राजा को राजनीतिक व आर्थिक गतिविधियों के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

शुक्र ने अर्थशास्त्र को ज्ञान की 32 शाखाओं में से एक बताया है। शुक्र नीति में प्रमुख आर्थिक ज्ञान निम्न है-

(i) अर्थशास्त्र की परिभाषा-अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो श्रुतियों व स्मृतियों के अनुसार राजा के कार्यों तथा प्रशासन का तथा उचित तरीके से आजीविका के साधनों का दर्शन करता है।

(ii) शुक्र ने धन (Dhanam) तथा द्रव्य (Dravyam) को परिभाषित किया है। धन में पशु अनाज कपड़े घास शामिल है तथा द्रव्य में घोंदी सोना तौबा तथा जवाहरात शामिल होते हैं।

(iii) किसी वस्तु के उत्पादन के लिए दी गयी कीमत उस वस्तु का मूल्य (Value) होती है।

(iv) वस्तु के सरलता एवं दुर्लभता से उपलब्धता के अनुसार कीमत कम व अधिक होती है। इसके अतिरिक्त कीमत वस्तु में निहित उपयोगिता के गुण से भी प्रभावित होती है।

(v) हीरे जवाहरात तथा रत्नियों की कीमत कम नहीं तय करनी चाहिए। ये सभी आधुनिक अर्थशास्त्र के विषय हैं। इसके अतिरिक्त निम्न विषयों के बारे में शुक्र नीति में श्लोक मिलते हैं।

(vi) ऋणों पर ब्याज

(vii) मजदूरी

(viii) करारोपण

(ix) वस्तुओं सम्पत्ति एवं भूमि की बिक्री

(x) अर्थव्यवस्था में झगड़े एवं विवादों का निपटारा

(xi) वजन एवं माप तथा

(xii) गिलाफ्ट एवं भ्रष्टाचार।

8 कौटिल्य का अर्थशास्त्र

भारत तथा यूरोप में प्राचीन भारत की उक्त पुस्तक को अर्थशास्त्र की अधिकृत पुस्तक माना जाता है। इस पुस्तक के सम्बन्ध में यह गलत धारणा है कि प्राचीन भारत में यह प्रथम व एकमात्र अर्थशास्त्र की पुस्तक थी। जबकि वास्तविकता यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की अन्तिम पुस्तक थी। इस पुस्तक की रचना 321-300 ई. पू. के बीच माना जाता है। उक्त पुस्तक में निम्न आर्थिक विचार हैं—

(i) अर्थ एवं अर्थशास्त्र—मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के उपायों को निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है।

(ii) कौटिल्य के अनुसार—सुख का मूल धर्म है धर्म का मूल अर्थ है तथा अर्थ का मूल राज्य है। कौटिल्य के अनुसार सरार में धन ही वस्तु है धन के अधीन धर्म और काम हैं।

(iii) कोष सग्रह के नियम

(iv) राजा को दिये जाने वाले अश का नाम शुल्क तथा इस कार्य के प्रधान को शुल्काध्यक्ष कहते हैं।

(v) शुल्क के नियम एवं प्रकार

(vi) उत्पादन एवं उसके साधन

(vii) कृषि नीति सिचाई तथा पशुपालन

(viii) वाणिज्य तथा व्यापार

(ix) स्त्री श्रमिक

(x) श्रमिक राध

(xi) मुद्रा व्यवस्था

(xii) बाजार व्यवस्था

(xiii) मापतौल

(xiv) व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं सम्पत्ति का वटवारा

- (xv) लाम के नियम
 (xvi) राजकीय आय एव व्यय
 (xvii) ऋण एव ब्याज

सदर्भ

- 1 अथर्ववेद 13/2/12-19
- 2 यजुर्वेद 23/10
- 3 अथर्ववेद 1/4/2 4/6/5 ऋग्वेद 1/116/15
- 4 बोकरे एम जी हिन्दू इकोनामिक्स (1993) जानकी प्रकाशन दिल्ली पृ 245
- 5 महाभारत (शांति पर्व) 57/2 57/40 37/1 56/28
- 6 पूर्वोक्ति 58/1-3
- 7 काणे पी वी धर्मशास्त्र का इतिहास पृथम भाग पृ 580
- 8 बुद्धचरित-46
- 9 कौटिलीय अर्थशास्त्रम वाचस्पति गौरी चौखम्मा प्रकाशन पृ 1
- 10 Keith, A B , A History of Sanskrit Literature (Hindi translation by mangal Dev shastr) P 560
- 11 कौट अर्थशास्त्र पृ 1
- 12 साख्य योग तथा लोकायत (नास्तिक दर्शन) सभी आन्वीक्षकी विद्या के अन्तर्गत धर्म एव अधर्म त्रयी में अर्थ-अनर्थ वार्ता के अन्तर्गत तथा सुशासन-दु शासन (कुशासन) दण्ड नीति के अन्तर्गत माने जाते हैं।
- 13 बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड 7/1
- 14 कृत्यकल्पतरु भाग 2 पृ 281
- 15 बृह स्मृति व्यवहारकाण्ड 1/44

प्रश्न

- 1 भारत के प्राचीन प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए।
- 2 भारत का अतीत सभी दृष्टि से दैनवशाली रहा है इस कथन को सिद्ध कीजिए।
- 3 आज प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन के अध्ययन की आवश्यकता है इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
- 4 पूंजीवादी आर्थिक अवधारणाएँ मुख्यत किन सिद्धांतों पर आधारित हैं ?
- 5 आचार्य बृहस्पति अर्थशास्त्र के जनक थे। सिद्ध कीजिए।
- 6 आचार्य बृहस्पति के प्रमुख आर्थिक विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 7 प्राचीन भारतीय आर्थिक ग्रन्थों के नाम लिखिए।
- 8 प्राचीन भारतीय चिन्तन आर्थिक ज्ञान से भरा पड़ा है आवश्यकता उसे सकलित करने की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।
- 9 वेदों में पाये जाने वाले आर्थिक चिन्तन पर प्रकाश डालिए।
- 10 शांति पर्व याज्ञवल्क्य स्मृति उपनिषदों में वर्णित आर्थिक विचारों को बताइये।

प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं मान्यताएँ (Definition, Scope & Assumptions of Economics in Ancient India)

प्राचीन भारतीय दायम्य में अर्थशास्त्र के लिए 'राजधर्मशास्त्र' शासन शास्त्र दण्डनीति नीति वार्ता शास्त्र लोक व्यवहार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। अर्थशास्त्र में मुख्यतः राजा के अधिकारों विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के अलावा लोगों के जीविकोपार्जन से सम्बन्धित विचारों का समावेश रहा है। धर्म ग्रन्थों में अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र का मिश्रित रूप ही मिलता है जिसे हम राजनैतिक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं।

प्राचीन समय का वाशास्त्र आज का अर्थशास्त्र

प्राचीन अर्थ चिंतकों ने 'वार्ता' को सामाजिक जीवन का एक विशेष अंग मानकर उसका अनुशीलन किया। उन्होंने वार्ता के अन्तर्गत कृषि वाणिज्य तथा पशुपालन के अध्ययन को रखा। 'वार्ता' शब्द संस्कृत के 'वृत्ति' शब्द से सम्बद्ध है जिसका अर्थ व्यवसाय है। इसका प्रयोग सीमित तथा व्यापक अर्थ में किया जा सकता है। कृषि के अलावा वनों से प्राप्त सामग्री खनिज पदार्थ आदि का उल्लेख इसी शास्त्र के अन्तर्गत किया गया है। अर्थ उत्पादन विनिमय तथा वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं के बारे में वार्ताशास्त्र से जानकारी मिलती है। 'वार्ता' के नियम सामाजिक जीवन के नियमों पर आधारित हैं इसलिए इसे जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है।

वार्ताशास्त्र की चर्चा वैदिक काल से लेकर सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में की गयी है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही ग्रंथों में कहा गया है कि वार्ता के सिद्धान्तों पर आश्रित रहने से ही यह रासार सुख पाता है।

आचार्य कौटिल्य के अनुसार—आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्या अर्थात् आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता तथा दण्ड नीति—ये चार विद्यायें होती हैं। मनु सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रयी वार्ता और दण्डनीति इन तीन विद्याओं को मानते हैं। उनका मत था कि आन्वीक्षिकी का समावेश त्रयी के अन्तर्गत हो जाता है। आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् केवल दो ही विद्यायें मानते हैं— वार्ता तथा दण्ड नीति। उनके अनुसार त्रयी तो दुनियादार (लोकयात्राविद) लोगों की आजीविका का साधन मात्र हैं।

शुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों ने तो केवल दण्डनीति को ही विद्या माना है और उसी को सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान व कारण स्वीकार किया है। परन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त चारों विद्याओं को मानते हैं।

आचार्य कौटिल्य के अनुसार कृषिपाशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता। धान्यपशुहिरण्यकुम्प्यविष्टि प्रदानादौपकारिकी। तथा स्वपक्ष परपक्ष च वशीकरोति कोश दण्डान्याम। अर्थात् कृषि पशुपालन और व्यापार ये वार्ता के विषय हैं। यह विद्या धान्य पशु हिरण्य ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिणी है। इसी विद्या से उपार्जित कोष और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है। शुक्र नीति में भी उधार लेना व देना कृषि वाणिज्य पशुपालन ये सब वार्ता शास्त्र के अंग माने गये हैं।

सामान्यतः वार्ता के चार विभाग माने जाते हैं—कृषि वाणिज्य पशुपालन तथा उधार का लेन-देन। इनमें आगे चलकर कर्मान्त अर्थात् शिल्पकारी को भी वार्ता के साथ जोड़ दिया गया। इसका उल्लेख देवी पुराण में मिलता है यथा ओ देवी पशुपालन कृषि तथा शिल्पकारी में लगे हुए लोग वार्ता के उपासक हैं। आजकल 'वार्ता' अर्थशास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गयी है जिसके अन्तर्गत उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण व राजस्व का अध्ययन होता है।

पश्चिम के लोगो का ऐसा दावा है कि यह अर्थशास्त्र हमने ही प्रारम्भ किया। दुनिया में अन्य किसी ने हम से पहले अर्थशास्त्र एवं अर्थचिन्तन के बारे में विचार नहीं किया। परन्तु हमारे यहाँ के मनीषियों ने बहुत पहले ही इस सदर्भ में विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। कौटिल्य (300 ई पू.) तथा शुक्र आदि ने हजारों वर्ष पूर्व ही अर्थशास्त्र को परिभाषित कर दिया था।

शुक्र की अर्थशास्त्र की परिभाषा

शुक्र नीति वास्तव में राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy) से सम्बन्धित है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि शुक्र ने राजा तथा प्रजा की धर्मशास्त्र के अनुसार संचालित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का वर्णन शुक्र नीति में किया है। शुक्र ने अर्थशास्त्र को ज्ञान की 32 शाखाओं में से एक शाखा के रूप में परिभाषित किया है। आधुनिक अर्थशास्त्र की तरह शुक्र ने भी शास्त्र (ज्ञान) तथा कला (Art) में अन्तर किया है। शुक्र के अनुसार

श्रुतिस्मृत्यविशोधेन राजवृत्तादि-शासनम् सुयुक्त्याऽर्थार्जनं यत्र ह्यर्थशास्त्रं तदुच्यते।

अर्थात्—जिसमें श्रुति तथा स्मृति के अनुकूल राजाओं के लिए आचरण के विषय में उपदेश किया गया हो तथा अच्छे कौशल से धन अर्जन करने की विद्या कही गयी हो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं।

प्रो एम जी बोकारे ने अपनी पुस्तक Hindu Economics मे शुक्र द्वारा दी गयी अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस प्रकार अनुवाद किया है । *Arthshastra is that Science Which describes the action and administration of kings in accordance with the dicotes of SHRUTI and SMRUTI as well as means of Livelihood in proper manner*

उक्त परिभाषा मे दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है प्रथम श्रुति तथा स्मृति के अनुकूल राजाओं द्वारा किये जाने वाले आचरण का उपदेश तथा द्वितीय अच्छे कौशल से धन अर्जन की विधि ।

श्रुति एव स्मृति के अनुकूल राजाओं के कई तरह के आचरण बताये गये हैं । नित्य प्रजाओं का पालन तथा दुष्टों का दमन करना ये दोनों राजाओं के परम धर्म हैं आधुनिक सदमर्भ मे प्रत्येक राज्य को जनता की सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। दुष्टों के दमन से तात्पर्य बाहरी आक्रमण से प्रजा की सुरक्षा तथा आन्तरिक अराष्ट्रीय तत्वों का दमन कर शांति व्यवस्था बनाये रखने से है। शुक्र नीति मे राजा के बारे मे कहा गया है कि राजाओं को 7 गुणों से युक्त होना चाहिए अर्थात् उसे पिता माता गुरु भ्राता बंधु कुबेर यम आदि के वक्ष्यमाण गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा को पिता की तरह अपनी सत्तान (प्रजा) के अपराधों को क्षमा करने वाला गुरु की तरह शिष्य को हित का उपदेश करने वाला तथा सुन्दर विद्या को पढाने वाला भ्राता की तरह पिता के धन मे से अपने भाग को ग्रहण करने वाला अर्थात् प्रजा से ग्रहण करने वाला होना चाहिए । जिस तरह से बंधु अपने मित्र के शरीर स्त्री धन तथा गुप्त रहस्य की रक्षा करने वाला मित्र के समान होता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के लिए होना चाहिए। आवश्यकता पडने पर कुबेर के समान धन देने वाला एव यम के समान अपराधी को यथार्थ दण्ड देने वाला होना चाहिए । इस प्रकार राजा मे उपर्युक्त सात गुण होने अति-आवश्यक है ।

शुक्रनीति मे राज को आठ तरह के आचरण करने के लिए निर्देश है ।

(1) दुष्टों का निग्रह करना (2) दान देना (3) प्रजा का परिपालन (4) राजसूर्यादि यज्ञ (5) न्यायपूर्वक कोष (खजाना) बढाना (6) राजाओं से कर वसूल करना (7) शत्रुओं का मान नर्दन करना (8) बार-बार राज्य को बढाना । ये आठ प्रकार के आचरण हैं ।

शुक्र ने अर्थ का अर्जन युक्ति पूर्वक ही नहीं वरन सुयुक्तिपूर्वक करने को कहा है । अच्छी युक्ति से नैतिक तरीको से अर्थ अर्जन के उपाय जिस शास्त्र मे बताये गये हैं उसे अर्थशास्त्र कहते हैं ।

शुक्र नीति के प्रथम अध्याय के 154 वे श्लोक मे अर्थोन्मर्था तू दाताया का वर्णन है अर्थात् वाल मे अर्थ और अनर्थ विषयक ज्ञान होता है । इसी अध्याय के 156 वे श्लोक मे लिखा है-

कुसीद कृषि वाणिज्य गोरक्षा वार्तायोच्यते ।

सम्पन्नो वार्ताया साधुर्न वृत्तैर्मयमृच्छति ॥

अर्थात् कुसीद (सूद लेना) कृषि वाणिज्य (व्यापार) गोपालन इन सबको वार्ता कहते हैं । इस वार्ता शास्त्र का भलीभांति ज्ञान वाला राजा जीविका सम्बन्धी भय को प्राप्त नहीं करता है ।

कौटिल्य की अर्थशास्त्र की परिभाषा

कौटिल्य अर्थशास्त्र के 180 वे प्रकरण अध्याय 1 तत्रयुक्तय नामक शीर्षक में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है -

मनुस्याणा वृत्तिरर्थं मनुष्यदती भूमि रित्यर्थं तस्या पृथिव्या लाभपालनोपाय शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।

अर्थात् मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं । मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं । इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है ।

आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में कहा है कि पृथ्वी की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया उन सबका सार संकलन कर अर्थशास्त्र की रचना की है ।

प्राचीन आर्थिक चिन्तन पर आधारित अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा

वार्ता नाम से अभिहित प्राचीन अर्थशास्त्र का सम्बन्ध ज्ञान की प्रत्येक शाखा से था । प्राचीन काल में लोग ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य मोक्ष मानते रहे तथा मोक्ष का सम्बन्ध पुरुषार्थों के साथ जुड़ा था । धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष चार पुरुषार्थ कहे जाते थे । इन्हीं पुरुषार्थों के अन्तर्गत मानव समाज की सारी मर्यादाएँ निहित थीं । इसी प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता शास्त्र का चार पुरुषार्थों से सम्बन्ध रहा है । इसी को आधार मानते हुए डा. बी. एल. गुप्ता ने अपने लेख प्राचीन भारतीय अर्थ चिन्तन की प्रासंगिकता में प्राचीन भारतीय मनीषियों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो उन मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है जो धर्म के अनुसार अर्थ और काम की साधना करते हुए मोक्ष के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्नों से सम्बन्धित होते हैं ।

इस परिभाषा की पुष्टि चाणक्य-प्रणीत सूत्रों से भी होती है जैसे-सुखस्य मूल धर्म । धर्मस्य मूल अर्थ । अर्थस्य मूल राज्यम् । राज्यमूलमिन्द्रियं जय । अर्थात् सुखका मूल धर्म है । धर्म का मूल अर्थ है । अर्थ का मूल राज्य है । राज्य का मूल इन्द्रिय है ।

अर्थशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Economics)

पाश्चात्य विचारों पर आधारित आर्थिक चिन्तन परम्परा के अनुसार हमें यह जानकारी है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्रयत्न करता है तथा प्रयत्नों से उसे धन प्राप्त होता है तथा धन के व्यय से वह आवश्यकता की पूर्ति कर सतुष्टि प्राप्त करता है। इस प्रकार आवश्यकता प्रयत्न धनार्जन एवं सतुष्टि का आर्थिक चक्र चलता रहता है। इस आर्थिक चक्र को निम्न चित्र से व्यक्त कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय चिन्तकों ने इस दृष्टिकोण को अधूरा या सकुचित बताया है।



प्राचीन भारतीय चिन्तन में धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थों की कल्पना की है। इन चारों पुरुषार्थों की सहायता से उन्होंने अर्थशास्त्र को अधिक व्यापक समग्र तथा सतुलित आधार प्रदान किया है। इन चारों पुरुषार्थों के अन्तर्गत मानव समाज की सभी मर्यादाएँ निहित थीं। प्राचीन विचारकों ने प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग मोक्ष के दोनों साधनों को समान रूप से प्रमुखता प्रदान की है। सारे समाज के लोग इन्हीं पुरुषार्थों को पथ प्रदर्शक मानकर अपने व्यावहारिक जीवन में इनका प्रयोग करते थे।

पाश्चात्य अर्थशास्त्र केवल शारीरिक-भौतिक आवश्यकताओं व समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करता है जबकि प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र शरीर और आत्मा दोनों की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। पाश्चात्य अर्थशास्त्र केवल अर्थ एवं काम तक सीमित है जबकि भारतीय अर्थ चिन्तन धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष तक व्यापक है। प्राचीन भारतीय अर्थ चिन्तन आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर के लाभ और आत्मा के विकास दोनों को साथ-साथ लेकर करने पर जोर देता है।

शरीर वाहन है आत्मा का। शरीर का काम आत्मा के विकास में सहायता करना है। शारीरिक उन्नति आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक है। आत्म ज्ञान के साथ-साथ जिस अर्थशास्त्र का विकास होगा उसका आधार धर्म होगा उसका लक्ष्य मोक्ष होगा और उसका काम शरीर का पोषण और सर्वज्ञ होना।

धर्म और मोक्ष का लक्ष्य रखने पर आवश्यकताएँ सीमित रहती हैं। शरीर की आवश्यकताएँ तो गिनी-चुनी होती हैं। समस्या तब खड़ी होती है तब आवश्यकता 'वासना' बन जाती है। शरीर तब भौतिक पदार्थों का उपयोग अपने विकास और संरक्षण के लिए करता है तब उसे वस्तु चाहिए वह उसकी आवश्यकता होती है। किन्तु जब शरीर किसी वस्तु की प्राप्ति में मौजमस्ती का अनुभव करने लगता है तब शरीर के लाभ-हानि की बात भूल जाता है तब वह वासना की कोटि में आ जाती है। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग तो प्रस्तुत है ही साथ ही उन आवश्यकताओं को कम-से-कम रखने का मार्ग दर्शन भी दिया गया है। जबकि पाश्चात्य अर्थशास्त्र आवश्यकताओं को बढ़ाकर उन्हीं की पूर्ति को जीवन का लक्ष्य मानता है। यही कारण है कि आजकल पाश्चात्य देशों में उपभोगवाद अपनी चरम सीमा पर है। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन का आधार जहाँ असंयमित उपभोग पर खड़ा है वही प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का आधार संयमित उपभोग है।

भारतीय आर्थिक विचार एकात्मवादी हैं। ईशावास्योपनिषद् में कहा है कि जो केवल भौतिकवाद का विचार लेकर चलते हैं वे अन्धकार को प्राप्त होते हैं जो केवल अध्यात्मवाद को लेकर चलते हैं वे घोर अन्धकार को प्राप्त होते हैं। पहले से (भौतिकवाद से) मृत्यु को जीतना चाहिए और दूसरे से (आत्मवाद से) अमरता प्राप्त करनी चाहिए।

वास्तव में भौतिक तथा आत्मिक सुख अलग-अलग नहीं हैं कपड़े के ताने-बाने के समान परस्पर गुम्फित हैं।

गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जिन व्यक्तियों का और कोई लक्ष्य न हो तथा अनन्यभाव से मेरे दिव्यस्वरूप का ध्यान करते हुए निरन्तर मेरी पूजा करते हैं। उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं उन्हें मैं पूरी करता हूँ तथा जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ।* इस प्रकार प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का आधार भौतिक व आत्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्ति रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा पुरुषार्थ चतुष्टय शीर्षक में और की जायेगी।

अर्थशास्त्र की विषय वस्तु (Subject Matter)

प्राचीन भारतीय अर्थ चिन्तन विशुद्ध रूप से आर्थिक नहीं रहा। अर्थशास्त्र के साथ राजनीति शास्त्र नीतिशास्त्र व धर्मशास्त्र भी सम्बन्धित था। प्राचीन समय में इनको अलग करने की कोशिश नहीं की गयी। प्राचीन भारतीय अर्थ चिन्तन में अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या हुआ करती थी उसका विवरण कोटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है।

* गीता-9.22

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की आधारभूत मान्यताएँ (Basic Assumptions of Ancient Indian Economic Thinking)

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की मूलभूत मान्यताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) एकात्म मानव
- (2) समग्र विवेकशीलता
- (3) धर्मधारित आर्थिक संरचना
- (4) अर्थशास्त्र के क्षेत्र में औचित्य (न्याय) का सिद्धांत तथा
- (5) पुरुषार्थ चतुष्टय।

1 एकात्म मानव (Integral Man)**

पाश्चात्य अर्थशास्त्र 'आर्थिक मानव' की परिकल्पना पर आधारित है जिसमें निर्णय मात्र वित्तीय एवं भौतिक सम्पत्ति के रूप में लाभ-हानि की गणनाओं पर आधारित होते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था मनुष्य को धन के पीछे दौड़ने वाले स्वार्थी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था उसे जड़वत काम करने वाले मशीनी पुर्जों के रूप में मानती है। परन्तु प्राचीन भारतीय चिंतन 'आर्थिक मानव' की अवधारणा को पूर्णतया नकार कर उसके स्थान पर एकात्म मानव की अवधारणा प्रस्तुत करती है। चूँकि आर्थिक या अर्थ मानव, वैज्ञानिक मानव, जैविकीय मानव, सामाजिक पशु आदि समस्त पाश्चात्य अवधारणायें आज अपर्याप्त एवं असंगत सिद्ध हो चुकी हैं। अतः एकात्म मानव की भारतीय अवधारणा ही आर्थिक सामाजिक संरचना एवं वैकल्पिक आर्थिक नीति का आधार बनना चाहिए। भारतीय चिंतकों ने मनुष्य को केवल अपनी जैविकीय एवं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यत्रवत काम करने वाली किसी भौतिक एवं स्थूल इकाई के रूप में नहीं देखा है बल्कि वे तो उसे सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप में सूक्ष्म एवं चैतन्य एकात्म मानव के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार तो प्रत्येक मनुष्य साक्षात् ब्रह्म का ही स्वरूप है—'अहं ब्रह्माऽसिम्'।

डा. वी. के. आर. वी. राव के अनुसार मनुष्य शरीर व बुद्धि का मिश्रण मात्र ही नहीं अपितु उसमें आत्मा की शक्ति भी है जो शुद्ध कल्याणकारक एवं दैवीय गुणों से परिपूर्ण है। अतः मनुष्य जहाँ अपने हृदय की दुर्बलताओं मन की कमजोरियों एवं स्वार्थवृत्तियों के कारण समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देता है वहाँ वही यदि उसके अन्तः की सद्वृत्तियों एवं देवत्व को जगाने एवं बढ़ाने का प्रयास किया जाय तो सब समस्याओं को सुन्दर सुख कारक हल प्रस्तुत कर सामाजिक कल्याण का दाहक बन सकता है।

विश्व में प्रचलित वर्तमान व्यवस्थाओं में मनुष्य अपना स्थान खोता जा रहा है।

* डॉ. बी. एल. गुप्ता प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की प्रासंगिकता मद संदिग्ध अजमेर में आयोजित सत्रावली (मार्च 1997) में प्रस्तुत लेख।

** M S G Gurup Integral Man Bhartiva Concept

मनुष्य व्यवस्था का केन्द्र बनने के स्थान पर व्यवस्था का दास बनता जा रहा है। अतः हमें मनुष्य केन्द्रित मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण एक मानवीय व्यवस्था का निर्माण करना होगा। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें मनुष्य को उसकी महानता का अहसास कराते हुए उसकी योग्यताओं व क्षमताओं का जागरण कर उसे उसका उचित स्थान दिलाना होगा और साथ ही उसके व्यक्तित्व में अन्तर्निहित दैवीय ऊँचाइयों को प्राप्त करने के प्रयास में उसे सब प्रकार प्रोत्साहित करना होगा।

माधवराव सदा शिवराव गोलवलकर गुरुजी के अनुसार जिस व्यक्ति का प्रमुख ध्येय अर्थ एव काम की प्राप्ति होता है वह भोग विलासी होता है। परन्तु जो व्यक्ति पूरे समाज की सोचता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के गुण हैं, जो समाज में बिना सतुलन बिगाड़े धन कमाता है तथा उसका उपभोग करता है जो बिना किसी पुर्वाग्रह के स्वयं की इच्छा से किसी भी पूजा पद्धति को अपनाता है तथा ईश्वर के किसी भी स्वरूप में आस्था व्यक्त कर जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है उसे सम्पूर्ण एकात्म मानव कहते हैं।

दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्म मानव, जीवन के सभी अंगों का ध्यान में रखते हुए सकलित विचार करता है। मनुष्य प्राणी शरीर मन बुद्धि और आत्मा का सकलित रूप है। इसलिए मानव का सर्वांगीण विचार उसके शरीर मन बुद्धि और आत्मा सबका सकलित विचार है। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने उनकी विविध मांगों और इच्छा-आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय सस्कृति ने व्यक्ति को सामने कर्तव्य के रूप में चार पुरुषार्थों का आदर्श रखा है। यहाँ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति के साथ-साथ नैतिक एव आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल है जिससे समाज की सुयोग्य धारणा हो सके। मनुष्य के चार पुरुषार्थ-धर्म अर्थ काम एव मोक्ष होते हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है।

व्यक्ति की तरह समाज का भी शरीर मन बुद्धि व आत्मा होती है तथा उसे भी धर्म अर्थ काम व मोक्ष की साधना करनी होती है। चूँकि व्यक्ति व समाज एकात्मता के सम्बन्धों से आपस में जुड़े होते हैं अतः व्यक्ति व समाज की पुरुषार्थ साधना एक दूसरे की पूरक होती है।

जिस व्यवस्था में व्यक्ति का विचार पुरुषार्थों मानव के बजाय किसी विशालकाय यंत्र के पुर्जे के रूप में किया जाता है वह व्यवस्था अधूरी है। जिस व्यवस्था में मानव का विचार शरीर मन बुद्धि और आत्मा के सुख को ध्यान में रखकर करने की बजाय इनमें से कुछ ही अंगों के लिए किया जाता है वह व्यवस्था भी अधूरी है। व्यक्ति-जीवन का सर्वांगीण तथा चारों पुरुषार्थों के अनुसार विचार करने वाला, उसके लिए प्रयत्नशील रहने वाला और साथ ही व्यक्ति से लेकर विश्व-मानव तक परिवार, राष्ट्र आदि विविध एकात्म समूहों और उनसे भी परे जाकर परमेश्वरी से तादात्म्य स्थापित

करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति एकात्म मानव कहलाता है तथा यह एकात्म मानव एकात्मक मानववादी दर्शन का आधार है।

2 समग्र विवेकशीलता (Integrated Rationality)

जिस प्रकार पश्चात्य आर्थिक दर्शन की आर्थिक मानव (Economic man) की अवधारणा के स्थान पर भारतीय आर्थिक चिंतन में एकात्म मानव (Integral man) की अवधारणा रही है उसी प्रकार भारतीय आर्थिक चिंतन पश्चात्य आर्थिक दर्शन की आर्थिक विवेकशीलता (Economic Rationality) के स्थान पर समग्र विवेकशीलता की बात करता है। आर्थिक विवेकशीलता एक संकुचित दृष्टिकोण है जिससे जीवन के एक आर्थिक पक्ष की ही चर्चा होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक मानव की अवधारणा स्वार्थ पर टिकी हुई है इसमें मनुष्य अपने स्वार्थ के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के रूप में एक उपभोक्ता उस वस्तु या वस्तुओं के संयोग को चुनाव करता है जिससे उसे अधिकतम सतुष्टि प्राप्त होती है। एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम लागत संयोग का चयन करता है। एडम स्मिथ ने पूँजीवाद को स्वार्थी भावना उत्पन्न कर बढ़ाया। एडम स्मिथ ने एक जगह लिखा है कि कभी किसी का भला मत करो यदि भला करना ही हो तो तब करो जब ऐसा करने से तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो (do not try to do any good, let good come out as by product of selfishness)। आर्थिक मानव व आर्थिक विवेकशीलता के संकुचितपन तथा स्वार्थीपन का अनुमान कीस के इस कथन से भी होता है आगे आने वाले सौ वर्षों के लिए हम यह मान ले तथा दूसरों से भी मनवा ले कि बुरा ही अच्छा है तथा अच्छा ही बुरा है क्योंकि बुरा परिणाम देता है अच्छे से परिणाम नहीं मिलता। लोभ व लालच को हम कुछ आर वर्षों तक अपना भगवान बनाकर रखे क्योंकि उसी के माध्यम से हम गरीबी के टونल (Tunnel) को पार कर प्रकाश की किरण देख सकते हैं। इस प्रकार पश्चात्य आर्थिक विचार स्वार्थ की मान्यता पर खड़ा है।

आर्थिक विवेकशीलता के विरुद्ध भारतीय आर्थिक चिंतन में पहले से ही समग्र विवेकशीलता का विचार दिया है। भारतीय दर्शन प्राचीन समय से ही समग्र समन्वित एवं सतुलित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार वह आर्थिक प्रणाली सर्वोत्तम मानी जायेगी जिसमें व्यक्ति एवं समष्टि के प्रति उचित समन्वय बनाये रखा जा सके। आर्थिक क्षेत्र में एक सीमा तक स्वतंत्रता एवं स्वहित की प्रेरणा का महत्त्व होता है किन्तु इसे नैतिक मूल्यों एवं वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सार्वजनिक हित में निर्देशित एवं नियमित भी किया जाना चाहिए। अतः हमारी आर्थिक संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें निजी उद्यम प्रेरणा व पहल के साथ-साथ सामाजिक नैतिक नियंत्रण की व्यवस्था रहे।

भारतीय आर्थिक चिंतन में आर्थिक मानव की जगह एकात्म मानव की अवधारणा पर विचार किया है। भारतीय दर्शन में एक ऐसे मनुष्य को आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र माना

है जो केवल अर्थ या आर्थिक कारको से परिचालित नहीं होता बल्कि आर्थिक सामाजिक नैतिक धार्मिक राजनैतिक जैवकीय पारिस्थितिकीय एव अनेक कारको के सामूहिक प्रभावों से प्रभावित होता है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने मनुष्य को उसकी विभिन्न आवश्यकताओं व समस्याओं के सदर्म में अलग-अलग टुकड़ों में देखने-समझने की बजाय समग्र एव एकात्म स्वरूप में ही देखा है। उनकी दृष्टि में मनुष्य की आर्थिक समस्याएँ एक-दूसरे के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं एक-दूसरे को अनवरत प्रभावित करती रहती हैं। अतः न तो किसी एक समस्या को अलग से समझा जा सकता है तथा न ही उसका अलग-अलग कोई हल ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मानवीय जीवन से सम्बन्धित इस प्रकार के समग्र दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय चिंतकों ने आर्थिक समस्याओं को उनके अपने सकीर्ण अर्थों में केवल आर्थिक एव वित्तीय दायरों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि उनका सम्बन्ध सम्पूर्ण सामाजिक परिवेश से जोड़कर उसी व्यापक धरातल पर उनका हल खोजने का प्रयत्न किया था यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गये विधान एव व्यवस्थाएँ तथा धिक्कृत की गयी सस्थाएँ एकाकी एव एकपक्षीय न होकर सर्वतोमुखी एव सर्वपक्षीय हैं। उनकी विभिन्न विधिवस्थाओं में हमें आर्थिक सामाजिक राजनैतिक धार्मिक आदि सभी पक्षों का समन्वय मिलता है।

इस प्रकार समग्र विकसालता से उत्पन्न आर्थिक चिंतन के ऐसे आधार से हैं जिसमें मनुष्य का विचार आर्थिक मानव के एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं (आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनैतिक आध्यात्मिक, पर्यावरणीय) तथा ऐसे मानव के अन्य मानवों एव मासुदेतुर सृष्टि के साथ परस्पर पूरक एकात्म सम्बन्धों पर विचार कर समृद्ध सूखी एव कृषि जीवन की दिशा का बोध करावे।

जिस अर्थशास्त्र को मानव के समग्र जीवन और उसके आर्थिक घटकों की भाँति आर्थिकतः घटकों के सम्बन्धों का भान न हो वह मानव का शाश्वत कल्याण की योग्य दिशा कदापि नहीं दे सकता।

3 धर्माधारित आर्थिक संरचना

भारतीय चिंतक अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ की तरह केवल धन का विज्ञान ही स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार तो अर्थशास्त्र एक नैतिक अर्थ रचना का विज्ञान है। भारतीय चिंतन के अनुसार अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र के नियमों व मर्यादाओं में बगम करना चाहिए। जब कभी इस नियम का उल्लंघन हुआ समाज को कष्ट उठाने पड़े। इस पीड़ा से आहत व्यास जी ने भारत सावित्री स्त्रोत में कहा था -

उर्ध्वबाहुविरोभ्येष ने हि कश्चित् शुणोति माम् ।

धर्मादर्शशकामश्च स धर्म कि न सेव्यते ॥

प्राचीन भारतीय चिंतकों ने अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए उस समय की सामाजिक संरचना में ऐसी सस्थाओं का विकास किया जिनके माध्यम से मूल्यों

य सामाजिक आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना व्यक्ति की रोजमर्रा की दिनचर्या का अभिन्न अंग बन जाये। इस दृष्टि से हम चार पुरुषार्थों की कल्पना वर्णाश्रम व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रणाली शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली पंचमहायज्ञ एवं अन्य विभिन्न प्रकार के यज्ञ दान दक्षिणा इष्ट्यापूर्त सर्वव्यापक ब्रह्म की अवधारणा पुनर्जन्म कर्मफल प्रकृति के प्रति मातृभाव ट्रस्टीशिप दया परोपकार परहित एवं त्याग जैसे गुणों को महत्त्व स्नेह सहयोग शुचिता सात्विकता सहभागिता एवं सर्वकल्याण की भावना पर जोर आदि भारतीय जीवन की विशेषताओं को देख सकते हैं। इन्हें अतिरिक्त इसी क्रम में धर्म अर्थात् धर्मवृद्धि धर्मभृति धर्मानुसार वितरण आदि अवधारणाएँ भी प्राचीन भारतीय दर्शन में मिलती हैं।

प्राचीन भारतीय चिंतन हमें उन सामाजिक-नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है जिनके अनुसार नवीन सामाजिक-आर्थिक संरचना की जा सकती है। इसके अनुसार हमें संप्रदाय की बजाय त्याग स्वार्थ की बजाय सेवा शोषण की बजाय पोषण संपर्क की बजाय सहयोग धृष्टता की बजाय स्नेह सम्पत्ति पर पूर्ण निजी या सरकारी स्वामित्व की बजाय ट्रस्टीशिप इस नयी अर्थ रचना के आधार सूत्र हो सकते हैं।

भारत सरकार के प्रमुख अर्थशास्त्री एवं विचारक नैतिक व मानवीय मूल्यों से युक्त वैकल्पिक अर्थरचना की आवश्यकता अनुभव करने लग गई तथा इस दृष्टि से उनका झुकाव स्वाभाविक रूप से भारतीय चिंतन की ओर आया है। डा. शुमारवर ने *A Technology with human face* और *A Study of Economics as if people mattered* पर जोर दिया है। पाल एम. हेनरी का मत है कि नयी विश्व रचना का उदय एक नैतिक-राजनैतिक सुमेल (*Ethico Political Negotiation*) में ही हो सकता है। UNESCO द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक— *Culture Society and Economics for a New world* में इस बात पर जोर दिया गया है कि समूच समाज के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण प्रणाली के विकास के लिए धीजों को एक नये ढंग से देखने-समझने और नयी आदतों व नये दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में Richard L Brinkman ने अपनी पुस्तक *Cultural Economics* में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की सांस्कृतिक ढाँचे के भीतर विवेचना करने एवं टेक्नोलॉजी की सांस्कृतिक दृष्टि पर जोर दिया है।

धर्म पर आधारित अर्थ रचना की अवधारणा आज के युग में बहुत महत्त्व रखती है। आज के अनक दण्डों में जहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है तथा नैतिक मूल्यों का सकट खड़ा हो गया है। इस समय में धर्माधारित अर्थरचना की बात करना बड़ा अजीब लगता है। भारत में आज गरीबी वरोजगारी भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों के सकट आदि बुराइयों से मुक्त करने का हल धर्माधारित अर्थरचना में ही निहित है। धर्माधारित अर्थरचना धर्मराज्य का अंग है।

धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था के दर्शन हमारे प्राचीन महाकाव्य रामायण एव महाभारत में होते हैं तथा उस काल में जो अर्थरचना थी वास्तव में वह धर्मधारित ही थी। धर्माधारित अर्थरचना श्रीकृष्ण की धर्म सस्थापना या अर्थव्यवस्था में सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की प्रतिस्थापना के लिए आवश्यक है। धर्माधारित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना होता है जिसमें अक्षय समृद्धि प्राप्त कर प्रजा का अधिकतम कल्याण समभव हो सके। महाभारत काल में युधिष्ठिर की आर्थिक व्यवस्था धर्माधारित अर्थरचना का आदर्श थी। महाभारत के समापर्व अध्याय 33 के अनुसार 'युधिष्ठिर के संरक्षण सत्य के पालन और शत्रुओं का दध हो जाने के कारण प्रजा को आन्तरिक और बाह्य सब सकटों तथा ईति भिति से छुटकारा मिल गया था। युधिष्ठिर स्वयं तो सत्य धर्म का आचरण किया करते थे साथ ही सदैव यह भी चिन्ता किया करते थे कि प्रजा में भी सत्य धर्म के आचरण की प्रवृत्ति किस प्रकार उत्पन्न की जाय। इस कारण अपना-अपना कर्तव्य यथाविधि पूरा करना (स्वधर्म पालन) उनकी प्रजा का स्वभाव बन गया था और धर्मपूर्वक अक्षय समृद्धि आ गयी थी।

धर्म शब्द धृ धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना निर्वाह करना पोषण करना या पालना। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म की अवधारणा ऐसी व्यवस्थाओं एव क्रियाकलापों का नाम है जो मानव जीवन का निर्माण निर्वाह और पोषण करती है। महाभारत के अनुसार धर्म प्रजा को धारण करता अर्थात् व्यवस्था में रखता है और यही सब प्राणियों की रक्षा करता है जिसका आधार नैतिक-नियम और सदाचरण है। राजा भी इससे बाहर नहीं है अतः धर्म राजाओं का भी राजा है। धर्म से बढ़कर कोई नहीं यह गण के रथको के सो जाने पर भी जागता रहता है। धारणाद् धर्म मित्याहू धर्म ऽ दिव्य प्रजा। इस दृष्टि से धर्म का अर्थ उन सामाजिक नैतिक नियमों एव न्यायादों से है जो समाज के धारण पोषण और विकास के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से धर्म एव नैतिकता पर्यायवाची हो जाते हैं। भारतीय चिंतकों के अनुसार वही अर्थसरचना मंगलकारी हो सकती है जो धर्माधारित हो और धर्म-नियंत्रित हो। अतः नैतिकता (अथवा धर्म) को अर्थशास्त्र अर्थव्यवहार अर्थरचना एव आर्थिक सिद्धांतों से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रो. के. वी. रंगास्वामी आयरर के अनुसार अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र में अन्तर्निर्मरता सभी भारतीय विचारों की मूल भावना रही है।

चाणक्य अर्थ को लोक जीवन का मुख्य प्रदत्तक मानते हुए कहते हैं कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ। परन्तु उन्होंने भी धर्म को प्रथम मानते हुए अर्थ को द्वितीय स्थान दिया है अर्थात् अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म पर ही आधारित है। पचतत्र में अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र को एक-दूसरे का पर्याय माना है। निताक्षरा ने अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र एव राजनीतिशास्त्र का अभिन्न अंग माना है। गौतम याज्ञवल्क्य (1/115) मनु (2/224) विश्वु धर्म सूत्र (71/84) एव भागवत पुराण में (1/2/9) में धर्म को ही प्रधानता दी है।

महाभारत (शान्ति पर्व) में लिखा है कि सब लोग धर्म से ही प्रतिष्ठित हैं। देवताओं ने धर्म से ही दिव्य स्वर्ग को पाया है। धर्म में ही अर्थ स्थित है। (धर्मैयार्थ समाहिता)। नारद कहते हैं कि धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के अनुसार निपुण राजा यत्नपूर्वक व्यवहार का निरीक्षण करता है। जब धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच विप्रतिपत्ति पैदा होती है तब अर्थशास्त्र को छोड़कर धर्मशास्त्र के अनुसार ही निष्पत्ति लेना चाहिए।

यत्र विप्रतिपत्ति स्याद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोः ।

अर्थशास्त्रोपेतमुत्तृज्य धर्मशास्त्रोक्तगाचरेत् ॥ (ना स्मृ 1/39)

मर्यादा पुरुषोत्तम राम काम व अर्थ पर धर्म की श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं—

धर्मार्थकामा खलुजीवलोके । समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ।

ये तत्र सर्वे स्युरसशय मे । आर्ये गवश्या गिमता सुपुत्रा ॥

यारिमस्तु सर्वे स्युररानिविष्टा धर्मोयत स्यात् तदुपक्रमेत ।

द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हिलोके कामात्यतारत्त्वपि न प्रशरता ॥

अर्थात् लोक में भी अर्थ और काम की अपेक्षा धर्म का ही अधिक महत्त्व है। धर्म अर्थ और काम का प्रभाव तो है ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और जीवलोक के सर्वश्रेष्ठो का एकमात्र कारण भी है। सीता भगवान राम को स्मरण दिलाती है —

धर्मादर्थं प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम् ।

धर्मो लभते सर्वं धर्मसारगिद जगत् ॥ (वा रा अरण्य 9/30)

अर्थात्—धर्म से ही धन मिलता है और धर्म से ही सुख मिलता है। धर्म से ही सब कुछ मिल जाता है। अतः विश्व में धर्म ही सार सर्वस्य ग्राह्य वस्तु है। महात्मा गाँधी ने भी कहा है सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता ठीक वैसे ही जैसे सभी सच्चे नीतिशास्त्र अपने नामानुकूल अवश्य ही अच्छे अर्थशास्त्र भी होने चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि 'मे अर्थशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के बीच कोई अंतर नहीं करता हूँ, बल्कि जो अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र की मर्यादाओं के विपरीत चलता है वह अनैतिक है और इसलिए अन्यायपूर्ण है। इस भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गुनार मिर्डल ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। वेदा में भी धर्म को प्रथम स्थान माना है। अशुद्ध धन से प्राप्त सुख परमार्थ विरोधी होने के कारण त्याज्य है। हमारा पुराण साहित्य तथा मनुस्मृति भी इस मत का प्रतिपादन करता है।

भारतीय चिंतन के अनुसार अर्थ में नैतिक एव भौतिक दोनों मूल्यों का समावेश है। महात्मा विदुर ने कहा है कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग अमृत से दूर नहीं होता उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं हो सकता।

भारतीय चिंतन हमें उन सामाजिक नैतिक मूल्यों की याद दिलाता है जिनके अनुसार नवीन सामाजिक-आर्थिक संरचना की जा सकती है। इसके अनुसार हमें संप्रह के बजाय त्याग, स्वार्थ के बजाय सेवा, शोषण के बजाय पोषण, सघर्ष के बजाय सहयोग, घृणा के बजाय स्नेह, सम्पत्ति पर निजी या सरकारी स्वामित्व के बजाय ट्रस्टीशिप, इस नयी अर्थ-संरचना के आधार सूत्र हो सकते हैं।

(4) अर्थशास्त्र के क्षेत्र में औचित्य (न्याय) का सिद्धांत

प्राचीन भारतीय चिंतकों का दृष्टिकोण आर्थिक क्षेत्र में उचित कीमत, उचित मजदूरी, उचित ध्याज, उचित लाभ, न्यायपूर्ण वितरण तथा सह-उपभोग एवं समान उपभोग की व्यवस्था लागू करने का रहा है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में एवं क्रियान्वयन के काम में सरकार, उत्पादकों एवं व्यापारियों, कीमत विशेषज्ञों, नैतिक-मर्यादाओं के विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए इनकी सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य माना है। शुक्राचार्य मूल्यों में उच्चावचन को राज्य की जिम्मेदारी मानते हैं तथा बढ़ते और घटते दोनों ही मूल्यों पर नियंत्रण कर उचित मूल्य की व्यवस्था हेतु राज्य को निर्देश दिया है।

समाज में समानता लाने के लिए प्राचीन साहित्य में वस्तुओं को बाटकर उपभोग करने तथा समानता व कल्याण का भाव प्रस्तुत किया है। ऋग्वेद में उन लोगों की निंदा की गई है जो गरीब व दरिद्रों को दिये बिना उपभोग करते हैं। महाभारत (शांति पर्व) में कहा गया है कि धन को अन्य लोगों में बाटकर आनंद लेना चाहिए। सामूहिक उपभोग एवं सह उपभोग की अवधारणा का जन्म 'यज्ञ' संस्था से माना जाता है। गीता में भी यज्ञ के बाद बचे हुए खाद्यान्नों का ही उपभोग का निर्देश है। भागवत पुराण में व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक धन संप्रह को भी दण्डनीय माना है पद्मपुराण में कहा गया है कि जब तुम खाद्यान्नों, सम्पत्ति का संप्रह बढ़ कर दोगे तो सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जायेगी।

प्राचीन भारतीय ढाड़ मय में श्रमिकों की उचित मजदूरी को भी नितात अनिवार्य माना है। उचित मजदूरी उसे माना गया है जिसके द्वारा श्रमिक अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों को सरलता एवं सम्मान के साथ पूरा कर सकें एवं कार्य में अपनी कार्यक्षमता का संरक्षण तथा संवर्द्धन भी कर सकें। प्रसिद्ध श्रम अर्थशास्त्री शुक्राचार्य ने राज्य को निर्देश दिया है कि श्रमिक को उसके माता-पिता आदि के भरण-पोषण के योग्य वेतन उनकी योग्यतानुसार दिलावे। शुक्र ने मजदूरी को कार्य के परिमाणानुसार, समयानुसार तथा कार्य एवं समयानुसार विभाजित किया है। कम मजदूरी देकर राज्य मजदूरों को अपना शत्रु बना लेता है क्योंकि वे अपना पेट न भर सकने के कारण राज्य का कार्य छोड़कर दूसरे का कार्य करते हैं और राजा के छिद्र खोजते फिरते हैं तथा जनता को लूटते हैं। शुक्र ने मजदूरों को रोग-के समय वेतन, छुट्टियाँ, पेंशन, बोनस, बीमा आदि

की भी व्यवस्था की है। शुक्र ने श्रमिक व नियोजिता के बीच सम्बन्ध को एक नयी दृष्टि को जन्म दिया है जिसे हम व्यावसायिक सहायिता कहते हैं।

वैसे तो प्राचीन भारतीय वाद मग मे सूदरोरी तथा ब्याज द्वारा अपनी आजीविका चलाने वालों की निन्दा की है परन्तु अर्थव्यवस्था के विकरल तथा उत्पादक वर्गों के लिए पूँजी की आवश्यकता एवं भद्रत्व को देखते हुए ऋण व्यवस्था को यार्ता के अग तथा वैश्य वर्ग की आजीविका के एक वैधानिक एवं नैतिक साधन के रूप में मान्यता दी गई है। नारद ने कुसीद (व्याज) का अर्थ बताते हुए लिखा है कि मूलधन के फलस्वरूप निरिक्त लाभ (जैसाकि पूर्व में तय किया गया हो) की प्राप्ति करने को 'कुसीद' कहा जाता है और जो इस प्रकार कृति करते हैं वे 'कुसीदी' कहे जाते हैं। नारद (4/1) ने ऋण दान के सात प्रमुख रूप दिए हैं - (1) कौनसा ऋण दिया जाना चाहिए (2) कौनसा नहीं (3) किसके द्वारा (4) कहाँ (5) किस रूप में (6) ऋण देने का समय एवं (7) लौटते समय के नियम। नारद (4/102-104) ने व्याज के चार प्रकार बताये हैं - (i) कारिता (ii) फलिज (iii) कायिता तथा (iv) धनवृद्धि। नृहरपति ने इनके अलावा शिरवावृद्धि (शिरा की भाँति बढ़ने वाला रुद) एवं श्लोमलाभ (गृह उपयोग हेतु) का भी वर्णन किया है। विष्णु धर्मसूत्र (4/4) लिखित एवं अलिखित ऋणों का उल्लेख करते हैं।

याज्ञवल्क्य तथा विष्णु ने सामान्य नियम आया है कि सभी जातियों को चाहिए कि सभी जाति के ऋणदाताओं को व्याज दे जो भारतीयिक सभ्यता के तय हो जिसमें प्रतिश्रापत्र एवं व्याज दर आदि शामिल हो। मनु तथा नृहरपति ने पूर्व निरिक्त व्याज दर से अधिक व्याज लेने धनवृद्धि व्याज लेने या मूलधन के दुगुने से अधिक धन लेने की भर्त्सना की है। कौटिल्य ने ऋण के नियमों का उल्लेख करते हुए अधिक व्याज लेने वाले पर दण्ड का प्राक्धान किया है। ऋण चुकाने की कोई अवधि नहीं थी तथा व्याज तीन पीढ़ियों तक भी प्राप्त किया जा सकता था, अतः ऋणियों ने यह नियम बना दिया कि ऋण वसूली दुगुनी से अधिक नहीं हो सकती।

ऋण चुकाने के भी नियम निरिक्त थे। मनु के मत में राजा तथा न्यायालय ऋणी से ऋणदाता को धन दिलाने की व्यवस्था कर सकता है। ऋण रीतिकर करने पर मनु, नारद एवं नृहरपति ने ऋण उगाहने के धींच प्रचार बताये हैं - (i) धर्म (ii) व्यवहार (iii) छल (iv) आघरित धरना ऋणी के द्वार पर बैठ जाना तथा (v) बल प्रयोग। ऋण को फिरतों में भी चुकाने का प्राक्धान था तथा जमा फिरतों को रसीद देने (याज 2/03 नारद 4/114 विष्णु 6/26) का भी प्राक्धान किया गया था। व्याज के सम्बन्ध में स्मृतिग्रन्थों में एक न्यायपूर्ण (उचित) व्याज दर (धर्मवृद्धि Just Interest) की अवधारणा प्राप्ता होती है। गैर-जमानती ऋणों की तुलना में जमानती ऋणों पर व्याज दर कम तथा व्यावसायिक ऋणों की तुलना में उपभोगता ऋणों पर व्याज दर कम रखने का सुझाव दिया गया था। इसके पीछे सम्भवतः यह भावना होगी कि उपभोगता ऋण

समाज के गरीब व साधनहीन लोग अपने जीवन की मूलमूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेते थे अतः उनसे ब्याज दर कम ली जानी चाहिए ।

प्राचीन भारतीय वाडमय में अधिकाधिक लाभ पर अधिकाधिक दण्ड की व्यवस्था की गई है । वस्तुओं की कीमत का निर्धारण एव राजा द्वारा उसका क्रियान्वयन स्वाभाविक रूप से लाभ की मात्रा व दर का नियमित एव नियंत्रित करने के रूप में हुआ । कौटिल्य ने स्थानीय उत्पादित वस्तुओं से पाच प्रतिशत तथा विदेशो में उत्पादित वस्तुओं पर क्रय से दश प्रतिशत लाभ लेने के नियम बनाए । इससे अधिक लाभ लेने पर व्यापारी पर 200 पण दण्ड लगाने का प्रावधान किया । इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु बाजार के अतिरिक्त कहीं भी क्रय-विक्रय नहीं की जा सकती थी । शुक्र ने राजा को प्रदेश तथा समयानुसार उस वस्तु के व्यय को समझकर अधिकतम 32वा या 16वा भाग लाभ नियत करने का निर्देश दिया है ।

याज्ञवल्क्य स्मृति में लाभ की मात्रा तथा लाभ की दर का निर्धारित किया गया है तथा मनुस्मृति एव जातक में विभिन्न साझेदारों के बीच लाभ के उचित वितरण के सम्बन्ध में भी व्यवस्थाएँ काफी विस्तार से मिलती हैं ।

(5) पुरुषार्थ चतुष्टय

मानव जीवन का उद्देश्य— मानव जीवन की सफलता एव असफलता का मापदण्ड सुख है । मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सुख का अनुभव करता है । अतः सुख प्राप्ति की दिशा में मानवीय प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मनोपियों ने मनुष्य के पुरुषार्थ को चार श्रेणियों में रखकर मानव जीवन को अनुशासित करने का प्रयत्न किया है । भारतीय परम्परानुसार चार पुरुषार्थ माने गये हैं—धर्म अर्थ काम एव मोक्ष । धर्म अर्थ व काम—इन त्रिवर्ग का ही व्यक्ति के सामाजिक जीवन से सम्बन्ध है क्योंकि मोक्ष तो अंतिम लक्ष्य तथा सभी प्रकार के बंधन से मुक्त है । बार्हस्पत्य सूत्र के अनुसार नीति का फल धर्म अर्थ एव काम की प्राप्ति है । सोमदेव ने अपने ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत का शुभारम्भ उस राज्य को प्रणाम करके किया है जो अर्थ धर्म एव काम नामक तीन फल देता है । मनुस्मृति रघुवंश विष्णुपुराण अमरकोश महाभारत आदि में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन कर इनका आधार शरीर मन बुद्धि एव आत्मा माने गये हैं । कामसूत्र में धर्म अर्थ एव काम के समूह को त्रिवर्ग मानते हुए लिखा है कि अर्थ और काम का सेवन धर्मपूर्वक करना चाहिए । काम से श्रेष्ठ अर्थ है और अर्थ से श्रेष्ठ धर्म है ।

(1) धर्म— प्राचीन भारतीय शास्त्रों में धर्म सम्बन्धी बड़ी व्यापक धारणा थी और वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी । धर्म सदगुण तथा आजीविका की शुद्धता से सम्बन्धित बाह्य आडम्बरो से नहीं । धर्म श्रेष्ठ बनने के लिए धारणीय और आचरणीय है । ऋग्वेद के अनुसार धर्म सृष्टि संचालक सुकृत नियम और कल्याणकारी कर्म है । मनु

ने ज्ञान नीति सदाचार और अन्तरात्मा की चेतना को धर्म के लक्षण माने हैं। पूर्व मीमांसा ने धर्म को कल्याण कारक तथा तैत्तिरीय आरण्यक ने धर्म से ही कर्तव्यों का सृजन माना है। महाभारत के अनुसार धर्म समाज में व्यवस्था बनाये रखता है। यही सब प्राणियों की रक्षा करता है जिसका आधार नैतिक नियम और सदाचरण है।

पुरुषार्थ योजना में धर्म का प्रथम स्थान—मनु (2/224) याज्ञवल्क्य (9/46-47) विषणु धर्मसूत्र (71/84) भागवत(1/2/9) ने धर्म को ही पुरुषार्थ चतुष्टय में प्रधानता दी है। महाभारत तथा पंचपुराण ने धर्मपूर्वक अर्थ और काम को लक्ष्य सिद्धि में सहायक माना है।

(ii) अर्थ—जीवन की इस चतुरगिणी यात्रा में अर्थ की अग्रणी एवं अहम् भूमिका है। इस जगत की गति और नियति का सूत्रधार अर्थ ही है। 'अर्थो ही मूल सर्वस्य' (चाणक्य)। अर्थ के बिना लोकयात्रा का रथ संचल हो ही नहीं सकता। न बिना स्वर्थ लामेन लोकयात्रा पर्वतते (महाभारत)। अर्थ शब्द ऋगृ धातु से निष्पन्न है जिसका अभिप्राय है—गति। अर्थात् जिससे जीवन गतिमान होता है वही अर्थ है। धन शब्द भी अर्थ का पर्याय माना गया है। शास्त्रों में मनुष्य की सुख सुविधाओं का मूल धर्म को माना है एवं धर्म का मूल है अर्थ।

सुखस्य मूल धर्म । धर्मस्य मूलम अर्थ । चाणक्य सूत्र

इसलिए अर्थ को पाने की सबकी स्वामाविक प्रवृत्ति होती है। अतः प्राप्त करने की अभिलाषा सभी करते हैं वही अर्थ है। यास्काचार्य का मानना है कि धन वह है जो सबको सन्तुष्ट और प्रसन्न करता है। कामसूत्र ने अर्थ की परिधि में विद्या भूमि सोना—चादी पशु धन—धान्य धातु निर्मित उपकरण घर—गृहस्थी के अन्य पदार्थ मित्र लाभ एवं अर्जित का सर्वधन—आदि को शामिल किया है। प्रो दयाकृष्ण लिखते हैं कि अर्थ किसी भी कामना की पूर्ति का साधन या निमित्त कहा जा सकता है अथवा इसे शक्ति या धन भी कह सकते हैं। जिसे किसी भी अवस्था में सभी कार्यों के सम्पादनार्थ प्रयोग में लाया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार समाज व्यवस्था का आधार धन है। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है धन से ही प्राप्त करता है। रघुवश के अनुसार जो दुःख में मनुष्य को सात्त्वना देता है उसे अनुरजित करता है और कार्यों में प्रेरणा एवं स्वावलम्बन प्रदान करता है वह धन है। वेदों में धन (अर्थ) का अर्थ सम्पत्ति वैभव (Property, Wealth) तथा मुद्रा से लगाया गया है।

(iii) काम—मनुष्य की समस्त मत्तित्थियों काम से प्रेरित होती है। यह विरव का चालक है। अथर्ववेद में कहा गया है कि काम सबसे पहले प्रकट हुआ। ऋग्वेद में लिखा है कि प्रारम्भ में मन का दीर्घ काम सबसे पहले उत्पन्न हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार काम सबका आधार स्थान है। काम सबका कर्ता है जिस प्रकार

के मनुष्य के काम होते हैं वैसा ही मनुष्य बन जाता है । डॉ अमरनाथ राणा ने काम के रूपों को (i) कामना (ii) इच्छा (iii) भावना (iv) आनंद एव (v) यौनसुख में वर्गीकृत किया है । सृष्टि की उत्पत्ति भी ईश-कामना से ही हुई है । छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार समस्त प्रवृत्तियों का मूल बीज एकमात्र 'काम' है इसलिए जीव को कामनामय माना गया है । काम सभ्यता सस्कृति एव आदिच्छारों की जननी है । काम सत्सार-मन्त्र का चितेरा और सूत्रधार है जो जीवात्मा एव परमात्मा की तीला स्थली है । अथर्ववेद के अनुसार 'काम' ही विविध कामनाओं के रूप में विभिन्न कार्यों का कारण और उत्पत्ति स्थान है । यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य अपने सकल्प-विकल्पो द्वारा जो कर्म करते हैं उनका उत्पत्ति-स्थान ये कामनाएँ ही हैं । इन कामनाओं का फल भी कामनाओं की पूर्ति ही है । अतः सृष्टि - संचालन के लिए काम अनिवार्य है । मनुष्य को कामना करने वाला होना चाहिए क्योंकि सत्सार में जो कुछ हो रहा है वह सब कामनाओं के कारण ही है । अथर्ववेद में कामनाओं की सत्पत्ति और दम्पत्ति प्रेम को एक दिव्य वरदान माना है जो उदात्त काम का प्रतिफलन है । इस कामनामय सत्सार में कामनाएँ मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं क्योंकि कामनाएँ जीव का एक लक्ष्य हैं । इसीलिए मनुष्य को मनु स्मृति तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में कामनामय कहा है । मनु (2/2) ने तो यहाँ तक कहा है कि जब परमात्मा ही सृष्टि विकास की कामना करता है तो फिर उसका प्रतिनिधि मनुष्य कामना क्यों न करे । महाभारत (शांति पर्व) में भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कामहीन पुरुष धर्म एव अर्थ की इच्छा नहीं करता । ऋषि लोग भी कोई कामना रखकर ही तपस्या करते हैं । वणिक कृषक गोपालक शिल्पी आदि सभी कामनाओं से ही अपने-अपने कार्यों में सलग्न होते हैं । अतः सभी प्राणी कामनायुक्त हैं । कामनारहित प्राणी कभी न तो था और न भविष्य में कभी होगा । धर्म और अर्थ इसी में ही स्थित रहे हैं ।

(iv) मोक्ष - मोक्ष को बंधन से छूटना निश्रेयस परमपद परमपुरुषार्थ आवागमन के भावचक्र से मुक्ति आदि नामों से व्यवहृत करते हैं । उपनिषदों में धन को साधन माना है साध्य नहीं । ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने आपको इष्टाओं से रहित करना आवश्यक है । मोक्ष की अवस्था में मनुष्य की सम्पूर्ण कामनाओं का विलय हो जाता है । त्रिवर्ग का अवसान हो जाता है ।

प्रश्न

- 1 प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अर्थशास्त्र के लिए किन-किन शब्दों का प्रयोग किया गया है ?
- 2 'वार्ता' का अभिप्राय बताइये ।

आवश्यकता की इस धारणा के आधार पर एक व्यक्ति की खाने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं बन पाती है जब तक उसके पास भोजन प्राप्त करने के लिए साधन या धन नहीं है। एक भूखे या नगे की भोजन व वस्त्र की उसकी आवश्यकता वास्तविक है किन्तु पाश्चात्य अर्थशास्त्र में आवश्यकता की जो धारणा प्रतिपादित की गई है उसके अनुसार किसी साधनहीन व्यक्ति की आवश्यकता को आवश्यकता नहीं कहते।

भारतीय वाङ्मय में आवश्यकता का प्रादुर्भाव

प्राचीन भारतीय चिन्तन में 'समग्र सुख' की आशा की गई है। शरीर मन बुद्धि व आत्मा का सम्पर्क सुख ही 'समग्र सुख' कहलाता है। इसे प 'दीनदयाल उपाध्याय' ने 'चतुर्विध सुख' की सजा दी है। चतुर्विध सुख की प्राप्ति के लिए अर्थात् व्यक्तित्व के चारो पक्षों—शरीर मन बुद्धि एव आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने उनकी विविध मांगों और इच्छा—आकाशाओं को पूर्ण करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सामने चार कर्म या पुरुषार्थों का आदर्श रखा है।

धर्म अर्थ काम व मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हैं। मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली विविध कामनाओं इच्छाओं आकाशाओं का अन्तर्भाव काम पुरुषार्थ होता है। काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर आर्थिक क्रियाओं में सलग्न रहता है। भीम ने महाभारत में काम के महत्त्व को सिद्ध करते हुए कहा है कि 'सभी प्राणी कामनायुक्त हैं कामनारहित प्राणी कही नहीं है कभी नहीं था और भविष्य में न होगा ही इसलिए यही काम त्रिवर्ग का सार है। धर्म और अर्थ इसी में स्थित रहे हैं। पर बिना अर्थ के काम की पूर्ति असंभव है। इसीलिए अर्थ को जगत का मूल कहा गया है। अर्थ के बिना व्यक्ति प्रभावहीन और निरर्थक हो जाता है। इसीलिए निर्धनता को पाप माना गया है। परन्तु धर्माधारित अर्थ ही सुखकर है। जिसे विख्यात अर्थशास्त्री पी आर ब्रह्मानन्द ने धर्माधिष्ठित अर्थ की सजा दी है।

सुख की इच्छा से ही व्यक्ति प्रयत्न कार्य (कर्म या पुरुषार्थ) करता है। तब सुख की इच्छा ही आवश्यकता का रूप धारण कर लेती है। चतुर्पुरुषार्थ मानव की सम्पूर्ण आवश्यकताओं एवं समग्र विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया है। कौटिल्य ने यह प्रश्न उपस्थित किया है कि सुरास्यस्य मूलम किम् ? अर्थात् सुख का मूल क्या है ? उन्होंने इसका उत्तर स्वयं ही दिया है—

सुखस्य मूलम् धर्मं धर्मस्यमूलम् अर्थम् ।

अर्थस्य मूलम् राज्यम् राज्यस्य मूलम् इन्द्रियं जयम् ॥

अर्थात्—धर्म सुख का कारण है अर्थ धर्म का कारण है। राज्य से अर्थ की प्राप्ति होती है और राज्य का आधार इन्द्रियों पर नियन्त्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अर्थ एवं धर्म आदि व्यवस्थाएँ मूलतः मनुष्य के सुख को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई

है। यजुर्वेद में भी हमेशा सुख की ही कामना की गई है। सुख से बढ़कर त्रिवर्ग (धर्म अर्थ और काम) का फल और कुछ भी शेष नहीं है। सुख के लिए ही धर्म और अर्थ में प्रवृत्ति होती है। धर्म और अर्थ से ही सुख की उत्पत्ति हुआ करती है। सब काम ही सुख के लिए आरम्भ किये जाते हैं। सुख ही सबसे परम श्रेष्ठ पदार्थ है सुख से अधिक वित्रंग का फल नहीं है।

न ह्यतस्त्रिवर्गफल विशिष्टतरमस्ति । स एष काम्यो गुणविशेषो
घनार्थयोरारम्भ स्तद्धेतुरस्योत्पत्ति सुख प्रयोजना ॥ (महा शांति । 183/9)

प्राथमिक आवश्यकताएँ

वेदों में मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। प्राथमिक आवश्यकताओं में अन्न वस्त्र मकान चिकित्सा तथा शिक्षा पर वेदों में विस्तार से चर्चा है। वेदों में खाने-पीने तथा रहने-सहन स्तर दान देना यज्ञ करना तथा उद्योग धर्म आदि में धन के उपभोग का वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि कामना करता है कि इन्द्र तथा वरुण से प्राप्त धन का हम उपभोग करें। वह धन प्रचुर परिमाण से संचित हो अर्थात् कहीं धन की कमी से हमारी कोई आवश्यकता अपूर्ण नहीं रह जाए। शरीर पोषणार्थ अर्थ की आवश्यकता प्रत्यक्ष है। सम्यक्ता की समस्त रचना अर्थात् धीन है। मनुष्य की मौलिक एषणाओं में से प्रथम स्थान वितैषणा का है जिसका सम्बन्ध शरीर (भोजन) से है। शुक्र के अनुसार अन्न वस्त्र मकान बगीचा पशुओं विद्या (शिक्षा) आदि के उपार्जन के लिए जो धन प्राप्त कर व्यय किया जाता है उसे उपभोग्य कहते हैं। मनुस्मृति में अन्न वस्त्र मकान शिक्षा आदि के उपभोग के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया गया है कि कौन सी वस्तु उपभोग योग्य है तथा कौनसी वस्तु उपभोग योग्य नहीं है। अति-उपभोग को मनु ने अस्वास्थ्यकर आयुनाशक स्वर्ग एवं पुण्य में बाधक तथा लोक निन्दित माना है। मनु के अनुसार उपभोग्य धन होने पर फटे और मैले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। आवास ऐसी जगह हो जहाँ धान्य फल-फूल वृक्षों आदि उपभोग्य वस्तुओं की कमी न हो तथा आजीविका के साधन (खेती व्यापार आदि) सुलभ हो।

रामायण महाभारत, शुक्र एवं कौटिल्य के अनुसार प्रजा की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं व्यवस्था का दायित्व राजा का माना है।^१

भारतीय वाङ्मय में आवश्यकताओं के सदर्म में दृष्टिकोण

पाश्चात्य अर्थशास्त्र में यह वर्णित है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित होती हैं तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं। आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ अतृप्त रहने से मनुष्य दुःखी होता है। आवश्यकताओं के सदर्म में यही अवधारणा प्रो. रॉबिन्स से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय चिंतन में कही गई है।

ईशोपनिषद में कहा गया है कि स्वाधीनता का न होना या आवश्यकता का होना

और उसके दूर करने की सामग्री का न होना ही दुःख है। यदि उसके पूरा करने की सामग्री उपस्थित होगी तो सुख हागा आर यदि पूरा करने की सामग्री न होगी तो भारी दुःख होगा क्योंकि अज्ञानी मनुष्य अधिक आवश्यकता रखते हैं परन्तु जो मनुष्य प्राकृत विद्या उपार्जन करते हैं उनकी आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए न तो वह कभी पूरा हो सकती है और न ही उनका दुःख दूर हो सकता है। कठोपनिषद् कहता है कि कोई मनुष्य कितना ही धन प्राप्त करले कभी उस धन से तृप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार भोजनदि से पेट भर जाता है फिर भी खाने की इच्छा बनी रहती है उसी प्रकार धन से इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जितना धन मिलता जाता है उतनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। सो वाला सहस्र में सुख समझ कर सहस्र की इच्छा करता है तो सहस्राधीश लक्ष की इच्छा करता है और लक्षपति करोड़पति होने की इच्छा करता है। धन मनुष्य की आवश्यकता न होकर तृष्णा है जो कभी भी पूर्ण नहीं होती। पृथ्वी ने जितने धान जौ सुवर्ण पशु और त्रिविध सब भी एक पुरुष की कामनाओं की तृप्ति में पर्याप्त नहीं है। अग्नि के समान दित का तृप्त होना अत्यन्त कठिन है। काम इच्छा या तृष्णा को कहते हैं। भोग की कामना उष्णोष्ण अग्नि शत नहीं हाती। जिस प्रकार हवि स अग्नि प्रज्वलित होती है वैसे ही उनसे तो यह धार भी बढ़ जाती है। विषय की प्राप्ति हाने पर तो उस समय इच्छा निवृत्त हो जान पर भी उसका पुनः पुनः प्रादुर्भाव हाता रहता है। श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं ३- नारत श्रेष्ठा । रजोगुण त्री वृद्धि होने पर लोभ-प्रवृत्ति कर्मों का आरम्भ अशांति आ- स्पृधा ये चिन्ह प्रकृत हो जाने हैं। धन की बहुत सी आमदनी हो जाने पर भी उसके लिए प्रतिक्षण बढ़ने वाली अभिलाषा का नाम लोभ है। अर्थात् अपने विषय की प्राप्ति से जिसकी निवृत्ति न हो सके वह इच्छा विशेष ही लोभ है। निरतर प्रयत्न करते रहना प्रवृत्ति है। जिनने बहुत सा धन व्यय और परिश्रम हो ऐसे काम्य निषिद्ध आर विशाल भवन आदि लौकिक विषयों के लिए उद्यम करना आरम्भ है। दूसरों का थोडा या बहुत धन देखते ही उसे किसी न किसी उपाय से लेने की इच्छा स्पृहा है।

सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमागुण से प्रमाद मोह और अज्ञान की ही उत्पत्ति होती है। निरतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं के पूर्ण न हान के कारण मनुष्य को दुःख होता है। मनु कहते हैं विषयों के उपयोग से इच्छा कभी तृप्त नहीं हो सकती बल्कि धी से अग्नि के समान यह इच्छा फिर बढ़ती ही जाती है। महात्मा वशिष्ठ ने तृष्णा को ही सब दुःखा का मूल और अधर्म की जड़ बताया है। उनके अनुसार यह तृष्णा ऐसी उत्कर जिज्ञासा है जो कभी शांत नहीं होती नित्य बढ़ती जाती है। व्यक्ति जहा तृष्णा के अकमार में फसा फिर वह उससे जय तक निवृत्त नहीं हा सकता जब तक उसका समूल पनन न हो जाय। वृद्ध मनुष्य के दाँत भी टूट जाते हैं किन्तु धन की आशा मनुष्य के वृद्ध होने पर भी कभी जीर्ण नहीं होती। यह सदा युवा बनी रहती है। तृष्णा बृद्धि को टक लेनी है (तृष्णायामतिरिच्छाद्यते ॥ 226 चाणक्य सूत्र)।

प्राप्त हुए धन से मनुष्य कभी सतुष्ट नहीं होता बल्कि फिर भी अधिक की इच्छा करता है। धन की लालसा से सुख लाभ नहीं होता धन प्राप्त होने पर भी बहुत सी वित्त हुआ करती है। मनुष्य लोग धनवान होकर फिर राज्य की इच्छा करते हैं राज्य प्राप्त होने पर फिर देवत्व की इच्छा किया करते हैं और देवत्व प्राप्त होने पर इन्द्रत्व लाभ के अभिलाषी होते हैं। अर्थात् आवश्यकताएँ बढ़ती हो जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से ज्वालाएँ का प्राप्त होने पर अग्नि उसी प्रकार प्रिय वस्तुओं के मिलने से विषय तृष्णा अत्यन्त ही बढ़ती है। जिस प्रकार बहुत जल पीने पर भी बढ़ती प्यास कभी शांत नहीं होती। कालक्रम में वर्द्धित गरु की सीमा जैसे वृद्धि को प्राप्त होती है वैसे ही बढ़ते हुए वित्त की तृष्णा की वृद्धि हुआ करती है। हितोपदेश में कहा गया है जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसी से और इच्छा बढ़ती है। इस प्रकार इच्छाएँ चक्र की पक्ति के समान बढ़ती ही चली जाती है। उनकी कभी तृप्ति नहीं होती है। विख्यात ययाति-प्रकरण के माध्यम से यह स्पष्ट समझाया गया है कि सुदीर्घ जीवन तक उपयोग करते रहने के बावजूद भी कामेष्णा शांत न होकर बढ़ती जाती है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि भोगों की तृष्णा कभी भोग भोगने से तृप्त (शांत) नहीं होती अपितु घी से प्रज्वलित होने वाली आग के समान अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। तृष्णा के समान कोई दुःख नहीं है। त्याग के समान कोई सुख नहीं है।

ससार में ऐसा कोई द्रव नहीं है जो मनुष्य की आवश्यकताओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है जो कभी भरती नहीं। जैसे उत्पन्न हुए भृगु का सीमा उसके बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता रहता है उसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है उसकी कोई सीमा नहीं है।

आवश्यकताएँ असंमित ही नहीं होती वरन् एक आवश्यकता पूर्ण होती है तब दूसरी नयी उत्पन्न हो जाती है। तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर घोट करती है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के अनुसार मनुष्य की कामनाएँ कभी पूर्ण नहीं होती। मनुष्य की एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नई कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बंधने लगती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती वरन् घी डालने से प्रज्वलित होने वाली अग्नि के समान वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। पवित्र वेद आवश्यकता-विहीनता की बात नहीं करते हैं और न ही वे जीवन से भाग जाने की बात करते हैं। वे सही जीवन की संस्कृति अपनाने का उपदेश देते हैं। जहाँ सुविधाओं की सबको बाहुल्यता होगी जिसमें केवल दिखावी प्रभाव समाप्त हो जाएगा अति उपभोग के स्थान पर मर्यादित व संयमित उपभोग का आदर्श होगा। ऋग्वेद में ऋषि कहता है हे इन्द्र! हमें पुत्र-पौत्रादि सहित धन प्राप्त कराओ। हमारे निमित्त उज्ज्वल धन लेकर आओ। हमारी कामना अत्यन्त बढी हुई है तुम धन के स्वामी हो हमारी कामना की पूर्ति करो।

आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अधिकतम सतुष्टि

आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर मनुष्य को अधिकतम सतुष्टि या सुख प्राप्त होता है। वैदिक वाङ्मय में उत्तम न्यायोचित स्वयं द्वारा अर्जित तथा पुत्रादि से युक्त धन द्वारा कामनाओं को पूर्ण कर सुख की कामना सर्वत्र मिलती है। ऋग्वेद में ऋषि कहता है हे देवगण ! हमें पुत्रादि से युक्त धन दो। आदित्य वसु रुद्र मरुद्गण हमारी कामना पूर्ण कर सुखी करे। दरिद्रता हमारे पास से भागे और हम अन्न प्राप्त कर सुख पावें। हे इन्द्र तथा अग्नि हमें उपभोग योग्य विविध प्रकार का धन दो। हे इन्द्र पति-पत्नी को सुन्दर गृह और सत्ता युक्त रखो। हम जीवन भर विभिन्न भोगों को भोगते रहे। हमारी कामनाओं (इच्छाओं) को गो घोड़े और श्रेष्ठ धन से पूर्ण करो। धन द्वारा हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो। सुखकारी अन्न के उपभोग से हमारी देह पुष्ट हो और बुढ़ापा हमसे दूर रहे। हे मरुद्गण ! तुम हमें गो घोड़े रथ पुत्र सुवर्ण तथा बहुत सा अन्न दो। तुम हमारी सम्पन्नता वी वृद्धि करो। वैदिक साहित्य में उपयोग हेतु प्रचुर परिमाण में धन की कामना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि कहता है कि इन्द्र व वरुण आदि देवताओं की रक्षा से हम धन को प्राप्त कर उसका उपभोग करे वह धन प्रचुर परिमाण में संचित हो। हे इन्द्र हमारे उपभोग के निमित्त उपयुक्त अन्न दिलाते वाला तथा रक्षा करने वाला समर्थ धन प्रदान करो। हे इन्द्र हमको उपयोग्य धन दो हमें तित्य ही इसकी इच्छा करते हैं। रतोता उसी धन को प्राप्त कर देवों के निमित्त यज्ञ का प्रार्थ करते हैं। हे वरुण ! मुझे किसी ऐश्वर्यवान् व्यक्तिके समक्ष अपनी दरिद्रता न बहानी पड़े। मुझे आवश्यक धन की कमी कमी न खटके। सब सुखों की कामना करने वाले मुझे यजमान का कल्याण हो। पारलौकिक सुख वी कामना भी कल्याणकारी हो। मैं दोनों लोको का सुख से उपयोग करूँ। बहुत सा अन्न सुवर्ण जलवृष्टि धान्य पशु प्रजा आदि सभी प्रयोजनीय वस्तुओं से समृद्ध होते हुए हमारा कल्याण हो। वस्तुओं के उपभोग से इहलोक एवं पारलौकिक सुखों तथा प्रसन्नता प्राप्त होने वाले पदार्थ अजुबूल होने एवं इन्द्रिय सम्बन्धी सब सुखों का उपभोग कर सतुष्टि रहने की कामना की गई है। गीह धान्य जौ उडद तिल मूग चना कागनी चावल आदि खाद्य पदार्थों एवं सुर्ण लौहा तांबा सीसा रागा आदि पाषाण श्रेष्ठ मिट्टी वनस्पति आदि यज्ञ फल के रूप में प्राप्त कर उपभोग करके सभी कामनाएँ पूर्ण हो ऐसी आशा की गई है। आवश्यकताओं को पूर्ण कर सतुष्टि प्राप्ति हेतु सहस्रत्रो धनो से सम्पन्न होने तथा बहुत दूध देने वाली गोभों से अपने घर को पूर्ण करने की कामना की गई है। मनुष्य की भौतिक सुख की आपूर्ति पूर्णतः अर्थ से ही सम्भव है। भाव के ज्ञान भोग और यथाशक्ति परिश्रम द्वारा अपनी आजीविका उत्पन्न करे ताकि समाज में दरिद्रता और अभाव का प्रवेश न हो क्योंकि दरिद्रता से आवश्यकताओं की सतुष्टि नहीं हो सकती। ऋग्वेद में दरिद्रता को दुत्कारने का एक रोचक उदाहरण मिलता है जहाँ कहा गया है कि हे धनहीन और कुरूप दरिद्र ! तू निर्जन पर्वत पर जा। यहाँ तेरे लिए कोई स्थान

नहीं है। यहाँ सुदृढ़ अतिक्रमण और अध्यक्षायी मनुष्य अपने पराक्रम से अपना भाग्य अक्रिय करता है जो तेश विनाश कर देगे। बहुत से धन और मधुर पदार्थों से सम्पन्न होने तथा भूख प्यास की व्याकुलता को प्राप्त न होवे।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अप्राप्य अर्थ की इच्छा प्राप्त अर्थ की वृद्धि और बढ़ाये हुए धन को विधिपूर्वक सत्पात्रों को दान करना मुख्य ध्येय रहा है। यजुर्वेद ने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं पर धन व्यय करने के बाद पुन धन प्राप्त करने तथा पूर्व सम्पादित धन को पुन सम्पादित करने की कामना की गई है। भारतीय चिंतन में काम की तृप्ति को अग्नि व समुद्र की तरह असम्भव मानकर एवं सम्पत्ति के द्वारा अमरत्व-प्राप्ति की आशा को व्यर्थ जानकर व्यक्ति को उपभोग में समय बरतते हुए उसी में सतोष धारण करना चाहिए क्योंकि सतोष को ही 'परम सुख' माना गया है। कामनाओं के जिस-जिस अंश का मनुष्य परित्याग करता है उसकी ओर से वह सुखी होता है। जो सदा काम के वश में रहता है वह केवल दुख ही भोगता है। बिना त्याग के सुख नहीं मिलता त्याग के बिना परम श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्त नहीं होता। बिना त्याग के निर्भय होकर शयन नहीं किया जाता इसलिए तुम विषयों के परित्याग करके सुखी हो जाओ। तृष्णा का अंत नहीं है तृप्ति ही परम सुख है इसलिए पंडित लोग इस लोक में सतोष को ही परम धन समझते हैं। सतोष ही उत्तम स्वर्गलोक से बढ़कर है और सतोष ही परम सुख है इससे बढ़कर कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं है। हितोपदेश में भी कहा गया है कि सतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वालों को जो सुख मिलता है वह धन के लोभी और इधर-उधर भटकने वालों को कहीं से प्राप्त होगा अतः विश्व के प्रत्येक पदार्थ को ईश-वत मानकर व्यवहार करना तथा त्यागपूर्वक उपभोग में लाना ही आवश्यक एवं उचित है।

उपभोग का अर्थ

अर्थशास्त्र में उपभोग का अर्थ उस क्रिया से लिया जाता है जिससे उपभोक्ता की किसी आवश्यकता विशेष की सतृप्ति होती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की सतृप्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अतिम प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। वास्तव में उपभोग ही अर्थव्यवस्था का आधार है। उपभोग की इच्छा या आवश्यकता के कारण ही वस्तुओं तथा सेवाओं की माग उत्पन्न होती है। इस माग के कारण ही उत्पादन के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। माग की पूर्ति के लिए उत्पन्न वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय तथा वितरण किया जाता है।

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में उपभोग का सीधा सम्बन्ध उत्पादित वस्तुओं की खपत (माग) समाज में किस प्रकार की जाए, से रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्र की भांति उस समय भी किसी वस्तु का उपभोग उसकी माग पर निर्भर माना गया है। वेदों में इन्द्र वरुण अग्नि आदि देवताओं से विभिन्न उपभोग्य वस्तुओं की माग करके उपभोग करने की

प्रार्थनाएँ की गई है। अथर्ववेद का यह मंत्र 'इमे गृहा भयोभुव' स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने जीवन यापन की वस्तुओं की माग करता था। शुक्राचार्य उपभोग का अर्थ बताते हुए कहते हैं—

धान्य वस्त्र गृहाराम-गोगजदि स्थायिकम्।

विद्याराज्यादर्जनार्थं धनाप्तयर्थं तथैव च।।

व्ययीकृत स्थाणार्थमुपभोग्य तदुच्यते। (शु नी 2/344-45)

अर्थात्—धान्य वस्त्र गृह बगीचा गो गाज आदि तथा स्थ के लिए एव विद्या तथा राज्य आदि के उपार्जन के लिए और धन आदि की प्राप्ति के लिए तथा इन सबों की रक्षा के लिए जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग्य कहा जाता है। शुक्र ने सोना रत्न चादी निष्क (स्वर्ण मुद्रा) रखने के जो स्थान हैं एव रथ घोड़े गो गज ऊट बकरे भेड़ आदि के तथा इनके अध्यक्षों के लिए पृथक्—पृथक् बने हुए जो स्थान हैं तथा बाजे शास्त्र अन्न धान्य रखने के लिए जो स्थान हैं तथा मंत्री शिल्प नाट्य वैद्य मृग पाक पक्षी इनके लिए जो स्थान हैं उन सबों की गणना भोग्य के अन्दर है और इन सबों के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को भी भोग्य कहते हैं।

उपभोग के प्रकार

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में उपभोग सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाओं को हम समित उपभोग सह-उपभोग एव समान उपभोग में बाट कर अध्ययन कर सकते हैं।

(अ) समित उपभोग की अवधारणा—स्वयं द्वारा अर्जित अर्थ (वित्त राज्य आदि) का इच्छा पूर्ति के लिए न्यून एव समित उपभोग हो ऐसा आग्रह वैदिक साहित्य में बार-बार दिखाई देता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि 'हे मित्र वरुण ! हम किसी अन्य व्यक्ति के धन अपने लिए उपभोग नहीं करते। किसी के धन से शरीर को पुष्ट नहीं करते। हम अपने सत्ता के साथ हमारे कुटुम्बी भी अन्य किसी के धन का उपभोग नहीं करते। अर्थात् हम तुम्हारी कृपा से प्राप्त हमारे द्वारा अर्जित धन से ही सतुष्ट रहते हैं। जीवन रक्षा के लिए जितने आहार का प्रयोजन हो उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समित उपभोग पर भारतीय वाङ्मय में इसलिए जोर दिया गया है कि मनुष्य की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ण सतुष्टि (तृप्ति) असम्भव है तथा इन्द्रिय-सुखेच्छा जीवन भर पूर्ण नहीं हो सकती। अतः कामवासनाओं की तृप्ति को असम्भव मानकर एव सम्पत्ति द्वारा अमरत्व प्राप्ति की आशा को व्यर्थ जानकर व्यक्ति को उपभोग में समय बरतते हुए उसी में समय धारण करना चाहिए क्योंकि सतोष ही परम-सुख माना गया है। उसके लिए इस विश्व के प्रत्येक पदार्थ को ईश (परमात्मा) वृत मानकर व्यवहार करना तथा त्याग पूर्वक उपभोग में लाना ही आवश्यक एव उचित है। ईशोपनिषद का उन्मेष ही आर्थिक साराधनों को मर्यादित और समयपूर्ण अर्जन और उत्सर्जन से होता है -

इरावास्त्यमिदं शु सर्वयत्किञ्च जगत्वा जगत्।

तेनत्वक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वद्वनम॥ (यजु 40/1)

अर्थात्—अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत् है यह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक (इसे) भोगते रहो (इसमें आसक्त मत होओ (क्योंकि) धन भोग्य किसका है अर्थात् किसी का नहीं। जगतगुरु शकटाचार्य ने इस मंत्र की व्याख्या में स्पष्ट कहा है कि तू किसी के धन की अर्थात् अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा मत कर आकांक्षा न कर क्योंकि धन भला किसका है धन तो किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा की जाए। जीवन-निर्वाह के लिए विविध सामग्री का एकत्रण व उपभोग इच्छानुसार न होकर आवश्यकतानुसार अर्थात् न्यूनतम करना ही न्यायोचित है।

धनोपार्जन के साथ उसका वितरण अर्थात् धन का उपभोग का शास्त्र-सम्मत मार्ग भी ईशोपनिषद् के इस मंत्र में बताया गया है। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर हमें सन्मार्ग और न्यायपूर्ण ढंग से ही धनोपार्जन की शक्ति और सकल्प प्रदान करे। श्रमोपार्जित धन और उसका त्यागपूर्वक भोग ही श्रेष्ठधर्म है जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करते वे धन के स्वामी न होकर सेवक की भाँति बन जाते हैं जो उसके संकेतो पर नाचते हैं। मनु कहते हैं कि यदि अर्थ और काम धर्म-विरोधी हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अशुद्ध धन से प्राप्त सुख-परमार्थ विरोधी होने के कारण त्याज्य है। अथर्ववेद में पूर्ण परिश्रमार्जित धन को पूर्ण उदारता के साथ लोक कल्याण में व्यय करने का निर्देश है। अर्थ की महत्ता न्यायपूर्वक, अर्जन तथा नीतिपूर्वक उपभोग में ही देखी जा सकती है। नारद युधिष्ठिर से कहते *—

यावद् भ्रियते जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम।

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥

अर्थात्—पुरुषार्थ चतुष्टय के सम्पादन हेतु गृहस्थ अर्थ-सचय करे परन्तु मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसका पेट भर जाए। इरासे अधिक सम्पत्ति को जो ग्रहण करता है वह चोर है एवं दण्ड का पात्र है।^१ प्रो उदय जैन हिन्दु अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि भारतीय चिंतन में जीवन यापन की गतिविधियों के दो पहलू हैं। प्रथम, धर्मपरायण जीवन के लिए उपभोग तथा दूसरा धर्म परायणहीन जीवन के लिए उपभोग। दोनों ही प्रकार के लोगों की जीवन शैली में माग का स्वरूप और ढाँचा अलग-अलग रहा है। प्रो केन्नेथ बोल्टिडग ने माग के इस स्वरूप को अर्थव्यवस्था में रखा है। यह निश्चित है कि दोनों ही प्रकार के लोगों में माँग का ढाँचा अलग-अलग रहेगा। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अति एवं अमर्यादित तथा एकाकी उपभोग पर आधारित होने से गैर-धर्मपरायण लोगों की माँग का ढाँचा तैयार करती है जबकि भारतीय चिंतन माग का ढाँचा धर्मपरायण लोगों की माग पर आधारित है। आर्थिक प्रगति से देश की शक्ति तो

बढ़ती है पर यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी बढ़े। व्यवहार में यह देखा जा रहा है कि आर्थिक प्रगति के साथ चरित्र का विखण्डन हुआ है तथा धर्म-परायण लोगों का कल्याण कम हुआ है। अतः ऐसी मांग जो रोटी कपड़ा और शिक्षा से हटकर दिखाऊँ एव भड़कीले जीवन को सहारा देती है वह समाजहित में नहीं है। स्कन्दपुराण के अनुसार मुद्रा अर्जन तथा धन सग्रह कभी भी दण्डनीय नहीं है परन्तु गलत तरीके से कमाया धन तथा आवश्यकताओं से अधिक धन सग्रह दण्डनीय है। न्यायाचित तरीके से कमाये हुए धन का 10 प्रतिशत भाग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यय किया जाना चाहिए।

व्यक्ति को कमाने में ईमानदार होना चाहिए तथा दूसरा अपनी आवश्यकताओं से अधिक न कमाए। भारतीय चिन्तन फिर भी यह कहता है कि यदि अनायास कभी अधिक धन कमा भी लिया जाय तो उसे अति-दरिद्र व्यक्तियों में वितरण या दान कर दिया जावे। क्योंकि अधिक मुद्रा न तो दान की जाती है और न ही स्वयं के लिए उपभोग की जाती है वरन् लुप्त हो जाती है अर्थात् अधार्मिक एव गलत कार्यों में व्यय हो जाती है। मनु कहते हैं कि उपभोग से इच्छा कभी शांत नहीं होती बल्कि अग्नि में घी डालने पर ज्वाला के समान बढ़ती जाती है। जो मनुष्य इन विषयों को प्राप्त करते और जो मनुष्य इन विषयों को त्याग दे। उन दोनों में सब विषयों को प्राप्त करने वाले की अपेक्षा विषयों का त्याग करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इन्द्रिय सुख में लिप्त मनुष्य की बुद्धि वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे चमड़े के बर्तन (मशक आदि) के एक भी छिद्र से सब पानी बहकर नष्ट हो जाता है। प्रो पचमुखी भी इसी मत को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं से अधिक सग्रह नहीं करना चाहिए। खाद्यान्नों का सग्रह पापपूर्ण एव अधार्मिक कार्यों से नहीं किया जाना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाये हुए धन का सग्रह कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कई परेशानियों को जन्म देता है।

चाणक्य समयित उपभोग को स्वास्थ्य के लिए भी ठीक मानते हैं। भागवतपुराण के अनुसार मनुष्य का स्वत्व केवल उतने पर ही है जितने से उसका पेट भरता है। इससे अधिक को जी अपना मानता है वह चोर है एव दण्ड का पात्र है।

भारतीय आर्थिक आदर्शों में व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार नहीं किया है किन्तु साम्यवादियों की तरह स्वत्व त्याग को व्यक्ति पर बलात् आरोपित भी नहीं किया है। उसे दण्डनीय अवश्य माना है किन्तु केवल उसे हेय बताने के लिए अथवा उसका अनौचित्य प्रदर्शित करने के लिए। इस चिन्तन का उद्देश्य स्वयं की प्रेरणा से त्याग की भावना उत्पन्न करना है बलात् सम्पत्ति छीनना नहीं। शुक्र ने अति उपभोगवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो मनुष्य उपभोग के सम्बन्ध में ज्यादा आशा लगाये रहते हैं उनके लिए ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण वस्तुएँ भी उपलब्ध करा दी जाए तो भी पूर्ण नहीं हो सकती। 'गारद भी अति उपभोग को द्रव्य का अयहरण करना अर्थात् स्तेय मानते हैं।

(ब) सह-उपभोग की अवधारणा—प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अपने नैतिक उपदेशों के आधार पर लोगों ने परस्पर वस्तुओं को बांटकर उपभोग करने तथा समानता व कल्याण का भाव उत्पन्न किया है। यह धारणा कूट-कूट कर भरी हुई है कि मनुष्य को स्वयं अपने-आपके लिए वस्तुओं का उपभोग नहीं करना चाहिए बल्कि समाज के अन्य लोगों में बांट कर उपभोग करना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि ऐश्वर्य वैभव या सम्पत्ति परमात्मा की देन है अतः इसे बांटकर उपभोग करो जो सम्पत्ति का अकेला उपभोग करता है वह पापी है। जब विपत्ति में पड़ता है तो उसका कोई साथी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति उसके सुख-दुख में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। ऋग्वेद में मनुष्यों को ही नहीं वरन् देवताओं को भी धन को विभिन्न लोगों में बांटकर उपभोग करने का संदेश है।

पृथ्वी पर जो कुछ वस्तु है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है अर्थात् इसमें जैसा मुझे अधिकार है वैसा ही दूसरों का भी है। धन को बांटकर उपभोग करना धर्मों के साधारण धर्मों में से एक है। प्राप्त हुए उत्तम भक्ष्य भोज्य पेय और अन्य वस्तुओं को दूसरों के देखते हुए जो पुरुष अकेला भोजन करता है उसे नृशस कहते हैं। उपार्जित धन का मात्र पचमाश (पाचवा हिस्ता) स्वउपयोगार्थ रखकर शेष (4/5) राशि स्वजन पुनर्जन यश व धर्मार्थ खर्च करने एवं ब्रह्म विप्र सेवार्थ व्यय करने के पश्चात् शेष धन धान्य अर्थात् यज्ञ शेष को ही अमृत मानकर उपभोग करने का आदेश भारतीय चिंतन का है। अधिकतम सतुष्टि के लिए परिश्रमपूर्वक पर्याप्त साधन (धन-धान्य) अर्जन का समर्थन किन्तु केवल स्वयं या स्व परिवार के लिए उसका प्रयोग-उपभोग का अथर्ववेद विरोध करता है।

शतहस्त सगाहर राहस्त्रहस्त स किर।

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति सभावह।। अथर्ववेद 3/24/5

अर्थात्— हे मनुष्य ! तू सो हाथों से धन प्राप्त (कमाई) कर और हजार हाथोंवाला बनकर उस धन को दान कर। इस उदार भावना से ही मनुष्य की अधिक से अधिक आर्थिक उन्नति हो सकती है। साथ ही हर एक मनुष्य अपने कार्यक्षेत्र की वृद्धि करे जिससे सबकी उन्नति होगी और सम्पूर्ण राष्ट्र का सुख बढ़ सकता है। शतपथ ब्रह्मण कहता है कि असुर प्रवृत्ति के लोग स्वयं उपभोग करते हैं या स्वार्थवश अपना ही कार्य करते हैं जबकि देव प्रवृत्ति के लोग उपभोग बांटकर करते हैं तथा कार्य सामुहिक हित में करते हैं। प्रजापति दक्ष के अनुसार जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। अन्य लोग जो केवल अपना ही पेट भरते हैं वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। कूर्मपुराण भी कहता है कि जो व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग अकेला या स्वयं की सतुष्टि के लिए करता है वह निरर्थक जीवन व्यतीत करता है। मनु, विश्व, धर्मसूत्र याज्ञवल्क्य आपधर्म सूत्र बोधायन धर्म सूत्र के मत में गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर ही स्वयं खाए। गृहस्थ को

अतिथियो व नौकरों के भोजन में कटौती नहीं करनी चाहिए। गीता में शिक्षा दी गई है कि जो व्यक्ति दूसरों को दिए बिना अकेला उपभोग करता है वह पाप को खाता है अर्थात् पापी होता है। महात्मा विदुर भी इसी नीति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बाटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और यस्त्र पहनता है उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। स्वयं अकेला भोजन नहीं करना चाहिए। यदि धनी होकर भी जो दान नहीं करता उसके गले में पत्थर बांधकर नदी में डुबो देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने आश्रितों को बाट कर थोड़ा भोजन करता है बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मागने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है उस मनस्वी पुरुष के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। शुक्र ने भी अकेले उपभोग का निषेध किया है।

नैक सुखी न सर्वत्र विरत्रभ्यो न च शकित ॥शु नी 3/13

शुक्र स्वयं के परिवार के अलावा असहाय असमर्थ को भी पालना का उपदेश देता है। उन्होंने कीड़े चींटियों तक के दुःख सुख को अपने भाति ही समझने का उपदेश दिया है तथा अकेले उपभोग नहीं करना चाहिए। कौटिल्य तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने उन लोगों पर 12 पणों के दण्ड का प्रावधान किया है जो बच्चों पत्नी माता-पिता छोटे भाइयों बहिनों कुवारी कन्याओं विधवाओं पुत्रियों का भरण-पोषण नहीं करता। बृहस्पति भी खाद्य सामग्री को अपने बंधुओं में बाट कर उपयोग करने का मत प्रकट करते हैं।

(स) समान उपभोग की अवधारणा— प्राचीन भारतीय चिन्तन में सममित उपभोग एवं सह-उपभोग की अवधारणा का विवेचन ही नहीं किया गया है अपितु समान उपभोग का भी पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। अथर्ववेद में समान उपभोग का निर्देश देते हुए कहा गया है हे पुरुषो ! तुम समान मन वाले समान कार्य वाले रहकर छोट-बड़ों का ध्यान रखते हुए परस्पर सुन्दर वचन कहते जाओ। हे मनुष्यों मैं तुम्हें समान कार्यों में प्रवृत्त करता हूँ। समानता के इच्छुको ! तुम्हारा अन्न पानी का उपभोग एक सा हो। मैं तुम्हें समान मन बनाकर एक से कार्य में प्रवृत्त करता हूँ। सभी को अन्न धन और उन्नत संरक्षण मिले जिससे सबकी उन्नति हो। समान उपभोग की धारणा का समर्थन करते हुए गाँधीजी कहते हैं प्रत्येक को सतुलित भोजन रहने के लिए साफ सुथरा मकान बच्चों की शिक्षा की सुविधा और दवा-दारु की पर्याप्त मदद मिलनी चाहिए। यह है मेरी आर्थिक समानता की तस्वीर। आर्थिक समानता का अर्थ हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रत्येक के पास एक समान धन रहेगा। इसका अर्थ यह जरूर है कि प्रत्येक के पास रहने के लिए मकान पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र और भोजन के लिए पर्याप्त अन्न होगा। धर्मयुक्त धन प्राप्त करके हम सभी सगठित होकर आनंद का उपभोग करें। दैय्यक्तिक उन्नति के स्थान पर सामुदायिक उन्नति के उद्देश्य की प्राप्ति में सलग्न व्यक्ति को अम्युदय तथा निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। (ऋग 5/20/4 5/44/12)

महाभारत में समान उपभोग का समर्थन करते हुए कहा गया है कि तुम हमारे समान होकर रहो। हम लोग तुम्हें भक्ष्य वस्तु देगे जो हम लोगों का भोजन है वही तुम्हारा भक्ष्य होवे। दानादि से प्राप्त धन को स्वजनोसहित समभाव से भोग किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण जगत के उपभोग योग्य वृष्टि जल की धारा से सभी तृण लता और घान्यादि औषधियों वनस्पतियों आदि को संचित करने का निर्देश है। सभी लोग भोजन पर निर्भर रहते हैं। भोजन जीवन (प्राण) है। अतः सभी को भोजन देना चाहिए क्योंकि यह सर्वोत्तम है। बिना अन्य व्यक्ति को खिलाए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए।

अय निज परोवेति गणना लघुवेतसाम्।

उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

अर्थात्—यह मेरा है यह पराण है ऐसे विचार कुछ या निम्न कोटि के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति समस्त ससाइ ^{कुतुम्ब} ही ^{कुटुम्ब} मानते हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मन विश्व बंधुत्व की शिक्षा देता है। भारतीय-भारतमय में सदा सब के कल्याण की कामना की गई है। इसे ही सर्वभौम मानव धर्म माना गया है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरिन्ध्याः
सर्वे गद्रामणि पश्यन्तु सर्वे कश्चिद् दुःखमाग्नवेत्॥

मार्कण्डेय पुराण में महर्षि मार्कण्डेय सभी प्राणियों के कल्याण मंगल की प्रार्थना करते हैं। समस्त प्राणी प्रसन्न रहे। किसी भी प्राणी को कोई व्याधि या मानसिक व्यथा न हो। सभी कर्मों से सिद्धि हो। सभी प्राणियों को अपना सब अपने पुत्रों के हित के समान बताव करे।

दान एवं दक्षिणा की अवधारणा

संयमित मर्यादित आवश्यकतानुसार तथा सह उपभोग के अगोच अस्त्र या उपकरण दान एवं यज्ञ की अवधारणा है। वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थाश्रम ही सभी लोगों का जीविकोपार्जन करता है। जैसे माँ का आश्रय लेकर सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम का आश्रय लेकर अन्य आश्रयवासी जीवित रहते हैं। जैसे नदी समुद्र में जाकर वास करती है वैसे ही सब आश्रमों के लोग गृहस्थ के अवलम्ब से निवास करते हैं। गृहस्थाश्रम ही सब आश्रमों का मूल है। मनु ने कलियुग में जीवन का प्रमुख रूप दान को कहा है तथा गृहस्थ सभी आश्रमों के लोगों का पालन करता है।

दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान लेने की स्वीकृति मानसिक या याचिक या शारीरिक रूप से हो सकती है। दान की महत्ता बताते हुए अपरार्क ने कहा है कि 'दो प्रकार के व्यक्तियों के गले में शिला बांधकर डुबो देना चाहिए अदानी धनवान् एवं अतपस्वी दरिद्र। तुलसीदासजी ने कलियुग में दान को मुख्यधर्म एवं महान कल्याणकारी बताते हुए कहा है—

प्रगट चारि धर्म के कालि गर्हुँ एक प्रधान।

जेन केन विधि दीन्हे दान करई कल्याण॥

व्यासजी कहते हैं कि जो विशिष्ट सत्पात्रों को कुछ दान देता है उसी को मैं उस व्यक्ति का वास्तविक धन या सम्पत्ति मानता हूँ, अन्यथा शेष सम्पत्ति तो किसी अन्य की है। दिना दान के पशु के समान जीवन होता है। शूरवीर व्यक्ति तो सौ में से खोजने पर एक प्राप्त हो जाता है हजार में ढूँढने पर एक विद्वान् व्यक्ति मिल जाता है उसी प्रकार एक लाख में सभी पर नियंत्रण करने वाला बक्ता भी मिल जाता है किन्तु असली दाता खोजने पर मिल जाय यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। दान धन की सुरक्षा का एक अप्रत्यक्ष साधन है। धन दान से जितना सुरक्षित रहता है उतना सग्रह से नहीं।

अतिदान का निषेध— परतु भारतीय साहित्य अतिदान को ठीक नहीं मानता। दान देना चाहिए ओर अवश्य देना चाहिए किन्तु दयालुता अपने घर के विषय में भी होनी चाहिए अर्थात् स्वयं या उनके आश्रित भूखे मरे और अन्य लोगों को सम्पूर्ण सामग्री का दान करदे। अग्निपुराण आपर्गारसूत्र, बौधायन धर्म सूत्र अपने आश्रितों नौकरों दासों की धिता न करके अतिथियों एव अन्य को भोजन बाट देना अनुचित मानते हैं। बृहस्पति एव मनु ने भी अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण की परवाह न करके दिये जाने वाले दान की भूर्त्सना की है। भागवत पुराण भी ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करता जिससे वृत्ति में अवरोध हो क्योंकि लोक में दान यज्ञ एव कर्म वृत्ति की सहायता से ही किये जा सकते हैं। शुक्र ने कहा है कि ससार मे अतिदान तपस्या तथा सत्य का सम्बन्ध ये तीनों दरिद्रता उत्पन्न करने वाले होते हैं अर्थात् अतिदान से दरिद्र हो जाना जगप्रसिद्ध है। जो धन किसी को दान नहीं दिया जाए। इस ससार में परिग्रह का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि परिग्रहयुक्त पुरुष ही दोषवान हुआ करता है जैसे रेशम का कीड़ा निज परिग्रह निबन्धन से बद्ध होता है।

यज्ञ एव दक्षिणा— भारतीय त्यागमयता का सर्वोपरि विधायक है— यज्ञ। जिसका प्रारंभ ही 'इदन्नमम' की भावना से होता है। यज्ञ का मूल त्याग है। अतः यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म तथा कृपणता को पाप कहा गया है। अन्न से प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं। वृष्टि से अन्न होता है। यज्ञ से वृष्टि होती है।

दक्षिणा श्रम प्राप्त धन का द्योतक है। वस्तुतः दाहिने हाथ अर्थात् परिश्रम द्वारा उपार्जित को विसर्जित करना ही दक्षिणा का अभिप्राय है। दान-दक्षिणा व्यक्ति को परिश्रम की ओर प्रवृत्ति करती है। इसीलिए कहा गया है कि वित्त की उत्पत्ति यज्ञ के लिए है। अतः इसे धर्म में लगाना चाहिए। यज्ञ की सफलता उराकी समृद्धि और प्रभाव हेतु दक्षिणा देना आवश्यक है। यज्ञ धन का त्यागपूर्ण वितरण तथा अर्थव्यवस्था में समग्र माग को बढ़ाने का प्रमुख साधन है। यज्ञ धन को सामूहिक हितकारी और उद्देश्यपूर्ण बनाकर अर्थ-कोटि में लाता है।

उपभोग के नियम

व्यक्ति को अपने निर्वाह के लिए कितने प्रकार का अन्न संग्रह करना चाहिए। किस प्रकार से उसका उपभोग हो आदि के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अनेक नियम बर्नाये गये थे। महाभारत (शांति पर्व 9/56-58) में उपभोग के नियमों की निम्न रूप में व्याख्या की गई है—

भाति—भाति की दु श्येष्टा अपने सेवकों की जीविका का विचार, सबके प्रति सशक रहना प्रमाद का परित्याग करना प्राप्त हुई वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ी हुई वस्तुओं का सुपात्रों को विधिपूर्वक दान देना यह धन का पहला उपयोग है। कर्म के लिए धन का त्याग उसका दूसरा उपयोग है। कामोपयोग के लिए उसका व्यय करना तीसरा और सकट निवारण के लिए खर्च करना उसका चोथा उपयोग है।

इन चार प्रकार के उपभोगों का आधार पर ही व्यक्तिगत तथा सामुहिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता था। इन चारों कार्यों के अलावा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य मदों पर भी धन का उपभोग किया जाता था। प्राचीन चितको ने अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध साधनों द्वारा करने के नियम प्रतिपादित किए थे। स्व-अर्जित धन से ही उपभोग को भारतीय चिंतन उचित ठहराता है। आचार्य शुक्र ने परिवार के पालन-पोषण को आवश्यक बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य कुटुम्ब पालन के विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता वह सर्वगुण सम्पन्न होते हुए भी जीवित रहकर मरे हुए के समान है अर्थात् उसका जीवन व्यर्थ है। केवल ग्रहस्थाश्रम के काल में ही धन सम्पत्ति उपार्जित करने का नियम है ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम में व्यक्तियों की जीविका उपार्जन और संग्रह का जीवन बंद हो जाता है। आश्रम मर्यादा में पिछली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कमाने की जगहों को खाली करती जायेगी इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। कोई व्यक्ति मूखा और निकम्मा नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों में प्रत्येक व्यक्ति की पालना समाज करेगा।

उपभोग मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था के अनुसार चार वर्णों एवं चारों आश्रमों पर निर्भर करता था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों को पृथक-पृथक ढंग से धन का उपभोग करने का आदेश दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी तथा सन्यासी के लिए यह नियम बनाये गये थे कि वे शास्त्र के नियमों के अनुसार महान धन वाला होने के बाद भी धन का उपभोग पालन-पोषण के योग्य व्यक्तियों में किया जाना चाहिए। शुक्र ने अधिक व्यय करने वाले को राज्य से बाहर निकालने का निर्देश देते हैं। कौटिल्य ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा धन का अनुचित व्यय करने वाले व्यक्ति को रोकने का दायित्व राज्य पर डालते हैं।

उपभोग की आचार संहिता

(1) न्यायोचित साधनों से प्राप्त धन से ही उपभोग— वैदिक समाज

शास्त्रियों का मत है कि समस्त शुचिताओ में अर्थ की शुचिता प्रमुख है। कृषि-वाणिज्य आदि का मूल उद्देश्य मानव के अभावों को दूर करके उन्हें सुखी बनाने में दिखाई देता है। पर अन्याय से उपार्जित धन द्वारा उपभोग व्यर्थ है। उपार्जित धन के दशमांश का दान करने का विधान सामान्य कोटि के लोगों के लिए है। वैभवशाली धनी और उदारवेत्ता लोगों को अपने उपार्जित धन को पाँच भागों में विभक्त करना चाहिए। (i) धर्म (ii) यश (iii) अर्थ (व्यापार आदि आजीविका) (iv) काम/जीवन के उपयोगी भोग (v) स्वजन (परिवार के लिए) अशुद्ध धन से प्राप्त परमार्थ विरोधी होने के कारण त्याज्य है।

एक धनवान व्यक्ति पर पाच तरह से आक्रमण होता है—राजा चोर सम्बन्धी अन्य दूर के रिश्तेदार व पशु तथा स्वयं का व्यय। अतः व्यक्ति को उचित तरीके से कमाए हुए धन से ही नीतिपूर्वक उपभोग करना चाहिए।

(ii) अकेले सुख उपभोग का निषेध—शुक्र के अनुसार व्यक्ति को अकेले सुखों का उपभोग नहीं करना चाहिए। जीविका से रहित तथा शोक से पीड़ित लोगों की यथाशीघ्र सहायता करनी चाहिए। यहाँ तक कीड़े व चींटियों तक के दुःख दर्द को भी अपना ही समझना चाहिए। देवता पितृगण तथा अतिथियों को खिलाए बिना कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अकेला खाद्य सामग्री का उपभोग करता है उसका जीवन निष्फल है। जो देवता आदि को अन्न न देकर केवल अपने लिए ही भोजन पकाता है वह पाप को भोगता है। अतः यज्ञ से बचा हुआ अन्न ही सज्जनों का अन्न कहा गया है। मनु भी अधिक भोजन को स्वास्थ्य आयु, स्वर्ग एवं पुण्य के लिए अहितकर मानते हैं।

(iii) समयित उपभोग स्वास्थ्यवर्धक—चाणक्य कहते हैं। कि समयित उपभोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मनुष्यों का अधिकार उतने पर है जिससे उसकी भूख मिट जाए। अपनी आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है तथा दण्ड का भागी होता है। अतः धन को बाटकर ही उपभोग करना चाहिए।

(iv) उपभोग में नैतिकता—मनु वस्तुओं के उपभोग में नैतिकता को प्रमुख स्थान देते हैं। वस्तुओं को चुराकर उपभोग करने वाले पर उन्होंने दण्ड का प्रावधान किया है। शुक्र जुआ मद्य आदि व्यसना के उपभोग को उचित नहीं मानते। मनु के अनुसार जीविका (भोजन वस्त्र आदि) का प्रबंध करके पति को परदेश जाना चाहिए। यदि पति भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध किये बिना ही परदेश चला जाए तो स्त्री को सूत कातकर सिलाई पिरोना आदि कार्यों से अपनी जीविकोपार्जन करना चाहिए।

(v) अति उपभोग का निषेध—शुक्र अति उपभोगवाद पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि जो मनुष्य उपभोग के सम्बन्ध में ज्यादा आशा लगाये रहते हैं उनके लिए ब्रह्माण्ड के अंदर उपलब्ध वस्तुएँ भी उनकी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। अतः समयित उपभोग ही सर्वोपरि है। परन्तु साथ ही उन्होंने भिक्षावृत्ति को अत्यंत ही अदम्य आजीविका कहा है। चाणक्य दरिद्रता को जीवित अवस्था में ही मृत्यु के समान

मानते हैं। ऋग्वेद में ऋषि प्रार्थना करता है कि हमारे दरिद्र्य दूर हो और हम अत्यन्त धन प्राप्त करें।

(vi) कर्जाधारित उपभोग वृत्ति का निषेध— प्राचीन भारतीय चिंतन में स्वोपार्जित तथा स्व-स्वामित्व धन से ही विधिपूर्वक औषधिवत् व्यय करने का निर्देश दिया गया है। ऋण लेकर उपभोग करने को उचित नहीं माना है। ऋग्वेद में ऋषि कहता है—

माहं मघोनो वरुण प्रियस्यं मूरिदान् आविदं शूनमापेः।

मा रायो राजन् त्सुपमादवस्थां वृहद वदेम विदर्थं सुवीरा ॥

ऋग्.2/27/17

अर्थात्—हे वरुण ! मुझे किसी ऐश्वर्यवान् व्यक्ति के समक्ष अपनी दरिद्रगाथा न कहनी पड़े। मुझे आवश्यक धन की कमी कभी न खटके। दरिद्रता हमारे पास से भागे। हम ऋणरहित ऊषाओं में जीवित रहे और हम अन्नप्राप्ति सुख पावे। उधार लिया हुआ ऋण नहीं लौटाने पर मनुष्य को पापी कहा गया है। इहलोक व परलोक में कभी भी ऋणी न रहे। तीसरे लोक में भी हम उऋण होकर ही रहे। ऋण लेकर उपभोग को अनुचित माना गया है। शुक्र ने दरिद्रता तथा नित्य ऋण लेकर उपभोग को सुखदायक नहीं मानकर दुःखदायी माना है।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऋण नहीं लिया जाता था। तत्कालीन समय में भी विपत्ति के समय उपभोग ऋण (खाद्यान्नों के उपभोग हेतु) लिया जाता था पर उससे जल्दी ही उऋण होने की इच्छा की गई है। ऋणी द्वारा ऋण लेने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र-पौत्रादि को चुकाने का निर्देश था। मनुष्य धर्माधारित मार्ग से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ हो।

उपभोग की दीर्घकालीन प्रवृत्ति

भारतीय चिंतन दीर्घकाल तक धन सम्पन्न होकर विभिन्न भोगों को भोगते रहने का समर्थन करता है। वेदों में देवताओं से प्रार्थना की गई है कि हमें सुन्दर गृह और सत्तान से युक्त रखो तथा जीवन भर भोगों को भोगते रहे। मनुष्य सौ वर्ष तक जीवित रहकर पुत्र-पुत्रादि वाला तथा धन से युक्त होकर सौ वर्षों तक पुष्ट एवं सम्पन्न रहे। हमें सहस्रों दुग्ध की धारों वाली गाएँ और धन ऐश्वर्य प्राप्त हो और उनका उपभोग करें। सौ वर्ष तक जीवित रहकर उपभोग करने के लिए निरोग रहे। बहुत सा धन और मधुर पदार्थों से सम्पन्न होवे तथा भूख व प्यास की व्याकुलता प्राप्त न हो। हमारे घरों में भेड़, बकरी, गौ, अन्नादि सभी उपभोग्य वस्तुएँ उपलब्ध हो और उनका उपभोग कर सौ वर्षों तक जीवित रहे।

हम अपने पुत्रों को सौ वर्ष तक पालने वाले हो। देवताओं की रक्षा से हम धन को प्राप्त कर उसका उपभोग करें वह धन प्रचुर परिमाण में संचित हो। यजुर्वेद

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं पर धन व्यय करने के बाद पुनः धन प्राप्त करने एवं पूर्व सम्पादित धन को पुनः सम्पादित करने की कामना की गई है ताकि उपभोग की क्रिया दीर्घकाल तक निरन्तर चलती रहे। सौ वर्ष तक सुखकारी अन्न से मनुष्य की आवश्यकताएँ सतुष्ट हो और बुढ़ापा मनुष्य से दूर रहे। पृथ्वी आकाश से प्राप्त असंख्य धन एवं ऐश्वर्य से पूर्ण हो। अभीष्ट धन प्राप्त कर हम सतुष्ट हो। धन प्राप्त कर दरिद्रता को पलट दिया जाता है। बढ़न योग्य धन में से दीर्घायु प्राप्त करे।

अथर्ववेद में बहुत से धन और मधुर पदार्थों से घरों को परिपूर्ण होने की कामना की गई है। घरों में रहने वाले मनुष्य धनादि से सम्पन्न रहे। घरों में भेड़-बकरी गौ अन्नादि सभी उपभोग्य वस्तुएँ उपहृत हो। हमारे गृह सुन्दर अन्न धन से सम्पन्न होंगे। गृहों में निवास करने वाले भूखे प्यासे न रहे। कल्याण करने वाले धन को देश-देशान्तर से कमा कर उस धन का उपभोग कर अधिक तेजस्वी होंगे। यजुर्वेद सम्पूर्ण जगत के उपभोग योग्य वस्तुओं से सुख का उपभोग करने की कामना करता है।

प्राप्त होने योग्य वस्तुओं की इच्छा करनी चाहिए अप्राप्त अर्थ की कभी अमिलाषा नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में प्राप्त विषयों का उपभोग करना चाहिए; अनागत विषयों के लिए शोक नहीं करना चाहिए।

उपभोग की नास्तिक अवधारणा

वेदों के प्रति श्रद्धा की कसौटी को लेकर भारतीय दर्शन की शाखाओं को आस्तिक तथा नास्तिक दो वर्गों में बाटा गया। भारतीय दर्शनो की नास्तिक वर्ग की शाखाओं में चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शनो की गिनती होती है। हम यहाँ पर उपभोग के सम्बन्ध में प्राचीन वाडमय में सयमित मर्यादित एवं सह-उपयोग के आधार पर चार्वाक दर्शन को ही नास्तिक वर्ग में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि चार्वाक दर्शन सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। खान पान पर जोर देने के कारण इस मत का नाम 'चार्वाक' पड़ा। इसे 'लोकायत मत' भी कहा गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में जडवादी को 'चार्वाक' कहा गया है। इस मत के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। सुखोपयोग ही मानव-सत्ता का एकमात्र श्रेय है। मानव जड की एक उत्पत्ति मात्र है। कोई स्वर्ग नहीं है कोई अंतिम मोक्ष नहीं है कोई परलोक नहीं है। अग्निहोत्र तीनों वेद तपस्वी की तीन अवस्थाएँ और अपने शरीर के राख लपेटना प्रकृति के उन लोगो की जीविका हेतु बनाये थे जिनमें ज्ञान और पैरुय नहीं है। यदि हमारे यहाँ श्राद्ध करने से स्वर्ग के जीवो को तृप्ति मिलती है तब उनको मकान के नीचे ही भोजन क्यों नहीं देते हैं जो कि मकान की छत पर खड़े हैं? चार्वाक दर्शन सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है। परलोक की आशा में इस जीवन के सुख को नहीं दुकराना चाहिए। कल मोर मिलेगा इस आशा से कोई हाथ में आये कबूतर को नहीं छोडता (वरमद्यकपोत नश्वो मयुर)। जिस सोने के मिलने में सदेह हो उससे कोडी ही अधिक मूल्यवान है। हाथ में आये धन को दूसरा के लिए

छोड़ देना मूर्खता है। अतः अधिकतम सुख ही परम श्रेय है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अनाज को इस कारण नहीं छोड़ सकता कि उसमें भूसा मिला है। काटो के होने से मछली का खाना नहीं छोड़ा जा सकता।

परलोक की आशा में इस जीवन के सुख को दुकराना नहीं चाहिए। चार्वाक दर्शन के अनुसार—

यावञ्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा दृष्टमपि वेत्।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतम्॥

अर्थात्— जब तक जीवन चलता है तब तक मनुष्य को सुख से रहना चाहिए ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए जब शरीर एक बार राख बन जाता है तो वह फिर यहाँ कैसे लौट सकता है ?

प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है (प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्)। ईश्वर आत्मा स्वर्ग परलोक जीवन की नित्यता आदि तत्त्व दिखाई नहीं पड़ते इसलिए चावाक इनको नहीं मानते हैं। चार्वाक चारों पुरुषार्थों में से मोक्ष व धर्म को स्वीकार नहीं करते तथा अर्थ को काम का साधन मानते हैं। अतः अर्थ का उपार्जन आवश्यक है। परन्तु चार्वाक मत को भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। हमारी संस्कृति भोगवादी न होकर त्यागमयी है। सुख ही जीवन का एकमात्र एवं सर्वोच्च लक्ष्य होगा। वेद धूर्त पुजारियों की रचना नहीं बल्कि उन महर्षियों के द्वारा रचे गये हैं जिनमें किसी तरह का स्वार्थ धोखेबाजी जीविकोपार्जन की इच्छा झूठ बोलने की आदत अथवा सांसारिक सुखभोग के आकर्षण की प्रवृत्तियों बिल्कुल नहीं थी तथा वे त्यागी बुद्धिमान एवं महान् थे। अतः चार्वाक दर्शन एकांगी एवं पक्षपातपूर्ण है।

सुखवाद के प्रश्न पर भी चार्वाकों में दो मत थे। धूर्त चार्वाक स्थूल-स्वार्थ सुखवाद का समर्थन करते हैं। परन्तु वात्सायन जैसे सुशिक्षित चार्वाकों ने परिष्कृत एवं सुसंस्कृत सुखवाद की स्थापना की है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन ईश्वर तथा परलोक को भी मानते थे लेकिन पुरुषार्थ चतुष्टय में काम को सर्वोच्च मानते थे। काम का मूल पाँचों इन्द्रियों को तृप्त करना है। वात्सायन ने ब्रह्मर्ष्य धर्म तथा नागरिक वृत्ति को भी महत्त्व दिया है। ब्रह्मर्ष्य एवं वेदाध्ययन के बाद ही चौंसठ कलाओं (जीविकोपार्जन की क्रियाओं) पर अधिकार किया जा सकता है।

कृपणता एवं उपभोग

प्राचीन भारतीय चित्रण में सम्यक्त उपभोग पर बल दिया है परन्तु कृपणता (कजूती) का विरोध किया है। न्यायोचित तरीके से धन प्राप्त कर उस धन को यज्ञादि कर्मों में धन का दान काम भोग हेतु उसका व्यय तथा विपदा उपस्थित होने पर धन दान करने की विधि ब्रह्माजी द्वारा रचित शास्त्र में वर्णित है। सौ हाथों से अर्जन एवं हजार हाथों से वितरण भारतीय दर्शन का आधार है।

कृपणता मनुष्य को नगा कर देती है। कजूस के हाथ में पहुँचे धन का मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। संचित किया हुआ तथा बार-बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कृपण का धन चूहे द्वारा एकत्रित किए गये धन के तुल्य है। ऐसा धन दुःख देने के लिए ही होता है उपार्जनकता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। कजूस प्रवृत्ति (लोभ की वृत्ति) को त्याग कर ही उपभोग करना चाहिए। क्योंकि जो भी मनुष्य के साथ पशु तुल्य व्यवहार किया जाता है। लोभीजना को तिरस्कृत कर पापा को दूर किया जाए। लोग तुम्हें कृपण नहीं कहे। समाज में कोई भी हमें कृपण न कहे। महाभारत अदाता या कृपण को समाज का शत्रु मानता है तथा कृपणों का गले में पत्थर बांधकर जल में डुबोने तक का निर्देश दिया गया है। प्रातःकालीन स्वपन्न और सम्पदा का उन्ह भाग न करने वाला धनिक (कजूस) दाना ही उपक्षा के पात्र है तथा शीघ्र नष्ट हो जात है। इन्द्र अदानशील कजूस व्यक्ति का मनुष्य के पाप से सूखे पत्त के समान नष्ट कर देता है तथा लालची व कजूस व्यवस्था के धन को छीन कर कर्मशील उपासकों (अर्थात् जो धन को सत्कार्यों में व्यय करते हैं) में बाँटते हैं। महाभारत राजा को प्रकाश देती है कृपणों के धन को हरण करने का निर्देश देता है। कजूसी तथा अदानशीलता का अनवरत पुरजोर शब्दा में विरोध भारतीय दर्शन में इसलिए किया गया है कि कृपणता समाज में प्रभावी मांग (Aggregate/Effective Demand) को कम करती है तथा बेरोजगारी को बढ़ावा देती है अन्धायपूर्ण वितरण का पापक है तथा समाज में न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य को नष्ट करती है। अतः समाज के सुसंवर्धन एवं समानता के लिए दानशीलता की प्रवृत्ति परमावश्यक है। शुक के अनुसार हृदय के अन्दर उदारता रखकर तथा ऊपर से कजूसी रखकर समय आने पर मनुष्य का उचित व्यय करना चाहिए।

खाद्यान्नों का संग्रहण बनाम उपभोग

प्राचीन भारत में लोग सम्पत्ति खाद्यान्नों आदि के संग्रह के पक्ष में नहीं थे। वे सोचते थे कि सम्पत्ति व खाद्यान्नों का संग्रह अनेक परेशानियाँ को आमंत्रित करता है।

अर्थनामार्जने दुःखमर्जिताना च रक्षणे।

नाशे दुःख व्यये दुःख विगर्थाः कष्टसम्रथान् ॥१२॥

चाणक्य कहते हैं कि खाद्यान्न महत्त्वपूर्ण धन है। अर्थ का तात्पर्य धन से ही नहीं है अपितु वह खाद्यान्नों को भी अर्थ में शामिल करते हैं।

(क) न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक संग्रहण अनुचित—खाद्यान्नों का संग्रह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए तथा संग्रहण एक न्यूनतम अवधि के लिए ही होना चाहिए। यदि अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह हो भी जाए तो अतिरिक्त खाद्यान्नों को जरूरतमद लोगों को दान (वितरण) कर देना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद् धन खाद्यान्न आदि के संग्रहण का निषेध करता है। क्योंकि खाद्यान्नों के संग्रहण बढ़ाने से सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जायगी। संग्रहण

कभी भी सलाह योग्य नहीं है। समुद्र में सग्रहित पानी पीने योग्य नहीं होता जबकि समुद्र में बादलों से स्वच्छ पानी बरसता है। अतः जो व्यक्ति सम्पत्ति खाद्यान्नों के सग्रह में लगे रहते हैं वे कभी भी समाज में सम्मानीय स्थान नहीं पाते हैं। ईश्वर सभी व्यक्तियों को दिन में सुबह तथा शाम का भोजन देता है तो किसी को अपने लिए तथा अपने सम्बन्धियों के लिए खाद्यान्न का सग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे मेहनत से कमाया जाए या गलत कार्यों से कमाया जाए सभी प्रकार से प्राप्त धन व खाद्यान्नों का सग्रहण अनेक समस्याओं को जन्म देता है। क्योंकि सग्रहण पर राजा सम्बन्धियों तथा चोरो की निगाह रहती है।

महाभारत गृहस्थ के लिए चार प्रकार की वृत्ति का विधान करता है। पहले में कोठे भर धान्य का सग्रह करके रखे और जीविका का निर्वाह करे। दूसरा कुम्भधान्य अर्थात् घड परिमित धान्य संचय करके वृत्ति स्थापित करे। तीसरा दूसरे दिन के लिए संचय न करे यह तीसरी वृत्ति है चौथा इच्छवृत्ति अवलम्बन करके जीविका निर्वाह करे।

(ख) राज्य द्वारा लोक कल्याण हेतु सग्रह उचित है—लोगों के कल्याण के लिए खाद्य-सग्रह उचित है। लाभ कमाने एवं अति-उपभोग के लिए खाद्य सग्रह अनुचित है। खाने तथा राज्य के लोगों के संरक्षण के लिए खाद्यान्नों सम्पत्ति आदि का सग्रह आवश्यक है। राज्य का जीवन उसके खाद्यान्न सग्रह सम्पत्ति सग्रह आदि पर निर्भर करती है। सम्पत्ति एक राजा का शरीर होता है। सेदको को खिलाने तथा अकाल सूखा बाढ़ आदि से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए खाद्यान्नों का सग्रह करना चाहिए। शुक्राचार्य अच्छी तरह पका हुआ सूखा हुआ खाद्यान्न को ऊचे मूल्यों पर भी राज्य द्वारा खाद्यान्न भण्डारण को उचित बताते हैं।

महाभारत में सब विषयों का सग्रह का अतः विनाश माना गया है। उन्नति का अतः पतन है संयोग का अतः वियोग है और जीवन का अवश्य मरना है। साधारण मनुष्य पृथक् से धन का सग्रह प्राप्त होने पर भी तृप्त नहीं होते वे और अधिक की आशा रखते मर जाते हैं और पंडित लोग सतोष को ही परम धर्म मानते हैं।

संदर्भ सूची

- 1 शर्मा महेशचन्द्र-दीनदयाल उपाध्याय कर्तृत्व एवं विचार (1994 वसुधा पब्लिकेशन्स प्रा लि नई दिल्ली पृ 420-425)
- 2 शुकनीति 2/344-345
- 3 दार्मिकी समायाण 2/100/43 महाभारत अनु पर्व 63/7 द्योग पर्व 34/14 शांति पर्व 36/25 32, शु नी 1/14 कौट अर्थ/प्रथमअधिकरण अङ्गरहवा अध्याय।
- 4 लोभ प्रवृत्तिरारम्भ मर्षणानशम स्पृहा।
एजस्येतानि जायते विवृद्धं भारतर्षभ ॥ गीता 14/12

- 5 ते नो रायो द्युभतो दाजयतो दातारो भूत नृवत पुरुक्षो दसस्पन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता अप्या मूलता च देवा ।। ऋग् 6/50/11
- 6 भागवत पुराण 7/14/8
- 7 मनु 5/106
- 8 शु नी 3/139 3/111 3/126
- 9 यजु 34/38

प्रश्न

- 1 प्राचीन भारतीय चिन्तन में 'समग्र सुख' किसे कहा गया है ?
- 2 धर्माधिष्ठित धर्म को स्पष्ट कीजिए।
- 3 प्राचीन भारतीय चिन्तन में वर्णित प्राथमिक आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए।
- 4 प्राचीन भारत में सुख की अवधारणा की व्याख्या करते हुए आवश्यकताओं का प्रादुर्भाव वर्गीकरण एवं निर्धारकों का विवेचन कीजिए।
- 5 प्राचीन भारतीय चिन्तन में वर्णित सममित उपभोग की अवधारणा पर प्रकाश डालिए।
- 6 समन्वित उपयोग तथा सह-उपभोग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
- 7 दान एवं दक्षिणा के अर्थशास्त्र को समझाइये।
- 8 प्राचीन भारतीय दर्शन में वर्णित उपभोग की आचार संहिता को स्पष्ट कीजिए।
- 9 प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अकेले उपभोग का निषेध क्यों किया है ? कारण बताइये।
- 10 भारतीय दर्शन में वर्णित उपभोग की नास्तिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
- 11 प्राचीन भारतीय साहित्य में खाद्यान्नों के संग्रहण के बारे में वर्णित विचारों को स्पष्ट कीजिए।



धन का अर्थ, महत्त्व एवं धनार्जन की आचार संहिता (Meaning, Importance of Wealth and code of conduct of Earning)

धन से आशय (Meaning of Wealth)

भारतीय सस्कृति में मानव जीवन के चार पुरुषार्थ माने गये हैं— धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष । अर्थ पुरुषार्थ का प्रयोग धन के रूप में ही किया गया है । धर्म अर्थ मानव जीवन की मूल आवश्यकता है । उसके बिना मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता । अर्थ धर्म की भक्ति मोक्ष मार्ग में सहायक होता है क्योंकि यह स्थूल शरीर की आवश्यकता है । अर्थ के बिना धर्म एवं काम लगडा है । अर्थ के बिना धर्म एवं काम सिद्ध नहीं होते । अर्थ की महत्ता पर मनु ने लिखा है कि सब पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता अति श्रेष्ठ होती है । मनु ने धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के क्रम में अर्थ की महत्ता के साथ-साथ अर्थ को धर्म से नियंत्रित करने पर ज़ार दिया है क्योंकि अर्थ की महत्ता तभी तक है जब तक कि वह अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता है ।

महाभारत के शांति पर्व में त्रिवर्ग (अर्थ धर्म एवं काम) के विचार पर प्रकाश डाला गया है । युधिष्ठिर द्वारा भीष्म से पूछने पर कि धर्म अर्थ एवं काम का निर्णय कैसे करना चाहिए इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है तथा ये किस उद्देश्य से किये जाते हैं भीष्म ने बहुत ही सार्थक जवाब दिया जिससे इनकी अवधारणा स्पष्ट होती है । भीष्म ने कहा कि संसार में जब मनुष्यों का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थ प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं उस समय उचित काल कारण तथा मिले हुए प्रकट होते हैं । इनमें धर्म अर्थ का कारण है और अर्थ काम का फल गहलाता है । परन्तु इन तीनों का मूल कारण है सकल्य । सकल्य विषय रूप है तथा सम्पूर्ण विषय इन्द्रिया के उपभोग के लिए है । यही अर्थ धर्म व काम का मूल है तथा इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है ।

धन की आधुनिक अवधारणा में चार विशेषताएँ प्रकट होती हैं—धन भौतिक है वह उपभोग्य है वह विनियोज्य है तथा वह हस्तांतरण करने योग्य है । धन या तो नैतिक वस्तु-समुच्चय है या भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व का अधिकार है । प्राचीन भारतीय चिंतन

मे धन की अपधारणा मे मौलिक विचार है उसका भौतिक गुण उसकी नियोज्यता उसका कमाये जाने का परिणाम स्वर्ण से उसका सूक्ष्म भेद उसकी उपभोग्य क्षमता तथा उसकी कमी के कारण उराके प्रति तीव्र आकर्षण।

महाभारत मे प्रथम द्रव्य अन्न कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार धन ही वस्तु है धन के अधीन धर्म एव काम है।

आचार्य शुक्र ने धन के लक्षणा की चर्चा करते हुए बताया है कि लोक व्यवहार के लिए ढाले गये चादी सोना एव ताम्बे के सिक्को का प्रजाओ से व्यवहार करना चाहिए। कोडी से लेकर रत्न पर्यन्त की सजा 'द्रव्य' है। पशु धान्य वस्त्र से लेकर तृण पर्यन्त की सजा धन है।

वेदो के महान भास्यकार यास्काचार्य मानते है कि धन वह है जो सबको सतुष्ट एव प्रसन्न करता है। यह समस्त पदार्थो के विनिमय का साधन है इसलिए अर्थ को 'वित्त' भी कहा गया है। अर्थात् दान एव भोग मे जिसका प्रयोग हो उसे वित्त कहा गया है। अतः अर्थ धन ओर द्रव्यो का पर्याय माना गया है। वेदो मे प्रयुक्त धन के 28 नामो का सकलन किया गया है—मघम रेवण रिक्थम वेद वरिव श्वात्रम रत्नम रयि क्षत्रम् भग मीलहुय गय मीलहुय गय द्युम्नम इन्द्रियम् वसु शय राध ज्रेजनम तना नृक्णम वन्धु मेधा यश ब्रह्म द्रविणम् अय वृत्रम् वृतम्। अर्थ के अन्य पर्याय और भी दिए गए है— इष्टका वेद भग वसु आदि। अर्थ के प्रयोग के आधार पर विविध नाम एव भेगद निम्न प्रकार है।

(i) रयी अथवा रयि (अचल सम्पत्त)— यह शब्द स्वर्ण तथा अन्य अचल धन सम्पत्ति का वाचक है। स्व-अर्जित धन ही वास्तविक धन तथा मुख-समृद्धि व कल्याण का निमित्त भी है। वेदो के अनुसार हम ऐसे ही शुद्ध धनो के स्वामी बने।

(ii) इष्टका (मूल पूँजी)— वाणिज्य-विनिमय की मूल-पूँजी का नाम इष्टका है।

(iii) धेनु- (पूँजी का प्रतिफल)—मूल पूँजी से द्रव्यो का क्रय-विक्रय करने के बाद जो राशि अर्जित हाती है वह धेनु की भाँति फलवती होती है।

(iv) ब्रह्म- यह धन से बढी हुई राशि है जो श्री सम्पन्न मानी गई है। उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने के कारण धन का ब्रह्म कहा गया है।

(v) क्षत्र- जिस धन को हम अपनी सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियो में अपने परिश्रम हतु प्रयोग मे लाते है वह क्षत्र सज्ञक है।

(vi) मेधा-बिना पूँजी के केवल अपने बुद्धि कौशल द्वारा उपार्जित राशि मेधा कहलाती है। इसे हम दलाली या कमीशन द्वारा प्राप्त धन कह सकते है।

(vii) द्रविण (खर्च योग्य आय)— उपार्जित आय मे से जो लाभाश हमारे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रहता है उसे द्रविण कहा गया है। यह हमे धन और बल प्रदान करता है।

(viii) राघ (बिचत)— द्रविण अर्थात् खर्च योग्य आय में से जो शेष भाग हमारी निधि को बढ़ाता है उसे 'राघ' की सजा दी गई है।

(ix) वसु (अचल सम्पत्त)— भू-सम्पत्ति एव भवन आदि अचल सम्पत्ति की सजा 'वसु' है। क्योंकि यह हमें पृथ्वी की तरह बसाती और प्रतिष्ठा प्रदान करती है।

(x) वृत्र— वह राशि जिसे हम किसी को देकर उसके वाणिज्य या स्वामित्व की सम्पत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं 'वृत्र' सजाक है। डॉ. पचोली के अनुसार जिस धन को पाकर व्यक्ति जब कर्तव्य विमूढ हो जाए तो ऐसे धन को 'वृत्र' (एक असुर नाम) कहना उचित है।

(xi) नीहार— भूल्य से क्रय योग्य वस्तु को 'नीहार' कहा गया है।

(xii) वित्तायिनी— ये वे पदार्थ हैं जिनसे वित्त प्राप्त होता है।

(xiii) वित्त— ब्रह्म राशि अर्थात् समस्त राशि में से जो भाग ऋण चुकाने के लिए नियत हो उसकी सजा 'वित्त' है। धन समस्त पदार्थों के विनिमय का साधन है इसलिए अर्थ को 'वित्त' भी कहा गया है। दान एव भोग में जिस धन का प्रयोग हो उसे 'वित्त' कहा गया है।

(xiv) भूति (भोग)— यह वह राशि है जिससे हम अपनी सुख-सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। अर्थ के 'रयि' और 'भग' दोनों रूप समाज के विकास में सर्वाधिक महत्त्व के प्रतीत होते हैं। रयि को दान में दिया जा सकता है। भग को बाटा जा सकता है। भग की महिमा अथर्ववेद में मिलती है।

भग प्रणेतर भग सत्यराघो भगेमा धियमुदवा ददनून ।

भग प्रणेजनय गोभिररवैर् भग प्र नृभिर नृवन्तः स्याम ॥ अथर्व३/१६/३

अर्थात् भग प्रणेता है सत्य-प्ररेक है भग बुद्धि एव रक्षा को प्रदान करता है। ऋ और अरवो द्वारा प्रकृष्ट भग हमारे लिए जन्मो। प्रकृष्ट भग (वह) नरो द्वारा नर-दान रो जाए।

(xv) रिक्थम्— धन को रिक्थम् इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पृथक करने वाला होता है।

(xvi) वृत्तम्— धन गुणों को प्रकाशित करे और अवगुणों पर आवरण डाल दे तब वह 'वृत्तम्' कहा गया है।

धन के 'वेद' और 'मेघ' पर्याय भी है। वेद का अर्थ ज्ञान और बुद्धि ये सबसे उत्कृष्ट धन है। ऋ जब रक्षक का काम करे तब यह 'अव' नाम को सार्थक करता है। यह सज्जनता का सकार करे और सज्जनों से मिलावे तब —'बधु' कहलाता है। वह यशोवृद्धि करे तो यह 'यश' है। इन्द्र द्वारा प्रदत्त अथवा इन्द्रियों के अनुकूल होने से यह 'इन्द्रियम्' है। फैलते रहने से धन 'तना' होता है। सुखकारी होने से 'भय' है। सूरप्रसिद्ध कोशकार अमरसिन्हा के अनुसार धन के निम्न आठ लक्षणों पर ध्यान दिया

जाना चाहिए। (i) द्रव्य या वस्तु (ii) वित्त या जो कमाया जाता है (iii) स्वापतेय या जो स्वयं की सम्पत्ति होता है (iv) हिरण्य या सोना या सग्रहित धन (v) अर्थ या सग्रह का फल (vi) श्री या लक्ष्मी या विभव या सम्पन्नता (vii) भोग्य या जो भोगने लायक है तथा (viii) व्यवहार्यम— जो हस्तान्तरणीय है इसलिए जो विवादों का विषय बनने लायक है। प्रो रंगारवागी आयगर ने धन के चार लक्षणों का उल्लेख किया है— (i) पदार्थ रूप (ii) उपभोग योग्य (iii) विनियोजन योग्य तथा (iv) हस्तांतरणीय।

अर्थ के स्रोत—भारतीय वाङ्मय में मनुष्य पशु एवं वासपतियों को अर्थ के स्रोत तथा कृषि भूमि वाणिज्य व्यवसाय व उद्योग को इन स्रोतों के उप-साधन कहा गया है। विश्व धरा कर्मभूमि है यहाँ सभी कार्य अर्थ-मूलक हैं। धर्म अर्थ के तत्त्वज्ञ अर्थशास्त्र व जानने वाले अर्जुन (तस्मिन्मर्थ शास्त्र विशारद पार्थो 161/9) का कहना है कि वृषि वाणिज्य पशुपालन तथा भाति—माति के शिल्पादि—ये सब अर्थधारा के स्रोत हैं।

धन—धान्य वस्त्र गृह एवं सम्पत्ति आदि पदार्थों की जननी पृथ्वी ही मुख्य अर्थ मानी गई है। अथर्ववेद के अनुसार यह विश्व का पालन करने वाली धनो की खान स्वयंको पतिष्ठा देने वाली स्वर्ण—वक्षरथला और जगत् को अपने ऊपर बसाने वाली है।

कवि पशुपालन के अलावा वाणिज्य को भी अर्थ प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। पचतत्र गिक्त्रोद में कहा गया है।

अर्थयोऽतिप्रवृद्धेभ्य आहतेभ्य इतस्तत् । प्रवर्तन्ते त्रिया सर्वा पर्वतेभ्य इवाऽपगा ।
वाणिज्यात्त्रिमपि परम वर्तनमिह ।

शुक्राचार्य ने किसी भी वृत्ति का सहारा लेकर धनार्जन करने की सलाह दी है। सुन्दर विद्या उपार्जन या सुन्दर सेवा शूरता कृषि करके या व्याज पर ऋण देकर दुकानदारी या संगीत कला के द्वारा धन लेकर या किसी भी वृत्ति का सहारा लेकर मनुष्य को धनदान बनना चाहिए।

धनार्जन का उद्देश्य एवं महत्ता

अर्थ मानव—जीवन की मूल आवश्यकता है। इसके बिना मानव शरीर ही जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य के समस्त सामाजिक—कर्तव्य और उसके दायित्वों का सम्पादन अर्थ से ही सम्भव है। अर्थ जीवन के पुरुषार्थों (धर्म अर्थ काम व मोक्ष) को प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। अर्थ में सभी गुण समाहित हैं। अर्थात् धनवान व्यक्ति में सभी गुण माने गये हैं। उसके अवगुण भी गुण माने जाते हैं। अर्थ को मित्रों को बाँधने वाला कहा गया है। जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं। धनहीन मनुष्य के वधु भी उसे छोड़ देते हैं। महाभारत (उद्योग पर्व 72/73) में धन की महत्ता के बारे में कहा गया है।

अर्थात् — अर्थ उच्चतम धर्म है। प्रत्येक वस्तु अर्थ पर निर्भर करती है। अर्थ सम्पन्न लोग सारी रच सकते हैं अर्थहीन (निर्धन) लोग मृत समान हैं। धन को काम और धर्म

का आधार माना गया है। इससे स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म-स्थापन के लिए अर्थ अनिवार्य हैं। अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं 'जटा और मृगछाला धारण करने वाले ब्रह्मचारी लोग भी अर्थ के अभिलाषी होकर पृथक्-पृथक् धर्म के अनुसार निवास करते हैं। गेरुएँ वस्त्रधारी लज्जाशील शात तथा आसक्तिरहित विद्वान् पुरुष भी धन की इच्छा करते हैं। जो पुरुष स्वर्ग की इच्छा करते हैं वे भी धन की इच्छा करते हैं। आस्तिक व नास्तिक लोग परम समय में रत होकर भी अर्थ के अभिलाषी होते हैं। अर्थ का महत्त्व न जानना तमोमय अज्ञान है और अर्थ का महत्त्व ज्ञान प्रकाशमय है।

आस्तिका नास्तिका श्रैव नियता सयमे परे।

अप्रज्ञान तमोभूत प्रज्ञान तु प्रकाशता। (महा शांति. 161/18)

बृहस्पति के अनुसार अर्थ सम्पन्न (धनी) व्यक्ति के पास मित्र धर्म विद्या क्या गुण नहीं होता। दूसरी ओर अर्थहीन (निर्धन) व्यक्ति मृतक अथवा चाडाल के समान है। इस प्रकार धन ही जगत का मूल है। कौटिल्य ने अर्थ को धर्म और काम का आधार माना है। अग्निपुराण में मानव जीवन में अर्थ के महत्त्व को इस प्रकार व्यक्त किया गया है—

धनवानधर्ममाप्नोति धनवान मामश्नुते। उच्छिद्यन्ते विनाह्यर्थं क्रियाग्रीष्मे सरिद्यथा। विशेषो नास्ति लोकेषु पतितस्याधनस्य च। पतितान्न तू गृहन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति।

अर्थात्—धनवान ही धर्म का उपार्जन करता है धनवान ही काम-सुख का भोग करता है। जैसे गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है उसी प्रकार धन के अभाव में सब कार्य चौपट हो जाते हैं। ससार में पतित और निर्धन मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। लोग पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेते और दरिद्र (निर्धन) अपने अभाव के कारण स्वयं नहीं दे पाता है।

प्राचीन भारतीय चिंतन में अर्थ की महत्ता को निम्न बिन्दुओं में रखा जा सकता है—

(1) अर्थ का जीवन में स्थान—प्रो दयाकृष्ण लिखते हैं कि, अर्थ किसी भी कामना की पूर्ति का साधन या निमित्त कहा जा सकता है इसे शक्ति या धन भी कह सकते हैं। अर्थ के बिना किसी भी कार्य का उद्योग बालू से तेल निकालने के समान है। भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि व्यक्ति अर्थ का दास है अर्थ किसी का दास नहीं है यह सही बात है कि मैं भी कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ।

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्।

इति सत्य महाराज बद्धोऽस्त्वर्थेन कौरवे ।।

धन ही वह प्रियतम है जो ससार को बसाता और प्रफुल्लित करता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि अर्थ और काम में अर्थ का स्थान प्रथम है। अर्थ

परिश्रम का फल हैं। आर्यों का अर्थतत्र परिश्रम साध्य और परमार्थगामी था। वेदों के अनुसार जो कुछ अपने परिश्रम से अर्जित हो उसी के अनुसार व्यय करे ऋण लेकर नहीं क्योंकि ऋण व्यक्ति के सम्मान को प्रभावित करता है।¹⁰

वेदों के प्रचुर मात्रा में अक्षय रमणीय सात धातु युक्त बलवर्धक निरोग भरपूर अन्न घृत पेयसस दूध आदि की कामना की गई है। नै प्रजा पशु गृह और धन से परिपूर्ण होऊ मुझे धनादि की समृद्धि और ज्ञानादि की वृद्धि प्राप्त हो। रामायण में धन का महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि केवल धनवान व्यक्ति ही बहादुर ज्ञानी और सब गुणों से सम्पन्न माना जाता है। नीतिशतक में कहा गया है।

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतितान् गुणज्ञः।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमा श्रयन्ति॥

अर्थात्— केवल धनी व्यक्ति ही अच्छे परिवार से विद्वान् अच्छा वक्ता तथा सुन्दर माना जाता है।

सभी गुण सम्पत्ति पर ही निर्भर होते हैं। मुद्रा ही व्यक्ति को अधिक शिष्ट बनाती है। मुद्रा द्वारा ही व्यक्ति की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मुद्रा से निकट कोई सम्बन्धी नहीं होता। कोई भी वस्तु मुद्रा द्वारा कमाई जा सकती है। सांगदेव नीति सूत्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति मनुष्य का दास नहीं है पर सम्पत्ति का दास है। अर्थ के बिना जीवन यापन असम्भव है।

(ii) अर्थ जीवन दृष्टि— जीवन में अर्थ पहले आया फिर अर्थ को नियंत्रित करने हेतु धर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए धर्म को अर्थ का नियंत्रक माना जाता है। धर्मशास्त्रों का आदेश है कि धर्म—अनुशासित अर्थ ही जीवन का भौतिक एवं परमार्थिक साधन होता है। मनुस्मृति में लिखा है कि

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परस्मृतम्।

योऽर्थः शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वरिशुचिः शुचिः॥

अर्थात्— सब शुद्धियों में धन की शुद्धि (न्यायोचित धन का होना) ही श्रेष्ठ शुद्धि कही गई है। जो धन में शुद्ध है अर्थात् जिसने अन्याय से किसी का धन नहीं लिया है वही शुद्ध है। उपनिषदों ने सदा शुद्ध धनोपार्जन का ही अनुमोदन किया है। महाभारत में अर्जुन युधिष्ठिर को कहते हैं कि विजयी धनवान् पुरुष ही उत्तम धर्म का पालन और असत्यी पुरुषों के लिए दुष्प्राप्य इच्छाओं की प्राप्ति कर सकता है।

धर्म और काम अर्थ के ही दा अवयव हैं ऐसा श्रुति का कहना है अर्थ की सिद्धि से ही इन दोनों की भी सिद्धि होती है।

(iii) अर्थ परमार्थ— मनुष्य के सभी कर्म अर्थमूलक हैं और स्वयं अर्थ का मूल साधन है श्रम। कृषि वाणिज्य और शिल्पादि अर्थ प्राप्ति के साधन हैं जो सभी

श्रम-साध्य है। धर्म और काम दोनों इसी के दो पहलू हैं और इसी पर निर्भर है। अर्थ ही सब कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है। अर्थ के बिना धर्म और काम स्थित नहीं हो सकते ऐसा श्रुति कहती है। धन के बिना इस पृथ्वी पर मनुष्यों के धर्म अर्थ काम तथा स्वर्गगमन और प्राणयात्रा का निर्वाह नहीं हो सकता। धन से धर्म कामना स्वर्ग हर्ष क्रोध शास्त्रों का अध्ययन-ब्रह्मण और दमन-ये सब धन से ही सिद्ध होते हैं।

(iv) अर्थ तत्त्व भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुसन्धान-शुक्रनीति कहती है कि भौतिक अर्थ से ही आध्यात्मिक अर्थ अर्थात् मोक्ष सहित सभी पुरुषार्थ सिद्धि प्राप्त करते हैं। धन से ही लोगों के कुल गौरव व धर्म की वृद्धि होती है। निर्धन पुरुष को यह लोक और परलोक कोई भी सुखदायक नहीं होता। धन से ही धर्म का स्रोत उत्पन्न होता है जैसे पहाड़ से नदी प्रकट होती है। इसलिए निर्धन व्यक्ति धर्म-क्रियाओं की क्रियाविधि नहीं कर सकता। जो धन में अनादृत है वह धर्म में भी, क्योंकि समस्त धर्मिक कार्यों में धन की अपेक्षा की जाती है।

अर्थ में मानव के ज्ञान भोग और परलोक सभी सन्निविष्ट है। अर्थ धर्म का साधक है। वेदों का आदेश है कि सभी लोग यथाशक्ति परिश्रम द्वारा अपनी आजीविका उत्पन्न करें ताकि समाज में दरिद्रता और अनाथ का प्रवेश न हो। ऋग्वेद^० में दरिद्रता को दूत्कारने का रोचक परिदृश्य है जहाँ कहा गया है कि 'हे धनहीन और कुरूप दरिद्र! तु निर्जन पर्वत पर जा यहाँ तेरे लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ सुदृढ़ अतःकरण और अध्ववसायी मनष्य अपने पराक्रम से अपना भाग्य अकित करता है जो तेरा विनाश कर देगे।

(v) राष्ट्र की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए- राष्ट्र की सुरक्षा व समृद्धि भी अर्थ पर ही आश्रित है। महाभारत^० में कहा गया है कि 'राजा का मूल कोष ही है क्योंकि कोष के द्वारा राजा भृत्यों का भरण-पोषण दान-कर्म भरण-पोषण हाथी-घोड़े का क्रय स्थिरता शत्रु पक्ष की लुब्ध प्रवृत्तियों में धन देकर फूट डालना दुर्ग की मरम्मत व सजावट सेतुबन्ध वाणिज्य प्रजा एवं मित्रों का संग्रह धर्म अर्थ एवं काम की सिद्धि करता है। महाभारत में आगे कहा गया है कि कोषागार और सेना ही एकमात्र राजा का मूल है उसके शीघ्र खजाना ही सेना का मूल है। सेना सब धर्मों की रक्षा का मूल है और धर्म ही प्रजा समूह का मूल होता है। इससे सबकी जड़ धनागार की बढ़ती करनी उचित है। अग्निपुराण में भी अर्थ को राज्य की समृद्धि व सुरक्षा का साधन माना है। केवल धनवान व्यक्ति ही शक्तिवान होता है। राजा की शक्ति भी उसके कोष पर ही निर्भर करती है।

धनवान् बलवान् लोके सर्व सर्वत्र सर्वदा।

प्रमुत्च धनमूल हि राजामप्युपजायते ॥ सुभाषित

धन के भेद/धनार्जन कैसा?

वृहस्पति नारद मनु विष्णु आदि ने कर्मों की श्रेष्ठता और निकृष्टता के आधार पर धन को कई भागों में विभक्त किया है। रक्षण वर्धन और भोग—ये तीन धन व्यवहार की विधि हैं अतः इनका साधन में यत्न करना चाहिए। नारद स्मृति एव विष्णु धर्मशास्त्र में धन(मुद्रा) को तीन भागों में बाटा है जो धन व्यवहार की विधि है।

(i) शुक्ल धन (White money)

(ii) शबल धन (Brinded money) तथा

(iii) कृष्ण धन (Black money)

इन्हे क्रमशः उत्तम मध्यम और अधम धन भी कह सकते हैं।

(i) शुक्ल धन—विष्णु धर्म शास्त्र के अनुसार अपनी उचित वृत्ति (श्रम) से कमाया हुआ सब धन शुक्ल धन कहा जाता है। नारद के अनुसार विद्या वीरता तपस्या कन्या शिष्य पौरोहित्य और दाय के माध्यम से आने वाला धन शुक्ल है और उनका उद्योग भी शुक्ल है।

(ii) सबल धन—ब्याज कृषि वाणिज्य शुल्क शिल्प सेवा के द्वारा लब्ध धन और उपकृत व्यक्ति का धन सबल या राजस धन है। ये सबल धन के सात प्रभेद हैं। विष्णु स्मृति में चालाकी व्याज से तथा न बिकने वाली वस्तु को बेच देने से मिले धन को भी सबल धन माना गया है।

(iii)—कृष्ण धन—लाञ्ज दूत दूतकार्य दूसरों को पीड़ा देकर उपार्जित चोरी डकैती कपटता के द्वारा अर्जित धन काला धन है। इन भ्रष्ट क्रियाओं से कमाया हुआ धन कृष्ण है। विष्णु स्मृति में धूर्तता चोरी जुआ तथा मिलावट छलकपट डकैती ब्याज आदि से प्राप्त धन को काला धन कहा है।

इन तीनों प्रकार के धनों द्वारा क्रय-विक्रय दान प्रतिग्रह नाना क्रिया और उपभोग होते हैं। इन तीनों प्रकार के धनों में से जिस धन को लेकर मनुष्य कर्म करता है उसे इहलोक एव परलोक में उसी प्रकार का फल मिलता है। मुद्रा के भेद के साथ इनके उपयोग एव फल का प्राचीन ग्रन्थों में विवेचन मिलता है स्कन्द पुराण अनुसार एक व्यक्ति अपनी सफेद मुद्रा को धार्मिक कार्यों पर खर्च करता है तो वह प्रसन्नता व प्रसिद्धि प्राप्त करता है तथा देवता के समान स्थान पाता है। सबल मुद्रा से व्यक्ति चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है।

कृष्णमुद्रा को दण्डनीय माना गया है। महाभारत के अनुसार कृष्ण मुद्रा पाप को समाप्त नहीं कर सकती सबल मुद्रा ही पाप को समाप्त कर सकती है। दूसरों के धन के अपहरण से प्राप्त मुद्रा स्वयं की मुद्रा को भी नष्ट कर देती है।

रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार

भारतीय आर्थिक चिन्तन में रिश्वतखोरी (Bribery or Corruptation)को मुद्रा

लेनदेन का एक विलक्षण रास्ता माना गया है जिसमें काली मुद्रा लगी रहती है। समस्त लेन-देन गुप्त तथा भययुक्त होता है। क्रेता व विक्रेता दोनों ही पक्षों की तरफ से धोखे की समावना रहती है तथा लेन देन में कोई उचित मापदण्ड नहीं होता। यह पापयुक्त लेनदेन होता है। रिश्वत को 'मुखपिण्ड', 'मुखलेप', उत्कोच, लञ्च आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। नारद, याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन स्मृतियों में अप्रामाणिक भेंट (invalid gift) तथा अवैधानिक लेनदेन को रिश्वत माना गया है। जैन लेखक सोमदेव (9वीं व 10वीं शताब्दी) ने रिश्वत (लञ्च) को सभी पापों का द्वार माना है। जो व्यक्ति रिश्वतखोरी में सलग्न है वह अपनी माँ का खून करने में भी नहीं हिचकिचाता है। जो व्यक्ति रिश्वतखोरी में सलग्न होते हैं वे सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। यदि राजा भी ऐसे लोगों को प्रभय देता है तो उस राज्य के नागरिक खुशहाल नहीं हो सकते।

धन के उपयोग

अर्थ में सभी गुण समाहित है अर्थात् धनवान व्यक्ति में सभी गुण माने गये हैं एवं उसके अद्विगुण भी गुण माने जाते हैं। अर्थ को मित्रों को बाधने वाला कहा गया है। धनहीन के बंधु उसे छोड़ देते हैं और धनवान पर लोग कल्पतरु की भाँति अनुराग रखते हैं।

अर्थ प्राप्ति के साथ-साथ उसका उचित प्रयोग भी अनिवार्य है, अन्यथा वह 'अर्थ' से 'अनर्थ' बन जायेगा जो व्यक्ति और समष्टि दोनों के लिए घातक है। अर्जित धन की तीन गतियाँ शास्त्रों ने कही गई हैं—दान, भोग और नाश। यदि स्वोपार्जित धन का सदुपयोग या दान आदि शुभ कार्य नहीं किये जाए तो उसकी तृतीय गति अर्थात् विनाश संभव है। लोक-परलोक को सवारने के लिए अर्थ का संयत व्यक्तिगत उपयोग तो अनिवार्य है ही, इसके अतिरिक्त शास्त्रों की यह भी आज्ञा है कि स्वोपार्जित 'अर्थ' का रसायन की भाँति थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे संयत उपयोग करना चाहिए। अग्निपुराण में अर्थदूषण (धन के दुरुपयोग) एवं सदुपयोग का वर्णन है। धन का सग्रह, विभिन्न व्यसन, धन का स्वार्थपरक प्रयोग, दुर्गों की मरम्मत न कराना आदि कार्यों को अर्थदूषण की श्रेणी में उल्लेख किया गया है। दीनों, अनाथों, वृद्धों तथा विधवा स्त्रियों के निर्वाह तथा उनके लिए जीविकापार्जन का प्रबंध करना आदि कार्य अर्थ के सदुपयोग की श्रेणी में आते हैं।

वेदों में विविध उपयोगों हेतु सहस्त्रों मन्त्रों द्वारा धन प्राप्त करने की कामना की गई है। सुरक्षा के लिए लाभप्रद एवं बुद्धिशील धन, उपयोग के लिए, यज्ञ सम्पूर्ण करने के लिए प्रजा, पशु गृह और धन से परिपूर्ण होने के लिए, अपार, बुद्धिशील एवं निरंतर धन प्राप्त होने की कामना की गई है। अर्थ के 'रयि' और 'भग' दोनों रूप समाज के विकास में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। रयि को दान दिया जा सकता है और 'भग' को बाटा जा सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है, भग प्रणेता है, सन्धप्रेरक है, भग बुद्धि एवं रक्षा प्रदान करता है। गौ और अरवां द्वारा प्रकृष्ट भग हमारे लिए जनो। प्रकृष्ट भग (वह) नरो द्वारा नरवान हो जाए।

भग एव भगवा अस्तु देवस्तेना वय भगवन्तश्याम।

त त्वामग सर्व इज्जोहवीमि से नो भग तुरएताम्ववेह ॥

(अथर्व 3/16/5)

अर्थात्— भग से ही भगवान हो। उससे हम भगवान बने। भग हमारा अग्रगामी बने। भग से ही व्यक्ति सु-भग एव सौभाग्यशाली बनता है। ऐश्वर्य की अधिष्ठाती देवी धन सम्पदा के प्रयोग की दृष्टि से दो नाम है—लक्ष्मी और श्री। जो सम्पदा केवल अपने ही पोषणार्थ हो उसे 'लक्ष्मी' कहा गया है। वह पुरुषार्थ की कोटि में नहीं आती। किन्तु जब वह विश्व कल्याण और बहुजन हिताय के लिए प्रयुक्त हो तो यह यशस्काम श्री बन जाती है जो समस्त समाज को आश्रय देती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में प्राप्त धन के तीन उपयोग सुझाए गये हैं— (i) एक भाग धार्मिक कार्यों के लिए (ii) दूसरा भाग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा (iii) तीसरा भाग पूँजी निर्माण या विनियोग के लिए।

भागवत पुराण में धन के पाँच उपयोग बताये गये हैं— (i) दान धर्म के लिए (ii) यश प्राप्ति के लिए (iii) अर्थ के लिए (अर्थ—पुरुषार्थ) (iv) काम के लिए (काम—पुरुषार्थ) तथा (v) स्वजनो के लिए। धन का वास्तविक उद्देश्य धर्म है और धन का यह पंचधा विभाग के अन्तर्गत आ जाता है। शुक्राचार्य ने धन के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश दिया है कि उत्तम भार्या (स्त्री) पुत्र या मित्र के लिए दान के लिए तथा नित्य धर्माजन करना हितकर है। भर्तृहरि के अनुसार धन का उपयोग दान उभोग एव नाश के लिए होता है जो व्यक्ति न तो स्वयं उपभोग करता है तथा न ही दूसरों को दान देता है उसके धन की तीसरी गति नाश होती है। महात्मा विदुर का कहना है कि न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए—अपात्र को दान देना तथा सत्पान को न देना। विदुर ने अदाता या कृपण को समाज का शत्रु बताया है और कहा है कि उन्हें गले में पत्थर बांध कर जल में डुबो देना चाहिए।

अर्थ का सामाजिक पक्ष है— इसका सत्पात्रों में दान। दान और कल्याणकारी कार्यों में लगाया धन कल्याणमय माना गया है। जैसे समुद्र का खरौ पानी मेघ—मुख में पहुँच कर और मीठा होकर भूमण्डल पर बरसता है और उसे हरा-भरा बनाकर पुन जलनिधि के पास पहुँच जाता है। दानों का धन भी ऐसा ही उपकारी माना गया है। ब्यास स्मृति में दान के बारे में लिखा है—

शतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पण्डित।

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥

आर्थात्— सौ में से एक शूर सहस्रों में एक विद्वान् तथा शत-सहस्रों में एक वक्ता मिलता है। किन्तु दाता तो शायद ही मिल सकता है और नहीं भी। इसलिए दानवीर को परमवीर माना गया है। मनुष्य का वास्तविक धन यही है जिसका सभी मर्यादित लाभ उठा सके अन्यथा वह वैभव किस काम का जिसे व्याधि के समान व्यक्ति

स्वयं अकेला ही भोगे। महामारत में अर्जित धन को कल्याणकारी कार्यों में न लगाना उसका 'मल' अर्थात् बुराई कहा गया है। शुक्र² के अनुसार अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि 'अर्थ' का उपार्जन और संरक्षण तो कृपणता की भाँति सतर्कता से करना चाहिए किन्तु समय आने पर उसका उपभोग या उचित व्यय विरक्त की भाँति उदारता से होना चाहिए। वेदों में पूर्ण परिश्रमार्जित धन को उदारता के साथ लोक कल्याण में व्यय करने का आदेश मिलता है।³

उपनिषदों में अर्थ की शुद्धता, उसके शुचि साधन और उसके सयत् उपभोग की विधियों पर बल दिया गया है। ईशोपनिषद का प्रारम्भ ही सयत् अर्थ-योजना से होता है जहाँ समाज की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सावधान किया है कि इस सप्ताह में सम्पूर्ण जड़-चेतन पदार्थ ईश्वर से परिव्याप्त है। अतः उनका उपभोग त्यागपूर्वक करे और किसी के धन का लोभ न करे। यह धन किसका है ? अर्थात् यह किसी एक का नहीं, सभी का है। मनुष्य इसे न तो साथ लाया है और न ही साथ ले जायेगा। यह यही का है, यही रह जायेगा। उपनिषदों के अनुसार श्रमोपार्जित धन और उसका त्यागपूर्वक भोग ही श्रेष्ठ धर्म है जो व्यक्ति धन का सदुपयोग नहीं करते वे धन के स्वामी न होकर सेवक की भाँति बन जाते हैं जो उसके संकतो पर नाचते हैं। मनु का भी मत है कि यदि अर्थ और काम धर्म-विरोधी है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अशुद्ध धन से प्राप्त सुख, परमार्थ विरोधी होने के कारण त्याज्य है। विदुरनीति में कहा गया है कि जो अपने भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बाटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर म्रूर कौन होगा। ऋग्वेद में यह शिक्षा दी गई है कि ऐश्वर्य, वैभव या सम्पत्ति परमात्मा की देन है। अतः इसे बाँटकर ही खाओ, जो सम्पत्ति का अकेला उपभोग करता है, वह पापी है, जब विपत्ति में पड़ता है तो उसका कोई साथी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति उसके दुःख-सुख में सहयोग के लिए तैयार नहीं होता। गीता में कहा गया है कि ईश्वरीय देन को जो अकेला खाता है और दान नहीं करता, वह घोर है, इसी प्रकार जो अकेला उपभोग करता है वह पाप को खाता है अर्थात् पापी होता है।

किन्तु दान की भी एक सीमा है। उस दान की प्रशंसा नहीं की जा सकती जिससे वृत्ति में अवरोध हो क्योंकि लोक में दान, यज्ञ एवं कर्म वृत्ति की सहायता से ही किये जा सकते हैं। अतः जहाँ अर्थ की मर्यादा के लिए धर्म आवश्यक है वही धर्म पालन के लिए धन भी आवश्यक है।

धनार्जन की विधि व साधनों की शुद्धता - प्राचीन भारतीय चिंतन में धन का महत्त्व तो स्वीकार किया था, लेकिन साथ में इसको प्राप्त करने की विधि पर तथा इसके उपभोग व समाज में वितरण पर भी विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया था। शुक्राचार्य के अनुसार, ' धन कण-कण रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे विद्या प्रतिक्षण

प्राप्त की जाती है। जो व्यक्ति धन या ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है उसे प्रत्येक कण या क्षण को नहीं गबाना चाहिए।

न्यायपूर्ण एव उपयुक्त साधनों से ही अर्जित धन अर्थ—कोटि में आ सकता है अन्यथा यह अनिष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए मनु का विचार है कि समस्त शुद्धताओं में अर्थ की शुद्धता सर्वोपरि है। अर्थाज्जन करते समय निम्न पाँच बातों का ध्यान प्राचीन वाङ्मय में अनिवार्य माना गया है— (i) जिससे अन्य प्राणियों को पीडा न पहुँचे (ii) अपने शरीर को भी अनुचित कष्ट न हो (iii) वह गृहित साधनों से अर्जित न हो (iv) उसके उपार्जन से स्वाध्याय आदि परमार्थिक कार्यों में बाधा न हो तथा (v) सदा स्व-अर्जित अर्थ से ही जीवन-निर्वाह किया जावे। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे अग्नि! हमें कभी क्षीण न होने वाला पुष्टिकारक दीप्तिमान सहस्र सख्यक स्वास्थ्यकारक तथा उत्तम साधनों से युक्त धन शीघ्र प्रदान कर। अर्थाज्जन के लिए परिश्रम प्रथम अनिवार्यता है। उद्यमशील के पास ही लक्ष्मी आती है। क्योंकि यही बुद्धिमानों का लक्ष्य है। इसीलिए इसे 'लक्ष्मी' कहा गया है उद्योगशील कभी असफल नहीं होते। उद्यमी के पास सभी अर्थ उसी प्रकार घले आते हैं जैसे रत्नाकार के पास रत्न। उसका अभाव और कष्टों का अवतार होता है। भूख दरिद्रता की उपज है। इससे बढ़कर कोई शत्रु नहीं। दरिद्र का जीवन निर्वाह अत्यन्त कठिन है। इसीलिए दरिद्रता को 'जीते जी मृत्यु' कहा गया है।

धनार्जन की आचार संहिता—धनार्जन की आचार संहिता से तात्पर्य उन नियमों से है जिनकी पालना प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाते समय करनी चाहिए। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने जीविकोपार्जन के लिए बनाये गये नियमों या जीविकोपार्जन के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातों को ही धनार्जन की आचार संहिता का नाम दिया है जो प्राचीन साहित्य में वर्णित है।

(i) धर्म मार्ग से धनार्जन—धनोपार्जन पर किसी प्रकार का अकुश लगाना वेदों में अभीष्ट नहीं है। सहस्रों वेद मंत्रों में धनोपार्जन के लिए सामूहिक प्रार्थनाएँ की गई हैं। नदी के प्रवाह तुल्य हमें निरन्तर धन मिलता रहे। हमारे दोनों हाथ धन से भर दो। तुम्हें भी धन मिले मुझ भी धन मिले। विश्वो राय इषुद्यति। हमें उत्तम धन प्राप्त हो।

परन्तु उचित मार्ग से न्यायपूर्वक नैतिकता एव धर्मानुसार धन अर्जन की सलाह दी गई है। (धर्मण धन) क्योंकि धर्मपूर्वक कार्य करने से अटल और शाश्वत सुख प्राप्त होता है। धर्मयुक्त धन प्राप्त करके हम सभी सगठित होकर आनन्द का उपयोग करते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अर्थ के महत्त्व को नकारा नहीं है अपितु न्याय और बुद्धिपूर्वक ही धन कमाने की आज्ञा दी है अन्यथा हानि का भय रहता है। इसीलिए अर्थोपार्जन को नियंत्रित एव परिभाषित करने के लिए एक पृथक शास्त्र की रचना हुई जिससे अर्थशास्त्र की सजा दी गई है। भारतीय परम्परा में अर्थ का उद्देश्य धर्म ही माना

गया है। अर्थ और धर्म दोनों में सामंजस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। ऋग्वेद में कहा गया है, "सविता, भग, वरुण, मित्र अर्यमा, इन्द्र, ये सभी देव ऐश्वर्ययुक्त होकर हमारे पास आये तथा हमने वह धन सम्यक् रीति (न्याय संगत तरीके से) प्रदान करे। धर्म का एक पैसा, चोरी या अधर्म के एक हजार रूपये से अच्छा होता है क्योंकि उसमें आध्यात्मिक तथा मानसिक सुख का भाव रहता है। धर्माधारित अर्थार्जन टिकाऊ होता है तथा यह सदा चतुर्विध सुख देता है यह समृद्धि का मूलमंत्र है। महाभारत में श्रमोपार्जित धन और उसका त्यागपूर्वक भोग को ही श्रेष्ठ धर्म माना है। यजुर्वेद में 'सुपथाराये' अर्थात् जो धन हम प्राप्त करना चाहते हैं वह सही सही रास्ते से प्राप्त हो, हेतु कहा गया है। मनु अनिदित कर्मों से धनार्जन की सलाह देते हैं तथा धर्म और काम को धर्म विरोधी होने पर छोड़ने हेतु निर्देश देते हैं तथा सब प्रकार की शुद्धियों में से श्रेष्ठ शुद्धि 'अर्थ शुद्धि' को मानते हैं। भागवत पुराण में हीन उपायों से प्राप्त धन को धर्म्य धन नहीं कहा है, अपितु न्याय एवं उचित रूप से कमाये गये धन को ही 'धर्म्य धन' कहा गया है। स्कन्द पुराण मुदा अर्जन तथा धन-संग्रह को दण्डनीय कहा गया है। न्यायोचित तरीके से कमाया धन तथा आवश्यकताओं से अधिक धन-संग्रह को दण्डनीय कहा गया है। न्यायोचित तरीके से कमाए हुए धन का 10 प्रतिशत भाग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यय किया जाना चाहिए। शुक्रनीति में भी धर्मानुसार अर्थार्जन करने का निर्देश है, यदि कोई व्यक्ति धर्म तथा अर्थ में समर्थ है, अर्थात् धर्मानुसार अर्थार्जन करने में निपुण है और तदनुसार कार्य करने वाला है, वह सदा पूज्य होता है।

वैदिक चिंतन में एक तरफ न्यायोचित उपायों से धनार्जन का निर्देश है वहीं मनुष्य को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक भी धनार्जन नहीं करने की सलाह दी गई है। यदि अनायास कभी अधिक धन कमा लिया भी जाए तो उसे अति-दरिद्र व्यक्तियों में वितरण या दान करने हेतु कहा गया है।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय चिंतन दान धर्म का ही निर्देश देता है। दान धर्म का अंग है पर दान की भी एक सीमा है। भागवत पुराण में उस दान की प्रशंसा नहीं की गई है जिसमें वृत्ति में अवरोध हो क्योंकि लोक में दान, यज्ञ और कर्म वृत्ति की सहायता से ही किये जा सकते हैं। अतः जहाँ अर्थ भी मर्यादा के लिए धर्म आवश्यक है वहीं धर्मपालन के लिए भी धन आवश्यक है। विदुरनीति में लिखा है कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि करना चाहता है उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता।

महर्षि दयानन्द सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश (पृ 564) में कहते हैं कि अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र में पूरी तरह सामंजस्य होना चाहिए। अर्थशास्त्र यदि सम्पत्ति की व्याख्या कर उसे अर्जित करने की बात कहता है तो धर्मशास्त्र उन सम्पत्ति का सदुपयोग करना सिखाता है।

वैदिक ऋषियों ने धनार्जन में साधनों की पवित्रता पर सदा बल दिया। छल चोरी कपट झूठ अपहरण आदि से अर्जित धन अच्छा नहीं माना जाता था। जो लोग ऐसे गलत साधनों से अर्थोपार्जन करते थे उन्हें पणि कहा जाता था और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिन्हें पणियों के प्रति घृणा का भाव देखा गया है तथा देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वे पणियों के धन को नष्ट करें।

प्र बोधयोष पृणतो मघोन्वपुष्यमाना पणय ससन्तु।

रेवदुच्छ मघवदमयो मघोनि रेवत्स्टोत्रे सून्ते जारयन्ती ॥

(ऋग् 1/124/10)

अर्थात्— हे धनवन्ती उपे ! जो धनी व्यक्ति दूसरे को धन देकर (दान) प्रसन्न करते हैं उनको तुम जगावो और जो पणि (लोभीजन) हैं वे सोये पड़े रहे।

(ii) धन सग्रह में सयमी—मनु सुख चाहने वालों को अत्यन्त सतोष धारण कर सयमी बनने की सलाह देते हैं।

सतोष परमास्थाय सुखार्थी सयतो भेत्।

सतोष मूल हि सुख दुःख मूल विपर्यय ॥ (मनु 4/12)

अर्थात्—मनुष्य को सतोष धारण कर सयमी बनना चाहिए। उसे यथासभव अपने परिवार की तथा अपनी रक्षा के साथ यज्ञ आदि के लिए आवश्यक धन से अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सतोष सुख का कारण है तथा असतोष दुःख का कारण है।

कठोपनिषद में कहा गया है कि 'कोई मनुष्य चाहे कितना ही धन प्राप्त करले कभी उसे धन से तृप्ति नहीं होती अर्थात् धन की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जिस प्रकार भोजनादि से पेट भर जाता है फिर भी खाने की इच्छा बनी रहती है उसी प्रकार धन से इच्छा पूर्ण नहीं होती। जितना धन मिलता है उतनी ही इच्छा बढ़ती जाती है। सौ वाला सहस्र में सुख समझ कर सहस्र की इच्छा करता है तो सहस्राधीश लक्ष की इच्छा करता है और लक्षपति करोडपति होने की इच्छा करता है। धन मनुष्य की आवश्यकता न होकर तृष्णा है जो कभी समाप्त नहीं होती।

ईशावास्य उपनिषद में भी सम्पत्ति खाद्यान्न आदि के सग्रह को उचित नहीं माना गया है। पद्मपुराण में कहा गया है कि जब तुम खाद्यान्ना सम्पत्ति आदि का सग्रह बढ़ कर दोगे तो सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जायेगी। शुक के अनुसार मनुष्य को हृदय के अन्दर उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता रखकर समय आने पर धन का उचित व्यय करना चाहिए।

(iii) आवश्यकतानुसार धनोपार्जन—प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में आवश्यकतानुसार धनोपार्जन को आदर्श माना गया है। द्रव्य का एक स्थान पर केन्द्रीकरण सदा ही राष्ट्र की सम्पत्ति है व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र करने का ही अधिकार है उससे अधिक नहीं। इसलिए भागवत पुराण में कहा गया

है कि जितने से पेट भर जाए। व्यक्ति का केवल उतने पर अधिकार हो, इससे अधिक जो ग्रहण करता है, वह चोर है एव दण्ड का पात्र है। मनुष्य अपने भ्रम-साध्य धन को यज्ञ और यज्ञमय भावनाओं द्वारा 'अर्थ' में परिणत कर सकता है जिससे अर्थ उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। इसीलिए पंच महायज्ञों का विकास हुआ जो निजी-सम्पत्ति का प्राचीनतम राष्ट्रीयकरण दिखाई देता है। वैदिक संस्कृति में इस त्यागमयी भावनाओं के कारण ही विश्वबधुत्व का उदय हुआ और पारस्परिक सहयोग प्रथम कर्तव्य माना गया। (सगच्छध्व सं वदध्वं स वीमनासि जानताम्। ऋग्/10/19/2-4)। आवश्यकतानुसार धनार्जन की महत्ता को निम्न दोहा और अधिक स्पष्ट करता है।

साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय।

मै भी भूखा न रहूँ साधु भी भूखा न जाय।।

(iv) धनार्जन में त्रि-वर्ग का ध्यान- महाभारत (शांति पर्व) में नकुल तथा सहदेव युधिष्ठिर से कहते हैं कि मनुष्य को सोते, उठते, बैठते, चलते, फिरते समय, छोटे-बड़े हर तरह के उपायों से दृढ़तापूर्वक धन कमाने का उद्यम करना चाहिए। धन दुर्लभ एव अत्यंत प्रिय वस्तु है, इसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सत्सार में अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता है। निर्धन मनुष्य की कामनाएँ पूर्ण नहीं हो सकती। परन्तु फिर भी मनुष्य को धर्म के अनुसार ही धन-संग्रह करना चाहिए, बाद में कामनाओं का सेवन करे।

(v) धनार्जन के प्रति अनासक्ति भाव- मनुष्य अर्थ का स्वामी न होकर दास ही बन जाए अथवा कहीं अर्थ इसका साधन न होकर साध्य ही बन जाए। इसलिए प्राचीन भारतीय परम्परा में सर्वत्र अनासक्ति की भावना पर बल दिया है। मनुष्य को भोग तो करना चाहिए किन्तु त्याग की भावना से अथवा अनासक्तिपूर्वक। ईश. उपनिषद् तथा भागवत पुराण में त्यागपूर्वक भोग का आदर्शभाव प्रस्तुत किया है। इसी भावना को प्रसिद्ध कवि सियाराम शरण गुप्त ने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है।

ईश का आवास यह सारा जगत, जीवन यहाँ जो कुछ उसी में व्याप्त है।

अतएव करके त्याग उसी के नाम से, तू भोगता जा वह जो तुझे प्राप्त है।

धन के किसी के भी तू न रख कामना।

धन के किसी के भी तू न रख वासना।।

भारतीय त्यागमयता का सर्वोपरि दिग्दायक है-यज्ञ। जिसका प्रारंभ ही 'इदं नमः' की भावना से होता है। उपनिषदों का मानना है कि मानव कभी 'धन' से सतुष्ट नहीं हो सकता। अतः यह भी याचना की गई है कि 'परमात्मा हमारे पास धनों को सुपथ से लाए। परन्तु त्यागमय-भोग के साथ-साथ त्यागमय कर्म भी अनिवार्य है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। गीता 2/47

जगत भोगों का साधन है। इसी में और इसी के द्वारा मनुष्य भोग भोगता है परन्तु भोग वही सार्थक है जिसमें त्याग-भावना का समावेश है। न भोगने का नाम त्याग नहीं। भोगना अवश्य है किन्तु त्याग-भाव से। इसीलिए मर्यादित-भोगों को धर्म का अंग माना गया है।

(vi) धनार्जन में इच्छा-परिमाण व्रत की पालना- गीता में कहा गया है कि पृथ्वी पर जितने धान जौ सुवर्ण पशु और रित्रियाँ हैं—वे सब भी एक पुरुष की कामनाओं की तृप्ति में पर्याप्त नहीं है ऐसा समझकर शांत हो जाना चाहिए।

अपने श्रम की उपलब्धि में से भी अपनी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक हो उससे अधिक ग्रहण न करना अपरिग्रह है। अपनी आवश्यकता से अधिक को समाज की सम्यक्ति मानकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। महावीर स्वामी के अनुसार गृहस्थी अपरिग्रही नहीं हो सकता गृहस्थ चलाने के लिए भिक्षा जीवी भी नहीं हो सकता अतः उसके लिए उन्होंने इच्छा-परिमाण-परिग्रह के सीमाकरण का सुझाव दिया। लाभ से लोभ बढ़ता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है अतः आवश्यकताओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने मध्य-मार्ग के रूप में इच्छा परिमाण-व्रत का प्रतिपादन किया। इसके अन्तर्गत अनिवार्यता एवं सुविधा की श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विलासिता श्रेणी की इच्छाओं का दमन करना आवश्यक है। इससे आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। महावीर स्वामी ने इच्छा-परिमाण व्रत धारण करने के लिए धनार्जन के तीन नियम निश्चित किए हैं। (1) झूठ तौल माप न करना (2) मिलावट न करना तथा (3) असली वस्तु दिखाकर तकली वस्तु न बेचना।

महावीर अर्थाजनों में अप्रामाणिक साधनों का प्रयोग न करने तथा व्यक्तिगत जीवन में सीमा निश्चित करते हैं। धन के अर्जन में अप्रामाणिक साधनों का प्रयोग न करना सग्रह की सीमा निश्चित करना तथा व्यक्तिगत उपभोग का समय करना ये तीनों इच्छा-परिमाण व्रत का निर्माण करते हैं। विदुर ने भी कहा है कि इस पृथ्वी पर जो भी धान जौ सोना पशु और रित्रियाँ हैं वे सब के सब एक पुरुष के लिए भी पूरे नहीं हैं ऐसा विचार करने वाला मनुष्य मोह में नहीं पड़ता।

(vii) आय की तुलना में कम व्यय करना-शुक्र कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े से कार्य के लिए अधिक धन का त्याग नहीं करना चाहिए और अभिमान से कभी छोटे कार्य को सिद्ध करने के लिए अधिक धन का व्यर्थ व्यय न करे अर्थात् बहुत थोड़ा व्यय करे।

अयम् एव परोधर्म इयम् एव कुलीनता।

इदम् एव परम् ज्ञानम् आयात अल्पतरो व्ययः॥

अर्थात् परम धर्म कुलीनता व ज्ञान की बात यह है कि आय से व्यय कमतर हो। राम भरत से पूछते हैं कि तुम्हारी भामदनी तो बड़ी हुई और तुम्हारे खर्च घटे हुए हैं न?

(आयस्ते विपुल कश्चित्कश्चिदल्पतरो व्यय । 2/100/54)। परन्तु शुक्र तथा राघवेन्द्र विजय अति कृपणता को निन्दनीय मानते हैं, क्योंकि कजूस व्यक्ति कभी भी सतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता है।

(viii) शुक्राचार्य कहते हैं कि घन को बढ़ाने के लिए लिखा-पढी के साथ ब्याज पर दे देवे परन्तु स्वयं के पास निष्क्रिय रूप में न रखे यह विचार आधुनिक पूँजी-निर्माण के विचार से भी अधिक विकसित है इसके साथ ही वे घन उधार किसे दिया जाये, किस रूप में दिया जाय, इसकी भी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार व्यवसाय करने वालों के लिए लिखित से बढकर दूसरा अन्य स्मरण-सूचक चिन्ह नहीं होता। अत बुद्धिमान को बिना लेख के व्यवहार (रुपया देना) नहीं करना चाहिए।

(ix) स्वयं के परिश्रम व प्रयत्नों से धनार्जन-भारतीय चिंतन ने इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि अपनी पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न एवं परिश्रम से ही धनार्जन करना चाहिए। यह विचार हमें विदेशी निर्भरता एवं विदेशी ऋणों से बचकर स्वावलम्बी अर्थतंत्र विकसित करने की ओर संकेत करता है।

(x) पर्यावरण संरक्षण का ध्यान-आज जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों को नष्ट करके उत्पादन बढ़ाने को विकास का नाम दिया जा रहा है। मनुस्मृति तथा महाभारत (शांति पर्व) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि "अद्रोहेण भूतानामल्पद्रोहेण वापुन ।" अर्थात् व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए ऐसे माध्यम को ही अपनाना चाहिए जो भूतप्राणियों को बिल्कुल भी कष्ट न देने वाला हो अथवा कम से कम कष्ट देने वाला हो। अर्थात् धनार्जन तो करना चाहिए परन्तु भूतप्राणियों तथा वनस्पति को खतरा न हो।

(xi) मनु ने कहा है कि धनार्जन का कार्य अपने शरीर एवं मन-मस्तिष्क को बहुत अधिक पीडा पहुँचाकर नहीं करना चाहिए। (अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसचयम्)। अर्थात् काम का स्वरूप एवं समय ऐसा होना चाहिए जिससे न तो शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े और न ही मानसिक तनाव उत्पन्न हो। इसी के अलावा व्यक्ति को धनार्जन के ऐसे उपायों से दूर रहना चाहिए जिससे ज्ञानार्जन एवं स्वाध्याय के काम में बाधा पड़े। 'सर्वान् परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिन ।'

धनार्जन के लिए वृत्तियाँ एवं धनार्जन का महत्त्व

प्राचीन भारत में चार प्रकार की विचारें थी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता तथा दण्डनीति। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वार्त्ता से है। वार्त्ता का सम्बन्ध वृत्ति से था। प्राचीन काल में जीविका के साधन (धनार्जन) को 'वृत्ति' कहा जाता था। सामाजिक सुव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। अत प्राचीन काल में वार्त्ता के आधार पर ही सामाजिक

व्यवस्था का गठन किया गया। कार्य या वृत्ति के आधार पर चार वर्गों की व्यवस्था की। इस प्रकार प्राचीन काल में निम्न वृत्तियों से धनार्जन की व्यवस्था थी।

- 1 ब्राह्मण वृत्ति—इसके अन्तर्गत दान यज्ञ अध्यापन।
 - 2 क्षत्रिय वृत्ति—पृथ्वी एवं प्रजा की रक्षा करना।
 - 3 वैश्य वृत्ति—कृषि वाणिज्य का रक्षा तथा कुसीद अर्थात् ब्याज पर ऋण देना।
 - 4 शूद्र वृत्ति—सेवा आदि। इस प्रकार उपर्युक्त वृत्तियों से धनार्जन की व्यवस्था थी।
- आचार्य शुक्र ने बताया कि इस ससार में जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र नहीं होता बल्कि गुण या कर्म के भेद से होता है।

शुक्र के अनुसार कुसीद (सूद लेना) कृषि वाणिज्य गोपालन इन सबको वार्ता कहते हैं। इस वार्ता सम्बन्धी शास्त्र का भलीभाँति ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जीविका सम्बन्धी भय को प्राप्त नहीं होता है।

शुक्रनीति में धर्मानुसार अर्थार्जन करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। यदि कोई मनुष्य धर्म तथा अर्थ में समर्थ है अर्थात् धर्मानुसार अर्थार्जन करने में निपुण है और देश काल का ज्ञाता अर्थात् तदनुसार कार्य करने वाला एवं सशक्त—रहित है तो वही सदा पूज्य होता है। शुक्रनीति में आगे बताया गया है कि मनुष्य अर्थ का दास होता है न कि पुरुष का दास अर्थ होता है। अतः अर्थ के लिए सदा प्रयत्न पूर्वक यत्नशील रहना चाहिए। मनुष्यों को अर्थ से ही धर्म काम तथा मोक्ष जैसे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। शुक्र नीति में धर्म को धर्म शास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र पर विचार करने को कहा गया है। धनार्जन को आवश्यक बताते हुए शुक्रनीति में कहा गया है कि जब तक मनुष्य धनयुक्त रहता है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं तथा जब वही धन से रहित हो जाता है तो भले ही गुणवान हो किन्तु उसे स्त्री—पुत्रादिक भी छोड़ देते हैं अतः ससार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही सारभूत कहा हुआ है।

सुन्दर विद्या उपार्जन या सुन्दर सेवा शूरता कृषि करके या ब्याज पर रुपया ऋण देकर दुकानदारी या संगीत आदि कला के द्वारा जिस भी प्रकार मनुष्य धनवान बन सके उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि धनियों के द्वार पर गुणी लोग नौकर की तरह पड़े रहते हैं। शुक्र ने धन के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष तुल्य हो जाते हैं। इससे निर्धन की सभी लोग निंदा करते हैं। इस प्रकार शुक्र ने समृद्धि प्राप्त करने को अच्छा तथा निर्धनता को बुराई माना है।

आचार्य शुक्र ने अर्थशास्त्र को धन अर्जन का शास्त्र कहा है आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में शुक्र ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही माना है।

धनार्जन की विधि एवं धनार्जन करने वालों की श्रेणी—शुक्र नीति के अनुसार विद्या तथा धन चाहने वाले को नित्य कर्म से क्षण तथा कण का त्याग नहीं करना चाहिए। क्षण—क्षण भर प्रतिदिन अभ्यास करके विद्या का एवं कण—कण भर का संग्रह कर

धन का अर्जन करना चाहिए। परन्तु शुक्र नीति में मान-सम्मान से कमार हुए धन को ही उत्तम माना है। शुक्र के अनुसार, 'जो केवल धन चाहते हैं, वे 'अधम', जो धन तथा मान दोनों चाहते हैं वे 'मध्यम' एवं जो केवल मान चाहते हैं वे 'उत्तम' जन कहलाते हैं क्योंकि बड़े लोगों का धन मान (आदर) ही है।'

संदर्भ

- 1 यजु 23/65, 34/38, 40/16, ऋग् 7/4/7-8, निरुक्त 3/1
- 2 अथर्व, 19/71/1, शतपथ ब्राह्मण 3/9/13, निरुक्त 8/1
- 3 सत्यनाथो भगोषा । ऋग् 7/41/3
- 4 पूर्वोक्त 7/35/6
- 5 ऋग् 1/32/5/7 (दयानन्द भाष्य)
- 6 अथर्व, 19/31/5
- 7 चाणक्य सूत्र 90
- 8 महा शांति, 161/11, 8/17, 21
- 9 शु नी, 1/84
- 10 ऋग् 10/155/1
- 11 महा शांति, 199/16
- 12 शु नी 3/195
- 13 अथर्व, 3/24/5

प्रश्न

- 1 प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित धन का अर्थ बताइये।
- 2 प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में वर्णित धन सम्बन्धी अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
- 3 भारतीय वाङ्मय में वर्णित धन के स्रोतों का वर्णन कीजिए।
- 4 प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित धन का अर्थ एवं महत्त्व बताते हुए धनार्जन की आचार संहिता पर प्रकाश डालिए।
- 5 प्राचीन भारतीय वाङ्मय के अनुसार धनार्जन कैसा होना चाहिए।
- 6 रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर प्राचीन भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।
- 7 अर्थ के सदुपयोग से आपका क्या आशय है ?
- 8 धनार्जन की आचार संहिता को स्पष्ट कीजिए।
- 9 प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में धनार्जन के लिए कौन-कौन सी वृत्तियाँ बताई गयी हैं ? नाम लिखिए।



प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन एव पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन (Ancient Indian Economic Thought and Western Economic Thought)

भारतीय आर्थिक चिन्तन विश्व के किसी भी आर्थिक चिन्तन से अधिक प्राचीन है। भारतीय आर्थिक चिन्तन के प्रमुख स्रोत पवित्र वेद हैं जो कि मानव जाति के लिए ज्ञान की प्रथम पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं।

पाश्चात्य आर्थिक विचारों का इतिहास इतना प्राचीन नहीं है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद ही अर्थशास्त्र का जन्म व विकास हुआ है। उन अर्थशास्त्रियों ने कतिपय यूनानी दार्शनिकों के विचारों का सहारा लेकर ही अपने विचारों सिद्धान्तों को निरूपित किया तथा हमारे देश के अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्रियों विचारकों ने उन्हीं का अध्यायन करके उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त व विचारों को भारतीय परिवेश में आरोपित कर दिया। इस प्रकार पश्चिम प्रेरित आर्थिक विचार प्रणाली की भारतीय संदर्भ में उपयोगिता व वैधता के गभीर परीक्षण की आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में हम उन आर्थिक विचारों को लेते हैं जो कि वेदों से लेकर कौटिल्य तक की समयावधि में मिलते हैं। प्रसिद्ध आर्थिक चिन्तक दत्तोपत टैंगडी ने पाश्चात्य एव प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन की तुलना निम्न बिन्दुओं के आधार पर की है।

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन एव पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन की तुलना भारतीय आर्थिक चिन्तन व पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन की तुलना निम्न बिन्दुओं के आधार पर कर सकते हैं—

क्र.सं.	पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन	भारतीय आर्थिक चिन्तन
1	पृथक्-पृथक् (टुकड़ा में बटा हुआ) चिन्तन। (Compartmentalised Thinking)	एकात्म चिन्तन (Integrated Thinking)

क्र.सं.	पश्चात्त्य आर्थिक चिन्तन	भारतीय आर्थिक चिन्तन
2	मनुष्य एक भौतिक प्राणी (Man-a mere Material being)	मनुष्य-एक भौतिक, मानसिक बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्राणी (Man-a physical, Mental intellectual, Spiritual being)
3	अर्थ एव काम के प्रति झुकाव (Sub-Servience to Artha-Kama)	पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रति आकर्षण (Drive towards purusharth Chatushtayam)
4	समाज एक स्व-केन्द्रिय व्यक्तियों का एक क्लब (Society, a club of self-centred individuals)	समाज सभी व्यक्तियों की एक सस्था जिसमें व्यक्ति उसके अंग (Society, a body with all individuals therein as its limbs)
5	स्वयं का सुख (Happiness for one Self)	सभी का सुख (Happiness for all)
6	संग्रहशीलता या परिग्रह (Acquisitiveness)	अपरिग्रह Aparigraha (Non possession)
7	लाभ उद्देश्य (Profit-motive)	सेवा उद्देश्य (Service Motive)
8	उपभोगवाद (Consumerism)	संयमित उपभोग (Restrained Consumption)
9	शोषण (Exploitation)	अन्त्योदय (Antyodaya)
10	अन्य के कर्तव्यों के प्रति अधिकारोन्मुख चेतना (Rights-oriented consciousness of others duties)	अन्य के अधिकारों के प्रति कर्तव्योन्मुख चेतना (Duty-oriented consciousness of other's Rights)
11	कृत्रिम दुर्लभता (Contrived Scarcities)	विपुल उत्पादन (Abundance of production)

12	बढ़ती कीमतों की अर्थव्यवस्था (Economy of rising prices)	गिरती कीमतों की अर्थव्यवस्था (Economy of declining Prices)
13	कई तकनीकों द्वारा एकाधिकारी पूंजीवाद (Monopoly Capitalism through Various devices)	स्वतंत्र प्रतियोगिता बिना छलयोजित बाजारों के (Free competition without Manipulated Markets)
14	मजदूरी-रोजगार केन्द्रित आर्थिक सिद्धांत (Economic theories centred round wage-employment)	स्व-रोजगार केन्द्रित आर्थिक सिद्धांत (Economic theories Centred round Self-employment)
15	सर्वहारा वर्ग की बढ़ती हुई फौज (An ever-increasing Army of proletariat)	हमेशा बढ़ता हुआ विश्वकर्मा क्षेत्र (स्वरोजगार क्षेत्र) (The ever-growing sector of vishwakarma (self employment))
16	हमेशा बढ़ती हुई विषमताएँ (Ever-widening disparities)	समता एवं समानता की तरफ गति (Movement Towards Equitability and equality)
17	प्रकृति का शोषण या लूट (The rape of nature)	प्रकृति माँ का दोहन (The milking of Mother nature)
18	व्यक्ति समाज एवं प्रकृति में हमेशा संघर्ष (Constant Conflict between an individual, the society and the nature)	प्रकृति समाज एवं व्यक्ति में हमेशा सद्भाव (The Complete harmony between an individual, the society and the nature)

अब हम प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

1 पृथक्तावादी बनाम एकात्म आर्थिक चिन्तन


पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन पृथक्तावादी अध्ययन पर आधारित है। उन्होंने समष्टि जीवन के व्यक्ति परिवार राष्ट्र विश्व मानव आदि वृहत् घटकों का विचार पृथक्-पृथक् किया है व इन सबको जोड़ने वाली एक सुदृढ़ आंतरिक कड़ी की परिकल्पना का वहाँ सर्वथा अभाव है। इनके अनुसार इनमें से प्रत्येक घटक अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ

है जिसके परिणामस्वरूप परिवार के विरुद्ध व्यक्ति, एक राष्ट्र के विरुद्ध दूसरा राष्ट्र, विश्व मानवता के विरुद्ध राष्ट्रवाद, प्रकृति के विरुद्ध मानव खड़ा है परिणामस्वरूप संघर्ष स्वाभाविक है। जबकि वास्तविकता यह है कि इन समस्त इकाईयों में सम्बन्ध है। परन्तु इनमें कैसा सम्बन्ध है इस बात को भुला दिया गया। व्यक्ति का विचार करते समय अन्य सामाजिक अवयवों को भुला दिया गया। यही बात परिवार, समाज और मानवता का विश्लेषण करते समय हुई। पाश्चात्य चिन्तन में एक-एक इकाई का विचार हुआ। चित्र-1 के अनुसार पाश्चात्य चिन्तन में बीच में एक बिन्दु है जो व्यक्ति है। उसका आवृत करने वाला घेरा परिवार है। परिवार को आवृत करने वाला परन्तु पिछले घेरे से असम्बद्ध एक दूसरा घेरा समुदाय का है, समुदाय को आवृत करने वाला घेरा राष्ट्र का है तथा उसके आगे का घेरा मानवता का है। यह रचना सकेन्द्रीय है। इसमें प्रत्येक घेरा एक दूसरे को आवृत अवश्य करते हैं परन्तु एक दूसरे से अलग है।

जबकि भारतीय चिन्तन एकात्म चिन्तन है जिसकी रचना सनातन रचना है। इसे कुण्डलित, सर्पिल या उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली अखण्ड मण्डलाकार रचना कहा जाता है।

चित्र 2 में भारतीय एकात्म चिन्तन की अखण्ड मण्डलाकार रचना बतायी गयी है। इसका प्रारम्भ व्यक्ति से होता है तथा व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ते हुए अगला घेरा परिवार का है, उसे खंडित न करते हुए अगला घेरा समुदाय, राष्ट्र व मानवता का है।

प्रसिद्ध चिन्तक ठेगडी के अनुसार पाश्चात्य चिन्तन में प्रत्येक इकाई एक-दूसरे को आवृत तो करती है, परन्तु परस्पर असम्बद्ध है। अतः प्रत्येक इकाई का हित-चिन्तन एकात्मिक है अतः इनमें हित विरोध व निरकुशता आती है। जबकि भारतीय चिन्तन एकात्म मानववादी है अर्थात् भारतीय जीवन रचना व्यक्ति एवं समाज की विभिन्न इकाईयों में असम्बद्धता को स्वीकार नहीं करती। परस्पर सम्बद्धता के परिणामों से यह विकसित समाज चेतना है। अतः इनमें हित विरोधी नहीं, वरन् पूरकता रहती है, समन्वय रहता है।



पाश्चात्य सकेन्द्रीय रचना



भारतीय अखण्ड मण्डलाकार रचना

एकात्म आर्थिक चिन्तन एक ऐसा चिन्तन है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव के एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का तथा ऐसे मानव के अन्य मानवों व मानवोत्तर सृष्टि (प्रकृति) के साथ परस्पर पूरक एकात्म सम्बन्धों पर विचार करते हुए समृद्ध सुखी एवं कृतार्थ जीवन प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन एवं पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन की दिशा बताता है।

2. भौतिक बनाम चतुर्विध सुख

पाश्चात्य दर्शन के अनुसार मनुष्य एक भौतिक प्राणी है अतः शारीरिक सुख ही प्रधान है तथा यही सम्पूर्ण सुख है। इसलिए मनुष्य जीवन भर शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए ही सघर्ष करता रहता है। शारीरिक सुख में रोग मुक्त शरीर हाथ में भरपूर पैसा रहने के लिए सुख-सुविधाओं से युक्त मकान सुन्दर पत्नी, होनहार सतान, अच्छा भोजन, उत्तम वस्त्र आभूषण टी वी कार टेलीफोन आदि शामिल हैं। अर्थात् विविध विषय भोगों की पूर्ति ही सुख सर्वस्व है।

परन्तु भारतीय चिन्तन में मनुष्य को केवल भौतिक प्राणी ही नहीं माना है बल्कि वह मानसिक बौद्धिक तथा आध्यात्मिक प्राणी भी है। उसे शारीरिक सुख के साथ मन का सुख बुद्धि का सुख तथा आत्मा का सुख भी चाहिए। इस प्रकार भारतीय चिन्तन में शारीरिक सुख की एकांगी अवधारणा की तुलना में चतुर्विध सुख की कल्पना की गयी है।

3 अर्थ, काम बनाम पुरुषार्थ चतुष्टय

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में मनुष्य के केवल शारीरिक सुख की कल्पना की गयी है जिसके लिए केवल अर्थ एवं काम पुरुषार्थ पर जोर दिया जाता है। पाश्चात्य दर्शन में शारीरिक सुख की क्षुधा ही काम है तथा काम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए विविध साधन जुटाना अर्थ पुरुषार्थ है।

अर्थ की प्राप्ति के लिए पाश्चात्य दर्शन में स्वहित की प्रमुखता होती है तथा अर्थार्जन की कौसी विधियाँ हैं उनके नैतिक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि भारतीय चिन्तन में चतुर्विध सुख (शारीरिक मन बुद्धि एवं आत्मा का सुख) प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय का सुझाव दिया गया है। शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को काम अर्थ धर्म एवं मोक्ष जैसे पुरुषार्थ करने चाहिए। भारतीय चिन्तन पाश्चात्य चिन्तन की तरह केवल अर्थ एवं काम को प्रमुखता नहीं देता बल्कि अर्थ धर्मपूर्वक कमाया जाना चाहिए अर्थात् अर्थ रचना धर्माधारित होनी चाहिए। भारतीय चिन्तन में त्याग पूर्वक भोग पर बल दिया गया है।

4 समाज के प्रति धारणा

पाश्चात्य चिन्तन में समाज को एक स्वकेन्द्रित व्यक्तियों का एक क्लव माना जाता है अर्थात् समाज स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्मित क्लव है। सरल शब्दों में व्यक्ति

एकत्र होकर परस्पर हितों की रक्षा हेतु समाज का निर्माण करते हैं। इसे सोशल कांटेक्ट थ्योरी का नाम दिया गया है। इस धारणा ने कई प्रश्न उत्पन्न किये हैं कि समाज व व्यक्ति में कौन श्रेष्ठ है। कुछ मानते हैं कि व्यक्तियों ने एकत्र होकर समाज का निर्माण किया है अतः निर्माता होने के नाते व्यक्ति श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि व्यक्ति के लिए समाज का निर्माण अपरिहार्य हो गया है इसलिए समाज व्यक्ति से हर तरह से श्रेष्ठ है। पाश्चात्य देशों में दोनों ही विचारधाराएँ प्रचलन में हैं। पहली विचारधारा के लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर समाज की उपेक्षा करते हैं तो दूसरी विचारधारा के लोग समाज को सर्वसत्ताधीन बनाने की धुन में व्यक्ति के बहुसंख्यक व्यक्तित्व को समाप्त कर डालते हैं। पूँजीवादी समाज व्यवस्था पहले विचार की ऊपज है तो साम्वादी समाज रचना दूसरी का प्रतिनिधित्व करती है।

भारतीय चिन्तन के अनुसार समाज कोई क्लब नहीं है, सयुक्त पूँजी कम्पनी या सहकारी संस्था भी नहीं है। समाज तो प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाली सहज जैविक सृष्टि है। समाज अपनी रक्षा, जीवन के आदर्शों की अभिव्यक्ति तथा विकास के लिए अनेक व्यवस्थाएँ व संस्थाएँ (शिक्षा के लिए गुरुकुल, आंतरिक व बाहरी आक्रमण से रक्षा हेतु राज्य, व्यक्ति व समाज व्यवस्था के लिए वर्णव्यवस्था) स्थापित की हैं। इस प्रकार विकास के भारतीय चिन्तन में व्यक्ति व समाज दोनों का समन्वित कल्याण साध्य करने की दृष्टि से सारा चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

5. स्वहित बनाम विश्व कल्याण

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में स्वयं के सुख की कल्पना की गयी है। यहाँ मनुष्य पूर्ण रूप से स्वार्थी है अर्थात् व्यक्तिगत सुख ही प्रमुख है। एडम स्मिथ ने कहा है कि कभी किसी का भला मत करो यदि भला करना ही है तो तब करो जब ऐसा करने से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता हो। कीस ने बताया कि आगे आने वाले सौ वर्षों के लिए हम यह मान ले तथा दूसरों से भी यह मनवा ले कि बुरा ही अच्छा है तथा अच्छा ही बुरा है क्योंकि बुरा परिणाम देता है तथा अच्छे से परिणाम नहीं मिलते। लोभ व लालच को हम कुछ वर्षों के लिए भगवान बनाकर रखें क्योंकि उसी माध्यम से हम गरीबी के बोगदे को पार करके प्रकाश की किरण देख सकते हैं।

भारतीय आर्थिक चिन्तन में व्यक्ति के बिना समष्टि की कल्पना करना असम्भव है तथा समष्टि के बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है। इसलिए भारतीय दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना पर आधारित है। इसमें सामूहिक उत्थान की भावना निहित है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक दर्शन में व्यक्तिगत लाभ की जगह विश्व के कल्याण की बात की गयी है। भारतीय चिन्तन में प्राणी मात्र के सुख की कामना को ही अपना जीवन द्रव्य मानकर नित्य प्रार्थना की जाती है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखं भाग्यते।।

अर्थात् सभी प्राणी सुखी रहे सभी स्वस्थ रहे सभी को जीवन की उत्तम वस्तुएँ मिलें एवं भी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुःख नहीं हो।

6 परिग्रह व नाम अपरिग्रह

पाश्चात्य दर्शन परिग्रह या संग्रह में विश्वास करता है जबकि भारतीय दर्शन में अपरिग्रह मुख्य मुद्दा है। पाश्चात्य आर्थिक चिन्ता अधिग्रह संग्रह पर जोर देता है। भारतीय चिन्ता में संग्रह को परम सुख माना गया है। मनु का वचन है कि सुख चाहने वाले को अत्यन्त संग्रह धारण कर सध्य बनना चाहिए। मनुष्य को अपने परिवार की अपनी रक्षा तथा यज्ञ आदि कार्यों के लिए आवश्यक धन से अधिक धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि संग्रह सुख का कारण है तथा असंग्रह दुःख का कारण। भागवत पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अपने भेट भरने लायक धन व रजामित्व रचना चाहिए। इससे अधिक रचने वाला घोर है तथा दण्ड का भागीदार है।

7 लाभ व नाम सेवा उद्देश्य

पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में व्यक्तिगत लाभ प्रमुख लक्ष्य होता है। एन उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि व एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मनुष्य हमेशा व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रख कर निर्णय लेता है। उनका तर्क है कि जब लोग व्यक्तिगत रणधर्मों का ध्यान रखकर निर्णय लेते हैं तो उनमें प्रतियोगिता होती है तथा इससे समाज का हित भी पूरा हो जाता है। यद्यपि भारतीय चिन्ता व्यक्तिगत हित की तुलना में समाज राष्ट्र व हित को प्रमुखता दी जाती है जहाँ सेवा का भाव मुख्य आधार होता है।

8 उपभोगवाद व नाम सयमित उपभोग

पाश्चात्य आर्थिक दर्शन उपभोगवाद पर टिका हुआ है। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन में आवश्यकताओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। उनके अर्थादित उपभोग के कारण आज पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो गया है। आज यूरोपीय देशों में 'सास वार्ड' के द्वारा एक-दो वर्ष की भविष्य की आय का वर्तमान में ही उपभोग कर लेते हैं। विज्ञापन भादि की तबदीनी से उपभोक्तावादी संस्कृति पाप रही है। पाश्चात्य आर्थिक दर्शन की भोगवादी संस्कृति का आधार Old Testament के Book of Genesis में मिलता है। Book of Genesis 1:26-28

26 Then God said let us make man in our image according to our likeness let them have dominion over the fish of the sea over the birds of the air and over the Cattle over all the Earth and over every creeping thing weeps on the earth

27 So God created man in His Own Image in the image of God He Created Male and female He created them

28: Them God blessed them and God said to them. Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air and over every living thing that moves on the earth.

जबकि भारतीय आर्थिक चिन्तन का आचार हमें ईशोपनिषद् के प्रथम मंत्र में मिलता है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्ज जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम्॥

अर्थात् इस ब्रह्माण्ड के भीतर जड़ व चित्तन पदार्थ भगवान द्वारा नियंत्रित है तथा वह उसी की सम्पत्ति है। अतः मनुष्य को उन वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए उन वस्तुओं में उसे आसक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि यह धन (भाग्य पदार्थ) किसका है अर्थात् किसी का भी नहीं।

9. शोषण बनाम अन्त्योदय

पश्चात्त्य आर्थिक दर्शन में शोषण को स्थान है। क्योंकि व्यक्तिगत लाभ (स्वहित) की प्रमुखता के कारण साधन सम्पन्न वर्ग, साधन विहीन वर्ग का शोषण करता है। लाभ अधिकतमकरण के कारण श्रमिक वर्ग को कम पारिश्रमिक देकर शोषण किया जाता है जिससे वर्ग संघर्ष को जन्म मिलता है। भारतीय चिन्तन में अन्त्योदय की अवधारणा है अर्थात् विकास की दृष्टि से जो व्यक्ति लाइन के अन्तिम किनारे पर खड़ा है उसका विचार करना।

आचार्य शुक्र ने कहा है कि मनुष्य को अकेले सुखों का उपभोग नहीं करना चाहिए। जीविका से रहित तथा शोक से पीड़ित लोगों की यथार्थीय सहायता पहुँचा कर उपकार करना चाहिए एवं कीड़े तथा चींटियों तक के भी सुख-दुःखादि को अपनी ही भाँति समझना चाहिए।

10. कर्तव्य-अधिकार विवाद

पश्चात्त्य चिन्तन में अधिकार की पहली बात होती है तथा बाद में कर्तव्य की। इस प्रकार वहाँ कर्तव्यों के प्रति अधिकारोन्मुख चेतना है। जबकि भारतीय चिन्तन में कर्तव्य को प्रमुखता है अतः यहाँ अधिकारों के प्रति कर्तव्योन्मुख चेतना है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने मनुष्य को कर्म (कर्तव्य) करने की प्रेरणा दी है तथा फल की आशा नहीं करने को कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्वत्वकर्मणि॥

अर्थात् तुम्हें अपना कर्म (कर्तव्य) करने का अधिकार है किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। न ही कर्म न करने में कभी आसक्त होको।

आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है—

नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मण ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येवकर्मण ॥

अर्थात् अपना कर्म नियम करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता।

गांधी जी के मत में अधिकार केवल कर्तव्यों के प्रति समर्पण का सहज परिणाम होते हैं। यदि सभी व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी। उदाहरण के लिए माता-पिता के कर्तव्यों में सतान के अधिकार निहित हैं सतान के कर्तव्य में माता-पिता के अधिकार सुरक्षित हैं। गुरु के कर्तव्य में शिष्य के अधिकार निहित हैं तथा शिष्य के कर्तव्य में गुरु के अधिकार सुरक्षित हैं। राजा के कर्तव्य में प्रजा के अधिकार निहित हैं जबकि प्रजा के कर्तव्य में राजा के अधिकार सुरक्षित हैं।

11 कृत्रिम दुर्लभता यागम विपुल उत्पादन

पारश्चात्य आर्थिक चिन्तन कृत्रिम दुर्लभता पर आधारित है जबकि भारतीय आर्थिक चिन्तन में विपुल उत्पादन के दर्शन होते हैं। प्रो रोबिस ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में दुर्लभता की बात स्वीकार की है। पारश्चात्य चिन्तन स्व-हित को प्रगुचता देता है जिसके अन्तर्गत लाभ को अधिकतम करने के लिए कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न करना आम बात है। जबकि भारतीय आर्थिक चिन्तन में विपुल उत्पादन की अवधारणा के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में जिन प्रार्थनाओं में आशीर्वाद का वर्णन है उसे विपुल उत्पादन की अवधारणा की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए—

(i) इसमें प्रकृति की उदारता का वर्णन है।

(ii) लोग भगवान की पूजा करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें विपुल साधन भोजन दूध पशुधन गाड़िया (Carts) सतान दीर्घायु एवं अच्छा पारिवारिक जीवन दे।

(iii) भगवान के आशीर्वाद का वर्णन है जिसमें कहा गया है कि यदि वे धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो तथा उनका धार्मिक विधियों (Ritual) में विश्वास है तो उनको विपुलता प्राप्त होगी।

(iv) लोगो ने व्यक्त किया है कि भगवान ने उनको विपुल साधन दिये हैं परन्तु जब वे हमारे पास पहुँचते हैं तो दाँव उल्टे प्रवाह में बाधा डालते हैं—वर्षा को रोकता जाता है दूध के प्रवाह को रोकता जाता है। लोग भगवान से इन अवरोधकों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं तथा वह इन बाधाओं को हटाता है।

(v) भगवान आशीर्वाद देते हैं कि दाँवों को मार दिया जायेगा तथा विपुलता के प्रवाह को अनवरत रखा जायेगा।

(vi) लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने कुछ लोगों को साधन दिये हैं वे उनका दुरुपयोग करते हैं अतः उन्हें दण्डित करना चाहिए।

(vii) भगवान ने लोगों को चेतावनी दी है कि जो साधनों का दुरुपयोग करेगा उन्हें दण्ड मिलेगा।

ऋग्वेद में श्रम सिद्धान्त, प्रतियोगिता के सिद्धान्त तथा सुवृद्ध राज्य के सिद्धान्त का वर्णन है। इस प्रकार विपुलता के आर्थिक जीवन के दर्शन हमें वेदों में होते हैं।

12. बढ़ती कीमतें बनाम गिरती कीमतें

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में आवश्यकताओं में वृद्धि कर उपभोगवाद को बढ़ाया जाता है। मांग में वृद्धि होने पर कृत्रिम दुर्लभता उत्पन्न की जाती है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। भारतीय आर्थिक चिन्तन में राज्य द्वारा ब्याज रहित ऋण देने, स्व-रोजगार, प्रतियोगिता तथा सपन्नित उपभोग के कारण कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं हो पायेगी।

13. एकाधिकार बनाम स्वतंत्र प्रतियोगिता

प्राचीन भारतीय आर्थिक चिन्तन में स्वतंत्र प्रतियोगिता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि लोगों की प्रसन्नता के लिए सभी तरह के ज्ञान को आपस में विभाजित करना चाहिए तथा उसका विस्तार करना चाहिए। इससे प्रतियोगिता के तत्त्वों की झलक मिलती है। जबकि पाश्चात्य चिन्तन में पैटेंट, ब्रांड, कॉपीराइट, लाइसेंस, कोटा आदि के कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ रही हैं।

14. मजदूरी रोजगार बनाम स्व-रोजगार केन्द्रित आर्थिक सिद्धान्त

पाश्चात्य आर्थिक सिद्धान्त मजदूरी-रोजगार केन्द्रित है जबकि भारतीय चिन्तन पर आधारित सिद्धान्त स्व-रोजगार केन्द्रित है। विदुर नीति में स्वरोजगार को जीवन का श्रेष्ठ आधार बताया गया है। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था स्व-रोजगार आधारित ही थी। आज भी बेरोजगारी समाप्त के लिए स्व-रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

15. सर्वहारा वर्ग बनाम विश्वकर्मा क्षेत्र

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में पूँजीवाद व साम्यवादी विचार के कारण सर्वहारा वर्ग (मजदूर वर्ग) की बड़ी फौज खड़ी हो गयी जिसके कारण वर्ग संघर्ष का दृश्य नजर आता है। जबकि भारतीय आर्थिक चिन्तन में स्व-रोजगार के महत्त्व के कारण विश्वकर्मा (समस्त शिल्प के अधिदेवता) क्षेत्र बढ़ा रहा है जहाँ किसी प्रकार के संघर्ष की नीबू नहीं आती बल्कि परिवार की सहायता से शांति पूर्वक सभी उत्पादन प्रक्रियाएँ सम्पादित हो जाती हैं।

16. विषमता बनाम समता व समानता

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन में स्वहित की भावना के कारण शोषण को जन्म मिलता है जिससे विषमताएँ बढ़ती हैं। जबकि भारतीय आर्थिक चिन्तन में समता व समानता के विचार

को प्रमुखता दी गयी है अथर्व वेद में कहा गया है—शत हस्त समाहर सहस्रहस्त विकिर अर्थात् सैकड़ों हाथों से उत्पाद करो और हजारों हाथों से उसे बांटो। इससे समता पूर्वक वितरण की दृष्टि नजर आती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का नारा है— कमाने वाला खायेगा अर्थात् श्रमिक का राष्ट्रीय आय में अधिकांश हिस्सा हो। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पूँजीपति का ज्यादा हिस्सा तय करती है।

परन्तु भारतीय अर्थ चिन्ता में इस बात पर जोर है— कमाने वाला खिलायेगा और जन्मा है वह खायेगा। अर्थात् खाने का अधिकार जन्मत प्राप्त होता है। कमाने की योग्यता शिक्षण से प्राप्त होती है। समाज को उनको भी खिलाना होता है जिनका राष्ट्रीय उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता—जैसे बच्चे बूढ़े अपाहिज बीमार आदि। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध चिंतक कुसी सुदर्शन ने साम्यवादी पूँजीवादी एवं भारतीय चिन्तन की दृष्टि स्पष्ट की है— खुद कमाना एवं खाना पशु प्रवृत्ति है दूसरे का छीनना व खाना विकृति है तथा खुद कमाना एवं दूसरों को खिलाना सस्कृति है। अतः किसी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता का मापदण्ड यही है कि उसके अन्दर सबल लोग दुर्बल लोगों का कितना ख्याल करते हैं।

धन के उचित विभाजन के लिए एक नीतिकार ने कहा है—

जो बढे नाव में नीर, बढे हाथ में दाम।

दनों हाथ उलीचिए यह चतुरन को काम।।

अर्थात् जिस प्रकार नाव में अधिक पानी भर जाता है उसी तरह से यदि हाथ में अधिक धन आ जाय तो उसे दोनों हाथों से बांट देना चाहिए नहीं तो वह धन नाव के पानी की तरह विनाशकारी हो जायगी। विपुल धन होने पर भारतीय चिन्तन में दान देना आवश्यक बताया गया है।

17 प्रकृति का शोषण बनाम दोहन

पाश्चात्य आर्थिक चिन्तन की विभिन्न अवधारणाओं के कारण प्रकृति का शोषण हो रहा है। मनुष्य की स्वहित लाभ व अमर्यादित उपभोग के कारण प्रकृति का असीमित मात्रा में शोषण संभव हुआ है। उपभोगवाद तथा समयित उपभोग शीर्षक में हमने बताया Old Testament के Book of Genesis में ही लिखा है कि इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं वे मनुष्य के उपभोग के लिए हैं। इस कारण प्रकृति दत्त पदार्थों का अमर्यादित उपभोग हो रहा है एवं इसी कारण विश्व में पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया है। इसके विपरीत भारतीय चिन्तन के अनुसार प्रकृति का दोहन ही सार्थक है। भारतीय आस्था है कि मानव जीवन प्रकृति पर निर्भर है प्रकृति नष्ट हो जायेगी तो हम भी नष्ट हो जायेंगे। इसी कारण भारतीय परम्पराओं में प्रकृति की पूजा होती है। भारतीय लोगों ने प्रकृति से नात जोड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तुलसी वटवृक्ष पीपल आदि की पूजा होती है। नदियों को पवित्र माना जाता है पक्षियों को दाना डाला जाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक विषय हमारे जीवन में बस गये हैं। वास्तव में प्रकृति से हमें उतनी साधन सामग्री लेनी चाहिए तथा इस प्रकार लेनी चाहिए कि उसके कारण होने वाली क्षति को

प्रकृति स्वयं अपने आप पूरा कर सके। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य असीमित उपभोग के स्थान पर सयमित उपभोग होना चाहिए। प्रकृति का दोहन करके ही हम जी सकते हैं, न कि शोषण करके।

18. प्रकृति, व्यक्ति व समाज में संघर्ष बनाम सद्भाव

प्रकृति, व्यक्ति व समाज के बीच सम्बन्धों को लेकर पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतन में काफी मतभेद है। पाश्चात्य दर्शन में व्यक्ति, समाज एवं प्रकृति का अध्ययन पृथक-पृथक किया है। व्यक्ति के बारे में विचार करते समय उसका समाज एवं राष्ट्र, प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है, छोड़ दिया गया। उन्होंने यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र मानव जाति या मानवोत्तर सृष्टि का अंग है। इसी कारण परिवार के विरुद्ध व्यक्ति, एक राष्ट्र के विरुद्ध दूसरा राष्ट्र, विश्व मानवता के विरुद्ध राष्ट्रवाद, प्रकृति के विरुद्ध मानव संघर्ष के लिए खड़े हो गये हैं। पाश्चात्य विचारधारा में इनके सम्बन्धों को सकेन्द्री रचना में समझाया जा चुका है।

भारतीय सस्कृति में व्यक्ति, समाज, प्रकृति इन सबका एक साथ अध्ययन किया गया है। इन तीनों में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है बल्कि पूरकता के कारण आपस में सद्भाव है। इनके सम्बन्धों को पीछे के पृष्ठों में अखड़ड़ मडलाकार रचना में बताया गया है। भारतीय आर्थिक चिंतन एकात्म मानव दर्शन पर आधारित है जो मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव के एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का तथा ऐसे मानव के अन्य मानवों तथा मानवोत्तर सृष्टि के साथ परस्पर पूरक एकात्म सम्बन्धों को ध्यान में रखकर समृद्ध, सुखी एवं कृतार्थ जीवन की दिशा दर्शाता है।

प्रश्न

1. प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारको एवं प्रमुख ग्रंथों पर एक निबन्ध लिखो।
2. प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की मुख्य अवधारणाएँ बताइये।
3. प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन व पाश्चात्य चिंतन की तुलना कीजिए।
4. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो।
 - (i) उपभोगवाद एवं सयमित उपभोग
 - (ii) पुरुषार्थ चतुष्टय
 - (iii) पृथक्तावादी बनाम एकात्म चिंतन
 - (iv) पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतन में सुख की अवधारणा
 - (v) प्रकृति का शोषण बनाम दोहन
5. "विश्व के समस्त पर्यावरण के सकट के लिए पाश्चात्य आर्थिक चिंतन की अमर्यादित उपभोग की अवधारणा उत्तरदायी है।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?



सक्षिप्त परिचय

सब स्मृतिकारों में मनु का व्यक्तित्व महान् है। वह अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति के रूप में प्रतिपादित है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी सब शास्त्रों में अपनी छाप छोड़ते हैं। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। मनु के विषय में धर्मशास्त्र का इतिहास जो पी वी काणे द्वारा रचित है एक प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है उसमें मनु के बारे में विवरण प्राप्त होता है ऋग्वेद के अनुसार मनु मानव जाति के आदि पिता है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्रों की परम्परा में आते हैं। मनु से पैदा होने के नाते हम मानव बटलाते हैं। ऋग्वेद की एक स्तुति में यह प्रार्थना है कि हम मनु के मार्ग से कहीं गिर न जाय फिर वही यह भी बहा गया है कि भारतवर्ष में सबसे पहले मनु ने ही यज्ञ किया। तैत्तिरीय संहिता एवं ताण्ड्य—महा ब्राह्मण के अनुसार मनु ने जो कुछ कहा है वह सब औषध है। शतपथ ब्राह्मण में मनु एवं प्रलय की घटना का उल्लेख है। महाभारत शांति पर्व में मनु को मनु, स्वायम्भुव मनु तथा प्राचेतस मनु कहा गया है। गौतम वशिष्ठ तथा आपस्तम्ब ने मनु का उल्लेख किया है मनु का पाण्डित्य प्रौढ था। इसका मनुस्मृति ग्रन्थ ही साक्षी रहा है। वैदिकधारा तथा दार्शनिक धारा को जोड़ने वाली मनुस्मृति है। यहाँ वेदान्त की भांति ब्रह्म का भी वर्णन है।

मनुस्मृति

मनुस्मृति वेदार्थ के अनुसार रचित होने से सब स्मृतियों में प्रधान है।

मनुस्मृति विरुद्धा या सा स्मृति न प्रशस्यते।

वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनो स्मृतेः।।

मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया इस पर प्रायः विवाद है। नारद स्मृति के अनुसार मनु ने एक धर्मशास्त्र लिखा था और उसे नारद को पढ़ाया। नारदजी ने मार्कण्डेय ऋषि को मार्कण्डेय जी ने संक्षेप करके सुमति भार्गव को पढ़ाया फिर भार्गव ने इसका और छोटा संक्षेप में चार हजार श्लोकों में बना दिया जो मानवधर्मसूत्र या मानवधर्मशास्त्र का अति संक्षेपित रूप सभ्यत आजकल का यह मनुस्मृति ग्रन्थ है। वर्तमान मनुस्मृति के पथम अध्याय में रासार की उत्पत्ति की कहानी है इसमें कहा गया

है— ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में किया, फिर आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से स्त्री हो गई और उसी स्त्री से विशाट् नामक पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर उस विशाट् पुरुष ने जिस व्यक्ति को जन्म दिया वह ससार का रचियता मनु है। फिर मनु से भृगु, नारद आदि ऋषि पैदा हुए। ब्रह्मा ने मनु को धर्मशास्त्र पढाया फिर मनु ने मरीच्यादि दस मुनियों को वह ज्ञान दिया। कुछ ऋषिगणों ने मनु के पास जाकर वर्णों और धर्म सम्बन्धी कर्तव्यों को बताने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने यह कार्य अपने प्रिय शिष्य भृगु को दिया। मनुस्मृति में भृगु के व्याख्यानो में मनु सर्वत्र विराजमान है।

इन सब बातों से यह विदित होता है कि मनु संघमुच सर्वज्ञानी थे, कुशल व्यवहार वेत्ता थे और इनका धर्मशास्त्रीय ज्ञान व्यापक सदर्भों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार यह तथ्य सत्य रूप से प्रकट होता है कि इस मनुस्मृति का कर्ता मनु नहीं है, फिर भी प्राचीनता और प्रामाणिकता लाने के लिए स्वयम्भू पुत्र मनु को 'स्मृति' शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। डा पी वी काणे जैसे विद्वान इसे आदि पुरुष मनु द्वारा रचित नहीं मानते हैं। किन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती मनुस्मृति को आदिपुरुष मनु द्वारा ही रचित मानते हैं।

मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मनुस्मृति के रचियता के विषय में मत-मतान्तर है वैसे ही रचनाकाल के विषय में भी तर्क-वितर्क हुए हैं।

मनुस्मृति पर प्राचीन टीका मेघातिथि की है, जिसका समय 825-900 ई. माना गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने मनुस्मृति के बारहवें अध्याय से लगभग 200 श्लोकों का हवाला दिया है। वेदात् सूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर ने मनु का उल्लेख किया है और उनके प्रतिपादित विचार मनुस्मृति पर ही अधिक निर्भर है। तत्रवार्तिक में कुमारिल ने मनुस्मृति को सबसे प्राचीनम कहा है। चलभी के राजा धारसेन (571ई) के समय मनुस्मृति थी, जिसका उपयोग उन्होंने अभिलेख में किया है। आचार्य बृहस्पति (500ई) मनुस्मृति की बहुत प्रशंसा करते हैं। वर्तमान रामायण में भी मनुस्मृति के विचार मिलते हैं। बौद्ध महाकवि अश्वघोष कृत वज्रकोपनिषद् में मनुस्मृति के श्लोक मिलते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकांश विद्वान लेखक वर्तमान मनुस्मृति को एक प्रामाणिक सदर्भ में ग्रहण करते हैं तथा इस अनुपम कीर्ति कौमुदी की छाप ब्राह्मण ग्रन्थ से लेकर रामायण व महाभारत पर भी पड़ी है।

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति से बहुत पहले की रचना है। याज्ञवल्क्य का समय तीसरी शताब्दी है। डॉ. काणे के अनुसार मनुस्मृति का रचनाकाल ई. पू. दूसरी शताब्दी तथा ईसा के बाद दूसरी शताब्दी के बीच सम्भावित है। परन्तु कविराज सामरघद ने अपने 'आयुर्वेद का इतिहास' में काणे के इस काल निर्णय के विचार को भ्रमालक कहा है। उनके अनुसार भृगु का समय ईसा से सत्रह सौ वर्ष पहले स्थित होता है। डॉ. विनय

कुमार सरकार मनुस्मृति को 150 ई पू का ग्रन्थ मानते हैं। डा सालेटोर ने मनुस्मृति की रचना का समय 1900 ई पू से 1800 ई पू निर्धारित किया है। मैक्समूलर मनुस्मृति को ईसा के पश्चात् चौथी शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं परन्तु उनके शिष्य एव उनका ग्रन्थों के सम्पादक व अनुवाक जार्ज वूलर का मत है कि मनुस्मृति ईसा के पश्चात् दूसरी शताब्दी में निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। पी वी काणे का अंतिम विचार यह है कि ई पू दूसरी शताब्दी एव ईसा के उपरांत दूसरी शताब्दी के बीच सम्भवतः भृगु ने मनुस्मृति का सशोधन प्रस्तुत किया। जबकि भारतीय धार्मिक व साहित्य परम्परा तथा महर्षि दयानन्द के अनुसार मनुस्मृति का रचनाकाल आदिपुरुष मनु द्वारा रचित होने के कारण आज से लाखों वर्ष पूर्व सृष्टि के आदि में ठहरता है।¹

मनुस्मृति का विषय—सकल

मनुस्मृति भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था देने में न्यायालयों में न्याय दिलाने में अमूल्य योगदान कर रहा है। मनुस्मृति वेद के बाद राजधर्म अथवा राज-व्यवस्था विषयक विचारों का पहला ग्रन्थ है। इसका प्रभाव भारत के बाहर भी पड़ा है। जावा स्याम बालि द्वीप का विधान (कानून) वर्तमान मनुस्मृति पर अवलम्बित है। बर्मा का धम्मथट मनुस्मृति पर केन्द्रित है। स्मृतियों में एक मात्र मनुस्मृति ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काम अर्थ मोक्ष तथा धर्मरूप चारों पुरुषार्थों का विशद प्रतिपादन किया गया है। इसकी भाषा सरल सुबोध धार-प्रवाह शैली में है। सम्पूर्ण मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में ससारात्पत्ति का द्वितीय अध्याय में जातकर्मादि सस्कारविधि ब्रह्मचर्य व्रतविधि और गुरु के अभिवादन विधि का तीसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति के बाद सनापवर्तन पचमहायज्ञ और नित्य श्राद्ध विधि का चतुर्थ अध्याय में ऋतु ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य व गृहस्थ आदि के नियमों का पचम अध्याय में भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों और मनुष्यों द्वारा शुद्ध रहन-सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का छठे अध्याय में दानप्रस्थ और सन्यास आश्रम का सप्तम अध्याय में व्यवहार (मुकदमों) के निर्णय तथा कर ग्रहण आदि राजधर्म का अष्टम अध्याय में न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया आदि का नवम अध्याय में वैवाहिक सम्बन्धों से सम्बन्धित विधि सम्पत्ति का विभाजन अपराधों का निवारण तथा वैश्य व शुद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान का दशम अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपत्तिकाल में मनुष्यों के कर्तव्यों का ग्यारहवें अध्याय में पापों की निवृत्ति की विधि का तथा अंतिम बारहवें अध्याय में कर्मों के अनुसार मनुष्य की उत्तम मध्यम व अधम प्रकार की तीन सांसारिक गतियों आत्मज्ञान मानवीय गुण-दोषों देश धर्म जातिधर्म आदि का वर्णन किया गया है।

मनुस्मृति में आर्थिक विचार

हमारे शास्त्रीय ग्रन्थों में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत धर्म राजनीति समाज संस्कृति एव अर्थनीति आदि सभी कुछ पाया जाता है। मानव तथा मानव समाज के सम्पूर्ण आर्थिक

विचार एव क्रियाएँ धर्मशास्त्र में राज्य-व्यवस्था के साथ वर्णित की जाती थी। धर्मशास्त्र के अन्दर ही अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजशास्त्र आचारशास्त्र, वर्ण, सस्कार, आश्रम, यज्ञ, पूजापाठ, योग उपासना आदि सभी कुछ आ जाता है। राजधर्म, धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्र जो मुख्यतः राजा के अधिकारों, विशेषाधिकारों एव उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित धर्मशास्त्र का ही एक अंग है। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने धर्म एव अर्थ के मतभेदों पर धर्म को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार अर्थ वह है जो धर्म से ही प्राप्त किया जाए। कौटिल्य मनु को वेदों के बाद राजनीति, दण्डनीति एव अर्थशास्त्र का पहला आचार्य मानते हैं। मनुस्मृति में आये आर्थिक विचार राज्य-व्यवस्था के साथ-साथ वर्णित किये गये हैं। इन्हीं आर्थिक विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है।

त्रयीविद्या और अर्थ की महत्ता

त्रयी से तात्पर्य ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद में समाविष्ट मौलिक ज्ञान से है। यों तो वेद चार हैं और चौथा वेद अथर्ववेद है, किन्तु त्रयीविद्या की दृष्टि से यह ज्ञानत्रयी (तीन) आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं में बटा हुआ है। यथा-ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना विज्ञान काण्ड। ऋग्वेद में ज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद तथा अथर्ववेद में उपासना तथा विज्ञान विद्या का समावेश है। वेदों में सम्पूर्ण मानव समाज की समस्याएँ जैसे-सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय आदि का हल विस्तारपूर्वक मिलता है। इसलिए प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने त्रयी विद्या को अपने अर्थशास्त्रीय विचारों की पृष्ठभूमि माना था। मनु ने भी सम्पूर्ण मानव समाज के सुव्यवस्थित जीवन का आधार वेदों को माना है। क्योंकि वेदों का विषय-विस्तार या र। विद्याओं का बीज वेदों में ही मिलता है। अर्थात्,

भूतं भव्यं भविष्य च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ।

चातुर्वर्त्यं त्रयो लोकारद्यत्वारश्चा श्रमा पृथक् । (मनुस्मृति 1297)

अर्थ मानव-जीवन की मूल आवश्यकता है। उसके बिना मानव शरीर जीवित नहीं रह सकता। अर्थ धर्म की भांति मोक्ष मार्ग में सहायक है, क्योंकि यह स्थूल शरीर की आवश्यकता है। अर्थ के बिना धर्म और काम लगडा है। अर्थ के बिना धर्म और काम सिद्ध नहीं होते। अर्थ की महत्ता पर मनु ने लिखा है कि 'सर्व पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता अतिश्रेष्ठ है।' मनु ने धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष के क्रम में अर्थ की महत्ता के साथ-साथ अर्थ को धर्म से नियंत्रित किया है, क्योंकि अर्थ की महत्ता तभी तक है जब तक कि वह अधर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। मनु ने त्रयीविद्या (वेद) को ही सर्वोपरि माना है।

उपभोग सम्बन्धी विचार

मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि के विषय में मनुस्मृति में अनेक श्लोको द्वारा व्याख्या की गयी है। मनुस्मृति में यह विस्तार से

बताया गया है कि कौन सी वस्तुएँ उपभोग योग्य हैं तथा कौनसी वस्तुएँ उपभोग योग्य नहीं हैं।

(i) **खाद्यान्न-** मनुस्मृति में दूरीहि (साठीघान) शालि (अगहनीघान) मूग तिल उडद पव लहसुन गन्ना आदि के उपयोग की चर्चा की गयी है। मनु के अनुसार जीविका (भोजन वस्त्र आदि) का प्रवध कर पति को परदेश जाना चाहिए। यदि पति भोजन वस्त्र आदि का प्रवध किए बिना ही परदेश चला जाये तो स्त्री को सूत कातना सिलार्क पिटोरा आदि कार्यों से अपनी जीविकोपार्जन करना चाहिए।¹ मनु वस्तुओं के उपभोग में नैतिकता को प्रमुख स्थान देते हैं वस्तुओं को चुरा कर उपभोग करने पर उन्होंने दण्ड का प्रावधान किया है। मनुस्मृति के अनुसार सूत कपास (रुई) सुरा बीज गोबर दही दूध छाछ पेय पदार्थ घास बास से बने बर्तन नमक मिट्टी के बर्तन सिन्धाने मछली पक्षी घी तैल मांस मधु तथा पशुओं से उत्पन्न होने वाले पदार्थ (जैसे सींग खुर चमड़ा हाथी दात हड्डी आदि) मदिरा पकवान भात आदि के चुराने पर चोरी की गयी वस्तु का दुगुना दण्ड चोर पर करना चाहिए।² वे शाकाहारी भोजन के पक्ष में थे मांस खाना उनके अनुसार उचित नहीं है क्योंकि जीवों की हिंसा किये बिना मांस उत्पादन नहीं हो सकता है और जीवों की हिंसा स्वर्ग-साधन नहीं है अतः मांस को नहीं खाना चाहिए।³ अधिक भोजन करना आरोग्य आयु स्वर्ग और पुण्य के लिए अहितकर है अतः अधिक भोजन नहीं करना चाहिए।

(ii) **वस्त्र-वस्त्रों के सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा है कि धन (वैभव) रहने पर फटे और मैले कपड़ों को न पहने।⁴ गृहस्थ ब्राह्मण के लिए बास की छड़ी जल सहित कमण्डल यज्ञोपवीत वेद तथा सोने के दो सुन्दर कुण्डलों को धारण करने के लिए कहा है दूसरों के पहने हुए जूते कपड़े यज्ञोपवीत आभूषण माला आदि को नहीं पहनना चाहिए।**

(iii) **आवास-** आवास ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ धान्य फल-फूल वृक्षों आदि से समृद्ध हो आसपास विनम्र लोग निवास करते हों तथा आजीविका (खेती सुलभ व्यापार आदि) के साधन हों।

उत्पादन सबधी विचार

मनु ने अपने द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था (समाज व्यवस्था) में उत्पादन करने का अधिकार केवल वैश्य वर्ण को ही दिया है। पशुओं की रक्षा करना दान देना पढ़ना व्यापार करना व्याज लेना खेती करना आदि सभी कार्य वैश्य के लिए हैं।⁵ वैश्य यज्ञोपवीत सरकार हाने के दाद विवाह करके खेती आदि करने तथा पशुपालन का कार्य करे। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि करके उनके पालने का अधिकार वैश्य को दिया है। उन्होंने वैश्य को वस्तुओं के मूल्य तथा खेती के गुण-दोष तौल ब्रह्म-विक्रय आदि के बारे में जानकारी के लिए कहा है। मनु के अनुसार मणि मोती

मूगा, कपडा कपूर, नमक आदि' के मूल्यों में परिवर्तन का वैश्य को जानकारी होनी चाहिए। बीजों को बोने की विधि, खेती के गुण-दोष, तौल तथा तौलने के उपायों को भी मालूम करना चाहिए। वैश्य को क्रय-विक्रय, वेतन, व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लाम-हानि तथा पशुओं के बढ़ने के उपाय भी करने चाहिए। वैश्य धर्म से व्यापार, पशुपालन, खेती आदि द्वारा धन बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे तथा सब प्राणियों के लिए प्रयत्नपूर्वक अन्न का अधिक दान करता रहे।

मनु ने वर्ण जन्म से न मान कर गुण तथा कर्मानुसार माना है।¹⁴ मनु उत्पादन करने का अधिकार वैश्य वर्ण को ही देते हैं तथा सभी वर्णों के कार्य निश्चित किये हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कसाना, दान देना और लेना, ब्राह्मणों के कर्म बताये। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, क्षत्रिय के कर्म हैं। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना, आदि कार्य वैश्यों के हैं तथा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा का कार्य शुद्रों के लिए निश्चित किये हैं। परन्तु मनु ने आपातकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय को भी उत्पादन करने का अधिकार दिया है। शुद्र वर्ग भी शिल्पकर्म को अपनी आजीविका का साधन बना सकता है।¹⁵ मनुस्मृति में जीवन निर्वाह हेतु निम्न 10 कर्म बतलाये हैं-

- (i) विद्या (वेद-वेदांगादि का तथा वैद्यक तर्क विष-निवारण आदि की विद्या)
- (ii) शिल्प (घर, तैलादि को सुगन्धित करना)
- (iii) मृत्ति (दूतादि बन कर वेतन लेना),
- (iv) सेवा (दूसरे वर्णों की नौकरी करना),
- (v) गोरक्षण (गो तथा अन्य पशुओं के पालन, सर्वज्ञान आदि)
- (vi) व्यापार (vii) खेती (viii) धैर्य (थोड़े धन से भी सतोष से निर्वाह करना),
- (ix) भिक्षा-संग्रह तथा (x) सूद।

(अ) कृषि-घीहि (साठीघान) शालि (अगहणीघान), मूग, तिल उड़द, लहसुन, जौ मन्ना आदि की खेती की मनुस्मृति में चर्चा की गयी है।¹⁶ मनु ने कृषि करने के नियमों कृषि की रक्षा तथा कृषि सम्बन्धी विवादों के निदान हेतु भी नियम बनाये हैं। खेती को पशुओं द्वारा नष्ट करने पर पशुस्वामी से क्षति को खेत के स्वामी के लिए दिलवाने का उल्लेख किया गया है। एक ग्राम में ही खेत कुआ तालाब बगीचा, आदि की सीमा का विवाद उपस्थित होने पर राजा उस ग्राम में रहने वाले लोगों के कहने के अनुसार ही सीमा के चिन्ह निश्चित करे। मनु ने कहा है कि यदि कोई भय दिखाकर बगीचा खेत, घर छीन ले तो राजा उसे 500 पणों से दण्डित करे।¹⁷ उत्तम किस्म के बीजों के खेती में महत्त्व के बारे में मनु के विचार हैं कि जो मनुष्य नहीं उगने वाले बीजों को उगने वाला कह कर बेचे तथा अच्छे बीज में दूषित बीज मिला कर बेचे तो राजा को उसे दण्डित करना चाहिए। उन्होंने खेती के साधनों के रूप में हल-कुदाल आदि का भी

उल्लेख किया है। मनु ने अच्छे बीजों का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि 'बीज तथा क्षेत्र में बीज ही श्रेष्ठ कहा जाता है। समय पर जोते तथा सींचे गये खेत में जैसा बीज बोया जाता है अपने गुणों से युक्त वही बीज उस खेत में वैसा ही उत्पन्न होता है भूमि में किसानों के द्वारा एक खेत में भी समय-समय पर बोये गये (विभिन्न जातीय) बीज अपने-अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप वाले उत्पन्न होते हैं। (भूमि का एक रूप होने पर भी बीजों का एक रूप नहीं होता अतः बीज को ही प्रधान मानना चाहिए)। अतः जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही उत्पन्न होता है। (मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 33-40)

मनु ने सिंचाई साधनों एवं उनकी सुरक्षा का भी उल्लेख किया है उनके अनुसार तडाग के बाध या पुल तोड़ने वाले को राजा पानी में डुबा कर या दूसरे प्रकार से वध करे अथवा यदि वह उस तोड़े हुए पुल या बाध को ठीक कराकर दे तो उसे एक सहस्र पण से दण्डित करे। तडाग या बाध से पानी चुरावे या चोरी कर खेत आदि की सिंचाई करे अथवा उसके पानी के मार्ग में बाध बनाकर रोके तो राजा उस व्यक्ति को 250 पण से दण्डित करे।

(ब) पशुपालन—मनु के अनुसार ग्राम के चारों तरफ 100 धनुष अर्थात् 400 हाथ तक तीन वार छड़ी फेंकने से जितनी दूरी तक और नगर के चारों तरफ ग्राम से तिगुनी भूमि पशुओं के घूमने-फिरने के लिए छोड़नी चाहिए अर्थात् इस दूरी तक फसल नहीं बोनी चाहिए। इस दूरी में बोये गये धान्य आदि को यदि कोई पशु नष्ट कर दे तो राजा को पशुपालक को दण्डित नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार जो गो-रक्षक गायों के स्वामी से वेतन के स्थान में धन नहीं लेकर दूध लेता हो तो वह दस गायों में एक अच्छी गाय चुनकर वेतन के बदले उसी का दूध लिया करे। पशु चोरी होने पर रखवाला स्वामी को उसकी चोरी होने की उसी समय सूचना देदे तब वह उस चुराये गये पशु का देनदार नहीं होता है। * मनु ने पशुओं के बढ़ाने के उपायों का उल्लेख किया है तथा यह भी कहा है कि पशुओं का पालन न करे तो उन्हें कष्ट भी नहीं देना चाहिए। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने पशुपालन का कार्य वैश्यों को दिया है। मनु ने पशु चिकित्सा का भी उल्लेख किया है उनके अनुसार चिकित्सा करने वाला यदि अज्ञानतावश पशुओं को ठीक चिकित्सा न करे तो उसे प्रथम साहस (250 पण) तथा मनुष्यों की ठीक चिकित्सा न करे तो मध्यम साहस (500 पण) से राजा दण्डित करे। (मनु स्मृति 9 284)

(स) वन सम्पदा की वृद्धि—मनु के अनुसार राजा को वनसम्पदा की सुरक्षा कर राज्य की सीमा पर बड़ पीपल सेमल साल ताड़ गूलर आदि पेड़ों को लगाये।

(द) धन का अर्जन—मनु ने आजीविका के साधनों की चर्चा करते हुए धर्मपूर्वक धन कमाने का मनुस्मृति में उल्लेख किया है। उन्होंने कुटिलता एवं शठता से रहित आजीविका को अच्छा माना है। मनु ने शास्त्र-विरुद्ध कर्म के द्वारा तथा आपत्ति में भी धन सग्रह को अनुचित माना है। उन्हीं के शब्दों में कर्म करने के योग्य धन से

अधिक का संग्रह करने की इच्छा न कर सयमी बने, क्योंकि सतोष सुख का कारण है और असतोष दुःख का कारण है।¹⁹

विनिमय और व्यापार

मिलकर व्यापार करने की चर्चा करते हुए मनु क्रय-विक्रय के नियमों का निर्धारण भी करते हैं। मनु के अनुसार अधिक मूल्यवाली वस्तु में थोड़े मूल्य वाली वस्तु को मिलाकर साधारण वस्तु को अत्युत्तम बतलाकर तौल में कम या अधिकार आदि के कारण जिसका वास्तविक रूप मालूम नहीं पड़ता, ऐसी वस्तुएँ नहीं बेची जानी चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ भी उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा लिए बिना ही दूसरे की कोई वस्तु बेच दे। और इस प्रकार चोर होता हुआ भी वह अपने को चोर नहीं माने तो राजा उसके साक्षी को प्रमाणित नहीं माने।²⁰ मनु के मत में यदि कोई वस्तु खरीद कर या बेच कर जिनका पश्चात्ताप होने लगे तो वह दस दिन के भीतर (यदि सामान खरीदा हो तो) वापस कर दे तथा (यदि बेचा हो तो) वापस ले ले। उन्होंने तिल, पत्थर, नमक, पशु, दास-दासी, विष, मास तेल, घी, मदिरा आदि का ब्राह्मणों व क्षत्रियों के लिए व्यापार वर्जित किया है। मनु ने स्थल तथा जल मार्ग से व्यापार का भी उल्लेख किया है, उनके अनुसार जल एव स्थल से व्यापार करने वाले व्यक्तियों को अपने लाभ का बीसवा भाग राजा को कर के रूप में देवे।

(i) उद्योग धंधे—मनु के अनुसार ब्राह्मण का वेदाध्यापन, क्षत्रिय का रक्षा करना और वैश्य का पशुपालन करना ये कर्म इनकी जीविकार्थ अपने कर्मों में कर्म कहे गये हैं। मनु की वर्ण व्यवस्था कर्म, योग्यता एव परिस्थिति अनुसार थी। उनके मत में यदि ब्राह्मण अपने कर्म से जीवन-निर्वाह नहीं कर सके तो वह क्षत्रिय का कर्म करता हुआ जीवन-निर्वाह करे। यदि ब्राह्मण कर्म तथा क्षत्रिय कर्म से जीवन निर्वाह नहीं हो तो ब्राह्मण वैश्य कर्म-खेती, गो पालन और व्यापार से जीविका करे। उन्होंने लोहार, बढई, चित्रकारी, कृषि, पशुपालन, मजदूरी, ब्याज, सेवा कार्यों आदि का विवेचन भी अपनी स्मृति में किया है।²¹

मनु राजा से सम्बद्ध बिक्री करने योग्य सामान (हाथी, घोड़ा, गाड़ी आदि) अकाल के समय अन्न, पशु वध के लिए गाय, भैंस, बैल आदि तथा अधिक लाभ की आशा से दूसरे देश में ले जाने वाले व्यापारी को दण्ड देने हेतु कहा है।

मनु मिलकर काम करने वाले कारीगरों आदि को उनके उत्पादन में से विज्ञान, व्यापार, कला आदि की कुरालता को ध्यान में रखते हुए, हिस्से के बटवारे की सलाह देते हैं। मनु ने बड़े यंत्रों के प्रयोग को हानिकारक माना है जो निम्न श्लोक से स्पष्ट होता है।

‘सर्वाकरेष्वधीकारो महायत्र प्रवर्तनम्।

हिसौषधीना स्त्रयाजीवो ऽभिचारो मूलकर्म च॥ (1163)

मनु ने देश में बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रयोग निषिद्ध माना है।

(ii) मुद्रा—मनुस्मृति में लोगों के व्यवहार के लिए तांबे चादी तथा सोने की सजाओ (मुद्रा माध्यम) की चर्चा आयी है। सूर्य की किरणों के मकान की खिड़कियों के अंदर से प्रवेश करने पर जो बहुत छोटा रजकण दिखाई पड़ता है उसे मनु की दृष्टि में प्रमाणों के बीच में प्रथम 'त्रसरेणु' कहते हैं। आठ त्रसरेणु का एक 'लिखा' तीन लिखाओं का एक राजसर्पप तीन राजसर्पणों का एक गौर सर्पप होता है। छ गौर सर्पणों का एक मध्ययव तीन मध्ययवों का एक कृष्णल (रत्ती) पाच कृष्णलो (रत्तियों) का एक मासा (मासा अर्थात् एक आना भर) सोलह मासों (मासाओं = 16 आने) का एक सुवर्ण अर्थात् एक रूपया भर = 80 रत्ती भर होता है। चार सुवर्णों (रूपय भर) का एक पल (छटाक) दस पलों का एक धरण तथा दो कृष्णल (रत्तियों) को काटे (तराजू) पर रखने पर उनके बराबर एक 'रौप्यमापक' माना गया है। सोलह रौप्यमापकों का एक 'रौप्यधरण' तथा 'राजत' अर्थात् चादी का पुराण और तांबे के कर्ष (पैसे) को कर्ष तथा पण कहते हैं। दस रौप्य (चादी का) धरणों का एक राजत (चादी का) शतमान जानना चाहिए और प्रमाण से चार सुवर्णों का एक निष्क (अशर्फी) जानना चाहिए। ढाई सौ पणों का प्रथम (पहला) साहस कहा गया है। पाच सौ पणों का 'मध्यम साहस' तथा एक सहस्र पणों का एक उत्तम साहस होता है।

(iii) तौल और बाट—मनु के अनुसार राजा को पाच-पाच या पन्द्रह-पन्द्रह दिनों बाद मुख्य व्यापारियों के सामने वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करते रहना चाहिए। मनु राजा को यह भी निर्देश देता है कि राजा तुलामान प्रतीमान तथा तराजू को अच्छी तरह जांच कर परीक्षा करे तथा प्रति छ भास पर उनकी जांच कराता रहे। मनुस्मृति में छोटे तौल के लिए छोटे बाटों तथा बड़े तौल के लिए बड़े बाटों के नाम और उनके माप का वर्णन किया गया है। मनु ने अलग-अलग वस्तुओं को कम तौलने पर अलग-अलग दण्ड का वर्णन किया है।¹²

वितरण सम्बन्धी विचार

अर्थव्यवस्था में वेश्य द्वारा जो उत्पन्न होता है उसका वितरण राजा की व्यवस्था से आवश्यकतानुसार करने का मनुस्मृति में वर्णन किया है। उत्पादन के वितरण में राज्य का भाग परिश्रम करने वालों का हिस्सा पूँजी का व्याज और लाभ की एक निश्चित मात्रा निर्धारित की गयी है जो निम्न प्रकार से है।

(1) लगान—मनुस्मृति में भूमि पर राजा का स्वामित्व माना गया है। अतः लगान लेने का अधिकारी भी राजा अथवा राज्य ही है।

(2) मजदूरी—मनुस्मृति में श्रमिकों कर्मचारियों आदि की एक निश्चित वेतन राशि निर्धारित है। मनुस्मृति में राजा को निर्देश दिए गये हैं कि राजकार्य में नियुक्त दास-दासियों के लिए कार्य के अनुसार प्रतिदिन का वेतन एवं स्थान निश्चित करे। राजा

साधारण कार्य करने (पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि) कार्य करने वाले व्यक्ति को एक पण (एक पैसा), छ मास में एक जोड़ा वस्त्र, प्रतिमास एक द्रोण (4 आदक = 2 सेर), धान्य और उत्तम दास दासी के लिए प्रतिदिन 6 पण (पैसा) वेतन दे।¹² मनु ने वेतन के नियमों का भी निर्धारण किया जो निम्न प्रकार से हैं—

(i) वेतन पाने वाला जो कर्मचारी स्वस्थ रहते हुए भी कहने के अनुसार कार्य नहीं करे तो राजा उसे आठ कृषाल (रस्ती) सुवर्ण आदि से दण्डित करे और उनका वेतन नहीं दिलवाये।

(ii) वेतन पाने वाला जो कर्मचारी रोगी रहता हुआ काम नहीं करे तथा पुनः स्वस्थ होकर कहने के अनुसार काम करने लगे तो वह बहुत समय के बाद भी आराम से वेतन पाता है।

(iii) जो कर्मचारी कहे हुए काम को स्वयं रोगी होकर दूसरे से नहीं करावे तथा स्वस्थ होकर स्वयं भी नहीं करे तो वह कुछ किये गये काम का भी वेतन नहीं पायेगा।

(iv) मनु ने खाली यान पर उतराई का एक पण, बोझा उतराई का आधा पण, पशु तथा स्त्री उतराई का चोथाई पण एवं बोझ रहित पुरुष की उतराई का अष्ट मास निर्धारित किया है।

(v) जलमार्ग से दूर तक जाने में नदी के वेग-प्रवाह की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता तथा समय आदि के अनुसार नौका का भाड़ा निश्चित करना चाहिए।

(vi) दो मास से अधिक की गर्भवती, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी और ब्राह्मण से पार उतराई न ली जाय। नाव खेने वाले की भूल से यदि यात्रियों का कोई सामान नष्ट हो जावे तो नाविक गण अपने पास से थोड़ा-थोड़ा देकर क्षतिपूर्ति करे।

मनु ने गोरक्षक के वेतन के बारे में कहा है कि जो गोरक्षक गायों के स्वामी से वेतन के स्थान में धन नहीं लेकर दूध ले तो वह दस गायों में से एक अच्छी गाय को चुनकर वेतन के बदले उसका दूध ले सकता है।

(3) ब्याज-मनुस्मृति में ब्याज विषयक विचार बहुत क्रांतिकारी है। मनु के शब्दों में 'ब्याज पर ऋण देने महाजन वशिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनवर्द्धक सूद ले, उसे ऋण द्रव्य का 1/80 भाग अर्थात् सवा रूपया प्रतिशत सूद लेना चाहिए। यदि ऋणदाता धर्म का स्मरण करता हुआ दो प्रतिशत अर्थात् दो रूपया सैकड़ा प्रतिमास ब्याज ले तो वह पाप का भागी नहीं होता। 'मनु ने वर्षों के अनुसार भी ब्याज दर का निर्धारण किया है। उनके अनुसार 'ब्राह्मण से दो रूपया सैकड़ा तथा शुद्र से पांच रूपया सैकड़ा ब्याज लेना चाहिए। मनु ने ऋण एवं ब्याज के सम्बन्ध में निम्न नियम निश्चित किए हैं।¹⁴

(1) न्यायलय में ऋण लेने वाले द्वारा ऋण लेना स्वीकार कर लेने पर ऋण द्रव्य का 5 प्रतिशत और अस्तव्यता से ऋण लेना स्वीकार नहीं करने पर उसे 10 प्रतिशत दण्डित करना चाहिए।

(ii) भूमि तथा गो आदि गिरवी रखकर ऋण लेने पर उनका उपभोग करता हुआ ऋणदाता ऋणी से सूद नहीं लेता तथा अधिक समय बीत जाने पर (मूल धनराशि से दुगना हो जाने पर) भी ऋणदाता रहन रखी हुई सम्पत्ति को न तो दूसरे को देने का अधिकारी है और न ही बेचने का।

(iii) धरोहर में रखे आभूषण आदि का उपभोग ऋणदाता न करे यदि वह उपभोग करता है तो उसे ब्याज नहीं लेना चाहिए। धरोहर की वस्तु खराब हो जाय तो उसके स्वामी को उचित मूल्य देकर सतुष्ट करे अन्यथा वह चोर माना जायेगा।

(iv) गिरवी और उधार की वस्तु बहुत समय व्यतीत होने पर भी छुड़ाने वाला जब मागे तभी लेने का अधिकारी होता है। अतः नियत समय बीत जाने पर भी उन वस्तुओं को देने वाला जब मागे तभी वे वस्तुएँ वापस कर देनी चाहिए।

(v) मनु स्वामित्व के अधिकार को मान्यता देते हैं उनके अनुसार यदि वस्तु का स्वामी अपनी वस्तु का उपभोग किसी अन्य द्वारा दस वर्ष से किया जाता देखे और लेने का प्रयत्न न करे तो फिर उस वस्तु का स्वत्व नहीं रहता। 16 वर्ष से अधिक आयु के दयस्क पुरुष के समक्ष धन का उपभोग अन्य पुरुष देरोकटोक करे तो भोगने वाला ही उसका अधिकारी होता है स्वामी नहीं।

(vi) धरोहर बालक का धन दासी राजस्व और श्रोत्रिय का धन अन्य भोगे तो भी धन का अधिकार नष्ट नहीं होता।

(vii) बधक रखे गये वस्त्र आभूषण आदि वस्तुओं का भोग जो व्यवहार शून्य स्वामी की आज्ञा को नहीं पाकर करता हो उसे उन वस्तुओं के भोग के बदले में आधा सूद लेना चाहिए।

(viii) एक बार लिए ऋण पर ब्याज की वृद्धि मूलधन से दुगनी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकतम ब्याज की दर पाँच प्रतिशत निश्चित की है।

(ix) वर्ष से अधिक बीतने पर ब्याज न ले (अर्थात् वर्ष के भीतर ही ब्याज का हिसाब कर ले तथा शारीरिक श्रम के रूप में या कष्ट देकर बढ़ाया हुआ ब्याज न ले)।

(x) ऋण चुकाने में असमर्थ हो और पुनः लिखित देने का इच्छुक हो तो पूर्व का सब ब्याज ऋणदाता को देकर लेख का परिवर्तन करे।

(xi) यदि ऋणी ब्याज भी देने में असमर्थ हो तो सूद को मूलधन में जोड़ कर जो धन राशि हो उतने का कागज (हैंडनोट आदि) लिख कर दे ऐसा करने पर उस धन (ब्याज सहित मूलधन) का सूद भी ऋणी को देना होगा।

(xii) जो व्यक्ति ऋण लेने में ऋणी का जमानतदार रहे वह यदि समय पर उस ऋणी को उपस्थित नहीं करे तो अपनी सम्पत्ति में से उस ऋण को चुकता करे। परंतु जमानतदार की सतान 'उसके मरने की स्थिति में उस ऋण को चुकता करने के लिए बाध्य नहीं है।

(xiii) यदि पिता यह कर कर जमानतदार बना हो कि ऋणी के ऋण चुकता नहीं करने पर मैं ऋण चुकता करूँगा तो ऐसी अवस्था में ऋणी के द्वारा ऋणदाता का ऋण नहीं देने पर पिता के मरने पर भी वह ऋण उस जमानतदार के पुत्र को देना पड़ेगा।

(xiv) पागल, रोगी, बालक (16वर्ष से कम) नशायुक्त और वृद्ध आदि को इनके पिता, भाई आदि सम्बन्धियों की राय के बिना दिया गया ऋण शास्त्र मर्यादा के प्रतिकूल होता है।

(xv) छल या कपट से बंधक रखी गयी या बेची गयी सम्पत्ति को राजा अमान्य या नहीं किये के बराबर कर सकता है।

(xvi) सम्मिलित कुटुम्ब के काम के निमित्त ऋण लेने वाले की मृत्यु हो जाय तो भाई बटे हुए अपने अपने धन से ऋण चुकावे।

(xvii) घर के मालिक के देश या विदेश में रहने पर अधीनस्थ सेवक आदि ने भी यदि घर के पालन-पोषण के लिए जो ऋण लिया है उसे स्वामी को चुकाना पड़ेगा।

(xviii) मनु ने चक्रवृद्धि ब्याज, जबरन लिखाये गये दस्तावेज को अमान्य बतलाया है।

(xix) यदि ऋणदाता अपना ऋण पाने के लिए राजा के यहाँ प्रार्थना करे तो राजा को चाहिये कि ऋणी से ऋणदाता को धन दिलवाये।

(xx) धर्म, व्यवहार, छल, आचरण तथा जबरन ऋण लेने वाले व्यक्ति से ऋण देने वाले व्यक्ति को उसका धन राजा वापस दिलवाये।

(xxi) यदि ऋण देने वाला ऋणी से बल आदि द्वारा अपना दिया ऋण वापस वसूल करता हो तो राजा मना न करे अर्थात् अपना ऋण वसूल करने देवे।

(xxii) यदि ऋणी ऋण लेने से मुकर जाये तथा लेख या साक्षी द्वारा उसका ऋण लेना प्रमाणित हो जाय तो राजा उस ऋणी से ऋण की राशि के अलावा ऋण राशि का दसवा अंश अतिरिक्त धन दण्ड के रूप में ऋणदाता को दिलवाये।

(xxiii) न्यायाधीश द्वारा ऋण की राशि, ऋण देने के स्थान, तथा बिना लिखवाये धन के बारे में ऋणदाता से पूछने पर सतोषजनक जवाब नहीं दे या ऋणदाता घबराकर दूसरी बातें कहने लग जाये तो वह ऋणदाता उक्त ऋणी से धन का अधिकारी नहीं होता।

(xxiv) न्यायाधीश के कहने पर यदि ऋणदाता साक्षी उपस्थित नहीं कर सके तो न्यायाधीश को उस ऋणदाता को धन वापस नहीं दिलवाये।

(xxv) यदि ऋणी धन लेना स्वीकार न करे तो न्यायाधीश के सामने वादी (मुद्दी) कम से कम तीन गवाहों को अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए पेश करे।

(xxvi) ऋणी अधिक धन लेकर भी कम लेना बतलाये या ऋणदाता कम धन देकर अधिक धन का दावा करे तो राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश को उसके दुग्ने धन से उन्हे दण्डित करे।

(xxvii) गृहस्थ पुत्रवाले पहले से वहाँ निवास करने वाले क्षत्रिय वेश्य शूद्र जाति वाले ये लोग मुद्ई (ऋणदाता) के साक्षी (गवाह) हो सकते हैं।

(xxviii) ऋण देने व लेने वालों के सम्बन्धी मित्र नौकर शत्रु (ऋणी का विरोधी) रोग पीडित आदि से साक्षी (गवाह) नहीं दिलानी चाहिए।

(xxix) राजा कारीगर नट-भाट वैदिक ब्रह्मचारी तथा सन्यासी इनको साक्षी नहीं बनावे।

(xxx) लोक निन्दित चोर बूढ़ा बालक अकेला चाण्डाल आदि को भी गवाह नहीं बनाना चाहिए।

(xxxi) दुखी पागल भूख-प्यास से पीडित थका कामी क्रोधी और चोर को भी साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए।

(xxxii) स्त्रियों के मुकदमों में स्त्रियों को द्विजों के व्यवहार (भूकदमों) में द्विजों को शूद्रों के व्यवहार में शूद्रों को साक्षी बनाना चाहिए।

इस प्रकार मनु ने ऋण देने की प्रक्रिया वसूल करने गवाह आदि विचारों का विस्तृत रूप में विवेचन किया है जो आज भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया का आधार है।

लाभ सम्बन्धी विचार

किन वस्तुओं का आयात हुआ किनका निर्यात हुआ रखने से लाभ बेचने से वृद्धि रख-रखाव पर व्यय आदि पर ठीक प्रकार विचार करके राजा को सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित कर क्रय-विक्रय करवाना चाहिए। पाच-पाच रात्रि या प्रति पखवाडा राजा को व्यापारिक वस्तुओं की कीमते व्यापार में दक्ष व्यक्तियों से करवानी चाहिए। उस प्रकार मनु व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लेने के प्रति सजग थे तथा शोषण को रोकने हेतु राजा को निर्देश दिए कि वह वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर ध्यान रखे।²⁵

राजस्व सम्बन्धी विचार

(अ) राज्य की आय

मनुस्मृति में कर (टैक्स) शुल्क आर्थिक दण्ड युद्ध में जीते हुए माल असबाब आदि को राज्य की आय के साधन बतलाये गये हैं। उन्होंने कर देने के निषिद्ध व्यक्ति तथा अधिक एव अनुचित कर निषेध की भी चर्चा की है।

कर सम्बन्धी विचार

कर व्यवस्था के सम्बन्ध में मनुस्मृति में निश्चित प्रणाली एव नियमों का प्रतिपादन किया गया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करे। वे कर व्यवस्था के सम्बन्ध में शासक की निरकुशता को प्रतिबन्धित करते हैं।

करारोपण के साकारात्मक नियम

(1) राजा खरीद-विक्री मार्ग भोजन मार्ग आदि में चोर आदि से रक्षा का व्यय तथा लाभ को देखकर व्यापारी से कर लेवे।

(2) जिस प्रकार जोक, बछड़ा और भ्रमर थोड़े-थोड़े अपने-अपने खाद्य (क्रमशः रक्त, दूध और मधु) को ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए।

(3) राजा को पशु तथा सुवर्ण का कर (मूलधन से अधिक) का पचासवाँ भाग और धान्य का छठा आठवाँ या बारहवाँ भाग (भूमि की श्रेष्ठता अर्थात् उपजाऊपन एवं परिश्रम आदि का विचार करके) ग्रहण करना चाहिए।

(4) वृक्ष, मास शहद, घी गन्ध, औषधि रस (नमक) फूल, मूल फल, पत्ता, घास, चमड़ा बास मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बनी वस्तुओं का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करे।

(5) राजा अपने विश्वासपात्रों से वार्षिक कर वसूल करावे और लोगों से कर लेने में न्याययुक्त बर्ताव करे और मनुष्यों में राजा पिता के समान बर्ताव करे।¹⁷

(6) राजा प्रजा के धन का छठा या बारहवाँ हिस्सा कर के रूप में लेवे परन्तु आपत्तिकाल में यदि उतना कर लेने से राज्य कार्य चलना असम्भव हो तो प्रजा के धन्य का चौथा भाग ले सकता है।¹⁸

(7) राजा को आपत्तिकाल में वैश्य के धन्य में से आठवा भाग (विशेष आपत्ति काल में चौथा भाग) तथा सोने-चादी आदि में से बीसवा भाग (आपत्तिकाल में 50 वाँ भाग) कर लेना चाहिए।

(8) बड़ई, शूद्र एवं अन्य कारीगरों से कोई कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे तो काम (बेगार) के द्वारा राजा का उपकार करते हैं।¹⁹

(9) राजा आयात-निर्यात की दूरी स्थान, कर्मचारियों या अन्य कुली आदि तथा कीड़े आदि के कारण कितना माल घटेगा, इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखकर बाजार में बेचने योग्य सब सौदों (अन्न, वस्त्र, शस्त्र, काष्ठ आदि) का मूल्य निश्चित कर क्रय-विक्रय करावे। राजा खरीद बिक्री, मार्ग भोजन मार्ग में चोर आदि से रक्षा पर व्यय और लाभ को देखकर ही व्यापारी से कर लवे।

करारोपण के सम्बन्ध में निषेधात्मक नियम

मनु ने राज की कर ग्रहण शक्ति को अनेक निषेधात्मक नियमों द्वारा नियंत्रित किया है जो निम्नलिखित हैं—

(i) राजा द्वारा आपत्तिकाल में भी वेदपाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राजा द्वारा सुरक्षित वेदपाठी ब्राह्मण जिस धर्म का करता है उससे राजा की आयु, धन और राज्य में वृद्धि होती है।

(ii) देश में सामान्यतम वस्तुओं जैसे शाक, पत्ता आदि के व्यवहार अर्थात् उनकी खरीद बिक्री से जीवन-निर्वाह करने वाले व्यक्तियों पर वार्षिक कर की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए।

(iii) राज्य के बढ़ई लौहार आदि अति निर्धन व्यक्तियों पर राज्य द्वारा किसी प्रकार का कर-भार नहीं डालना चाहिए; कर के स्थान पर राजा उन व्यक्तियों से प्रतिमाह एक दिन कार्य करवाने के रूप में ही कर वसूली कर लेना चाहिए।¹⁰

(iv) राजा को अधिक लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर वा अधिक भार नहीं डालना चाहिए।

इस प्रकार करारोपण के सम्बन्ध में मनु ने निश्चित एवं स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है तथा राजा की निरकुश शक्ति को भी प्रतिबन्धित किया है। अतिरिक्त कर भार तथा निर्धन व्यक्तियों से कर वसूली को भी मनु ने उचित नहीं माना है। उनकी कर प्रणाली में प्रजा के कल्याण की धारणा शामिल थी। मनु के अनुसार कर निर्धारण में उद्देश्य की एकाग्रता आवश्यक है तथा कर का सग्रह वार्षिक होना चाहिए ताकि इससे वसूलने का बेकार खर्च नहीं होगा।

शुल्क के विषय में दक्ष एवं विद्वान् योग्य वस्तुओं का मूल्य जानने वाले पुरुष जिस वस्तु का जो मूल्य निश्चित करे उसके लाभ का बीसवा भाग राजा को मिले। राजा के क्रय योग्य विशेष पात्र वस्त्र वाहनादि तथा जिन वस्तुओं का निर्यात राजा ने रोक दिया हो उन वस्तुओं को जो लोभवश देशान्तर में ले जाये उस व्यापारी की सम्पूर्ण सम्पत्ति को राजा जब्त कर ले।

मनु के अनुसार शुल्क (चुगी-कस्टम) से बचने के लिए चुगी कर का रास्ता छोड़कर व्यापारी दूसरे रास्ते से माल ले जाये या असमय (रात्रि आदि में गुप्त रूप से) में क्रय-विक्रय करे अथवा कर बचाने के उद्देश्य से वस्तु का परिमाण कम बतावे तो उसने जितना कर बचाया हो राजा उसका आठ गुना दण्ड दे।

मनु ने आर्थिक दण्ड को भी राज्य आय का साधन माना है परन्तु उन्होंने समाज में नैतिकता स्थापित करने या बुरे कार्यों को रोकने के लिए ही आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया है। स्थायी आय के रूप में नहीं। मनु ने आर्थिक दण्ड के रूप में निम्न विचार प्रकट किये हैं—

(i) लोभ से असत्य गवाही देने पर 1000 पण मोह से असत्य गवाही देने पर प्रथम साहस भय से असत्य गवाही देने पर दो मध्यम साहस मित्रता या प्रेम से असत्य गवाही देने पर चौगुना अर्थात् चार प्रथम साहस काम से असत्य गवाही देने पर दस गुना प्रथम साहस क्रोध से असत्य गवाही देने पर तिगुना मध्यम साहस अज्ञान से असत्य गवाही देने पर दो सौ पण और असावधानी से असत्य गवाही देने पर सौ पण का दण्ड (जुर्माना) न्यायाधीश करे।¹¹

(ii) राजा या न्यायाधीश बार-बार किये गये अपराध देश काल अपराधी की शारीरिक एवं आर्थिक शक्ति तथा अपराध की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को दण्डित करे।

(iii) यदि राजा अदण्डनीय व्यक्ति को दण्डित करे या दण्डनीय व्यक्ति को छोड़ दे तो वह राजा बड़ा अपयश पाता है और नरक को भी जाता है।

(iv) राजा गुणियों को प्रथम बार अपराध करने पर वाग्दण्ड, उसके बाद दूसरी बार अपराध करने पर धिग्दण्ड तीसरी बार आर्थिक दण्ड (जुर्माना) और उसके बाद बधदण्ड (अगच्छेद या प्राणदण्ड) से दण्डित करे। वेतन पाने वाला कर्मचारी स्वस्थ रहता हुआ भी करने के अनुसार कार्य नहीं करे तो राजा उसे आठ कृष्णल (रत्त) सुवर्ण से दण्डित करे तथा उसको वेतन नहीं देवे।

(v) मनु के अनुसार चोरी करने पर शुद्र को आठ गुना, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बत्तीस गुना, ब्राह्मण को 64 या 100 या 128 गुना तक दोष होता है। अतः अपराध के अनुसार शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण उत्तरोत्तर अधिक दण्डनीय होते हैं।

(vi) ग्रामवासी देशवासी या व्यापारी आदि के समुदाय (कम्पनी आदि) का जो व्यक्ति सत्यादि शपथपूर्वक किये गये समय ('यह काम मैं इतने दिनों में पूरा करूँगा' इत्यादि रूप में शर्त-ढेका) को लोभ आदि से भंग करे तो राजा शर्त तोड़ने वाले पर चार सुवर्ण (एक सुवर्ण अर्थात् एक रूपया भर = 80 रत्ती भर), छ निष्क (अशर्फी) या शतमान अर्थात् 32 रत्ती चादी का दण्ड (जुर्माना) दिलावे।

(vii) किसी वस्तु को खरीद या बेच कर पछतावे तो वह वस्तु दस दिन में लौटाई जा सकती है। किन्तु दस दिन के बाद वस्तु नहीं लौटाई जा सकती है। यदि इस स्थिति के पश्चात् क्रेता या विक्रेता कोई बल प्रयोग करे तो राजा उस पर 400 पण का दण्ड करे।

(viii) पशुपालक साथ रहते हुए भी यदि मेड़युक्त खेत में घुस कर पशु घान को नष्ट करे तो पशुपालक पर 100 पण का दण्ड करे।

(ix) किसान के दोष से उसी के पशु द्वारा खेत चरे जाने के कारण अथवा असमय में बोन के कारण जितने राज देय (राजा को कर रूप में देने योग्य अन्न) की हानि हो, उसका दस गुना दण्ड उस किसान को होता है। यदि किसान की बिना जानकारी में नौकरों के दोष से उक्त प्रकार की हानि हो तो उस हानि का पांच गुना दण्ड उस किसान से राजा को लेना चाहिए।^{१५}

इस प्रकार मनुस्मृति में दण्ड धर्म सम्मत, शास्त्रानुकूल, एव अपराध की मात्रा के अनुरूप प्रयोग आवश्यक माना गया है। मनु ने दण्ड के महत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "दण्ड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है, जब प्रजा सोती है, तो दण्ड जागता है, चोर दण्ड के भय से चोरी नहीं करते। धार्मिक कार्यों का सम्पादन भी दण्ड के भय से ही किया जाता है, अतः दण्ड को धर्म माना जाता है।"^{१६}

राजा को युद्ध में जीते हुए माल असबाब से भी आय प्राप्त होती थी। मनु के अनुसार रथ, घोडा, हाथी, छत्र, घन, धान्य, पशु, स्त्रियाँ, गुड, नमक, सोना चादी, पीतल, ताँबा आदि को जो योद्धा जीत कर लाता है उसे राज को देवे और राजा विजयी योद्धाओं के लिए सम्मिलित रूप में जीत कर प्राप्त किये द्रव्यों में से प्रत्येक को पुरुषार्थ के अनुसृत विभाग कर देवे।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कर शुल्क दण्ड एव मुद्द में जीते हुए माल से राजा को आय प्राप्त होती थी। मनु की राज्य आय के सदर्म में यह कथन उल्लेखनीय है कि राजा अप्राप्त (नहीं मिले हुए भूमि तथा सुवर्ण आदि) को भाने की इच्छा करे प्राप्त (भूग्यादि) की यत्नपूर्वक रक्षा करे रक्षा किये गये को बढ़ावे और बढ़ायें हुए (द्रव्य भूमि आदि) को सत्यपात्रो में दान करे

मनु केवल करो के स्रोत नियम आदि की ही व्याख्या नहीं करते वरन् उन्होंने अधिक एव अनुचित करो के निषेध की भी चर्चा की है। मनु के अनुसार निर्धन राजा भी वेदपाठी ब्राह्मण (क्षेत्रिय) से कर न ले। अर्धे बहरों पगुओ सत्तर वर्ष से अधिक वृद्धों से किसी भी प्रकार का राजा कर (टैक्स) नहीं लेवे।¹ मनु के मत में जो राजा मोह वश अपने राज्य की देखरेख न करके धन ग्रहण करता है। (प्रजा की रक्षा न करके भी अन्यायपूर्वक उनसे अनेक प्रकार के कर लेता है)। वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। राजा को अपने राज्य में अल्प मूल्य के व्यापार से वृत्ति चलाने वालों से स्वल्प कर ले। शिल्पी श्रमिकों आदि से कर के रूप में एक दिन काम करवाये।

(ब) राज्य का व्यय

मनुस्मृति में मुख्य रूप से राज्य के तीन प्रकार के व्ययों का वर्णन मिलता है—(1) राज्य का प्रशासकीय व्यय (2) राज्य का सुरक्षा व्यय तथा (3) प्रजा की भलाई पर व्यय। राजा द्वारा राजकार्य में नियुक्त दास-दासियों के लिए कार्य के अनुसार प्रतिदिन का वेतन एव स्थान निर्दिष्ट किया जाता था। रथ घोड़ों नाव हाथियों तलवार धनुष भाला-बर्छा आदि को राजा खरीदने तथा राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों पर व्यय का मनुस्मृति में उल्लेख है। मनु के अनुसार आय व्यय करने में कुशल गणितज्ञ धर्मयुक्त अर्थ का विचार करने वाले व्यक्तियों को दूत अथवा राजदूत नियुक्त किए जाने चाहिए। घोर-डाकुओं से प्रजा की रक्षा करने पर व्यय किया जाता था। विधवा रोगी स्त्रियों की सम्पत्ति की रक्षा तथा उनके लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था राज्य द्वारा किए जाने का उल्लेख मनुस्मृति में है।¹ मनु के अनुसार राजा को यज्ञ करने के इच्छुक पथिक गुरु-माता-पिता के लिए भोजन वस्त्र देने के इच्छुक पढ़ने के लिए भोजन वस्त्र का इच्छुक रोगी आदि को गो सोना चन् वस्त्र आदि दान देना चाहिए। राजा को वेदज्ञाता ब्राह्मणों के लिए यज्ञविधानार्थ माती माणिक्य आदि सब प्रकार के रत्न और दक्षिणा के लिए धन देना चाहिए। मंत्रिया एव राजदूतों पर व्यय का भी मनुस्मृति में उल्लेख है।

इस प्रकार मनु स्मृति में राजा द्वारा राज्य की सुरक्षा पर प्रजा की भलाई एव राज्य के प्रशासन पर होने वाले व्यय का वर्णन किया गया है।

उत्तराधिकार एव सम्पत्ति के वितरण सम्बन्धी विचार

मनु उत्तराधिकार को जन्म से स्वीकार करते हैं इस सम्बन्ध में उनके विचार इस प्रकार से हैं—

(1) माता-पिता के मरने पर सब भाई एकत्रित होकर पैत्रिक सम्पत्ति को बराबर

बाट ले, क्योंकि वे माता-पिता के जीवित रहते उनकी सम्पत्ति को लेने में असमर्थ रहते हैं।

(2) अथवा बड़ा भाई ही पिता के सब धन को प्राप्त करे और अन्य छोटे भाई पिता के समान उस बड़े भाई से भोजन वस्त्र आदि पाते हुए जीवन यापन करे या उसी के साथ में सम्मिलित होकर रहे। परंतु उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा तभी संभव है जब ज्येष्ठ भाई धार्मिक एवं भातृवत्सल हो।

(3) मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र के उत्पत्ति मात्र से (उसके सस्कार युक्त नहीं होने पर भी) पुत्रदान हो जाता है और पितृ ऋण से छूट जाता है अतः ज्येष्ठ पुत्र पिता की सब सम्पत्ति पाने योग्य है।

(4) ज्येष्ठ भाई छोटे भाईयों का पालन पिता के समान करे तथा छोटे भाई ज्येष्ठ भाई में धर्म के लिए पुत्र के समान वर्ताव करे अर्थात् ज्येष्ठ भाई को पिता तुल्य माने।

(5) पिता के सम्पूर्ण धन में से ज्येष्ठ भाई को बीसवाँ भाग तथा श्रेष्ठ पदार्थ (चाहे वह एक ही हो), कनिष्ठ (सबसे छोटे) भाई को अस्तीवा भाग और मध्यम भाई को चालीसवा भाग, तथा शेष बचे हुए भाग को परस्पर समान भाग में बांट ले।

(6) यदि तीन से अधिक भाई हो तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाई को हिस्सा क्रमशः बीसवाँ तथा अस्तीवा होगा तथा अन्य मध्यम भाइयों का बचे हुए धन का प्रत्येक को चालीसवा भाग प्राप्त होगा।

(7) सम्पूर्ण सम्पत्ति में से श्रेष्ठ वस्तु ज्येष्ठ भाई को मिलती है, यदि एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो वह भी उसे ही मिलती है, तथा दस-दस गाय आदि पशुओं में से एक-एक श्रेष्ठ भाई को मिलती है।

(8) पितृ धन राशि में से ज्येष्ठ भाई दो भाग, उससे छोटा भाई डेढ़ भाग तथा उससे छोटा (या तीन भाई से अधिक होने पर छोटा) भाई एक भाग ले, यह व्यवस्थित धर्म है।

(9) अपने-अपने भाग का चतुर्थांश भाग अविवाहित बहिनों को भाई देवे।

(10) भेड़, बकरी, घोड़ा आदि के विषम होने (भाइयों में विभाजित नहीं होने की स्थिति में) पर वह बड़े भाई का ही भाग होता है, उसे समान बांटने के लिए बेचकर या उसके बराबर धन का सब भाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता।

(11) पुत्रहीन पिता की सम्पत्ति अपने जामाता (अपनी पुत्री से उत्पन्न पुत्र) को प्राप्त होगी, दूसरे को नहीं।

(12) माता का धन उसकी अविवाहित पुत्री का ही भाग होता है तथा पुत्रहीन नाना के सब धन को दौहित्र (धेवता, नाती) को ही प्राप्त होता है।

(13) मनु ने पौत्र (पुत्र का पुत्र अर्थात् पीता) तथा दौहित्र (धेवता, नाती अर्थात् पुत्रिका) में कोई भेद नहीं किया है। पुत्रिका (पुत्री के पुत्र को कन्यादान के समय पारलौकिक क्रिया करने हेतु कहने पर) करने के बाद यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाय तो धेवता तथा पौत्र दोनों को सम्पत्ति में समान भाग मिलेगा।

(14) यदि किसी कारण वश विना पुत्र उत्पन्न किये ही पुत्रिका (धेवता) मर जाय तो उसके पिता (श्वसुर) के धन को पुत्रिका का पति (जमाई) ही निःसदेह ग्रहण करे।

(15) पिता के धन पाने का अधिकारी सहोदर भाई या पिता नहीं होते वरन उसकी सत्तान होती है। पर मुख्य पुत्र तथा स्त्री एव कन्या के न होने पर पुरुष के धन का भागी पिता या भाई होते हैं।

(16) ब्राह्मणों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्र वर्णों के धन को पुत्र पुत्री या कोई भी उत्तराधिकारी के नहीं होने पर राजा ग्रहण करे।

(17) माता के मरने पर सब सहोदर भाई या अविवाहित सहोदरी रहने उसके धन को बराबर भाग में प्राप्त करे।

(18) विवाहकाल में अग्नि साक्षित्व के समय पिता आदि के द्वारा दिया गया (कन्यादान) पिता के घर से पति के घर लाने हेतु दिया गया (दहेज) प्रेम-सम्बन्धी किसी सुअवसर पर पति आदि के द्वारा दिया गया भाई माता या पिता द्वारा विविध अवसरों पर दिया गया धन स्त्री धन कहलाता है।

(19) विवाह के बाद पति कुल में या पितृकुल में प्राप्त हुए स्त्री के धन को पाने का अधिकार उसके पति के जीवित रहने पर भी पुत्रों या पुत्रियों को ही होता है। परंतु मनु के अनुसार ब्राह्मण देव आर्य गान्धर्व और प्रजापत्य विवाहों से प्राप्त सत्तानहीनता स्त्री के उपर्युक्त धन का अधिकारी पति ही होता है।

(20) नपुंसक पति वहरा पागल गुमा लगडा आदि धन के भागीदार नहीं होते किन्तु वे भोजन वस्त्रादि के अधिकारी होते हैं।

(21) पिता के मरने के बाद यदि बड़ा भाई अपने पुरुषार्थ से धनोपार्जन करे तो उस धन में पढ़े-लिखे भाइयों का भाग होता है।

(22) विद्या से मित्र से और अन्य कर्म से जिसको जो धन प्राप्त होता है वह धन उसी का होता है।

(23) पिता के धन को नष्ट करता हुआ यदि कोई पुत्र केवल अपने पुरुषार्थ (व्यापार आदि) से उपार्जित धन में से किसी के लिए कुछ नहीं देना चाहे तो वह अपने पुरुषार्थ से उपार्जित धन में से किसी को भी नहीं देवे।

(24) भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई विदेश चला जाये या सन्यासी हो जाए या मर जाये तो उसके भाग का लोप (नाश) नहीं होता है। वरन उसके भाग में से सब छोटे भाई रहने समान भागीदार होते हैं।

(25) यदि ज्येष्ठ भाई पिता के धन में से अपने छोटे भाइयों को उचित हिस्सा न दे तो वह राजा द्वारा दण्डनीय होता है।

(26) जुआ खेलने मद्य पीने वैश्यागमन करने वाले भाई पिता के धन के भागीदार नहीं हो सकते। इस प्रकार मनु ने धन वितरण को नैतिकता से जोड़ा है।

(27) पिता के जीवित रहते ही उन पुत्रों की इच्छा से उनमें धन का बटवारा करने और इसके बाद पिता के अन्य पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पिता के मरने के बाद यह पिता का भाग ही प्राप्त कर सकता है। परन्तु यदि कुछ भाई विभाजित होने पर भी पिता के साथ मिलकर रहने लगे तो बाद में उत्पन्न पुत्र पिता के मरने पर उसके साथ मिलकर रहने वाले भाइयों के साथ सभी धन में से समान भाग प्राप्त करता है।

(28) सतानहीन पुत्र के धन को माता लेवे तथा माता मर गयी हो तो पिता की माता (दादी) प्राप्त करे।

(29) मनु के अनुसार वस्त्र, आभूषण, वाहन सार्वजनिक जलस्थान, दासियाँ, मंत्री, पुरोहित आदि अविभाज्य होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनु ने पैत्रिक धन के बटवारे या उत्तराधिकार के सद्वर्णन में निश्चित एवं स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया है। उत्तराधिकार सम्बन्धी विचारों में मनु ने नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया है। उनके उत्तराधिकारी सम्बन्धी नियम न्यायसंगत एवं विवेक सम्मत हैं।

वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था की आर्थिक उपयोगिता

मनु ने सामाजिक व्यवस्था को चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शुद्र में वर्गीकृत किया है। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की चार विभिन्न अवस्थाओं के चार आश्रमों—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास के रूप में विभाजित किया है। मनु ने समाज के निर्माण एवं व्यवस्था के निर्वाह के लिए चार वर्णों के द्वारा भिन्न-भिन्न विशेषीकृत कार्यों को सम्पन्न किया जाना आवश्यक माना है। वर्ण व्यवस्था अपने मूल रूप में योग्यतानुसार कार्यों के विभाजन के एक सन्तुलित माध्यम के रूप में प्रतिपादित की गयी। किन्तु कालांतर में इसने जातीयता का रूप धारण कर लिया। यदि हम कर्म के अन्तर्गत मनु की वर्णाश्रम-व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो आज जो बेकारी का उग्र रूप हमारे सामने है वह समस्या ही समाप्त हो सकती है। यदि सभी वर्णों एवं आश्रमों अपने-अपने नियम कार्यों में लगे होते हैं तो बेकारी समाप्त हो सकती है। आज बेरोजगारी की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि धन कमाने की अवधि 25 वर्ष से बढ़ा कर 50 वर्ष कर दी गयी है। जिन्हें निःशुल्क सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए था जिन्हें विद्याध्ययन में लगा होना चाहिए, वे रोजगार में डटे हैं। अतः योग्य व्यक्ति बेकार हैं। वर्ण-व्यवस्था सबको योग्य बनाने का मौका देती है और सबको योग्य बनने का अधिकार देती है। मनु की वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है।

मूल्यांकन

प्राचीन भारतीय चिन्तन के प्रणेताओं में मनु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुस्मृति वेद के बाद राज्य व्यवस्था विषयक विचारों का पहला ग्रन्थ है। मनुस्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ही ग्रन्थ नहीं है अपितु इसमें आर्थिक जीवन से जुड़े विषयों पर

भी महत्वपूर्ण सिद्धात एव नियम उल्लेखित है। प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थो मे धर्मशास्त्र के अन्तर्गत ही धर्म राजनीति समाज सस्कृति एव अर्थनीति आदि सब कुछ आ जाता है। मनुस्मृति मे भी आर्थिक विचार राज्य-व्यवस्था के साथ साथ ही वर्णित किये गये है। मनु ने कृषि उद्योग पशुपालन व्यापार करारोपण उत्तराधिकार आदि विषयो पर महत्वपूर्ण नियमो एव विचारो का प्रतिपादन किया है। मनु के दर्शन की व्यावहारिक उपयोगिता प्रभावशीलता और महत्व इस बात से स्वयं सिद्ध है कि आज भी हिन्दु व्यवस्था के अनेक सदसो को मनुस्मृति निर्दिष्ट करती है।

सदर्म

- 1 मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 32-33
- 2 काणे पी वी धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 43
- 3 पूना प्रवचन पृष्ठ 67 (आठवा प्रवचन)
- 4 श्री गौरोला सस्कृति साहित्य का इतिहास पृष्ठ 746
- 5 काणे पी वी धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 47
- 6 पूना प्रवचन पृष्ठ 67 (आठवा प्रवचन)
- 7 कौटिल्य अर्थशास्त्रम् 12 18
- 8 मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 75
- 9 मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 326-329
- 10 मनुस्मृति, अध्याय 5 श्लोक 48-56
- 11 मनुस्मृति अध्याय 2, श्लोक 57
- 12 मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 34
- 13 मनुस्मृति 190 9 326-333
- 14 मनुस्मृति 187-91
- 15 मनुस्मृति 10 74-117
- 16 मनुस्मृति 9 39
- 17 मनुस्मृति 8.262, 264
- 18 मनुस्मृति 8 231-237
- 19 मनुस्मृति 4 11-12 15
- 20 मनुस्मृति 8 197 203 210
- 21 मनुस्मृति 10 75-84 115-116
- 22 मनुस्मृति 8 320-321 403
- 23 मनुस्मृति 7 125-126
- 24 मनुस्मृति 8 139-170
- 25 मनुस्मृति 8 401

- 26 मनुस्मृति, 7 127-138
- 27 मनुस्मृति, 7 80
- 28 मनुस्मृति, 10 118-119
- 29 मनुस्मृति, 10 120
- 30 मनुस्मृति, 7 80, 126-130
31. मनुस्मृति, 8 118-121
- 32 मनुस्मृति, 8 215-243, 118-119
- 33 मनुस्मृति, 7 133, 8.394
- 34 मनुस्मृति, 7.143-144, 8 27-28, 206-209
- 35 मनुस्मृति, 9 103-218, 145-147, 192-219

प्रश्न

- 1 मनु के भाप-तौल के बारे मे क्या विचार थे। बताइये
- 2 आवश्यकता से अधिक धन संग्रह को मनु ने असंतोष का कारण क्यों माना है?
- 3 मनु के मजदूरी सम्बन्धी नियमो को स्पष्ट कीजिए।
- 4 मनु के अनुसार राजकीय आय के स्रोत बताइये। मनु के करारोपण के सम्बन्ध मे निषेधात्मक नियमो का वर्णन कीजिए।
- 5 मनु के उत्पादन सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 6 मनु के लगान, मजदूरी, ब्याज एव लाभ सम्बन्धी विचारों का परीक्षण कीजिए।
- 7 करारोपण के सम्बन्ध मे मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 8 मनु द्वारा प्रस्तावित कर-व्यवस्था का परीक्षण कीजिए।
- 9 आर्थिक चिन्तन मे मनु के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।
- 10 मनु के राजस्व सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 11 निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए—
 - (i) मनुस्मृति
 - (ii) मनु के ब्याज सम्बन्धी विचार
 - (iii) मनु के मुद्रा एव तौल व बाट सम्बन्धी विचार।



सक्षिप्त परिचय

भारतीय नीतिशास्त्र के इतिहास में शुक्राचार्य का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। शुक्राचार्य के पर्याय उशना काव्य भार्गव आदि हैं। शुक्राचार्य के परिचय के नाम पर यह लोक कथा प्रचलित है ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। भृगु के पुत्र कवि हुए और कवि के असुर गुरु महर्षि शुक्राचार्य उत्पन्न हुए। यद्यपि ये असुरों के गुरु थे किन्तु मन से भगवान के अनन्य भक्त थे असुरों के मध्य रहते हुए भी वह सदैव उनको धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। आचार्य शुक्र योगविद्या में पारंगत थे। इन्हीं के प्रभाव व ससर्ग से प्रह्लाद विरोचन बलि आदि भगवद भक्त बने।' दण्डी के 'दशकुमारचरितम् राजनीति-शास्त्रकारों के नामों के उल्लेख में सर्वप्रथम स्थान शुक्राचार्य को दिया गया है। भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने एक हजार अध्यायों में शुक्रनीति का सक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया। 'शुक्रनीतिसार' के अनुसार शुक्रकृत सक्षिप्त नीतिशास्त्र में मात्र 2200 श्लोक थे जो शुक्रनीतिसार में आज भी मौजूद हैं लेकिन यह तथ्य असंगत जान पड़ता है कि एक हजार अध्याय के ग्रन्थ में मात्र 2200 श्लोक ही हों।

शुक्रनीति अपने विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। शुक्रनीति का मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इस ग्रन्थ का अनेक बार प्रकाशन हुआ। प्रमाणिक संस्करण के रूप में विद्वान ऑपर्ट (Oppert) के द्वारा मद्रास से प्रकाशित एव जीवानन्द विद्यासागर के संस्करण को ले सकते हैं। प्राध्यापक विनय कुमार सरकार ने 'सैक्रेड बुक्स ऑफ हिन्दू सीरीज' में इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया। सभी ग्रन्थों में शुक्रनीति चार अध्यायों में विभक्त है।

शुक्राचार्य के काल का निर्धारण करना कठिन है। यह कहना भी कठिन है कि महाभारत कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि में जिस शुक्र का उल्लेख किया गया है वे वही शुक्राचार्य हैं जिनका ग्रन्थ 'शुक्रनीति-सार' आजकल उपलब्ध है। विषयवस्तु एव विवेचनशैली के आधार पर 'शुक्रनीति सार' कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद की रचना मालूम होती है। डॉ. घोषाल आदि ने इसकी रचना 12 वीं और 16 वीं शताब्दी के मध्य हुई मानी है। तथापि यह उचित प्रतीत होता है कि इसका अधिकांश भाग 11 वीं और 12 वीं शताब्दियों में लिखा

गया और कुछ अंश 14 वीं शताब्दी तक जुड़ता चला गया। स्पष्ट है कि उपलब्ध शुक्रीनीतिसार ग्रन्थ की रचना एक लम्बे समय तक चलने वाली प्रक्रिया रही है।

शुक्रीनीति में मूल चार अध्याय हैं। इसमें एक पाचवाँ अध्याय 'खिलनीति' के रूप में है। शुक्रीनीति के अन्तर्गत 'गज्यकृत्याधिकार' के सद्वर्णन में नीतिशास्त्र का उपक्रम, प्रशंसा, प्रयोजन एवं उपयोग के विषय में बतलाते हुए धर्म की प्रशंसा, राजा के भेद, कर्म की महत्ता, जातिभेद, कर्मफल और भाग्य, राजा के अंग, स्त्री का आकर्षण, मद्य और काम-क्रोध का प्रयोग, राजा की योग्यता, गुण-दोष, राजा के आदेश, पंडित, वक्ता तथा दाता, विशैले अन्न की परीक्षा, राजा निर्णय तथा बल-पराक्रम आदि विषयों पर विचार किया गया है। द्वितीय अध्याय में युवाराजादिलक्षण के अन्तर्गत युवराज, मंत्री, पुरोहित, प्रधानसचिव, जज, पंडित अमात्य, सेनापति, सैनिक, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, दानाध्यक्ष, सभासद, परीक्षक, कराधिकारी, दानी, पौराणिक, शास्त्रविज्ञ, ज्योतिर्विज्ञ, वैद्य, तांत्रिक, जासूस आदि के कर्तव्यों की चर्चा की गयी है। इसके अतिरिक्त दानपत्र, शासनपत्र, क्रयपत्र, ऋणलेख, शूद्रिपत्र के बारे में बताया गया है। शासन चलाने के विषयों, वेतन तथा पेंशन सम्बन्धी नियमों की जानकारी दी गयी है। तृतीय अध्याय में 'नृपराष्ट्रादि के लक्षण' के अन्तर्गत निषिद्धाचरणों और आततायियों के लक्षण, जगत को वश में करने के उपायों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि व्यवहार कैसे करे, सबसे बड़ा सुख क्या है, आजीविका कैसे, देश के लिए कौन श्रेष्ठ, गृहस्थी के लिए क्या दुःखदायक, कौन मित्र व कौन प्रिय एवं माता-पिता, मित्र, स्त्री आदि के लक्षणों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय 'मिश्र प्रकरण' को शुक्रीचार्य ने सात प्रकरणों में विभाजित किया है। पहला प्रकरण—सुहृदादि निरूपण, दूसरा प्रकरण—कोष निरूपण, तीसरा प्रकरण विद्या-कला, निरूपण, चौथा प्रकरण—लोकधर्म निरूपण, पाचवाँ प्रकरण—राजधर्म निरूपण, छठा प्रकरण—दुर्ग निरूपण और सातवाँ प्रकरण—सेना निरूपण है। शुक्रीनीति में पाचवाँ अध्याय 'खिल नीति' निरूपण के अन्तर्गत जीवन में सुपथगामी होने के लिए अन्य उपयोगी नीतियों को सरल ढंग से कहा गया है। महर्षि शुक्रीचार्य ने इस अध्याय में अवशिष्ट नीति का संक्षेप में वर्णन करते हुए राज्य वृक्ष, धूर्त व सज्जन में अन्तर, धर्म-अधर्म में भेद, सुखी राजा कौन हो सकता है, आपत्ति पड़ने पर राजा के क्या कर्तव्य हों, सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ किसे कहे, छल क्या है, सेवकों के भेद, कार्य में प्रवृत्ति तथा उनके दोषों के कारणों को जानने आदि के सम्बन्ध में चर्चा की है।

इस प्रकार शुक्रीनीति की विषयवस्तु बहु-आयामी है। प्राचीन भारतीय राजनीति के ग्रन्थों की भाँति इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यावहारिक अधिक है। अपनी विषयवस्तु के कारण भारतीय ग्रन्थों में शुक्रीनीति का महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्रीनीतिसार में तो यहाँ तक कहा गया है कि शुक्रीनीति को छोड़कर अन्य सब नीतियाँ कुनीतियाँ हैं। दण्डी के 'दशकुमारचरितम्' में राजनीति-शास्त्रकारों के नामोल्लेख में सर्वप्रथम स्थान शुक्रीचार्य को दिया गया है।

शुक्रनीति मे वर्णित आर्थिक विचार

शुक्रनीति मे वर्णित आर्थिक विचारो को मुख्यत निम्न शीर्षको के अन्तर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है—

(1) अर्थशास्त्र की परिभाषा

मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति के चार मूलाधार हैं जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष ओर धर्म की इच्छा तो केवल मनुष्य को ही होती है किन्तु अर्थ और काम की इच्छा और उसकी पूर्ति के बिना तो मनु, पशु, पक्षी कीट पतंग और तृण-पल्लव आदि का भी निर्वाह नही हो सकता। पशु आदि की आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये किसी शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता नही होती किन्तु मनुष्य की आर्थिक शारीरिक आदि आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये जिस शास्त्र की रचना की गई है उस शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है।

प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार मनुष्य-शरीर को जीवित रखने के लिये सभी साधन अर्थ है और उन साधनो तथा उनकी पूर्ति का जो शास्त्र अध्ययन करे वह अर्थशास्त्र है। राजधर्म को सभी धर्मों का तत्व या सार कहा गया है। राजनीति राजधर्म का ही दूसरा नाम है। प्राचीन भारत मे अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र पर्यायवाची माने जाते थे। अर्थशास्त्र शब्द दण्डनीति या राजनीतिशास्त्र का पर्याय माना जाता रहा है। शुक्रनीति भी अर्थशास्त्र की परिभाषा राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनो अर्थों मे करती है। अर्थशास्त्र एव दण्डनीति शब्द दो दृष्टिकोणो से शासनकाल के लिए प्रयुक्त हुए हैं। जब सभी प्रकार के धन एव सम्पत्ति के उद्गम एव वृत्ति के निरुपण को शास्त्र की सज्ञा दी गयी तो इनके विषय विवेचन को अर्थशास्त्र कहा गया। इसी प्रकार प्रजा-शासन एव अपराध-दण्ड की विशिष्टता दी गयी तो शासनशास्त्र को दण्डनीति के नाम से कहा गया। प्राचीन काल मे धर्म शब्द के अन्तर्गत मानव-जीवन के सम्पूर्ण क्रिया-कलाप आ जाते थे। धर्मशास्त्र के अन्दर ही अर्थशास्त्र कामशास्त्र राजशास्त्र नीतिशास्त्र आचारशास्त्र वर्ण सस्कार आश्रम यज्ञ पूजापाठ योग उपासना आदि सब कुछ आ जाता है। धर्म और अर्थ के मतभेदो पर धर्मशास्त्रकारो ने धर्म पर अधिक बल दिया है। धर्मशास्त्र को स्मृति किन्तु अर्थशास्त्र को उपवेद की सज्ञा से विभूषित किया है। अर्थ और धर्म या अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र मे पूरी तरह सामंजस्य हाना चाहिए। अर्थशास्त्र यदि सम्पत्ति की व्याख्या कर उसे अर्जित करने की बात कहता है तो धर्मशास्त्र उस सम्पत्ति का सदुपयोग सिखाता है। अर्थ वह है जो धर्म से ही प्राप्त किया जाए।

शुक्रनीति वास्तव मे राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy) से भरी पडी है। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो की तरह आचार्य शुक्र ने भी 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था' (Political Economy) शब्द का प्रयोग राजा तथा प्रजा की धर्मशास्त्र के अनुसार संचालित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियो के लिए किया है।

शुक्र ने अर्थशास्त्र को ज्ञान की 32 शाखाओं में से एक शाखा के रूप में परिभाषित किया है। आधुनिक अर्थशास्त्र की तरह शुक्र ने भी शास्त्र (ज्ञान) तथा कला (Art) में अन्तर किया है। शुक्र के अनुसार "Arthshastra is that science which describes the actions and administration of kings in accordance with the dictates of sruti and smriti as well as means of livelihood in a proper manner."

आचार्य शुक्र ने अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "जिसमें श्रुति तथा स्मृति के अतिरिक्त (अनुकूल) राजाओं के लिये आचरण के विषय में उपदेश किया गया हो तथा अच्छे कौशल से धन अर्जन की विधि कही गई हो, उसे 'अर्थशास्त्र' कहते हैं।"

उक्त परिभाषा में दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है प्रथम, श्रुति तथा स्मृति के अनुकूल राजाओं द्वारा किये जाने वाले आचरण का उपदेश तथा द्वितीय, अच्छे कौशल से धन अर्जन की विधि।

(i) राजा के आचरण - श्रुति एवं स्मृति के अनुकूल राजाओं के कई तरह के आचरण बताये गये हैं। 'नित्य प्रजाओं का पालन तथा दुष्टों का दमन करना' ये दोनों राजाओं के परम धर्म हैं। आधुनिक सदर्भ में प्रत्येक राज्य को जनता की सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। दुष्टों के दमन से तात्पर्य बाहरी आक्रमण से प्रजा की सुरक्षा तथा आन्तरिक अराष्ट्रीय तत्वों का दमन कर शांति व्यवस्था बनाये रखने से है। शुक्र नीति में राजा के बारे में कहा गया है कि राजाओं को 7 गुणों से युक्त होना चाहिए अर्थात् उसे पिता, माता, गुरु, भ्राता, बुधु, कुबेर, यम आदि के वक्ष्यमाण गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा को पिता की तरह अपनी सतान (प्रजा) को निपुण बनाने वाला, माता की तरह अपने सतान (प्रजा) के अपराधों को क्षमा करने वाला गुरु की तरह शिष्य को हित का उपदेश करने वाला तथा सुन्दर विद्या को पढाने वाला भ्राता की तरह पिता के धन में से अपने भाग को ग्रहण करने वाला अर्थात् प्रजा से ग्रहण करने वाला होना चाहिए। जिस तरह से बधु अपने मित्र के शरीर, स्त्री धन तथा गुप्त रहस्य की रक्षा करने वाला मित्र के समान होता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के लिए होना चाहिए। आवश्यकता पडने पर कुबेर के समान धन देने वाला एवं यम के समान अपराधी को यथार्थ दण्ड देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे राजा में उपर्युक्त सात गुण होने अति-आवश्यक हैं।

शुक्रनीति में राजा को आठ तरह के आचरण करने के लिए निर्देश है।

(1) दुष्टों का निग्रह करना (2) दान देना (3) प्रजा का परिपालन (4) राजसूर्यादि यज्ञ (5) न्यायपूर्वक कोष (खजाना) बढ़ाना (6) राजाओं से कर वसूल करना (7) शत्रुओं का भान नर्दन करना (8) बार-बार राज्य को बढ़ाना। ये आठ प्रकार के राजा के आचरण हैं।

शुक्रनीति में आगे कहा गया है कि जिन राजाओं ने सेना नहीं बढ़ायी राजाओं

को कर देने वाला (अधीन) नहीं बनाया प्रजाओं का भलीभाँति पालन-पोषण नहीं किया वे बाँझ तिल के समान तुच्छ कहलाते हैं।

(ii) धनार्जन - शुक्रनीति में धर्मानुसार अर्थाजन करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। यदि कोई मनुष्य धर्म तथा अर्थ में समर्थ है अर्थात् धर्मानुसार अर्थाजन करने में निपुण है और देश काल का ज्ञाता अर्थात् तदनुसार कार्य करने वाला एय सशय-रहित है तो वही सदा पूज्य होता है। शुक्रनीति में आगे बताया गया है कि मनुष्य अर्थ का दास होता है न कि पुरुष का दास अर्थ होता है। अतः अर्थ के लिए सदा प्रयत्न पूर्वक यत्नशील रहना चाहिए। मनुष्यों को अर्थ से ही धर्म काम तथा मोक्ष जैसे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। शुक्रनीति में राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र पर विचार करने को कहा गया है। धनार्जन को आवश्यक बताते हुए शुक्रनीति में कहा गया है कि जब तक मनुष्य धनयुक्त रहता है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं तथा जब वही धन से रहित होता है तो भले ही गुणवान हो किन्तु उसे स्त्री-पुत्रादिक भी छोड़ देते हैं अतः ससार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही सारभूत कहा गया है।

सुन्दर विद्या उपार्जन या सुन्दर सेवा शूरता कृषि करके या व्याज पर रुपया ऋण देकर दुकानदारी या संगीत आदि कला के द्वारा जिस भी प्रकार मनुष्य धनवान बन सके उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि धनियों के द्वार पर गुणी लोग नौकर की तरह पड़े रहते हैं। शुक्र ने धन के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं और निर्धनों के गुण भी दोष तुल्य हो जाते हैं। इससे निर्धन की सभी लोग निंदा करते हैं। इस प्रकार शुक्र ने समृद्धि प्राप्त करने को अच्छा तथा निर्धनता को बुराई माना है।

आचार्य शुक्र ने अर्थशास्त्र को धन अर्जन का शास्त्र कहा है अतः यहाँ यह भी आवश्यक है कि उनके अनुसार धन से क्या तात्पर्य है। आधुनिक अर्थशास्त्र की भाषा में शुक्र ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही माना है।

इस प्रकार शुक्र के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य को अधिकतम सभव सन्तोष प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर को जीवित रखने के लिए सभी साधन अर्थ है और उन साधनों तथा उनकी प्राप्ति का जो शास्त्र अध्ययन करे वह अर्थशास्त्र है। शुक्रनीति की परिभाषा में अर्थशास्त्र को श्रुति स्मृति के अनुकूल दिखाकर मनुष्यों की सभी आवश्यकताएँ अर्थशास्त्र में समाविष्ट कर दी गयी हैं।*

(2) अर्थ की महत्ता एवं धन के स्त्रोत व उपयोग

भारतीय आर्य सभ्यता की चार आधारशिलाओं (धर्म अर्थ काम और मोक्ष) में अर्थ का अति महत्त्व है। ये चारो आधारशिलाएँ एक दूसरे से सम्बन्धित और पूरक हैं।

* श्रुतिस्मृत्या वितोषेन राजवृत्तादि-शासनम्
सुयुक्त्याऽर्थार्जनं यत्र ऽर्थशास्त्रं तदुच्यते ॥

अर्थ मानव-जीवन की मूल आवश्यकता है उसके बिना मानव शरीर ही जीवित नहीं रह सकता तो फिर धर्म का धारण, काम का उपभोग और मोक्ष की प्राप्ति कौन करे? शरीर मात्र खुल धर्म साधनम्। अर्थात् शरीर ही धर्म और मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है। अर्थ धर्म की भाँति मोक्ष मार्ग में प्रधान सहायक है क्योंकि यह स्थूल शरीर की आवश्यकता है। अर्थ के बिना धर्म और काम लगडा है फिर मोक्ष पद को प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

अर्थ के महत्व का प्रतिपादन करते हुए महाभारतकार लिखते हैं, 'अर्थ के बिना धर्म और काम सिद्ध नहीं होते अतः अर्थ ही समस्त धर्म और काम के पालन करने में सहायक और अग्रणी है' * अर्थ की महत्ता पर मनु ने लिखा है कि 'सब पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता अतिश्रेष्ठ है।' ** कौटिल्य ने लिखा है, 'धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में अर्थ प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर हैं।' कौटिल्य धर्म और काम को अर्थ पर निर्भर मानते हैं। शुक्र के मत में अर्थ से धर्म, काम और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। यह पुरुष अर्थ का दास है, किन्तु अर्थ किसी का दास नहीं है अतः अर्थ की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपश्य प्रयत्न करे।⁶

शुक्र ने शिल्पशास्त्र को अर्थशास्त्र का अंग माना है। जिस शास्त्र में मन्दिर, प्रतिमा, बगीचा, घर, बावड़ी आदि बनाने का विधान हो वह वास्तु शिल्पशास्त्र है।

शुक्र ने कोडी से लेकर रत्नादि को द्रव्य कहा है। पशु, अन्न, वस्त्र, तृण, आदि को धन कहा है।⁷ शुक्र के अनुसार अध्वर्यु आदि के कर्म से जो धन ग्रहण किया जाए एव वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय से जो धन प्राप्त किया जाए वह सबसे बड़ा धन होता है अर्थात् ये महाधन है।

(अ) धनार्जन की विधि, सीमाधन, एव धनार्जन करने वालों की श्रेणी — शुक्रनीति के अनुसार विद्या तथा धन चाहने वाले को नित्य कर्म से क्षण तथा कण का त्याग नहीं करना चाहिए। क्षण-क्षण भर प्रतिदिन अभ्यास करके विद्या का एव कण-कण भर का संग्रह कर धन का अर्जन करना चाहिए। परन्तु शुक्रनीति में मान-सम्मान से कमाए हुए धन को ही उत्तम माना है। शुक्र के अनुसार 'जो केवल धन चाहते हैं, वे 'अधम' जो धन तथा मान दोनों चाहते हैं वे 'मध्यम' एव जो केवल मान चाहते हैं वे 'उत्तम' जन कहलाते हैं क्योंकि बड़े लोगों का धन मान (आदर) ही है।

धनार्जन की सीमा बताते हुए आचार्य ने कहा कि जो धन 12 वर्ष तक परिवार की रक्षा करने लायक होता है वह नीच सज्ञक, जो 16 वर्ष तक रक्षा करने योग्य हो वह मध्यम तथा जो 30 वर्ष तक परिवार की रक्षा करने योग्य होता है वह उत्तम सज्ञक धन होता है।

* अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणाम् व्यतिक्रमः।

न हृष्यतेऽर्थेन वर्तेत धर्म कान्ताविति श्रुतिः ॥ — महाभारत शांति पर्व 167-12

** सर्वेषामेव ईदृशनामर्थं शौचं परं स्मृतम् — मनुस्मृति 5-106

(ब) धनार्जन का उपयोग - शुक्रनीति में धन अर्जन एव उसके उपयोग को निम्न प्रकार से व्यवस्त किया गया है-

(1) उत्तम भार्या पुत्र या मित्र के लिए एव दान (आज की भाषा में हस्तांतरण भुगतान) के लिए तो नित्य धनार्जन करना हितकर है। अतः बिना उस सब भार्यादियों के धन और भृत्यादिजनो के धनादि व्यर्थ है।

(2) भविष्य में रक्षा करने में समर्थ धन की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सौ वर्ष तक मैं जीऊँगा एव इस धन से आनन्द प्राप्त करूँगा- इस बुद्धि से धन और विद्या का पच्चीस वर्ष पर्यन्त या उसका आधा 12 ½ वर्ष या उसका आधा 6 ¼ वर्ष पर्यन्त सदा संग्रह करना चाहिए।

(3) विद्यारूपी धन अत्यन्त श्रेष्ठ है इससे अन्य धन विद्यामूलक हैं अर्थात् विद्या से ही अन्य धन का उपार्जन होता है। विद्या धन देने से नित्य बढ़ता है अन्य धन घटता है। विद्या रूपी धन से भार नहीं होता। जबकि अन्य धन में भार होता है इसे कोई उठाकर नहीं ले जा सकता है जबकि अन्य धन को उठाकर ले जा सकता है।

(4) जब तक मनुष्य धन युक्त रहता है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं और जब वही मनुष्य धन से रहित हो जाता है तो भले ही गुणवान हो किन्तु उसे स्त्री-पुत्रादिग भी छोड़ देने हैं। * अतः ससार में व्यवहार चलाने के लिए धन ही सारभूत रहा गया है और इसी धन-प्राप्ति के लिए मनुष्य प्राणो को सशय में डालने वाले कठिन कार्यों के द्वारा भी प्रयत्नशील रहे।

(5) सुन्दर विद्या उपार्जन या सुन्दर सेवा श्रुता खेती वरके या ब्याज पर रुपया देकर दुबानदारी या रागीत आदि कला द्वारा दान लेकर एव चाहे जिस किसी वृत्ति या आश्रय लेकर मनुष्य धनवान बन सके और उसी के अनुकूल कार्य करे क्योंकि धनियों के द्वार पर गुणी लोग नौकर की तरह पड़े रहते हैं।

(6) धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं और निर्धनो के गुण भी दोष-तुल्य हो जाते हैं। इससे निर्धन की सभी लोग निन्दा ही किया करते हैं।

(7) धन के पेर में पड़कर अनेक व्यक्ति चिन्ता करते-करते पागल हो जाते हैं। वित्तने ही शत्रुओं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और वित्तने ही एव-दूसरों की या शत्रुओं की नौकरी भी कर लेते हैं।

(8) लोभ से रहित धनी पुरुष या विद्यासाधक या श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा इनमें किसी एक के पास में अच्छी तरह से संचित धन को रखा चाहिये अथवा रखने के लिए एवत्र धन को लिखने व बाद चाहे जिसके पास रखा चाहिये।

(9) मित्रता के नामे मागने पर मित्र के लिए बिना ब्याज पर धन देना चाहिये और

* अरिः शत्रुः सधनः शत्रुः सर्वस्तु सेव्यः

निर्धनस्त्यज्यते भार्यापुत्राद्यैः सगुणीभ्यः

यदि उस मित्र के ऊपर वैसा बिना ब्याज धन शेष हो तो भी पुनः धन देना हानिकारक नहीं है।

(10) ऋण लेने वाले को ब्याज देने में समर्थ देखकर सदा बंधक या किसी के जमानत पर और किसी की गवाही के साथ लिखा-पट्टी करके उचित मात्रा में सुखपूर्वक लौटाने लायक धन देना चाहिये। ब्याज के लाभ से उपर्युक्त रीति से भिन्न अवस्था में धन नहीं देना चाहिये अन्यथा मूलधन नष्ट हो जाने की समावना रहती है।

(11) मनुष्य को हृदय के अंदर उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता रखकर समय आने पर धन का उचित व्यय करना चाहिए।

(12) भार्या, पुत्र और मित्र ये सब यदि उत्तम हो तो इनकी रक्षा धन से करनी चाहिए।

(13) अपना कल्याण चाहने वाला पिता, स्त्री एवं कार्य करने में समर्थ हुये पुत्रों को अपना धन आपस में शीघ्र विभक्त करदे जिससे कलह न हो सके और इसी प्रकार से सहोदर भाई भी विवाह हो जाने एवं कार्य करने में समर्थ हो जाने पर आपस में सम्पत्ति का बटवारा करते अन्यथा परस्पर लड़कर निश्चय ही समाप्त हो जाते हैं।

(14) कृपण (कजूस) की भाँति धन की रक्षा करे और समय आने पर विरक्त की भाँति दे देवे अन्यथा इसके विपरीत आचरण होने पर व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त होता है।

3 उपभोग

आचार्य शुक्र ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में अन्न, वस्त्र, मकान, चिकित्सा तथा शिक्षा पर आवश्यक रूप से विचार किया है। उनके अनुसार राजा का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह प्रजा की इन भौतिक पदार्थों की निश्चित रूप से पूर्ति करे।

आचार्य ने कहा है कि लोगों को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धर्मानुसार अर्थाजिन करना चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति धर्मानुसार अर्थाजिन में निपुण है तथा देश काल का ज्ञाता अर्थात् तदनुसार कार्य करने वाला एवं सशय-रहित है तो वही सदा पूज्य होता है। आचार्य ने बताया कि अर्थ का दास पुरुष ही होता है न कि पुरुष का दास अर्थ होता है। अतः अर्थ के लिए सर्वदा प्रयत्न पूर्वक यत्नशील रहना चाहिए। अर्थ से ही मनुष्य को धर्म, काम तथा मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। (5 38-39)

उपभोग की घर्षा करते हुये आचार्य ने कहा मनुष्यों को सदा समय पर मिलकर तथा उचित मात्रा के साथ आहार-विहार, देवादि को भोग लगाकर प्रसाद-भोजन, अकातर त्वनाव, अच्छी तरह से सोना तथा शरीर एवं मन से पवित्र रहना चाहिए। इन सब विषयों को सदा करना चाहिए (3 111)

देवता, पितृगण तथा अतिथियों को बिना दिये कमी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोहवश केवल अपने लिए भोजन बनाता है तथा देवादि को बिना दिये भोजन करता है उसका जीवन नरक के लिए होता है। (3 139)

मनुष्यों को सदा शिकार जुआ खेलना स्त्री-समोग करना मद्यदि पीना आदि चार व्यसन सदा करना त्याग कर कभी थोड़ा-सा समय आने पर कर लेना उचित होता है अन्यथा नहीं। (3 156)

उपभोग के विषय में किसी को प्रतिनिधि बनाने पर आपत्ति करते हुए आचार्य ने बताया कि तपस्या कृषि किसी वस्तु का उपभोग करना भोजन करना आदि कार्यों में मनुष्य को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में हानि की ज्यादा संभावना रहती है। (3 267)

अति उपभोगवाद पर कटाक्ष करते हुए आचार्य ने बताया कि जो मनुष्य उपभोग के सम्बन्ध में ज्यादा आशा लगाये रहते हैं उनके लिए ब्रह्माण्ड के अन्दर उपलब्ध वस्तुएँ भी उनकी थोड़ी-सी इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती अर्थात् ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुएँ भी उपलब्ध करा दी जाये तो भी उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती।

आवास के सम्बन्ध में आचार्य की यह धारणा है कि राजा ग्राम में दीन मध्यम तथा उत्तम लोगो के लिए तथा कुटुम्बियों के लिए नगर में घर बनाने के योग्य सदा उचित भूमि की व्यवस्था करे। (5 87)

आवास के लिए उपयुक्त माप की चर्चा करते हुए आचार्य ने सुझाव दिया कि 32 हाथ लम्बी तथा 16 हाथ चौड़ी अधमा 64 हाथ लम्बी तथा 32 हाथ चौड़ी उत्तमा और 48 हाथ लम्बी तथा 24 हाथ चौड़ी मध्या सजाक भूमि वासार्थ देनी चाहिए तथा जैसी कुटुम्ब की स्थिति न्यून या अधिक हो उसी के समान भूमि व्यवस्था करनी चाहिए। उससे न कम तथा न अधिक होनी चाहिए।

आचार्य शुक्र ने सुझाव दिया कि सभी नियुक्त किये गये अधिकारियों को ग्राम से बाहर की भूमि में निवास करना चाहिए।

उपभोग्य वस्तुएँ - तिक्त कटु अम्ल लवण कषाय (कसैला) मधुर इन छ रसों से युक्त एव प्रधान रूप से मिठाईयुक्त जो भोजन होता है उसे सर्वोत्तम समझना चाहिए। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिये एव स्वस्थ रहने पर ही आमंत्रित प्रतिभोज में भोजन स्वीकार करना चाहिये। धान्य वस्त्र गृह वगीची गौ गज आदि तथा रथ के लिये एव विद्या तथा राज्य आदि के उपार्जन के लिये और धन आदि की प्राप्ति के लिए तथा इन सबकी रक्षा के लिये जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग्य कहते हैं।

विषाक्त अन्न की परीक्षा - शुक्र के अनुसार विष-दोष के भय से बदर मुर्गा आदि के द्वारा अन्न की परीक्षा करनी चाहिये। विषयुक्त अन्न को देखते ही इस लडखडाने लगते हैं भौंरे शब्द करने लगते हैं मयूर नाचने लगते हैं मुर्गे बोलने लगते हैं बदर मल-मूत्र त्यागने लगते हैं सारिका पक्षी वमन करने लगती है। राजा और अधिकारियों को चाहिये कि किसी भी प्रकार के अन्नादि के सेवन से पूर्व उसकी जाँच करके यह जान लेना चाहिये कि भोजन विषाक्त तो नहीं है।

अकेले सुख उपभोग का निषेध - शुक के अनुसार मनुष्य को अकेले सुखो का उपभोग नहीं करना चाहिये। जीविका से रहित तथा शोक से पीड़ित लोगो की यथाशीघ्र सहायता पहुँचा कर उपकार करना चाहिये एव कीड़े तथा चींटियो तक के भी सुख-दुखादि को अपनी ही भाति समझना चाहिये।

उपभोग सम्बन्धी अन्य उपदेश - (i) मृगया (शिकार) और अच (जुआ) खेलना, स्त्री सभोग करना, मद्यादि पीना, ये चार मनुष्यो के लिए व्यसन कहे गये है, मनुष्य को इनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिये, कभी-कभी कर लेना उचित होता है अन्यथा नहीं।

(ii) किसी के साथ कपट पूर्ण व्यवहार करके आजीविका की हानि नहीं करनी चाहिए तथा कभी किसी का अहित भी मन से नहीं सोचना चाहिये।

(iii) गुरुजनो के तथा राजा के आगे उनसे ऊँचे आसन पर या पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए और उनके वाक्यो का तर्क द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिये।

(iv) मद पैदा करने वाले द्रव्यो से अधिक मतवाला नहीं होना चाहिये और नात्पायक सतान पर 'यह मेरा पुत्र है' ऐसी ममता नहीं करना चाहिये।

(v) जिसने कुटुम्ब का भरण-पोषण नहीं किया और शत्रुओ को नष्ट नहीं किया एव प्राप्त वस्तु की भलीभाति रक्षा नहीं की अर्थात् उसका जीवन व्यर्थ है।

(vi) अत्यत दरिद्र, ऋणी, स्त्रियो के वशीभूत रहने वाला, याचक, गुणहीन और धन से रहित व्यक्ति जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होते है।

(vii) धनु, आयु, गृह के दोष, मत्र, मैथुन, औषध, दान, मान-अपमान, इन नौ विषयो को अत्यत मुत्त रखना चाहिये।

(viii) भोजन करते हुये रास्ता चलना, हस्तते हुए बात करना, नष्ट हुई वस्तु या बीती हुई बात या मरे हुये व्यक्ति के विषय में शोक करना, अपने किये हुये कार्य की स्वय प्रशसा रूप मे दर्पन, ये कार्य नहीं करने चाहिये।

(ix) वरत्र, अन्न, आभूषण, प्रेम तथा मृदुवचनो से यथाशक्ति व्यवहार करते हुये अपने अत्यत समीप रखकर स्त्री तथा पुत्र की रक्षा करनी चाहिए।

(x) रात्रि मे पेड के नीचे नहीं रहना चाहिये तथा किसी देवता के चबूतरे या वृक्ष, चौराहा तथा देवमदिर में रात्रि निवास नहीं करना चाहिये और जगल व श्मशान में दिन मे भी नहीं रहना चाहिये, रात्रि में तो कभी भी नहीं रहना चाहिये।

(xi) निरतर सूक्ष्म, अत्यत घमक से युक्त, अपवित्र या अग्रिय वस्तुओ को देर तक नहीं देखना चाहिये तथा सिर से बोझा नहीं उठाना चाहिये।

4. परिवार एवं पालनपोषण

गृह मे जब अधिक परिवार, बहुत से दीपको का प्रकाश, बहुत सी गायें तथा बहुत

से बानर सुन्दर हो तब उसकी चिन्ता शोभा होती है और जब तब गृह या स्वामी एक व्यक्ति रहता है तभी तब उसकी शोभा बनी रहती है अन्य स्वामी बाने पर उसकी शोभा गूँथ हो जाती है। (3241)

आचार्य ने परिवार व पालन पोषण को आवश्यक बताया हुआ कहा कि जो मनुष्य बुद्धिमत् पालन के विषय में पर्याप्त नहीं रहता वह सर्वगुण सम्पन्न होते हुए भी जीवित रहकर मरे हुए से समान है अर्थात् उसका जीवन व्यर्थ है। (3126)

परिवार व अन्य लोगों को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो इस सम्बन्ध में आचार्य शुक्र ने निर्देश दिया है कि सुशीला स्त्री विमाता माता अधिहिता बन्धा पिता पुत्रयुधु बिना पति और पुत्र की रक्षा या बहन मामी भार्गव की कथु पिता की बहन माँ की बहन तिसन्तान ताना गुरु स्वसुर या मामा पिता पिता या पुत्र लडकी या लडका (नाती) भार्गव या भारजा इन सबों का धन व रक्षणे पर भी यथाशक्ति यत्नपूर्वक आवश्यक पालन करना चाहिए। और यदि धन हो तो पिता तथा माता व कुल वाले एवं मित्र पत्नी कुल (ससुराल) वाले दास दासी और भृत्य वर्गों का पालन-पोषण करना चाहिए और विवलाग (वाने लगडे अथे) सन्ध्याभी दीन तथा अनाथ लोगों का पालन करना चाहिए।*

5 उत्पादन (उद्योग एवं व्यवसाय)

आचार्य शुक्र ने एक श्रेष्ठ व्यवसायी के लिए भी निर्देश जारी किये हैं। उनके अनुसार जातवार व्यवसायी को जिसी कार्य (व्यवसाय) को प्रारम्भ करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि उक्त कार्य वैसा है? उस कार्य के कौन-कौन से साधन (उपाय) हैं? इसमें किसका व्यय होने की सम्भावना है? उससे माल की खपत क्या-कहा है? उस पर कितना व्यय होगा तथा विज्ञान नाम की सम्भावना है? इन सब बातों पर भलि-भाति विचार करता है अन्यथा वह कोई छोटे से छोटा व्यवसाय भी नहीं करेगा।*

आचार्य ने आगे बताया है श्रेष्ठ व्यवसायी को अधिक व्यय वाले तथा स्वल्प लाभ वाले कार्यों को करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिन कार्यों में अधिक लाभ हो ऐसे कार्य ही व्यवसायियों को करने चाहिए तथा कम लाभ वाले कार्य छोड़ देने चाहिए तथा हमेशा बेचने योग्य द्रव्यो व मूल्य का तौल या सख्या या यथार्थ रूप से ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार शुक्र ने आधुनिक अर्थशास्त्र की तत्त्व लाभ वमाने की प्रवृत्ति को ही प्रमुखता दी है।

परन्तु लाभ वमाने में भी वैधियता को ध्यान दिया है। आचार्य ने कहा है कि जिस आजीविका से अपने धर्म की हानि न हो वही आजीविका श्रेष्ठ होती है। जिस देश में अपने बुद्धिमान व भलीभाति पोषण हो वही देश सबसे उत्तम है।

विभिन्न आजीविकाओं की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया कि नदी से सिंचाई की जाने वाली वृद्धि उत्तम आजीविका होती है। वैश्य वृत्ति (व्यवसाय-गो रक्षा) मह्यम

* शुक्रनीति पृष्ठ 170 (263 264 265)

आजीविका है। शुद्ध वृत्ति (सेवा) अधम आजीविका है। इस तरह आचार्य ने वैयक्तिक व्यवसाय को नौकरी (सेवा) की तुलना में श्रेष्ठ माना है।

भिक्षावृत्ति अत्यन्त अधम आजीविका है किन्तु यही तपस्वियों के लिए उत्तम है। कहीं धर्मशील राजा की सेवा भी उत्तम आजीविका मानी जाती है।

आचार्य शुक्र ने विपुल धन प्राप्ति के लिए राजसेवा को श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि बिना राज सेवा के विपुल धन की प्राप्ति नहीं होती है किन्तु राजसेवा अत्यन्त गहन (कठिन) है और बुद्धिमान को छोड़कर अन्य मूर्खजनों के द्वारा वह नहीं की जा सकती है क्योंकि वह तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है उस पर मूर्ख लोग सदा नहीं चल सकते।

निर्धनता व धनी की अवस्था का जिक्र करते हुए आचार्य ने बताया कि मनुष्य को पहले निर्धनता की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा बाद में उसे धनी बनना चाहिए। पहले पैदल चलना तथा बाद में सवारी पर चढ़ना श्रेष्ठ होता है। इससे सुख की प्राप्ति होती है यदि इसके विपरीत होवे तो दुख होता है।

अर्थात्तन में न्याय की बात स्पष्ट करते हुए आचार्य ने कहा कि जिसने अन्यायपूर्वक धन उपार्जन किया है वह उस अन्यायोपार्जन के पाप का फल भोगने वाला होता है और जो धन सुपात्र से लिया जाता है या सुपात्र को दिया जाता है वह धन बढ़ता है। (4 202)

(i) वर्ण-व्यवस्था का आधार — शुक्र ने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था को मान्यता दी है परन्तु उन्होंने वर्ण का आधार जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुण एवं कार्य को माना है। शुक्रनीति के अनुसार, 'इस ससार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलेच्छ नहीं होता है, अपितु गुण तथा कर्म के भेद से ही होता है।*

सम्पूर्ण जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुये हैं तो भला वे सभी क्या ब्राह्मण कहला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वर्ण (जाति) से और पिता से ब्रह्म तेज प्राप्त नहीं होता है।

शुक्र ने वर्ण और जाति के मध्य भेद किया है तथा स्पष्ट किया है कि भिन्न-भिन्न वर्ण के माता-पिता के द्वारा सतार्ने उत्पन्न होने पर असंख्य जातियों का जन्म होता है। मनु ने वर्ण का आधार जन्म को माना है परन्तु शुक्र का विचार है कि मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुये भी, कर्म से भी किसी विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त हो सकती है। शुक्र ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र धारो वर्णों के कर्तव्यों का विवेचन किया है।

शुक्र के अनुसार ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना काण्ड का प्रकाण्ड विद्वान होता हुआ, देवताओं की आराधना में लीन, शातचित्त, इन्द्रियों का दमन करने वाला एवं दयालु होना — इन समस्त गुणों से 'ब्राह्मण' का निर्माण हुआ है। अर्थात् यज्ञ करना, देवों

* न जात्य ब्राह्मणश्चत क्षत्रियो वैश्य एव न।

न शूद्रो न च दै मलेच्छो भेदिता गुणकर्मभि ॥

की अध्ययन-भ्रम्यापन व दान लेना ब्राह्मणों के उपयुक्त कर्म है। जानता की भली-भाँति रक्षा करने में चतुर शूर इन्द्रियों का दमन करने वाला पराक्रम से युक्त स्वभावतः दुष्टों को दण्ड देने वाला क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय सज्जानों की रक्षा करता है दुष्टों का दमन करता है और इनके प्रतिफल में अपना अंश को कर्म के रूप में ग्रहण करता है।

व्यय विक्रय करने में कुशल नित्य दुकानदारी से जीविका चलाने वाले पशुपालन तथा खेती करने वाले वैश्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कृषि पशु-पालन व्यापार-वाणिज्य शुक्र के अनुसार वैश्या के कर्म हैं। शुक्र के अनुसार सूद लेना ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की सेवा में तत्पर शूर शातचित्त जितेन्द्रिय वाक्छ तथा तृण (घास आदि) का भार वहन करने वाला वर्ण शूद्र कहलाता है।

स्रग्धर्माचरण का परित्याग करने वाले दयाशून्य दूसरे को पीडा पहुँचाने वाले अत्यन्त क्रोधी तथा हिंसा करने वाले लोग भ्लेच्छ कहलाते हैं और उनमें विवेक नाममात्र का भी नहीं होता है।

शुक्र ने यद्यपि अलग-अलग वर्णों का उल्लेख किया है किन्तु श्रम विभाजा की इस योजना का कोई नैतिक महत्त्व नहीं है तथा व्यावहारिक कारणों से किसी भी वर्ण के सदस्य द्वारा भरण-पोषण के लिये यदि कोई अन्य वृत्ति अपनायी जाये तो उसे निन्दनीय नहीं माना जा सकता। शुक्र ने इस सम्बन्ध में यह निश्चय दिया है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्णों द्वारा भिक्षा माग कर जीविका चलाना अनुचित है। शुक्र द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्था जीविका की दृष्टि से समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य श्रम विभाजा की विवेकसम्मत योजना है। शुक्र ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को हीन या उनके प्रति भेदभाव करते जाने का समर्थन नहीं दिया है। शुक्र के मत में कर्मशील तथा गुण से मनुष्य पूजनीय होता है जाति और कुल से नहीं क्योंकि श्रेष्ठता जाति और कुल से नहीं होती है। कुल और जाति का विचार तो केवल विवाह व भोजन में किया जाता है।

(ii) कर्म की महत्ता—शुक्र के अनुसार इस संसार में सुगति और दुर्गति व पीछे कर्म ही कारण होता है। पूर्व जन्म में कर्म ही प्रारब्ध होते हैं जिन्हें कर्म के कोई भी जीव क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्यों को पूर्वार्जित कर्मों के फल भोगने योग्य जब जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है तब उसके अनुसार पाप या पुण्य कर्म करने में मनुष्य समर्थ या असमर्थ होता है। मनुष्य के जैसे कर्मों का फल उदय होता है उसी के अनुसार वैसी बुद्धि होती है तथा जैसा भाग्य होता है उसी के अनुसार वैसी साथी भी होते हैं। शुक्र के अनुसार जो बुद्धिमान एवं प्रशस्तनीय चरित्र वाले हैं वे पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं अर्थात् उद्योग करते हैं और जो पुरुषार्थ करने में असमर्थ तथा कायर पुरुष हैं वे भाग्य की उपासना करते हैं अर्थात् भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं।

भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों के ऊपर ही सम्पूर्ण जगत् के कार्य स्थित हैं। इनमें पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म भाग्य और इस जन्म में किया हुआ कर्म पुरुषार्थ कहलाता

है। इस प्रकार शुक्र ने एक ही कर्म के दो बड़े भेद किये हैं। भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में से जो दुर्बल होता है उसको हटाने वाला सदा बलवान होता है। सबल और दुर्बल का ज्ञान न तो फल-प्राप्ति से होता है और न ही किसी अन्य रीति से कभी-कभी थोड़े से कर्म से ही मनुष्यों को जो अधिक फल की प्राप्ति दिखाई देती है वह प्राक्तन कर्म के वश से ही होती है, कोई-कोई आचार्य उसे पुरुषार्थ से हुआ ही मानते हैं। मनुष्यों को जो पुरुषार्थ फलप्राप्ति के लिये होता है उसमें इसी जन्म के तात्कालिक कर्म ही कारण बनते हैं, जैसे ससार में तेल और बत्ती से प्रज्ज्वलित दीपक की हवा से रक्षा प्रयत्न करने से ही होती है। शुक्र ने भगवान राम तथा अर्जुन का उदाहरण देकर बताया कि जब भाग्य (देव) अनुकूल होता है तब अल्प पुरुषार्थ भी सफल हो जाता है। अशोक वाटिका को अकेले हनुमानजी द्वारा घस होने से रावण को तथा अकेले अर्जुन द्वारा विशाट नगर में गायों को पकड़ कर रख लेने से भीष्म, द्रौण, कर्ण दुर्योधन आदि कौरवों को भाग्य की प्रतिकूलता ज्ञात हुई। भाग्य प्रतिकूल रहने पर अत्यंत पुण्य कार्य की अनिष्ट फल देने वाले हो जाते हैं। जैसे दान देने के बाद भी राजा बलि बाधे गये और राजा हरिश्चंद्र को भी डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। अच्छे कार्यों से अच्छा तथा बुरे कार्यों या कुकर्मों से बुरा फल होता है। सत् (अच्छा) तथा असत् (बुरा) कर्म को कराने वाले काम का भी कारण (विधाता) राजा होता है। अतः राजा अपनी क्रूरता से तथा दण्ड देने के लिये उद्यत रहकर प्रजाओं को अपने-अपने धर्म पर स्थित रखे। शुक्र के अनुसार जन्म से उत्तम वर्ण का मनुष्य भी सप्तमवर्ष नीच हो जाता है। कर्म के द्वारा मनुष्य तत्काल उत्तम और नीच कहलाता है किन्तु गुणों के द्वारा कुछ काल के बाद उत्तम या नीच माना जाता है। विद्या तथा कर्म के आश्रय से भी उसके नामानुसार अनेक जातियों की कल्पना की गयी है।

(iii) उत्पादन करने का अधिकार— मनुस्मृति, रामायण, महाभारत की भाँति शुक्रनीति भी उत्पादन करने का अधिकार वैश्य वर्ण को ही देती है। कहीं-कहीं ब्राह्मण अ. दे वर्णों को भी उत्पादन करने का अधिकार दिया गया है। शुक्र के अनुसार जिस आजीविका से अपने धर्म की हानि न हो वही आजीविका श्रेष्ठ है। जिस देश में अपने कुटुम्ब का भलीभाँति पोषण हो, वही देश सर्वोत्तम है। शुक्र ने खेती करना, गोपालन तथा वाणिज्य करना, ये तीन कर्म वैश्य की जीविकार्य के निश्चित किये हैं।

(iv) भूमि उत्पादन का प्रमुख साधन— शुक्र ने भूमि को उत्पादन का प्रमुख साधन माना है। भूमि सम्पूर्ण धनो की खान है। भूमि के कारण ही राजा भूमिपति कहलाता है। सोना, चाँदी ताम्बा वग, सीसा, लोहा, रजग ये सप्त धातुएँ मूल होती हैं।

(v) कृषि— खेती अर्थ (धन) प्राप्त करने का उत्तम साधन है। शुक्रनीति में अन्न, फल, मेवा आदि की खेती की चर्चा की गयी है। खेती के लिये सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का दायित्व राजा का माना है। शुक्र ने खेती को हानि पहुँचाने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था की है। जल को आवश्यकतानुसार खेतों में लाना एवं सिंचाई करने

का शुक्र न कला माना है। राज्य में कितने ग्राम नगर तथा जंगल हैं? किसने कितनी भूमि जती है और उससे कितना उसने धान्य पाया? किस खेत में कितना भाग बचा है? कितनी भूमि बिना जुताई की बची है? आर इन देश में प्रतिवर्ष शुल्क (मालगुजारी) और अपराधियों के दण्ड आदि से प्राप्त भाग द्रव्य (राजा के अश का द्रव्य) कितना है? जंगल से मित्रन वाला द्रव्य कितना है? खान से निकाला वाला द्रव्य कितना है? राज्य में लपारिस धन कितना है? हरण किया हुआ द्रव्य कितना है? चारा से दण्ड के रूप में प्राप्त धन कितना है? इन सवों की संख्या जाँच कर राजा का दत्तान का दायित्व अमात्य का है इस प्रकार क्षेत्र उत्पादन जंगल से प्राप्त आय आदि के आकड़े रखन तथा कृषि जंगल खानों आदि से प्राप्त राज्य की आमदनी की शुक्रनीति में व्याख्या की गयी है।

(vi) वनसम्पदा— वनसम्पदा का संरक्षण करना नये-नये वृक्षों का व्यवस्थित दम से लगवाय।

(vii) पशुपालन— शुक्रनीतिकार ने पालन योग्य पशुओं के नाम दत्त हुए राज्य का यह निदेश दिया है कि वह पशुपालन-विभाग का गठन करे। पशुपालन को प्रातःसाहन देने का दायित्व राज्य का माना है।

(viii) प्रमुख अन्य व्यवसाय— खेती और पशुपालन के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग स्थापित शिल्पकारिता संगीत दुकानदारी बकालत आदि उद्योग-व्यवसाय के नाम शुक्रनीति में आये हैं। साझेदारी के नियम भी शुक्रनीति में मिलते हैं। शुक्र ने काम को महत्ता दी है उनके अनुरूप व्यक्ति विद्या उपार्जन खेती दुकानदारी संगीत व्याज पर रूपया देकर या किसी भी वृत्ति का आश्रय लेकर मनुष्य को धनार्जन करने चाहिये क्योंकि धनिकों के द्वार पर गुणी लोग नौकर की तरह पड रहते हैं। शुक्रनीति में औपधिया का निर्माण शस्त्रों का निर्माण शिल्पशास्त्र नृत्यकला वस्त्र अभूषण आदि कलाओं का विस्तार से विवरण मिलता है जो निम्न प्रकार से है—

प्रासाद (राजमवन-दबमदिर) प्रतिमा उद्यान गृह बावड़ी आदि का सुंदर नीति से निनाप तथा सस्कर करने की विधि वर्णित हो उसे शुक्र ने शिल्पशास्त्र कहा है। हृद्यभाव के साथ नाचने को 'नृत्यकला' तथा अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों के बजाने एवं वजान के ज्ञान को 'वाद्य तथा वादन' कला कहते हैं। स्त्री तथा पुरुष के वस्त्राभूषण का सुंदर रीति से पहनाने को 'वस्त्रालकार सम्मान कला' कहते हैं। पुष्कर से आसवादि मादक द्रव्य तथा मद्यदि दान्न को भी कला कहते हैं। छिपे हुए शत्यों को सुखपूर्वक निकालन तथा शिरा पर उत्पन्न हुये ग्रण को शस्त्र से घेरने के ज्ञान को भी कला कहा गया है।

पत्थर को ताड़ना तथा स्वर्गादि धातुओं का मलाना और उनको मत्न करना भी व्यवसाय बनाया गया है। धातुओं तथा औपधियों को मिलाने तथा प्रयाग करने का ज्ञान धातुओं के एकत्र कर मिलाने तथा बाद में पुनः उन्हें पृथक करना मिट्टी काष्ठ पत्थर

तथा धातु के बर्तन आदि को सुंदर रीति से बनाना, चित्र बनाना भी व्यवसाय बताये गये हैं। इनके अलावा शुक्रनीति में अन्य बत्तीस कलाओं की भी चर्चा की है जो इस प्रकार है—

हीन, मध्यम तथा उत्तम रूप से मिलाये हुये रंग आदि के द्वारा वस्त्रों को रंगना। जल, वायु और अग्नि के संयोग और निरोध के द्वारा वाष्प यंत्रों का निर्माण करना। रथ, नौकाओं आदि का निर्माण तथा सूत्र आदि से रस्सी तैयार करना। अनेक सूत्रों के संयोग से कपड़ा बुनना तथा रत्नों में छिद्र कर उन्हें आकर्षक बनाना। स्वर्णादि धातुओं को मलि-भाति परखना तथा कृत्रिम सोना एवं रत्नादि का निर्माण। स्वर्णादि के आमूषण बनाना तथा स्वर्णादि का पानी चढ़ाना। पशुओं के चमड़े को उनके शरीर से अलग करने की रीति, दूध दुहने से लेकर घी बनाने की क्रियाओं का ज्ञान। पहिने के वस्त्रों की सिलाई का कार्य, वस्त्रों को साफ करना, बाल बनाना, तेल निकालना, बास तथा तृण आदि से पात्रों का निर्माण, काच (सीसे) के पात्रादि बनाने की क्रिया, लौहे से अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण आदि उन्होंने उद्योग व्यवसाय की 64 कलाये बतायी हैं। इनमें से जिस-जिस कला का जो मनुष्य आश्रय लेकर उसमें निपुण बनता है सर्वथा निपुणता के साथ करने के लिए उसी-उसी कला को सदा उसे करते रहना चाहिए।

शुक्र ने उद्योग-व्यवसाय में निपुणता एवं कार्यकुशलता को महत्व दिया है। उनके अनुसार जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष हो उसी कार्य को करे। उन्होंने राजा को भी यह निर्देश दिया है कि कार्यपालन के लिए उस पद पर स्थित सहायक जो उस कार्य के करने में कुशल हो उसे नियुक्त करें। शुक्रनीति में मनुष्य की कार्य करने की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न बातों पर जोर दिया है—

(i) निद्रा (दिन में या अधिक सोना) तन्द्रा (अर्द्धनिद्रित अवस्था), भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता (कम समय में होने योग्य कार्य को देर लगाकर करना) इन छ दोषों को शुक्र ने कार्यनाशक माना है।

(ii) सीध-समझ कर किसी कार्य को करना चाहिये और कभी मनमानी नहीं करनी चाहिए।

(iii) किसी वस्तु के क्रय-विक्रय में अत्यंत आग्रह एवं हर किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिये क्योंकि इनसे क्रय से लाभ में हानि तथा लघुता होती है।

(iv) बहुत अर्थों से भरा हुआ तथा थोड़े शब्दों से युक्त, कार्य को सिद्ध करने वाला सुंदर वार्तालाप करना चाहिये। बिना पूछे किसी से अपने घर के कार्यों या बातों को नहीं बताना चाहिये।

(v) दिना अनुभव किये हुये किसी विषय में अपना दिवार सदा प्रकट नहीं करना चाहिए और दूसरों के अभिप्राय को मलीमालि समझ कर उत्तसे अज्ञात उत्तर देना चाहिये।

(vi) अपने कार्य तथा योजनाओं को मनुष्य को गुप्त रखना चाहिये अर्थात् दिना कार्य पूर्ण हुये प्रकाशित नहीं करना चाहिये।

(vii) यथाशक्ति प्रत्येक कार्य करने की इच्छा करनी चाहिये और कार्य करते हुए आपत्ति पडने पर विचलित नहीं होना चाहिये।

(viii) जो कार्य लोक में निहित होता है वह यदि धर्मयुक्त भी हो तो नरक में ले जाने वाला होता है अतः उसे नहीं करना चाहिये।

(ix) सदा दूर तक सोचने वाला तथा समयानुसार तत्काल कर्तव्य स्थिर निभाने वाला और सहसा कार्य करने वाला आलसी तथा देरी से धीरे-धीरे कार्य समाप्त करने वाला नहीं होना चाहिये।

(x) जो व्यक्ति किसी कार्य के अच्छे-बुरे फल या निष्फलता को विचार कर तदनुसार कार्य करने की चेष्टा करता है और जो कार्य करने के प्रथम शीघ्र ही दूर तक उसके परिणाम को जानने वाला होता है वह चिरकाल तक सुख भोगता है। अतः व्यक्ति को दीर्घदर्शी होना चाहिये।

(xi) जो आलसी होता है वह समय उपस्थित होने पर भी करने योग्य कार्य के करने में प्रयत्नशील नहीं होता है उसके कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं होती है और वह वश-सहित या साथी-सहित नष्ट हो जाता है।

(xii) अकेले किसी कार्य के विषय में विचार नहीं करना चाहिये अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए अकेले मार्ग पर नहीं चलना चाहिये। इससे शुक्रनीति में साझेदारी के विचार की जानकारी प्राप्त होती है।

शुक्रनीति में व्यवसाय और वाणिज्य के सदर्थ में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये राजकीय हस्तक्षेप की अपेक्षा की गयी है।

शुक्र ने राजा को आदेश दिया है कि तुला (तौलने में) मान (बटखरा) नाणक (मुद्रा सिक्का मात्र) निर्यास (गोंद आदि) धातु (स्वर्णादि) तथा उसके समान अन्य पदार्थ घृत मधु दुग्ध चर्बी चूर्ण आदि में कभी किसी प्रकार की बेईमानी या मिलावट लोगों को नहीं करना चाहिये। कभी किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लिखाना चाहिये और घूस नहीं लेना चाहिये। राजा की आज्ञा के बिना स्थावर पदार्थ (गृहादि) चादी सोना रत्न मादक द्रव्य (भाग अफीम आदि) विय आदि द्रव्यों का क्रय दान ऋण तथा गड़े हुये धन को लेना आदि कार्यों को नहीं करना चाहिये।

6 विनिमय- इसके अन्तर्गत निम्न आर्थिक बिन्दु रखे जा सकते हैं।

(i) मूल्य एव मूल्य में उच्चावचन

शुक्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु के लिए स्वर्णादि मुद्राये निश्चित होती है। लोक व्यवहार में लेनदेन के लिए ढाले गये चादी सोना एव तांबे के सिक्कों का उपयोग प्रजाओं को करना चाहिए। आचार्य शुक्र ने कौड़ी से लेकर रत्न तक की बहुमूल्य धातुओं को द्रव्य की सजा दी है। परन्तु उन्होंने द्रव्य को धन से अलग किया है। धन में शुक्र ने पशु-

धन्य, वस्त्र से लेकर तृण पर्यन्त तक को शामिल किया है। इस तरह द्रव्य में सिककों के रूप में ढाले जा सकने वाली मूल्यवान धातुओं को शामिल किया है तथा धन में उपयोगी वस्तुओं व पशुधन को शामिल किया है।

आचार्य शुक्र के अनुसार व्यवहार (लेनदेन) के लिए राजा द्वारा निश्चित स्वर्णादि मुद्राये प्रत्येक वस्तु की मूल्य समझी जाती है। (व्यवहारे चाधिकृत स्वर्णाद्य मूल्यतानियात्)

मूल्य की परिभाषा करते हुए आचार्य शुक्र ने स्पष्ट किया कि "संसार में कारण आदि के संयोग होने से जो पदार्थ जितने व्यय में सिद्ध होता है उतना व्यय उसका मूल्य होता है।"* अर्थात् मूल्य निर्धारण में वस्तु की उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी वस्तु को सिद्ध होने (निर्माण में) यदि उत्पादन लागत ज्यादा आती है तो उसका मूल्य अधिक होगा तथा इसके विपरीत नीची उत्पादन लागत वाली वस्तु का मूल्य भी नीचा होगा।

आचार्य शुक्र ने न केवल मूल्य निर्धारण का आधार बताया बल्कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन आने के कारण को भी स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पदार्थों की सुलभता से किवा अच्छा या बुरा होने से (तारतम्यानुसार) उनका मूल्य विक्रेता की इच्छानुसार अधिक या कम होता है। अर्थात् वस्तु के मूल्य में उच्चावचन वस्तु की उपलब्धता तथा विक्रेता की इच्छा के कारण होता है। यहाँ वस्तु की सुलभता व दुर्लभता का आशय वस्तु की माग के अर्थ में है। जिस वस्तु की सुलभता अधिक होगी तो उसके मूल्य कम होगा तथा दुर्लभता है तो मूल्य अधिक होगा। वस्तु की सुलभता को शुक्र ने अच्छा तथा दुर्लभता को बुरा माना है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने विक्रेता की इच्छा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

वस्तु की सुलभता एवं दुर्लभता के अनुसार विक्रेता वस्तु के मूल्यों को कम या अधिक करता रहता है।

आचार्य शुक्र ने राजा को बहुमूल्य धातुओं के मूल्य के सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिया है। उनके अनुसार राजा मणियों तथा सोना चादी आदि धातुओं का मूल्य थोड़ा न रखे। यदि इनके मूल्यों में कमी आती है तो वह राजा की दुष्टता की द्योतक होगी न की प्रजा की। अर्थात् मणियों, सोना, चादी के मूल्य शासन के सुचारुपन या स्थिरता के द्योतक है। यदि मूल्य एक स्तर पर बने रहते हैं तो यह माना जाएगा कि शासन प्रभावशाली है परन्तु इनके मूल्यों में गिरावट होती है तो शासन की कमजोरी स्पष्ट होगी।

बहुमूल्य धातुओं के विपरीत आचार्य शुक्र ने बताया कि जो वस्तु गुणों से हीन तथा व्यवहार करने के लिए अयोग्य होती है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता। और बुद्धिमान व्यक्ति को लोक परम्परा द्वारा सर्वत्र मूल्य निश्चय करने में समस्त वस्तुओं के नीच,

* कारणादिसमायोगात्पदार्थस्तु भवेद भूवि।

येन व्ययेन ससिद्धस्तद्व्ययस्तस्य मूल्यकम्॥

मध्यम तथा उत्तम भेदों को सदा समझ कर तदनुसार मूल्य पर विचार करना चाहिए (न मूल्य गुणहीनस्य व्यवहाराधामस्य च । नीच मध्योत्तमत्व च सर्वशिमन्मूल्यवल्पने चिन्तनीय बुधैर्लोकद्वस्तुजातस्य सर्वदा ।)।

आचार्य शुभ्र ने वस्तु के मूल्य निर्धारण में देश तथा काल की भी कल्पना की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि जो-जो वस्तुएँ सरार में अनुपम (बेजोड़) होती हैं वे सभी स्तारस्वरूप (बहुमूल्य) मानी जाती हैं। अतः उन सभी वस्तुओं का मूल्य देश तथा काल के अनुसार निश्चित करना चाहिए (स्त्वं भूतं तु तत्तस्याद्यद्यप्रतिमं भुवि । यथादेश यथाकालं मूल्यं सर्वस्य कल्पयेत् ।)।

(ii) मूल्य का नियम

आचार्य ने 7 वेबल मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ नीति निर्धारित की है बल्कि मूल्य निर्धारण करने वाली सस्थाओं जिसमें व्यापारी तथा सरकार प्रमुख हैं को भी कुछ निर्देश जारी किये हैं। जैसा कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी वस्तुओं का मूल्य लोक परम्परा अनुसार उचित गुणात्मक भेदानुसार (नीच मध्यम व उत्तम) तथा देश कालानुसार निर्धारित होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाने में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हीं कुछ यातायात लागत होती है तथा उन प्रक्रियाओं के बीच कई तरह के निचौलिये प्रवेश कर जाते हैं। ये लोग वस्तु की कीमत बढ़ाकर वस्तु को मरगा कर देते हैं जिससे उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने हेतु शुभ्र ने राजा को निर्देश दिया है कि बगिया (व्यवसायी) विद्वी की वस्तुओं पर जैसा प्रदेश या समय हो उससे अनुरूप उस वस्तु को लाने में किये हुए व्यय को समझ कर 32 वॉ या 16 वॉ भाग अर्थात् 3 1/2 प्रतिशत या 6 2/5 लाभ लेने की व्यवस्था करे इससे अधिक लाभ न लेवे (द्वात्रिंशत् षोडशश लाभं पण्ये नियोजयेत् । गन्वथा तद्वयस्य ज्ञात्वा प्रदेशाद्यनुरूपतः ।)

आचार्य ने वस्तुओं में गितावट या स्टॉटपेन के विरुद्ध भी उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि जो छोटी वस्तु या धोरोगजी से किसी वस्तु को बेचता है तो वह सदा राजा द्वारा चोर की भाँति दण्डनीय होता है (कूटपण्यस्य विव्रेता स दण्ड न्यश्रवौचत् सादा)।

इस प्रकार मूल्य निर्धारण व नियम की व्यवस्था कर आचार्य शुभ्र ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

(iii) मुद्रा एवं विनिमय अनुपात

जो वस्तु विनिमय माध्यम मूल्य के मापन तथा मूल्य के समूह हेतु सरकार द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है तथा जनता जिसे स्वीकार करती है उसे मुद्रा कहते हैं।

आचार्य ने बताया कि लेनदेन के लिए राजा (सरकार) द्वारा निश्चित स्वर्णादि मुद्राये प्रत्येक वस्तु की मूल्य समझी जाती है (व्यवहारे चाक्षिक्त स्वर्णाद्य मूल्यं नामियात् । 2 357) स्वर्णादि से तात्पर्य सान धातुओं (सोना चाँदी ताँबा) वगैरे सीसा रागा एवं लोहा)

से हैं। बाकी धातुयें इनके मेल से बनती हैं। मुद्रा (सिक्के) इन धातुओं से ही बनते हैं। लोहे के अतिरिक्त सभी धातुयें श्रेष्ठ होती हैं परन्तु सोना सर्वश्रेष्ठ धातु माना जाता है। यंत्र तथा शास्त्र का रूप लेने पर लोहे का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। चादी से सोलह गुना मूल्य सोने का होता है। प्रायः ताम्बे से अस्सी गुना अधिक मूल्य चादी का होता है। वग से डेढ़ गुना अधिक मूल्य ताम्बे का होता है। वग से अन्य रागा तथा सीसा क्रमशः ताम्र से द्विगुण तथा त्रिगुण मिलते हैं और लौह छ गुने मिलते हैं। यह विशिष्ट रूप से मूल्य कहा गया है। इस प्रकार आचार्य ने धातुओं के विनिमय अनुपात उनकी श्रेष्ठता के आधार पर निश्चित किये हैं।

धातुओं के विनिमय अनुपात की तरह ही आचार्य ने पशुओं के मूल्यों का निर्धारण उनके गुण दोष के आधार पर तय किया है। आचार्य ने पशुओं को भी घन की सजा दी है। उदाहरण के लिए सुन्दर सींग तथा वर्णवाली, दुहने में क्लेश नहीं पहुँचाने वाली, अधिक दूध देने वाली, सुन्दर बछड़े वाली गाय का मूल्य अधिक होता है। पीत वर्ण के बछड़े वाली गौ यदि अच्छा दूध देने वाली हो तो उसका मूल्य पल (4 तोला) चादी है।

बकरी का मूल्य गौ के मूल्य से आधा होता है तथा मेड़ी का मूल्य बकरी से आधा होता है। भैंस का मूल्य उत्तम मूल्य गौ के बराबर या डेढ़ गुना अधिक होता है। उसी तरह बैल घोड़े, हाथी व ऊँट के मूल्य भी तय होते हैं।

गौ का उत्तम मूल्य 10 या 8 पल चादी बैल का 60 पल चांदी, हाथी व घोड़े का श्रेष्ठ मूल्य 2,3, या 4 हजार पल चांदी ऊँट का मूल्य 100 पल चांदी होता है।

इस तरह आचार्य शुक्र ने धातु विनिमय अनुपात तथा वस्तु विनिमय अनुपात में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

(iv) व्यापार

आचार्य का कहना है कि राजा को कभी भी क्रय-विक्रय के लिए रखी हुई वस्तुओं को बिना धन (मूल्य) दिये हुए वैश्यों से जबर्दस्ती नहीं लेना चाहिए। यदि राजा बिना मूल्य दिये ले लेता है तो उससे उत्पन्न हुई प्रजा सन्तापरुपी अग्नि वश के सहित उस राजा को जला देती है। उक्त सिद्धान्त से आज की तरह प्रशासन व्यापारी को बेवजह से तग नहीं कर सकता था। राजा को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी उस पर भी उस वस्तु का मूल्य देने की बाध्यता थी जबकि आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कई तरह के शासनाधिकारी अपने उपभोग के लिए वस्तुएँ व्यापारियों से बिना मूल्य दिये ही ले जाते हैं।

आचार्य शुक्र ने व्यापारियों को मोलभाव करते समय आवश्यक निर्देश जारी किये हैं।

शुक्र के अनुसार किसी वस्तु को क्रय-विक्रय में अत्यंत आग्रह एवं हर किसी के सामने अपनी दैनता प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे लाम्बी के बजाय हानि होती

(iii) नौकरी और वेतन आदि के नियम

राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता—शुक्र ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता की रचना की है। अलग-अलग पदों के लिए आवश्यक योग्यताओं के अतिरिक्त राज्य-कर्मचारियों के आचरण के सम्बन्ध में भी कुछ सामान्य नियमों के पालन की अपेक्षा की गयी है।

शुक्रनीति में कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी बातों पर उचित ध्यान देने का निर्देश दिया है। शासक की इच्छा के विपरीत भी उचित व कल्याणप्रद बात को राजा के समक्ष निर्भीकतापूर्वक कहने की योग्यता व सामर्थ्य को राज्य कर्मचारियों के लिए आवश्यक माना गया है। शुक्रनीति में कर्मचारियों से राजकीय कार्यों में गोपनीयता के निर्वाह की भी अपेक्षा की गयी है। शुक्रनीति में निम्नलिखित गुणों से युक्त कार्मिक को श्रेष्ठ माना गया है।

शुक्र नौकरी का प्रारम्भ वेतन दिन अवकाश रोगी नौकर को अवकाश एवम भृति सवेतनिक अवकाश नियमानुसार भृति न करने वाले के लिए दण्ड-व्यवस्था नौकर-स्वामी के मधुर सम्बन्ध इत्यादि पर शुक्रनीति में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किये हैं।

बन्दी मागध तथा मल्ल आदि लोगों को अपना-अपना कार्य करने पर जो पुरस्कार दिया जाता है उसे 'पारितोष्य' कहते हैं। और जो यश के लिए दिया जाता है उसे श्रियादत्त कहते हैं। राजा बलवान और कार्य को नष्ट करने वाला इन लोगों को जो कार्य के लिये दिया जाता है अथवा न देने में पाप है' इस भय से दिया जाता है उसे भीदत्त भय से दिया हुआ कहा जाता है। देवता यज्ञ ब्राह्मण गौ इनके लिए जो दिया जाता है वह परलोक सुख साधन के लिये होता है और उसी को 'सविद् दान' अर्थात् अवश्य देना चाहिये इसे बुद्धि से दिया हुआ कहते हैं।

शुक्र के अनुसार वेतन कर चुगी सूद बल और छल से दूसरे को दबाकर पीछा नही पहुँचानी चाहिये। इससे स्पष्ट होता है कि वे श्रमिक से जितना कार्य लिया जाता है उतना वेतन देने के समर्थक थे श्रमिकों के शोषण के पक्ष में नहीं थे।

(iv) पदोन्नति

शुक्रनीति में कार्मिकों की समयवद्ध पदोन्नति के बारे में भी स्पष्ट प्रावधान किया है। नीति के अनुसार जब कोई कार्मिक अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से श्रेष्ठ हो जाये तो उसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला उच्च वश में उत्पन्न सुशील उत्तम कर्म करने वाला आलस्य रहित जिस भाँति अपने कार्य में यत्न करता है उससे अधिक कार्मिक वार्तिक तथा मानसिक योगुण यत्न के साथ स्वामी का कार्य करने वाला केवल वेतन मात्र से ही सतुष्ट रहने वाला मधुरभाषी कार्य करने में दक्षतर पवित्र चित्तवाला कार्य करने में स्थिर विचार रखने वाला परोपकार करने में निपुण अन्याय-पथ पर चलने वाले स्वामी को सत्यपथ पर चलाने में यत्नशील स्वामी की बातों पर आक्षेप नहीं करने वाला और उनकी त्रुटियों को देखकर

कभी किसी के सामने प्रकाशित न करने वाला अच्छे कार्यों में शीघ्र तथा बुरे कार्यों में देर लगाकर कार्य करने वाला, स्वामी के भार्या, पुत्र मित्र के दोषों को भी नहीं देखने वाला स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करने वाला स्वामी या स्वामी के सम्बन्धीजनों के साथ स्पर्धा या उनके गुणों में दोषारोपण या निंदा नहीं करने वाला दूसरे के अधिकार पाने की लालसा नहीं रखने वाला, निस्पृह होकर सदा प्रसन्न रहने वाला, स्वामी के समक्ष उसके दिये हुये वस्त्र और भूषणों को सदा धारण करने वाला वेतन के अनुसार व्यय करने वाला इन्द्रियों का दमन करने वाला, दयालु, शूर और स्वामी के अनुचित कार्यों को एकांत में उसके सामने सूचित करने वाला सेवक श्रेष्ठ कहलाता है और उपर्युक्त गुणों के विपरीत गुणों वाला सेवक निन्द्य कहलाता है। शुक्र के अनुसार बिना विचारे अघानक कार्य करने वाला रिश्वतखोर जुआरी, कायर लोभी निन्द्य सेवक के लक्षण होते हैं।

शुक्र ने राजा के कर्मचारियों के बारे में लिखा है कि राजा कर्मचारी को किसी पद पर ज्यादा दिन तक रहने न दे तथा कार्य के लिए समर्थ देखकर ही उसे किसी कार्य पर रखे। राजा कार्यकुशल व्यक्ति को ही कर्मचारी नियुक्त करे। कर्मचारी का पुत्र पिता तुल्य कार्य करने वाला हो तो उसके कार्य पर उसी को नियुक्त करे। जब कोई नया कर्मचारी जैसे-जैसे अपने से श्रेष्ठ पद के योग्य होता जाये वैसे-वैसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पद पर उसे नियुक्त करे। इस प्रकार शुक्र ने पदोन्नति में कार्यकुशलता को महत्व दिया है।

सुनने में प्रिय, सत्य तथा हितकारक, धर्म एव अर्थ से युक्त वचन सदा राजा को कहे। जो जिस कार्य पर नियुक्त किया गया हो वह उस कार्य के करने में तत्पर रहे किसी दूसरे के अधिकार छीनने की इच्छा न करे। किसी की त्रुटि पर ध्यान न दे बल्कि अपनी शक्ति से उसकी त्रुटि को दूर करे क्योंकि दूसरे के साथ उपकार करने से बढ़कर दूसरा कोई मित्रता करने वाला कार्य नहीं है। जिस किसी का अन्न यदि आदर के साथ एक बार भी खा लिया जाय तो उसका हित नित्य चिन्तन करना उचित होता है। सेवा में आलस्य करने से मुख्य सेवक भी अप्रधान सेवक हो जाता है। गुप्त रूप से विचार किये हुये किसी राजकार्य को अपने मित्र से नहीं कहना चाहिये। वेतन को छोड़कर राजा के किसी धन को बिना उनके दिये लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। राजा की आज्ञा के बिना कार्य के मध्य में अर्थात् बिना कार्य समाप्त किये वेतन लेने की इच्छा न करे और द्रव्य के लोभ से किसी के अच्छे कार्य को नष्ट न करे। सकट काल में अपनी स्त्री पुत्र धन तथा प्राण देकर भी राजा की रक्षा करे। घूस न ले और राजा को वस्तुस्थिति से विपरीत न समझाये। जिस कार्य से केवल राजा का हित होता हो पर प्रजा का अहित हो ऐसे कार्य को राजा से न कराये क्योंकि नवीन कर तथा चुगी आदि लगाने से प्रजा उद्विग्न हो उठती है।

सेवक को बिना लिखित आज्ञा के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिये तथा राजा को भी बिना लिखे छोटी या बड़ी कोई भी आज्ञा नहीं देनी चाहिये। क्योंकि भ्रम हो जाना

मनुष्य का स्वभाव है इसलिये भ्रम-निवारणार्थ निर्णय करने में लेख बहुत बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है। शुक्र के अनुसार जो राजा बिना लिखे आज्ञा देता है और जो सेवक बिना लिखित राजाज्ञा के अनुसार राजकार्य करता है वे दोनों ही चोर हैं। राजमुद्रा से अंकित राजाज्ञा है। वही वस्तुतः राजा है किन्तु राजा-राजा नहीं है।

शुक्र ने कार्य करने की प्रकृति के अनुसार सेवकों में भेद किया है। मृद (धीरे-धीरे कार्य करने वाला सुस्त) मध्य (न धीरे और न जल्दी कार्य करने वाला) और शीघ्र (शीघ्र कार्य करने वाला) इस प्रकार सेवक तीन प्रकार का होता है अतः इन सबकी क्रम से समा मध्या तथा श्रेष्ठा नामक तीन प्रकार की आजीविका देना उचित माना है।

(v) अवकाश

शुक्रनीति में सेवकों को छुट्टी देने के नियमों का भी उल्लेख किया है। सेवकों से प्रतिदिन अपना ग्रह कार्य करने के लिये दिन में एक प्रहर (तीन घंटे) की और रात्रि में तीन प्रहर की छुट्टी देनी चाहिये। दैनिक सेवकों (रोजाना मजदूरी पर कार्य करने वालों) को दिन में आधा प्रहर (डेढ़ घंटे) की छुट्टी देनी चाहिये।^९

बोनस (अधिलाग) तथा ग्रेच्यूटी — शुक्र ने राजा को राज्य-कर्मचारियों को बोनस तथा ग्रेच्यूटी प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। उनके अनुसार शासक प्रतिवर्ष कर्मचारियों को एक पखवाड़े का वेतन बोनस के रूप में प्रदान करे।^{१०} बोनस के अलावा वेतन का अष्टमांश कर्मचारियों को प्रतिवर्ष ग्रेच्यूटी के रूप में दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। शुक्र ने कर्मचारी के रोगग्रस्त होने पर वेतन देने के इस प्रकार नियमों का उल्लेख किया है — पाच वर्ष तक कार्य करने वाले सेवकों की पीड़ित अवस्था (बीमारी की स्थिति) में चतुर्थांश कम वेतन दे और एक वर्ष तक पीड़ित हो तो उन्हें तीनमास का वेतन (चतुर्थांश) दे। पीड़ा आदि की जैसी न्यूनाधिकता हो उसके अनुसार वेतन देने में भी न्यूनाधिकता करनी चाहिये। एक वर्ष से अधिक रोगग्रस्त कर्मचारी को उसके छ माह तक का वेतन दिया जाना चाहिये तथा एक सप्ताह तक पीड़ित सेवक का वेतन नहीं काटना चाहिये। अत्यंत योग्य सेवकों को एक वर्ष तक बीमार होने पर सदा उसको आधा वेतन देना चाहिये। शुक्र के अनुसार यदि कोई कार्मिक एक वर्ष तक के अवकाश पर हो तो उसे शुक्र ने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपने स्थान पर अपने किसी प्रतिनिधि को राजकीय सेवा में नियुक्त करवा सके।

(vi) पेशान भविष्यनिधि व पारिवारिक पेशान

शुक्र ने कर्मचारियों को पेशान देने की भी शुक्रनीति में विवेचना की है। उनके अनुसार जिस सेवक ने सेवा करते हुये चालीस वर्ष बिता दिये हो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाये तथा राजा उसे बिना सेवा लिये आजीवन पेशान के रूप में आधा वेतन सदा देता रहे और उसके बच्चे जब तक कार्य करने योग्य न हो जाये तब तब उन्हें अपने कल्याणार्थ सेवक के आधे वेतन से आधा वेतन दे। इसी प्रकार कर्मचारी की पत्नी एवं अविवाहिता कन्या को भी पेशान का आधा वेतन देना चाहिए। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए प्रतिपादित किया है कि राजकीय कार्य करने में यदि सेवक मर जाये जो उसके पुत्र को

उसके वेतन के बराबर राशि भुगतान की जाये जब तक कि यह बड़ा और कार्य करने योग्य न हो जाय अथवा बड़ा हो जाय।

कर्मचारी को समय पर वेतन देने का भी शुक्रनीति में वर्णन किया है। शुक्र ने कर्मचारियों के लिए भविष्यनिधि की व्यवस्था किये जाने पर भी बल दिया है। नीति में स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि कर्मचारियों के वेतन का षष्टांश या चतुर्थांश काटकर राजकीय कोष में जमा किया जाना चाहिये और कुछ वर्षों की अवधि के बाद यथा अवसर पर एकत्रित राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से कर्मचारी को वापिस की जानी चाहिये।

8. ऋण व ब्याज

शुक्रनीति में व्यापार के नियमों अथवा उत्पादन करने के नियमों के साथ-साथ मूलधन और पूँजी (उत्पादन की लागत) पर ब्याज के नियमों का भी निर्धारण किया गया है। शुक्र ने मनुष्य के धनवान बनने के लिए जिन वृत्तियों का वर्णन किया है उसमें ब्याज पर रुपया उधार देना, खेती करना सुन्दर विद्या उपार्जन दुकानदारी संगीत आदि कला के द्वारा, दान लेकर मनुष्य धनवान बन सके और उसी के अनुकूल कार्य करे। शुक्र के अनुसार व्यवसाय करने वालों के लिये लेख से बढ़कर दूसरा कोई स्मरण सूचक चिन्ह नहीं है इसलिये बुद्धिमान को सदा बिना लेख के व्यापार हेतु लेनदेन नहीं करना चाहिये। मित्रता के नाते मागने पर मित्र के लिये बिना ब्याज पर धन देना चाहिये और यदि उस मित्र के ऊपर वैसा बिना ब्याज धन शेष हो तो भी पुन देना हानिकारक नहीं है।

ऋण लेने वाले को ब्याज देने में समर्थ देखकर सदा बंधक या किसी के जमानत पर और किसी की गवाही के साथ लिखा पढी करके उचित मात्रा में सुखपूर्वक लौटाने लायक धन देना चाहिये। इनके बिना धन उधार नहीं देना चाहिये नहीं तो मूलधन नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। शुक्र के अनुसार व्यापारी लोग मूलधन से व्यापार करते हैं मात्र ब्याज पर अपना सारा मूलधन नहीं लगाते हैं। शुक्र ने सगृहीत धन की रक्षा की भी शुक्रनीति में व्याख्या की है। उनके अनुसार सग्रह किये हुये धन आदि की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इनके सग्रह करने में बहुत दुःख उठाना पड़ता है और उससे चौगुना दुःख उसकी रक्षा में उठाना पड़ता है।

शुक्र ने राजा को यह निर्देश दिया है कि जब मूलधन से चौगुनी वृद्धि (ब्याज) धनिक ने ऋण लेने वाले से ले तो उससे अधिक धन लेने के लिए धनिक को रोक दे अर्थात् ऋण चुकता होने पर ऋणी धनी को अधिक नहीं देवे।

ब्याज की प्राप्ति सचित धन से होती है अत आचार्य ने कहा है कि सचित धन की रक्षा के लिए लिख लेने के बाद लोभ से रहित धनी पुरुष विश्वासपात्र या क्षमावान तथा राजा के पास रखना चाहिए। (3/190)

आचार्य का कहना है कि अपने सचित धन की जानकारी अपनी स्त्री पुत्र या मित्र तक को भी नहीं होनी चाहिए। यह प्रयत्न होना चाहिए कि उस धन को बढ़ाने के लिए

लिखा-पढी के साथ सूद (ब्याज) पर दे देना चाहिए तथा घर पर नहीं रखना चाहिए। यदि स्त्री पुत्र या मित्र को संचित धन की जानकारी हो गयी तो उसकी रक्षा होना संभव नहीं हो सकेगा। (3 188)

ऋण लेने वाले सूद देने में समर्थ देख कर सदा बन्धक या किसी के जमानत पर और किसी के गवाही के साथ लिखा-पढी करके उचित मात्रा में सुदपूर्वक लौटाने लायक धन देना चाहिए। तथा ब्याज के लोभ में उपर्युक्त रीति से भिन्न अवस्था में धन नहीं देना चाहिए नहीं तो मूलधन नष्ट होने की संभावना रहती है। (3 192-193)

इस प्रकार वास्तव में आचार्य ने मूलधन की रक्षार्थ उस जमाने में ही सुरक्षित अग्रिम (Secured Advances) की चर्चा कर दी थी।

मित्रता को स्थायी बनाने के लिए आचार्य ने सलाह दी है कि मित्र को दूसरे मित्र से शाश्वत मैत्री रखने के लिए आपस में धन का लेनदेन (ऋणादि) नहीं करना चाहिए। परन्तु आचार्य ने आगे यह भी कहा है कि मित्रता के नाते मागने पर मित्र को बिना सूद पर धन सदा देना चाहिए। यदि उस मित्र पर बिना सूद पर लिया गया धन बहुत-सा बाकी पड़ा हो तो भी पुन देना हानिकर नहीं है। अर्थात् मित्र के लिए सभी सत्य है।। 3 191 ।। परन्तु आपस में मित्रों में परस्पर क्लेश नहीं पहुँचे अतः सूद पर या बिना सूद पर ऋण देने वाले (महाजन) को बिना साक्षी तथा बिना ऋणपत्र पर लिखाये ऋण नहीं देना चाहिए।

9 आय

आचार्य शुक्र के अनुसार प्रतिवर्ष-प्रतिमास तथा प्रतिदिन जो सोना पशु तथा धान्य आदि जो अपने अधीन हो जाता है अर्थात् अपने पास आता है उसे आय कहते हैं। तथा जो सोना पशु एव धान्य दूसरों के अधीन कर दिया जाता है उसे व्यय कहते हैं।

आय दो प्रकार की होती है - प्रथम तात्कालिक तथा द्वितीय प्राचीन जिसे संचित भी कहते हैं। संचित आय तीन प्रकार की होती है - एक निश्चितान्य स्वामिक (जिसका दूसरा कोई स्वामी निश्चित है) दूसरी अनिश्चित स्वामिक (जिसके स्वामी का निश्चय नहीं है) तीसरी स्व-स्वत्वनिश्चित अपना स्वत्व जिस पर निश्चित है अर्थात् निजी आदि संचित आय के भेद हैं।

निश्चितान्यस्वामिक आय भी तीन प्रकार की होती है जैसे औपनिध्य याचितक एव औत्तमणिक। जो धन किसी सज्जन द्वारा विश्वास मानकर किसी के पास रखा जाता है वह औपनिध्य (औपनिध्य) कहलाता है। जो बिना सूद का दूसरे से अलंकार आदि (रुपया आदि) लिया जाता है वह याचित कहलाता है तथा जो सूद पर ऋण लिया जाता है वह औत्तमणिक कहलाता है। जो मार्ग आदि न किसी का भूल से छूट गया गिरा हुआ किया कही पर गड़ा हुआ निध्यादि धन मिल जाता है वह अज्ञातस्वामिक अर्थात् अनिश्चित स्वामिक कहलाता है।

स्वत्वनिश्चित अर्थात् स्व-स्वत्वनिश्चित किंवा निश्चितस्वत्व धन दो प्रकार का होता है जैसे साहजिक एव अधिक। जो धन का आय दाय (पैत्रिक संपत्ति में से अपने हिस्से) या वृत्ति (व्यवसाय) के द्वारा निश्चित रूप से दिन, मास अथवा वर्ष में होती है वह साहजिक आय कहलाती है। जो आय दाय (पैत्रिक धन) एव परिग्रह (दान लेने) से बिना बलेश के प्राप्त होती है उसे उत्तम स्वभावज (साहजिक) कहते हैं।

जो आय उचित मूल्य से अधिक रूप में या सूद रूप में किंवा यज्ञ आदि कराने से प्राप्त होती है एव पारितोषिक (इनाम) या वेतन किंवा युद्ध आदि से जीत के रूप में प्राप्त धन है वह अपने स्वत्व से अधिक होने से अधिक आय कहलाती है। इससे अन्य रीति से जो धन प्राप्त होता है वह साहजिक कहलाती है।

सचित धन भी दो प्रकार का होता है - प्रथम, पूर्व वर्ष का शेष तथा वर्तमान वर्ष का सचित धन। अधिक व साहजिक भेद से पूर्वाक्त दो प्रकार की जो आय है वे प्रत्येक पार्थिव (स्थावर) तथा इतर (चल) दो प्रकार की होती है। जो भूमि के भागों से प्राप्त होती है उसे पार्थिव आय कहते हैं। पार्थिव सज्ञक आय में देवालये, कृत्रिम वस्तुओं, जल देश, ग्राम तथा पुरो के भूमि सम्बन्धी विभागों की आय शामिल है। चल सज्ञक आय में व्यवसायी वर्ग से प्राप्त होने वाले शुल्क (चुगी, टैक्स), दण्ड (जुर्माना) खान कर (मालगुजारी), भाटक (भाडा) उपायन (नजर-भेंट) आदि चल या इतर आय कहते हैं।

10. व्यय

व्यय की चर्चा करते हुए शुक्र ने निर्देश दिया कि हृदय में उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता (कजूसी) रख कर समय आने पर उचित व्यय मनुष्य को करना चाहिए अन्यथा नहीं करना चाहिए।

व्यय दो प्रकार का होता है - एक पुनरावर्तक (फिर लौट कर आने वाला), दूसरा स्वत्वनिवर्तक (द देने वाले के स्वत्व को निवृत्त करने वाला) कहलाता है। जो व्यय निधि, उपनिधि एव विनिमय रूप में हुआ है एव सूद सहित व बिना सूद का ऋण आदि पुनरावर्तक व्यय कहलाता है। स्वत्वनिवर्तक व्यय के अन्तर्गत-निधि व्यय उसे कहते हैं जो पृथ्वी में गाढ दिया जाता है इसे उत्पन्न कष्ट पडने पर भी ग्रहण नहीं किया जाता अतः यह भी एक प्रकार का व्यय है। उपनिधि व्यय वह है जो दूसरे के पास रखा हुआ है। विनिमय कृत व्यय वह है जो दिये हुए मूल्यादि से बदले में मिला हुआ है। सूद पर या बिना सूद के जो धन दिया गया है उसे आधमर्गिक व्यय कहते हैं। इसमें सूद पर जो दिया जाता है उसे ऋण तथा बिना सूद पर दिया जाता है उसे याचित (हाथ उधार) कहते हैं ॥ 2 337-345 ॥

स्वत्वनिवर्तक व्यय दो प्रकार का होता है - प्रथम ऐहिक तथा द्वितीय पारलौकिक। ऐहिक व्यय में प्रतिदान पारितोष्य-वेतन तथा भोग्य व्यय शामिल है तथा पारलौकिक व्यय में जप, होम, पूजन तथा दान में होने वाला व्यय शामिल है।

मूल्य रूप में जो दिया जाता है उसे प्रतिदान कहते हैं। सेवा तथा शूरता आदि से प्रसन्न होकर जो दिया जाता है उसे पारितोषिक (पारितोष्य) कहते हैं भरण-पोषणार्थ जो भृत्यों को दिया जाता है उसे वेतन कहते हैं।

धान्य वस्त्र गृह बगीचा गौ गज आदि तथा रथ के लिए एव विद्या तथा राज्य आदि के उपार्जन के लिए एव धन आदि की प्राप्ति के लिए जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग्य कहते हैं। जो व्यय जाकर पुन आने वाला हो उसे विशेष व्यय कहते हैं तथा जो आय आवर पुन आने वाली हो उसे विशेष आय कहते हैं।

11 वचत

आचार्य ने उपभोग के अतिरिक्त वचत पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होने नित्य 'कण-कण भर सग्रह वर धन अर्जन पर जोर दिया। वचत का महत्व आचार्य के इस वाक्य से स्पष्ट है कि भविष्यकाल में रक्षा करने में समर्थ धन की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए और 100 वर्ष तक मैं तो जीउगा एव धन से आनन्द करुगा-इस बुद्धि से धन और विद्या आदि वा 25 वर्ष पर्यन्त या उसका आधा 12½ वर्ष या उसका आधा 6¼ वर्ष पर्यन्त सदा सग्रह करना चाहिए (3178-179)

यद्यपि यह सही है कि वचन में वृद्धि तब ही समय है जबकि हम कृपणता (कजूरी) से व्यय करें। परन्तु आचार्य ने अति कृपणता को निन्दनीय माना है । 3219 ॥

वचत एव व्यय के पति सोच आचार्य ने इस निर्देश से प्रकट होती है कि बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े से कार्य के लिए बहुत अधिक धन की प्राप्ति का त्याग न करे तथा अभिमान से छोटे कार्य को सिद्ध करने के लिए अधिव धन वा व्यय व्यर्थ नहीं करे अर्थात् छोटे से कार्य के लिए भी अधिव धन प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए तथा उसको सिद्ध करने के लिए उस पर कम से कम व्यय करना चाहिए। तथा सदा बहुत धन वा व्यय होगा इस भय से सत्कीर्ति की प्राप्ति का त्याग न करे अर्थात् अधिक धन के व्यय से सत्कीर्ति प्राप्त होती है तो व्यय करना चाहिए।

12 कोश कर एव शुल्क

किसी भी एक समान वस्तुओं के समूह को कोश कहते हैं वह पृथक-पृथक अनेक प्रकार का होता है।

राजा को किसी भी प्रकार से धन एकत्र करना चाहिए तथा उस धन से राष्ट्र सेना तथा यज्ञादि कर्मों की रक्षा करनी चाहिए। (443) अतः सेना प्रजा की रक्षा तथा यज्ञ के लिए जो कोश सग्रह किया जाता है वह राजा के लिए इस लोक तथा परलोक दोनों के लिए सुखप्रद होता है इससे भिन्न कार्य के लिए किया हुआ कोश सग्रह दुःख प्रदान करता है।

जो कोश सग्रह स्त्री-पुत्र के लिए एव केवल मात्र उपभोग के लिए किया जाता

है उसे केवल नरक देने वाला समझना चाहिए क्योंकि वह परलोक में सुखप्रद नहीं होता है।

कोश की वृद्धि की चर्चा करते हुए आचार्य ने बताया कि जिसने अन्याय से धनार्जन किया है वह पाप का भागी होता है और जो धन सुपात्र से लिया जाता है तथा सुपात्र को दिया जाता है वही धन बढ़ता है। न्याय से धनार्जन करने वाला तथा सत्कार्य में व्यय करने वाला ध्यवित सुपात्र कहलाता है तथा इसके विपरीत अन्याय से धनार्जन करना तथा कुमार्ग पर धन व्यय करने वाला कुपात्र होता है।

कोश सग्रह के सम्बन्ध में आचार्य ने आगे बताया कि बिना विशेष आपत्ति पडे प्रजा पर अधिक जुर्माना, मालगुजारी या चुगी बढ़ाकर एव तीर्थस्थान तथा देवोत्तर सम्पत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोश नहीं बढ़ाना चाहिए।

जिस समय राजा शत्रु का विनाश करने के लिए सेना की रक्षा करने में तत्पर हो उस समय विशेष प्रकार का अधिक जुर्माना या चुगी लगाकर प्रजा से धन का हरण करे तो उचित है।

इसके अतिरिक्त अपने ऊपर आपत्ति आ पडने पर 'मैं सूद दूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर धनिकों से उस धन को जबरदस्ती राजा को ले लेना चाहिए तथा जब आयी हुई आपत्ति पार कर जाय उस लिये हुये धन को सूद सहित धनिक को लौटा देना चाहिए।

कोश सग्रह की सीमा के बारे में आचार्य ने कहा कि बिना जुर्माना, मालगुजारी तथा चुगी से प्राप्त धन के भी केवल राजा के कोश से ही 20 वर्ष तक सेना की रक्षा भली भाँति जितने से हो सकती है उतने कोश का तथा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उपयुक्त सग्रह करना उचित है।

प्रजा संरक्षण में कोश की महत्ता का बखान करते हुए आचार्य ने लिखा है कि कोश का मूल सेना है अर्थात् सेना से ही कोश सग्रह होता है और सेना का मूल कोश है अर्थात् कोश के द्वारा सेना का सग्रह होता है तथा सेना एव कोश की रक्षा करने से वंश तथा राष्ट्र की वृद्धि तथा शत्रुओं का नाश होता है तथा प्रजा की रक्षा करने से पूर्वोक्त कोश राष्ट्र शत्रु का नाश तीनों होते हैं तथा अन्त में स्वर्ग भी मिलता है।

कोश वृद्धि में गुणात्मकता का जिक्र करते हुए आचार्य शुक्र ने बताया कि जो माली की भाँति व्यवहार रखकर अर्थात् अपने बाग के वृक्षों को सींच कर जैसे माली उसकी रक्षा करता है उसी भाँति प्रजा की रक्षा करने के साथ-साथ शत्रु को कर (मालगुजारी) देने वाला बनाकर उनके धन से कोश बढ़ाता है वह भूत श्रेष्ठ कहलाता है, जो वैश्य वृत्ति व्यवसाय आदि से कोश बढ़ाता है वह राजा मध्यम एव सेवा से तथा जुर्माना, तीर्थ स्थान, तथा देव मन्दिरों पर कर लगाकर जो कोश बढ़ाता है वह अधम राजा कहलाता है।

धनार्जन के आधार पर प्रजा का दर्गीकरण करते हुए आचार्य ने बताया कि हीन धन तथा मध्यम धन वाली प्रजा की रक्षा राजा को धैर्य देकर राजा को स्वामी की भाँति

करनी चाहिए अर्थात् निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के बीच प्रजा व राजा का सम्बन्ध प्रजा-स्वामी का होना चाहिए तथा अधिक धन वाली उत्तम प्रजा की रक्षा जामिनदार (गारटर) होकर करनी चाहिए क्योंकि उत्तम धनवाली धनिक प्रजा राजा से न हीन तथा न अधिक समर्थ होती है अतः वह राजतुल्य होती है।

कर एव शुल्क - सदा कर ग्रहण का अभिलाषी राजा प्रथम भूमि का नाप कर और उससे बहुत मध्यम या कम पैदावार को समझ कर पश्चात् तदनुसार कर का निश्चय करे तथा कृषक से उतना ही कर वसूल करे जितने से वह नष्ट (क्षतिग्रस्त) न होवे। (4 108-109)

कर की मात्रा के सम्बन्ध में आचार्य शुक्र का मत था कि जिस प्रकार माली जैसे लता आदि से थोड़ा-थोड़ा फूल चुनता है उसी भाँति राजा भी थोड़ा कर लेवे किन्तु जैसे कोयला बनाने वाला संपूर्ण वृक्षों को जड़ सहित जलाकर कोयला बनाता है वैसे संपूर्ण आयकर रूप में न लेवे। और बहुत मध्यम तथा कम पैदावार के तारतम्य को समझ कर तदनुसार ही कर लेवे (4 2 110)। कृषि पर कर लगाने से पूर्व राजा को कृषि पैदावार की श्रेष्ठता की जांच कर लेनी चाहिए। इस सम्बन्ध में शुक्र का कहना है कि राजा का कर (मालगुजारी) आदि संपूर्ण व्यय को काटकर जिस खेती से दुगुना लाभ हो वह उत्तम खेती कहलाती है इससे कम लाभ होने पर कृषकों को दुःख देने वाली खेती हो जाती है। (4 2 111)

आचार्य ने कृषि पैदावार की श्रेष्ठता की बात की बल्कि सिंचाई की स्रोतों के अनुसार कृषि भूमि पर कर लगाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि राजा क्रमानुसार सदा तडाग (तालाब) बावड़ी या कूप के जल से सींचे जाने वाले खेतों से तृतीयांश वर्षा से सिंचाई होने वाले खेतों से चतुर्थांश तथा नदी से सिंचाई होने वाले खेतों से उपज का आधा अंश एव बजर तथा पथरीली जमीन से होने वाली आय का छठा अंश कर रूप में ग्रहण करे। (4 2 112-113)

जिस कृषक से राजा को 100 रुपये कर चादी (चादी का रूपया) कर रूप में मिलता है तो उस (कृषक) के लिए राजा अपने कर में से बीसवा भाग (5 रुपये) अपनी ओर से दे देवे।

खानों से प्राप्त आय में से कर की बात करते हुए आचार्य ने कहा कि व्यय को काटकर खान से उत्पन्न होने वाले सोना से आधा अंश चादी से तृतीयांश ताम्बा से चतुर्थांश लोहा वगैरे तथा सीसा से षष्ठांश रत्नों से तथा क्षार पदार्थ जैसे नमक आदि से आधा अंश एव कृषक आदि की लाभ की अधिकता देखकर तदनुसार तृतीयांश पचमांश सप्तमांश या दसमांश कर राजा को ग्रहण करना चाहिए। (4 2 116)

इनके अतिरिक्त तृणकाष्ठ आदि लाकर बेचने वालों से 20 वा अंश कर लेना चाहिए। उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त आचार्य ने पशुधन से भी कर वसूल करने की बात की। आचार्य के मतानुसार बकरी भेड़ गौ भैंस तथा घोड़ों की वृद्धि में रो अष्टमांश कर

राजा ग्रहण करे। भैंस, बकरी, भेड़ तथा गाय के दूध में से 16 वा भाग कर ग्रहण करे।

आचार्य शुक्र कुछ मामलों में कर की राशि नकद प्राप्त करने की बजाय राज्य की सेवा के रूप में लेने का भी सुझाव दिया। उदाहरण के लिए शुक्र के मतानुसार कारु (बढई) तथा शिल्पी (चित्रकार आदि) के वर्गों से हर एक पक्ष (15 दिन) में एक दिन कर रूप में उनसे मुफ्त में काम करा लेवे। और जो राज्य की उन्नति के लिए तालाब, बावड़ी या कृत्रिम नदी (नहर) या इसी के समान और किसी दूसरे कार्य का निर्माण करते हैं उन लोगों से तथा जो नवीन भूमि को जोत कर खेती के योग्य बनाते हैं, उन लोगों से जब तक व्यय काटकर दूना लाभ न होने लगे तब तक कर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अधिक लाभ होने पर कर लेना चाहिए।

आय के कुछ स्रोतों को तत्काल वसूल करने की आचार्य शुक्र ने सिफारिश की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया कि अपनी जमीन का हिस्सा अलग कराने, वेतन, चुगी, ब्याज, धूस या दलाली, कर (मालगुजारी) इन सब को तत्काल ले लेना चाहिए इनमें विलम्ब करना अनुचित है।

कर एकत्रीकरण के सम्बन्ध में आचार्य ने बताया कि राजा को प्रत्येक किसान को मालगुजारी की रसीद लिखकर तथा उस पर अपनी मुहर लगाकर देनी चाहिए। अथवा ग्राम की सभी भूमि का कर नियत कर किसी एक घनिक से सभी कर ले लेना चाहिए तथा उस घनिक को किसान का जामिनदार (गारटर) मान लेना चाहिए जो राज कर को प्रतिमास या प्रति ऋतु सबसे अलग-अलग राजा को दिया करे और योग्यतानुसार सोलहवा बारहवा दशवा या आठवा अश जो राजा को मिलने वाला कर हो, उसका छठा भाग वेतन रूप में देकर राजा को ग्रामपाल (मुखिया) या अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।

व्यापार करने वालों और ब्याज पर रुपया देने वालों से लाभाश का 32 वा अश (रुपये में दो पैसा) कर राजा को ग्रहण करना चाहिए तथा ग्रह बनाने के लिए दी हुई भूमि का कर बोन के लिए दी हुई भूमि के समान ही लेवे।

राजा को दुकानदारों से दुकार की भूमि का कर भी वसूल करना चाहिए तथा यात्रियों से मार्ग की सफाई तथा रक्षा के लिए भी कर ग्रहण करना चाहिए।

परन्तु आचार्य ने राजा को यह भी निर्देश जारी किये हैं कि इन सब करों को ग्रहण कर नौकर की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए।

शुक्रनीति में कर व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रतिपादित किये गये सकारात्मक एवं निषेधात्मक नियमों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है -

(1) आचार्य ने बताया कि परिवार के पालनार्थ रखी हुई गौ आदि के दूध के ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं लेना चाहिए तथा अपने उपभोग के लिए धान्य तथा वस्त्र खरीदने वाले से भी कर नहीं लेना चाहिए।

(ii) भूमि को नापकर तथा अधिक मध्यम या कम पैदावार को समझ कर उसी अनुरूप कर का निश्चय करना चाहिये। कृषक से उतना ही कर लेना चाहिये जिससे उसे कष्ट न हो।

(iii) जिस प्रकार माली अत्यंत यत्न से वृक्षों को बढ़ाकर उससे फल तथा पुष्प का संग्रह करता है उसी प्रकार से प्रजा से भी शासक को कर व मालगुजारी ग्रहण करने वाला हो वैसा ही कराधिकारी नियुक्त करना चाहिए।

(iv) बिना आपत्ति पड़े प्रजा के ऊपर अधिक जुर्माना मालगुजारी या चुगी बढ़ाकर तीर्थ-स्थान तथा देवोत्तर सम्पत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोष नहीं बढ़ाना चाहिये।

(v) जिस प्रकार राजा शत्रु का विनाश करने के लिए सेना की रक्षा करने में तत्पर हो उस समय विशेष प्रकार का अधिक जुर्माना या चुगी लगाकर प्रजा से धन लेना उचित है।

(vi) व्यापारी और व्याज पर रुपया देने वालों से लाभांश का 32 वा अंश कर राजा ग्रहण करे और गृह बनाने के लिये दी हुई भूमि का कर बोनो के लिये दी हुई भूमि के समान ही ले।

(vii) राजा दुकानदारों से दुकान की भूमि का कर ग्रहण करे और यात्रियों से मार्ग की सफाई व रक्षा के लिए भी कर वसूल करे।

(viii) शासक प्रजा से कर ग्रहण कर नोकर की भांति उसकी रक्षा करे।

(ix) आपत्तिकाल में राजा द्वारा प्रजा से लिये गये अधिक धन को आपत्तिकाल समाप्त होने पर प्रजा को व्याज सहित धन को वापस करना चाहिए।

(x) शासक को सूझ-बूझ एवं निपुणता से कोष बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(xi) लकड़ी घास आदि लाकर बेचने वालों से शासक को 20 वा अंश कर के रूप में लेना चाहिये।

(xii) शिल्पी बढई आदि से शासक को 15 दिन में एक दिन कर के रूप में बिना वेतन दिये काम करवाना चाहिये।

(xiii) राजा द्वारा किसानों को मालगुजारी की रसीद लिखकर देनी चाहिये और ग्राम के किसी धनी को प्रतिभू बनाकर उसी के माध्यम से कर प्राप्त करना चाहिये।

(xiv) शासक को तड़ाग कूप या बावडी के पानी से सिंचाई की जाने वाले खेतों से तीसरा भाग वर्षा द्वारा सिंचित खेतों से चौथा तथा नदी से सिंचित खेतों से उपज का आधा भाग और बजर व पथरीली जमीन से उपज का छठा भाग कर के रूप में वसूल करना चाहिये।

(xv) गाय घोड़ों और बकरी की संख्या में वृद्धि होने पर आठवा अंश कर ग्रहण करे तथा दूध में से सोलहवा भाग कर के रूप में शासक वसूल करे।

(xvi) शासक को तालाब बाढ़डी, नहर आदि के निर्माण करने वाले लोगों से तथा बजर व नयी भूमि को जोतकर खेती योग्य बनाने वाले कृषकों से जब तक कर नहीं लेना चाहिये जब तक उन्हें उन पर किये गये व्यय से दुगना लाभ प्राप्त न होने लगे।

(xvii) अपने निजी उपभोग के लिये अनाज वस्त्र एव परिवार के लिए रखी गयी गायों के दूध पर शासक को कर नहीं लेना चाहिये।

(xviii) शासक को व्यय को निकालकर खानों से निकलने वाले सोने से आधा अश घादी से तीसरा तांबे से चौथा लौहा व सीसा से छठा रत्नों व नमक आदि से आधा अश कर लेना चाहिये। कृषक आदि से लाभ की अधिकता देखकर उसी के अनुसार तीसरा पाचवाँ, सातवाँ एव दसवा अश कर वसूल करना चाहिये।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्र ने राज्य की कर-व्यवस्था को लोक-कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया है। शुक्र की कर नीति में निम्न बातों पर बल दिया गया है -

(अ) राष्ट्र की वृद्धि कोष से ही होती है। (ब) राज्य की आय-व्यय की जाच नियमित होती रहे। (स) कर वसूल करने वाले कर्मचारी ईमानदार एव कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिये। (द) राजा की कर नीति मनमानी नहीं होनी चाहिये। (य) शुक्र की कर नीति दो प्रकार की है - (i) सामान्यकालीनकर नीति - करो की दर सामान्य होनी चाहिये तथा तीर्थों एव देवस्थानों को कर-मुक्त रखना चाहिये। (ii) आपत्तिकालीन कर नीति - आपातकाल में विभिन्न करो की दरें बढ़ायी जा सकती हैं, राज्य-कर्मचारियों के वेतन काटे जा सकते हैं और देवस्थानों एव तीर्थों पर भी कर लगाया जा सकता है।

शुल्क (चुगी)¹⁹ - शुक्र के अनुसार बेचने तथा खरीदने वाले से राजा जो अपना अश लेता है उसे शुल्क (चुगी) कहते हैं। शुल्क (चुगी) सम्बन्धी विचारों को हम निम्न बिन्दुओं में रखकर अध्ययन कर सकते हैं -

(अ) बेचने वालों के मूलधन में जिससे कमी न आये ऐसे शुल्क (चुगी) को जो व्यापारियों से वसूल करने वाला हो उसे 'शौल्किक' अर्थात् चुगी अधिकारी पद पर नियुक्त करना चाहिये।

(ब) शुक्र ने चुगी के स्थानों एव चुगी घोंरी करने वालों पर दण्ड का प्रावधान भी किया है। उनके अनुसार शुल्क (चुगी) लेने वाला स्थान बाजार के मार्ग (खरीदने वालों से लेने के लिये) तथा कर सीमा (चुगी लगाने के स्थान की सीमा पर बना चुगी घर) जहाँ व्यापारियों से चुगी ली जाती है।

(स) समस्त वस्तुओं पर प्रयत्नपूर्वक एक बार ही चुगी लेनी चाहिये।

(द) अपने राज्य में शासक कभी भी छल से बार-बार किसी वस्तु की चुगी न ले अर्थात् एक वस्तु पर एक बार ही शुल्क वसूल करे।

(घ) शासक को चरीदने एव बेचने वालों से वस्तु के मूल्य का 32 वा अंश चुगी के रूप में ग्रहण करे अथवा मूलधन को छोड़कर लाभ में से बीसवा या सोलहवा अंश चुगी ले।

(र) जिस विक्रेता को मूलधन से कम या बराबर मूल्य वस्तु का मिले उससे चुगी न ली जाये और राजा थोड़े मूल्य से अधिक द्रव्य को लाभ देय कर तदनुसार ही क्रेता से चुगी बसूल करे।

(ल) आपत्तिकाल में राजा शत्रु का विनाश करने के लिए विशेष प्रकार की चुगी या जुर्माना लगा कर प्रजा से धन बसूल कर सकता है।

अन्य मदों से प्राप्त आय— शुक्र ने करो एव चुगी के अतिरिक्त अर्थ-दण्ड दान भेट अन्य राजाओं से प्राप्त कर दुष्ट पुरुषों के धन का हरण तथा दुष्ट राजाओं के धन के हरण को भी राज्य आय का साधन माना है जिनमें प्रमुख मदें इस प्रकार से हैं—

(अ) अन्य राजाओं से प्राप्त कर— शुक्र के अनुसार राजा शत्रु को जीतकर योग्यतानुसार उससे कर (मालगुजारी) ग्रहण करे और कभी-कभी योग्यतानुसार शत्रु के राज्य का आधा अंश या सम्पूर्ण राज्य को ही अपहरण कर ले फिर शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे। शुक्रनीति में राजाओं से कर बसूल करने को शासक के आठ प्रकार के आचरणों में माना है। शासक को अन्य अधर्मी राजाओं से छल बल या अन्य वृत्ति से धन हरण करना चाहिये।^{१०}

(ब) अर्थदण्ड या जुर्माना— शुक्र ने अपराधियों के दण्ड से प्राप्त जुर्माना आदि से प्राप्त भाग को भी राज्य आय का साधन माना है। दण्ड के द्वारा बुरे आचरण से निवृत्ति और दमन होता है अतः जिस उपाय से मनुष्य का भली-भाँति दमन होता है उसे दण्ड कहते हैं। यह दण्ड नामक उपाय राजा के अधीन रहता है क्योंकि यही सबका स्वामी है। धन हर लेना झिड़कना अपमान उपवास कराना बाँधना मारना शहर या राज्य से निकाल देना दाग देना सिर मुड़वा देना गदहे आदि पर चढ़ा देना किराई का अग को कटवा देना प्राणदण्ड देना ये सभी उपाय दण्ड के ही भेद माने जाते हैं। दण्ड के भय से प्रजा अपने-अपने धर्मों में रहती है और वह किसी दुर्बल पर आक्रमण तथा असात्य-भाषण नहीं करती है। मूर्ख लोग कोमलता को धारण कर लेते हैं। दुष्ट लोग दुष्टता को छोड़ देते हैं डाकू लोग भाग जाते हैं चुगलखोर जवान बंद कर लेते हैं आततायी लोग डर जाते हैं जो कोई कर नहीं देते हैं वे कर देने लग जाते हैं। अतः राजा को नित्य धर्म रक्षार्थ दण्ड देने वाला होना चाहिये।

शुक्र के दण्ड सम्बन्धी विचारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है—

(1) जो वर्णाश्रम तथा जाति के लोग अपने-अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं वे राजा द्वारा दण्डनीय होते हैं।

(2) जिस स्थान पर धर्मशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र की विवेचना अधिक रूप से की जाय उसे धर्माधिकरण (न्यायालय-कचहरी) कहते हैं।

(3) धर्मशास्त्र एवं सदाचार से विरुद्ध मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा पीड़ित किये जाने पर यदि कोई राजा के पास न्यायालय में आवेदन पत्र देता है उसे 'व्यवहार पद' (मुकदमा दायर करना) कहते हैं।

(4) राजा या उससे अधिकारी स्वयं किसी विवाद (मुकदमा) को न्यायालय में न उपस्थित करे और राजा अनुराग, लोभ या क्रोध के वशीभूत होकर किसी को पीड़ित न करे। वादी-प्रतिवादी के बिना उपस्थित किये राजा अपनी बुद्धि से किसी मुकदमे को न्यायालय में उपस्थित नहीं करे।

(5) जो वादी उद्धत स्वभाव वाला, निष्पूर वचन बोलने वाला एव निष्पूर कार्य करने योग्य वेशवाला गर्वी अत्यंत क्रोधी, जज के साथ-साथ आसन पर बैठने वाला और अत्यंत अभिमानी हो उसे शासक को दण्ड देना चाहिये।

(6) वादी द्वारा शासक के पास जो आवेदन पत्र दिया जाता है, उसे 'आवेदन' कहते हैं। जो जज के समक्ष कहा जाता है उसे 'बयान' कहते हैं। वादी के बयान को लिखवा कर उस पर उसके अगूठे का निशान लगावाये और अंत में राजा उस पर अपनी मुहर लगा दे। वादी का यह बयान भी एक प्रकार का गवाही या साक्ष्य होता है।

(7) राजा विवाद (मुकदमा) लेने योग्य है या नहीं इसका भली भाँति विचार करे। यदि योग्य हो तो ले।

(8) व्यवहार (मुकदमा लड़ना) न जानता हो या किसी कार्य में व्यस्त हो ऐसा वादी या प्रतिवादी मुकदमे के जानकार किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना सकता है।

(9) यदि कोई किसी को अपना प्रतिनिधि (वकील) बनाकर उससे जो कुछ कार्य कराते तो वह उसी का ही किया हुआ समझना चाहिए और उसे पलटा नहीं जा सकता है।

(10) वादी ने जो कुछ कहा है वह ठीक है, ऐसा प्रतिवादी के स्वीकार करने पर जो उत्तर है वह 'सत्य' उत्तर कहा जाता है उसको प्रतिपत्ति भी कहते हैं।

(11) वादी के प्रार्थना-पत्र को सुनकर यदि प्रतिवादी उसको स्वीकार नहीं करता है अर्थात् निषेध करता है तो उसे 'मिथ्या' उत्तर कहते हैं।

(12) यह मिथ्या है इसे मैं नहीं जानता हूँ, उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था और मैं तो तब उत्पन्न भी नहीं हुआ था। इस प्रकार से 'मिथ्या उत्तर' चार प्रकार का होता है।

(13) परस्पर एव दूसरे के समान ही यादी प्रतिवादी के क्रमशः पक्ष और उत्तर को जो सुनकर तदनुरूप ही लिख लेने है या ही स्वीकार करते हैं। ये चोर की भाँति सदा दण्ड पाते योग्य होते हैं।

(14) जो अपना सम्बन्धी न हो एव वार्थ (विवाद विषय) को जानने वाला हो वह साक्षी (गवाह) मानने योग्य होता है। साक्षी अथवा प्रवार वा होता है। कोई आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाला और कोई केवल सुनने वाला होता है। वृत्त और अकृत भेद से साक्षी दो प्रकार के होते हैं अर्थात् यादी द्वारा उपस्थित किया हुआ अवक्त होता है।

(15) गृह समय व्यतीत होने पर भी जिसकी बुद्धि स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति क्षीण नहीं हुई हो वही सचमुच साक्षी (गवाह) देने योग्य होता है।

(16) जहाँ पर गृह से गवाहों के वचनों में विभिन्नता होने से सत्य निर्णय में संशय हो जाय वहाँ पर अधिक संख्यक वालों की बात माने। यदि समान संख्या वालों में विभिन्नता हो तो उनमें से जिस तरफ गुणी पुरुष हो उनको वचन माने एव यदि गुणियों के वचनों में विभिन्नता जिस विषय में हो तो जो अधिक गुणी हो उसकी ही बात माने।

(17) जो साक्षी गवाह देने समय सत्य बोलता है वह उत्तम लोगों को प्राप्त करता है और संसार में सर्वोत्तम वीरों को प्राप्त करता है। यह वेदों में भी लिखा हुआ है।

(18) आत्मा ही अपना साक्षी है और आत्मा ही अपनी गति है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा का ही उत्तम साक्षी मानना चाहिये।

(19) यदि कोई समर्थ होकर भी धन से लिये हुए धन को नहीं देता है तो राजा समझा-बुझाकर या दण्ड वा प्रयोग कर वर्जदार से महाजन को धन दिलावे।

(20) जो व्यक्ति खोटी वस्तु या धोखे से विरही वस्तु को बेचता है तो वह सदा राजा द्वारा चोर की भाँति दण्डनीय होता है।

(21) शुद्र नीति में धारा प्रवार के छलों दस अपराधों एव बाइस विवाद के स्थानों का वर्णन किया है जो दण्डनीय माने गये हैं।

(22) शुद्र ने राजा को आपत्ति वालों में शत्रु के विनाश के लिए प्रजा पर विशेष प्रवार वा अधिक जुर्माना या जुगी लगाकर प्रजा से धन प्राप्त करने वा अधिकार दिया है।

(23) शुद्र ने अधिक दण्ड को सामान्य परिस्थितियों में अनुचित माना है उनमें मत में अधिक दण्ड को देने से सुरथ आदि राजा भी राज्य-च्युत हो गये थे।

(24) घमण्डी वर्तव्य और अवर्तव्य वर्म को नहीं जाननेवाला और कुमार्ग पर चलने वाले गुरुजन को भी दण्ड देना राजा का वर्तव्य होता है।

(25) दण्ड सहित नीति वा व्यवहार करने से राजा के सभी वार्थ सिद्ध होते हैं क्योंकि धर्मों का परम रथ दण्ड ही माना गया है।

(26) नित्य दण्ड देने योग्य व्यक्ति को दण्ड न देने से, नही दण्ड देने योग्य को दण्ड देने से एव अपराध से अधिक दण्ड देने से विद्वान लोग ऐसे अनुचित दण्ड देने वाले राजा का परित्याग कर देते है और वह राजा उक्त कर्म से पातकी होता है।

(27) राजा अत्यंत लोभ से प्रजा का धन तथा प्राणहर्ता होता है इसलिये काम क्रोध तथा लोभ इन तीनों को छोड़कर राजा को दण्ड देने वाला होना चाहिये।

(28) जो धन के गर्व से अपराध करे उसे प्रथम बार उसके स्वामित्व के धन से चौथाई धन दण्ड रूप में लेवे, उसके बाद यदि वह अपराध करे तो आधा, उसके बाद आजीवन जेल का दण्ड दे।

(29) शासक को अनुचित दण्ड नही देना चाहिये अर्थात् जितना अपराध हो उतना ही विचार कर दण्ड देना चाहिये।

13. सार्वजनिक व्यय

शुक्र ने आय की भाँति व्यय पर भी विचार किया है। उन्होंने व्यय की परिभाषा दी है, व्यय के विभिन्न प्रकार बतलाये हैं। शुक्र के अनुसार हृदय के अदर उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता रखकर समय आने पर मनुष्य को उचित व्यय करना चाहिये। राज्य व्यय सम्बन्धी शुक्र के विचारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है—

(1) जिस प्रकार बहु अपने बहु के शरीर स्त्री धन एव गुप्त रहस्य की रक्षा करने वाला मित्र के समान होता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के लिये होना चाहिये। राजा को आवश्यकता पडने पर कुबेर के समान धन देने वाला होना चाहिये।

(2) शासक को पाँच मदों में धन व्यय करना चाहिये। ये मद हैं—पूररावर्तक, पारितोषिक, वेतन, उपभोग और भोग।

(3) शासक को दो ग्रामों के बीच में एक धर्मशाला बनयानी चाहिये जिसकी नित्य सफाई और रक्षा का प्रबन्ध ग्राम के जमीदार या मुखिया के द्वारा होना चाहिये।

(4) शासक को यात्रियों के सुख के लिए नये मार्गों का निर्माण एव पुराने मार्गों की मरम्मत करवानी चाहिये।

(5) शासन चलाने के लिए मंत्री, पुरोहित, देवाध्यक्ष दानाध्यक्ष सभासद, परीक्षक, कराधिकारी, शास्त्रविज्ञ, जासूस कर्मचारियों आदि का वेतन, पेशन पर राज्य द्वारा व्यय किये जाने का शुक्रनीति में विस्तार से वर्णन है।

(6) राज्य की सुरक्षा के लिये सैनिकों हाथी घोड़ों ऊँट अस्त्र-शस्त्रों, गोला बारूद आदि पर राज्य द्वारा उचित व्यय किया जाना चाहिये।

(7) शुक्र ने प्रासाद (देवमंदिर-राजमंदिर) प्रतिमा उद्यान गृह, बावड़ी आदि का सुंदर रीति से निर्माण कराने को भी राजा का कर्तव्य माना है।

(8) हीन धन तथा मध्यम धन वाली प्रजा की रक्षा, वेतन देकर राजा को स्वामी

की भाँति करनी चाहिये तथा अधिक धन वाली उत्तम प्रजा की रक्षा प्रतिभू (सुरक्षा की जमानत देने वाला) होकर करनी चाहिये।

(9) जिस कृपक से राजा को सौ रूपये भर चँदी कर के रूप में मिलती हो उसके लिये राजा को अपने कर में से बीसवा भाग अपनी ओर से देना चाहिये।

(10) शुक्र ने नीति में एक लाख रूपया वार्षिक आय वाले शासक के सदर्म में व्यय विवरण दिया है। इस विवरण से पता चलता है कि शासक को स्वयं अपने ऊपर तथा परिवार के ऊपर मात्र 36 प्रतिशत धन व्यय करने का अधिकार होना चाहिये शेष राशि प्रजा पालन सेना व अस्त्र-शस्त्रों पर शासन व्यवस्था पर व्यय की जानी चाहिये।

शुक्रनीति में आय-व्यय के लेखन को आवश्यक बताया है तथा राज्य के प्रतिवर्ष के आय-व्यय (बजट) का विवरण दिया है। इस प्रकार राज्य की आय-व्यय के विवरण का शुक्रनीति के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। शुक्र का मत था कि राज्य कोष में इतनी मात्रा में धन होना चाहिये कि सकटकाल का मुकाबला किया जा सके। शुक्र ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के पास इतना धन होना चाहिये कि आगामी बीस वर्ष तक सेना तथा प्रजा-पालन का कार्य अच्छी तरह चल सके।

14 दान सम्बन्धी विचार

शुक्रनीति में दान की महत्ता दान किन लोगों को देना चाहिये तथा दान में नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया है। शुक्र के दान सम्बन्धी विचार इस प्रकार हैं—

(1) दान तथा सरलता को छोड़कर ससार में मनुष्य को अन्य कोई वशीभूत करने का उपाय नहीं है अमृत दान करने से क्षीण हुआ किन्तु पुन वृद्धि की इच्छा रखने वाला शुक्लपक्ष की द्वितीया का चन्द्र वक्र होता हुआ भी शुभ होता है अर्थात् उससे पुन अमृत दान मिलने की संभावना रहती है।

(2) विपुल धन से सम्पन्न होते हुए भी जो पालन करने के योग्य हैं उन्हीं का पालन करना चाहिये।

(3) दान से शत्रु लाग भी मित्र बन जाते हैं अतः शत्रु को छोड़कर अन्य व्यक्ति तो दान के कारण मित्र बने ही रहते हैं।

(4) देवता यज्ञ ब्राह्मण गौ आदि के लिये जो दान दिया जाता है वह परलोक सुख-साधन के लिये होता है और उसी को सविद् दान अर्थात् अवश्य देना चाहिये इस बुद्धि से दिया हुआ कहते हैं।

(5) बदी मल्ल आर मागध आदि लोगों को अपना-अपना कार्य दिखाने के लिये जो पुरस्कर रूप में दिया जाता है उसे पारितोष्य कहते हैं और जो यश के लिये दिया जाता है उसे श्रियादत्त कहते हैं।

(6) विवाहादि कार्यों में मित्र सम्बन्धी या बहुजनों को जो उपहार स्वरूप में दिया जाता है उसे आचरदत्त व्यवहार से दिया हुआ कहते हैं तथा लज्जा से दिये हुये धन को हीदत्त कहते हैं।

(7) जो धन हिसको की वृद्धि के लिये दिया जाता है या जो द्यूत से नष्ट कर दिया गया था जिसे घोरो ने हर लिया, जो पाणियों को या पररत्री-सगमार्थ दिये गये धन को 'नष्ट' कहते हैं।

15 पर्यटन

आचार्य शुक्र ने पर्यटको के सम्बन्ध में कहा है कि यात्रा करते समय सदा एक साथी साथ रखना चाहिए। बिना साथी के कभी-भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा ऐसे मार्ग से करनी चाहिए जिसमें जल की सुविधा हो। रात्रि को भय से रहित ग्राम में ठहरना चाहिए। भय रहित व जल रहित जो मार्ग न हो वहाँ पर एव जंगल में विश्राम नहीं करना चाहिए। (3 300-301)

आचार्य ने बताया कि आलस्य रहित होकर देश भ्रमण करना चाहिए। इससे मनुष्यों तथा पर्वतों का अनुभव साक्षात् प्राप्त होता है। (3 130-131)

परन्तु अति भ्रमण नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अत्यन्त परिश्रम होता है जिससे वृद्धता आ जाती है। (3 302)

पर्यटन के सम्बन्ध में एक और सुझाव देते हुए आचार्य ने कहा कि प्रवास के समय मनुष्यों को अपने साथ बिना सन्तान की स्त्री, अच्छी सवारी, ढोने वाला कुली, रक्षा करने वाला सिपाही, दूसरो के दुःख को दूर करने वाली विद्या, आलस्य रहित (फुर्तीला) नौकर आदि रखना सदा सुखदायक होते हैं। (3.298)

16. भण्डारण

राजा को अपने कल्याण के लिये तथा राज्य की रक्षा के लिए समय-समय पर तीन वर्ष तक खाने के लिए पर्याप्त धान्यों (अनाज) का संग्रह करना चाहिए। तथा ऐश्वर्यशाली लोगों के लिये उससे भी अधिक काल तक कार्य चलने लायक अधिक धान्य का संग्रह करना उचित होता है।

आचार्य ने संग्रह योग्य धान्य (भण्डारण) की परीक्षा का निर्देश देते हुए लिखा है कि अच्छी तरह से पका हुआ, उज्ज्वल, अच्छी जाति का, सूखा हुआ नवीन, सुगन्ध, वर्ण तथा रस (स्वाद) से युक्त, सुन्दर व बहुत काल तक ठहरने वाला, ऐसे धान्य को अच्छी तरह से देखकर यदि अधिक मूल्य का भी हो तो लेकर रखना उचित है। यदि इससे अन्यथा हो तो उस धान्य का संग्रह नहीं करना चाहिए।

जो विष अग्नि तथा पाला से खराब हो गया हो एव जिसमें कीड़े पड गये हो ऐसे धान्यों का संग्रह नहीं करना चाहिए और जब तक नि सार नहीं हो तभी तक धान्यों का व्यय करना चाहिए अर्थात् नि सार होने पर उसे फेंक देना चाहिए।

राजा प्रतिदिन जो धान्य व्यय करने से चूक जाय उनके स्थान पर उसी जाति के दूसरे नये धान्य यत्नपूर्वक लाकर रख दे।

धान्य के अतिरिक्त पृथक वस्तुओं के संग्रह के सम्बन्ध में आचार्य ने कहा है कि औषधि (धन्यादि) धातु (खान से उत्पन्न पदार्थ) तृणकाष्ठ आदि यत्र अस्त्र शस्त्र वारुद वर्तन वस्त्र इन सभी के मध्य जिन-जिन कार्यों के लिए जो द्रव्य उपयोगी हो उनका संग्रह करना राजा के लिए उचित है क्योंकि उनसे समय पर कार्य की सिद्धि होती है।

संग्रह किये हुए धान्यादि की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि इनके संग्रह करने में बहुत दुख उठाना पड़ता है तथा उनसे चौगुना दुख उनकी रक्षा करने में उठाना पड़ता है। क्षण भर भी रक्षा करने में जितनी उपेक्षा की जाती है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है।

इस तरह शुक्र ने न केवल भण्डारण की आवश्यकता पर बल दिया बल्कि संग्रह किये गये धान्यादि की सुरक्षा पर बल देकर प्रजा की रक्षा करने तथा सभी तरह की आर्थिक क्रियाओं में निरंतरता बनाये रखने की दूर दृष्टि को भी उजागर किया।

17 समाजवाद

शुक्र के अनुसार व्यक्ति उपभोग के साधनों पर ही अपना स्वामित्व मान सकता है उत्पादन के साधन—खेत खदान जंगल आदि पर नहीं। उत्पादन के साधनों पर सबका स्वामित्व है अर्थात् इन पर राज्य का अधिकार होता है। वही उनके हस्तांतरण (क्रय-विक्रय) की व्यवस्था करता है क्योंकि राजा को सम्पूर्ण भूमि का स्वामी माना गया है।¹

अकेला खाना शुक्र की दृष्टि में पाप है जो अज्ञान से भी केवल अपने लिए पकाता है वह नरक के लिए जीता है। अर्थात् शुक्र ने अकेले सुख उपभोग का निषेध किया है जो उनके समाजवादी विचारों का द्योतक है।²

संदर्भ

- 1 शुक्रनीति डॉ उमेशपुरी ज्ञानेश्वर रणधीर प्रकाशन हरिद्वार पृ 1-13
- 2 प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार एव सरथाएँ पृ 128
- 3 दशकुमार चरित्र उत्तरपीठ 8
- 4 शुक्रनीति पृ 12
- 5 कुमार सभवा (कालिदास)
- 6 शुक्रनीति 4 1283-1284
- 7 शुक्रनीति 2 346
- 8 शुक्रनीति 3 109 2 154 2 153 2 159 2 160 17 2 282 4 145
- 9 शुक्रनीति 2 153-159 2 282
- 10 शुक्रनीति 2 151 4 821 4 584 4 843
- 11 शुक्रनीति डॉ उमेश पुरी ज्ञानेश्वर रणधीर प्रकाशन हरिद्वार पृ 146-148
- 12 शुक्रनीति 2 345

- 13 शुक्रनीति, 1 195, 4 113
- 14 शुक्रनीति, 2 344 2 378-79
- 15 शुक्रनीति डॉ उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर' रणधीर प्रकाशन हरिद्वार, पृ 78-79
- 16 शुक्रनीति, द्वितीय अध्याय, पृ 412
- 17 शुक्रनीति, द्वितीय अध्याय, पृ 415
- 18 शुक्रनीति, डॉ उमेश पुरी 'ज्ञानेश्वर,' रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, पृ 28,130,133 175
- 19 उपर्युक्त, पृ 84,69, 132,175
- 20 उपर्युक्त, पृ 123-130, 149, 158-165
- 21 शुक्रनीति, 1 174, 4 811-818
- 22 उपर्युक्त, 3 124, 4 806

प्रश्न

- 1 शुक्राचार्य का संक्षिप्त परिचय बताइये।
- 2 शुक्र द्वारा की गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए।
- 3 अर्थ की महत्ता एवं अर्थ के उपयोग पर आपके विचार लिखिए।
- 4 शुक्र के अनुसार द्रव्य एवं धन में क्या अन्तर है।
- 5 शुक्र के उपभोग सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए।
- 6 अतिउपभोगवाद की शुक्र ने आलोचना क्यों की है? कारण बताइये।
- 7 अकेले सुख उपभोग को शुक्र ने अनुचित क्यों माना है ?
- 7 मूल्य की शुक्र द्वारा दी गई परिभाषा को स्पष्ट कीजिए।
- 8 शुक्र के अनुसार मजदूरी ('भृति') के तीन प्रकार बताइये।
- 9 पदोन्नति सम्बन्धी शुक्र के विचार लिखिये।
- 10 बोनस, ग्रेज्युटी, पेशन, अवकाश सम्बन्धी शुक्र के विचारों की विवेचना कीजिए।
- 11 शुक्रनीति में वर्णित आर्थिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- 12 शुक्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा व्यापार सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कीजिए।
- 13 शुक्रनीति में वर्णित मजदूरों के वेतन अवकाश, पदोन्नति, पेशन आदि से सम्बन्धित नीतियों को स्पष्ट कीजिए।
- 14 शुक्र द्वारा प्रतिपादित कर व्यवस्था के सम्बन्ध में सकारात्मक एवं निषेधात्मक नियमों की विवेचना कीजिए।
- 15 शुक्रनीति में प्रतिपादित दण्ड व्यवस्था की आज के सदर्भ में विवेचना कीजिए।
- 16 पर्यटन, भण्डारण समाजवाद एवं दान सम्बन्धी शुक्र के विचारों को लिखिए।



कौटिल्य का अर्थशास्त्र (Kautilya's Arthshastra)

परिचय

आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता माने गये हैं। कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। चूँकि कौटिल्य की विचारधारा परम्परागत आदर्शवाद के विरोध में भौतिकवाद पर जोर देती हैं जो धर्माचार्यों को उचित प्रतीत नहीं हुई इसीलिए उन्होंने कुटिलता का पुट देने के लिए उन्हें 'कौटिल्य' नाम दे दिया। नदवश का उगूलन कर मौर्य राजवश की स्थापना करने वाले आचार्य कौटिल्य ने समकालीन आर्थिक समस्याओं और अर्थव्यवस्था पर जितना अधिक चिंतन-मनन किया, उतना किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया। कौटिल्य ने आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में जिन तकों का प्रयोग और उल्लेख किया है वे आज की परिस्थितियों में भी लागू किए जा सकते हैं। चाणक्य ने अर्थव्यवस्था के सबंध में कुछ आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादित कर इन्हें अर्थव्यवस्था पर लागू करके प्रतिफलित भी किया। इसी कारण कौटिल्य की व्यवस्था शासन एव समाज में समान रूप से व्यवहृत हुई और समाज ने उनका पालन करके अपना हित साधन भी किया।

यूनानी लेखकों को छोड़कर प्रायः सभी ग्रन्थ नदवश का विनाशक चाणक्य को ही मानते हैं। परन्तु अभाग्य से इस युगपुरुष की भी प्रारम्भिक जीवनी का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। उसके जीवनवृत्त का ब्राह्मण ग्रन्थों के अलावा कहीं भी वर्णन नहीं है। महावश टीका का कथन है कि चाणक्य तक्षशिला का निवासी था यह त्रिवेदज्ञ, शास्त्र-पारंगत मत्र विद्या विशेषज्ञ तथा प्रख्यात नीतिज्ञ था। बौद्ध साहित्य भी उसे तक्षशिला निवासी मानते हैं। परन्तु जैन बृहत्कथाकोष पाटलिपुत्र को उसका पुरातन पैतृक स्थान मानते हैं। इसी ग्रन्थ में चाणक्य के पिता का नाम कपिल दिया है जो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन भिक्षुओं ने ही चाणक्य के मुद्र में पूर्ण विकसित दंतपंक्ति को देखकर ही उसके राजत्वयोग की भविष्यवाणी की थी। नन्दराजा द्वारा अपमान करने पर ही चाणक्य ने नन्दवश का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी और चन्द्रगुप्त को साथ लेकर नवे नन्द को पराजित किया जिसका उल्लेख भागवत पुराण मत्स्य पुराण वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण में भी मिलता है। वायुपुराण का कथन है कि ब्राह्मण कौटिल्य नन्दवशों का नाश करेगा कौटिल्य ही चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा।

“नवैवतान नन्दान् कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्ररिप्यति ।

कौटिल्य एव चद्रगुप्तं राज्येभिषेक्ष्यति ।”

कामदक ने कौटिल्य को अपना गुरु माना है ।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र-अर्थशास्त्र प्राचीन चिन्तन की नीति-शास्त्र परम्परा का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । इतिहास एवं पुराणों द्वारा समर्पित मत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना 321 एवं 300 ई पू के बीच में किया ।

यदि कोई आधुनिक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी कौटिल्य के इस ग्रन्थ को एक सरसरी निगाह से देखे तो वह यह सोचेगा कि इस ग्रन्थ को 'अर्थशास्त्र' की संज्ञा क्यों दी गयी? वास्तव में यदि कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में व्यक्ति आधुनिक (पाश्चात्य) अर्थशास्त्र (इकानॉमिक्स) की पाठ्य-सामग्री ढूँढने का प्रयास करे तो वह निःसंदेह निराश ही होगा । इसके दो कारण हैं-सर्वप्रथम तो कौटिल्य-मूलतः अर्थशास्त्री (इकानॉमिस्ट) नहीं थे । वे मुख्यतया एक दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ एवं विचारक थे । यह बात उन सभी आधुनिक यूरोपीय अर्थशास्त्रियों के सबब में भी सत्य है जो दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र या धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र में आये । इसीलिए एडम स्मिथ, मिल, मात्थस आदि की रचनाओं में भी हमें वह विषय सामग्री प्राप्त नहीं होती जिसे आज का अर्थशास्त्र का विद्यार्थी अपने अध्ययन की मुख्य सामग्री समझता है ।

परन्तु कौटिल्य का अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की वैल्थ आफ नेशन्स, मिल तथा मात्थस की रचनाओं की अपेक्षा आधुनिक अर्थशास्त्र से बहुत दूर है । यह दूरी, समय (यूरोपीय अर्थशास्त्रियों की ये पुस्तकें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध व 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गयी थी, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से भी 300 वर्ष पूर्व का है) एवं स्थान की दूरी का परिणाम भी बहुत सीमा तक हो सकता है । इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्राचीन भारतीय विद्याओं में 'अर्थशास्त्र' का क्षेत्र एवं स्थान वह नहीं समझा जाता था जो कि इन लेखकों के समय यूरोप में समझा जाता था ।

परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि कौटिल्य की यह रचना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए उपयोगी नहीं है । यह हमें तत्कालीन समय की उन आर्थिक अवधारणाओं के बारे में वह जानकारी प्रदान करती है, जिन्हें हम वर्तमान में भी लागू कर सकते हैं । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है । संभवतः व्याख्या की अस्पष्टता के निराकरण के लिए कौटिल्य ने ग्रन्थ के अंत में एक पारिभाषिक परिशिष्ट जोड़ा है तथा इसके साथ ही कतिपय सूत्रों को प्रस्तुत कर ग्रन्थ में विवेचित सामग्री का सार पुनः प्रस्तुत कर दिया है । ग्रन्थ में कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 विषय एवं 6000 श्लोक हैं ।

अर्थशास्त्र में विभिन्न विषयों पर जो विचार वर्णित है, वे निम्नलिखित हैं-

अर्थशास्त्र का विभिन्न विद्याओं में स्थान-कौटिल्य के पूर्व ही विद्याओं

का विभाजन कर आर्थिक विकास के क्षेत्र को अलग बना दिया था। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं को विद्या का नाम दिया है तथा यह स्पष्ट किया है कि जिससे किसी विशेष सदस्य में उचित-अनुचित व कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान होता हो उसे विद्या कहते हैं।

कौटिल्य ने ज्ञान की चार शाखाओं का चित्रण किया है— त्रयी वार्ता आन्वीक्षिकी व दण्ड-नीति। उन्होंने चारों को ही समान महत्त्व दिया है तथा चारों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी बताया है।

त्रयी में कौटिल्य ने वेद व वेदागों के ज्ञान नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को शामिल किया है। उन्होंने त्रयी में सामाजिक विषयों को भी शामिल किया है।

कौटिल्य ने वार्ताशास्त्र में कृषि पशुपालन उद्योग और व्यापार को प्रधानता दी है जिससे भौतिक उपलब्धियों और सम्पत्ति आदि का अर्जन होता है। उन्होंने वार्ता में धान्य पशु हिरण्य तांबा आदि धातुओं तथा राज्यव्यवस्था का उल्लेख भी किया है।

त्रयी तथा वार्ता के प्रति किये जाने वाले प्रयत्नों में तर्क विवेक और न्याय की प्रयुक्ति को कौटिल्य ने आन्वीक्षिकी की सजा दी है। इस प्रकार आन्वीक्षिकी को वह मापदण्ड माना है जिसके द्वारा व्यक्ति के नैतिक एवं भौतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को सतुलित किया जा सके।

कौटिल्य ने दण्डनीति को त्रयी वार्ता और आन्वीक्षिकी के भली-भाँति क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना है।

इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार त्रयी और वार्ता मनुष्य के क्रमशः नैतिक व भौतिक प्रयोजनों आन्वीक्षिकी इन प्रयोजनों में तर्क विवेक व न्याय के प्रयोग तथा दण्डनीति मनुष्य के जीवन में लौकिक तथा पार-लौकिक उद्देश्यों को प्रवर्तन की सस्थागत व्यवस्था को व्यक्त करती है।

अर्थशास्त्र-आचार्य कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र वेद-वेदागों का एक महत्वपूर्ण अंग था। धर्मशास्त्र की उपयोगिता को अभिव्यक्त करने की उसमें पूर्ण क्षमता थी। उस समय धर्मशास्त्र समाज का एक अभिन्न अंग था। इसमें धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त व्यापार उदरपूर्ति आदि के सबंध में काफी विवेचन किया गया है। इसीलिए उन्हें अर्थशास्त्र की परिधि से पृथक् नहीं किया जा सकता।

कौटिल्य ने अर्थ धर्म और काम के आधार पर ही मानव जीवन को विभक्त किया है और इन तीनों में से उन्होंने अर्थ को प्रधानता दी क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी प्रकार की क्रिया सम्भव नहीं हो सकती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र 'इकॉनामिक्स' की अपेक्षा अधिक विस्तृत है जो इसकी विषय वस्तु पर एक दृष्टि डालने से ही स्पष्ट हो जाती है।

अर्थ प्रधान भौतिकवाद-इहलौकिक पुरुषार्थों में धर्म का स्थान सर्वोपरि माना गया है। परन्तु अर्थशास्त्र की प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि इस ग्रन्थ में सर्वप्रथम सस्थापित तथा परम्परागत धर्मप्रधान विचारों के विरोध में अर्थप्रधान विचारों का प्रतिपादन

किया। इस सबध मे हम अर्थशास्त्र को भारतीय आर्थिक विचारों के इतिहास मे लगभग वही स्थान दे सकते हैं, जो 16वीं एव 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप मे क्रैमरवाद को मिला था। कौटिल्य के लिए तीन इहलौकिक उद्देश्यो मे से 'अर्थ' ही प्रथम एव महत्वपूर्ण है।' (अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य अर्थमूलो हि धर्म कामाविति।) इस प्रकार सदियों से स्थापित धर्मप्रधानता की भावना एव आदर्शवाद के विरुद्ध कौटिल्य की अर्थविचारधारा एव भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ।

अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा— कौटिल्य के अनुसार, "मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों को निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है।"

[मनुष्याणा वृत्तिस्थं मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ । तस्या पृथिव्या लाभ पालनोपाय-शास्त्रमर्थ शास्त्र मिति।।]

कौटिल्य के इस कथन से भी धर्म पर अर्थ की प्रधानता सिद्ध हो जाती है। "सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है।" सुखस्य मूल धर्म धर्मस्य मूल अर्थ । अर्थस्य मूल राज्यम् ।।

कौटिल्य का कहना है कि "संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है।"

इन विचारों से यह सिद्ध हो जाता है कि मार्शल पीगू आदि अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएँ कौटिल्य के इन विचारों से मेल खाती हैं। केवल परिस्थितियों के अनुकूल ही इनका स्वरूप परिवर्तित है। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात जो कौटिल्य के बारे में कही जा सकती है, वह यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को पुरातन नीति, धर्म एव परम्पराओं से मुक्त कर भौतिकवाद की वास्तविक इहलौकिक धरती पर लाकर रखा।

सामाजिक स्थिति—अर्थशास्त्र मे तत्कालीन समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर उनकी क्रियाओं पर अलग-अलग विचार किया गया है। समाज में फैले अराजक तत्वों के दमन हेतु कठोर नियम बनाये गये थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे प्राचीन परम्परा के अनुसार शास्त्र के बताये गये नियमों पर चलने का आग्रह किया है। उन्होंने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि के लिए आर्थिक आधार पर प्रतिपादन कर सामाजिक व्यवस्था को सही मार्ग बताया है।

जीवन स्तर—कौटिल्य के अर्थशास्त्र के वर्णन से पता चलता है कि तत्कालीन समाज एक उच्चकोटि का समाज था। विभिन्न वर्गों के लोग सामाजिक नियमों के अनुकूल ही कार्य करते थे, और आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए सयमित रूप में कार्यों का सम्पादन किया जाता था। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े नियमों का प्रावधान था, जिनमें कठोर दण्ड देने का विधान था। उदाहरण

के लिए चाणक्य का कहना था कि घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले तथा घर में आने वाले पुरुष की सूचना गोप आदि को देवे। सूचना न देने पर यदि वे लोग रात्रि में चोरी आदि का कोई अपराध न करे तो भी जाने-आने की सूचना न देने के कारण गृहस्वामी को प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड दिया जावे।

कौटिल्य अर्थशास्त्र का राजनीतिक आधार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को राज्यशास्त्र से अलग नहीं किया। वास्तव में देखा जाय तो अर्थशास्त्र में एक विशेष राजव्यवस्था का ही वर्णन प्रधान है और आर्थिक विषयों का अध्ययन इसी व्यवस्था के अन्तर्गत तथा राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया गया है। उन्होंने सर्वप्रथम राजतंत्र के एक विशेष ढांचे को प्रतिपादित किया और फिर व्यवस्थाएँ बनायीं। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक तरह से 'राजनीतिक अर्थशास्त्र' या 'पालिटिकल ईकॉनॉमी' कहा जा सकता है। परिचयी अर्थशास्त्री मिल से स्मिथ आदि के आर्थिक विचार भी इसी अनुरूप रहे हैं।

राजा— कौटिल्य ने पूर्व की भाँति राजा को सर्वोच्च शक्तिमान का स्थान दिया है किन्तु उन्होंने राजा को कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत बाधा है।

कौटिल्य ने राजा के अनेक कर्तव्य बताते हुए कहा है कि 'राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। उसकी सुख-सविधा की रक्षा पर ही उसका सारा गौरव निर्भर करता है।'

प्रजा सुखे सुख राज प्रजानाद्य हिते हितम्।

नात्म प्रिय सुख राज प्रजानाद्य सुखे सुखम्॥

राजा को सर्वशास्त्र का ज्ञाता होना परमावश्यक था क्योंकि उनके बिना शासन चलाना दुष्कर माना गया है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित कुछ नियमों का उल्लेख निम्न प्रकार से है

कोश सग्रह—राष्ट्र के सम्वर्द्धन हेतु राजा का यह कर्तव्य था कि वह समय-समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए आय की अधिकाधिक वृद्धि करे। कौटिल्य ने किसानों से अन्न खरीदने श्रोत्रिय द्वारा खेती न करने पर जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर देने के नियम बनाए हैं। कोश की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर अतिरिक्त कर बढ़ाने को कहा गया है। अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि राजा अतिरिक्त कर को एक ही बार ले दूसरी बार कभी न लेवे। इसके अतिरिक्त जिनसे कर नहीं लेना चाहिए उनका भी इस ग्रन्थ में विस्तृत विवेचन किया गया है। उनकी मान्यता है कि यदि राज्य के हित की दृष्टि से श्रोत्रिय से अन्न आदि का अधिग्रहण अनिवार्य हो तो उन्हें समुचित मूल्य देकर उसका अधिग्रहण करे।

शुल्क—शुल्क के सवध में जितना विस्तृत विवेचन कौटिल्य ने किया है उतना किसी अन्य प्राचीन अर्थशास्त्री ने नहीं किया। कर की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा

है कि राजा को दिए जाने वाले अश का नाम शुल्क (चुगी टैक्स) है, इस कार्य पर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा गया है।

शुल्क लेने के नियम- कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार शुल्काध्यक्ष शुल्क शाला में चार या पाँच पुरुषों की नियुक्ति करे, जो कि लोगों से शुल्क (चुगी) ग्रहण करते रहे और जो व्यापारी आदि अपने माल को लेकर उधर से निकले उनकी पूरी जानकारी लेकर शुल्क वसूल करे। शुल्क न देने वाले के लिए दण्ड का विधान बताया गया है। "शुल्क अधिक देने के डर से, जो व्यापारी अपने माल के परिमाण को और मूल्य को कम करके बतावे, उसके बताये हुए परिमाण से अधिक माल का राजा ले लेवे। अथवा उस व्यापारी से इस अपराध में 8 गुना शुल्क वसूल किया जाय।"*

कौटिल्य ने उन नियमों का भी प्रतिपादन किया है, जिस माल या व्यापारी से चुगी नहीं लेनी है। उनके अनुसार जो माल विवाह संबंधी हो, विवाह के बाद विवाहिता स्त्री अपने पतिगृह को ले जावे, यज्ञ कार्य तथा प्रसव आदि से संबंधित माल पर चुगी नहीं ली जानी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चुगी योग्य पदार्थ बिना चुगी दिए ले जाने का प्रयत्न करे तो उस पर देय चुगी के समान भाग अर्धदण्ड देना चाहिए।

शुल्क के प्रकार-कौटिल्य ने शुल्क के तीन विभाग बताए हैं—(1)बाह्य (2) अभ्यन्तर और (3) आतिथ्य। अपने देश में उत्पन्न हुई वस्तुओं पर जो चुगी ली जाय वह बाह्य कहलाती है। दुर्ग तथा राजधानी आदि के भीतर उत्पन्न हुई वस्तुओं के शुल्क को अभ्यन्तर कहते हैं। विदेश से आने वाले माल की चुगी को—आतिथ्य कहा जाता है। बाहर से आने वाले पदार्थों पर पाचवीं हिस्सा चुगी लेने का विधान अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र में वस्तु विभाजन के आधार पर 1/5, 1/6, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 आदि के अनुपात में चुगी वसूलने का नियम बताया गया है।

जहाँ तक करारोपण में अपनाये गये सिद्धान्तों का प्रश्न है, हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों की ही भाँति विभिन्न सिद्धान्तों का उल्लेख पाते हैं। वास्तव में ये करारोपण के सिद्धान्त (Principles) न होकर करों के नियम (Canons) थे। कौटिल्य राय देते हैं कि कृषि में लगे करों को तभी लेना चाहिए जब फसल पकी हो। इस प्रकार हमें इसमें सुविधा का नियम (Canon of Convenience) मिलता है। निश्चितता का नियम (Canon of Certainty) पालन के लिए हर कर या देय कर की दर राज्य द्वारा निर्धारित है और हर अधिकारी के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कौटिल्य अपव्यय के सदा विरोध में रहे हैं उनका कथन है कि जितना धन प्रजा से लिया जाय वह सम्पूर्ण धन राजकोष में जमा हो। यह नितव्ययिता के सिद्धान्त के पालन का द्योतक है। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कर उन्हीं से लिया जाय जो कर देने में समर्थ हो जो कि आधुनिक प्रगतिशील करारोपण के अनुकूल है।

कौटिल्य के अधिकांश कर उत्पादकता के सिद्धान्त पर आधारित थे। विशेषकर भूमिकर जो कि सबसे महत्वपूर्ण कर था भूमि की उपज के अनुपात में लिया जाता था।

आयात-निर्यात कर भी मूल्यानुसार लिय जाते थे। इसी प्रकार क्रय-विक्रय कर भी वस्तुओं के मूल्य के ही अनुसार थे। तात्पर्य है कि कर व्यवस्था में पर्याप्त लोच थी और यह कर देय-क्षमता (Ability to Pay) के सिद्धान्त पर आधारित थी।

उत्पादन तथा उसके साधन

उत्पादन के अन्तर्गत कौटिल्य ने वस्तुतः अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का जिक्र किया है। कृषि में विभिन्न प्रकार के अन्नो का उत्पादन करने की प्रक्रियाएँ बताई हैं। इसके साथ ही खाद सिंचाई आदि साधना द्वारा कैसे उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है।

कृषि उत्पादन के साथ-साथ अभूषणों रत्नों शिल्प सामग्री और सूती-ऊनी कपड़ों का उत्पादन भी किया जाता था। परन्तु उत्पादन मात्र से ही लोग सन्तुष्ट नहीं होते थे उन्हें वास्तविक लागत पर माग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपना मुनाफा जोड़कर मूल्य निर्धारित करने और माल बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। व्यापारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था। इन सबके सबध में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विशद रूप से विचार किया है और अपनी व्यवस्था दी है।

कृषि-कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि को विशेष प्रधानता दी है। कृषि भूमि एवं गैर कृषि भूमि का बटवारा कर अधिकाधिक उत्पादन के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जिस भूमि में अन्न आदि उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसका नाम भूमि छिद्र बताया है। इस प्रकार की भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाय इसका भली-भाँति निरूपण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। उनका कहना है कि जिस भूमि में कृषि न हो सके वहाँ पर पशुओं के लिए चरागाह आदि बनवा दिए जाने चाहिए। (अकृष्या भूमि पशुभ्यो विधीतानि प्रयच्छेत)।

कृषि नीति-कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश भाग राजा के अधीन हुआ करता था। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्रोत थी। राजा अनुपजाऊ तथा ऊसर भूमि पर गाँवों को बसाया करता था। समाज के लोग जितनी भूमि अपने अधिकार में रखकर उत्पादन करते थे उसके बदले वे राजा को उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में देते थे।

कृषि करने हेतु कौटिल्य ने विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि कृषि-विभाग के प्रबन्धकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह कृषि अर्थशास्त्र शुल्क शास्त्र वृक्षायुर्वेद आदि के सबध में पूरी जानकारी रखने वाला हो। अच्छे बीज तथा खाद्यान्नों के उत्पादन की विभिन्न विधियों का उसे पूरा-पूरा ज्ञान हो। उनका कहना है कि कृषि भूमि अधिक हो तो अन्य प्रकार के कर्मकरों से भी बीज बोने का काम ले। किन्तु इस स्थिति में उन्हें पारिश्रमिक फल प्राप्त होने पर ही देवे। कौटिल्य ने

‘अर्थशास्त्र’ में ब्रिटिश सस्थापकवादी अर्थशास्त्रियों की भाँति उत्पादन अधिकतमकरण पर जोर दिया गया है परन्तु यह सब जनता के कल्याण हेतु ही किया गया है, क्योंकि असतुष्ट प्रजा वाले राजा की स्थिति ‘एक पहिये की गाड़ी’ के समान होती है।

सिंचाई-सिंचाई हेतु सामान्यतः वर्षा पर ही निर्भर रहना बताया गया है परन्तु इसके अतिरिक्त भी तालाब, कुआ तथा नहरों आदि के द्वारा भी खेत की सिंचाई पर उत्पादन बढ़ाने के नियम बताए गए हैं। कौटिल्य ने नदी, झील तालाब और कुओं से सिंचाई करने पर उपज का चौथा हिस्सा राजा को देने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग स्रोतों से सिंचाई कर का निर्धारण भिन्न-भिन्न था। सिंचाई हेतु कौटिल्य बाँध बनाने की व्यवस्था देते हैं और बाँध को हानि पहुँचाने वालों के लिए दण्ड की भी व्यवस्था का निर्देश देते हैं। कौटिल्य वास्तव में अन्न की महत्ता पर अधिक जोर देते हैं। (अन्नदान भ्रूणहत्यामति मार्टि। कौ. सूत्र 413)

पशुपालन-पशुपालकों को गोपालक कहा गया है। यह भारतीय प्राचीन व्यवसायों में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। पशुओं के घरने के लिए गोचर भूमि का उल्लेख है। पशुओं के घराने वाले ग्वालों के लिए मजदूरी निर्धारित की गयी थी। प्रत्येक पशु के लिए एक-एक पण वार्षिक पारिश्रमिक बताया गया है। पशुधन की प्रधानता को देखते हुए कौटिल्य ने उनके खाने-पीने के प्रबंधों को लेकर क्षति पहुँचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के विधानों का उल्लेख किया है।

वाणिज्य-व्यापार

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यापार और उसके नियमों का सम्यक् विवेचन किया है। उन्होंने सोने के व्यापार को प्रमुखता दी है। जिस बाजार में सोने का क्रय-विक्रय होता था उसका नाम ‘विशिखा’ बताया गया है। इसके साथ ही कौटिल्य ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों, व्यापारिक मार्गों तथा तत्संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया है। आयात-निर्यात दोनों ही प्रकार की सामग्री पर कर लगाये जाते थे। आयात कर को ‘प्रवेश्य’ और निर्यात कर को ‘निष्क्राम्य’ कहते थे। आयात कर 20 प्रतिशत होता था परन्तु निर्यात कर की दर निश्चित रूप से ज्ञात नहीं थी। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए कौटिल्य ने कई सुविधाओं का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र कहता है कि विदेशी माल को अनुग्रह से देश में प्रवेश कराया जाय। इसके लिए नाविकों और विदेशी व्यापारियों को लाभ से अधिक लिए जाने वाले कर से मुक्त कर दिया जाय।

समुद्र से होने वाले जल मार्गों को कौटिल्य ने सयानपथ के नाम से पुकारा है। समुद्र में आने-जाने वाले जहाज ‘प्रवहण’ कहलाते थे। बदरगाहों पर जहाजों के प्रवेश और निष्क्रमण का पूरा प्रबन्ध था। कौटिल्य का कथन है कि ‘तूफान के कारण आहत हुआ जब कोई जहाज बदरगाह पर पहुँचे तो बदरगाह के अध्यक्ष को उस पर पिता की भाँति अनुग्रह करना चाहिए।’ कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज्य व्यापार को प्रधानता दी गयी

है परन्तु राज्य व्यापार जनता के हित में ही व्यवस्थित किया गया था। उसके द्वारा जा व्यापारिक विधान था उसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे—राज्य की आय में वृद्धि और उपभोक्ता का संरक्षण। विदेशी व्यापार में आयात को प्रोत्साहन देने के साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ध्यान रखा कि निर्यात की गयी वस्तुएँ सलाह बिकें। साथ ही यह भी व्यवस्था की कि जहाँ लाभ हो वहीं सामान बेचना चाहिए। लाभ रहित स्थान को दूर से ही त्याग देना उचित है। आयात-निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ ही साथ कौटिल्य कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आरापित करते हैं तथा उनके आयात को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार अस्त्र शस्त्र सैन्य-अश्व पशु एवं अन्न इन सभी का निर्यात बजित है। इन वस्तुओं का आयात निःशुल्क एवं करमुक्त था। विदेशी व्यापार को नियंत्रित एवं प्रशासित करने का सामान्य सिद्धान्त यह था कि जो वस्तुएँ राज्य एवं जनता के लिए उपयोगी हों और जिनके निर्यात से हानि पहुँचती हो उनका निर्यात नहीं किया जावे। उन वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जावे जो राज्य के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। दुर्लभ वीजो आदि का आयात कर से मुक्त होना चाहिए।

व्यवसाय-कौटिल्य उत्पादन को अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान देते हैं। उनके विचार में आर्थिक प्रगति का मुख्य स्रोत उत्पादन वृद्धि ही है। व्यवसायों में कृषि का स्थान सर्वोपरि है और उसी की उन्नति से अर्थव्यवस्था की प्रगति समभव है।

अर्थशास्त्र में हमें वषा नदी नहर तालाब तथा यंत्रों से सिंचाई उर्वरकों के उपयोग फसल के हेरफेर भूमि के अनुसार फसल बोना और भूमि को फसल के उपयुक्त बनाना भूमि के टुकड़े होने की हानियाँ कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाना आदि बातों का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य अर्थव्यवस्था में भूमि को प्रधानता देते थे।

कौटिल्य ने विभिन्न व्यवसायों पर लगे हुए श्रमिकों की मजदूरी तथा उनके प्रतिबद्धात्मक नियमों का विवेचन किया है। विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था—(1) कुशल श्रमिक तथा (2) अकुशल श्रमिक। ऊन तथा कपास आदि के व्यवसाय के संबंध में कहा गया है कि सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह तत्संबन्धी व्यवसाय में कुशल कारीगरों की ही नियुक्ति करे। कौटिल्य ने सोने चादी कुटीर उद्योग धर्म आदि से संबंधित अनेक व्यवसायों का विस्तृत विवेचन अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने विभिन्न उद्योग धर्म में सूती एवं ऊनी कपड़ा कैसे और कहाँ बनता था इसका पूरा विवरण दिया है। उनके अनुसार देश में कपास की खेती प्रचुरता से होती थी। सूती कपड़ा के बनाने वाले ततुवाय (जुलाहे) काफी व्यस्त रहते थे। कपास के सूत के अलावा सन का भी कपड़ा बनाने में प्रयोग होता था। कौटिल्य ने चीनपट्ट का भी नाम लिया है जिससे प्रगट होता है कि इस समय चीनी रेशमी वस्त्र भारत में आता था।

काष्ठशिल्प चर्म सुरा व्यवसाय आदि की उन्नत अवस्था का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है।

व्यवसायियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। किसी कारीगर को हानि पहुँचाने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार यदि कार्य कराने वाले लोग श्रमिक को छोड़ दे या श्रमिक कार्य करना छोड़ दे तो दोनों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्रमिक एवं मजदूरी—श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में कौटिल्य ने कहा है कि किसान अनाज का, ग्वाला घी का और खरीद-फरोख्त करने वाला अपने द्वारा व्यवहृत हुई चीजों का दसवाँ हिस्सा लेवे, बशर्ते कि वेतन पहले से तय न हुआ हो। कौटिल्य का कहना है कि यदि एक घरण चाँदी की कोई वस्तु बनायी जाय तो श्रमिक को एक 'माषक' वेतन दिया जाना चाहिए। सोने की बनवाई के लिए 8वाँ हिस्सा वेतन दिया जाय तथा विशेष कारीगरी करने पर दुगुनी मजदूरी दी जावे। इस प्रकार अधिक काम करने पर अधिक मजदूरी दी जाय।¹⁰ राज्य कर्मचारियों के काम करते हुए मर जाने पर उनके वेतन आदि को उनके पुत्र या पत्नी को दे दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि यदि खजाने में कमी है, तो राजा सहायता देने योग्य पुरुषों को पशु तथा जमीन देवे। कौटिल्य के इन नियमों से आधुनिक श्रमिक कल्याण के नियम भी पीछे रह जाते हैं। जिसने उस समय भी श्रमिकों के कल्याण एवं शोषण के विरुद्ध नियमों का उल्लेख किया है।

स्त्री श्रमिक—कौटिल्य के अनुसार अपने जीविकोपार्जन के लिए स्त्रियाँ भी कार्य करती थीं। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि जो स्त्रियाँ परदे में रहकर ही काम करना चाहे, जिनके पति परदेश में गये हों तथा विकलांग और अविवाहित स्त्रियाँ, जो कि स्वयं अपना पेट भरना चाहे, अध्यक्ष को चाहिए कि वह उनसे सूत कतवाने आदि का काम करावे और उनके साथ अच्छी तरह सत्कारपूर्वक व्यवहार करे। अर्थशास्त्र में उन्हें उचित वेतन दिए जाने का भी उल्लेख है। परन्तु साथ ही वेतन लेकर काम न करने वाली स्त्री के लिए कठोर नियमों का भी प्रतिपादन किया गया है।

श्रमिक संघ—कौटिल्य ने विभिन्न श्रमिक संघों का उल्लेख किया है। संघों के लिए निर्देश था कि वे बताये गये नियमों पर ही कार्य करें। नियमों का पालन नहीं किये जाने पर दण्ड देने का भी विधान था। अर्थशास्त्र में संघों के मुख्यतः निम्न प्रकार बताये गये हैं—

- (1) बढईगीरी
- (2) खान कार्यकर्ता संघ (सोना, चाँदी, लौहा आदि)
- (3) बुनकर (सूती वस्त्र बुनकर, ऊनी वस्त्र बुनकर),
- (4) पाषाण कलाकारी,
- (5) पुरोहित
- (6) गायक
- (7) चिकित्सक कार्यकर्ता
- (8) सेवा संघ,
- (9) ऋण-दिक्रय कर्ता

मुद्रा व्यवस्था

व्यापार की सुविधा के लिए उचित द्रव्य-व्यवस्था एवं नाप-तौल की व्यवस्था की गयी थी। कौटिल्य ने द्रव्य के दो कार्य माने हैं—(1) विनियम का माध्यम एवं (2) कौष में धन जमा करने के लिए विधिग्राह्य माध्यम (कौटिल्य अर्थशास्त्र 2 12 29)। कौटिल्य के अनुसार उस समय प्रामाणिक सिक्का 'पण' था जिसको बनाने के लिए चारमाशा तौबा एक माशा तीक्ष्ण त्रपु-शीशा या अजम और शेष ग्यारह माशा चाँदी का योग आवश्यक है। (कौटिल्य अर्थशास्त्र 2 12 27)। पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रामान स्वर्ण विनियम मान था क्योंकि अन्य प्रकार के सिक्को-साकेतिक सिक्को-का मूल्य स्वर्ण के रूप में निर्धारित था। साथ ही स्वर्ण एवं चाँदी की विनियम दर भी निर्धारित थी। यदि कोई स्वर्णकार सोने की खान से एक माशा सोना चुरा ले तो उस पर 200 पण दण्ड होगा। यदि कोई इतनी चाँदी, चाँदी की खान से चुरा ले तो उस पर 12 पण दण्ड होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि स्वर्ण एवं चाँदी की विनियम दर $12=200$ या $1 = 16.67$ हुई। विनियम की सुविधा के लिए पण के अतिरिक्त छोटे सिक्के अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी) एवं अष्टभाग (दुअन्नी) पण के ही अनुपात में घातु मिश्रण से बनाए जाने का विधान है। इसके अलावा कौटिल्य पण के चौथाई मूल्य के बराबर एक तौबे के भी सिक्के की व्यवस्था करते हैं जिसे 'माषक' कहते हैं। इसका घातु मिश्रण 11 माशा तौबा, चार माशा चाँदी एवं एक माशा लोहे से बना होगा। इसी अनुपात में अर्ध माषक (काकणी) एवं अर्ध कारणी नाम के सिक्के का भी विधान था।

अत स्पष्ट है कि चाणक्य ने जिस मुद्रा व्यवस्था का विधान बनाया है वह मितव्ययी, सुविधाजनक, सरल एवं लोचदार है। सिक्कों की ढलाई का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त स्वर्णकार के हाथ में है। अपने कर्तव्यों से च्युत होने पर उसके लिए भी कठोर दण्डों का विधान बनाया गया है।

बाजार संगठन—कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित बाजार व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि उस समय बाजार के संगठन का इतना अच्छा प्रबन्ध था कि थोड़ी-सी भी घोर बाजारी करने वाले दुकानदार को दण्ड का भागी होना पड़ता था। बाजारों की देखरेख के लिए एक निरीक्षक होता था। जिसे 'पण्याध्यक्ष' कहा गया है। उसका कर्तव्य तराजू, बड़े नाप के बर्तनों तथा तौल आदि का निरीक्षण करना था। इस बाजार संगठन को प्रजा के कल्याण को दृष्टि में रखकर बनाया गया था। क्योंकि कौटिल्य का कहना है कि सम्पूर्ण वस्तुओं को दैनिक वेतन देकर इस प्रकार भी विक्रय करवाया जा सकता है कि जिससे प्रजा का कल्याण हो।

मापतौल-वस्तुओं के माप करने के लिए अनेक प्रकार की मापतौल प्रणालियों का विवरण भी अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। माप तौल पर राज्य का अधिकार था। उनकी जाँच के लिए 'षट्वाध्यक्ष' नाम के अधिकारी नियुक्त थे। बाटों पर चिन्ह लगें हुए होते

थे। कौटिल्य के अनुसार ये तौल मगध और मेकल से प्राप्त पाषाण और लौह के बने हुए होने चाहिए या किसी अन्य धातु के जो गीली होने पर सिकुड़े नहीं और न ही गर्मी के प्रभाव से फँसे। कौटिल्य ने सोना-चाँदी भारी वस्तुओं लम्बाई नापने दस्त्र नापने आदि का जो उल्लेख किया है उसका विवरण इस प्रकार से है-

स्वर्ण का तौल इस प्रकार दिया है-

10 घान्य माप = सुवर्ण माप

16 सुवर्ण माप = 1 सुवर्ण- 1 कर्ष

4 कर्ष व 4 स्वर्ण = 1 पल।

कौटिल्य ने चाँदी की तौल के लिए 1 रोप्यमाप = 88 गौर सर्षण और 16 रोप्यमाप = 1 धरण निश्चित किया था। हीरा की तौल के लिए सबसे निम्न इकाई था 'तण्डुल' और भारी वजन था धरण जो वैदूर्यधरण के नाम से पुकारा जाता था।

भारी वस्तुओं के लिए भी तौल निर्धारित था। अन्न और गीली वस्तु बर्तन द्वारा माप कर दी जाती थी। भारी त व का आधार द्रोण था। अर्थशास्त्र में चार प्रकार के द्रोण का उल्लेख है (1) आयामी (2) व्यावहारिक (3) भाजनी और (4) अत पुरभाजनी। आयामी द्रोण 200 पल के बराबर होता था।

लम्बाई नापने के लिए प्रथ अगुल का प्रयोग होता था। उसके ये भाप इस प्रकार हैं- (1) परमाणु (2) रथरेणु (3) लिक्षा (4) यूक (5) यवमध्य इत्यादि।

इनका तौल अर्थशास्त्र में (मौ 2 20 1-7) इस प्रकार दिया गया है-

(1) 8 परमाणु = 1 रथरेणु

(2) 8 रथरेणु = 1 लिक्षा

(3) 8 लिक्षा = 1 यूक

(4) 8 यूक = 1 यव

(5) 8 यव = 1 अगुल

दस्त्र नापने के लिए भी मापों का उल्लेख है जैसे पितस्ति हस्त और किष्णु (कौट 2 20 10)। यह नाप इस प्रकार है -

(1) 12 अगुल = 1 पितस्ति

(2) 2 पितस्ति = 1 प्रजामत्य हस्त

(3) 32 अगुल = 1 किष्णु।

कौटिल्य ने 16 प्रकार के तराजूओं का भी उल्लेख किया है। पहले 10 तराजू हल्के थे जो अलग-अलग वस्तुओं को तौलने के काम में आते थे। सबसे भारी तराजू लकड़ी का बना होता था जो 8 धन (Cubit) लम्बा हाता था।

व्यक्तिगत सम्पत्ति

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए अनेक नियम

बताये हैं। उनका कहना है कि जिस पुरुष की सम्पत्ति के लिए साक्षी नहीं मिलते, परन्तु वह उसे लगातार भोगता चला आ रहा है तो यही बात उस सम्पत्ति पर उसका स्वत्व बतलाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। जो पुरुष दूसरो से भोगी जाती हुई अपनी सम्पत्ति की दस वर्ष तक परवाह नहीं करता, फिर उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। कौटिल्य ने पूर्णतया अनियंत्रित व्यक्तिगत अधिकार की व्याख्या न कर एक प्रकार से नियंत्रित 'पूँजीवाद' की व्यवस्था की थी। सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार होते हुए भी उस पर अनेक नियंत्रण लगे हुए थे। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति पाने में सार्वजनिक अहित करता है तो राज्य उसे सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर सकता है।

इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपनी भूमि बेचने का या खरीदने का अधिकार नहीं है। केवल कर देने वाले कर देने वालों को ही अपनी भूमि बेच सकते हैं। जिनको भूमि ब्राह्मण की रीति पर दान में मिली है, वह ब्राह्मण अपनी भूमि ऐसे ही ब्राह्मणों के पास गिरवी रख सकता है। इसी प्रकार के अन्य नियंत्रण कौटिल्य द्वारा निर्धारित किये गये हैं, जो कि लगभग उसी प्रकार के हैं, जैसे कि आज पूँजीवाद के नियंत्रण हेतु कई देशों की सरकारों द्वारा लगाये जाते हैं।

सम्पत्ति का बटवारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कौन अधिकारी हो सकता है। इस बारे में कौटिल्य का मत है कि माता-पिता दोनों या केवल पिता के जीवित रहते हुए पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते।¹² पिता की मृत्यु के बाद पुत्र आपस में सम्पत्ति का बटवारा कर सकते हैं। जिसकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी न हो उसकी सम्पत्ति को राज्य अपने अधिकार में कर सकता है। पिता की सम्पत्ति को छोटे बड़े के क्रमानुसार विभाजित करने के लिए भी नियम बताये गये हैं।

लाभ के नियम

अर्थशास्त्र में बताये गये सिद्धान्तों से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी वर्ग नाम का उपयोग करके काम से लाभ की चोरी करते थे। कौटिल्य ने स्थानीय उत्पादित वस्तुओं में 5 प्रतिशत तथा विदेशी वस्तुओं पर क्रय से 10 प्रतिशत लाभ लेने के नियम बताये हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी वस्तु बाजार के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर नहीं बेची जा सकती है और न ही उत्पादन के स्थान पर बेची जा सकती थी। कोई भी व्यक्ति निर्धारित लाभ से अधिक लाभ नहीं ले सकता था। इनके अलावा खाद्यान्न निरीक्षण, मिलावट करने वाले व्यापारियों के दण्ड सबधी नियम भी बताए गए हैं।

राजकीय आय

कौटिल्य ने समाहर्ता, गोप, स्थानिक आदि अधिकारियों के माध्यम से आय प्राप्ति बताया है। इन सभी का अपना-अपना क्षेत्र बटा हुआ था। वे आय तथा व्यय का पूरा विवरण रखते थे। उस समय कर तथा कृषि से प्राप्त उत्पादन का हिस्सा ही आय का

प्रमुख स्रोत था। कौटिल्य ने राजा को कोष में वृद्धि का परामर्श दिया है। उनका कहना है कि अल्प कोषो हि राजा पौरजान पदानेव ग्रस्ते अर्थात् अल्पकोष के कारण ही राजा तथा प्रजा को कष्ट प्राप्त होता था। कौटिल्य के द्वारा बताए गये आय के स्रोत निम्न प्रकार हैं

(1) विभिन्न प्रकार के भूमि कर उत्पादक भूमि पर कर शहरों में मकान कर बलिकर आकरिमक कर आदि।

(2) कलावार कर (कारु शिल्पगण) मत्स्य कर।

(3) वैश्य तथा द्यूत कर नशीली वस्तुओं तथा कसाई-रानों पर कर।

(4) बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर आयात-निर्यात पर कर।

(5) सम्पत्ति कर वनोत्पादन कर खान कर नमक तथा अन्य वस्तुओं का एकाधिकारिक कर आदि।

(6) श्रमिक कर।

(7) मार्गकर (वर्तनी) नहर कर (जलभाग तरदेय) सामान लाने वाली भारी गाड़ियों पर कर अन्य व्यावहारिक कर।

(8) ऋण पर ब्याज।

(9) उत्सव आदि पर आकरिमक कर।

(10) खैराती कर।

(11) आकरिमक आयकर।

(12) कानूनी न्यायालय कर।

कर अथवा चुंगी का भुगतान नकद (सिक्के) तथा वस्तुओं के रूप में किया जाता था। कौटिल्य ने सेनभक्तम उत्सव पार्श्व परिहिनिका औपायनिका आदि कर के प्रारूप बताये हैं। सामान्यतः भूमिकर के भी विभिन्न प्रकारों के बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विवरण प्रस्तुत किया है।

ऋण एवं ब्याज—कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ऋण के महत्व तथा तत्संबंधी नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 100 पण पर एक महीने में $1\frac{1}{4}$ पण ब्याज लेना ही उचित बताया है। व्यापारियों से 5 पण जगल में रहने वालों अथवा वहाँ व्यापार करने वालों से 10 पण ब्याज लेने का नियम है। समुद्र में आने जाने वाले या वहाँ व्यापार करने वालों से 20 पण ब्याज लेने को कहा गया है।

परन्तु कौटिल्य ने गुरुकुल में अध्ययन करने वाले व्यक्ति बालक या शक्तिहीन पुरुष पर जो ऋण हो उससे ब्याज लेना निषिद्ध बतलाया है।

द्यूत

भारत वर्ष में द्यूत क्रीडा प्राचीन काल से धनोपार्जन तथा धन के विनाश का कारण रहा है। कौटिल्य ने जुआ खेलने वालों के प्रति जहाँ एक ओर कठोर दण्ड का विधान

बताया है वही पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि हेतु कर की वसूली करने के भी नियम बताये हैं। उनके अनुसार जीतने वाले से अध्यक्ष 5 रूपया प्रति सैंकडा लेवे और साथ ही कर भी वसूल करे।

सार्वजनिक व्यय

एक ओर जहाँ अर्थशास्त्र मे राजकीय आय के स्रोतो का उल्लेख है यही दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय का भी आचार्य कौटिल्य ने बली-भौति विवेचन किया है। सार्वजनिक व्यय की मुख्यत निम्नलिखित मदे बताई गयी हैं

- (1) धार्मिक कार्य
- (2) राजकीय गृहकार्यों का प्रबन्ध
- (3) अधिकारिक वेतन का भुगतान
- (4) कारखानो का प्रबध
- (5) श्रमिको का भुगतान
- (6) कृषि उत्पादन पर व्यय
- (7) सैन्य शक्ति का संगठन
- (8) शिक्षण संस्थाओ की स्थापना
- (9) दैधव्यपालन
- (10) जनहित कार्य, सडकों, नहरो आदि का निर्माण
- (11) बच्चो, अधिकारियो, सेना के लोगो को पेशान।

उपर्युक्त आर्थिक विषयों के अतिरिक्त जनसंख्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा तत्संबधी आंकडे एकत्रित किये जाने का उल्लेख भी अर्थशास्त्र मे मिलता है। प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख के लिए पृथक-पृथक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। समाहर्ता की यह जिम्मेदारी होती थी वह लोगो के आंकडे, मकान, पशु, खेती की माप, बाग, भूमि आदि के बारे मे पूरा लेखा जोखा रखे।

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र मे वर्णित प्रोढ आर्थिक पिचारो के आधार पर प्रथम अर्थशास्त्री कहे जा सकते हैं क्योंकि इनके विचार आधुनिक एव प्राचीन अर्थशास्त्रियो से काफी मेल खाते हैं और अधिकाश मत एव सिद्धान्त आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था मे प्रचलित है। राज्य मे हस्तक्षेप राजकीय आर्थिक क्षेत्र, एवं उत्पादन के आयोजन आदि के साथ निजी सम्पत्ति के अधिकार एव आर्थिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त के योग से 'अर्थशास्त्र' मे जिस आर्थिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। वह वर्तमान भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अधिक समीप है, पूँजीवाद या समाजवाद की धारणा के नहीं।

संदर्भ

- 1 कौटलीय अर्थशास्त्रम् - अध्याय 1 अभिकरण 7, श्लोक 10-11
- 2 कौटलीय अर्थशास्त्रम् 1 15 1-2

- 3 चाण्डव्य पुणीत सूत्र 1 2 3
- 4 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 2 1 3
- 5 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 1 2 19-39
- 6 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 2 2 1 2
- 7 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 2 1 2 2 4
- 8 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 5 2 8 2
- 9 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 2 1 10-15
- 10 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 1 4 48-50
- 11 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 4 1 1
- 12 कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 3 5 1-21

प्रश्न

- 1 कौटिल्य के कोश संग्रह सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए।
- 2 कौटिल्य के मजदूरी तथा श्रमिक संगठन सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 3 कौटिल्य के अनुसार बाजार संगठन तथा माप तौल की क्या व्यवस्था थी ?
- 4 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लाभ के सम्बन्ध में क्या विचार थे ?
- 5 कौटिल्य के राजकीय आय-व्यय सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 6 कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
- 7 कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। आचार्य कौटिल्य ने कर उत्पादन के साधन कृषि व पशुपालन श्रमिक व श्रम संगठन मुद्राव्यवस्था तथा राज्य की आय व व्यय के सम्बन्ध में क्या विचार दिये हैं ?
- 8 निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखो।
 (अ) कौटिल्य के मापतौल पर विचार
 (ब) व्यक्तिगत सम्पत्ति व कौटिल्य
 (स) कौटिल्य का जीवन परिचय
 (द) कौटिल्य व कृषि व्यवस्था।



स्वामी दयानन्द सरस्वती
(Swami Dayanand Saraswati)
(1824-1883)

स्वामी दयानन्द सरस्वती : संक्षिप्त परिचय

स्वामी दयानन्द सरस्वती आधुनिक युग के सबसे बड़े वेदों के विद्वान, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित, समाज सुधारक, और शिक्षाविद ही नहीं थे अपितु वे एक अर्थशास्त्री भी थे। प्रायः लोग उन्हें धर्माचार्य के रूप में ही अधिक जानते हैं। बहुत कम लोगों को विदित है कि वे मात्र धर्म के ही नहीं अपितु पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष) के अद्वितीय विद्वान और व्याख्याता थे। उनके मरिचक में एक स्वस्थ समाज का मानचित्र था जो धार्मिक दृष्टि के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध हो। उन्होंने अर्थ का भी उतना ही अध्ययन किया था जितना कि धर्म का। वे भौतिकता के भी उतने ही समर्थक थे जितने कि आध्यात्मिकता के। अपने सम्पूर्ण जीवन काल में वे मनुष्यों को जीवन जीने की उत्कृष्ट कला का व्यावहारिक उपदेश देते रहे, जीवन से पलायन करने का नहीं। उन्होंने अपनी रचनाओं में पुरुषार्थ करो और अपनी निर्घनता को दूर करो, तथा 'धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बनो' का कई जगह उल्लेख किया है।

भाद्रपद शुक्ल 9, गुरुवार संवत् 1881 वि (20 सितम्बर, 1824) को गुजरात के टकारा नगर में श्री कृष्णलालजी तिवाड़ी के घर बालक मूलशंकर का जन्म हुआ। परिवार में शैव मत का प्रचलन था। घर में संस्कृत और वेद शास्त्रों के पठन-पाठन की परम्परा होने के कारण 14 वर्ष की आयु में ही मूलशंकर ने कुछ वेदों तथा यजुर्वेद संहिता को कठस्थ कर ली थी। बचपन से ही वे जिज्ञासु वृत्ति के थे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने व्रत रखा और शिव मंदिर में रात्रि जागरण के लिए बैठे रहे। मूलशंकर के पिता सहित सभी व्रतधारी धीरे-धीरे प्रगाढ़ निद्रा में सो गये पर जिज्ञासु मूलशंकर अपने मुँह पर पानी के छीटे दे-देकर सारी रात्रि भर यह सोचकर जागते रहे कि सच्चे शिव के दर्शन होंगे। तभी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मूलशंकर के मन में मूर्ति-पूजा व परम्परागत धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। मूलशंकर देखते हैं कि शिव मूर्ति पर एक चूहा चढ़ कर उछल-कूद कर रहा है तथा भक्तजनो द्वारा चढ़ाये हुए फल फूलों आदि को खा रहा है। इस घटना को देखकर बालक के मन

मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई क्या यही सच्चा शिव है ? यदि यह सच्चा शिव है तो अपने रूपर से चूहे को क्यों नहीं हटा सका ? उनके मन में यह भावना बैठ गयी कि सच्चा शिव कहीं ओर है और उसी दिन से सच्चे शिव के बारे में सोचने लगे अतः एक दिन 21 वर्ष की आयु में शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बनकर सच्चे शिव की खोज में घर से निकल पड़े। शिवरात्रि की घटना एव घर से निकलने के बीच की दो घटनाएँ और हुईं जिनसे बालक के मन में सांसारिक बातों से विरहित उत्पन्न हुईं। एक उनकी बहिन की मृत्यु तथा दूसरी उनके चाचा की मृत्यु। इससे उनका मन गहन सताप में डूब गया। बालक का इस प्रकार की मन स्थिति देखकर उनके पिताजी ने उनको ग्रहस्थ में बाधने का निश्चय किया, पर विवाह के लिए वे बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए और वे साधु बन गये तथा अपनी योग एव ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए प्रसिद्ध धार्मिक व आध्यात्मिक स्थानों पर पहुँच कर अनेक सतों महात्माओं का सानिध्य प्राप्त किया। सन् 1904 वि में सन्यास की दीक्षा लेकर उन्होंने विश्व-विख्यात स्वामी दयानन्द सरस्वती नाम प्राप्त किया। सन्यास के बाद भी ज्ञान पिपासा शांत न होते देख सन् 1917 वि (सन 1860 ई) में वे मथुरा आये और मथुरा में उन्होंने दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती के घरणों में बैठकर ढाई वर्षों तक वैदिक ग्रन्थ एव आर्ष व्याकरण का गहनता से अध्ययन किया। जब विरजानन्द आश्वस्त हो गये कि उनका शिष्य वेदों के प्रचार-प्रसार के दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो चुका है उन्होंने दयानन्द को आदेश दिया देश में वेदों का अध्ययन-अध्यापन बढ़ हो चुका है तथा भारतवर्ष में अज्ञान का अधकार विद्यमान है तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित कर अज्ञान के अधकार का नाश करो। उन्होंने गुरु-दक्षिणा के रूप में दयानन्द से यह वचन प्राप्त किया कि वे अपना जीवन वेदों के प्रचार-प्रसार और भारत के धर्म के नाम पर प्रचलित हो रही रूढ़ियों पाखण्डों एव अधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अर्पित कर देंगे।

गुरु के आदेश एव उपदेश को स्वीकार कर दयानन्द चार वर्ष तक उत्तर भारत के अनेक स्थानों- आगरा हरिद्वार काशी में व्याख्यान दिए और अनेक स्थानों पर पौराणिक मान्यता पद्धतों से शास्त्रार्थ कर पराजित किया। स्वामी दयानन्द ने अपने भाषणों में अवतारवाद का विरोध किया तथा ऐकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया। उन्होंने अपने भाषणों में इस बात पर जोर दिया कि 'वैदिक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।'

काशी से चलकर बिहार का भ्रमण करते हुए स्वामीजी कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में उन्होंने विशेष तौर पर केशवचन्द्र सेन से राष्ट्र एव समाज के नव-जागरण विषय में बर्षों की। स्वामीजी की विद्वता ईश्वर विश्वास आत्मबल एव परोपकार की भावना से केशवचन्द्र बहुत प्रभावित हुए। केशवचन्द्र ने उन्हें परामर्श दिया कि वे हिंदी भाषा में प्रवचन करें तथा शरीर पर पूरे वस्त्र पहन कर रहें। उस समय तक स्वामीजी संस्कृत में भाषण दिया करते थे और मात्र कौपीन पहन कर रहते थे जिससे सर्व साधारण को उनके प्रवचनों का लाभ नहीं मिल पाता था। कलकत्ता में भ्रमण करके स्वामीजी हुगली

भागलपुर, पटना, डुमराव, मिर्जापुर, बम्बई प्रदेश में आये। बम्बई से अपनी जन्मभूमि गुजरात आदि में वैदिक धर्म का संदेश देकर पुनः बम्बई पहुँचे। बम्बई में चैत्र शुक्ला पंचमी, 1932 वि. शनिवार, तदनुसार 10 अप्रैल 1875 को गिरगाव मौहल्ले में प्रार्थना समाज के निकट एक पारसी डा. माणकजी अदरजी की वाटिका में 'आर्य समाज' की स्थापना की।

आर्य समाज की स्थापना के पश्चात् स्वामीजी पश्चिमोत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के अनेक नगरों में आर्य समाज की विचारधारा फैलाते हुए 31 मार्च, 1877 को लुधियाना से पंजाब का दौरा आरम्भ किया। 24 जून, 1877 को डॉ. रहीम खॉं की कोठी पर लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामीजी के जीवन का तीन चौथाई हिस्सा मूर्तिपूजा के खण्डन में अर्थात् धर्म, समाज में फैल रही जड़ पूजा, व्यक्ति पूजा, पाखण्ड, अज्ञान तथा अनार्थ ग्रन्थों के खण्डन तथा अध्यात्म धर्म के शास्त्र सिद्धांतों के मण्डन में लग गया था।

महर्षि दयानंद के जीवन में उनके आर्थिक विचार अर्थशास्त्र के नियमानुसार कोई क्रमबद्ध रूप में नहीं रहे न उनका मुख्य उद्देश्य ही केवल आर्थिक समस्याओं पर विचार कर उनका हल निकालना था, न दयानंद स्वयं अर्थ को ही सारी समस्याओं का मूल कारण मानते थे या उनकी दृष्टि में अर्थ ही सब कुछ नहीं था। उनकी दृष्टि में अर्थ मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र की मूल आवश्यकता तो थी किन्तु वे अर्थ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। अपितु उस पर धर्म का नियंत्रण रखना चाहते थे। अतः जीवन के अंतिम काल के तीन चार वर्षों में जब उन्होंने लोगों में धार्मिक अधविश्वास और पाखण्ड के विरोध में प्रति घेतना देखी तो उन्हें सतोष हुआ और अपना शेष जीवन राजस्थान के राजा-महाराजाओं के सुधार और अंग्रेजों द्वारा नष्ट की हुई देश की अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ और उन्नत करने के चिंतन और उसकी क्रियान्विति में लगाया।

स्वामी दयानंद द्वारा अपनाये जाने वाले उपर्युक्त कार्यक्रम को कुछ मतान्व लोगो ने तथा कुछ राजा-महाराजाओं के मुँह लगे लोगो ने अपने लिए खतरा महसूस किया और 29 सितम्बर 1883 ई. की रात्रि को जोधपुर में षडयंत्र कर उन्हें दूध के साथ विष पिलवा दिया। कार्तिक अमावस्या, मंगलवार सवत् 1940 वि. तदनुसार 30 अक्टूबर, 1883 ई. को साय 6 बजे अजमेर की मिनाय कोठी में स्वामीजी का देहान्त हो गया।

महर्षि दयानंद की प्रमुख कृतियाँ

महर्षि दयानंद ने अनेक ग्रन्थों की रचना की। उनकी रचनाओं में 'सत्यार्थ प्रकाश' तथा 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका' प्रमुख हैं। उनकी रचनाएँ 'सत्कार विधि' व्यवहार भानु 'अष्टाध्यायी भाष्य अर्योद्देश्य-रत्नमाला' सत्यधर्म विचार तथा 'वेदान्त प्रकाश' हैं। स्वामीजी की चारों वेदों का भाष्य करने की इच्छा थी, किन्तु वे अपने जीवन में ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के एक खण्ड का ही भाष्य सम्पूर्ण कर सके।

महर्षि दयानन्द के आर्थिक विचारों की पृष्ठभूमि

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि स्वामी दयानन्द के अर्थ पर कोई पृथक ग्रन्थ नहीं लिखा और न ही सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों में कोई स्वतंत्र अध्याय ही लिखा है। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र केवल सम्पत्ति या भौतिक सम्पदा का अध्यापन करने वाला शास्त्र ही नहीं था अपितु इसका क्षेत्र व्यापक था अर्थशास्त्र में भूमि भूमि पर रहने वाले तथा उनके व्यवहार और भूमि से प्राप्त खनिज पदार्थ आदि सम्पदा उनका संरक्षण एवं नियन्त्रण आदि का कार्य प्रत्यक्ष रूप से राज्य का शासक करता था। अतः अर्थशास्त्र एवं राजशास्त्र एक दूसरे में समाविष्ट और पर्यायवाची बन गये थे। यही कारण है कि महर्षि सत्यार्थ प्रकाश में राजनीति पर छठा अध्याय लिख कर अर्थ पर स्वतंत्र रूप से लिखना आवश्यक न समझा परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि दयानन्द की अपनी कोई आर्थिक विचारधारा नहीं थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय चतुर्थ छठे तथा दशम अध्याय में सत्कार विधि ऋग्वेद भाष्य भूमिका के गणितविद्या तार विद्या वर्णाश्रम विद्या गणिमादि विद्या ऋग्वेद भाष्य के 4 494 5 476 4 532 7 541 4 57 1-8 1 188 10 38 11 353.20 55 10 1 1062 1808 5 193 765 786 6685 664 4 14 4 इत्यादि यजुर्वेद भाष्य के 1980 621 216 172 1824 2362 1117 2322 622 1032 33 11 9 17 11.29 आदि तथा गोकर्णानिधि पशुपालन कृषि एवं प्राथमिक आवश्यकताएँ व्यवहारभानु में क्रय- विक्रय उद्योग आदि पर विवेचन किया गया है।

महर्षि दयानन्द की आर्थिक विचारधारा की पृष्ठभूमि मूलरूप से अर्ध ग्रन्थ यथा-वेद मनुस्मृति रामायण महाभारत शुक्रनीति एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र आदि पर आधारित थी। सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रन्थों में उन्होंने वेद मनुस्मृति महाभारत और शुक्रनीति का तो स्पष्ट उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की उन्होंने अपने ग्रन्थों में कहीं भी चर्चा नहीं की है परन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यक्त आर्थिक विचारों एवं उनके आर्थिक विचारों में साम्यता प्रकट होती है क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र महर्षि को उपलब्ध नहीं था।

दयानन्द के आर्थिक चिन्तन में राष्ट्रवादी तत्त्व

स्वामी दयानन्द का आर्थिक दर्शन उनकी राष्ट्रीय एवं राजनीतिक विचारधारा से ही सम्बद्ध रहा था। दयानन्द ने अपने चिन्तन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता को शक्ति देकर भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक सम्बल प्रदान किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करके भारतीय जनमानस में भारतीयता के प्रति गौरव के भाव का संचार किया।

प्राचीन भारत की आर्थिक समृद्धि की प्रशंसा करते हुए महर्षि दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। यह आर्यावर्त देश ऐसा है कि जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई

देश नहीं है। इसलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है इसलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। जितने विश्व में देश हैं सब इसी देश की प्रशंसा करते हुए आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है। वह बात तो झूठी है, परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि पत्थर है, जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण अर्थात् घनादय हो जाते थे।² परन्तु 1757 में प्लासी की लड़ाई में भारत की हार और ब्रिटिश शासन की स्थापना ने भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए अवनति के बीज बो दिए।

महर्षि दयानन्द ने अपने व्याख्यानो में स्पष्ट घोषणा की कि भारत की पराधीनता का मुख्य कारण यह रहा कि भारतीयों ने वेदों प्रतिपादित—जीवन मूल्यों और आचरण के नियमों की उपेक्षा करनी प्रारम्भ कर दी। उनके अनुसार वेदांत जीवन पद्धति से हटकर भारतीय लोग चारित्रिक पतन के मार्ग पर चल पड़े, परिणामस्वरूप विदेशियों ने भारत पर अधिपत्य कर लिया। वेदों के आधार पर, हिन्दू धार्मिक विश्वासों और जीवन पद्धति की विवेक—सम्मत व्याख्या कर दयानन्द ने न केवल वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, अपितु दृढ़तापूर्वक ईसाई मत और इस्लाम की अनेक दुर्बलताओं पर प्रहार किया था। आत्मविश्वास—पूर्वक यह उद्घोष किया कि वेदों पर आधारित हिन्दू जीवन पद्धति व धार्मिक विश्वास, ईसाई मत और इस्लाम की तुलना में दीन नहीं हैं, अपितु श्रेष्ठतर हैं। उनके अनुसार भारतीय समाज को जागरूक एवं सगाठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का अधिपत्य सम्भव हुआ है। उन्होंने भारतीय इतिहास के उन पात्रों एवं चरित्रों की भर्त्सना की जिनके कारण आर्य जाति में वैमनस्य बढ़ा तथा आदर्श जीवन मूल्यों की अपेक्षा स्वार्थवृत्ति एवं सयनहीनता का प्रचलन बढ़ा। उन्होंने दुर्योधन जैसे लोगों की निंदा की, जिनके कारण आर्यों में पारस्परिक वैमनस्य हुआ और कौरवों, पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया, वह तो अतीत की घटना है परन्तु अब भी यही रोग भारतीयों को ग्रस्त किये हुए है। जाने कब भारत इस भयंकर राक्षस से मुक्त हो पायेगा या यह राक्षस, आर्यों को सब सुखों से वंचित करके दुःखों के महासागर में डुबो देगा? दृष्ट दुर्योधन जैसा स्वजाति—विनाशक स्वदेश—विनाशक, दुष्ट के कुमार्ग पर अभी तक आर्य लोग चल रहे हैं तथा हमारे दुःखों में वृद्धि कर रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज—रोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाये।⁴

उन्होंने बाल—विवाह स्त्रियों की शिक्षा व उनकी स्वतंत्रता का निषेध, विधवा विवाह का निषेध विदेश—यात्रा निषेध आदि का दृढ़ता से विरोध किया तथा यह घोषणा की कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण नहीं किया जायेगा तथा स्त्रियों व शूद्रों को शिक्षा के आत्मोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किये जायेंगे तब तक भारत का उत्थान सम्भव नहीं होगा।

उनका मत था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बंद से बंदतर बनाने में ब्रिटिश सरकार पूर्ण उत्तरदायी है। वे राजा राममोहनराय के इस मत से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश सम्पर्क भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। उनके मत में ब्रिटिश शासन भारत के लिए हर दृष्टि से अकल्याणकारी सिद्ध हुआ है। दयानन्द ने कहा कि यदि विदेशी शासन के अधीन तात्कालिक दृष्टि से लाभ भी प्रतीत हो तो भी विदेशी शासन को स्वाधीनता की तुलना में श्रेयकर नहीं माना जा सकता। उन्हीं के शब्दों में विदेशी शासन भले ही मत-मतान्तरों के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पक्षपात-शून्य दयालु कल्याणकारी और न्यायशील हो तब भी वह सुखमय नहीं माना जा सकता। 'अंग्रेजों ने घोर स्वार्थपरता की नीति अपना कर भारतीय कारखानों को हतोत्साहित किया और विकासोन्मुख अंग्रेजी कारखानों को भरपूर सहयोग दिया। भारतीय रेशमी एवं सूती कपड़ों पर इतना अधिक आयात कर लगा दिया कि वह इंग्लैण्ड के बाजारों में प्रवेश न पा सके जबकि इंग्लैण्ड का वन हुआ माल जो भारत वर्ष में आता था उस पर शुल्क घटाकर कुल कीमत का अर्धार्ध प्रतिशत कर दिया गया और बहुत से माल पर से शुल्क बिल्कुल उठा लिया। उन्होंने अनुभव किया कि देश का धन विदेशों में जा रहा है तथा पार्श्वस्थ देशों की औद्योगिक उन्नति की तुलना में हमारे देश का व्यापार तथा व्यवसाय बहुत पिछड़ा हुआ है। उस समय हमारे देश में निर्धनता चरम सीमा पर पहुँच गयी थी। 1879 ई. में जब महर्षि दयानन्द फर्रुखाबाद में विराज रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्धा अपने जवान पुत्र की मृत्यु पर दरिद्रता के घोर अभिशाप से ग्रस्त मृत पुत्र के लिए कफन भी नहीं जुटा पाई और न शय जलाने हेतु ईंधन। फलतः यह अभागिनी विधवा अपने लाल को गंगा जल में प्रवाहित करने पर विवश हुई। विधवा के दुःख को देख कर महर्षि के मुख से यह करुणापूर्ण स्वर निकल पड़े हाय! हमारे देश की निर्धनता किस सीमा तक पहुँच गयी है। देश के मृतकों को कफन और ईंधन भी उपलब्ध नहीं होता।

महर्षि दयानन्द चाहते थे कि स्वदेशवासी स्वदेश में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करें। उनका मत था कि स्वदेशी मूल्यों स्वदेशी शिक्षा-पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की भारतीयों की प्रवृत्ति भारतीय जनता की मानसिक दासता को ही इंगित करती है। महर्षि का स्वदेशी आंदोलन केवल खान-पान वस्त्र निवास आदि तक ही सीमित नहीं था वरन् उनका आंदोलन भ्रष्टाचार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तक फैला हुआ है।

भारतीयों की निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता के प्रति दयानन्द का आग्रह उनके उत्कट राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष है। उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि चारित्रिक दुर्बलताओं से मुक्त निर्भीक भारतीय भारतीय जाति की अस्मिता की रक्षा और भारत के प्राचीन गौरव की पुनः प्रतिष्ठा के लिए अविचल रह कर संघर्ष कर सकते हैं।

महर्षि दयानन्द संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होते हुए तथा मातृभाषा गुजराती होते हुए भी उन्होंने अपने व्याख्यानों तथा सदेशों को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम हिन्दी

भाषा में ही की तथा 'आर्यसमाज' जैसी संस्था की स्थापना के द्वारा देश में सामाजिक धार्मिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्रवाद के विकास का सूत्रपात किया।

महर्षि दयानंद का आर्थिक चिन्तन

महर्षि दयानंद की दृष्टि में अर्थ तथा अर्थशास्त्र

भारतीय आर्य सभ्यता की चार आधारशिलाओं (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) में अर्थ का अति महत्व है। अर्थ मानव-जीवन की मूल आवश्यकता है, उनके बिना मानव शरीर ही जीवित नहीं रह सकता। अर्थ धर्म की भांति मोक्ष मार्ग में प्रधान सहायक है क्योंकि यह स्थूल शरीर की आवश्यकता है। अर्थ के बिना धर्म और काम लगडा है। महर्षि दयानंद की दृष्टि में अर्थ का अभिप्राय जीवित रहने के धर्मपूर्वक प्राप्त किये गये साधनों से है। उन्हीं के शब्दों में, 'अर्थ जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करता है।' अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य बढ़ाने वाला है।⁷

अर्थ वह है जो धर्म से प्राप्त किया जाय। जो अधर्म से सिद्ध होता है उसे अनर्थ कहते हैं।⁸

धर्म युक्त पुरुषार्थ से जो अर्थ (धन) कमाया जाता है उसे वास्तविक धन कहते हैं। किन्तु अन्याय-अधर्म से उपार्जित धन महर्षि के मत में धन नहीं है।⁹

जिस धन से पुष्टि, विद्या, विद्वानों का सत्कार, वेद विद्या की प्रवृत्ति और सर्वोपकार हो वही धर्म सम्बन्धी धन है अन्य नहीं।¹⁰

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में अर्थ में सम्पूर्ण आर्थिक वस्तुएँ, सुवर्णादि रत्न, राज्य-धन, ऐश्वर्य बढ़ाने वाले साधन तथा मानव शरीर को सुविधापूर्ण जीवित रखने के धर्मयुक्त आदि साधन शामिल होते हैं उनके मत में अधर्म से कमाया गया धन या अर्थ, धन या अर्थ नहीं है अपितु अनर्थ है।

महर्षि की दृष्टि में शारीरिक उन्नति से तात्पर्य आर्थिक उन्नति से है क्योंकि अर्थ (अन्नादि पदार्थ) के बिना शरीर का स्वस्थ रहना तो दूर जीवित रहना भी असम्भव है। यदि मानव का शरीर ही नहीं हो तो अकेली आत्मा क्या करेगी तथा स्वस्थ शरीर में ही स्वरूप मन स्वस्थ बुद्धि और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। परन्तु उनके अनुसार धर्म रहित अर्थ की प्राप्ति समाज में अनेक आर्थिक समस्याएँ एवं विषमताएँ उत्पन्न कर देगी अतः उन्होंने धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति का जगह-जगह उल्लेख किया है।

महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करे।¹¹ इस प्रकार महर्षि के अर्थशास्त्र के आशय से आधुनिक आशय से साम्यता प्रकट होती है परन्तु महर्षि की दृष्टि में अर्थ वह है जो धर्म से प्राप्त किया जाए और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसे अनर्थ कहते हैं। अर्थात् धर्म पूर्वक जो अर्थ का अध्ययन करे वह अर्थशास्त्र है।¹²

उपभोग सम्बन्धी विचार

महर्षि दयानन्द के विचारों के अनुसार मानव जीवन की मुख्यतः दो आवश्यकताएँ हैं।

(अ) प्राथमिक आवश्यकताएँ तथा (ब) गौण आवश्यकताएँ। महर्षि दयानन्द अपनी पुस्तक गोकर्णानिधि में मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में लिखते हैं—दो ही प्रकार से मनुष्य आदि की प्राण-रक्षा विद्या जीवन सुख बल और पुरुषार्थ आदि की वृद्धि होती है। एक अन्नपान और दूसरा आच्छादन। इनमें प्रथम के बिना सर्वथा प्रलय और दूसरे के बिना अनेक प्रकार की पीडा होती है।¹⁰ इसमें अन्न से आशय सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं पान से सभी प्रकार के पेय पदार्थ हैं। सृष्टि में सबसे प्रमुख पेय पदार्थ जल है। दूसरा पेय पदार्थ दूध है जिसके लिए महर्षि ने गोरक्षा की चर्चा की है। तीसरा प्रमुख पेय पदार्थ सोम (औषध) है। आच्छादन से तात्पर्य ढँकना (आवरण) है। आच्छादन में वस्त्र तथा मकान दोनों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार गोकर्णानिधि के उपर्युक्त उद्धरण में अन्न वस्त्र और मकान तीनों प्राथमिक आवश्यकताएँ सिद्ध हो जाती हैं।

महर्षि अन्न-पान के क्रम में ही अपने वेद भाष्य में पदे-पदे चिकित्साशास्त्र (आयुर्वेद) का भी विवेचन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महर्षि ने प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा अनिवार्य बताई है। महर्षि दयानन्द के अनुसार भोजन न मिलने से मनुष्य कीट पतंग पेड़-पौधे सबका जीवन नष्ट हो सकता है इसलिए उन्होंने भोजनादि को मानव जीवन का ही नहीं सबकी प्राथमिक आवश्यकता माना है। महर्षि द्वारा व्यक्त की गयी उपर्युक्त प्राथमिक आवश्यकताओं का हम निम्न रूप में विवेचन कर सकते हैं।

(अ) प्राथमिक आवश्यकताएँ

(1) अन्न (भोजन)— भोजन की आवश्यकता केवल मानव शरीर को ही नहीं होती अपितु प्राणी मात्र के शरीर को होती है। महर्षि के अनुसार भोजन दो प्रकार का होता है (i) धर्मशास्त्रोक्त तथा (ii) वैद्यकशास्त्रोक्त भोजन। उनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को मलीन विषा मूत्रादि के ससर्ग से उत्पन्न हुए फल मूल सब्जी आदि नहीं खाना चाहिए।¹¹ जो बुद्धि का नाश करे ऐसे पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए जैसे मद्य गाजा भाग अफीम आदि। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य वृद्धि बल पराक्रम बढ़े उन फलों दूध घी मिष्ठान पदार्थों का समय पर भोजन करना भक्ष्य कहताला है। महर्षि ने यजुर्वेद भाष्य में चावल साठी के धान जौ अरहर उड़द मटर तिल नारियल मूग घना राई मसूर अनेक प्रकार के फल रस कन्द अरबी आलू शकरकंद आदि अन्नो तथा सब्जियों को गिनाया है।¹² पशुओं से उत्पन्न दूध दही छाछ आदि को भी उन्होंने खाद्य पदार्थों में गिनाया है।

(2) वस्त्र— जहाँ मनुष्य को अधिक दिन जीवित रहने के लिए भोजन की

आवश्यकता होती है, वहाँ अधिक दिन तक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। महर्षि दयानंद के अनुसार वस्त्र देश, काल एवं ऋतु के अनुकूल पहिने जाने चाहिए।¹⁶ उन्होंने अपने ग्रन्थों में वस्त्रों के कच्चे माल के रूप में कपास, ऊन, रेशम, चर्म, सण, जूट, मूँज आदि का वर्णन किया है जिनसे अनेक प्रकार के वस्त्र बुने जा सकते हैं। महर्षि परिवार स्तर पर ही कण्डे बुनने की घर्चा अपने वेद भाष्यों में करते हैं।

(3) गृह (मकान)— गृह, गृहाभ्रम का मूलाधार होता है। महर्षि ने सस्कार विधि तथा वेद भाष्य में घर बनाने की आवश्यकता, प्रकार तथा प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला है महर्षि दयानंद के अनुसार गृह—निर्माण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए।¹⁷

(अ) घर दिखने में सुन्दर एवं सुदृढ हो,

(ब) घर उत्तम नक्शे पर बनाया गया हो,

(स) घर की चिनाई, लोहे और लकड़ी के बन्धन से सुदृढ हो,

(द) घर में सूर्य का प्रकाश पहुँचने में रुकावट न हो,

(य) घर के आसपास वृक्ष, पुष्प, पौधे, एव दूब होनी चाहिए, तथा

(ड) घर में अन्य सुविधाओं के साथ—साथ यज्ञशाला एव ईश्वरोपासना का स्थान पृथक बनाया जाए।

महर्षि वेदभाष्यों में स्वर्ण से मण्डित दरवाजो तथा 1000 खम्भों वाले सभा भवनों का उल्लेख किया है।

(4) चिकित्सा (स्वास्थ्य का साधन) — महर्षि दयानंद के अनुसार रोगों का निदान, चिकित्सा, औषध एव पश्य सेवन, औषधियों का गुण— विज्ञान और उनका यथा योग्य उपयोग करना ही चिकित्सा कहलाती है।¹⁸ उन्होंने चिकित्साशास्त्र (आयुर्वेद) को 21 प्रामाणिक ग्रन्थों में गिना है तथा आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। उनके अनुसार चिकित्सक दो प्रकार के होते हैं, प्रथम, शरीर के रोगों को हरण करने वाले तथा दूसरे, मन के अविद्यादि रोगों के विनाशक अध्यापक, उपदेशक, यज्ञ कराने वाले आचार्य पुरोहित आदि।

(5) शिक्षा — महर्षि दयानंद के अनुसार शिक्षा सबसे बड़ा रत्न है। सोना—चादी को चोर चुरा कर ले जा सकता है, परंतु शिक्षा को कोई भी नहीं चुरा सकता है। वे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्ष में थे। उनके अनुसार शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा में समानता हो गुरुकुल गाँव, शहर से दूर हो शिष्यों के प्रति आचार्यों का उत्तम व्यवहार हो अध्यापकों के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया जावे शिक्षा में धर्म, नैतिकता को स्थान दिया जावे।

(ब) गौण आवश्यकताएँ

मनुष्य के जीवन में सुख और हर्ष की मात्रा बढ़ाने वाले सभी पदार्थ गौण

आवश्यकताओं में गिने जाते हैं। गीत आवश्यक्ताओं में उन्होंने पशु, पेड़-पौधे, चित्रकला, संगीतकला, काव्यकला, मनोरंजन आदि की आवश्यकता, घोड़ा, साइकिल, गाड़ी, मोटर आदि परिवहन के साधनों की आवश्यकता, आपसी विवादों को सुलझाने हेतु न्याय व्यवस्था की आवश्यकता, धन की आवश्यकता आदि को लिया है।

उपभोग में स्वदेशी की भावना पर बल

महर्षि दयानन्द की विचारधारा में स्वदेशी की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। महर्षि दयानन्द के स्वदेशी आंदोलन में केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना ही शामिल नहीं था अपितु उनका स्वदेशी का अर्थ बहुत व्यापक था। वे इससे स्वदेशी धर्म स्वदेशी संस्कृति स्वदेशी भाषा स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी शासन आदि से अभिप्राय लेते थे।* उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया कि सब भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अपनी भाषा अपने धर्म तथा अपनी परम्पराओं अपनी कला का आदर करना चाहिए और भारत का जो अपना है उसे अपनाये रहने में गौरव अनुभव करना चाहिए। महर्षि के स्वदेशी के विचारों से प्रेरणा पाकर सन् 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का निर्णय लिया। सम्पूर्ण पंजाब में स्वदेशी आंदोलन चला।

इस प्रकार महर्षि दयानन्द के उपभोग सम्बन्धी विचारों का सार यह रहा कि समाज में अपने राज्य के सहयोग और व्यवस्था से विपुल उत्पादन समुचित वितरण और सममित उपभोग हो।

उत्पादन सम्बन्धी विचार

(1) उत्पादन के साधन

(1) भूमि— महर्षि दयानन्द के अनुसार पृथ्वी (भूमि) सबका आधार है। अन्न का उत्पादन इसी से होता है और रहने का घर भी यही है इसीलिए इसे माता के तुल्य माना जाता है। मनु कोटिल्य के अनुरूप ही दयानन्द का भी स्पष्ट मत था कि प्रकृति प्रदत्त सभी साधनों (भूमि, जल, अग्नि और पवन) पर राज्य का ही स्वामित्व होना चाहिए।¹⁸ उत्पादन के लिए किसको कितनी और कब तक के लिए भूमि देना है या वापिस लेना है यह राज्य के नियमानुसार होना चाहिए। परंतु भूमि आदि पर राजा का अधिकार या स्वामित्व का यह अर्थ नहीं है कि राजा की निजी सम्पत्ति हो गयी। उन्होंने राजा को केवल भूमि का नियंत्रणकर्ता मात्र माना है। राजा का भूमि पर अधिकार होते हुए भी वैयक्तिक अधिकार नहीं है वह तो भूमि का संरक्षण मात्र है। महर्षि के शब्दों में हे राजन! आपको जितना राज्य का भाग लेना चाहिए उतना ही ग्रहण कर भोग करिये न अधिक न न्यून ऐसा करने से आपको हानि कभी नहीं होगी।¹⁹ राजा का कर्तव्य है कि भूमि आदि जो मूल सम्पत्ति है उसका दुरुपयोग नहीं होने दे और जो भूमि पर खेती नहीं करे अथवा

* सत्यार्थ प्रकाश 11 वीं समुल्लास पृ 359 8 वीं समु पृ 213

उस पर दिए गये अधिकार के अनुसार उत्पादन नहीं करे तो वह भूमि छीन कर किसी दूसरे सत्वात्र को दे दे। इस प्रकार महर्षि ने भूमि आदि साधनों पर राज्य अथवा समाज का अधिकार माना है और किस को किस भूखण्ड पर कितना और कितने समय तक व्यक्तिगत स्वामित्व देना यह राज्य अथवा राजा के नियमानुसार होगा।

(ii) श्रम - महर्षि के अनुसार समाज में भरपूर उत्पादन हो इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ श्रम अवश्य करे। राजा का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति को निकम्मा न बैठने दे और जो श्रम करने में आलस्य करे उसको राजा दण्ड दे।¹ उन्होंने समाज में आश्रम व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था को श्रम-विभाजन का आधार माना है। आश्रम चार हैं - ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य सभी आश्रमों एवं वर्णों का आधार है इसमें सद्विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता से आत्मा और शरीर का बल बढ़ाया जाता है। गृहस्थाश्रम भी सभी आश्रमों एवं वर्ण व्यवस्था का आधार है। 100 वर्षों की मनुष्य की आयु से 75 वर्ष (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास) जीविकोपार्जन से मुक्त माना गया है, सिर्फ गृहस्थ ही धनोपार्जन से सम्बद्ध है। महर्षि ने दान को उत्तम कर्म माना है जबकि आज के समाज में दान की उपेक्षा कर सचय को प्रश्रय दिया है। बुराइयाँ बढ़ रही हैं।

महर्षि दयानन्द ने वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं मानकर गुणकर्म स्वभाव से माना है। वर्ण व्यवस्थाओं में गुण का अर्थ है योग्यता कर्म का अर्थ है व्यवसाय और स्वभाव का अर्थ है आदत। इस प्रकार योग्यता, व्यवसाय और आदत वर्ण का निर्णय करते हैं। वर्ण व्यवस्था का सम्बन्ध सिर्फ गृहस्थ से है क्योंकि यही आजीविका का आधार है। वर्ण व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है जहाँ राजा और रक, गरीब और अमीर सबके लिए समान भोजन, वस्त्र एवं आवास होना चाहिए। इससे लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव पैदा नहीं होगा।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र जाति विशेष नहीं बल्कि अपनी योग्यता एवं व्यवसाय के अनुसार चुन सकने की व्यवस्था है जो सदा परिवर्तनशील होती है। उनके अनुसार गुण कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था के लुप्त होने से जन्मना जाति ने मनुष्य जाति का महान् अपकार किया है। योग्यता विहीन जाति व्यवस्था हमारे लिए अभिशाप बन गयी है। समाज में धन को अनुचित प्रधानता मिल गयी है धनोपार्जन के लिए अधर्म, अन्याय और अत्याचार को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। महर्षि के अनुसार न्यायपूर्वक धन कमाना ही अच्छा है, दुष्ट प्रसंग से द्रव्य सचय बुरा है।

(iii) पूँजी- महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित समाज व्यवस्था एवं वर्णाश्रम में उत्पादन करने का कार्य केवल वैश्य का ही बताया गया है। अतः अधिक उत्पादन करने हेतु वैश्य को ही अन्य वर्णों के सहयोग से पूँजी का संग्रह करना चाहिए।² महर्षि ने अपने वेदभाष्यो में अर्थ के लिए धन शब्द का ही प्रयोग किया है परंतु उनके निम्न कथन पूँजी

के महत्व को दर्शाते हैं। राजा और राजसभा अलक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा प्राप्त उपलब्ध की प्रयत्न से रक्षा करे रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या में लगावे।²² दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा रक्षित की वृद्धि (अर्थात् ब्याजादि से बढ़ावे) और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे।

2 उत्पादन के क्षेत्र

महर्षि अपने आश्रमों एवं वर्णव्यवस्था में ग्रहस्थ को ही धन कमाने का अधिकार मानते हैं। वैश्य को ही पशुपालन खेती पूँजी और श्रम का समन्वय कर उद्योग आदि से उत्पादन करने का अधिकार है। वैश्य का उत्तरदायित्व है कि वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। उन्हीं के शब्दों में गाय आदि पशुओं का पालन करना वर्द्धन करना विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना सब प्रकार के व्यापार करना ब्याज लेना खेती करना ये वैश्य के गुण कर्म हैं।²⁴ महर्षि द्वारा वैश्य वर्ण के गुण-कर्मों के विवेचन के आधार पर उत्पादन के निम्न क्षेत्र निर्धारित किये जा सकते हैं।

(i) पशुपालन (ii) कृषि (iii) शिल्पकला उद्योग और व्यवसाय (iv) पर्वत सम्पदा अथवा खनिज (v) विनिमय क्रय-विक्रय और ब्याज आदि (vi) धन सम्पदा (vii) देशीय और विदेशीय व्यापार तथा यातायात व्यवस्था।

(ii) पशुपालन— महर्षि दयानन्द गाय आदि पशुओं का वध रोकवाना भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए अनिवार्य मानते थे। गो आदि पशुओं की सुरक्षा को वे विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से देखते थे। उनका मत था कि जब तक पशुओं की सुरक्षा नहीं होगी तब तक न भारत की कृषि-व्यवस्था और न ही सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही सुदृढ़ हो सकती है। ऋग्वेद भाष्य में उन्होंने लिखा कि जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और उन्हें बढ़ाने आदि के लिए वनों को रक्ष उन्हीं पशुओं को चारा दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथायत् करे वे राज्य के ऐश्वर्य में सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं।²⁵ पशुओं के लाभ के गणित को दिखाते हुए स्वामीजी लिखते हैं कि पशुओं की सुरक्षा करने से अधिक लाभ है वजाय उनको मारकर चर्बी घमडा और हड्डी प्राप्त करने के। उन्होंने गौर करुणानिधि में गौ आदि पशुओं के वध का विरोध और रक्षण का समर्थन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं किया अपितु उनका आर्थिक आधार भी स्पष्ट किया है। उन्होंने पशुओं से होने वाले विस्तृत लाभों की विवेचना की है जो राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है।²⁶

महर्षि दयानन्द ने पशुपालन पर केवल इसलिए बल दिया है कि इन पशुओं में दूध आदि तथा खेती यातायात आदि में मनुष्य को सहयोग मिलता है परन्तु मांस की दृष्टि से पशुपालन में उन्होंने छुपारपद एवं पापकर्म बताया है।

महर्षि ने पशुपालन का ही समर्थन नहीं किया वरन् इसमें आने वाली समस्याओं एवं उनके समाधानों का भी वर्णन किया है। महर्षि के अनुसार पशुपालन की सबसे बड़ी

समस्या है— चारागाह। उनके ही शब्दों में "आर्यावर्तीय राजा—महाराजा, प्रधान और धनाढ्य लोग आधी—आधी पृथ्वी में जंगल रखते थे जिससे पशु और पक्षियों की रक्षा होकर औषधियों के सार दूध आदि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हो। जिनके खाने—पीने से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि सद्गुण बढ़े और वृक्षों के अधिक होने से वर्षा, जल और वायु में आर्द्रता और शुद्धि अधिक होती है। पशु—पक्षी आदि के अधिक होने से खाद भी अधिक होती है। इसलिए पशुपालन के लिए जंगलों की सुरक्षा होनी चाहिए।" महर्षि ने पशुपालन पर केवल अपने विचार ही प्रकट नहीं किये वरन् अपने सार्वजनिक व्याख्यानो, गोष्ठियों तथा ब्रिटिश अधिकारियों से मेंट, पत्र—व्यवहार में भी पशुओं की रक्षा पर जोर दिया। महारानी विक्टोरिया को दो करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त गोवध—पाबन्दी हेतु ज्ञापन दिया गया। 25 दिसम्बर से 6 जनवरी 1879 के बीच रेवाड़ी के पास गोकृष्यादिरक्षिणी सभा का गठन कर लोगों को स्थान—स्थान पर गो शालाओं की स्थापना के लिए प्रेरित किया।

पशुपालन एवं राज्य— महर्षि ने पशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था करने—कराने तथा पशु—वध रोकवाने का दायित्व राज्य का बताया है। वे गोरक्षा कानून बनाने के भी पक्ष में थे। पशुपालन के विषय में राजा का कर्तव्य दर्शाते हुए वे लिखते हैं कि जिन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों के सुख के लिए होती है और जो ऊँट भार उठाते हुए मनुष्यों को सुख देते हैं उनको जो दुष्टजन मारना चाहे, उनको सप्ताह के दुःखदायी समझे और उनको अच्छे प्रकार से दण्ड दे।¹⁷

प्रजा के गाय आदि पशुओं का राजा नाश न होने देवे। राजा को चाहिए कि गौ, घोड़े आदि उपकारी जीवों की कमी हत्या न करे अपितु सदैव उनकी वृद्धि करे।¹⁸ इस प्रकार महर्षि की दृष्टि में राजा का यह परम कर्तव्य है कि वह पशुओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग करे।

देश के पशुधन के संरक्षण के प्रति राज्य को अपने कर्तव्यों की ओर जागरूक करते हुए महर्षि ने जयपुर राज्य के तात्कालीन अधिकारी को यह परामर्श दिया कि मनुष्यों की गणना कि भाति पशुओं की गणना भी की जाये और उनके आंकड़े रखे जाए ताकि उनकी घटत—बढ़त पर विचार कर उनकी वृद्धि का प्रयत्न किया जा सके।

गोमेघ और अश्वमेघ में छिपा अर्थशास्त्र— महर्षि दयानन्द के अनुसार वैदिक शास्त्रों एवं उनमें आये शब्दों के अर्थ न समझने अथवा समझते हुए भी अपने स्वार्थ के कारण गोमेघ का अर्थ गाय को यज्ञ में बलि देकर उसके मांस आदि को यज्ञ की अग्नि में आहुत करना लगा लिया। उसी प्रकार अश्वमेघ का अर्थ यज्ञ में घोड़े की बलि से लगाया। जबकि वेदादि शास्त्रों में ऐसा अर्थ कहीं नहीं लिखा है।¹⁹ यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से बनता है जिसका अर्थ दान देवपूजा और सगति करण है। इन अर्थों में बलि (हत्या) या हिंसा लेशमात्र भी प्रकट नहीं होती।

महर्षि पशुओं के संरक्षण को आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी मानते थे। उन्होंने गोकर्तव्यनिधि में स्पष्ट लिखा है कि एक गाय को मारकर खाने से अर्थात् उसके मांस

से अधिक से अधिक 80 व्यक्तियों की भूख मिट सकती है किन्तु उसको जीवित रख कर पालन-पोषण कर उसके दूध घी खाद एव बैल आदि से खेती में सहयोग के लाभ को ध्यान में रखे तो दूध और अन्न से चार लाख दस हजार चार सौ चालीस व्यक्तियों की भूख शांत हो सकती है। इसी को उन्होंने गोमेध कहा है।¹¹

महर्षि के अनुसार प्राचीन काल में घोड़ा राजा का सबसे अधिक सहयोगी पशु माना जाता था। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के इस यज्ञ में अश्व को एक प्रतीक रूप में रखा जाता था। प्राचीन समय से वर्तमान तक गाय एव घोड़े मानव जीवन की आर्थिक सफलता के लिए आधारभूत पशु माने जाते हैं। अतः वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना में इन पशुओं का स्थान निर्धारित कर यह दर्शाया है कि पशुपालन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

(ii) कृषि— महर्षि दयानन्द के कृषि सम्बन्धी विचार प्रकार विधि-विधान एव निर्देशन वेद पर आधारित हैं। वेदों में विवेचित कृषि-व्यवस्था का ही वे पुरजोर समर्थन करते हैं तथा अपने कृषि सम्बन्धी विचार वेदमंत्रों के भाष्यादि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जो निम्न प्रकार से हैं—

(अ) कृषि के प्रमुख साधन महर्षि दयानन्द ने कृषि के निम्न प्रमुख साधन बतलाये हैं—

(i) उर्वरा भूमि खेती के औजार पशु, उत्तम बीज और उत्तम खाद आदि।

(ii) सिंचाई के साधन।

(iii) प्रशिक्षित किसान

(iv) खेती को हानि पहुँचाने वालों पर नियंत्रण।

भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए महर्षि भूमि को बार-बार जोतना आवश्यक बताते हैं तथा भूमि को संस्कारित करते हुए सुगन्ध आदि युक्त बीज बोने का समर्थन करते हैं।¹² खेतों में गद्दी खाद (विष्टा आदि से मलीन पदार्थ) के बजाय उत्तम खाद डालें जिससे अन्न फल आदि रोग रहित पैदा हो।

महर्षि दयानन्द ने कृषि हेतु निम्न साधनों एव औजारों की अपने भाष्यों में चर्चा की है -

(i) हल (ii) लोहे का फाल (सीला) (iii) बैल (iv) बीज (v) उर्वरा भूमि आदि।

(ब) सिंचाई के साधन—महर्षि दयानन्द ऋग्वेद भाष्य में कुएँ नहरों तालाबों एव बाधों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। उनके ही शब्दों में किसानों को चाहिए कि नदियों के मार्गों कूपों छाटे-छोटे तालाबों बाध बनाकर खेत आदि की सिंचाई कर प्रचुर अन्न फल वृक्ष लता आदि को उत्पन्न कर बढ़ावे।¹³

महर्षि दयानन्द भूमि खाद बीज सिंचाई की उपलब्धि के साथ खेती करने के लिए किसान का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार जो लोग कृषि कर्म

करने वाले है वे अपने से अधिक अनुभवी किसान का अनुसरण करके खेती करे तो अधिक अच्छी तरह खेती की जा सकती है। उन्होंने किसान को राजाओं का राजा माना है, इसलिए किसानों को समय समय पर पुरस्कार आदि से सम्मानित करते रहना चाहिए जिससे वे उत्साहित होकर खेती करे। किसानों की अच्छे प्रकार से रक्षा करने से वे अन्न आदि अधिक अच्छी तरह से उत्पादन करते है।

कृषि और राज्य-महर्षि दयानद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजस्थान प्रवास में यहाँ के राजाओं को प्रजा की आर्थिक समृद्धि के लिए अपने उपदेशों में कृषि सम्बन्धी सुधारों के सुझाव दिए। महर्षि दयानद से प्रेरणा पाकर ही शाहपुरा नरेश ने सिचाई हेतु नहर की व्यवस्था की।

महर्षि दयानद ने फसल, अनाज आदि को हानि पहुँचाने वाले या नष्ट करने वाले चूहे टिड्डी, शूकर कौवे आदि जन्तुओं को मारने का राज्य का कर्त्तव्य बतलाया है।¹⁴ उनके मत में किसानों को खेती करने का प्रशिक्षण लेकर खेती विषयक निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए— (अ) मिट्टी के किस्मों का पूर्ण ज्ञान तथा मिट्टी को खेती योग्य बनाने की विद्या का ज्ञान (ब) खेती के औजारों के रख-रखाव एवं उनके प्रयोग का ज्ञान (स) गाय बैल आदि पशुओं के पालन एवं उनके रोगों के इलाज का ज्ञान (द) फसलों में लगे कीड़ों, तथा इनसे होने वाले रोगों को नष्ट करने या इलाज का ज्ञान (य) उत्पन्न अनाज को समाल कर रखने का ज्ञान अर्थात् गोदाम व्यवस्था (र) सिचाई के साधनों का ज्ञान।

(iii) वन सम्पदा- महर्षि दयानद के अनुसार प्राचीनकाल में लोग आधी भूमि में जंगल रखते थे परन्तु आज जंगलों को कटवा रहे हैं जो सब विपरीत काम है। उन्होंने उन लोगों की प्रशंसा की है जो वनादि की रक्षा से घास-फूस और औषधियों को बढ़ाते हैं। वनों की रक्षा करने वाला महान परोपकारी होता है क्योंकि वन हमें जीवन शक्ति प्रदान करते हैं।

उपत्मन्या वनस्पते पार्था देवेभ्य सृज।

अग्निर्हव्यानि सिध्दत ।' (ऋग्वेदभाष्य 1 88 10)

दयानद ने वन सम्पदा के संरक्षण को राजा का कर्त्तव्य माना है, उनके शब्दों में, वनों की सुरक्षा करने कराने तथा वनस्पतियों के लाभ को प्राप्त करने-कराने का कर्त्तव्य राजा का है, क्योंकि वनों पर राज्य का अधिकार होता है। वन सामाजिक सम्पत्ति है, राजा इनका दुरुपयोग न होने दे।¹⁵

महर्षि ने वनों के संरक्षण करने वाले व्यक्तियों का सत्कार करने को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 'मनुष्य वन आदि के पालकों को अन्न आदि से सत्कार करे।¹⁶

(iv) पर्वत सम्पदा (खनिज)- महर्षि दयानद पर्वतों से होने वाले लाभों को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं- (अ) पर्वत हमें धन दे अथवा हमारे धन की सुरक्षा करे।

(ब) पर्वतो के पानी को जलाशय बनाकर उससे पीने एव खेती आदि में काम लिया जाता है। (स) पर्वतो पर कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। (पर्वतेषु भेषजम्—ऋ. 8 20 25)। (द) पर्वतो से सोना चादी आदि धातु पत्थर खनिज एव रत्न प्राप्त होते हैं। (य) पर्वतो पर स्थित जगलो से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। (र) पर्वतो से नदियाँ एव झरने निकलते हैं। (ल) पर्वत वर्षा में सहायक होते हैं।*

महर्षि वनो की तरह पर्वतो की रक्षा एव दुरुपयोग को रोकने का कर्तव्य राजा का माना है क्योंकि वे पर्वतो को भी राजकीय सम्पत्ति मानते हैं। इस विषय में वे लिखते हैं कि राजा पर्वतो की सुरक्षा करे।

(१) उद्योग व्यवसाय— महर्षि दयानन्द कृषि एव पशुपालन को भारतीय अर्थ-व्यवस्था की धुरी मानते थे तथापि सुदृढ अर्थ व्यवस्था के लिए वे उद्योगों के महत्व को उजागर करते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र को शिल्प विज्ञान एव औद्योगिक दृष्टि से उन्नतशील बनाने के लिए राष्ट्र की भावी पीढ़ी के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक एव प्रायोगिक रूप में कला उद्योग विज्ञान एव तकनीकी विषय की शिक्षा को शामिल करना चाहिए।

महर्षि के अनुसार मनुष्य किसी कुशल कारीगर के पास बैठकर ही कारीगरी में कुशल हो सकते हैं।* पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियों को भी शिल्प-शिक्षा मिलनी चाहिए।** अध्यापक शिल्प-शिक्षा का सिद्धांत एव प्रयोग दोनों सिखलावे।

महर्षि दयानन्द ने अपने द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पाठ्यक्रम में भूगर्भ-विद्या सीखने की चर्चा की है। वे लिखते हैं मनुष्यों को चाहिए कि भूगर्भ-विद्यानुसार बालू मिट्टी आदि से सुवर्णादि धातुओं को निकाल ऐश्वर्य को बढ़ाकर अनाथों का पालन करे। महर्षि ने अपने ग्रन्थों में उद्योग-व्यवसाय के लिए 'शिल्प' शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने वेदों में नौ विमानादि की शिल्प-विद्या अथवा तकनीकी ज्ञान एव गणित विद्या के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वतंत्र अध्याय लिख कर हमारे प्राचीन तकनीकी ज्ञान से हमें अवगत करा पुन देश की अर्थव्यवस्था को समृद्धिशाली बनाने का आह्वान किया था।

महर्षि ने अपने ग्रन्थों में प्राचीन भारतीय ज्ञान-विज्ञान को माह्यात्म्य विज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए नौविमानादि यान-निर्माण एव अन्य अणु आदि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जल अग्नि विद्युत् वायु आदि भौतिक विज्ञान की आधारभूत शक्तियों के विधिवत् प्रयोग के संकेत देकर भारतीयों को पुन अपने विज्ञान पर गौरव करना सिखलाया।

दयानन्द जी ने अपने समकालीन धनाढ्य लोगों को कल-कारखाने स्थापित करने की प्रेरणा भी दी ताकि देश आर्थिक दृष्टि से पूर्ण समृद्धिशाली बन सके।**

* उत त्वं चमत् नय त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्।

अर्चनं चतुर पुनः। (ऋग्वेद भाष्य 1894)

** विद्युदथा मरुत ऋषिमन्तोदिदो मर्याज्ञतजान् अथरः।

सरस्वती ऋषयन्वज्जिगामोधत्तारयि सहदीर तुरस ॥ (ऋ. भा. 3.54.13)

अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा-उद्योग पर काफी कुठाराघात किया। वस्त्रों का कच्चा माल-कपास आदि इंग्लैण्ड ले जाकर वहाँ मिलों द्वारा निर्मित वस्त्र भारत में बेचते थे। भारतीय माल पर ऊँचे तट कर लगाये जाते थे, जबकि इंग्लैण्ड निर्मित माल पर कम कर लगाने से वह भारत में सस्ता पड़ता था, जिससे भारतीय बुनकरों की आजीविका समाप्त हो रही थी। इस पर चिंता प्रकट करते हुए स्वामी ने भारतवासियों को यह प्रेरणा दी कि हमें सदैव स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। 18 फरवरी 1875 में महर्षि ने बम्बई में भारतीय शिल्प विज्ञान विषय पर विमान निर्माण कला पर भाषण दिया।

महर्षि प्राचीन भारत के भौतिक विज्ञान और औद्योगिक समृद्धि की प्रशंसा के साथ-साथ भारतीयों को यह भी प्रेरणा देते थे कि देश की उन्नति के लिए देशवासियों को पश्चिम के विज्ञान एवं कला-कौशल के नवीन ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में उन्होंने जर्मन निवासी डा. जी. वाईज से पत्र-व्यवहार के द्वारा यह प्रयास किया कि भारतीय युवक जर्मनी जाकर शिल्प-कौशल की शिक्षा ले तथा भारत में आकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर उन शिल्प कलाओं का देश में विस्तार करें।

महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में निम्न उद्योग व्यवसायों तथा शिल्पियों की वृत्तियों की है-⁴⁰

- (i) रथकार- रथ, यान आदि बनाने वाला,
- (ii) तक्षक- बड़ाई,
- (iii) कुम्हार, जुलाहा,
- (iv) धनुषकार- धनुष बनाने वाला,
- (v) इषुकार- बाण बनाने वाला,
- (vi) ज्याकार-धनुष की प्रत्यक्षा बनाने वाला,
- (vii) रज्जुसर्प- रस्सी बनाने वाला,
- (viii) शैलूष- नाटक करने वाला,
- (ix) मणिकार- मणियों की चीजें बनाने वाला (जौहरी)
- (x) हिरण्यकार-स्वर्णकार,
- (xi) वीणावादक-वीणा बजाने वाला,
- (xii) तणवध्म-तूण बजाने वाला
- (xiii) शखध्म- शंख बजाने वाला,
- (xiv) चरानर्ती- नट,
- (xv) कमीर- लोहार या बन्दूक, तोप आदि शस्त्र बनाने वाला
- (xvi) वस्त्र उद्योग, तथा
- (xvii) वायुयान, जहाज, नाव आदि उद्योग।

उद्योग व्यवसाय और राज्य— महर्षि दयानन्द अपने वेदभाष्यो में राज्यों को यह निर्देश देते हैं कि वह उद्योग व्यवसायों को उन्नत बनाने में अपना योगदान दें। जो शिल्पकला में निपुर्ण होते हैं उनका राजा को सत्कार करना चाहिए।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि महर्षि दयानन्द के उत्पादन सम्बन्धी विचार प्राचीन अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। वैश्य वर्ण के गुण कर्म आदि में उन्होंने कृषि पशुपालन खनिज शिल्पकला विज्ञान उद्योग—व्यवसाय को शामिल किया है। प्राचीन वर्णाश्रम को आधार मानकर महर्षि दयानन्द वैश्य को ही उत्पादन करने का अधिकार देते हैं। अन्य वर्ण उत्पादन करने—कराने में प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष सहयोग देंगे। महर्षि लघु एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे तथा शैक्षणिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ—साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी अपनाने के लिए जोर दिया।

विनिमय सम्बन्धी विचार

महर्षि दयानन्द उत्पादन कार्य के साथ विनिमय—व्यापार का कार्य भी वैश्य वर्ण का कर्तव्य मानते हैं अर्थात् जो उत्पादन विनिमय व्यापार का कार्य करते हैं वह महर्षि की दृष्टि में वैश्य हैं।

महर्षि के विनिमय सम्बन्धी विचार वेद और मनुस्मृति पर आधारित हैं। उनके विनिमय सम्बन्धी विचारों को हम निम्न बिन्दुओं में व्यवस्थित कर सकते हैं—

(i) वस्तु विनिमय को अधिक महत्त्व— महर्षि दयानन्द मुद्रा विनिमय के बजाय वस्तु—विनिमय को अधिक महत्त्व देते थे तथा राज्य को उत्पादित वस्तु पर कर मुद्रा के बजाय उत्पादित वस्तु के रूप में ही वसूलने का निर्देश राज्य को देते हैं परन्तु उन्होंने विनिमय में मुद्रा के प्रयोग का भी उदाहरण दिया है।*

(ii) विनिमय के साधन— महर्षि अपने वेदभाष्य में विनिमय के तीन साधनों का वर्णन करते हैं— (अ) विनिमय के व्यवहार शास्त्र का विधिपत्र और यथेष्ट ज्ञान (ब) तोलने का परिमाण (स) तुला (तराजू) आदि।

(iii) वस्तुओं का क्रय—विक्रय, मुद्रा नाप तौल अर्थात् विनिमय के माध्यम और साधन—महर्षि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में विनिमय के नाम तथा माप के रूप में मापी मन परोशी सेर पाव छटाक और रत्ती के चलन का उल्लेख किया है। उन्होंने प्राचीन भारत में प्रचलित सोने के सिक्कों की भी चर्चा की है। उनके अनुसार जल थल एवं आकाश में व्यापार किये बिना धन और राज्य का उपार्जन नहीं हो सकता।

(iv) ब्याज— सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में ब्याज के विषय में महर्षि लिखते हैं कि—एक सैकड़े रूपये में धार छ आठ बारह सोलह या बीस आनों से अधिक ब्याज तथा मूलधन से दुगना अर्थात् एक रूपया दिया हो तो दो रूपये से अधिक न लिया जाये और न दिया जाय।"

* वस्त्रोप विद्विगीणावहा ऽ इषगूर्ज शतक्रतो । यजु भाष्य 3 49

(v) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार— महर्षि ने अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए विदेशी व्यापार को आवश्यक माना है। उनके ही शब्दों में बिना देश-देशान्तर और दीप-द्वीपान्तर में राज्य या व्यापार किये स्वदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। जब स्वदेश में ही देशीय लोग व्यापार नहीं करते तथा विदेशी लोग स्वदेश में व्यापार या राज्य करे तो बिना दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।^{१२} इन पक्तियों में भारत पर ब्रिटिश शासन द्वारा किये जा रहे शोषण का विरोध झलकता है। उन्होंने उस समय प्रचलित इस मान्यता का भी तीव्र रूप से खण्डन किया कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट होता है। विदेशी व्यापार से देश को धन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

महर्षि के अनुसार, विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारियों को विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए तभी वे समुचित ढंग से व्यापार कर सकते हैं।^{१३}

(vi) गणित का ज्ञान— महर्षि के विचार में बिना गणित-ज्ञान के न तो उत्पादन हो सकता है और न ही विनियम व्यापार आदि। अतः उन्होंने अपने वेद भाष्यों के अकगणित एवं रेखा गणित के ज्ञान को व्यापारियों के लिए आवश्यक माना है।

(vii) विदेशी व्यापार और राज्य— महर्षि दयानन्द मनु की भाँति राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह प्रति छ माह में तराजू-बाट आदि का निरीक्षण करता रहे और यदि व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति नाप-तौल में गड़बड़ी करे तो उसे दण्ड दिया जाये।^{१४} व्यापारियों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध भी राजा को ही करना चाहिए। राजा को ऐसे मार्गों का निर्माण करवाना चाहिए जिनमें व्यापारियों को चोर, डाकूओं का कोई भय न हो।^{१५}

उपर्युक्त वर्णन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि महर्षि दयानन्द उत्पादन कर्म के साथ-साथ विनियम व्यापार आदि कार्य भी वैश्य वर्ण का ही मानते हैं। उनके विनियम सम्बन्धी विचारों का आधार वेद तथा मनुस्मृति है। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार के साधन नाप-तौल, मुद्रा, गोदाम व्यवस्था आदि को वेद-शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित करते हुए भारतीयों को यह प्रेरणा दी कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करना देश की सर्वांगीण आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

वितरण सम्बन्धी विचार

बड़े पैमाने पर उत्पादन भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस के बिना समभव नहीं है। वितरण पर ही देश की आर्थिक समृद्धि एवं उन्नति निर्भर है। उत्पादन के साधनों में उत्पादन से प्राप्त आय अथवा धन का समुचित एवं न्यायोचित वितरण महर्षि के विचारों में राज्य का कर्तव्य है महर्षि के लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ सम्बन्धी विचार इस प्रकार हैं।

(i) लगान— उनके अनुसार चावल आदि अन्नों में उत्पादन का छठवा, आठवा भाग लिया जाए। उनके इस विचार में भाग शब्द लगान का ही द्योतक है। जबकि कौटिल्य उपज का चौथा भाग (लगान) राज्य को लेने का निर्देश देता है।

(ii) वेतन या मजदूरी— महर्षि दयानन्द के अनुसार काम के आधार पर भृत्यों को मासिक वेतन देना चाहिए।¹⁴ मजदूरों को मजदूरी का नियमित भुगतान होता रहे मजदूरों का शोषण न हो इसके लिए उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व माना है। अर्थात् राजा का यह परम कर्तव्य है कि मजदूरों से जो श्रम करवाया जा रहा है उसका पूरा पारिश्रमिक उन्हें मिल रहा है या नहीं। इस विषय में कानून और नियम बनावे और यदि कोई विवाद हो तो न्यायालय में इनका निपटारा किया जावे।¹⁵

(iii) ब्याज या सूद— महर्षि उधार पर सूद लेना उचित मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश क चतुर्थ सम्मुलास में उन्होंने लिखा है कि एक सैकड़े रूपये में चार, छ आठ बारह सौतह या बीस आनों से अधिक ब्याज तथा मूलधन से दूगना अर्थात् एक रूपया दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रूपये से अधिक नहीं लिया जावे।

(iv) साहसी के लिए लाभ— महर्षि दयानन्द की दृष्टि में लाभ लेना अनुचित नहीं है। परंतु बेहिजाब लाभ के लिए श्रमिकों के लाभ का हनन करना अनुचित है। महर्षि के विचार इस रूप में क्रांतिकारी हैं कि उन्होंने व्यापारियों के लाभ पर कर लेना का राज्य को निर्देश दिया है। उन्हीं के शब्दों में राजा व्यापार करने वाले या शिल्पी (उद्योगपति) से सुवर्ण और चादी का जितना अधिक लाभ हो उसमें से पचासवाँ भाग लिया करे।¹⁶

वितरण (सविभाजन) और राज्य — महर्षि दयानन्द समुचित वितरण के लिए राज्य का कर्तव्य दर्शाते हैं। उन्हीं के शब्दों में 'हे राजा आदि मनुष्यो! जैसे सब जगत का पालन और उत्पन्न करने वाला परमात्मा अपनी दया से सब जीवों के सुख के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों की रचना कर तथा वितरण करके अभिमान नहीं करता है वैसे आप लोग भी होइये। 'वे ही जन प्रशंसा योग्य होते हैं जो सब पदार्थों को बाट कर खाते हैं।'¹⁷ इस प्रकार उनके मत में राजा को परमात्मा की तरह पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए।

वितरण और दण्ड—व्यवस्था— कौटिल्य की भांति दयानन्द भी वितरण व्यवस्था की संरचना के लिए दण्ड—व्यवस्था को अनिवार्य मानते हैं। वेदादि शास्त्रों के प्रमाण से राज्य को यह निर्देश देते हैं कि समुचित न्याय—प्रणाली और दण्ड—व्यवस्था की स्थापना किये बिना सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती।

राजस्व सम्बन्धी विचार

राजस्व में राज्य के आय—व्यय योजना अथवा बजट का अध्ययन किया जाता है। भूमि जंगल खदान आदि सम्पदा पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य उत्पादन का अधिकार वैश्य वर्ण को देता है। पशुपालन खेती उद्योग आदि के उत्पादन में राज्य का हिस्सा होता है। उद्योग व्यापार से राज्य को कर के रूप में आय प्राप्त होती है। राज्य इस आय को राज्य की व्यवस्था और प्रजा की भलाई पर खर्च कर देता है। महर्षि दयानन्द के राजस्व सम्बन्धी विचारों को हम निम्न रूप में रखकर अध्ययन कर सकते हैं।

(अ) राज्य की आय तथा (ब) राज्य का व्यय।

राज्य की आय

(1) कर (टैक्स) से आय—

(i) कर अनिवार्य अंशदान है— महर्षि कर को अनिवार्य मानते हैं, उन्हीं के शब्दों में 'प्रजाजनो की योग्यता है कि राजा को अपने समस्त पदार्थों में से यथायोग्य भाग (कर) दे। जिस कारण राज प्रजापालन के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है, इसी से राज्य करने वाला यह राजा संसार के पदार्थों का अंश लेने वाला होता है।'⁶⁰

परन्तु महर्षि कर लगाने में राजा को तानाशाही अधिकार प्रदान नहीं करते। उनके अनुसार, राजा कर लगाने से पूर्व विचार करे, जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुखरूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राज्य सभा राज्य पर कर स्थापन करे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकारा में मनुस्मृति के इस कथन का उल्लेख किया है कि जैसे जौंक, बछड़ा और भवरा थोड़े-थोड़े योग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वैसे राजा, प्रजा से थोड़ा-थोड़ा वार्षिक कर लेवे।⁶¹ महर्षि दयानंद मनु की भांति व्यापारियों से वस्तुओं की खरीद-बिक्री, उस पर लाभ और भरण-पोषण-व्यय को ध्यान में रखकर व्यापारियों पर कर लगाने का सुझाव देते हैं तथा छोटे व्यापारियों से भी राजा को थोड़ा बहुत वार्षिक कर लेने का सुझाव देते हैं।

स्वामी दयानंद कर चुकाना प्रजा का कर्तव्य मानते हैं, उनके ही शब्दों में, 'जिस प्रकार राजा, प्रजा की आय-व्यय की स्थिति देखकर कर लेता है और उसके बदले में वह उसी धन को प्रजा के परोपकार में लगा देता है, उसी प्रकार प्रजा का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह बहुत ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य समझ कर राजा को बिना कर की चोरी किये कर देवे।'⁶²

(ii) करारोपण के मापदण्ड— महर्षि दयानंद के अनुसार कर निम्न प्रकार से लगाये जाने चाहिए— व्यापार करने वाले या शिल्पी को सुवर्ण और चादी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवाँ भाग, चावल आदि अन्नो में छठा आठवाँ या बारहवाँ भाग लिया करे और जो धन लेवे तो भी उसी प्रकार से लेवे कि जिससे किसान आदि खाने-पीने और धन से रहित होकर दुख न पावे।⁶³ महर्षि ने मनु स्मृति में उल्लेखित करों के मापदण्डों के अनुसार राजा को कर लेने का सुझाव दिया है।

(iii) करारोपण के सिद्धांत— महर्षि दयानंद ने अपने ग्रन्थों में कर व्यवस्था के विषय में जो लिखा है, उसके अनुसार करारोपण के निम्न सिद्धांत स्पष्ट होते हैं—

(अ) प्रजारक्षण का सिद्धांत— महर्षि दयानंद के अनुसार राजा को राजकीय कोष के लिए प्रजा से उतना ही धन लेना चाहिए जितना कि वह उनकी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है जो राजा प्रजा की बिना रक्षा किये उनसे छटा भाग अन्नादि कर, टेक्स महसूल चुगी जुर्माना ग्रहण करता है वह शीघ्र ही दुख को प्राप्त होता है।

(ब) लाभ पर कर लगाने का सिद्धांत— महर्षि दयानन्द ने मनु के कशरोपण के इस विचार का समर्थन किया कि किसी व्यवसाय अथवा आय प्राप्त करने के लिए अन्य कार्यों में जो पूँजी लगायी जाती है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए बल्कि मार्ग व्यय सुरक्षा व्यय भरण—पोषण व्यय अर्थात् लाभ—हानि को देखकर कर लगाना चाहिए।

(ग) वाछनीयता का सिद्धांत — महर्षि दयानन्द के अनुसार राजा को जनता से उतना ही कर लेना चाहिए जितना उसके शासन को चलाने हेतु आवश्यक हो।¹⁴

(द) भुगतान सामर्थ्य सिद्धांत या अधिक कर निषेध— महर्षि दयानन्द के विचार में प्रजा पर उसकी सामर्थ्य से अधिक कर नहीं लगाना चाहिए। राजा को ऐसी कर—नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे राजा तथा प्रजा का मूलोच्छेद न हो वरन् कल्याण हो।

(iv) ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गये अनुचित करों का विरोध— स्वामी दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश में भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाये गये नमक कर तथा गरीब मजदूरों द्वारा जंगल में लाने वाले ईंधन और घास आदि पर कर का विरोध किया है। उनके ही शब्दों में एक तो यह बात है कि नोन और पौन राटी (नमक और गरीब मजदूरों द्वारा जंगल से लाने वाले ईंधन और घास) से जो कर लिया जाता है मुझको अच्छा मालूम नहीं देता क्योंकि नोन बिना दरिद्र का निर्वाह नहीं किन्तु सबको नोन आवश्यक होता है और वे मेहनत मजदूरी से जैसे—जैसे निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी यह नोन पर कर दण्ड तुल्य होता है। इससे दरिद्रों को बलेश पहुँचता है। अतः कर लवणादि के ऊपर नहीं होना चाहिए। पौन राटी से भी गरीबों को बहुत बलेश पहुँचता है अतः गरीब लोग घास छेदन करके ले जाए या लकड़ी का भार ले जाए तो उनके ऊपर कौड़ियों के लगने से उनको अवश्य बलेश होता होगा।¹⁵

(2) शुल्क से प्राप्त आय

महर्षि दयानन्द के अनुसार समुद्र खाड़ी और छोटी—बड़ी नदियों में जहाज नाव आदि से यात्रा करने पर मार्ग की लम्बाई इत्यादि को ध्यान में रखते हुए कर—शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए।¹⁶ उन्होंने मनु के इस विचार को उचित माना है कि चुगी के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाले असमय में अर्थात् रात आदि में गुप्त रूप से सामान खरीदने व बेचने वाले भाप—तौल में गडबडी करने वाले से मूल्य के अठ गुने के दण्ड से दण्डित किया जाये। राजा लाभ का वीसवा भाग कर (शुल्क) के रूप में वसूल करे तथा जिन वस्तुओं का निर्यात राजा ने बंद कर दिया है यदि उन वस्तुओं को चोरी छिपे व्यापारी देश से बाहर ले जाता है तो ऐसे व्यापारियों का राजा सर्वस्य हरण कर ले। राजा को प्रत्येक वस्तु के विक्रय की दर आने—जाने का व्यय स्थान आदि विषयों का विचार कर विक्रय की दर निश्चित करनी चाहिए।¹⁷

(3) आर्थिक दण्डों से प्राप्त आय

स्वामी दयानंद पद और हैसियत को देखकर दण्ड देने के समर्थक थे। उन्होंने झूठी साक्षी देने पर होने वाले दण्ड का विवेचन किया है। उन्हीं के शब्दों में "जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो तो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दण्ड होना चाहिए। जैसा अनपढ़ पर एक पैसा तो अति शिक्षित पर सौ या एक सौ अठ्ठाईस गुण अर्थात् 128 पैसा दण्ड दिया जाना चाहिए।" महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में 18 प्रकार के वाद (मुकदमों) बताये हैं। इन्हीं मुकदमों पर न्यायालय में लगने वाले न्याय शुल्क एवं निर्णयार्थ किये गये आर्थिक दण्डों से राज्य को जो आय प्राप्त होती है उसे 'दण्ड कर' या दण्डों से प्राप्त आय कहा जाता है। ये 18 वाद इस प्रकार से हैं— (1) ऋणदान— किसी के ऋण लेने से विवाद (2) धरोहर— अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ रखा हो और मागने पर न देना। (3) अस्वामी विक्रय— दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच दे। (4) मिलकर किसी पर अत्याचार करना (5) दिए हुए पदार्थ को वापिस न देना (6) किसी के वेतन या नौकरी में से लेना या कम देना (7) लेन-देन में झगडा होना (8) प्रतिज्ञा के विलुद्ध वर्तना (9) पशु के स्वामी और पालने वाले का झगडा (10) सीमा विवाद (11) किसी को कठोर दण्ड देना (12) कठोर वाणी बोलना (13) चोरी—डाका डालना (14) किसी काम को बलात्कार से करना (15) किसी की स्त्री या पुरुष का व्यभिचारी होना (16) स्त्री-पुरुष के धर्म में व्यक्तिक्रम होना (17) दायनाग में विवाद उठाना (18) दूत या जुआ में चेतन पदार्थ को दौंव पर लगा कर खेलना।

(4) युद्ध से प्राप्त धन

महर्षि के अनुसार युद्ध में जीते हुए सभी धन और पदार्थ के 16 वे भाग पर राजा का अधिकार है। शेष धन और सामान सैनिक एवं अन्य युद्ध से सम्बन्धित लोगों में वितरित कर देना चाहिए।

राज्य का व्यय

(1) शासन प्रबंध सम्बन्धी व्यय—

महर्षि दयानंद राजपरिवार, राजकीय और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा दासों के वेतन आदि पर निम्न व्यय का अपने ग्रन्थों में वर्णन करते हैं।

(i) राज्य कर्मचारियों को उनके परिवार का भली-भाँति जीवन-निर्वाह हेतु उतना वेतन नकद धन या भूमि के रूप में मासिक या वार्षिक मिलना चाहिए।

(ii) सेवानिवृत्त के बाद पेंशन के रूप में आधा वेतन मिलना चाहिए।

(iii) मरने के बाद उसकी पत्नी एवं बच्चों को आधा वेतन मिलना चाहिए।

(iv) यदि उसके बच्चे समर्थ हो गये हो तो राज्य को उसके पिता के स्थान पर नौकरी देनी चाहिए।

(v) युद्ध में मरने वाले सैनिकों की विधवाओं को जीवन-भर पूरा वेतन पेंशन के रूप में मिलना चाहिए।

(vi) यदि उनके पुत्र समर्थ हो गये हों तो उन्हें भी राज्य की सेना में नौकरी मिलनी चाहिए तथा मृत सैनिकों की पत्नियों को जब आधा वेतन मिलना चाहिए।

(vii) यदि किसी नौकर ने 30 वर्ष तक नौकरी कर ली हो तो उसको जीवन-पर्यन्त आधा वेतन मिलना चाहिए।

(viii) मृतक कर्मचारी के यदि स्त्री-पुत्र कुकर्मों हो या धन का दुरुपयोग हो तो राजा को चाहिए कि वह उनको धन देना बंद कर दे।

(ix) राजा सदैव यह ध्यान रखे कि जितना मासिक वेतन दिया जाता है उतना मृत्यु (नौकर) ने कार्य किया है या नहीं।

इस प्रकार दयानन्द के उपर्युक्त विचार आज की सरकारों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए मार्ग-दर्शन है।

(2) राज्य के मुखिया या राजा के वेतन पर व्यय

स्वामी दयानन्द के अनुसार राज अपना एव अपने कुटुम्ब का नित्य नैमित्तिक व्यय नियम पूर्वक करे। महर्षि राज्य को राजा की निजी सम्पत्ति नहीं मानते थे वरन् वेतन लेकर राजा राज्य के सर्वोच्च पद पर रह सकता है। उनका स्पष्ट मत था कि राज के वेतन आदि पर राज्य की कुल आय का 20% तक धन व्यय किया जाये।¹⁴

(3) सैनिक व्यवस्था पर व्यय

महर्षि दयानन्द ने उदयपुर के महाराजा सज्जनसिंह को पत्र लिखा था कि आपको सेना अर्थात् राज्य की सुरक्षा पर पर्याप्त खर्च की व्यवस्था करना चाहिए। आप राज्य का जो बजट बनाये तो उसमें दो लाख रुपये वहाँ के क्षेत्रीय सरदारों से तथा एक लाख पच्चीस हजार रुपये राज्य के कोष से लेकर क्षत्रिशाला की स्थापना शीघ्र कीजिए। युद्ध में मरे सैनिकों को पेंशन देते।¹⁵

(4) प्रजा की भलाई पर व्यय

स्वामी दयानन्द के अनुसार राज्य प्रजा की भलाई के लिए राजा निम्नलिखित मदों में कुल आय का 10% धन व्यय करे।

(i) वेद-विद्या धर्म प्रचार विद्यार्थी असमर्थ और अनाथों के पालन में राज्य धन व्यय करे।

(ii) विद्वान अनुसंधानकर्ता लेखक कवि आचार्य एव विद्यावान् होनहार छात्रों के सहयोग एव सत्कार पर राजा धन लगावे।

(iii) प्रजा को पुत्र मानकर अपने राज्य के कोष की एक अच्छी राशि उनके पालन-पोषण एव शिक्षा-प्रसार पर व्यय करे।

(5) राज्य के बजट में धर्मप्रचार की व्यवस्था

प्राचीन काल में राज्य धर्मनिरपेक्ष न होकर धर्मसापेक्ष हुआ करते थे। स्वामी दयानंद ने उदयपुर के महाराज सज्जनसिंह को पत्र लिखा कि 'राज्य की आय में से दशश (कुल आय का 10%) धर्मादि के लिए नियत रखे। उससे धर्म एवं सुशिक्षा के प्रचार के लिए उपदेशक और अध्यापक नियुक्त करें। आपत्तिकाल में अनाथों का भरण-पोषण करें।' इस विषय में झालावाड़ के महाराजा को उन्होंने जो पत्र लिखा उसके अंश इस प्रकार हैं—धर्म प्रचार, गाय, आदि पशुओं की रक्षा, शास्त्रीय तथा पठनीय ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए छापाखाना आदि की स्थापना तथा छात्रशाला (शस्त्र विद्या सिखाने के लिए) आदि के निर्माण के लिए राज्य धन व्यय किया जाए।^७

राजा कर लेने के बदले प्रजा का पालन करे—महर्षि लिखते हैं कि 'यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्षा न करे और प्रजा से कर लेवे तो जैसे-जैसे प्रजा नष्ट हो वैसे-वैसे राजा नष्ट होता है।' अतः डाकू, चोर, कपटी अन्यायी एवं हानिकारक और हिंसक पशुओं से राजा प्रजा की रक्षा करे। प्रजा की भलाई और भरण-पोषण के लिए कर लिया जाय—महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदमाध्यम् भूमिका में लिखा है कि प्रजा की भलाई करके ही राजा को कर लेना चाहिए। जैसे अग्नि में होम किया द्रव्य तेज के साथ ही सूर्य को प्राप्त होता है और सूर्य जलादि को आकर्षित कर वर्षा करके सबकी रक्षा करता है, वैसे ही राजा, प्रजा से कर ले और दुर्भिक्ष व अन्य आपत्तिकाल में प्रजा के पालन-पोषण के लिए व्यय कर दे।^८ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि, 'राजपुरुष हम से जो कर लेते हैं, वे हमारी निरंतर रक्षा करे अन्यथा कर नहीं लेवे। अतः प्रजा की रक्षा और शत्रु से युद्ध (देश की रक्षा) करने के लिए कर दिया जाता है राजा के भोग विलास के लिए नहीं।^९ प्रजा की भलाई के लिए किये जाने वाले व्ययों में सबसे अधिक महत्त्व महर्षि ने प्रजा की स्वास्थ्य रक्षा, अनाथ, वृद्धों और रोगियों के पालन करने एवं किसान मजदूरों की उन्नति करने पर दिया है। उन्होंने किसानों को राजाओं का राजा तक कहा है।^{१०}

महर्षि दयानंद के उपर्युक्त विचारों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वे व्यक्ति की वैयक्तिक एवं सामाजिक आर्थिक उन्नति करने का मूल दायित्व राज्य का मानते हैं। यदि कोई राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं है तो महर्षि की दृष्टि में यह राज्य-व्यवस्था का दोष है। इसलिए उन्होंने राज्य का आय-व्यय (बजट) इस दृष्टि से निर्मित करने का सुझाव दिया जिससे राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न तो हो ही, साथ ही प्रजा भी खुशहाल हो। प्रजा जिस सीमा तक सम्पन्न होगी, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही सम्पन्न होगी।

महर्षि दयानंद ने अपने राजस्व सम्बन्धी विचारों की क्रियान्विति के लिए राष्ट्र के देशी राजाओं के राज्य को अंग्रेजों के राज्य के मुकाबले पर धर्मराज्य अर्थात् कल्याणकारी राज्य बनाने का भी पूरा प्रयास किया था।

आर्थिक समूह या अर्थव्यवस्था की संरचना सम्बन्धी विचार

1 वर्ण व्यवस्था द्वारा अर्थव्यवस्था की संरचना— गृहर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित समाज की वर्ण-व्यवस्था एक मूल आधार व्यवस्था है। उनके अनुसार जहाँ वर्ण-व्यवस्था समाज को सामाजिक दृष्टिकोण से समूहित करती है वहाँ यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण से भी समूहित करती है। इसलिए आदर्श अर्थव्यवस्था की संरचना वर्ण-व्यवस्था की स्थापना के बिना नहीं हो सकती। उनके विचार में समाज में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वे उन कार्यों को आपस में बाँट ले अर्थात् सब अपने-अपने गुण वर्म और स्वभाव के अनुसार अलग-अलग काम चुन ले तो समाज में समूहित रूप से प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी अर्थात् वर्ण-व्यवस्था से प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार हो सकती है।¹

2 प्राथमिक एवं गौण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य— गृहर्षि के अनुसार वर्णों को अपने-अपने अधिकार एवं कर्तव्यों में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्यज्जनों का काम है। राजा का यह दायित्व है कि वह उत्पादन विनिमय और वितरण की ऐसी संरचना करे कि बिना किसी अशुद्धि के सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ प्राप्त होती रहे। अर्थव्यवस्था में सबको उपभोग के पूरे साधन मिले कोई भूखा नहीं रहे। उपभोग में अधिक असमानता नहीं रहे जो उपभोग हो वह स्वदेशी हो अर्थात् सभी उपभोग्य पदार्थ स्वदेश में उत्पन्न किये गये हों। गृहर्षि व्यक्ति को उपभोग के बारे में पूरी स्वतंत्रता देते हैं परन्तु धर्म मर्यादाओं और आचरण-संहिता का अद्युश सदैव साथ रखते हैं। इस प्रकार गृहर्षि दयानन्द की दृष्टि में राज्य का यह उत्तरदायित्व बनता है कि यह यह देखे और व्यवस्था करे कि उसकी प्रजा को आवश्यकता और योग्यतानुसार उपभोग्य पदार्थ प्राप्त हों रहे हैं या नहीं।²

स्वामी दयानन्द की अर्थव्यवस्था की संरचना में उत्पादन करने का हर किसी को अधिकार नहीं है। यद्यपि उत्पादन में सहभागी सभी रहेंगे परन्तु उत्पादन करने का अधिकार वैश्य वर्ण को ही है। उत्पादन व्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है।

स्वामी जी औद्योगिकरण के विरोधी नहीं थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर उनके प्रियशिष्य एवं क्रांतिकारियों के पितामह श्यामजीकृष्ण वर्मा सन् 1889 में राजस्थान में व्यावर में सबसे पहली कपड़ा मिल के प्रबंधक बने थे। परन्तु वे बड़े-बड़े उद्योग लगाने के पक्षधर उत्तरे अधिक नहीं थे जितने बुटीर उद्योग लगाने के पक्ष में थे।

देश की अर्थव्यवस्था में किन्-किन् वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए किन्-किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होना चाहिए यह सब राज्य की व्यवस्था से नियोजित होना चाहिए। कोई भी उत्पादन अनियंत्रित एवं अनियोजित नहीं होना चाहिए। किसानों एवं मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए।

व्यापार-विनिमय पर भी वे राज्य का नियंत्रण मानते थे। विनिमय साधना एवं

माध्यमों की जाँच समय-समय पर राजा को करते रहना चाहिए। उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने का दायित्व भी राजा का होता है अर्थात् राज्य का सम्पूर्ण बाजार व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यातायात साधनों की व्यवस्था भी राज्य ही करता है। वितरण-व्यवस्था की संरचना का दायित्व भी उन्होंने राज्य का ही माना है। वितरण-व्यवस्था की सफलता दण्ड-व्यवस्था पर आधारित है। उनके मत में सबसे बड़ी पवित्रता अर्थ की पवित्रता है और अर्थ की पवित्रता को उत्पन्न करने का साधन समुचित दण्ड-व्यवस्था है।

महर्षि द्वारा प्रतिपादित राज्य और अर्थव्यवस्था में आज की तरह फिजूलखर्ची तथा भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं है। अतः उन्होंने राजा का सबसे बड़ा गुण धन के कोषों को पूर्ण करने वाला बताया है। राज अपने और अपने कर्मचारियों के भरण-पोषण के आवश्यक धन में से आवश्यक भाग लेकर सम्पूर्ण धन को प्रजा की भलाई पर लगाना चाहिए।¹⁰

(3) मनुष्य के आर्थिक कल्याण के बाधक तत्त्व— महर्षि मानव कल्याण में तीन तत्त्वों— अज्ञान अभाव तथा अन्याय को प्रमुख बाधक तत्त्व माना है। साधारण प्रजा को आवश्यक पदार्थ इसलिए नहीं मिल सकता कि उन्हें वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय एवं वितरण का ज्ञान नहीं होता (अज्ञानता)। दूसरा यह हो कि इन पदार्थों को उत्पादित करने का ज्ञान तो है परन्तु कोई उत्पादन नहीं करता (अभाव)। तीसरा कारण यह है कि उत्पादन करने का ज्ञान है उत्पादन भी पूरा होता है परन्तु कोई अन्याय एवं जोर जबरदस्ती से वस्तुएँ छीन ले जाता है अथवा सारे पदार्थों का स्वामी स्वयं ही बन जाता है। इसलिए सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था की संरचना के लिए एक अच्छे राज्य को सदैव इन शत्रुओं पर नियंत्रण करते रहना चाहिए।

(4) वर्णों के व्रत— स्वामी दयानंद के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर हुई है कि वह अज्ञान अभाव और अन्याय को नहीं रहने दे। अज्ञान को मिटाने का व्रत ब्राह्मण (ज्ञान का आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति) का है। अभाव को मिटाने का व्रत वैश्य (पशुपालन खेती उद्योग और व्यापार से उत्पादन करने वाला व्यक्ति) का है। अन्याय को मिटाने का व्रत क्षत्रिय (सुरक्षा करने वाला व्यक्ति) का है और इन तीनों वर्णों को सहयोग करने का व्रत शूद्र (शारीरिक श्रम करने वाले) का है।¹⁰

(5) वर्णाश्रम-व्यवस्था के आर्थिक पक्ष के मौलिक तत्त्व— वर्णाश्रम-व्यवस्था के तीन मौलिक तत्त्व हैं— (i) कौशल (ii) शक्ति—प्रतिमान तथा (iii) यथायोग्य दक्षिणा।

(i) कौशल—कोई भी व्यक्ति सब प्रकार के कार्यों में दक्ष नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बुद्धि और शक्ति सीमित होती है। अतः व्यक्ति को किसी एक काम में ही दक्षता या पारंगतता प्राप्त करना चाहिए। आश्रम व्यवस्था इस दक्षता या कौशलता को प्राप्त करवाती है। आश्रम-व्यवस्था 25 वर्ष तक अज्ञान अन्याय और अभाव में किसी एक धारा

को पृथक-पृथक गुरुकुल में अध्ययन करवाकर पूर्ण कौशल प्राप्त करवाती है। समाज के सभी ब्राह्मण मिलकर सम्पूर्ण प्रकार के अज्ञान को क्षत्रिय मिलकर सम्पूर्ण अन्याय को और सभी वैश्य मिलकर सम्पूर्ण प्रगकार के अभाव को मिटा देंगे। इस प्रकार वर्णों के अलग-अलग कौशल मिलकर समाज अथवा राष्ट्र का सम्पूर्ण अज्ञान अन्याय एवं अभाव को मिटाने में सफल होंगे।

(ii) शक्ति- प्रतिमान- समाज के वर्ण-व्यवस्था के अनुसार गठित होने से सब वर्ण अपने-अपने निर्धारित गुण कर्मादि के अनुसार शक्ति प्राप्त करते हैं। महर्षि के अनुसार ब्राह्मण को अधिक सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वह अज्ञान मिटाता है और अज्ञान सब समस्याओं का मूल है। क्षत्रिय को राज्य-शक्ति प्राप्त होगी क्योंकि अन्याय बिना दण्ड-व्यवस्था के नहीं मिट सकता। वैश्य के पास धन-सम्पत्ति रखने का अधिकार अन्य वर्णों से अधिक होगा क्योंकि उसका कार्य ही धन सम्पत्ति का उत्पादन करना और विनिमय-व्यापार के द्वारा उसे वितरित करना होगा। शेष वर्णों के पास भी धन होगा किन्तु भरण-पोषण के लिए। वे उससे आपत्तिकाल के अलावा उत्पादन कार्य नहीं कर सकेंगे।

सक्षेप में वर्णाश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत सब वर्णाश्रमियों की अपनी-अपनी सतुलित शक्ति की सीमा होगी। सब अपने-अपने निर्धारित कार्य करेंगे और राजा इनको अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों में प्रवृत्त रखेंगे।

(iii) यथायोग्य दक्षिणा- महर्षि के अनुसार सभी वर्णों के लोगों को वेतन या पारिश्रमिक से इतना धन तो मिलेगा ही कि उससे उपभोग्य वस्तुएं खरीद सकें। परन्तु सभी वर्णों के लोगों को अपने काम की यथा-योग्य दक्षिणा भी मिलनी चाहिए। ब्राह्मण की दक्षिणा है - उपभोग्य साधनों के अलावा समाज में पद एवं प्रतिष्ठा मिलना। क्षत्रिय की दक्षिणा है उसी उपभोग साधनों के अलावा शासन सत्ता का अधिकार मिलना। वैश्य की दक्षिणा है उसी उसकी सेवा के बदले और वर्णों से धन सम्पत्ति अधिक मिलनी चाहिए। शूद्र की दक्षिणा है भरपूर उपभोग के साधन मिलना तथा यथायोग्य सम्मान प्राप्त होना। इस प्रकार सभी वर्ण सतुष्ट रहेंगे और उत्साहपूर्वक अपनी सेवाओं से समाज को धन सुरक्षा धन और श्रम की प्राप्ति कराते रहेंगे।

(6) आश्रम-व्यवस्था का आर्थिक पक्ष- आश्रम-व्यवस्था में सब वर्णों के लोगों का व्यक्तिगत जीवन 25-25 वर्षों में विभाजित रहता है। ब्रह्मचारी 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रहकर किसी वर्ण के कार्य में कौशल प्राप्त करेगा। उसके भरण-पोषण की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बनेगा तभी उसे धन-सम्पत्ति कमाने अथवा देना दक्षिणा लेकर अपने वर्णानुसार कार्य करने का अधिकार होगा। वानप्रस्थ में धन कमाना छोड़कर तप का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा समाज की निःशुल्क सेवा करेगा। इसमें आर्थिक लाभ यह होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में

वानप्रस्थी जो रिक्त स्थान छोड़ेगे उन पर युवाओं को कार्य करने का अवसर मिलेगा और बेरोजगारी का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। सन्धास में तो व्यक्ति में धन, स्थान या व्यक्ति विशेष से कोई मोह-ममता ही पैदा नहीं होगी।”

(7) सम्पत्ति का स्वामित्व — सम्पत्ति का स्वामित्व समयानुसार बदलता रहता है। वैदिक काल में सम्पत्ति पर सम्पूर्ण समाज का स्वामित्व रहा है और राजा उसका सशक्त तथा व्यवस्थापक मात्र होता था। परन्तु धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन के साथ-साथ इस मान्यता में भी परिवर्तन हुआ और मध्यकाल में राजा अथवा शासक ही अपने को राज्य की सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी मानने लग गये। इसके बाद सम्पत्ति के दो भाग हो गये। बहुश भाग का स्वामी राज्य और कुछ भाग के स्वामी वैयक्तिक रूप से पृथक-पृथक किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं मानते थे अपितु उनकी दृष्टि में सम्पत्ति सबके साझे की अर्थात् सम्पत्ति अथवा उत्पादन के साधनों पर सामूहिक रूप से सबका अधिकार है। वर्ण-व्यवस्था में सम्पत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व किसी भी स्थिति में सिद्ध नहीं हो सकता। महर्षि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर जन्म के अनुसार अधिकार के घोर विरोधी थे। फिर भी उनकी व्यवस्था में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश काल और परिस्थिति को देखकर सम्पत्ति में स्वामित्व में परिवर्तन कर सकता है। उनके अनुसार सम्पत्ति पर जन्म से अधिकार (स्वामित्व) न होकर गुण, कर्म आदि के अनुसार होता है सम्पत्ति पर अधिकार दिया जाता है, जबरन किया नहीं जाता। अधिकार देता है समाज। अतः सम्पत्ति पर मूलतः अधिकार समाज का होता है। सम्पत्ति पर किसी एक के अधिकार को वे नहीं मानते। महर्षि जन्म के अनुसार सम्पत्ति पर अधिकार नहीं मानते। सम्पत्ति अथवा उत्पादन पर राज्य का भाग नियत होता है। उसका अनुपात भी राजा ही निर्धारित करता है। महर्षि दयानन्द ने मनु के इन विचारों का समर्थन किया है कि सोना, चादी, पशु, पक्षी, लघु वन-उपज तथा कुटीर उद्योगों पर भी राज्य का भाग लेने का विधान है। यही नहीं गोद, पत्ते, शाक, घास, चमड़ा, पत्थर, बास, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, इत्र, तेल, फूल, फल, दूध, घी आदि पर षड् (छठा) भाग कर ग्रहण करने का भी विधान है। चाहे राज्य कितना ही सम्पन्न हो उसे व्यापारियों से थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। परन्तु महर्षि के मत में राजा भी वेतन भोगी व्यक्ति है। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है वह वेतन के रूप में एक निश्चित राशि का ही अधिकारी होता है। परिवार में एकत्रित सामूहिक सम्पत्ति का स्वामी एक व्यक्ति न होकर पूरा परिवार होता है।

(8) उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व— महर्षि दयानन्द के अनुसार हर व्यक्ति को उत्पादन करने अथवा व्यापार कर लाभ कमाने का अधिकार नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रम का विधान किया गया है। उन्होंने समाज के चारों वर्णों में से अर्थोत्पादन का दायित्व वैश्य वर्ग को दिया है। राज्य की ओर से उत्पादन के साधन वैश्य वर्ण को उपलब्ध करवाये जाते हैं, वह उनको प्रयोग में ले

सकता है बेच नहीं सकता है। वैश्य के उत्पादन से पूँजी और पारिवारिक खर्च निकाल कर शेष भाग पर से राज्य का भाग निकाला जायेगा। शेष का स्वामित्व वैश्य का होगा। वैश्य अपने धन से उत्पादन के साधन खरीद सकता है और उत्पादन पर सरकार को कर देकर उत्पादन के साधनों का स्वामी बना रह सकता है और उस साधन को अपने पुत्रों के दागभाग में दे सकता है। परन्तु वह अपने धन को अपने योग्य पुत्रों को ही दे। यदि पुत्र अयोग्य हुए तो उन्हें केवल भोजन वस्त्र आदि सामान्य उपभोग के साधन ही प्राप्त हो सकेंगे।

(9) अर्थ पर धर्म का नियंत्रण— महर्षि द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था में अर्थ पर धर्म का नियंत्रण होता है। अर्थात् इसे हम धर्म सापेक्ष अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। महर्षि के शब्दों में अर्थ वह है जो धर्म से प्राप्त किया जाए।⁷⁴ धर्म से ही पदार्थों का संचय करना चाहिए। धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उत्पन्न धन को ही वास्तविक धन माना जाए।⁷⁵

(10) विकेन्द्रीकरण— महर्षि दयानन्द ने सत्ता और सम्पत्ति अर्थात् राज्य-व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है। ग्राम से लगाकर सम्पूर्ण विश्व तक की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का विधान महर्षि ने किया है। समाज अथवा राष्ट्र की छोटी इकाई गांव होती है जो अपना जनपद बनाएगी। जनपद के संचालन के लिए सभी मिलकर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। यही जनपद अपने सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चलायेंगे और सारे जनपद मिलकर राष्ट्र कहलायेंगे।⁷⁶

(11) समुचित शिक्षा-व्यवस्था— महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था की सफलता का मूल शिक्षण-व्यवस्था है। समानता का वातावरण समान शिक्षा से ही निर्माण होगा। इसलिए उन्होंने पाठशालाओं में सब छात्रों के लिए खान-पान वस्त्र आदि की समान व्यवस्था की है। अमीर-गरीब ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

महर्षि ने अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए धार्मिक और चारित्रिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा अर्थात् आर्थिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तथा शिक्षा को अनिवार्य करने पर जोर दिया है।⁷⁶

(12) आधारभूत असमानता— महर्षि दयानन्द के अनुसार सभी मनुष्य गुण योग्यता श्रम बुद्धि स्वभाव एव रूचि आदि में समान नहीं हो सकते। अतः धन अथवा साधनों के वितरण में भी समानता नहीं हो सकती। पर प्राथमिक आवश्यकताएँ (अन्न जल मकान आदि) सबकी पूर्ण होनी चाहिए। ये साम्यवाद की तरह सबका बराबर अधिकार नहीं मानते।

(13) भाग्यवाद के स्थान पर पुरुषार्थ को महत्त्व—महर्षि दयानन्द इस मान्यता का स्पष्ट शब्दों में खण्डन करते हैं कि सम्पत्ति भाग्य (अथवा पूर्व जन्मों में संचित कर्मों) के फलस्वरूप मिलती है इसलिए सम्पत्ति पर जन्म से वैयक्तिक स्वामित्व होना चाहिए। इस विचार का दयानन्द द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं

है। वे भाग्य पर विश्वास न कर पुरुषार्थ को मानते हैं, क्योंकि सचित कर्म (भाग्य) भी पुरुषार्थ से ही एकत्र होते हैं। अतः सम्पत्ति प्राप्त करने में मुख्य भूमिका पुरुषार्थ की रहती है, भाग्य की नहीं।

महर्षि दयानंद की अर्थव्यवस्था अथवा वर्णाश्रम-व्यवस्था सम्बन्धी प्रमुख बातें

(1) मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति— दयानंद द्वारा प्रतिपादित अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। राजा का यह कर्तव्य है कि वह सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे।¹⁷

(2) पशुधन को उचित महत्त्व— महर्षि दयानंद ने गो आदि पशुओं को बहुत महत्त्व दिया है। मनुष्यों का खान-पान, खेती आदि पशुओं पर निर्भर है अतः राजा का यह दायित्व होगा कि वह राज्य में पशुओं की वृद्धि करने के लिए स्वयं पशुपालन करे एवं प्रजा से भी पशुपालन करवाये।¹⁸

(3) मानव की तीन मुख्य प्रवृत्तियों का विकास— महर्षि की अर्थव्यवस्था में मनुष्य की तीन प्रवृत्तियों का विकास होता है जिससे अर्थव्यवस्था सतुलित होती है। (i) परस्पर प्रेम करना—शरीर के अगो की भाँति सब वर्णों में छोटे-बड़े की कोई भावना नहीं होती। सबका अपने-अपने स्थान पर महत्त्व होता है। सबको मित्र की दृष्टि से देखा जाता है।* सब साथ-साथ चले, साथ-साथ बोले। सबका खानपान एक हो। सब एक दूसरे के हितैषी और रक्षक हो, प्रेमपूर्वक रहा करे। (ii) दान करने की भावना को जाग्रत करना—दान की प्रवृत्ति विकसित होने का एक बड़ा लाभ यह होगा कि आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं होगा, जिससे शोषण एवं आर्थिक विषमता नहीं पनपेगी। (iii) धन को अधिक महत्त्व न देने की प्रवृत्ति का उत्पन्न होना— वर्णाश्रम व्यवस्था गुण तथा कर्म के अनुसार होने से धन को एकत्र करने की प्रवृत्ति नियंत्रित होकर त्याग की प्रवृत्ति विकसित होनी है, क्योंकि दर्प बदलते रहते हैं।

(4) भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद में समन्वय—पूँजीवादी, समाजवादी एवं साम्यवादी आदि सभी अर्थव्यवस्थाएँ केवल भौतिकवाद पर आधारित हैं। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का उद्देश्य मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। परन्तु दयानंद की व्यवस्था में भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय कर सब मनुष्यों की शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति पर बल देती है।

(5) भोग और त्याग में समन्वय— दयानंद के अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विचारों में त्यागपूर्वक भोगने का प्रमुख सिद्धांत है।**

* दृष्टेऽहम् नित्यं मा चक्षुषा सर्वानि भूतानि सीमीशतम।

मित्रस्याऽहं चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीशं। मित्रस्य चक्षुषा समीशा महे। यजुर्वेद भाष्य 36 18

** त्वेन व्यक्तोऽन भुजीथा— यजुः भाष्य 40 1

सम्पत्ति पर सभी का अधिकार होने से सभी उसके भोग (उपभोग)के अधिकारी है। तथा जीवन का तीन चौथाई हिस्सा (ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा सन्यास) तप त्याग पर ही व्यतीत होते है।

(6) पूँजीवाद एव समाजवाद के दोषों की समाप्ति— पूँजीवाद मे उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अनियंत्रित अधिकार अनियंत्रित आर्थिक स्वतंत्रता असमानता विषमता व्यक्ति प्रमुख तथा समाज का गौण होना विलासी वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना परोपजीविका आदि दोष पाये जाते है। समाजवाद मे राज्य का सर्वसर्वा होना व्यक्ति को केवल श्रम करने वाली मशीन बना देना मनुष्य के जीवन को भौतिकवादी बनाना धर्म को न मानना योग्यता-अयोग्यता का मापदण्ड समाप्त होना नौकरशाही हावी होना इत्यादि दोष पाये जाते है।

महर्षि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित समाज राज्य और उसके आर्थिक संगठन मे व्यक्ति समाज एव राष्ट्र मे पूर्णत समन्वय होता है। उन्होने जन्म के अधिकार को न मानकर गुण एव कर्म के अधिकार को प्रमुखता दी है। महर्षि का मानना है कि सभी मनुष्य गुण योग्यता श्रम स्वभाव एव रुचि मे समान नहीं हो सकते अत धन और साधनों का वितरण भी समान नहीं हो सकता अर्थात् समाजवाद की तरह सबका सम्पत्ति पर समान अधिकार नहीं हो सकता। फिर भी समानता महर्षि की व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। समानता का तात्पर्य है—सब मनुष्यों को बिना किसी अमीर-गरीब छोटे-बड़े ऊँच-नीच के भेदभाव के समान शिक्षा देना समान अवसर देना अर्थात् सबके लिए समान रूप से उन्नति के द्वार खोलना।

इस प्रकार दयानन्द के अर्थव्यवस्था के विचारों मे सभी मनुष्यों को एक कुटुम्ब माना गया है और उनकी शारीरिक आत्मिक आर्थिक धार्मिक और सामाजिक उन्नति करना प्रमुख लक्ष्य है। इनके विचारों मे यद्यपि व्यक्ति को समाज की एक इकाई माना गया है और व्यक्ति को सब प्रकार की स्वतंत्रता दी गयी है परन्तु समाज के महत्व को भी प्रमुखता दी गयी है।

आर्थिक समस्याएँ एव महर्षि के विचारों से उनका निदान

समाज एव राष्ट्र के आर्थिक विकास मे जब उत्पन्न होने वाली बाधाएँ स्थायी हो जाती है तो वे आर्थिक समस्याओं का रूप ले लेती है। महर्षि के समय आर्थिक समस्याओं के प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे—

(i) राजनीतिक कारण — उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था और ब्रिटिश सरकार की नीति भारत का आर्थिक शोषण करने वाली थी।

(ii) आर्थिक कारण — देश मे उत्पादन की कमी उत्पादन तथा रोजगार का स्तर नीचा होने के कारण बचते कम होती हैं तथा उपभोग का स्तर भी नीचा है। बेकारी का स्तर बढ़ रहा है। अकाल सूखा यातायात के साधनों का अभाव आर्थिक पिछड़ापन आदि आर्थिक कारणों से आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

(iii) सामाजिक एवं धार्मिक कारण—भाग्यवाद, धर्मभीरुता, मूर्तिपूजा, मोक्ष और परलोक की चिन्ता, जातिवाद, मृत्युमोज, बालविवाह, दहेज आदि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कारण हैं जो आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं साक्षरता का स्तर भी देश में बहुत निम्न है।

देश की प्रमुख आर्थिक समस्याएँ एवं उनका समाधान

(1) उत्पादन सम्बन्धी समस्याएँ— किसानों और खेतीहर मजदूरों का शोषण प्रायः व्यवस्था दोष से उत्पन्न होता है। महर्षि दयानन्द ने इस विषय में लिखा है कि किसान खाने-पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावे। उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह को महर्षि यह उपदेश देते हैं कि किसानों एवं मजदूरों को शोषण न होने पावे और उनकी सुविधा का सदा ध्यान रखा जावे। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि कृषक वर्ग की उन्नति के बिना देश की आर्थिक स्थिति ठीक होना कठिन है। उन्होंने देश के सभी बैरागी, गोसाईं, बाबाजी और भिक्षुओं को राजा द्वारा कृषक बनाने की सलाह दी। कृषकों के प्रति सम्मान उनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी राख और भस्म को खेतों में डाल दिया जावे जिससे खाद बनकर किसी किसान की फसल को सुधारे।¹⁷

स्वामी जी के अनुसार राजा का यह कर्तव्य है कि वह भूमि के कटाव आदि की समस्या का हल ढूँढे। जो कृषि योग्य नहीं हो उसे कृषि योग्य बनावे।¹⁸ राजा किसानों को खेती करने के साधनों का अभाव न होने दे। उन्नत खेती के लिए उन्होंने उत्तम खाद को आवश्यक बताया है। इसीलिए पशुपालन को वे खेती का आधार मानते थे। महर्षि फसल सुरक्षा के विषय में राजा का कर्तव्य दर्शाते हुए लिखते हैं कि हानिकारक पशुओं को मारने में कुछ अपराध नहीं हो सकता यदि ये न मारे जाएँ तो इनके द्वारा खेती को बड़ी हानि होती है।¹⁹ महर्षि जंगलों की सुरक्षा का दायित्व भी राजा का ही मानते हैं। महर्षि दयानन्द पूँजीपतियों एवं मजदूरों में आपसी प्रेम पैदा कर एक समुचित व्यवस्था के निर्माण से उनके आपसी संघर्ष को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इस विषय में राजा का कर्तव्य दर्शाते हुए उन्होंने लिखा है कि राजा को अपने मन में श्रमिकों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए उस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई उनका शोषण न कर सके।²⁰ आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता को वे औद्योगिक उत्पादन में बाधक मानते थे।

(2) वितरण की अव्यवस्था— महर्षि के अनुसार वितरण आवश्यकता एवं योग्यतानुसार होना चाहिए अर्थात् धर्मानुसार प्रेमपूर्वक यथायोग्य वस्तुएँ प्राप्त होनी चाहिए।

(3) उपभोग की विषमता— वितरण की अव्यवस्था से विषमता उत्पन्न होती है। राजा का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के उपभोग को सतुलित रखे और उपभोग के क्षेत्र में भारी असमानता उत्पन्न नहीं होने दे। सब मनुष्यों का खानपान आदि समान हो।

(4) जनसंख्या का आधिक्य— जनसंख्या का आधिक्य भारत की एक बड़ी आर्थिक समस्या है। वेदों के अनुसार बहुत सतान वालों को दुःख उठाना पड़ता है। इसलिए वेद यह आज्ञा देता है कि सप्तपदी (विवाह) की हुई युवती स्त्री एक ही गर्भ धारण करे।*

महर्षि वेद का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि सृष्टि में जनसंख्या की न्यूनतम या युद्ध होने के बाद भी स्थिति में एक दम्पति दस सन्तान तक उत्पन्न करे परन्तु सुख-शांति के समय एक ही सतान उत्पन्न करे।

(5) बेरोजगारी— बेरोजगारी वर्तमान में विश्व की एक गंभीर आर्थिक समस्या है। महर्षि दयानन्द के अनुसार समाज-व्यवस्था को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिये जिससे बेरोजगारी उत्पन्न ही नहीं हो सके। उन्होंने शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक शिक्षा को स्थान देने पर बल दिया।¹²

आर्थिक विकास के बाधक तत्व या प्रबल शत्रु

महर्षि दयानन्द ने देश की आर्थिक प्रगति में निम्न सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक कारणों को बाधक तत्व या रूकावट माना है—

(1) भाग्यवाद— भाग्यवाद भारत की आर्थिक प्रगति का प्रबल शत्रु है। महर्षि भाग्यवाद से उत्पन्न होने वाले आलस्य एवं अकर्मण्यता को मनुष्य की प्रगति में बाधक मानते थे। उन्हीं के शब्दों में — पुरुषार्थ (परिश्रम करना) प्रारब्ध (भाग्य) से बड़ा है। पुरुषार्थ से ही कर्मफल संचित होता है जो भाग्य को बनाते हैं अतः भाग्य भरोसे न बैठकर सदैव पुरुषार्थ करना चाहिए।¹³

(2) धर्मभ्रष्टता— जब धर्म का अर्थ बदल कर अज्ञान के कारण पाखण्ड अंधविश्वास मत मजहब आडम्बर और सम्प्रदाय मान लिया जाता है और पग-पग पर वास्तविक धर्म मानकर उससे डरा जाता है तो उसे प्रचलित अर्थ में धर्मभ्रष्टता कहा जाता है। महर्षि की दृष्टि में धर्म वह है जो मनुष्य की लौकिक और पारलौकिक उन्नति करे। अतः धर्म वास्तविक अर्थ में न तो शोषण का कारण होना चाहिए और न ही प्रगति में बाधक।

(3) साम्प्रदायिकता— धर्म को स्वार्थ एवं सकुचित रूप में प्रयोग करना ही साम्प्रदायिकता है। जब धर्म को न समझ कर दैयत्तिक या समूह विशेष के स्वार्थ को लेकर धर्म के नाम पर उन्नाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं तब धर्म टुकड़े-टुकड़े होकर अनेक धर्म अथवा विभिन्न सम्प्रदाय के रूप में जाना जाने लगता है। साम्प्रदायिक दंगों से प्रतिद्वन्द्वी कुरूपों की सम्पत्ति नष्ट होने से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। महर्षि के अनुसार वेद धर्म का मूल है। धर्म क्षमा अस्तेय विद्या सत्य आदि धर्म के दस लक्षण हैं जो मानव-मात्र की उन्नति के कारण हैं।

* सनाअन्न युवतयः सयोवीरेक गर्भन्धिरे सप्त वागी । उद्धृतं वै स पृ 600

(4) फलितज्योतिष— फलित ज्योतिष से आलस्य, प्रसाद, धर्मभीरुता, भाग्यवाद और पराश्रितता उत्पन्न होती है जो आर्थिक प्रगति में बाधा उपस्थित करती है। महर्षि गणित—ज्योतिष (ग्रह, नक्षत्र की गणना और ऋतुओं का ज्ञान आदि) को सत्य मानते थे परंतु फलित ज्योतिष की परिभाषा में जो फल हैं उसको झूठा मानते थे। जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा राजा होते हैं, वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं। वेद कहता है कि मेरे दायें में कर्म है और बायें हाथ में विजय है। मैं स्वर्ग का विजेता बनूँ।^{१७}

(5) शिक्षावृत्ति— महर्षि के अनुसार आलसी एवं निकम्मे लोग गेरुआं वस्त्र पहन कर भारत की अर्थ-व्यवस्था को कमजोर करते हैं। अतः राजा को शिक्षा से जीविका चलाने वाले को दण्ड देना चाहिए या जबरदस्ती इनसे खेती आदि का काम लेना चाहिए।^{१८}

(6) मोक्ष की प्रबल इच्छा— प्रायः लोग सतुलित धर्म को मूल कर इतना आगे बढ़ जाते हैं कि लौकिक उन्नति को छोड़कर पारलौकिक उन्नति की चिन्ता करने लग जाते हैं। इस अनावश्यक और असतुलित मोक्ष इच्छा से व्यक्ति आलसी प्रमादी बन कर श्रम से जी चुराने लग जाता है जिससे आर्थिक प्रगति प्रभावित होती है। महर्षि के दृष्टिकोण में वस्तुतः मोक्षकामी व्यक्ति के लिए भी सासारिक इति कर्तव्यों से विमुख होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह पारलौकिक उन्नति को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाकर भी अभ्युदय और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है।

(7) अशिक्षा एवं शिक्षा में असमानता— महर्षि के ग्रन्थों में सबको शिक्षा प्राप्त करने और उन्नति करने के समान अवसरों पर विस्तार से वर्णन मिलता है।^{१९}

(8) बाल विवाह— बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। बाल विवाह से कम आय में ही नव दम्पति का माता-पिता बन कर पारिवारिक जिम्मेदारी पढ़ने से आर्थिक प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। महर्षि बाल-विवाह के प्रबल विरोधी थे। वे इस पर पूर्ण पाबंदी चाहते थे।

(9) दहेज— दहेज भी एक सामाजिक कुरीति है। दहेज के कारण भारतीय परिवारों में ऋणग्रस्तता बढ़ रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महर्षि दयानंद के विचार से दहेज प्रथा स्वयंभर विवाह अर्थात् युवती कन्या को घर चुनने की स्वतन्त्रता देने से समाप्त हो सकती है।^{२०}

(10) जातीय संकीर्णता (जातिवाद)— गुण, योग्यता का विचार किये बिना केवल जन्म के आधार पर लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट देने से राष्ट्र उन लोगों से वंचित रहता है जो अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा जनकल्याण में वृद्धि करते हैं। मानव की सहज प्रवृत्ति और उसके व्यवसाय में जो सामजस्य होना चाहिए उसमें जातिप्रथा बाधक होती है। जाति-प्रथा में व्यवसाय का कोई आपसी सामजस्य नहीं है। महर्षि दयानंद के विचार में गुण एवं कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था अथवा गुण योग्यतानुसार श्रम-विभाजन की स्थापना करना ही है।

(11) **ग्रन्थाचार-** ग्रन्थाचार आज की एक प्रमुख समस्या है और यह केवल कड़ी दण्ड-व्यवस्था से ही मिट सकती है। महर्षि ने इस विषय में राजा से लगाकर मंत्री पुरोहित माता-पिता प्रजा तक की कड़ी दण्ड-व्यवस्था अपने ग्रन्थों में दी है।¹⁰

(12) **विवाह मृत्युमोज आदि पर अपव्यय-** धन का अपव्यय भी आर्थिक प्रगति में रुकावट है। जिसके पास धन नहीं है वे भी ऋण लेकर विवाहो मृत्यु मोजा पर व्यय करता है। महर्षि दयानन्द धन के ऐसे अपव्यय का अनुचित मानते थे। दाह-सरकार व दान मृतक के प्रति कोई कर्त्तव्य वर्ग शय नहीं रहता। उन्होंने धनी व्यक्तियों को यह सलाह दी है कि व्यर्थ के धार्मिक कर्मकाण्डों और रूढ़ि-विवाहों पर धन का अपव्यय न करे अपितु उस धन से उद्योग बला-वैशाल का विस्तार करे ताकि दश आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सके।¹⁰

(13) **आर्थिक विषमता-आर्थिक विषमता से तात्पर्य आय में असमानता से है।** इससे कारण आवश्यकता एवं गुण-योग्यता के अनुसार उत्पादित वस्तुओं और धन का वितरण ठीक नहीं हो पाता। महर्षि ने आर्थिक विषमता को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय अपने ग्रन्थों में बतलाये हैं- (i) आलस्य प्रमाद धर्मभीरुता और भाग्यवादिता आदि को समाप्त किया जावे। (ii) पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का अंत और वर्णाश्रम-समाज तथा अर्थव्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। (iii) आय और व्यय में एक ओर दस (10) का अनुपात निर्धारित करना।

महर्षि दयानन्द के आर्थिक विचारों की प्रारम्भिकता

आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वत्र धर्म विहीन अर्थव्यवस्था दृष्टिगोचर हो रही है जिसमें अर्थ प्राप्ति के साधनों की परिवर्तता का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति अत्यधिक सुविधा भोगी और स्वार्थी होने के कारण अपनी ही आर्थिक उन्नति के बीच एक बड़ा अंतर आ गया है। ससार के अनेक देशों में इसका उपचार रक्तक्रातियों से हुआ और हो रहा है तथा भविष्य में कभी भी हो सकता है। यदि हम महर्षि दयानन्द द्वारा विवेचित वर्णाश्रम पर आधारित धर्मयुक्त अर्थव्यवस्था और उसका आर्थिक नियोजन देशवाल की अवस्था के अनुसार क्रियान्वित करें तो रक्तपात रक्तक्रातियों और केवल भौतिकवाद आधारित अनेक राजनीतिक अर्थशास्त्रीय वादा का आश्रय लिए बिना ही देश में चायपूर्ण आर्थिक समानता स्थापित कर सकते हैं और राष्ट्र समृद्ध हो सकता है।

स्वामी दयानन्द की आर्थिक दर्शन उनकी राष्ट्रीय एवं राजनीतिक विचारधारा से ही सम्बद्ध रहा था। उनकी यह हार्दिक अभिलाषा थी कि यूरोप में जिस विज्ञान और तकनीक का प्रचलन हो रहा है उसे स्वदेशवासी भी सीखें उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें तत्पश्चात् स्वदेश लौटकर उस ज्ञान के द्वारा देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाये। उन्होंने विज्ञान वर्ग को बहुत ऊँचा स्थान एवं सम्मान दिया था। कुटीर एवं ग्रामीण अर्थतंत्र के विनाश के भी वे प्रबल पक्षधर थे। मोघ विरोध का जो महा अभियान उन्होंने चलाया

था उसके पीछे मात्र धार्मिक भावावेश ही नहीं था बल्कि गो रक्षा के प्रश्न को वे विशुद्ध आर्थिक दृष्टि से देखते थे। वर्णाश्रम-व्यवस्था स्वीकार कर लेने से बेरोजगारी नाम की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि सभी वर्णों और आश्रमी अपने-अपने नियत कार्यों में लगे होने से बेरोजगारी की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी।

महर्षि दयानन्द ने भारतीयों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि विदेशी साम्राज्य के अधीन उनका कोई गौरवमय अतीत नहीं है। ऐसे समय में दयानन्द ने वेदों में संचित ज्ञान और दर्शन की सर्वाच्चता का उद्घोष करके भारतीयों में विद्यमान आत्महीनता का प्रतिकार किया तथा भारतीय अस्मिता को पुनर्प्रतिष्ठित किया। आधुनिक भारत में स्वामी दयानन्द का सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक चिन्तन में योगदान का महत्त्व असादिग्ध है। उनके आर्थिक विचार मनुष्य, समाज और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं जो किसी राष्ट्र विशेष की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं जो किसी राष्ट्र विशेष (भारत) समाज विशेष और मनुष्य समुदाय विशेष से सम्बन्धित होते हुए भी सम्पूर्ण विश्व के साथ उनका तारतम्य दिखता है क्योंकि वे वेदों के प्रकाण्ड विद्वान् थे। वेद उनकी दृष्टि में स्वतः प्रमाण और समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर प्रदत्त ज्ञान हैं। इसलिए उनका चिन्तन समस्त मानव जाति और सम्पूर्ण विश्व के लिए था। प्रचलित अर्थ में कोई उन्हें अर्थशास्त्री कहे या न कहे पर राष्ट्रोन्नति के प्रसंग में उन्होंने अर्थव्यवस्था के विषय में जितना कहा, किया और लिखा वह उनको महान् आर्थिक चिन्तक कहलाने में पर्याप्त है।

संदर्भ

- 1 ऋग्वेद भाष्य 1 9 5 तथा यजुर्वेद भाष्य (हिन्दी) महर्षि दयानन्द आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली, 23 65
- 2 सत्यार्थ प्रकाश, एका सम पृ 259
- 3 सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लास पृ 166-167
- 4 सत्यार्थ प्रकाश, दशम समु 167
- 5 सत्यार्थ प्रकाश दशम समु 141
- 6 सध्या-समर्पणम्
- 7 सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समु पृ 65
- 8 स्वमन्तव्या सत्यार्थ प्रकाश पृ 564
- 9 ऋग्वेदभाष्य सप्तम समु पृ 7 4 7
- 10 ऋग्वेदभाष्य 1 142 12
- 11 सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समु पृ 112
- 12 स्वमन्तव्या- सत्यार्थ प्रकाश पृ 564
- 13 गोकर्णानिधि पृ 404 (दयानन्द लघु-ग्रन्थ संग्रह)

- 14 सत्यार्थ प्रकाश दशम समु पृ 251
- 15 यजुर्वेद भाष्य 18 12 2 34 18 14 18 9 22 23 3 20
- 16 ऋग्वेद भाष्य 1 15 9
- 17 सस्कार विधि पृ 245-246 ऋग्वेद भाष्य 7 55 5-6
- 18 यजुर्वेद भाष्य 12 81 20 59
- 19 ऋग्वेद भाष्य 5 37 4
- 20 ऋग्वेद भाष्य 3 40 4
- 21 ऋग्वेद भाष्य 1 176 4
- 22 सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समु पृ 84 103
- 23 सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समु पृ 142
- 24 सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समु पृ 84
- 25 ऋग्वेद भाष्य 1 121 7
- 26 गौकरूपानिधि पृ 404-406
- 27 गौकरूपानिधि पृ 413
- 28 यजुर्वेद भाष्य 13 47-52
- 29 यजुर्वेद भाष्य 13 47
- 30 सत्यार्थ प्रकाश एका समु पृ 269
- 31 गौकरूपानिधि पृ 402 सत्यार्थ प्रकाश एका समु पृ 269
- 32 यजु भाष्य 12 71 12 70 अथर्ववेद 3 17 9
- 33 यजुर्वेद भाष्य 16 37 38
- 34 यजुर्वेद भाष्य 13 51
- 35 यजुर्वेद भाष्य 16 20 ऋग्वेद भाष्य 3 53 20 5 5 10 3 34 10
- 36 अरण्याना पतये नम । ऋग्वेद भाष्य 16 20
- 37 ऋग्वेद भाष्य 3 54 20 3 57 6
- 38 यजु भाष्य 18 71
- 39 नव के पु द स पृ 127
- 40 यजु भाष्य 30 6 30 7 30 17 30 19 30 21 16 27 4 9
- 41 सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समु पृ 84
- 42 सत्यार्थ प्रकाश दशम समु पृ 249
- 43 ऋग्वेद भाष्य 1 122 14
- 44 ऋग्वेद भाष्य पृ 236
- 45 ऋग्वेद भाष्य 6 51 16
- 46 यजु द भा 17 52 15 26 34
- 47 सप्त षष्ठ समु पृ 154 163

- 48 स प्र पृ 153
 49 ऋ द भा 4 1 10 4 54 1, 3 36 10
 50 यजु द भा 6 30
 51 स प्र पृष्ठ समु पृ 115
 52 ऋग्वेद भाष्य 7 8 6
 53 स प्र पृष्ठ समु पृ 153
 54 ऋ द भा 3 37 10
 55 सत्यार्थ प्रकाश, प्रथम सस्करण पृ 384-385
 56 स प्र पृष्ठ समु पृ 162
 57 मनुस्मृति 398-401
 58 स प्र पृष्ठ समु पृ 159-160
 59 स प्र पृष्ठ समु पृ 50 154-155
 60 सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ समु पृ 144 ऋ द भा 6 685, यजु द भा 17 51
 61 ऋ द स के प और वि, पृ, 632,
 62 ऋ. पृ 719, तथा सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ समु पृ 152
 63 ऋ द स के प और वि., पृ, 638 797-798
 64 यजुर्वेद भाष्य, 33 11
 65 यजुर्वेद भाष्य, 9 17
 66 सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ समु पृ 153
 67. सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समु पृ 85
 68 सत्यार्थ प्रकाश, षष्ठ समु पृ 153
 69 सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ समु पृ 129-130, 142, 145
 70 सत्यार्थ प्रकाश, चतुर्थ समु पृ 85
 71 सत्यार्थ प्रकाश, पंचम समु पृ 115-122
 72 मनु स्मृति 7 130-137
 73 सत्यार्थ प्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, पृ. 564
 74 ऋग्वेद भाष्यम्, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 7 4 7
 75 सत्यार्थ प्रकाश, षष्ठ समु पृ 143-144
 76 सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समु पृ 37, 71
 77 सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ समु पृ 153 ऋग्वेद भाष्य, 1 140 7 10 117 1, यजु भाष्य
 16 17
 78 सत्यार्थ प्रकाश दशम समु पृ 252, यजु भाष्य 13 49, 16 47, 22.5, 25 26
 79 नवजागरण के पुरोध-दयानंद सरस्वती डॉ भवानी लाल भारतीय, वैदिक
 पुस्तकालय परोपकारिणी सभा, अजमेर पृ 485

- 80 ऋ द भाष्य 1 1605 यजु द भा 1271
 81 यजु द भा 1351 सत्यार्थ प्रकाश दशम समु पृ 253
 82 यजु द भा 196
 83 सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समु पृ 65-66
 84 सत्यार्थ प्रकाश स्वमन्तव्या पृ 565 ऋ द भा 5345 54114 11104 यजु द भा 2072 2318
 85 सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समु पृ 31 ग्यारहवा समु पृ 321-323
 86 पूना प्रवचन (चौथ प्रवचन) पृ 23 तथा यजु द भा 3018
 87 सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समु पृ 37 65 71
 88 सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समु पृ 77 यजु द भा 1864
 89 सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समु पृ 157-162
 90 सत्यार्थ प्रकाश प्रथम सस्करण चतुर्थ समु पृ 110

प्रश्न

- 1 स्वामी दयानन्द सरस्वती की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए।
- 2 स्वामी दयानन्द के अनुसार स्वदेशी का अभिप्राय बताइये।
- 3 स्वामी दयानन्द के अनुसार पशुपालन का महत्व बताइये।
- 4 स्वामी दयानन्द के आर्थिक चिन्तन पर एक लेख लिखिए।
- 5 दयानन्द के चिन्तन में राष्ट्रवादी तत्वों का विवेचन कीजिए।
- 6 स्वामी दयानन्द के उत्पादन उपभोग विनिमय एवं वितरण सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए।
- 7 राजस्व के सम्बन्ध में दयानन्द के विचारों का मूल्यांकन कीजिए।
- 8 दयानन्द के अर्थव्यवस्था अथवा वर्णाश्रम व्यवस्था सम्बन्धी विचारों पर एक लेख लिखिए।
- 9 देश की वर्तमान आर्थिक समस्याओं के समाधान में दयानन्द के विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं ? विवेचना कीजिए।
- 10 महर्षि दयानन्द के विचार में भारत के आर्थिक उन्नति में कौन-कौन से बाधक तत्व हैं ? उन बाधक तत्वों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या उपाय सुझाए हैं ?



दादा भाई नौरोजी (Dada Bhai Naoroji 1825-1917)

परिचय

भारत के महान बुजुर्ग (Grand old man of India) के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितम्बर, 1825 को बम्बई के एक निर्धन परिवार में हुआ। उनके पिता नौरोजी पालन जी दार्दी (Naoroji Palanji Dardi) एक गरीब फारसी पंडित थे। पिताजी के स्वर्गवास के कारण उनके लालन-पालन व शिक्षा के दायित्व का निर्वाह उनकी माताजी ने किया। प्रारम्भिक शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसायटी (Native Education Society) द्वारा बम्बई में स्थापित एक ऐसे विद्यालय में हुई जहाँ निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसने नौरोजी के हृदय में निशुल्क शिक्षा पद्धति को स्थान प्रदान किया।

कुशाग्र बुद्धि के धनी नौरोजी की उच्च शिक्षा बंबई के एलफिन्सटन कॉलेज में हुई। बाद में वे एलफिन्सटन कॉलेज में ही प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस स्थान को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। इतना ही नहीं ब्रिटिश ससद हेतु चुने गये (1893) प्रथम भारतीय थे। नौरोजी शाही आयोग (Royal commission) के भी प्रथम भारतीय सदस्य थे। वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

नौरोजी का जीवन व क्रियाकलाप अपने आप में ही भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास है। नौरोजी देश की तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखकर अत्यधिक दुःखी हुए व अपना समस्त जीवन देश सेवा को अर्पित कर दिया। नौरोजी ने कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। उनकी रचनाओं में प्रमुख Poverty and un-British Rule in India (1901) है। इस पुस्तक में नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण किया व तत्कालीन दयनीय आर्थिक स्थिति हेतु उसे उत्तरदायी ठहराया।

नौरोजी ने निम्न आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये

1. निर्धनता एवं उसका मापन (Poverty and its Measurement)

जहाँ अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने धन के सम्बन्ध में An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations पुस्तक लिखी ठीक उसके विपरीत नौरोजी ने धन के स्थान पर भारतीय निर्धनता के कारण व प्रकृति को जानना

चाहा। नौरोजी ने अपनी पुस्तक *Poverty and Un British Rule in India* में ब्रिटिश शासन काल में भारत में व्याप्त गरीबी का बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया है। दादा भाई नौरोजी भारत में व्याप्त भयंकर निर्धनता के अस्तित्व का उद्घोष करने वाले प्रथम भारतीय चिंतक थे। उन्होंने बताया कि भारत की निर्धनता के कारण ही भारतीयों का जीवन स्तर निम्न है। उन्होंने यह पाया कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उनके पास साधन नहीं हैं। प्रारम्भ में नौरोजी ने एक निबन्ध *Poverty in India* में यह व्यक्त किया था कि भारत गम्भीर रूप से गरीब है व दरिद्रता में दबा हुआ है।¹ दादा भाई नौरोजी ने आजीवन भारत की दरिद्रता पर अपने विचार व्यक्त किये। आयु में वृद्धि के साथ-साथ नौरोजी के आर्थिक विचारों में उदारता के स्थान पर उग्रता ही देखने को मिलती है। 1881 में भारत की आर्थिक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण हृदय विदारक व खून खौलाने वाली बताया। उन्होंने दुःखी मन से कहा 'इस समय जहाँ तक अंग्रेजी भारत का सबंध है उसमें आज प्राच्य वैभव की बात आलंकारिक वर्णन अथवा एक स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।'²

दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गुलामी की तुलना अमेरिका की दास प्रथा से की। उन्होंने बताया कि भारतीयों की तुलना में अमेरिकी दास कहीं अधिक बेहतर स्थिति में है। नौरोजी के शब्दों में 'सत्य यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमेरिकी दासों से भी बुरी है क्योंकि अमेरिकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं।'³ नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आय के आधार पर निर्धनता का स्तर ज्ञात किया। उन्होंने 1867-68 में ब्रिटिश भारत की 19 करोड़ जनसंख्या की आय 34 अरब रु निकाली।⁴ जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रु आती है। इस औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना संयुक्त रूप से धनी और निर्धन भारत दोनों के लिए की गयी। धनी भारत से उनका तात्पर्य उन ब्रिटिश लोगों से था जो भारत में उस काल में निवास कर रहे थे तथा गरीब भारत से मतलब उन लोगों से था जो भारतीय मूल के थे। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय की तुलना उन्होंने जेल में रहे कैदियों पर होने वाले व्यय से भी की। उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रति जेल कैदी पर होने वाला व्यय औसत आय की तुलना में बहुत अधिक है। सारणी-1 में दिया गया प्रति जेल कैदी भोजन व वस्त्र व्यय विभिन्न प्रान्तों के 1867-68 के सरकारी प्रतिवेदनो पर आधारित है।

सारणी-1

1867-68 में जेल कैदियों के भोजन व वस्त्र पर होने वाला औसत व्यय

प्रान्त	प्रति जेल कैदी व्यय
सेंट्रल प्रोविसेज	31 रु
—	27 रु 3 आने

नार्थ-वेस्ट प्रोविसेज	21 रु. 13 आने
बगाल	31 रु 11 आने
मद्रास	53 रु 2 आने
बम्बई	47 रु 7 आने

उपर्युक्त तालिका के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक जेल कैदी का जीवन स्तर औसत भारतीय के जीवन स्तर से श्रेष्ठ है।

2. राष्ट्रीय आय (National Income)

दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने भारत में निर्धनता का मात्रात्मक मापन हेतु राष्ट्रीय आय की गणना की। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय आय की सगणना केवल अनुमान मात्र नहीं है बल्कि उनकी सगणना एक निश्चित वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। उन्होंने वस्तुतः उत्पादन सगणना विधि का प्रयोग किया।¹ उन्होंने कुल वार्षिक कृषि उत्पादन में खानों, कारखानों, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन के साथ-साथ अल्प मात्रा में विदेशी व्यापार के लाभ तथा दैनिक उत्पादों को शामिल करते हुए 1867-68 की राष्ट्रीय आय की गणना की। कुल कृषि उत्पादन उन्होंने प्रत्येक जिले के जोते गये क्षेत्र को प्रति हैक्टेयर उत्पादन से गुणा करके ज्ञात किया। कुल औद्योगिक उत्पादन को प्रत्येक प्रान्त से प्रतिदर्श (Sample) लेकर ज्ञात किया यद्यपि ब्रिटिश सरकार समर्थक पाश्चात्य विवेचकों ने नौरोजी द्वारा प्रयुक्त विधि की आलोचना की लेकिन प्रो वी के आर वी राव ने उनका समर्थन किया।

दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1867-68 में 17 करोड़ भारतीयों की कुल आय मात्र 34 अरब रु थी। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रु वार्षिक निकलती है जो कि भारत की निर्धनता का प्रतीक है। इनता ही नहीं उन्होंने यह भी गणना की कि औसत भारतीय को अपने जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम 34 रु वार्षिक आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 20 रु तो औसत आय है। सामान्य भारतीय की आय तो इसकी तुलना में बहुत कम है अतः भारत की निर्धनता की व्यापकता व भयकरता दोनों का अनुमान इन समको से लगाया जा सकता है। उनके द्वारा प्रदत्त 20 रु का समको तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक सगठन मंत्र सिद्ध हुआ।

3. निकासी सिद्धान्त (Drain theory)

दादा भाई नौरोजी ने भारत में व्याप्त निर्धनता के कारणों की जब परीक्षा की तो पाया कि निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक निकासी है। निकासी सिद्धान्त नौरोजी की सबसे महत्वपूर्ण देन है। निकासी सिद्धान्त का तात्पर्य भारत की राष्ट्रीय संपत्ति अथवा कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग ब्रिटेन को भेजा जाना है जिसके बदले में भारत को कोई समुचित आर्थिक अथवा भौतिक लाभ नहीं मिलता। निकासी सिद्धान्त वस्तुतः उन तरीकों

की व्याख्या करता है जिनके फलस्वरूप भारतीय ससम्पत्तों का उपयोग ब्रिटिश हितों के पूर्ति हेतु किया गया। यह उन ससम्पत्तों की दिग्दर्शन करता है जिनसे कि भारतीय ससम्पत्त स्थायी रूप से ब्रिटेन को हस्तांतरित किये गये। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे जिन्होंने निकासी के प्रति भारतीयों को सचेत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन की लोकोपकारी प्रवृत्ति की बात करना कल्पित कहने के सिवाय कुछ नहीं है। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का रक्त दूतना है।

निकासी की मात्रा (Quantum of Drain)

दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम निकासी संपत्ती गणना प्रस्तुत की। अपने ससम्पत्त लेखकों का स्तुष्ट करने हेतु उन्होंने गणना थोड़े जटिल रूप में प्रस्तुत दी। 1835 से लेकर 1872 तक की निकासी की मात्रा रेलवे के प्रदत्त ब्याज को निकालकर सारणी 2 से स्पष्ट है—

सारणी - 2

भारत से आर्थिक निकासी

वर्ष	वार्षिक औसत (लाख पाँड में)
1835-39	53 47
1840-44	59 30
1845-49	77 60
1850-54	74 58
1855-59	77 30
1860-64	173 00
1865-69	246 00
1870-72	274 00

1883 से 92 तक की अवधि में निकासी की कुल मात्रा उन्होंने कुल 359 करोड़ रु बताया। उन्होंने बताया कि सरकारी ऋण पर वसूल की गयी 71 करोड़ रु की ब्याज राशि को यदि हम निकाल भी दें तो 298 करोड़ रु की निकासी तो निश्चित ही है। 1905 में उन्होंने धारणा की कि लगभग 3 करोड़ 40 लाख पाँड का अथवा 515 करोड़ रु के मूल्य के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है।

निकासी के तरीके (Methods of Drain)

1857 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इस शासन को बनार रखने के लिए भारी नागरिक प्रशासन की व्यवस्था की गयी साथ ही सेना को भी मजबूत बनाया गया। सभी प्रकार के प्रभावी नियंत्रण हेतु आधारभूत ढांचे का विशेष रूप से रेलवे का विकास किया गया। इन सब सुविधाओं के ब्रिटिश अधिकार में होने के कारण भारत

से निकासी सम्भव हो सकी। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसियेशन (East India Association) की एक बैठक के समक्ष पढ़े गये अपने लेख - England's that to India - में इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। भारत में वसूल किये गये कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता है व ब्रिटिश ससाधनों में जुड़ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक शोषण हेतु प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी विधियों को काम में लिया। निकासी के प्रमुख तरीके निम्न प्रकार हैं-

(i) हानिप्रद निर्यात (Unequited Exports)

संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की तुलना में बहुत अधिक रहे। विदेशी व्यापार संतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहा। लेकिन फिर भी भारत में निर्यात के सदर्थ में नौरोजी ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये वे चौकाने वाले थे। उन्होंने अपनी गणनाओं द्वारा बताया कि 1883 से 1892 के मध्य कुल शुद्ध निकासी की मात्रा 288 करोड़ थी जिसमें से 118 करोड़ रु की राशि विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित आय थी। यह अपने आप में एक मौलिक उदाहरण है कि जिस देश के निर्यात आयातों की तुलना में अधिक हो और उसके बदले देश को हानि वहन करनी पड़े। इसलिए हानिप्रद निर्यात शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। यह हानिप्रद निर्यात जैसे कि ऊपर दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है भारत से आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था।

(ii) ब्रिटिश पूँजी का भारत में निवेश (Investment of British Capital in India)-ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में भारत में पूँजी का निवेश करता था और उस निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभ भारत में विनियोजित नहीं किये जाते थे भारत में इस निवेश का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। निवेश हेतु पूँजी मूलतः भारतीय माल के लूट खसोट से ही प्राप्त की गयी। इस निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ विनियोजित पूँजी पर ऊँची दर से ब्याज आदि सभी प्रतिवर्ष नियमित रूप से ब्रिटेन को भेजे जाते थे। ये निवेश मुख्यतः उन क्षेत्रों में किये गये जिनसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जा सके। ये क्षेत्र हैं-

(अ) आधारभूत संरचना मुख्यतः रेल, संचार साधन, बंदरगाह, जहाजरानी आदि।

(ब) निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, रबड़, बागान आदि।

(स) खनन मुख्यतः कोयले व सोने का खनन व पेट्रोल उत्पादन।

(द) सेवा क्षेत्र मुख्यतः बैंकिंग, वित्त, बीमा आदि।

(iii) ब्रिटेन को निजी प्रेषण (Private Remittances)

ब्रिटेन को धन का निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रेषण को एक करोड़ पाँच प्रतिवर्ष ज्ञात किया लेकिन उन्हीं के अनुसार

की व्याख्या करता है जिनके फलस्वरूप भारतीय ससाधनों का उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति हेतु किया गया। यह उन स्रातो की विवेचना करता है जिनसे कि भारतीय ससाधन स्थायी रूप से ब्रिटेन को हस्तातरित किये गये। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे जिन्होंने निकासी के प्रति भारतीयों को सचेत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन की लोकोपकारी प्रवृत्ति की बात करना कल्पित कहानी के सिवाय कुछ नहीं है। इस शासन की सही प्रवृत्ति तो देशवासियों का रक्त घूसना है।

निकासी की मात्रा (Quantum of Drain)

दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम निकासी सक्धी गणना प्रस्तुत की। अपने समालोचकों को सतुष्ट करने हेतु उन्होंने गणना थोड़े जटिल रूप में प्रस्तुत की। 1835 से लेकर 1872 तक की निकासी की मात्रा रेलवे के प्रदत्त ब्याज को निकालकर सारणी 2 से स्पष्ट है—

सारणी - 2

भारत से आर्थिक निकासी

वर्ष	वार्षिक औसत (लाख पाँड में)
1835-39	53 47
1840-44	59 30
1845-49	77 60
1850-54	74 58
1855-59	77 30
1860-64	173 00
1865-69	246 00
1870-72	274 00

1883 से 92 तक की अवधि में निकासी की कुल मात्रा उन्होंने कुल 359 करोड रु बताया। उन्होंने बताया कि सरकारी ऋण पर वसूल की गयी 71 करोड रु की ब्याज राशि को यदि हम निकाल भी दें तो 288 करोड रु की निकासी तो निश्चित ही है।¹ 1905 में उन्होंने घोषणा की कि लगभग 3 करोड 40 लाख पाँड का अथवा 515 करोड रु के मूल्य के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही है।²

निकासी के तरीके (Methods of Drain)

1857 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। इस शासन को बनाए रखने के लिए भारी नागरिक प्रशासन की व्यवस्था की गयी साथ ही सेना को भी मजबूत बनाया गया। सभी प्रकार के प्रभावी नियंत्रण हेतु आधारभूत ढांचे का विशेष रूप से रेलवे का विकास किया गया। इन सब सुविधाओं के ब्रिटिश अधिकार में होने के कारण भारत

से निकासी संभव हो सकी। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसियेशन (East India Association) की एक बैठक के समक्ष पढ़े गये अपने लेख - *England's Debt to India* - में इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है। भारत में वसूल किये गये कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश से बाहर चला जाता है व ब्रिटिश ससाधनों में जुड़ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक शोषण हेतु प्रत्यक्ष व परोक्ष सभी विधियों को काम में लिया। निकासी के प्रमुख तरीके निम्न प्रकार हैं-

(i) हानिप्रद निर्यात (Unequited Exports)

संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की तुलना में बहुत अधिक रहे। विदेशी व्यापार सतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहा। लेकिन फिर भी भारत में निर्यात के सदर्थ में नौरोजी ने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये वे चौंकाने वाले थे। उन्होंने अपनी गणनाओं द्वारा बताया कि 1883 से 1892 के मध्य कुल शुद्ध निकासी की मात्रा 288 करोड़ थी जिसमें से 118 करोड़ रु की राशि विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित आय थी। यह अपने आप में एक मौलिक उदाहरण है कि जिस देश के निर्यात आयातों की तुलना में अधिक हों और उसके बदले देश को हानि वहन करनी पड़े। इसलिए हानिप्रद निर्यात शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। यह हानिप्रद निर्यात जैसे कि रूपर दिये गये तथ्यों से स्पष्ट है भारत से आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था।

(ii) ब्रिटिश पूँजी का भारत में निवेश (Investment of British Capital in India)-ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में भारत में पूँजी का निवेश करता था और उस निवेश पर प्राप्त होने वाले लाभ भारत में विनियोजित नहीं किये जाते थे भारत में इस निवेश का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। निवेश हेतु पूँजी मूलतः भारतीय माल के लूट खसोट से ही प्राप्त की गयी। इस निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ विनियोजित पूँजी पर ऊँची दर से ब्याज आदि सभी प्रतिवर्ष नियमित रूप से ब्रिटेन को भेजे जाते थे। ये निवेश मुख्यतः उन क्षेत्रों में किये गये जिनसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जा सके। ये क्षेत्र हैं-

- (अ) आधारभूत संरचना मुख्यतः रेलें, सड़कें, बंदरगाह, जहाजशानि आदि।
- (ब) निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, रबड़, बागान आदि।
- (स) खनन मुख्यतः कोयले व सोने का खनन व पेट्रोल उत्पादन।
- (द) सेवा क्षेत्र मुख्यतः बैंकिंग, वित्त, बीमा आदि।

(iii) ब्रिटेन को निजी प्रेषण (Private Remittances)

ब्रिटेन को धन का निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रेषण को एक करोड़ पाँड प्रतिवर्ष ज्ञात किया लेकिन उन्हीं के अनुसार

यह मात्रा और अधिक होनी चाहिए। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा यह निजी प्रेषण निम्न प्रकार किया जाता था—

(अ) तैयार वस्तुएँ जैसे बिस्कुट बीयर आदि के क्रय हेतु।

(ब) ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं व भारत में ही क्रय हेतु।

(स) स्वयं के बाहर रह रहे परिवारों के भरण-पोषण हेतु।

(द) विदेशों में निवेश के लिए व्यक्तिगत बचतों का उपयोग।

(य) प्रारम्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद हेतु।

4 ब्रिटिश शासन की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष नागरिक व सैन्य व्यय (Direct Civil and Military Expenditure as a Price of British Rule)

भारत पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने विशाल सेना की स्थापना की जिसमें सभी कमीशन प्राप्त अधिकारी ब्रिटिश नागरिक होते थे। 1930 में पहली बार सीमित संख्या में भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी बने। नागरिक प्रशासन में उच्चाधिकारी ब्रिटिश नागरिक ही होते थे। भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश नागरिकों का वेतन व सुविधाएँ बहुत अधिक थीं। ब्रिटिश नागरिकों पर सेवाकाल में होने वाला व्यय व सेवानिवृत्ति के बाद होने वाला व्यय दोनों ही भारतीय बोध से प्रदान किये जाते थे। भारत को गुलाम रखने के लिए ही भारत में होने वाला सैन्य व नागरिक प्रशासन व्यय औसतन 65 प्रतिशत होता था जिसमें सैन्य व्यय 40 प्रतिशत है। नौरोजी ने इस मद को निकासी का एक प्रमुख स्रोत माना है। इस मद को क्रमबद्ध रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(अ) अंग्रेज सैन्य प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाला व्यय जो बाद में भारत में नियुक्त किये जाते थे।

(ब) भारत में अंग्रेज सैनिक व असैनिक कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्ते।

(स) भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के विदेश अवकाश भत्ते व यात्रा किराया आदि।

(द) भारत में औपनिवेशिक शासन के भूतपूर्व सैनिक व असैनिक कर्मचारियों की पेशन राशि जो कि ब्रिटेन में निवास करते थे।

(य) सेवा निवृत्त ब्रिटिश कर्मचारियों की पेशन जो भारत में रहते थे।

(र) इंग्लैंड स्थित भारतीय कार्यालय पर होने वाला व्यय।

5 सार्वजनिक ऋण व उस पर ब्याज व लाभांश (Public Debt and its Interest and Dividend)

ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रख पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार सार्वजनिक ऋण लेती थी। ये ऋण ऊँची ब्याज दर पर लिये जाते थे। इन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज व लाभांश निकासी के एक स्रोत के रूप में ब्रिटेन पहुँचते थे।

आर्थिक निकासी को रोकने का स्व-शासन ही एक उपाय

(Political Independence is only Method of Regulating Economic Drain)

नौरोजी ने आर्थिक निकासी को भारतीय निर्धनता का मूल माना। प्रारम्भ में नौरोजी ने भारत के आर्थिक उत्थान व निर्धनता निवारण हेतु अंग्रेजों को यह समझाने का प्रयास किया कि निकासी में कुछ कमी करके उस धन राशि को भारत में ही विनियोजित किया जाय। पुन उन्होंने कुछ ब्रिटिश हित में होने वाले व्यय का भार भारत पर नहीं डाले जाने की बात रखी और अतत 20वीं सदी का प्रारम्भ होते ही उन्होंने निकासी रोकने का एक मात्र उपाय स्वशासन बताया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन को भेजे गये संदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है "स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली घोर दरिद्रता, दुर्भाग्य से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। किसी प्रकार से कैसे भी तसल्ली देने वाले उपाय क्यों न किए जाए, प्रशासन तत्र में किसी प्रकार की कैसी भी रद्दबदल अथवा अधर इधर की हेरा फेरी क्यों न की जाय, इनसे न तो कोई लाभ हो सकता है और न ही सर्वथा कोई लाभ होगा। स्वयं सरकार और स्वयं प्रजा ही निकासी बंद कर सकती है। भारत के दुर्भाग्य व व्यथाओं की निवृत्ति के लिए स्वशासन ही एकमात्र उपचार है।"¹¹⁹

नौरोजी के कीमत व मजदूरी संबंधी विचार (Ideas on Prices and Wages)

नौरोजी ने कीमत व मजदूरी को निकासी सिद्धान्त के सदर्म में ही अध्ययन किया व उसी सदर्म में इनकी विवेचना की। कीमतों से उनका आशय उन कीमतों से था जो कि कृषक अपनी उपज के बदले में प्राप्त करता है। इसी प्रकार मजदूरी से उनका आशय छोटे कारीगर व कृषक मजदूर की दैनिक आय से है। नौरोजी ने बताया कि कृषि उत्पादों के निर्यात के कारण कृषि उत्पादकों को कृषि उपज का अधिक मूल्य प्राप्त होता है, परन्तु इसका भारतीय संदर्भ में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यह निर्यात तो हानिप्रद निर्यात है जिसके कारण आर्थिक निकासी सम्व होती है। नौरोजी ने बताया कि पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण बंदरगाह क्षेत्र में होने वाली उपज देश के भीतरी भागों में जहाँ कि इनका अभाव है, नहीं पहुँच पाती। इसीलिए इस उपज का विदेशों को निर्यात किया जाता है न कि इसलिए कि विदेशी इन्हे ऊँची कीमत प्रदान करते हैं। यदि ये कृषि उत्पादक इनका निर्यात नहीं करते हैं तो इनकी उपज नष्ट हो जाएगी। नौरोजी ने 1876 के अकाल की व्याख्या भी इसी संदर्भ में की।

मजदूरी के सदर्म में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। जहाँ मजदूरों को भुगतान वस्तु के रूप में होता था वहाँ मजदूरी स्थिर थी। जहाँ मजदूरी नकद रूप में प्रदान की जाती थी वहाँ खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक मजदूरी गिरती हुई थी। नौरोजी ने यह भी ज्ञात किया कि मजदूरी दरें असमान हैं, ये दो आने प्रतिदिन से लेकर 5 आने प्रतिदिन है। ये अन्तर नौरोजी के अनुसार निम्न कारणों से थे— (i) सार्वजनिक

कार्य परियोजनाओं का असमान वितरण (ii) पंजाब की अनुकूल स्थिति (iii) अकाल व सूखा (iv) व्यावसायिक फसलो का असमान क्षेत्रीय वितरण।

6. नौरोजी के करारोपण सम्बन्धी विचार (Taxation)

ब्रिटिश सरकार की कर नीति भारतीय ससाधनों के शोषण का एक मुख्य साधन व भारतीय नागरिकों से भेदभाव का एक प्रतीक थी। नौरोजी ने सिद्ध किया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कर भार दुनियाँ में सर्वाधिक है। भारतीय नागरिकों पर कर भार ब्रिटिश नागरिकों पर कर भार की तुलना में ढाई गुना है। इंग्लैंड में कर आय राष्ट्रीय आय का 8.5 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 22 प्रतिशत है। इससे भी अधिक पीड़ादायक यह है कि इंग्लैंड में करा से जो आय प्राप्त होती है वह ब्रिटिश नागरिकों के कल्याण पर उपयोग में लायी जाती है जबकि भारत में समस्त कर आय या तो देश से बाहर चली जाती है या उसका उपयोग देश में ही विदेशियों द्वारा किया जाता है।

दादा भाई नौरोजी ने करारोपण व आर्थिक निकासी के मध्य कार्यात्मक संबंध स्थापित किया। उन्होंने 19 वीं सदी के अंत में आये दुर्भिक्ष व अकाल के लिए करारोपण को उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने बताया कि भयकर दुर्भिक्ष व भुखमरी की स्थिति में भी भारत में बलपूर्वक कर वसूली की जाती थी। इस प्रकार के शोषण का अन्यत्र ऐसा उदाहरण नहीं मिलता।

7 रेलवे (Railway)

भारत में आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का एक विशाल जाल फैलाया। भारत में रेलवे के प्रारंभ के साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि क्या यह देश की प्रगति का प्रतीक है या फिर भारत के आर्थिक शोषण का माध्यम। नौरोजी ने भी इस प्रश्न का मयन किया। उन्होंने रेलवे के अच्छे व बुरे दोनों पक्षों पर ध्यान दिया। लेकिन उनका निष्कर्ष रेलवे विस्तार कार्यक्रम के विपरीत ही रहा।

दादा भाई नौरोजी रेलवे के लाभ जैसे सस्ती व द्रुत परिवहन व्यवस्था रोजगार के नये साधनों का विकास आर्तिका व विदेशी व्यापार में वृद्धि औद्योगीकरण को प्रोत्साहन कृषि के लिए विस्तृत बाजार देश के आर्थिक विकास को नई दिशा आदि को स्वीकार किया। साथ ही नौरोजी ने कहा कि ये उपर्युक्त सभी लाभ भारत के सदर्म में आंशिक रूप से दिखायी देते हैं। धीरे-धीरे नौरोजी के विचार कठोर होते गये और उन्होंने रेलवे को भारतीय सदर्म में लाभप्रद होने के स्थान पर हानिप्रद बताया। उन्होंने बताया कि रेलवे स्वयं तो आर्थिक निकासी का एक साधन है ही साथ में उसने आर्थिक निकासी को तीव्रता भी प्रदान की है।

दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में रेलवे का विकास विदेशी पूँजी से प्रारंभ हुआ है जिस पर ऊँची दर व्याज प्रदान करना होता है जो कि विदेशों को चला जाता है। इसके अतिरिक्त रेलवे पर प्राप्त होने वाला लाभांश भी चला जाता है।

रेलवे से भारतीय उद्योगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि पूँजी का अभाव है। विदेशी पूँजी उन्हीं उद्योगों में लगेगी जहाँ लाभ की मात्रा ऊँची हो व प्राप्त लाभ सरलता पूर्वक बाहर भेजे जा सकें जैसे बागान उद्योग। इन्हीं सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नौरोजी ने 1876 में सत्य ही कहा कि यहाँ रेल तथा दूसरे लोक कार्यों की व्यवस्था तो होनी चाहिए परन्तु उनका स्वाभाविक लाभ हमें पहुँचना चाहिए, अन्यथा एक भूखे व्यक्ति के समक्ष बढिया खाने के आनन्द की चर्चा करना व्यर्थ है।

8. अन्य आर्थिक विचार (Other Economic Ideas)

(i) नौरोजी ने अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire) की प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रबल विरोध किया व भारत के विशेष सदर्थ में इसे अनुपयुक्त बताया। उन्होंने भारतीय परिस्थिति में स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया।

(ii) नौरोजी ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की दकालत की उन्होंने इसके अतर्गत जहाँ एक ओर आर्थिक विकास में सरकार के योगदान को स्वीकार किया वहीं दूसरी ओर निजी पूँजी व निजी उद्यमता पर भी बल दिया।

(iii) नौरोजी ने भारत से स्वर्ण निर्यात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्वर्ण निर्यात व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा है इस गैर व्यावसायिक स्वर्ण निर्यात से आर्थिक निकासी हो रही है। इसी के कारण भारत में कीमते ऊँची हैं न कि कृषि उत्पाद के अभाव के कारण इस स्वर्ण निर्यात को रोकना परम आवश्यक है।

(iv) नौरोजी ने भारत में माल्थस के जनसंख्या के नियम के लागू होने का प्रबल विरोध किया। उन्होंने बताया कि दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी आदि अति जनसंख्या के कारण माल्थस के नियमानुसार भारत में देखने को नहीं मिलते। ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के प्रतीक हैं।

(v) नौरोजी ने भारत में व्याप्त आर्थिक असमानता की ओर देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इस असमानता को दो रूप में देखा—

(अ) भारतीयों व गैर भारतीयों के मध्य व्याप्त असमानता।

(ब) क्षेत्रानुसार या प्रान्तानुसार व्याप्त असमानता।

दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में दो प्रकार का भारत रहता है। एक समृद्धशाली भारत व दूसरा गरीबी का मारा भारत। समृद्धशाली भारत ब्रिटिश नागरिक व अन्य विदेशी नागरिकों से है जिन्होंने भारत का हर प्रकार से शोषण किया है चाहे वह शोषण सरकारी स्तर पर हो या गैर सरकारी स्तर पर। दूसरा भारत है भारतीयों का भारत जिनका रक्त घूसा जा चुका है, जिनका हर प्रकार से शोषण किया जा चुका है व शोषण किया जा रहा है। यह दूसरे प्रकार का भारत दरिद्रता से व्याप्त है व दुनिया का निर्धनतम राष्ट्र है।

धत्रानुसार यदि देखे तो पाएंगे कि पंजाब वन्द्रीय प्रात व राजपूताना आदि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक समृद्धिशाली है। पंजाब की समृद्धि का कारण जहाँ एक ओर उपजाऊ भूमि है लोका इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वहाँ के नागरिकों का दूसरे देशों में नोकरी करना व अपनी वचता को परिवार जनों को भेजना। वन्द्र प्रांत व राजपूताना क्षेत्र में समृद्धि अफीम की खेती के कारण है जा कि भारत के लिए तो अभिशाप है ही साथ में चीन के लिए भी जहाँ कि अफीम का निर्यात किया जाता है। इस निर्यात से होने वाली आय निवासी के रूप में देश से बाहर चली जाती है।

(vi) नौरोजी ने शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण के रूप में लिया और भारत में शिक्षा के विस्तार पर बल दिया स्वयं की परिस्थितियों के कारण जैसे कि प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया गया है उन्होंने निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया।

(vii) नौरोजी व आर्थिक सुधार (Economic Reforms)— दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधार हेतु जा कार्यक्रम सुझाये वे मात्र आर्थिक निवासी को रोकने के उपाय ही नहीं थे अपितु वे ससाधनों का भारत की समृद्धि हेतु उपयोग के तरीके भी हैं। डा वी एन नागुली ने अपनी पुस्तक *Dada Bhai Naoroji and the Drain Theory* में इस प्रकार व्यक्त किया है।

(अ) भारत को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह अपने उत्पादन का उपयोग स्वयं के उपभोग व विनियोग हेतु कर सके।

(ब) सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भार में कटौती की जानी चाहिए।

(स) ब्रिटिश शासन को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक व्यय को कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर ले जाना चाहिए।

(द) सभी यूरोपीय अधिकारियों चाहे वह इंग्लैंड में कार्यरत हो या भारत में उनके वेतन पशा अन्य भत्ते आदि पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय की एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(य) भारत में किये जाने वाले विनियोग हेतु प्राप्त सार्वजनिक उधार पर ब्रिटिश सरकार गारंटी प्रदान कर

(र) सभी प्रकार के रोजगारों का तेजी से भारतीयकरण किया जाये। यूरोपीय नागरिकों को उन्हीं सेवाओं में नियुक्त किया जाये जहाँ उनकी निरपेक्ष रूप में आवश्यकता हो।

(ल) इंग्लैंड व भारत के मध्य वित्तीय संबंध न्यायपूर्ण तरीके से परस्पर समायोजित किये जाने चाहिए जिससे राजनीतिक तनाव में कमी की जा सके।

(व) सार्वजनिक बाजारों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जाय ताकि उत्पादन वृद्धि व वितरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(श) भारत की विशाल अनुपजाऊ व उपयोग में लायी जा सकने वाली भूमि के उपयोग हेतु पूँजी व उद्यमिता को आकर्षित किया जाय।

(स) प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा हेतु एक विस्तृत राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जाय।

दादा भाई नौरोजी के विचार समय के साथ-साथ स्वशासन की ओर बलवती होते चले गये और भारत की न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक समस्याओं का हल स्वशासन में देखना प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक सुधारों की माँग की तुलना में स्वशासन की माँग को उन्होंने श्रेयस्कर समझा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1906) में उन्होंने स्वशासन की स्पष्ट माँग की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंग्लैंड की जनता को प्राप्त स्वशासन के अधिकार की भाँति भारतीय जनता को स्वशासन का अधिकार प्रदान करके ही भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है।

योगदान—दादा भाई नौरोजी भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक थे। उन्होंने भारत में व्याप्त निर्धनता हेतु ब्रिटिश शासन को दोषी सिद्ध किया। उन्होंने निकासी को दरिद्रता का मूल कारण बताया। राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना व विवेचना की। भारत के सर्वाङ्गीण विकास हेतु मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन फिर भी हम दादा भाई नौरोजी को राजनेता के रूप में अधिक जानते हैं न कि अर्थशास्त्री के रूप में, जिसका मूल कारण है भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय आर्थिक विचार के अध्ययन को उपेक्षित दृष्टि से देखा गया है।

संदर्भ

- 1 पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूत इन इंडिया, पृष्ठ 1
- 2 उपर्युक्त, पृष्ठ 88
- 3 उपर्युक्त, पृष्ठ 652
- 4 उपर्युक्त, पृष्ठ 4-25
- 5 उपर्युक्त, पृष्ठ 30
- 6 उपर्युक्त, पृष्ठ 180-185
- 7 उपर्युक्त पृष्ठ 34
- 8 नौरोजी स्पीचेज पृष्ठ 318-21
- 9 उपर्युक्त, पृष्ठ 687
- 10 उपर्युक्त, पृष्ठ 671
- 11 दादाभाई नौरोजी एण्ड द ड्रेन थ्योरी, बी एन गागुली, पृष्ठ 142

प्रश्न

- 1 दादाभाई नौरोजी को भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहाँ जाता है ?
- 2 नौरोजी द्वारा सुझाये गये आर्थिक सुधारों को लिखिए।
- 3 निकासी सिद्धांत का अभिप्राय लिखिए।
- 4 दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए।
- 5 नौरोजी द्वारा प्रतिपादित आर्थिक निकासी से क्या तात्पर्य है ? उनके द्वारा आर्थिक निकासी के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए तथा सुझाये गये आर्थिक सुधारों को बताइये।
- 6 निर्धनता राष्ट्रीय आय कीमतों एवं मजदूरी पर नौरोजी के विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 7 रेलवे एवं करारोपण पर नौरोजी के विचार बताइये।



महादेव गोविन्द रानाडे (Mahadev Govind Ranade 1842-1901)

परिचय

महादेव गोविन्द रानाडे का जन्म 18 जनवरी, 1842 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में नासिक में हुआ। 1864 में मात्र 22 वर्ष की आयु में बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता नियुक्त हुए। 1867 में कोल्हापुर राज्य में न्यायाधीश नियुक्त हुए। रानाडे 1885 में बम्बई विधान परिषद में विधि सदस्य नियुक्त किये गये। 1893 में रानाडे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

रानाडे विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। विधवा विवाह, प्लेग सहायता आदि में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभायी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने ही गोपाल कृष्ण गोखले को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हेतु प्रेरित किया। राष्ट्रपति महात्मा गाँधी पर भी रानाडे के आर्थिक विचारों का स्पष्ट प्रभाव था। भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपना विचार प्रस्तुत कर भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानाडे जर्मन आर्थिक विचारक फ्रेडरिक लिस्ट के आर्थिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। रानाडे का स्पष्ट मत था कि भारत की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ हमारे अनुकूल ही आर्थिक सिद्धान्त व नियम होने चाहिए। ब्रिटिश सदस्य में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले आर्थिक नियम हम पर लागू नहीं किये जा सकते। महान राष्ट्रवादी रानाडे की प्रसिद्ध पुस्तक 'ऐसेज आन इंडियन पॉलिटिकल इकॉनोमी' (Essays on Indian Political Economy) 1898 में प्रकाशित हुई। रानाडे द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार निम्न प्रकार हैं—

भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था

रानाडे ने अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आर्थिक नियमों का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन किया व भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में उनकी व्यावहारिकता की समीक्षा भी की। उन्होंने स्पष्ट विवेचना की कि अर्थशास्त्र के नियम एक मशीन की तरह भारतीय दशा में लागू नहीं किये जा सकते। प्रतिष्ठित आर्थिक नियम ब्रिटिश परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। भारतीय सदस्य में तो हमें हमारी समस्याओं व परिस्थितियों के अनुसार ही आर्थिक सिद्धान्त लागू करने होंगे।

रानाडे ने वस्तुतः आर्थिक सिद्धान्तों के व्यावहारिकता के पक्ष पर अधिक बल दिया।

1892 में रानाडे ने दक्कन कॉलेज पूना में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर भाषण दिया। इस भाषण के अन्तर्गत उन्होंने विषय का पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों—जैसे एडम स्मिथ रिकार्डो जे एस मिल जे बी से आदि द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों की व्यावहारिकता की समीक्षा की। रानाडे ने बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिन आर्थिक सिद्धान्तों को सर्वव्यापक तथा सत्य मान लिया था वे स्थिर परिस्थितियों के पर्याय हैं। परन्तु देखा जाय तो समाज व अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती यह तो परिवर्तनशील है। अतः परिवर्तित परिस्थिति में उनके सिद्धान्तों की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उनका स्पष्ट कहना था कि प्रतिष्ठित आर्थिक विचार तो वर्तमान परिस्थितियों में इंग्लैंड तक में लागू नहीं हो सकते भारत में लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रानाडे ने बताया कि आर्थिक विज्ञान की सत्यता निरपेक्ष आकी गयी है। आर्थिक विकास का कोई भी स्तर क्यों न हो इसे सत्य ही माना गया है। सामाजिक आर्थिक नैतिक न्यायिक स्तर में अंतरों की अवहेलना की गयी है। जबकि वस्तुतः ये सभी अंतर नियमों की व्यावहारिक अनुपालना पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि ब्रिटेन जैसे विकसित देश के लिए मुक्त व्यापार अच्छा है तो दुनिया के समस्त देशों के लिए भी अच्छा होना ही चाहिए और इस प्रकार संरक्षण की नीति एक अभिशाप होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। यदि इंग्लैंड की परिस्थिति में प्रत्यक्ष कर अनुकूल हैं तो भारत में भी ये अपनाये जाने चाहिए व स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत चुगीकर बढ़ कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा करना उपयुक्त नहीं है।

रानाडे ने प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धान्तों की व्यावहारिकता पर प्रश्न चिह्न लगाया है। भारतीय परिस्थिति में तो प्रतिष्ठित सिद्धान्त व्यावहारिक हो ही नहीं सकते। इस सदर्भ में रानाडे ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं।

(1) प्रतिष्ठित विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था का आधार वे मान्यताएँ थीं जिन्हें सर्वव्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। वस्तुतः इंग्लैंड की विशेष परिस्थितियाँ ही उनके जन्म के लिए उत्तरदायी थी अन्यथा वे किसी भी समाज के अनुरूप कभी भी नहीं थीं। हमारे जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश के सदर्भ में तो बिलकुल भी नहीं। हमारे देश में प्रतियोगिता को कोई स्थान नहीं है। हमारा देश परंपरागत रूढ़िवादी है।

(2) ब्रिटेन तथा अन्य देशों में समकालीन आर्थिक व्यवहार प्रतिष्ठित विचारधारा की दृष्टि नहीं करता है।

(3) प्रतिष्ठित विचारधारा स्थैतिक आर्थिक परिस्थितियों का ही विश्लेषण करने में सक्षम थी वे गतिशील आर्थिक विकास की व्याख्या करने में असमर्थ थी।

(4) हमारे देश में एक औसत व्यक्तिगत व्यक्ति, प्रतिष्ठित विचारधारा के अतर्गत वर्गित आर्थिक व्यक्ति की तुलना में एक दम विपरीत है। व्यक्ति की तुलना में परिवार व जाति का अधिक महत्व है। परिवार व जाति ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है।

(5) हमारे यहाँ धन प्राप्ति ही एक मात्र आदर्श व लक्ष्य नहीं है और न ही धन लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम। अतः प्रतिष्ठित विचारधारा की व्यावहारिक महत्ता यहाँ नहीं रह जाती है।

(6) हमारे देश में आर्थिक जीवन में प्रतियोगिता का कोई महत्व नहीं है यहाँ तो रीति-रिवाज व सरकारी नियमों की ही प्रतिष्ठा है।

(7) हमारे देश में श्रम व पूँजी की गतिशीलता का अभाव है। मजदूरी व लाभ भी स्थिर हैं न कि परिवर्तनशील।

(8) हमारे देश में जनसंख्या के भी अपने नियम हैं जहाँ एक ओर बीमारी एवं अकाल के कारण जनसंख्या कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन भी लगभग स्थिर ही है।

(9) प्रतिष्ठित विचारधारा की व्यावहारिकता पर तो अन्य यूरोपीय व अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने ही प्रश्नचिन्ह लगा दिये। ब्रिटिश अर्थशास्त्री भी इसकी आलोचना करने लगे हैं।

रानाडे ने आर्थिक सिद्धान्तों की उपयोगिता व वैज्ञानिकता को सर्वदा स्वीकार किया है। वे तो केवल इसे व्यावहारिकता का सुदृढ़ आधार प्रदान कर और अधिक तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को सदा विज्ञान ही माना न कि कला। रानाडे के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा उसके सिद्धान्त ऐसे होने चाहिए कि उन्हें ऐतिहासिक दृष्टि से अनुभव किया जा सके व्यावहारिक घरातल पर सत्य सिद्ध हो तथा सामाजिक यथार्थ के निकट हो। और इसी आधार पर उन्होंने भारत के लिए अलग आर्थिक सिद्धान्त की बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की परिस्थितियाँ भारत के एकदम विपरीत हैं। जो आर्थिक सिद्धान्त ब्रिटेन में लागू हो सकते हैं भारत में कभी भी व्यावहारिक नहीं हो सकते। हमारे लिए अलग आर्थिक सिद्धान्तों की आवश्यकता है जो कि हमारी परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल हो।

रानाडे ने भारत के लिए अलग आर्थिक सिद्धान्तों की आलोचना करने वालों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रतिष्ठित विचारधारा का जन्म दणिकवादियों की आलोचना के रूप में हुआ है।

दणिकवादी विचारधारा जब ब्रिटेन के हितों के अनुकूल नहीं रही तो उन्होंने प्रतिष्ठित सिद्धान्तों को उपजाया। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि जब संरक्षण की नीति ब्रिटिश हितों की अधिक घोषक है तो वे अपने देश में संरक्षण नीति अपनाते

हैं व भारत के लिए प्रतिष्ठित सिद्धान्तानुसार मुक्त व्यापार नीति को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। अतः भारत के लिए अलग आर्थिक सिद्धान्त सर्वथा अपरिहार्य है।

अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन प्रणाली पर बल

अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो विधियाँ हैं—

(अ) निगमन प्रणाली (Deductive method)

(ब) आगमन प्रणाली (Inductive Method)

निगमन प्रणाली

परंपरावादी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली को अपनाया है। यह निगमन प्रणाली कुछ आधारभूत मान्यताओं अथवा स्वयं सिद्ध तथ्यों से जो सत्यापन की तार्किक प्रविधियों द्वारा अन्य रीतियों द्वारा प्राप्त हुए हैं निष्कर्षों को निगमन करती है। इस प्रणाली में हम सामान्य तर्क के आधार पर किसी तथ्य विशेष का अध्ययन करते हैं।

आगमन प्रणाली

आगमन प्रणाली का विकास जर्मन इतिहासवादी संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों द्वारा निगमन प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। आगमन रीति या प्रणाली जिसे ऐतिहासिक रीति भी कहते हैं के अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने के पूर्व तथ्यों की जांच की जाती है। यह प्रणाली वास्तविक ठोस ऐतिहासिक अथवा सकलित सामग्री के अध्ययन से प्रारंभ होती है और इन तथ्यों तथा सामग्री के अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त करती है।

महमद देव गोविन्द रानाडे ने अर्थशास्त्र के अध्ययन की निगमन प्रणाली की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के नियम स्वयं सिद्ध तथ्यों पर आधारित नहीं होने चाहिए। रानाडे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन प्रणाली के पक्ष में थे। उनके अनुसार अतीत काल को दृष्टिगत रखकर ही भविष्य के लिए निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। इस ऐतिहासिक विधि द्वारा ही भारतीय अर्थशास्त्र का समुचित अध्ययन किया जा सकता है।

आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism)

रानाडे के आर्थिक विचारों को उनकी आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के अंतर्गत समझा जा सकता है। रानाडे का आर्थिक राष्ट्रवाद से आशय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास से ही नहीं था। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को विरतृत अर्थ में काम में लिया। एक राष्ट्र तब तक सामाजिक रूप से प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक कि वह राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील न हो। एक राजनीतिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्र यदि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यदि कोई राष्ट्र धार्मिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो उसका सामाजिक व आर्थिक विकास नहीं किया

जा सकता। इस प्रकार रानाडे ने राष्ट्रवाद को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया। उनके अनुसार एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली होता है जबकि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक दृष्टि से शक्तिशाली हो। इस प्रकार रानाडे का राष्ट्रीयता से आशय है राष्ट्र का समग्र विकास।

भारतीय निर्धनता के कारण

रानाडे ने भारत की निर्धनता की विवेचना अवश्य की है लेकिन ब्रिटिश शासन को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया है। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए भारत की परंपरागत सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति को दोषी ठहराया है। रानाडे ने आर्थिक निकासी को कोई महत्व नहीं दिया और उन्होंने न ही आर्थिक निकासी को गरीबी का कारण बताया। रानाडे ने भारत की निर्धनता के कारणों को दो भागों में रखा है

(अ) तात्कालिक सामाजिक-धार्मिक विचार-

(i) अलगाववादी जातिगत विचार।

(ii) विचारों की स्वतंत्रता का अभाव व पवित्र धार्मिक पुस्तकों की सत्ता पर अविवेकशील समर्पण।

(iii) विपरीत अर्थ में प्रयुक्त किया गया कर्म का सिद्धान्त। सामान्य जन भाषा में सभी प्राप्ति या घटनाओं के लिए यह कहना कि यह तो कर्मों का फल है। चाहे वे कर्म इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो।

(iv) माया के सिद्धान्त में आस्था व सासारिक अस्तित्व से मुक्ति के निराशावादी विचार तथा आर्थिक प्रगति को लेकर निराशावादी दर्शन।

(ब) आर्थिक कारण

(i) भारत का कृषि प्रधान देश होना व कृषि का परंपरागत तरीके से किया जाना,

(ii) भूमि सुधार कार्यक्रमों का अभाव व दोषपूर्ण भू-व्यवस्था,

(iii) औद्योगिक पिछड़ापन,

(iv) पूँजी संचय के लिए प्रेरणा का अभाव,

(v) देश में जोखिम झेलने वाले साहसियों का अभाव, तथा

(vi) साख सुविधाओं का अभाव।

औद्योगिक विकास

पूना में आयोजित भारत के प्रथम औद्योगिक सम्मेलन में रानाडे ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि हमें अत्यावहारिक उद्देश्यों के अनुसरण को मुख्य रूप से त्यागना होगा। हमें अपने अल्प ससाधनों का हमारी शक्ति के अनुसार कुशलतम उपयोग करना होगा न कि हमें उन्हें भारतीय मुद्रा की निकासी की झूठी शिकायतों व मुक्त व्यापार के विरुद्ध बोलते रहने में ऐसे ही व्यर्थ में गवाना होगा।²

रानाडे ने तात्कालिक भारत की यथार्थ स्थिति के सदर्थ में दो यथार्थ तथ्य रखे—

(अ) अदभुत गरीबी तथा

(ब) एवमात्र व अशिष्टत ससाधन कृषि पर बढती हुई निर्भरता।

रानाडे ने कहा कि इस यथार्थ स्थिति को समझकर हमें इसे दूर करने की प्रबल इच्छा व भावना प्रियसित करनी होगी। इस प्रबल इच्छा के आधार पर हमें सार्थक प्रयास करने होंगे

रानाडे के अनुसार अच्छे वृषि उत्पादों के समग्र उत्पादन तथा तैयार माल के उत्पादन व वितरण दोनों में कमी बड़ी समानता नहीं है। तैयार माल के उत्पादन व वितरण में हम पिछड़े हुए हैं। सर्वप्रथम हमें वृषि व उद्योग की इस असमानता को दूर करना होगा। *

रानाडे ने बताया कि भारत के सदर्थ में कुछ परम्परागत लाभ तथा अलाभ (Advantages and Disadvantages) परम्परागत रूप में प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें हमारे लाभों का उपयोग करते हुए ईमानदारी से काम करना होगा। हमारे ससाधनों जो कि हमारी दृष्टि में तो पर्याप्त हैं लेकिन अन्य देशों से तुलना करने पर अल्प हैं वो काम में लेना होगा। प्राकृतिक ससाधनों व पूँजी पर असीमित श्रम को प्रयुक्त करना होगा। हमें व्यावसायिक कुशलता उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है आवश्यकता है उसके उपयोग व विकास की।

रानाडे ने कहा कि हमें उद्योगों का विकास इस प्रकार करना चाहिए कि हम वृषि उत्पादन को अच्छे माल के रूप में काम में ले सके कि वा कि हम निर्यात करते हैं। जिस तैयार माल का हम आयात करते हैं उसका उत्पादन देश में ही किया जाय। यह उत्पादन ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से नहीं हो सकता क्योंकि वे विदेशी तैयार माल की तुलना में नहीं टिक सकते। हमें यह उत्पादन बड़े पैमाने व उद्योगों के माध्यम से ही करना होगा। †

इस सदर्थ में उन्होंने निम्न सुझाव दिये—

(अ) हमें पूँजी के अभाव की समस्या को हल करने के लिए सामूहिक आधार पर समुक्त पूँजी वपणियाँ स्थापित करनी होंगी।

(ब) हमें अन्य देशों से तकनीकी कुशलता का आयात करना होगा।

(स) भारतीयों के औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी चाहे यह व्यवस्था देश में हो या अन्य देशों में।

(द) हमें श्रम और पूँजी को सहकारिता के आधार पर उत्पादन हेतु प्रयुक्त करना चाहिए।

(य) इस औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में हमें राज्य का योगदान भी लेना चाहिए। सरकार निम्न प्रकार से औद्योगिक विकास में योगदान कर सकती है—

(1) सरकार बैंकों के माध्यम से सारा सुविधा प्रदान कर सकती है।

- (ii) नये उद्योगो को वित्तीय मारटी प्रदान करके प्रोत्साहित कर सकती है।
- (iii) सरकार उद्योगो को अनुदान प्रदान कर सकती है।
- (iv) सरकार कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान कर सकती है।
- (v) सरकार आवास और प्रवास (Migration and Emigration) हेतु सुविधा प्रदान कर सकती है।

(vi) सरकार तकनीकी प्रशिक्षण हेतु सुविधा प्रदान कर सकती है।

(vii) सरकार भंडार (Stores) स्वयं बनवाने की अपेक्षा खरीद सकती है।

भारत को अपने कच्चे माल के स्तर को सुधारना होगा। जिस कच्चे माल का स्तरीय उत्पादन हमारी मिट्टी में समभव नहीं है उसे हमें आयात कर लेना चाहिए।

रानाडे ने उपर्युक्त औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को अपनाते हुए वस्तुओं की एक सूची दी जिसमें कि ऐसे कच्चे माल, जिसका हम निर्यात करते हैं, एक तरफ है व दूसरी ओर उनका औद्योगिक उत्पाद जिसका कि हम उत्पादन व निर्यात कर सकते हैं।

कच्चे माल के निर्यात का विकल्प व औद्योगिक विकास

	निर्यात होने वाला कच्चा माल	संबद्ध तैयार माल-उत्पादन व निर्यात
i	तिलहन (Oil Seeds)	तेल (Oils)
ii	रंगने का मसाला (Dye Stuffs)	मसाले व रंग (Dyes and Pigments)
iii	गेहूँ (Wheat)	आटा (Flour)
iv	बिना भूसा हटाया हुआ चावल (Un husked Rice)	भूसा हटाया हुआ चावल (Husked Rice)
v	ईख (Jaggery)	चीनी (Sugar)
vi	कच्चा कपास (Raw Cotton)	कपास की वस्तुएँ (Cotton Goods)
vii	कच्चा ऊन (Raw Wool)	ऊनी वस्तुएँ व शाल (Woolen Goods and Shawls)

vii	कच्चा रेशम (Raw Silk)	रेशमी वस्तुएँ (Silk Goods)
ix	जूट व सन (Jute and Flax)	बोरी रस्ती (Gunny Bags, Ropes)
x	चमड़ा व खाल (Hides and Skins)	चमड़े की वस्तुएँ (Prepared and Tanned Leather)
xi	कच्चा तबाकू (Raw Tobacco)	साफ किया हुआ तबाकू व सिगार (Tobacco Cured and Cigars)
xii	मछली (Fish)	तैयार नमकीन मछली (Cured and Salted Fish)
xiii	कागज का कच्चा माल (Rags)	कागज (Paper)
xiv	लकड़ी व लकड़ी का लट्टा (Wood and Timber)	साफ लकड़ी व फर्नीचर (Carved Wood and Furniture)

(Source- M G Ranade His life and career G A Natsan and Company- page-49 From the paper on "The present state of Indian manufacturers and out look of the same" read at the industrial conference, Poona 1893)

कृषि सुधार कार्यक्रम

रानाडे ने भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता को स्वीकार किया। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है व भारत से निर्धनता को दूर करने का तरीका है कृषि विकास। वर्तमान में भारतीय कृषि अत्यन्त पिछड़ी हुई है वर्षों पर आश्रित है व सूखा बाढ़ व अकाल इसके सामान्य लक्षण हैं। रानाडे ने भारत में कृषि विकास के सदर्भ में निम्न दो मौलिक सुझाव दिये जिनमें से एक कृषि साख से संबंधित है व दूसरा भू-धारण व्यवस्था से।

(अ) सरकार को चाहिए कि वह कृषि विकास हेतु व्यापक सहायता कार्यक्रम जारी करे। पारंपरिक प्रायोगिक वर्षों में सरकार कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋण की एपज में गारंटी प्रदान कर सकती है। सरकार प्रत्यक्ष अनुदान भी कृषि क्षेत्र को प्रदान कर सकती है। सरकार को कृषि विकास हेतु कृषि बैंकों की स्थापना भी करनी चाहिए। परंपरागत कृषि ऋणों को माफ करने का अभियान भी सरकार चला सकती है। रानाडे

ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिर से पैर तक कर्ज में डूबे किसानों के पुराने ऋणों को एकत्र करके माफ कर दिये जाने पर ही किसान कृषि बैंकों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है व कृषि विकास को एक दिशा प्रदान की जा सकती है।

(ब) रानाडे का भू-धारण व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट मत था कि किसान को यह आभास होना आवश्यक है कि जमीन उसकी ही है। उसका इस जमीन के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना कि उसका अपने कपड़ों व मकान पर है। भूमि को जो जोतता है, भूमि पर उसी किसान का अधिकार होना आवश्यक है। रानाडे ने रैयतवाड़ी प्रथा की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर बल दिया। रानाडे ने व्यवस्था दी कि लगान की मात्रा उत्पादन के आधार पर स्थायी रूप से 20-30 वर्ष के लिए निर्धारित कर देनी चाहिए। तदुपरान्त उसे मौद्रिक रूप में वसूल किया जाना चाहिए। रानाडे ने कहा कि लगान उचित समय पर वसूल किया जाना चाहिए। और यह उचित समय भारतीय किसान के लिए फसल उत्पादन का समय होता है। उल्लेखनीय है कि रानाडे ने प्रशिया, (Prussia), रूस (Russia) फ्रांस व जर्मनी के अंतर्गत भू-सुधारों का गहन अध्ययन किया था। इन देशों के संदर्भ में राज्य द्वारा किये गये भू-सुधारों के रानाडे प्रशंसक थे। हमारे देश के संदर्भ में उन्होंने जमींदार व साहूकार को किसानों के शोषण के लिए अधिक उत्तरदायी ठहराया, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी आस्था थी अतः उन्होंने भारतीय परिस्थिति में रैयतवाड़ी प्रथा को अधिक उपयुक्त एवं उसी के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त को सर्वश्रेष्ठ माना। रानाडे ने इस संदर्भ में दक्षिणी भारत में खेतिहर किसानों की सहायताार्थ बनाए गए 'दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879' (Duccon Agriculturist Relief Act 1879) का समर्थन किया।

प्रवास (Emigration) संबंधी विचार

रानाडे के अनुसार भारत की व्यापक निर्धनता, बार-बार पड़ने वाले अकाल व भुखमरी की स्थिति ने भारतवासियों को दूसरे अदिकसित देशों में चले जाने के लिए विवश किया। हमारे देश से श्रम विदेशों में भेजने के लिए कई निजी कम्पनियाँ स्वतः ही गठित हो गयीं। उन्हें यह भी लाभ का व्यवसाय नजर आया। भारत से ये श्रमिक वस्तुतः विपरीत जलवायु व परिस्थिति में आवद्ध श्रम (Indentured Labour) के रूप में ले जाये जाते थे लेकिन इस अतिरिक्त श्रम (Surplus Labour) ने वहाँ जाकर अतंतः आराम ही पाया। इन्होंने अपने परिश्रम व लगन से उन देशों की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान किया।

ये श्रमिक दक्षिणी अमेरिकी देशों, दक्षिणी अफ्रिका, पश्चिमी द्वीप समूह व मारीशस श्रीलंका आदि देशों को भेजे जाते थे। इन प्रवासी श्रमिकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि सरकार को एक विशेष अधिकारी इस श्रम प्रवास पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करना पड़ा। रानाडे ने इस रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर प्रवास (Emigration) संबंधी निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये—

(अ) प्रवासियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

(ब) जितने प्रवासी भारतीय श्रमिक भारत लौटते थे उसकी तुलना में कहीं अधिक भारत से चले जाते थे।

(स) जितने प्रवासी श्रमिक भारत लौटते थे उनमें से अधिकांश पुनः वापस चले जाते थे।

(द) प्रवासी भारतीय श्रम में स्त्रियों का अनुपात बढ़ रहा था।

(य) जितने भी श्रमिक आवद्ध श्रम (Indentured Labour) के रूप में ले जाये जाते थे उनमें से आधे से अधिक श्रमिक स्वतंत्र श्रमिकों के रूप में वहाँ रह रहे हैं।

(र) जो श्रमिक उन उपनिवेशों में रहने लगे उनमें से कुछ ने वहाँ अपनी जमीन ले ली मकान बना लिया व निजी व्यवसाय भी करने लगे।

(ल) इन देशों के अतर्गत मजदूरी की दरें भारत की तुलना में 3-4 गुना अधिक थीं।

(व) इन प्रवासियों ने स्वयं में बचत की आदत डाली व अपने परिवारों को भारत में धन भेजने लगे जिससे हमारे देश में इन परिवारों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया।

(श) इन प्रवासी श्रमिकों की उन्नति का एक कारण यह भी है कि वहाँ इन्होंने अपनी सामाजिक व धार्मिक रूढ़िवादों का एक बड़ी सीमा तक परित्याग कर दिया था।

रानाडे ने भारत के श्रम प्रवास को एक उपयोगी साधन के रूप में लिया। उन्होंने इसे भारतीय बाजार के विस्तार के रूप में गणित किया है। उन्होंने भारतीय श्रमिकों के प्रवास को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

शिक्षा व तकनीक

रानाडे ने शिक्षा व तकनीक पर विशेष बल दिया है। उन्होंने शिक्षा व तकनीक को औद्योगिक विकास की प्रक्रिया हेतु अत्यावश्यक बताया है। रानाडे ने शिक्षा व तकनीक को राष्ट्रीय संपन्नता का एक अंग बताया है क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया को एक गति प्रदान करती है व उसे बढ़ाती है।

रानाडे ने शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने सरकार से भी कहा कि भारत में शिक्षा संस्थान व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। एतदर्थ सरकार स्वयं भी शिक्षण संस्थान प्रारंभ कर सकती है व निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थान खोलने को प्रोत्साहित कर सकती है। रानाडे का मत तो यहाँ तक था कि जब तक भारत में शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था न हो तब तक भारतीयों की उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि रानाडे का पारघात्य शिक्षा पद्धति में गहरी आस्था थी।

रानाडे ने जहाँ एक ओर भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया वहीं दूसरी ओर सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण पर बल दिया। रानाडे ने भारत

के इतिहास व अर्थशास्त्र के मध्य एक विशिष्ट सबंध स्थापित किया। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित विचारधारा व उसके भारत पर प्रत्यारोपण का प्रबल विरोध किया। उन्होंने इस संदर्भ में अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों की व्यावहारिकता पर बल दिया। रानाडे भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश के लिए एक अलग आर्थिक सिद्धान्त पर बल दिया।

रानाडे ने भारत की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक विकास व कृषि सुधार का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। रानाडे की ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में गहन आस्था थी अतः उन्होंने यह विकास कार्यक्रम सरकारी परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रस्तुत किया। एतदर्थ सरकारी नीतियों में प्रभावी परिवर्तन पर बल दिया। रानाडे द्वारा प्रस्तुत विचार भारतीयों के लिए सदैव मार्ग दर्शक रहेंगे। रानाडे ही थे जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया। रानाडे के विचारों ने गाँधीजी के दर्शन पर विशेष रूप से अपना प्रभाव डाला।

संदर्भ

- 1 एम जी रानाडे एसेज ऑन इंडियन इकॉनामिक्स पृष्ठ 3
- 2 उपर्युक्त, पृष्ठ, 13
- 3 जी ए नेटसन एण्ड कम्पनी एम जी रानाडे - हिज लाइफ एण्ड कैरियर, पृष्ठ 44
- 4 उपर्युक्त, पृष्ठ, 45
- 5 उपर्युक्त, पृष्ठ, 47

प्रश्न

- 1 रानाडे के अनुसार भारत में निर्धनता के कारणों को स्पष्ट कीजिए।
- 2 रानाडे के अनुसार भारत का औद्योगिक विकास कैसे संभव है ?
- 3 रानाडे ने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए किस प्रणाली पर जोर दिया ?
- 4 रानाडे के आर्थिक राष्ट्रवाद पर दिए गये विचारों को लिखिए।
- 5 रानाडे के अनुसार भारतीय कृषि का विकास कैसे हो सकता है ?
- 6 "महादेव गोविन्द रानाडे वास्तव में राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे" सिद्ध कीजिए।
- 7 रानाडे के आर्थिक राष्ट्रवाद औद्योगिक विकास, कृषि विकास एवं प्रवास सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 8 निर्धनता पर रानाडे द्वारा प्रतिपादित विचारों को लिखिए।
- 9 रानाडे के अनुसार प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धान्त भारत के लिए अनुपयुक्त क्यों हैं? उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये तर्कों को प्रस्तुत कीजिए।

गोपाल कृष्ण गोखले (Gopal Krishna Gokhle)

गोखले एक सक्षिप्त परिचय

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गाँव कोटलक में हुआ था। गोपाल मराठों के राष्ट्रीय इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से संबद्ध थे। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि उनकी माता ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी तथापि रामायण व महाभारत का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उनके इस अध्ययन का स्पष्ट प्रभाव गोपाल के सस्कारों पर पड़ा।

1881 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् गोपाल उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु कोल्हापुर चले गए। वहाँ उनकी शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था उनके बड़े भाई गोविन्द ने की। बड़े भाई गोविन्द तब मात्र 18 वर्ष के थे और अपने 15 रु मासिक वेतन में से 8 रु मासिक गोपाल को अध्ययन हेतु कोल्हापुर भेजते थे। 1882 में राजा राम कॉलेज से प्रथम वर्ष करने के उपरान्त 1883 में दक्खन कॉलेज पूना में प्रवेश लिया व 1884 में मात्र 18 वर्ष की आयु में एलफिन्सटन कॉलेज बम्बई से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की।

1885 में गोखले ने न्यू इंगलिश स्कूल में अध्यापन से अपना कार्यक्षेत्र प्रारंभ किया। शीघ्र ही वे दक्खन एजुकेशन सोसायटी से जुड़ गये व उसके कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1887 में गोखले जस्टिस नाडे के संपर्क में आये जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना व सार्वजनिक जीवन में योगदान हेतु मार्ग प्रशस्त किया। गोखले जस्टिस शनाडे को अपना गुरु मानते थे। 1898 से 1902 तक उन्होंने फर्गुसन कॉलेज पूना में इतिहास व राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्यापन किया। 1902 से 1912 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के वे सदस्य रहे।

गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1895 में गाँधीजी के संपर्क में आये। गाँधीजी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया है। 1905 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1905 में ही उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण संस्था भारत सेवक समाज की स्थापना की जो आज भी जीवित है। 1897 में गोखले वेलदी आयोग के समक्ष दक्खन सभा के प्रतिनिधि के रूप में भारत में सार्वजनिक व्यव

पर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु इंगलैंड गये। एक भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक विचारक के रूप में यहीं से उन्हें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ।

गोखले के आर्थिक विचार निम्न शीर्षकों में व्यक्त किये गये हैं।

1. निर्धनता (Poverty)

गोखले ने भारत की निर्धनता को अति निकटता के साथ देखा। उन्होंने निर्धनता की समस्या पर प्रावैगिक विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि भारत की प्रतिव्यक्ति आय 20 रु है या 30 रु। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या घट रही है। उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है व इसकी जड़े उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही हैं।

1902 के अपने प्रसिद्ध बजट भाषण में गोखले ने भारत की निर्धनता को केन्द्र बिन्दु बनाया तथा स्पष्ट किया कि भारत के जन समुदाय की भौतिक स्थिति निरन्तर बढ़ से बढ़तर होती जा रही है तथा यह दृष्टिगोचर है कि यह स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत सबसे अधिक दुःखद स्थिति है।

गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत से प्रावैगिक चर अपने अध्ययन में लिए हैं जिन पर भारत का आर्थिक विकास निर्भर करता है। उन्होंने इन चरों के आधार पर भारत की निर्धनता का विश्लेषण किया है। ये आर्थिक प्रावैगिक चर भारत के आर्थिक विकास के निर्धारक हैं। ये चर निम्न हैं।

- (i) भारत की जनसंख्या
- (ii) प्रतिव्यक्ति नमक का उपभोग
- (iii) कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति
- (iv) व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र
- (v) गैर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र
- (vi) वस्तुओं के आयात व निर्यात की मात्रा।

उपर्युक्त आर्थिक चरों के आधार पर गोखले ने देश के आर्थिक विकास की दिशा ज्ञात की तथा निष्कर्ष निकाला कि भारत की दरिद्रता निरन्तर गहरी व और अधिक गहरी होती जा रही है।

2. आर्थिक निकासी (Economic Drain)

गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी विचारक थे। निकासी सबधी उनके विचार नौरोजी की भांति उग्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि निकासी इसलिए सम्भव हो रही है कि भारत आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने निकासी का ऐतिहासिक विवेचन कर यह स्पष्ट किया कि मुगल काल में निकासी का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे भारत में ही स्थायी रूप से रहने लग गये। निकासी का प्रारंभ हुआ

भारत में ब्रिटिश आगमन के साथ। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया ताकि ब्रिटिश आयात का मार्ग प्रशस्त हो सक। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार के शासन काल की अवधि में भारत के ऊपर मुक्त व्यापार की नीति बलपूर्वक लागू की गई जबकि ब्रिटेन ने स्वयं के देश में संरक्षण नीति को अपनाया ताकि देश के कृषि व उद्योग निर्विघ्न रूप से पल्लवित हो सकें।

गोखले ने अपने उदार दृष्टिकोण के कारण बहुत-सी मदों को निकासी में शामिल नहीं किया। उन्होंने उन खर्चों को जो कि भारत में विकास हेतु किये जा रहे हैं निकासी के रूप में शामिल करने पर गहरी आपत्ति की है। उनके अनुसार कुछ विकास कार्य जैसे भारत में रेल विकास कुछ उद्योगों में प्रत्यक्ष पूँजी निवेश आदि पर लगी पूँजी पर ब्याज व लाभांश कदापि निकासी में शामिल नहीं किये जा सकते। गोखले के अनुसार भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जहाँ एक ओर स्वयं के राजनीतिक हितों की पूर्ति करती है वहीं दूसरी ओर भारत का आर्थिक शोषण करती है। इस आधार पर गोखले ने दो प्रकार की निकासी बतायी है—

(i) राजनीतिक निकासी (Political Drain)

(ii) औद्योगिक निकासी (Industrial Drain)

राजनीतिक निकासी में उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु अनावश्यक रूप से किये जा रहे भारत के सैन्य व्यय को शामिल किया। इस निकासी को उन्होंने लगभग 20 करोड़ रु प्रतिवर्ष पाया।

औद्योगिक निकासी में उन्होंने शामिल किया हमारे निर्माताओं की विदेशी निर्भरता को और उसे मात्र 10 करोड़ रु प्रतिवर्ष। गोखले के अनुसार कुल निकासी की मात्रा 30 करोड़ रु प्रतिवर्ष ज्ञात होती है।

3 स्वदेशी (Swadeshi)

गोखले के अनुसार ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति दोहरी है। भारत के सदर्भ में जहाँ वह मुक्त व्यापार की है वहीं ब्रिटेन के सदर्भ में वह संरक्षण नीति है। ब्रिटिश शासक अपने स्वयं के उद्योगों के विकास में रुचि रखते हैं न कि भारत के उद्योगों के विकास में। ब्रिटिश शासक भारतीय उद्योगों के विकास हेतु न संरक्षण की नीति अपनाना चाहते हैं न भारत को प्रभावी आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं। भारत के औद्योगिक विकास का एक मात्र तरीका है 'स्वदेशी'। स्वदेशी के अभाव में भारत के औद्योगिक व आर्थिक विकास की कल्पना असंभव है।

1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के समय भी गोखले ने स्वदेशी पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में पूँजी का अभाव है कुशल तकनीक का अभाव है उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है लेकिन श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है व इसका प्रयोग स्वदेशी की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी के क्षेत्र में स्वयं

ने भी प्रत्यक्ष रूप से योगदान किया। पूना ओर उसके आसपास भारतीय उद्योगों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

1907 में लखनऊ में एक सार्वजनिक सभे में स्वदेशी की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा कि "स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मात्र एक औद्योगिक आंदोलन नहीं है अपितु यह राष्ट्र के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मातृभूमि के प्रति एक गहरा, उमग भरा उत्साह से परिपूर्ण प्यार किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रकट नहीं होता है, वरन्, सभी क्षेत्रों में प्रकट होता है। यह संपूर्ण मानव पर आक्रमण करता है और तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि यह उसे संपूर्ण मानव में परिवर्द्धित न कर दे।"

गोखले एक उदारवादी विचारक थे, अतः उन्होंने स्वदेशी के दूसरे पक्ष बहिष्कार का विरोध किया। इस बहिष्कार के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व सरकारी सेवाओं का बहिष्कार दोनों ही सम्मिलित हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि स्वदेशी का आशय अपने देश में वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है न कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।

4. सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

गोखले ने भारत की तत्कालीन वित्तीय स्थिति का गहन अध्ययन किया। यह अध्ययन उन्होंने वेल्डी आयोग के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी किया। उन्होंने सार्वजनिक वित्त के सभी क्षेत्रों पर अपना निम्न मत व्यक्त किया।

(अ) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

सरकार भारी मात्रा में देशवासियों से कर वसूल करती है यह शोषण नहीं है, शोषण तो यह है कि सरकार प्राप्त आय का उपयोग देशवासियों के लिए नहीं करती। यह अपने आप में एक विरोधाभासपूर्ण उदाहरण है कि सरकार कर किसी देश के नागरिकों से वसूल करती है व उस कर का उपयोग दूसरे देश के नागरिकों के कल्याण के लिए होता है।

ब्रिटिश साम्राज्य की अक्षुण्णता व उसके विस्तार हेतु एक विशाल सेना का भार भारतीय करदाताओं के ऊपर है। चाहे बर्मा का युद्ध हो या मित्र का, युद्ध भारत के लिए नहीं लड़ा जाता है लेकिन उसका भार भारतीय नागरिकों को वहन करना पड़ा। इतना ही नहीं प्रशासन पर होने वाला व्यय भी कम नहीं है। बड़ी भारी संख्या में जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में हैं वह व्यय भी भारत के करदाता वहन करते हैं।

गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत की शुद्ध सार्वजनिक आय में से 50 प्रतिशत व्यय सेना पर हो जाता है। गृह प्रभार पर होने वाला व्यय 35 प्रतिशत है और इस प्रकार मात्र 15 प्रतिशत आय

शेष रहती है उसे चाहे हम शिक्षा पर व्यय करे या सिचाई पर चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर करे या अन्य विकास कार्यों पर। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का सार्वजनिक व्यय दायपूर्ण व विकृत है। गोखले ने सार्वजनिक व्यय पद्धति में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये हैं -

- (i) व्यय की भायना के स्थान पर मितव्ययता की भायना
- (ii) सैन्य व्यय में प्रभावी कमी
- (iii) सार्वजनिक सेवाओं में भारतीयों को अधिक रोजगार
- (iv) स्वतंत्र अकेक्षण की व्यवस्था।

(व) करारोपण (Taxation)

ब्रिटिश काल में करारोपण करदाताओं के कल्याण के लिए न होकर निकासी हेतु था। भारत में प्रति व्यक्ति कर भार सप्ताह में सर्वाधिक था। भारत दिन-प्रतिदिन निर्धनता का प्राप्ति हो रहा था तथा दूसरी ओर कर की दरें भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी। कर की दर ही अधिक नहीं थी बल्कि कर प्रणाली प्रतिगामी थी जो कि भारत की निधनता वृद्धि में ओर सहायक हो रही थी। भारत जैसे निर्धन देश में नम्फ पर कर की दर बहुत ऊँची थी। कैरोसिन जैसी घरेलू उपयोग की वस्तु पर 45 प्रतिशत तक कर था। अफीम जैसी वस्तु भी सार्वजनिक आय का स्रोत थी जिसके उत्पादन को चीन के नैतिक पतन हेतु प्रोत्साहित किया गया व भारत के पतन में भी कारण बन रही थी। गोखले ने इस पर प्रतिबंध की बात की। गोखले ने करारोपण के सदर्थ में दोहरे सुझाव प्रस्तुत किये पहला कर की दरों में कमी व दूसरा कर आय का उत्पादक कार्यों में उपयोग।

(स) बजट अतिरेक (Surplus Budget)

गोपाल कृष्ण गोखले प्रारम्भ से लेकर अंत तक अपने प्रत्येक भाषण में यही जोर देते रहे कि बजट आर्थिक निकासी का एक माध्यम है। 20वीं सदी के प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अतिरेक के हाते थे। इन अतिरेक बजट के माध्यम से ब्रिटिश समीक्षक यह समझाते थे कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधर रही है लेकिन यह मात्र भ्रम ही था। वस्तुतः यह अतिरेक बजट दोहरे शोषण का प्रतीक था।

यह बचत अतिरेक भारत की समृद्धि के कारण उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि यह उत्पन्न हुए रुपये के अधिमूल्यन द्वारा 1 रुपये का मूल्य 13 1d * से बढ़कर 16d हो गया जिससे रुपये के सदर्थ में व्यय में रकत कमी हो गयी तथा कर वृद्धि के फलस्वरूप सार्वजनिक आय का स्तर और बढ़ गया। यह अतिरेक बजट गलत था क्योंकि-

(1) जब भारत दूर्भिक्ष व अकाल आदि की भीषण त्रासदी से गुजर रहा था तब उसके ऊपर कर भार और बढ़ गया।

* 1 शिलिंग (sh) - 12 पना (d)

2 शिलिंग (sh) 1 पाउंड (£)

(ii) यह वित्तीय सतुलन स्वैच्छिक रूप से उत्पन्न किया गया क्योंकि यह रुपये की 1894-95 की विनिमय मूल्य पर आधारित था जो कि न्यूनतम था।

(द) संघीय वित्त (Federal Finance)

भारत के संघीय ढांचे को दृष्टिगत रखकर गोखले ने वित्तीय ससाधनों को भी तदनु रूप विभाजित करने की बात रखी। प्रान्तीय सरकार केवल केन्द्रीय अनुदानों पर ही आश्रित न रहे, उनके स्वयं के वित्तीय स्रोत भी होने चाहिए। इतना ही नहीं गोखले का तो यह भी मत था कि केन्द्र सरकार अपनी आय की कमी को पूरा करने के लिए प्रान्तीय सरकारों से वार्षिक अशदान प्राप्त करे। गोखले के अनुसार स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक है। स्थानीय निकाय लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं अतः उनके अपने वित्तीय स्रोत अति आवश्यक हैं।

5. औद्योगिक विकास (Industrial Development)

गोखले ने भारत के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने पूँजी, कुशल श्रम व उद्यमिता को औद्योगीकरण हेतु आवश्यक कारक माना व इनका भारत में अभाव स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने देश में ही उपलब्ध ससाधनों को औद्योगीकरण हेतु उपयोग में लेने पर बल दिया। वे जापान के औद्योगिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास में एक और उत्तरदायी कारक तीव्र राष्ट्रियता की भावना बताया जिसे हमें अंगीकार करना होगा।

गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु मुक्त व्यापार की नीति न अपना कर संरक्षण की नीति पर बल दिया। उनके अनुसार हमें ऐसी संरक्षण नीति अपनानी चाहिए जो हमारे औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सके। गोखले संरक्षण नीति के दूसरे पक्ष से भी सतर्क थे व उन्होंने कहा कि संरक्षण नीति अपनाते समय हमें उसके दुरुपयोग के प्रति भी सावधान रहना होगा। गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु 'स्वदेशी' की अवधारणा पर बल दिया है जिसका कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं।

6. भारतीय रेलवे (Indian Railway)

गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत की रेलवे विस्तार को जहाँ एक ओर उपयोगी बताया वहीं दूसरी ओर उन्होंने इसे आर्थिक शोषण का माध्यम भी बताया। उन्होंने कहा कि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है। अकालग्रस्त क्षेत्रों में अन्न पहुँचाने में भी रेलें उपयोगी सिद्ध हुई हैं। कुछ उद्योगों विशेषतः बागान उद्योगों को रेलवे से संपन्नता अधिक मिली है लेकिन उसके भी अधिकांश लाभ विदेशियों ने ही उठार लिये। यह विदेशी शोषण का दूसरा रूप है। यह सत्य है कि रेलवे ने भारत को आधारभूत ढांचा प्रदान किया है लेकिन यह निर्माण कार्य वस्तुतः ब्रिटिश व्यापारी वर्ग व घनिक समुदाय के हितों के लिये है तथा हमारे ससाधनों के और अधिक शोषण में सहायक है।

गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पष्ट किया कि भारत विकट गरीबी से त्रस्त है। गरीब जनता पर पहले ही कर भार अधिक है और रेलवे के विस्तार से आर्थिक दबाव और बढ़ रहा है जो कि असहनीय है। गोखले ने कहा कि रेलवे का निर्माण कभी भी अनुचित नहीं होता लेकिन हमारे समक्ष रेलवे निर्माण को सीमित करने हेतु दोहरे कारण हैं। प्रथम साधनों का अत्यधिक अभाव व द्वितीय रेल निर्माण का वास्तविक उद्देश्य क्या देश की वास्तविक प्रगति है? वस्तुतः भारत में रेल निर्माण का मूल उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा है।

गोखले ने 1897 में वेल्बी आयोग के समक्ष भी रेल निर्माण कार्य रोकने की बात कही तथा रेलवे के व्यय को उस दिशा में मोड़ने की बात कही जो कि भारतीयों के लिए अधिक उपयोगी है। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करते समय कहा कि हमें उनके और रेल पथों की आवश्यकता नहीं। हम तो इस समय पहले शिक्षा पर व्यय करना चाहते हैं और तदुपरान्त रेलों पर। आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं और इससे अन्य दिशाएँ उपेक्षित हो रही हैं। ^५ ठीक है कि सभी रेलें अनुपयोगी नहीं हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हमारे लिए वगैरह उपयोगिता अपेक्षाकृत अधिक महत्व की है।

7 विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

गोखले ने भारत की विदेशी विनिमय दर की समीक्षा की। संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अर्थात् विदेशी विनिमय दर सर्वदा ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग के साथ जुड़ी रही। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण स्वैच्छिक रूप से ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता था। यह दर न तो रुपये के आंतरिक मूल्य पर निर्भर थी और न ही रुपये की विदेशी मुद्रा बाजार में माँग और पूर्ति से प्रभावित थी।

ब्रिटिश पौंड व भारतीय रुपये के मध्य विनिमय दर इस प्रकार निर्धारित की जाती थी कि भारतीय धन सपदा का अधिकाधिक शोषण किया जा सके व ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जा सके। इतना ही नहीं ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए विनिमय क्षतिपूर्क भत्ते की भी व्यवस्था थी जो कि उनके लिए दोहरा लाभ था। एक तो ब्रिटिश कर्मचारी बहुत अधिक वेतन पाते थे व दूसरी ओर उन्हें वेतन के 50 प्रतिशत भाग (अधिकतम 1000 पौंड) तक को निश्चय विनिमय दर 1s6d* पर स्टर्लिंग में बदलने का अधिकार था जिसे वे चाहे विनिमय दर धर पुनः परिवर्तित करा सकते थे। इस प्रकार यह ब्रिटिश कर्मचारियों की आय का एक और माध्यम था।

ब्रिटिश सरकार ने विनिमय दर को इस प्रकार निर्धारित किया कि एक ओर तो यह ब्रिटेन के विदेशी व्यापार में लाभप्रद हुई व दूसरी ओर सार्वजनिक ऋण जो ब्रिटिश

* 4 Farthings (f)	1 Penny (d)
12 Pence	1 Shilling (Sh)
20 Shillings	1 Pound (£)

सरकार ने लिए वे पौंड के रूप में बढ़ गये। गोखले ने विदेशी विनिमय दर न्यायपूर्ण रखने पर बल दिया जिससे भारत के हितों पर कुठाराघात न हो।

8. विदेशी व्यापार नीति (Foreign Trade Policy)

गोखले ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत मुक्त व्यापार नीति का प्रबल विरोध किया। वे मुक्त व्यापार के लाभों से अनभिज्ञ नहीं थे लेकिन भारत की विशेष परिस्थिति के सदर्थ में उन्होंने इसे उपयुक्त नहीं समझा। भारत एक उपनिवेश है जहाँ ब्रिटिश सरकार हमारी व्यापार नीति की निर्धारक है। ब्रिटिश सरकार भारत के लिए इस प्रकार की मुक्त व्यापार नीति की पक्षधर है जिससे ब्रिटेन का तैयार माल तो भारत में सरलतापूर्वक बेचा जा सके तथा ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति हो सके। उन्होंने भारत के सूती कपड़े पर ब्रिटेन में आयात पर भारी शुल्क लगाया जिसका स्पष्ट उद्देश्य लकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग की रक्षा करना था। इस प्रकार प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुयायी व मुक्त व्यापार के समर्थक ब्रिटेन ने स्वयं के देश में तो सरकार की नीति अपनायी व भारत के लिए मुक्त व्यापार की। यह दोहरी विदेश व्यापार नीति भारत के आर्थिक शोषण का माध्यम बनी।

गोखले ने बताया कि संपूर्ण ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की अपेक्षा बहुत अधिक रहे। उन्होंने भारत के वार्षिक आयात 100 करोड़ रु बताये व निर्यात 150 करोड़ रु. वार्षिक बताये व इस अंतर को भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से महान हानिप्रद बताया।

9. भारतीय श्रम (Indian Labour)

गोखले ने श्रम की महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है। वे जापान के श्रमिकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। वहाँ के श्रमिक राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण व अनुशासित थे। उन्होंने भारत में भी श्रम की बहुलता के आधार पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने पर बल दिया। उन्होंने दो प्रकार के श्रमिकों की समस्या पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया -

(अ) बाल श्रमिक (Child Labour)

बाल श्रमिक कारखानों में प्रचुर मात्रा में कार्य करते हैं। शिक्षा के अवसर न होने के कारण वे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित हैं। उनसे कार्य भी अधिक समय तक लिया जाता है। गोखले ने कारखाना आयोग 1908 की रिपोर्ट के आधार पर जो बिल परिषद में मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया, उसमें सशोधन प्रस्तुत किये। हालांकि उनके सशोधन स्वीकार नहीं हुए लेकिन इससे यह तो स्पष्ट होता है कि गोखले बाल श्रमिकों की शिक्षा को लेकर कितने सचेतनशील थे। उनके द्वारा प्रस्तुत सशोधन थे—

(i) प्रत्येक कारखाने में जहाँ 9-12 वर्ष के 20 से अधिक बालक कार्य करते हैं वहाँ प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) इस प्रकार की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए।

(ब) अनुबन्धित श्रम (Indentured Labour)

गोखले ने उन श्रमिकों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की जिनको भर्ती के समय न कार्य बताया जाता है और न ही कार्य क्षेत्र। वस्तुतः उन्हें भर्ती करके अफ्रीका के सुदूर जंगलों में या अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में काम पर भेजा जाता है। उसे अज्ञात व दूरस्थ क्षेत्र में जाकर उनसे इच्छानुसार काम लिया जाता है। उनकी स्थिति दासों से भी बदतर है। गोखले ने इस प्रणाली को तुरन्त समाप्त करने पर बल दिया।

(10) आर्थिक सुधार (Economic Reforms)

आर्थिक सुधार हेतु कल्याणकारी योजनाएँ

गोपाल कृष्ण गोखले ने आर्थिक विकास को व्यापक रूप में सोचा व समझा। उन्होंने आर्थिक विकास को आर्थिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में देखा। उन्होंने भारत में इसकी प्राप्ति हेतु जो सुझाव समय-समय पर दिये उन्हें निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत रखा जा सकता है

(i) भारत के सैन्य व्यय में व्यापक कटौती की जाय तथा अवशिष्ट भाग को जनकल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जाय।

(ii) सार्वजनिक आय में विशेष रूप से लगान के रूप में प्राप्त आय में कमी की जाय क्योंकि गरीब किसान इस अत्यधिक भार को वहन करने में अक्षम हैं।

(iii) किसानों को भारी ऋण भार से मुक्ति दिलायी जाय।

(iv) एक ओर तो किसानों में निव्ययता की आदत का प्रसार किया जाय व दूसरी ओर उचित ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सहकारी समितियों का विस्तार किया जाय।

(v) सिंचाई की सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाय तथा वैज्ञानिक खेती पर बल दिया जाय।

(vi) तकनीकी व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इसके लिए कुछ भारतीयों का चयन कर उन्हें विदेश भेजा जा सकता है।

(vii) देश में प्राथमिक शिक्षा को विस्तृत आधार प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में अज्ञानता को दूर नहीं किया जा सकता।

(viii) स्वास्थ्य संबंधी दशाओं का भी विस्तार किया जाय। इसके लिए जहाँ एक ओर स्वच्छ जल पीने के लिए आवश्यक है तो दूसरी ओर पानी का उचित निकास व सफाई।

(ix) सघीय प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक विकेन्द्रण हो। स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय स्रोत हो ताकि उचित भागीदारी के रूप में वे जन कल्याण कार्यक्रम लागू कर सकें।

(x) अनुबन्धित श्रम (Indentured Labour) प्रणाली समाप्त कर दी जानी चाहिए जहाँ भारतीय श्रमिकों की स्थिति दासों से भी बदतर है।

गोखले ने उपर्युक्त सुझावों का क्रियान्वयन होने के पश्चात् भारत के सुखद भविष्य की संकल्पना की।

गोखले एक उदारवादी विचारक थे। प्रारम्भ में वे ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता व प्रशासनिक व्यवस्था के पक्षधर थे। गोखले का प्रारम्भिक मत था कि ब्रिटिश पद्धति के अतर्गत देश के आर्थिक विकास को एक नयी दिशा प्रदान की जा सकती है लेकिन शीघ्र ही वे वस्तु स्थिति को समझ गये। गोखले ने भारत की तात्कालिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति को तर्कपूर्ण विचारों के माध्यम से सरकार के समझ रखने का सार्थक प्रयास किया। गोखले ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियाँ भारतीय जनता के समक्ष प्रनादी तरीके से प्रस्तुत की। यह गोपाल कृष्ण गोखले का ही व्यक्तित्व ही था जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का मार्ग प्रशस्त किया।

संदर्भ

1. डी जी. कार्ड, डी वी आबेकर, स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले
2. आर. पी. पटवर्द्धन, दी सलेक्ट गोखले
3. टी वी पार्वते, गोपाल कृष्ण गोखले
4. डी वी माथुर, गोखले, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी

प्रश्न

1. गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार देश के आर्थिक विकास के निर्धारक चर कौन-कौन से हैं?
2. गोखले ने भारत से आर्थिक निकासी में किन-किन मदों को शामिल किया है ?
3. 'स्वदेशी' पर व्यक्त किये गये गोखले के विचारों को लिखिए।
4. गोखले ने देश के औद्योगिक विकास हेतु मुक्त व्यापार के स्थान पर सरकार की नीति पर क्यों बल दिया?
5. सार्वजनिक वित्त पर गोखले के विचार स्पष्ट करते हुए उद्योग व रेलवे पर भी उनके विचारों की समीक्षा कीजिए।
6. गोपाल कृष्ण गोखले के विदेशी द्विनिमय व्यापार तथा श्रम के सम्बन्ध में विचार स्पष्ट करते हुए उनके आर्थिक सुधार के कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
7. गोखले के आर्थिक विचारों पर संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।

रोमेश चन्द्र दत्त
(R. C. Dutt)

परिचय

भारतीय आर्थिक इतिहास के लेखक समीक्षक श्री रोमेश चन्द्र दत्त का जन्म 1848 में कलकत्ता में एक शिक्षित व सपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता बंगाल में ही डिप्टी कलक्टर थे। कलकत्ता में ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की व कक्षा में वे सदैव प्रथम आते थे। 1869 में उनका चयन सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस में हुआ। 1871 में उनकी प्रथम नियुक्ति अलीपुर में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में हुई। दत्त ने आई सी एस अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए भारत की आर्थिक स्थिति को अत्यन्त निकटता से देखा। इतना ही नहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के कारण अच्छी तरह से समझा। 1894 में दत्त बर्दवान के कमिश्नर बन गये। कमिश्नर का पद ग्रहण करने वाले वे प्रथम भारतीय थे।

रोमेश चन्द्र दत्त के अत्यधिक कर्मठ ईमानदार अधिकारी होने के उपरान्त भी उन्हें सचिवालय में नियुक्त नहीं किया गया जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँच गये। फलस्वरूप विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने 1897 में समय से पूर्व ही सेवा निवृत्ति ग्रहण कर ली व सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर लिया। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए व अध्यक्ष चुने गये। इसके उपरान्त दत्त इंग्लैंड चले गये जहाँ लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रवक्ता बन गये। लंदन में वे 1904 तक रहे।

रोमेश चन्द्र दत्त अंग्रेजी व बंगला भाषा के मूर्धन्य विद्वान थे। उन्होंने ऋग्वेद महाभारत व रामायण जैसे ग्रन्थों पर बंगला में भाष्य लिखे वहीं बंगला भाषा के उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी मौलिक देन है। उनकी अर्थशास्त्र पर प्रमुख पुस्तकें हैं—फैमिन्स इन इंडिया (Famines in India), इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (Economic History of India) तथा इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज (Economic History of India in the Victorian Age)।

रोमेश चन्द्र दत्त की लेखनी एक ओर उनकी साहित्यिक अभिरूचि का प्रमाण है तो दूसरी ओर मातृभूमि से प्रेम का। दत्त के कृतित्व जहाँ एक ओर भारत के गौरवशाली

अतीत को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं वही दूसरी ओर ब्रिटिश शासन के अंतराल भारत की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

दत्त द्वारा विभिन्न आर्थिक विषयों पर रखे गये विचार इस प्रकार हैं

(1) निर्धनता (Poverty)

प्रो दत्त ने भारत की निर्धनता को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जनता के मध्य रहते हुए अति निकटता से देखा। उन्होंने भारतीय दरिद्रता का विश्लेषण करना अपना पुनीत कर्तव्य समझा। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का निर्धनतम राष्ट्र है। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के वे समक जो ब्रिटिश समीक्षकों ने बताये हैं। यदि हम उन्हें सत्य भी मान ले तो भी प्रतिव्यक्ति आय की दृष्टि भारत निर्धनतम है। सन 1882 में लार्ड क्रोमर व सर डेविड बारबर ने भारत की प्रतिव्यक्ति आय 27 रू बताया। 1900 में लार्ड कर्जन ने यह 30 रू बताया। जबकि यह वास्तविकता से कहीं अधिक है।¹ यदि इसे पौंड में व्यक्त करें तो यह आय मात्र 2 पौंड है। जबकि ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 42 पौंड है। दत्त ने बताया कि 2 पौंड प्रति व्यक्ति आय से इस औसत रूप में दो समय का सामान्य भोजन, सिर ढकने के लिए झौपड़ी व पहनने के लिए सामान्य वस्त्र ही प्राप्त कर सकते हैं लेकिन खेदजनक तो यह है कि इस 2 पौंड में से भी प्रतिव्यक्ति 45 8 पैनी कर देना पड़ता है। अब खर्च योग्य आय का अनुमान स्वतः ही लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारत पर प्रतिव्यक्ति प्रति पौंड कराधान ब्रिटेन की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

दत्त ने विभिन्न प्रतिवेदनों व स्वयं द्वारा देखी गयी व विश्लेषित स्थिति के आधार पर भारत की दरिद्रता का दर्दनाक चित्रण प्रस्तुत किया।² उन्होंने बताया कि बम्बई प्रान्त में अधिकांश जनता को अपर्याप्त भोजन ही मिल पाता है। फिरोजपुर (पंजाब) के सहायक आयुक्त की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ अधिकांश गावों में जनता को 24 घंटे में 2 बार खाना नसीब नहीं है तो इटावा के जिलाधीश की रिपोर्ट कहती है कि प्रति परिवार जो मासिक आय है वह परिवार का तन ढक सकती है, सिर ढक सकती है व एक समय भोजन प्रदान कर सकती है। सम्पूर्ण देश की यही स्थिति है, कहीं कम बदतर है तो कहीं अधिक बदतर। भारतीय भूख व दरिद्रता के आदी हो चुके हैं।

दत्त ने कहा कि भारत की धरती उपजाऊ है, व्यक्ति शांत प्रकृति के हैं, कुशल व साहसी हैं और यदि एक सभ्य सरकार उनको समृद्धशाली बनाना चाहती है तो क्या कारण है कि गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इसको दूर करने का उपाय होना चाहिए। उन्होंने दो शब्दों में यह उपाय बताया।³

प्रथम कटौती (Retrenchment) एवं द्वितीय प्रतिनिधित्व (Representation)।

(i) कटौती (Retrenchment)

कटौती से आशय दत्त का द्वितीय कटौतियों से था। ये द्वितीय कटौतियाँ एक ओर

कर कटौती है तो दूसरी ओर अनुत्पादक व्यय में कटौती है। राक्षेप में उन्होंने निम्न कटौतियों का सुझाव दिया।

- (अ) भूमि पर लगान में कटौती
- (ब) भूमि पर उपकर में कटौती
- (स) भारतीय कारखानों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क में कटौती
- (द) सैनिक व्यय में कटौती
- (य) घरेलू प्रशासनिक व्यय में कटौती (Home Charges)
- (र) भारत में यूरोपीय व्यक्तियों को रोजगार में कटौती

(ii) प्रतिनिधित्व (Representation)

प्रतिनिधित्व से आशय भारतीयों को प्रशासन व सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाय यह प्रतिनिधित्व कुछ अंश तक प्रशासन व विधान परिषद दोनों में आवश्यक है। इससे ब्रिटिश भारतीय समस्या को समझने व हल करने में सफल होंगे।

2 भारत में अकाल (Famine in India)

दत्त के अनुसार यह एक ऐसा तथ्य है जिसने जनता के मन मष्तिष्क को उद्वेलित कर दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक भाग में प्रगति व समृद्धि हो रही है वहीं अकेले भारत में गरीबी व त्रासदी की स्थिति है। अकाल यहाँ बराबर आते हैं। 19 वीं सदी के अंतिम भाग में यहाँ बराबर अकाल आये। ये भीषण अकाल अत्यधिक जनहानि का कारण बने यह निम्न तालिका से स्पष्ट है।

वर्ष	भारत में भीषण अकाल प्रभावित क्षेत्र	मृत्यु
1876-78	बम्बई हैदराबाद मद्रास उत्तरप्रदेश व मैसूर	1 करोड़ से अधिक
1891-92	मद्रास बम्बई दक्षिण प्रान्त बंगाल अजमेर मारवाड़	16 लाख
1899-1900	समस्त उत्तरी-पश्चिमी भारत मद्रास व उड़ीसा	1.25 करोड़

उपर्युक्त तालिका से 19वीं सदी के अंत में अकाल की भीषणता का अनुमान लगाया जा सकता है। दत्त ने बताया कि अकाल भारत की स्थायी गरीबी का परिणाम है। दत्त ने बताया कि भारत का कुल राष्ट्रीय उत्पादन इन अकाल के वर्षों में बहुत अधिक प्रभावित हुआ हो ऐसा नहीं है। बरतुत जिस क्षेत्र की आय समाप्त हो गयी है व

साधन के अभाव में दूसरे पड़ोस के क्षेत्र से अन्न खरीदने में असमर्थ रहे हैं जो कि उनकी गरीबी का परिणाम है। वर्षा की विफलता तो किसी एक क्षेत्र की फसल को नष्ट करती है, यह तो गरीबी है जिसके कारण बार-बार अकाल आते हैं।

दत्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के अकाल न तो माल्थस के जनसंख्या के नियम का परिणाम हैं और न ही भारतीयों के आलसी होने का। यह तो परिणाम है भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति का दुनिया का कोई भी देश जिसकी कि स्थिति भारत जैसी है चाहे वहाँ के नागरिक साहसी हों या भूमि उपजाऊ हों, बार-बार अकाल व भुखमरी से त्रस्त होगा ही। जिस देश के उद्योग नष्ट कर दिये गये हों, कृषि के ऊपर भारी कर हों, देश की आय का एक तिहाई भाग बाहर चला जाय वह निश्चित रूप से स्थायी दरिद्रता व अकाल से ग्रसित ही रहेगा। आर्थिक नियम तो एशिया व यूरोप दोनों के लिए समान है। यदि भारत गरीब है तो स्वयं के आर्थिक कारणों से। इन परिस्थितियों में भारत के समृद्धशाली होने की बात करना, एक आर्थिक आश्चर्य होगा और विज्ञान आश्चर्य को नहीं मानता है।

(3) निकासी (Drain)

दत्त ने बताया कि भारत की भीषण निर्धनता व बार-बार पड़ने वाले अकालों के लिए बहुत बड़ी सीमा तक भारत से आर्थिक निकासी उत्तरदायी है। दत्त ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की शुद्ध सार्वजनिक आय का आधा भाग ब्रिटेन चला जाता है जिसके कभी भी किसी भी रूप में लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। भारत के प्रचुर प्राकृतिक ससाधन किसी दूसरे देश के लिए ही हैं और उसे संपन्न बना रहे हैं।

दत्त ने अपनी पुस्तक 'इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया का समृद्धतम देश नीचतापूर्ण तरीके से वसूली कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के साधनों की सीमा से बढ़कर इतनी बड़ी अर्थिक निकासी दुनिया के किसी भी समृद्धशाली देश को गरीब बना सकती है। इसने भारत को विश्व-इतिहास में अभूतपूर्व व निन्दनीय रूप में निरन्तर व व्यापक रूप से पड़ने वाले भीषण अकालों का देश बना दिया है।

रोमेश चन्द्र दत्त ने अति स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निकासी का सबसे प्रमुख स्रोत सार्वजनिक आय का मुख्य भाग लगान के रूप में वसूल किया जाता है। लगान उस जनसमूह से सवद्ध है जो कि स्वयं दरिद्रता व बार-बार आने वाले अकाल से त्रस्त है। एक गरीब किसान जिसकी फसल अकाल में नष्ट प्रायः हो चुकी है। लगान अनिवार्य रूप से चुकायेगा, ऐसी परिस्थिति में उसकी भूख से मौत नहीं होगी तो क्या होगी। दत्त ने स्पष्ट किया कि लगान से प्राप्त होने वाली आय भीषण अकाल की स्थिति में भी कम नहीं हुई। यह लगान से प्राप्त आय गृह प्रभार पर होने वाले व्यय के बराबर है जो कि निकासी का स्पष्ट स्रोत है।

दत्त ने सेन्य व्यय सार्वजनिक ऋण गृह प्रभार विदेशी व्यापार पौड-रूपया विनिमय दर ब्रिटिश नागरिकों को भारत म रोजगार भूमि पर कर भार आदि को निकासी का स्रोत माना। उन्होने बताया कि जब इंग्लैंड मे सार्वजनिक ऋण भार कम हो रहा हो तो यह कैसे संभव हे कि भारत सरकार के ऋण भार मे वृद्धि हो। दत्त ने भी निकासी की गणना की। उन्होने भारत से निकासी की मात्रा 2 करोड पौड प्रतिवर्ष बताया। यह गणना नोरोजी की अपक्षा काफी कम हे।

(4) कृषि सबधी विचार (Thoughts on Agriculture)

दत्त एक प्रशासनिक अधिकारी हाने के कारण कृषि भू धारण व्यवस्था लगान व कृषकों की यथार्थ स्थिति से निकट रूप से जुड हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति का विवेचन करते समय सर्वाधिक ध्यान उन्होने कृषि पर दिया। दत्त ने बताया कि भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान है। लगान का सार्वजनिक आय मे अश एक तिहाई है। यद्यपि लगान प्रारम्भ से ही सरकार की आय का मुख्य स्रोत रही है लेकिन ब्रिटिश काल से पूर्व लगान से प्राप्त होने वाली आय राष्ट्रहित मे ही प्रयुक्त होती थी तथा भारतीय कृषक प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इससे लाभान्वित होते थे। लेकिन ब्रिटिश काल मे तो यह निकासी का मुख्य स्रोत था।

ब्रिटिश काल मे भू लगान की दो प्रकार की व्यवस्थाओं की दत्त ने विस्तृत विवेचना की। प्रथम जमींदारी प्रथा तथा द्वितीय रैयतवाडी प्रथा।

ये दो प्रथाएँ पुन दो प्रकार की हो सकती हैं। प्रथम स्थायी बंदोबस्त एव द्वितीय अस्थायी बंदोबस्त।

भारत म जमींदारी प्रथा के तो दोनो रूप देखने को मिलते थे लेकिन रैयतवाडी स्थायी बन्दोबस्त के रूप मे नही थी। सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाडी का स्थायी बन्दोबस्त का स्वरूप भी प्रस्तुत किया था लेकिन उसे लागू नहीं किया गया।

आर सी दत्त ने एक युवा अधिकारी के रूप मे 1874 मे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर सशक्त प्रहार किया और इसे कार्नवालिस की जयर्दस्त गलती बताया। उल्लेखनीय है कि एक अधिकारी के रूप मे जमींदारी प्रथा पर अपने विचारों के कारण वे सदैव जमींदारों के कोपभाजन का शिकार ही रहे।

समय व्यतीत होने के साथ-साथ उनके विचार भी बदल गये। उन्होने जब देश मे पडे अकालों की विवेचना की तो पाया कि इन अकालों का दुष्प्रभाव तुलनात्मक रूप से बंगाल मे कम हे। बंगाल के किसान की स्थिति अन्य भागो से अच्छी है और इसका कारण बताते समय उन्होने स्पष्ट किया कि यहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है। इस सदर्म म उन्होने रैयतवाडी प्रथा की कटु आलोचना की। उन्होने इस सबध मे धार विशेषताएँ बताया।

(1) रैयतवाडी मे लगान की मात्रा स्थिर न होकर बदलती रहती है व दर ऊँची होती है।

(ii) रैयतवाडी किसानों को धन सचय हेतु प्रेरित नहीं करती फलत वे दयनीय स्थिति में रहते हैं।

(iii) रैयतवाडी राजस्व अधिकारियों के मध्य व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार और अनैतिक दुराचार का कारण है।

(iv) यह श्रम के शोषण को प्रोत्साहित करती है। श्रमिकों से कम मजदूरी दर पर अधिक काम लिया जात है।

इस प्रकार उन्होंने रैयतवाडी के अस्थायी बंदोबस्त स्वरूप को बदलने की माग की। उन्होंने अंत में सर टॉमस मुनरो द्वारा प्रस्तुत रैयतवाडी के स्थायी बंदोबस्त को सर्वश्रेष्ठ बताया। इसके अभाव में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का अनुकरण करने का सुझाव दिया।

वस्तुतः दत्त भारतीय कृषक की दुर्दशा व बार-बार आने वाले भीषण अकाल से चिंतित थे और उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में लगान की भारी मात्रा को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने लगान वसूलने की प्रक्रिया को भारतीय किसान के पक्ष में सुधारने पर बल दिया। लार्ड कर्जन को लिखे चतुर्थ खुले पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न तो वे यह माग करता हूँ कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का समस्त भारत में प्रसार किया जाय न मैंने ऐसी कोई माँग पहले की। मैं तो यह चाहता हूँ कि भारत में प्रत्येक प्रांत की अपनी भूमि पद्धति है, जिसके अंतर्गत वहाँ के लोग पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। मैंने तो यह माग की है कि जिस पद्धति के अंतर्गत किसान रहता आ रहा है उसे संरक्षण प्रदान किया जाय।

(5) उद्योग (Industry)

19वीं सदी के प्रारंभ तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं थी। भार में लघु व कुटीर उद्योग उन्नत अवस्था में थे। वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण का प्रारंभ औद्योगिक शोषण से ही हुआ। दत्त के अनुसार यह शोषण इतना व्यापक था कि लघु व कुटीर उद्योग ही नष्ट प्राय हो गये।

दत्त ने अपनी पुस्तक *The Economic History of India-The Victorian Age* के प्रस्तावना में ही लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि भारतीय उद्योग साम्प्रत हो जाये व ब्रिटिश उद्योगों का विस्तार हो। भारतीय वस्तुओं के इंग्लैंड में आयात को भारी शुल्क लगाकर हतोत्साहित किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात को नाम मात्र का शुल्क लगाकर प्रोत्साहित किया गया। ब्रिटिश नीति के दोहरे पहलू थे—भारत में ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन व ब्रिटिश तैयार माल का भारत में उपभोग। उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार एच एच विल्सन को उद्धृत करते हुए लिखा है राजनीतिक अन्याय को एक हथियार के रूप में सहारा लेते हुए ब्रिटेन ने अपने मुख्य प्रतिद्वन्दी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जिससे वह बराबर की शर्तों पर कभी सामना नहीं कर सकता था।

(6) सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

प्रो रोमेश चन्द्र दत्त ने सार्वजनिक वित्त के तीनो पक्षो—सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक ऋण पर प्रकाश डाला।

(i) सार्वजनिक आय (Public Revenue)

सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत करारोपण था। यह करारोपण भारत मे बहुत अधिक था। भारत मे प्रति व्यक्ति प्रति पौंड वसूल किये जाने वाला कर बहुत अधिक था। उन्होने बताया कि भारत की प्रतिव्यक्ति आय सरकारी अनुमान के अनुसार 2 पौंड या 40 s है। 40s पर कर की मात्रा 4s 8d है अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रति पौंड कर तो दर 2s 4d है। यदि हम ब्रिटेन मे यह दर देखे तो ज्ञात होता है कि वहाँ यह प्रतिव्यक्ति प्रतिपौंड कर की मात्रा 1s 8d है। स्पष्ट है कि भारत मे कर की मात्रा ब्रिटेन से 40 प्रतिशत अधिक है।

भारत मे सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत भूमि पर लगान रहा है। यह भारत की कुल आय का एक चौथाई से अधिक भाग है। दत्त के अनुसार भारत पर पडने वाले भीषण अकाल व कृषक की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह कर भार बहुत अधिक है। उन्होने बताया—नमक जैसी वस्तु पर भी कर है व कर की दर भी बहुत ऊँची निर्धारित की गयी है।

रोमेश चन्द्र दत्त ने बताया कि जब किसी देश मे कर लगाया जाता है और उसी देश मे खर्च किया जाता है तो वह उसी देश की जनता के मध्य चलायमान होता है। उस देश के व्यापार उद्योग व कृषि को समृद्ध करता है तथा उसका फल पुन जनता तक किसी न किसी रूप मे पहुँचता है। लेकिन जब जिस देश मे कर लगाया जाता और उस देश में उसे खर्च नहीं किया जाता वह बाहर भेज दिया जाता है तो यह कभी भी किसी भी रूप मे वापस लौट कर नहीं आता और न ही व्यापार उद्योग व कृषि का विकास कर पाता है।

(ii) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

दत्त के अनुसार भारत मे सार्वजनिक व्यय की सरचना ब्रिटिश हितों की पूरक है। रेलवे व सिचाई पर होने वाले व्यय को निकाल दें तो अधिकांश व्यय नागरिक व सैन्य प्रशासन पर किया जाता है। दत्त द्वारा प्रस्तुत समकों को निम्न तालिका के अतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि भारत मे सार्वजनिक व्यय की सरचना को बता रही है।

भारत मे सार्वजनिक व्यय (1901-02)

मद	व्यय (पौंड मे)
i. रेलवे व सिचाई	2 17 44 053
ii. गृह प्रभार	1 73 68 655
iii. सैन्य व्यय	1 57 63 931

प्र. नामरिक-प्रशासन-व्यय	1,52,86,181
V. अन्य	12,31,462
कुल	7,13,94,282

स्रोत- द. इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया- द विक्टोरिया एज. पृष्ठ 604

दत्त ने उपर्युक्त सार्वजनिक व्यय की सरचना के सदर्थ में दो उल्लेखनीय तथ्य और बताया-

(अ) रेलवे व सिंचाई पर होने वाले व्यय में अधिकांश भाग रेलवे का है।

(ब) गृह प्रभार के अंतर्गत भी अधिकांश भाग सार्वजनिक ऋण व रेलवे पर व्याज तथा सैन्य प्रभार का है।

(iii) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

दत्त ने बताया कि ब्रिटिश हितों की परिपूर्ति के कारण भारत प्रारम्भ से ही सार्वजनिक ऋण से ग्रस्त है। उल्लेखनीय है कि जब इंग्लैंड में सार्वजनिक ऋण कम हो रहे हैं तो फिर भारत में क्यों बढ़ रहे हैं। जब 1858 में ईस्ट इंडिया ने भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था उस समय भारत पर ऋण की मात्रा 70 मिलियन पाँड थी। कंपनी ने भारत को दी गई सेवाओं के बदले में 150 मिलियन पाँड वसूल किये जो कि वितीय दृष्टि से पूर्णतया गलत व अन्यायपूर्ण थे। इतना ही नहीं उन्होंने अफगान युद्ध, चीन व भारत से बाहर लड़े गये युद्धों की भी कीमत वसूल की।

ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारम्भिक 18 वर्ष में यह सार्वजनिक ऋण दुगुना होकर 1877 में 140 मिलियन पाँड हो गया। 1900 तक यह तेजी से बढ़कर 224 मिलियन पाँड हो गया। इस ऋण पर भारी मात्रा में व्याज चुकाना होता है। दत्त ने बताया कि महत्वपूर्ण तो यह है कि ब्रिटिश काल में 1878 व 1897 के अफगान युद्ध का व्यय भी भारत के खजाने से चुकाया गया जबकि उस समय हमें अकाल सहायता की आवश्यकता थी।

(7) रेलवे व सिंचाई (Railway & Irrigation)

प्रो. रोमेश चन्द्र दत्त ने बताया कि भारतीय प्रशासन इंग्लैंड की जनता की विचारधारा से प्रभावित था कि भारत की जनता के विचारों से। अंग्रेजों ने रेलों के महत्व को समझा, भारत में सिंचाई के महत्व को नहीं। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने रेलवे के विस्तार के द्वारा भारत में विस्तृत बाजार क्षेत्र की सकल्पना की। ब्रिटिश व्यापारियों ने रेलवे के और विस्तार के माध्यम से नयी व्यापारिक सुविधाओं की माग की। उद्योगपतियों के समूह ने इसके लिए एक और तो ससद में माग की व दूसरी ओर भारत सरकार से सीधा संध स्थापित किया। किसी ने भी सिंचाई की परवाह नही की क्योंकि इंग्लैंड में किसी ने भी भारत के लिए सिंचाई का महत्व नहीं समझा। दत्त ने बताया कि अब तक का व्यय इस बात का साक्ष्य है कि रेलवे की तुलना में सिंचाई पर किया गया व्यय बहुत कम है उन्होंने बताया कि मार्च 1902 तक रेलवे पर 226 मिलियन पाँड व्यय किये जा चुके हैं जबकि सिंचाई पर मात्र 24 मिलियन पाँड व्यय किया गया है।

दत्त ने एक और रोचक तथ्य बताया कि सिचाई पर हम जो विनियोग करते हैं उसका 6-9 प्रतिशत वार्षिक लाभ के रूप में प्राप्त होता है जबकि रेलवे तो निरन्तर घाटे में है। रेलवे के लगातार घाटे में होने के बावजूद हम रेलवे कंपनियों को व्याज के अतिरिक्त 4-5 प्रतिशत लाभांश गारंटी के रूप में प्रदान करते हैं तब भी सरकार रेलवे के विस्तार पर बल देती है न सिचाई सुविधाओं के विस्तार पर। उन्होंने कहा कि रेलों भारत की अन्न आपूर्ति में एक भी दाने की वृद्धि नहीं करती जबकि सिचाई से अन्न दुगना पैदा होता है। देश के अकालों में कमी आती है। फिर भी सरकार सिचाई विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती।

(8) कीमत व मजदूरी (Price and Wages)

ब्रिटिश काल में भारत में मजदूरी का स्तर काफी नीचा था। भारतीय कृषि श्रमिकों की औसत मजदूरी 5-6 s प्रति माह थी। यदि हम गणना करें तो पायेंगे कि कृषि क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक 1 पाँड से भी कम बैठती है। एक पाँड की प्रतिव्यक्ति आय निम्नता के न्यूनतम स्तर से भी कम है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता का अनुमान इन समकों से लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही संलग्न है। गेहूँ व चावल की कीमते मजदूरी की तुलना में बहुत अधिक हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा आदि ही मुख्य खाद्य पदार्थ थे।

दत्त ने सरकारी समकों की राहायता लेकर बताया कि मजदूरी दर में असमानता भी बहुत अधिक है। बंगाल के बेकरगंज जिले में जहाँ मजदूरी 10s 8d प्रतिमाह है वहीं फैजाबाद जिले में यह बहुत कम है।

भारत में मजदूरी दर

प्रान्त	जिला	मासिक मजदूरी s
बंगाल	पटना	6s 8d to 8s
	बेकरगंज	10s 8d
आगरा व अवध	कानपुर	5s to 6s 8d
	फैजाबाद	2s 6d to 5s 4d
पंजाब	देहली	10s 8d
बॉम्बे	अहमदाबाद	9s 4d
मद्रास	बेलारी	6s 4d
	सेलम	4s 8d
मध्य प्रान्त	जबलपुर	5s 4d
	रायपुर	5s 4d

स्रोत— द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया— द विक्टोरियन एज पृष्ठ 606

अतः मे, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आर सी दत्त ने एक प्रशासक के रूप में भारत की तात्कालिक दयनीय आर्थिक स्थिति को निकट से देखा व समझा। एक अध्यापक के रूप में चिन्तन व समीक्षा की और एक लेखक के रूप में उस विचित्र तस्वीर को शब्दों में प्रस्तुत किया। उनका भारत में बार-बार पड़ने वाले भीषण अकालों का मर्मस्पर्शी चित्रण कभी नहीं भुलाया जा सकता। दत्त द्वारा लिखित आर्थिक इतिहास एक अमूल्य निधि है। उन्होंने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया अपितु उसमें सुधार हेतु मार्ग भी प्रशस्त किया।

संदर्भ

1. इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, पृष्ठ 603
2. उपर्युक्त, पृष्ठ 609
3. उपर्युक्त, पृष्ठ 612
4. इकोनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया खण्ड II, पृष्ठ XI

प्रश्न

1. रोमेश चन्द्र दत्त ने तत्कालीन समय में गरीबी को दूर करने के लिए कौन-कौन से उपायों का उल्लेख किया है ?
2. रोमेश चन्द्र दत्त ने देश में बार-बार अकाल पड़ने के क्या कारण बताए हैं ?
3. दत्त ने आर्थिक स्थिति के कौन-कौन से स्रोतों का उल्लेख किया है ? बताइये।
4. रोमेश दत्त के निर्धनता पर व्यक्त किये गये विचारों को लिखिए।
5. अकाल एवं कृषि पर दत्त के विचारों पर टिप्पणी लिखिए।
6. प्रो. रोमेश दत्त के निर्धनता, अकाल एवं आर्थिक स्थिति पर किये गये विचारों का विश्लेषण किजिए।
7. प्रो. आर सी दत्त द्वारा प्रतिपादित कृषि, उद्योग एवं सार्वजनिक व्यय, रेलवे व सिंचाई सम्बन्धी आर्थिक विचारों को स्पष्ट किजिए।
8. प्रो. आर सी दत्त के कीमती मजदूरी सम्बन्धी विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।



एम. एन. रॉय

(M. N. Roy 1887-1954)

मानवेन्द्र नाथ रॉय सक्षिप्त परिचय

नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य जो कि बाद में मानवेन्द्र नाथ रॉय के नाम से प्रसिद्ध हुए का जन्म 21 मार्च 1887 को प बंगाल के चौक्षीस परगना जिले में हुआ। नरेन्द्र की प्रारम्भिक शिक्षा धिगरीपोटा में हुई। नरेन्द्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु अरविन्द घोष के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रवेश ले लिया। बाद में उन्होंने बंगाल टैक्निकल इन्स्टिट्यूट कलकत्ता में प्रवेश लिया किन्तु अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके।

नरेन्द्र ने स्वयं को विद्यार्थी जीवन में ही क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल कर लिया। क्रान्तिकारी गतिविधियों हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से धिगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर 20 वर्ष की अल्पायु में डकैती डाली। पुनः उन्होंने डायमंड हार्बर में हुई डकैती में भाग लिया। 1910 में अन्य क्रान्तिकारियों के साथ-साथ नरेन्द्र पर भी हावडा-पडयत्र में मुकदमा चला तथा एक वर्ष की सजा हुई।

जेल से निकलने के पश्चात् उन्होंने क्रान्तिकारी संगठनों में एकता व तालमेल स्थापित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने उत्तरी भारत का व्यापक रूप से भ्रमण किया। इसी भ्रमण के अंतराल में जतीन्द्र नाथ मुकर्जी के सम्पर्क में आये। मुकर्जी क्रान्तिकारियों के युगान्तर ग्रुप के नेता थे। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही उन्होंने विदेश चले जाना उचित समझा क्योंकि भारत में ब्रिटिश पुलिस का उन पर भारी दबाव था। नरेन्द्र 1915 में डच इंडीज पहुँचे व क्रान्तिकारी गतिविधियों हेतु जर्मनी से हथियार प्राप्ति के असफल प्रयास किये। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया चीन जापान फिलीपीन्स आदि का एक वर्ष तक भ्रमण किया। अतः वे सैन फ्रांसिस्को पहुँचे। इस समय तक वे क्रान्तिकारी गतिविधियों की निरर्थकता समझ चुके थे व अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहते थे। नरेन्द्र स्टैन फोर्ट विश्वविद्यालय परिसर में वे एक भारतीय मित्र के साथ रहे थे। उस मित्र की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर मानवेन्द्र नाथ रॉय रख लिया। इस नाम परिवर्तन को रॉय ने अपने पुनर्जन्म की सजा दी।

अमेरिका व मैक्सिको में अपने प्रवास के अंतराल उनके विचारों में मौलिक परिवर्तन आया। वे अब एक उग्र राष्ट्रवादी नहीं रह गये अपितु वे एक क्रान्तिकारी समाजवादी हो गये। उन्होंने अमेरिका में जहाँ एक आर लाला लाजपत राय के साथ काम

किया वही दूसरी ओर उन्होंने कार्ल मार्क्स का गहन अध्ययन किया। मैक्सिको में उन्होंने हीगल के द्वन्द्ववाद का विवेचन किया। रॉय जब 1917 में मैक्सिको में थे तब ही रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हुई। क्रान्ति की सफलता ने उन्हें प्रभावित किया व सोवियत रूस के बाहर प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसके बाद रॉय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से जुड़ गये। एम.एन. रॉय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होकर भी राष्ट्र सेवा की तो कांग्रेस से वैचारिक मतभेद के कारण अलग होकर राष्ट्र सेवा की।

रॉय के विचारों पर प्रभाव

मानवेन्द्र नाथ राय बचपन से ही विचारों का मौलिक चिन्तन करते थे तथा चिन्तन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर स्वयं का मत प्रस्तुत करते थे। रॉय प्रकृति से विद्रोही थे। उनकी विचारधारा पर जिन विचारकों व अध्ययन का प्रभाव पड़ा, उन्हें निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

- (i) प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के विचारों का प्रभाव,
- (ii) स्कूली शिक्षा के अंतराल ही भगवद् गीता, बकिम चन्द्र चटर्जी के आनन्द मठ, अरविन्द घोष की रचना भवानी मंदिर व विवेकानन्द की पुस्तकों का अध्ययन,
- (iii) क्रान्तिकारियों के युगान्तर समूह के नेता जतीन्द्र नाथ के साथ संपर्क,
- (iv) अमेरिका में लाला लाजपत राय के साथ गहन संपर्क,
- (v) अमेरिका में कार्ल मार्क्स का गहन अध्ययन,
- (vi) मैक्सिको में बोरोडिन की प्रेरणा पर हीगल की द्वन्द्वात्मक विचारों का विशुद्ध अध्ययन,
- (vii) पश्चिमी विचारकों जैसे हॉब्स, प्रोटागोरस, दिदर्न आदि के विचारों का प्रभाव,
- (viii) ऋषि कपिल व कणाद के भौतिकवादी विचारों का प्रभाव,
- (ix) भारत में पल्लवित हो रहे आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रभाव,
- (x) भारत की तात्कालिक दयनीय आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव,
- (xi) रूस की बोल्शेविक क्रान्ति व लेनिन-स्टॉलिन का प्रभाव, और
- (xii) महात्मा गाँधी व नेहरू की आर्थिक नीतियों का प्रभाव।

राय : एक मौलिक विचारक

लेनिन ने एक बार रॉय को 'पूर्व में क्रान्ति का दीपक' कहा था। वे रूस के बाहर साम्यवादी दल की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे। रूस के बोल्शेविक क्रान्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे लेकिन भारतीय संदर्भ में रूस जैसे साम्यवाद की उपयोगिता पर उन्हें संदेह था। वे भारत में चीन जैसे साम्यवाद की भी स्थापना के पक्षधर नहीं थे। उनका अपना समाजवादी विश्लेषण था। उनके क्रान्तिकारी समाजवाद में स्वतंत्रता व प्रजातंत्र दोनों ही समाहित थे। यह उनके अपने मौलिक चिन्तन का प्रतीक है।

यद्यपि रॉय पाश्चात्य सामाजिक व राजनीतिक सस्थाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। वहाँ की स्वतंत्रता व प्रजातंत्र की अवधारणा ने ही रॉय की विचारधारा को एक दिशा प्रदान की। तथापि रॉय की भारतीय राष्ट्रीयता में गहन आस्था थी। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी को यूरोप व अमेरिका की भाँति स्वतंत्रता प्रदान करो लेकिन उसे भारतीय नारी के आदर्श से दूर मत ले जाओ। उसे स्वतंत्रता के नाम पर अभिशाप के रूप में अपवित्र न करो जैसा कि नारी के साथ पाश्चात्य जगत में होता है। भारत से जाति व्यवस्था को दूर करो लेकिन पाश्चात्य जगत की दुराचार वृत्ति को रोको। पूँजीवाद को बढ़ावा दो लेकिन पाश्चात्य जगत की भौतिकवादी भूख से बचो। धार्मिक अधविश्वास से मुक्ति पाओ व जीवन के प्रति एक विवेकशील मत अपनाओ लेकिन यह कभी स्वीकार न करो कि प्रायोगिक विज्ञान ही मानव ज्ञान का मात्र स्रोत है।

रॉय का मतव्य था कि विश्व में प्रजातंत्र का मविष्य भारत की स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्व में प्रजातंत्र की स्थापना हेतु भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए समर्थन व सहानुभूति परम आवश्यक है अन्यत्र विश्व में फासीवाद अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। रॉय का विचार आज भी एक बहुत बड़ी सीमा तक सार्थकता लिए हुए है कि भारत का आर्थिक विकास व समृद्धि विश्व में प्रजातंत्र को गारंटी प्रदान करता है। रॉय ने अपने आर्थिक विचार भारतीय सदर्म में ही प्रस्तुत किये। वे जहाँ रूस की क्रान्ति के प्रबल समर्थक थे वहीं दूसरी ओर भारत में मिश्रित अर्धव्यवस्था पर बल दिया। राय ने गरीबी बेरोजगारी कृषि व उद्योग आदि पर जो विचार प्रस्तुत किये वे मौलिकता लिए हुए हैं।

राय ने अपना जीवन एक उग्र राष्ट्रवादी के रूप में प्रारंभ किया तथा साम्यवाद के विभिन्न चरणों से यात्रा कर अंततः नव मानवतावाद पर पहुँचे जिसमें मौलिकता कूट-कूट कर भरी हुई है जिसका कि अध्ययन आगे किया जाएगा। राय ने निम्न आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किये।

(1) निर्धनता (Poverty)

एम एन रॉय के विद्रोही विचारों की प्रकृति में तत्कालीन भारत की निर्धनता का स्पष्ट प्रभाव है। रॉय ने भारत की निर्धनता का गहन अध्ययन किया तथा निष्कर्ष रूप में बताया कि विदेशी शासन ही हमारी निर्धनता के लिए दोषी नहीं है अपितु सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था भी इसके लिए दोषी है। इस प्रकार उन्होंने भारत की निर्धनता के दो मुख्य उत्तरदायी कारण बताये हैं

- (i) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का आर्थिक शोषण और
- (ii) परंपरागत सामंती व्यवस्था।

रॉय ने बताया कि सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था न केवल स्वयं भारत की निर्धनता के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है अपितु यह ब्रिटिश आर्थिक शोषण का माध्यम भी बन गयी।

रॉय ने भारत से निर्धनता दूर करने हेतु ब्रिटिश शासन की समाप्ति को अपर्याप्त बताया। रॉय के अनुसार हमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के साथ-साथ ही देश की सामंती व्यवस्था से भी छुटकारा पाना होगा अन्यथा भारत से गरीबी का निवारण असंभव है। इसके लिए सामाजिक क्रान्ति की महती आवश्यकता है।

एम एन रॉय ने भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन पर भी दृष्टिपात किया तथा भारत की निर्धनता के लिए इसे उत्तदायी बताया। उन्होंने औद्योगिक पिछड़ेपन के निवारण हेतु तीव्र औद्योगीकरण की सलाह दी। रॉय के अनुसार भारत में आधुनिक विज्ञान व तकनीक का प्रयोग करते हुए आधुनीकरण किया जाना चाहिए। उनका यह मत नेहरू से अधिक मिलता है। गाँधीजी के विचार रॉय से विपरीत हैं। गाँधीजी ने निर्धनता निवारण हेतु ग्राम विकास पर बल दिया क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गावों में रहती है। राय ने स्वयं समाजवादी होते हुए भी तीव्र औद्योगीकरण हेतु पूँजीवादी ढाँचे को स्वीकार किया।

रॉय ने धन के असमान वितरण पर भी ध्यान आकृष्ट किया। आर्थिक व सामाजिक असमानता के लिए उन्होंने असमान अवसर को उत्तरदायी बताया। उनकी विकास अवधारणा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की है। रॉय के अनुसार आय व धन का न्यायोचित वितरण स्वतः ही भारत की निर्धनता दूर करने में सहायक होगा।

2. बेरोजगारी (Un-employment)

एम.एन. राय ने भारत में व्याप्त बेरोजगारी को एक प्रमुख समस्या के रूप में लिया। उन्होंने भारत की बेरोजगारी को यूरोपीय बेरोजगारी से अलग बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप में बेरोजगारी परिणाम है औद्योगीकरण का। यह एक सक्रांति काल है। भारत में बेरोजगारी परिणाम है परंपरागत कुटीर व लघु उद्योगों के विनाश का। परंपरागत लघु व कुटीर उद्योगों का विनाश ब्रिटिश सरकार की नीति का परिणाम है। भारत की बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी है जबकि यूरोपीय राष्ट्रों की बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी के स्पष्ट संकेत हैं वहाँ दूसरी ओर कृषि के भी पिछड़ेपन के कारण अधिकांश व्यक्तियों को पूर्ण-कालिक रोजगार प्राप्त नहीं है।

रॉय ने बताया कि भारत की बेरोजगारी न तो आधुनिक शिक्षा का परिणाम है और न ही शिक्षित बेरोजगारी ही यहाँ है। यह शिक्षित बेरोजगारी तो यूरोप में ही देखने को मिलेगी भारत में नहीं। भारत में तो आधुनिक शिक्षा की सन्तुष्टि व्यवस्था ही नहीं है। भारतीयों को आधुनिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर ही नहीं हैं। यहाँ तो बेरोजगारी की जो समस्या है वह ग्रामीण बेरोजगारी की है।

एम एन रॉय ने भारत में बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु कुछ उपाय बताये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

- (i) तीव्र औद्योगीकरण
 (ii) कृषि का आधुनिकीकरण
 (iii) राज्य के स्वामित्व में विशाल कृषि फार्मों की स्थापना और
 (iv) व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन।

3 कृषि (Agriculture)

राय ने भारत की निर्धनता के मूल में सदियों से चली आ रही परंपरागत सामंती व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराया। इस सामंती व्यवस्था के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है और इस पिछड़ी हुई कृषि के कारण ही बेरोजगारी व्याप्त है। राय के अनुसार मात्र तीव्र औद्योगीकरण से गरीबी व बेरोजगारी का हल नहीं निकल सकता। तीव्र औद्योगीकरण जहाँ एक ओर 'अल्प' मात्रा में ही बेरोजगारी को कम कर सकेगा वहीं दूसरी ओर थोड़े समय बाद औद्योगिक उत्पादन अतिरेक की स्थिति आ जायेगी जिससे औद्योगीकरण भी रुक जायगा। भारत की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृषि का आधुनिकीकरण परम आवश्यक है। इसीलिए राय ने कहा कि औद्योगिक विकास कृषि विकास व कृषि आधारित उद्योग के विकास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं।

राय विचारधारा से समाजवादी अवश्य थे परन्तु उन्होंने रूस जैसा समाजवादी विकास भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना और कृषि विकास को तो कदापि नहीं। उन्होंने वर्तमान भू-स्वामित्व व्यवस्था पर प्रहार किया तथा भूमि सुधारों पर बल दिया। उन्हीं के शब्दों में 'यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकृत व पुनर्गठित करना चाहते हैं और भारतीय समाज में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कृषि से ही निश्चितरूपेण प्रारंभ करना होगा। पुन कृषि के पुनर्गठन का प्रकार जो कि हमारे देश के लिए अनिवार्य व सम्भव है। समाजवाद जैसा समान होना आवश्यक नहीं है। भू स्वामित्व व्यवस्था का समापन तो पूर्व क्रान्तियों की ऐतिहासिक विशिष्टता है और यह देखा जाना शेष है कि क्या जमींदारी व्यवस्था का अंत स्वयं ही हमारी आशाओं के अनुरूप चमत्कारी प्रभाव डालेगा।'

राय ने स्पष्ट शब्दों में जमींदारी व्यवस्था के अंत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भूमि पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो कि भूमि को जोतता है। जहाँ एक ओर जमींदारी व्यवस्था में जमींदार खेतिहर मजदूर का हर प्रकार से शोषण करता है वही दूसरी ओर वास्तविक कृषक स्वाभाविक रूप से खेत से नहीं जुड़ सकता। राय के विचार वर्तमान भू स्वामित्व व्यवस्था को लेकर कल्पनातीत उग्र थे। उन्हीं के शब्दों में 'हमारा कार्यक्रम है बिना शर्त भू स्वामित्व व्यवस्था का समापन भूमि पर राष्ट्रीय स्वामित्व तथा गरीब किसानों के मध्य इसका वितरण। हमारा नारा है बिना शर्तपूर्ति के अधिकरण।'

एम.एन.रॉय ने बताया कि हमारे देश में भूमि पर दबाव अत्यधिक है। यह दबाव भूमि के उपविभाजन व अपखण्डन के कारण भी है। छोटी-छोटी भू-जोतों के कारण कृषि के आधुनिकीकरण में बाधा आयेगी। अतः उन्होंने सामूहिक व सहकारी कृषि पर बल दिया। सामूहिक व सहकारी कृषि के फलस्वरूप भू-जोत का आकार बढ जाने के कारण जहाँ एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण संभव होगा वहीं दूसरी ओर साहूकारों के शोषण से भी मुक्ति मिल जाएगी जिनसे कि गरीब किसान ऋण लेता है व उन्हीं को सस्ती कीमत पर अपना उत्पादन बेच देने को विवश होता है।

4. उद्योग (Industry)

भारत को एक समृद्धिशाली राष्ट्र बनाने हेतु एम.एन. रॉय ने भारत के तीव्र औद्योगीकरण पर बल दिया। यह तीव्र औद्योगीकरण आधुनिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार भारत में तेजी से ऐसे बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होना चाहिए जो आधुनिक तकनीक पर आधारित हों। यह औद्योगीकरण भारत के पुनर्निर्माण हेतु अनिवार्य है चाहे वह पूँजीवादी पद चिन्हों पर हो या समाजवादी पद चिन्हों पर।

राय यह जानते थे कि बड़े पैमाने के उद्योग पूँजी गहन हैं इनके विकास से पूँजी कुछ हाथों में सकेन्द्रित हो जाएगी लेकिन रॉय ने कहा कि सरकारी नीति के अतर्गत इस सकेन्द्रण को रोका जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योग पूँजी गहन होते हैं। इसके लिए एम.एन. रॉय का उत्तर था भारत में प्रचुर व पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक व मानव संसाधन हैं जिनका कि उपयोग बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में किया जा सकता है।

रॉय लघु व कुटीर उद्योगों पर आधारित भारत के गौरवपूर्ण अतीत से अनभिज्ञ नहीं थे। लेकिन वर्तमान औद्योगिक संरचना को देखकर उन्होंने बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों पर ही अधिक बल दिया। उनका मतव्य था कि बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से देश में औद्योगिक वातावरण शीघ्र तैयार होगा व देश के तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन राय ने लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की हो, ऐसा नहीं है। रॉय के अनुसार लघु व कुटीर उद्योगों में भारत की बेरोजगारी समस्या हल करने की अधिक क्षमता है क्योंकि वे श्रम गहन पद्धति पर आधारित हैं। रॉय का मत था कि बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ-साथ लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना स्थानीय स्तर पर की जा सकती है। उनका विकास सरलता पूर्वक संभव है क्योंकि उनको कम पूँजी की आवश्यकता है। लघु व कुटीर उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की आय को बड़े पैमाने के उद्योगों के श्रमिकों के बराबर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिक समय कार्य करें। उदाहरण के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों में 8 घंटे में जो मजदूरी मिलती है यदि वह कुटीर उद्योग में 12 घंटे में प्राप्त हो तो कुटीर उद्योग वाले श्रमिक को 12 घंटे कार्य करना चाहिए।

एम एन राय ने दोनों ही प्रकार के उद्योगों के सतुलित विकास हेतु जो विचार प्रस्तुत किये उन्हें उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है— यह सत्य है कि भारत एक गरीब राष्ट्र है। लेकिन यह सत्य नहीं है कि एक उपयोगी पैमाने पर औद्योगीकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं हैं। जो सरसाधन उसके पास है उनकी सहायता से उचित मात्रा में प्रारम्भ किया जा सकता है। और यह किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं है कि अति उच्च स्तर का औद्योगीकरण भारत के लिए अच्छा ही होगा। दूसरी ओर बड़े पूँजीपतियों का छोटे उद्योगों के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है लेकिन जनता द्वारा उनका प्रारम्भ स्वयं ही स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।

5 सहकारी समाजवाद (Cooperative socialism)

रॉय को भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनकी समाजवाद रूस व चीन के साम्यवाद से भिन्न है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे अतः रूस व चीन के साम्यवाद से बहुत दूर थे। दूसरी ओर पूँजीवाद के अतर्गत होने वाले पूँजी सकेन्द्रण व आर्थिक शोषण से वे व्यथित थे। रॉय के मतानुसार समाजवाद में मानव का नैतिक शोषण होता है व पूँजीवाद में मानव का शोषण होता है। दोनों ही प्रकार के शोषण से दूर रहने के लिए उन्होंने तीसरा मार्ग चुना। यह मार्ग वस्तुतः पूँजीवाद व समाजवाद दोनों को मिलाकर व दोनों के शोषण की मूल प्रकृति को छोड़कर बनाया गया है। इसे समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है।

एम एन रॉय ने पूँजीवाद के गुणों पर अवलम्बित आर्थिक प्रणाली को सहकारी समाजवाद की सजा दी है। रॉय के सहकारी समाजवाद में व्यक्ति समुदाय की स्वतंत्र इकाई होगा और उसकी स्वतंत्रता पर कोई बाध्यकारी नियंत्रण नहीं होगा। सहकारी समाजवाद की धारणा राय की इस धारणा पर आधारित है कि मानव में स्वाभाविक रूप में पारस्परिक सहयोग की भावना रहती है।

‘सहकारी समाजवाद’ के सिद्धान्त में राय ने सहयोग एवं विकेन्द्रीकरण पर बल दिया तथा इस अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रेरक तत्वों को स्पष्ट किया—

(क) प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य उसकी जनता के लिए रोटी कपड़ा व मकान की न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना है।

(ख) इसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन देश में उपलब्ध आर्थिक साधनों की सीमा में ही किया जाना चाहिए।

रॉय ने अपना इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उपभोक्ताओं व उत्पादकों के सहकारी संघ के रूप में संगठित किया जाना चाहिए इस प्रकार के संगठनों के विकास से राज्य को न्यूनतम हस्तक्षेप करने का ही

अवसर मिल सकेगा तथा जनता देश में सहकारी सस्थाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण कर सकेगी। राय के इस सबध में निम्न सुझाव महत्वपूर्ण हैं—

(क) विकेन्द्रीकरण को आर्थिक विकास की प्रथम शर्त मानते हुए 'ग्राम' को विकास की प्रारम्भिक इकाई मानी जाय तथा ग्रामीण जनता अपने स्तर पर एक सहकारी संघ की स्थापना कर भू-संपदा के प्रबन्ध, कृषि और ग्रामीण कुटीर व लघु उद्योगों का संचालन एक साथ सम्पन्न किया जाय।

(ख) राय ने सहकारी संगठन को एक पिरामिडीय प्रकार का बनाने का सुझाव दिया जिसके निचले स्तर पर स्थानीय सहकारी समितियाँ तथा उसके ऊपर क्रमशः जिला स्तरीय, क्षेत्रीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय सहकारी सस्थाएँ होंगी।

(ग) राय ने बड़े उद्योगों को भी सहकारी क्षेत्र में संगठित करने का सुझाव दिया इससे धीरे-धीरे निजी उद्योग सहकारी उद्योगों से प्रतियोगिता करते करते समाप्त हो जायेंगे। क्योंकि राय की मान्यता थी कि सहकारी प्रयत्नों से निजी लाभ की भावना सामुदायिक हित से प्रेरित भावना के आगे नहीं टिक सकेगा तथा निजी उद्योग असंगत हो जायेंगे।

एम एन रॉय का स्पष्ट मत था कि प्रारम्भिक स्तर पर निजी पूँजी की महती आवश्यकता है। जब तक निजी पूँजी आर्थिक शोषण का साधन नहीं बने तब तक तो उसे नियंत्रित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जब यह आर्थिक शोषण का माध्यम बन जाय तो इसे नष्ट कर देना चाहिए।

6. आर्थिक नियोजन (Economic planning)

एम एन रॉय भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक नियोजन को एक प्रभावी माध्यम बताया। 1943 में प्रस्तुत प्रमुख उद्योगपतियों के 1943 के बाम्बे प्लान के उपरान्त एम एन रॉय व उनके साथी जी डी पारीख, वी एम तारकुण्डे व बी. एन. बनर्जी ने 15000 करोड रु. की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की जो कि पीपुल्स प्लान के रूप में प्रसिद्ध है।

पीपुल्स प्लान (People's Plan) एक प्रकार का केन्द्रीय विचार है। भविष्य में भारत प्रजातांत्रिक राज्य होगा जहाँ स्वतंत्र गणराज्य भूमि व खनिज ससाधन पर स्वामित्व लिए हुए होंगे। गारी उद्योग व बैंको का नियंत्रण भी उन्हीं के अधीन होगा। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तथा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य होगी। कृषि का स्वरूप सहकारी होगा। सरकार न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी, सरकार मानव की अनिवार्य आवश्यकताएँ जैसे भोजन, वस्त्र, आवास व स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। उत्पादन संगठन इस प्रकार का होगा कि लाभ उद्देश्य न्यूनतम हो। अतिरिक्त उत्पादन को निजी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोका जाएगा व

उसे इस प्रकार विनियोजित किया जाएगा कि उत्पादन में और वृद्धि हो व रोजगार भी बढ़े। ग्रामीण ऋण का 75 प्रतिशत समाप्त कर दिया जाएगा व 25 प्रतिशत सरकार स्वयं वहन करेगी। राज्य फार्म के रूप में धीरे-धीरे कृषि का समूहीकरण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक अपाते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। लघु उद्योगों की अपेक्षा बढ़े पैमाने के उद्योगों पर बल दिया जाएगा। कुछ बड़े उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होंगे। इन सब विचार कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था करारोपण अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त कृषि उत्पाद के निर्यात आदि द्वारा की जाएगी।

रॉय द्वारा प्रस्तुत पीपुल्स प्लान (People's Plan) वस्तुतः सोवियत रूस की योजनाओं पर आधारित है। योजना का क्रियान्वयन तब तक असंभव है जब तक कि वर्तमान सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन न किये जायें।

7 नव मानववाद (New Humanism)

राय विद्यार्थी जीवन में उग्र राष्ट्रवादी से लेकर जीवन में अंतिम चरण में अतन्त्र नव मानववाद के प्रवर्तक बने। मध्य में साम्यवाद के विभिन्न स्वरूपों के समर्थक रॉय क्रान्तिकारी समाजवादी के रूप में जाने जाते थे। एम एन राय आजीवन साम्यवाद से जुड़े रहे लेकिन अंत में उसके आलोचक हो गये। नव मानवतावाद रॉय की एक महत्वपूर्ण मौलिक देन है। यह नव मानववाद मानव को व्यवस्था का केन्द्रीय तत्व व अंतिम साध्य मानता है। राय का नव मानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता व स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु बनाना चाहता है।

एम एन रॉय ने जब नव मानव का विचार प्रस्तुत किया था तो उनका सौचता था कि उनसे पूर्व जिन-जिन विचारकों ने मानव को महत्व दिया है। उन्होंने मानव को न्याय सम्मत सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया है। रॉय का मत था कि पश्चिमी व्यक्तिवाद गांधी के आध्यात्म आधारित आदर्शवाद तथा मार्क्सवादी साम्यवाद आदि लगभग सभी विचारधाराओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की किसी न किसी सीमा तक उपेक्षा की गई है। रॉय न पश्चात्य जीवन पथ व प्राचीन जीवन पथ के स्थान पर नव मानववाद को प्रतिष्ठित करने हेतु अपना मतव्य निम्न शब्दों में व्यक्त किया— यह पश्चात्य या भारतीय जीवन पद्धति का प्रश्न नहीं है। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी नहीं कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। पश्चात्य जीवन पद्धति भी इसलिए नहीं बयोकि यह पश्चात्य है अपितु इसलिए कि यह एक अधी गली में ले जाती है और उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हमें आवश्यकता है एक नई जीवन पद्धति की जो कि एक मानवतावादी पथ है जहाँ व्यक्ति की योग्यताएँ ही निर्णायक होती हैं और उन्हें प्रणाली निश्चित करने की अनुमति होती है जिसमें वे कार्य कर सकते हैं व जीवनयापन कर सकते हैं।

चीन में साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक माओ ने भी नव मानव (New Man) की अवधारणा प्रस्तुत की लेकिन उनका नव मानव सर्वाधिकारी राज्य (Totalitarianism)

State) के अंतर्गत थी जबकि रॉय ने नव मानववाद की सकल्पना प्रजातंत्र के अंतर्गत की जो कही अधिक श्रेष्ठ है।

आज हम जिस नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (New international Economic order) की सकल्पना कर रहे हैं उससे भी विस्तृत सकल्पना नव मानववाद के अंतर्गत रॉय ने एक विश्व राज्य की प्रस्तुत की। रॉय के अनुसार राष्ट्रवाद एक सकीर्ण विचारधारा है जो मानव मात्र की विश्वव्यापी एकता में बाधा है। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परे, स्वतंत्र स्त्रियों व पुरुषों के सार्वभौम समुदाय की कल्पना की। यही रॉय के नव मानववाद की आदर्श है। उन्ही के शब्दों में—“ नव मानववाद सार्वभौम है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। पूँजीवादी, फासीवादी समाजवादी साम्यवादी अथवा अन्य किसी प्रकार के दर्गीकरण, 20 वी शताब्दी में हुए मनुष्य के पुनर्जागरण के प्रभाव से धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएंगे।”

मूल्यांकन

एम एन. रॉय एक विचारक की तुलना में आलोचक अधिक रहे। उनकी यह मौलिकता थी कि जिस रूप में कोई विचारधारा है उसको उन्होंने उसी रूप में कभी स्वीकार नहीं किया चाहे साम्यवाद हो या मार्क्सवाद चाहे उदारवाद हो या समाजवाद वे आजीवन समय के साथ-साथ सभी से जुड़े रहे लेकिन उन्होंने उन विचारधाराओं के साथ स्वयं को एक अलग मौलिक प्रस्तुति के साथ जोड़ा। लेकिन जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने उन सभी की आलोचना करते हुए स्वयं को दार्शनिक मनन, चिन्तन में लगा दिया और नव मानववाद की सकल्पना प्रस्तुत की।

संदर्भ

- 1 इंडियन सोसियलिस्ट थिंकर्स, पृष्ठ 12
- 2 पोलिटिक्स, पावर्स एण्ड पार्टीज, पृष्ठ 160
- 3 उपर्युक्त, पृष्ठ 30
- 4 उपर्युक्त, पृष्ठ 159
- 5 उपर्युक्त, पृष्ठ 167
- 6 पीजन रोनाटीसिज्म एण्ड रिदोल्फूशन खण्ड II, पृष्ठ 310

प्रश्न

- 1 एम एन रॉय के विचारों पर किन विचारकों व अध्ययन का प्रभाव पड़ा ?
- 2 रॉय ने भारत से निर्धनता के निवारण हेतु कौन-कौन से उपायों का उल्लेख किया ?

- 3 एम एन रॉय के बेरोजगारी सम्बन्धी विचारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
- 4 रॉय ने भारत में बेरोजगारी की समस्या के निवारण हेतु कौन-2 से उपाय बताए हैं ? नाम लिखिए।
- 5 रॉय के कृषि सम्बन्धी विचारों का विवेचन कीजिए।
- 6 रॉय के अनुसार भूमि पर स्वामित्व किसका होना चाहिए ?
- 7 एम एन रॉय के 'नव मानववाद' सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण कीजिए।
- 8 'समाजवाद में मानव का नैतिक शोषण व पूँजीवाद में आर्थिक शोषण होता है। एम एन रॉय के इस सम्बन्ध में विचार स्पष्ट करते हुए उनके सहकारी समाजवाद को समझाइये।
- 9 एम एन रॉय द्वारा निर्धनता, बेरोजगारी तथा कृषि पर व्यक्त किये गये विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 10 उद्योग आर्थिक नियोजन तथा नवमानववाद से सम्बन्धित रॉय के विचारों को स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइये कि वे पूरे जीवन साम्यवाद से जुड़े रहकर जीवन के अन्त में उरसवे आलोचक कैसे बन गये ?



महात्मा गाँधी

(Mahatma Gandhi : 1869-1948)

परिचय

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का जन्म काठियावाड प्रान्त में पोरबन्दर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ई. को हुआ। उनके पिता राजकोट के दीवान थे और अपनी निष्पक्षता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। गाँधीजी की माता धर्मपरायण भारतीय नारी थी, ईश्वर में उनका अटल विश्वास था पूजा-पाठ किये बिना वे भोजन नहीं करती थी, नियमपूर्वक व्रत व उपवास किया करती थी।

गाँधीजी की शिक्षा पोरबंदर में प्रारंभ हुई, किन्तु शीघ्र ही उनके पिता पोरबंदर से राजकोट चले गये। राजकोट से ही उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की।

गाँधीजी का विवाह अल्पायु में ही कस्तूरबाई के साथ कर दिया गया। इस समय वे हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। कस्तूरबाई को वे सदा 'बा' कहकर संबोधित करते थे।

सन् 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करके जब गाँधीजी इंग्लैण्ड जाने लगे तो उन्होंने अपनी माता की इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए, उनके सामने शपथ लेकर कहा कि मैं वहाँ मद्य, माँस और परस्त्रीगमन—इन तीनों बुराइयों से दूर रहूँगा। इंग्लैण्ड से 'बैरिस्टर' होकर स्वदेश लौटे तो उनकी माता का देहान्त हो चुका था।

हिन्दुस्तान में गाँधीजी ने वकालत का काम शुरू किया किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। सयोगवश उन्हीं दिनों पोरबंदर की एक धनी कम्पनी ने उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में काम करने के लिए कहा जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दक्षिणी अफ्रीका पहुँचकर जब उन्होंने वहाँ रह रहे भारतीयों के अपमानपूर्ण जीवन को देखा, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। गाँधीजी को स्वयं भी रेल में, गाड़ी में, होटल में, अदालत में तरह-तरह के अपमान सहन करने पड़े। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों को नागरिकता के समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन का जन्म दिया और समय-समय पर बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की। अपने आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए गाँधीजी ने फीनिक्स आश्रम खोला, सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इंडियन ओपिनियन (Indian Opinion) नामक पत्र निकाला तथा जनमत को समेटित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस (Natal Indian Congress) की स्थापना की। गाँधीजी वहाँ कर्मपीर गाँधी के नाम से प्रसिद्ध हुए।

गाँधीजी कहते हैं कि यह एक सामान्य स्वीकृत तथ्य है कि समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तथा यह अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र न्याय शास्त्र नीति शास्त्र आदि से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है। जब अर्थशास्त्र व नीति शास्त्र दोनों ही समाज विज्ञान हैं तथा दोनों ही समाज के कल्याण में रुचि रखते हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः आर्थिक आधारणाओं में नीतिगत विचार स्वतः ही समाहित हैं।

गाँधीजी ने जीवन को पूर्ण रूप में देखा न कि टुकड़ों में। इसलिए जीवन के किसी एक भाग की उपेक्षा करके दूसरे भाग की प्रगति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तविक व सच्चे अर्थशास्त्र का अर्थ है समाज की भौतिक व नैतिक दोनों प्रगति। अर्थशास्त्र को धनोत्पादन व धन वृद्धि में सहयोग करना चाहिए लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय व नैतिक प्रगति भी होनी चाहिए।

गाँधीजी ने अर्थशास्त्र विषयक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि "सच्चा अर्थशास्त्र कभी भी सर्वोच्च नैतिक स्तर का विरोध नहीं करता—ठीक वैसे ही, जैसे सभी सच्चे नीति शास्त्र अपने नामानुकूल अवश्य ही अच्छे अर्थशास्त्र भी होने चाहिए। वह अर्थशास्त्र, जो कुबेर की पूजा करता है और उन लोगों को जो शक्तिशाली हैं, दुर्बल लोगों के विनाश द्वारा धन संग्रह करने का अवसर देता है, वह शास्त्र सर्वथा झूठा और भयानक है। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यह सभी लोगों का समान रूप से कल्याण चाहता है, जिनमें कमजोर भी शामिल हैं, और सुन्दर जीवन के लिए ऐसा शास्त्र अत्यावश्यक है।"

वस्तुतः गाँधीजी मानववादी थे तथा जीवन में आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल देते थे। सत्य और अहिंसा उनके अस्त्र थे और मानव मात्र का कल्याण ध्येय। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में उनकी प्रबल आस्था थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है जो अर्थशास्त्र नैतिकता का हास करता है वह पाप है उनके शब्दों में "वह अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण पर प्रहार करता है, अनैतिक है और इसलिए पापमय है।"

गाँधीजी की नैतिक मूल्यों में आस्था का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने वाले अर्थशास्त्र को झूठा अर्थशास्त्र कहा है। उन्हीं के शब्दों में "वह अर्थशास्त्र झूठा है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा और अवहेलना करता है।"

आर्थिक नियम

अर्थशास्त्र के नियम जीवन के उच्च मूल्यों के अनुसार होने चाहिए। जीवन के उच्च नियम व अर्थशास्त्र के नियम समान होने चाहिए। गाँधीजी के अनुसार यदि उच्च नियमों व वास्तविक नियमों के मध्य अंतर रहेगा तो निश्चय ही असमज पूर्ण व सदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो जायगी। आर्थिक नियम जिनका कि उद्देश्य भौतिक प्रगति सामाजिक

समता व नैतिक स्तर की उच्चता हो, प्रकृति के नियमों के अनुसार होने चाहिए। प्रकृति के नियम व अर्थशास्त्र के नियमों के मध्य कोई विरोध या विवाद नहीं है। प्रकृति के नियम व्यापक व सत्य हैं। हमें नियम बनाते समय देश की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि अर्थशास्त्र के नियमों का हमें व्यावहारिक प्रयोग करना है। नियमों की व्यावहारिकता देश की परिस्थिति, जलवायु, भौगोलिक स्थिति आदि पर निर्भर करती है। गाँधीजी का आर्थिक नियम सबधी विचार रानाडे के विचारों के अधिक नजदीक है। गाँधीजी ने देश की विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अलग आर्थिक नियम की बात कही। आर्थिक नियम के अंतर्गत गाँधीजी ने नैतिक नियम भी समाविष्ट कर दिये हैं व उनकी सत्यता व व्यापकता हेतु उन्हें प्राकृतिक नियमों से सबद्ध कर दिया है। गाँधीजी द्वारा प्रस्तुत खादी अर्थशास्त्र व सर्वोदय संकल्पना उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही है।

व्यक्तिवाद

व्यक्ति गाँधीजी के दर्शन का केन्द्र बिन्दु है। व्यक्ति सर्वोच्च है। गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति परम साध्य है। यह गाँधीजी के दर्शन का एक अद्भुत पक्ष है जिसमें व्यक्ति और समाज के मध्य किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति की चेतना, उसमें सभी को अपने समान, और सभी के हित में अपना हित समझने की सहज प्रवृत्ति ही उत्पन्न करेगी और इस प्रकार व्यक्ति व समाज के मध्य किसी टकराव की कोई सम्भावना नहीं होगी। गाँधीजी के अनुसार सामाजिकता व्यक्ति की चेतना का अनिवार्य लक्षण है। गाँधीजी ने बताया कि जिस प्रकार समुद्र पानी की बूंदों से बना है, ठीक इसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों के समूह से बना है। जिस प्रकार पानी की बूंद की पृथक् सत्ता है उसी प्रकार व्यक्ति की भी पृथक् सत्ता है परन्तु दोनों अपनी समग्र के अर्थात्, वार्य हिस्से हैं।

गाँधीजी ने मानवीय व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल दिया। मानव जीवन स्वयं में पूर्ण एवं अविभाज्य है। इसका खण्डों में विभाजन असंभव है। जिस व्यवस्था में संपूर्ण मानव विकास पर बल न हो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वे उन्हीं सुधारों को वाछनीय मानते थे जो मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करें। कोई भी सस्था चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक या आर्थिक, मानव के पूर्ण विकास हेतु ही होनी चाहिए।

गाँधीजी का विश्लेषण था कि यदि व्यक्ति का नैतिक विकास होगा तो समाज का भी नैतिक विकास होगा लेकिन यह जरूरी नहीं है कि समाज का नैतिक विकास होने पर ही व्यक्ति का नैतिक विकास हो। गाँधीजी ने सर्वदा व्यक्तिगत विश्लेषण पर बल दिया न कि समग्र पर। यदि व्यक्तिगत आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर व्यक्तिगत आय का बढ़ना आवश्यक नहीं है। इसका कारण कुछ हाथों में राष्ट्रीय आय का केन्द्रित हो जाना है। व्यक्तिगत

कल्याण को मापने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन का सांख्यिकीय औसत व्यक्ति की उपेक्षा करता है।

मानव और आर्थिक मानव (The Man and The Economic Man)

पूँजीवादी आंदोलन ने मानव के अतर्गत निहित नैतिक मूल्यों का परित्याग कर आर्थिक मानव की कल्पना की है। अर्थशास्त्र के अतर्गत सभी प्रकार की धन प्राप्ति व व्यय का यह आर्थिक मानव केन्द्र बिन्दु है। मानव जीव्य की अन्य विधाओं से अलग यह आर्थिक मानव विशिष्ट रूप से स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य कर रहा है। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा की संकल्पना अदृष्टक्षेप नीति के अतर्गत यह "न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम सतुष्टि" में लगा हुआ है। अमेरिका यूरोप आदि देशों में तो साधनों की बहुलता व श्रम शक्ति का अभाव है यहाँ तो यह सिद्धान्त आज के भौतिकवादी लक्ष्य को प्रदान कर सकता है। लेकिन यह भौतिकवादी प्रगति कुछ के लिए कुछ समय को आणगी क्योंकि यह समाज का सतुलित व समान विकास प्रदान नहीं कर सकती। यह समस्त नैतिकता व आदर्शों का परित्याग कर साम्राज्य मानव को गुलाम बनाकर व आर्थिक मानव को अग्रदूत बनाकर प्राप्त होती है।

इस विशिष्ट परिस्थिति में मानव दो भागों में बंट जाएगा एक मानव वास्तविक मानव व दूसरा आर्थिक मानव। इस विभाजन का विशिष्ट लक्षण होगा जो लोग नैतिकता के दायरे में आते हैं जैसे सत मानवतावादी आध्यात्मवादी सांस्कृतिक मानव आदि का कोई न तो अस्तित्व रहेगा और न ही उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा क्योंकि वे आर्थिक मानव के दायरे में नहीं आते।

इस भौतिकतावादी दौड़ का लक्ष्य है—धन की अधिकतम प्राप्ति व संचय। उपयोगितावादियों (Utilitarian) ने आर्थिक मानव की अद्वारणा के अतर्गत नारा दिया "अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम वस्तुएँ" (Greatest Goods to the Greatest Number)। इस समाज के कृत्रिम विभाजन पर अलग-अलग देश में अलग-अलग प्रतिक्रिया हुई। परिवर्गी देशों में यह प्रतिक्रिया अच्छी रही परन्तु पूर्व के औपनिवेशिक देशों में इसका बुरा परिणाम निकला। भारत जैसे देश जो कि आध्यात्मिकता नैतिकता व आदर्शों के लिए ससारा में प्रसिद्ध हैं इस विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे व्यापक बुराइयों ने जन्म लिया है।

भारत इन विकृत परिस्थितियों के चलते स्वतंत्र प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हो गया। गाँधीजी ने भारत के लिए नया समाधान पुराने आदर्शों व वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञान के सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। गाँधीजी का आदर्श बना—सर्वोदय जहाँ व्यवस्था थी 'सभी के लिए अधिकतम वस्तुएँ' (Greatest Goods to All) गाँधीजी का सर्वोदय "मानव" पर आधारित है न कि 'आर्थिक मानव' पर।

सादगी तथा आवश्यकताओं संबंधी विचार

(Ideas Relating to Simplicity and Wants)

“सादा जीवन उच्च विचार” गाँधीजी का जीवन दर्शन है जिसका स्वयं उन्होंने पूर्णरूपेण परिपालन किया। गाँधीजी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए व उसके विचार उच्च स्तरीय होने चाहिए। गाँधीजी का कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएँ बुनियादी आवश्यकताएँ ही होनी चाहिए। आवश्यकताएँ तो अनन्त हैं। हम उन्हें जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। गाँधीजी के अनुसार “यह मन उस चयल पक्षी के समान है, जिसे जितना ज्यादा मिलता है, उतनी ही ज्यादा उसकी भूख बढ़ती है और अंत में फिर भूखा का भूखा रहता है। इसलिए इच्छाओं की सीमा का अत्यन्त विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय-हाय करना मात्र भ्रम और जाल प्रतीत होता है। सभ्यता का सच्चा अर्थ अपनी इच्छाओं को बढ़ाने नहीं बल्कि संप्रयास कम करना है।”

गाँधीजी का स्पष्ट मत था कि भौतिक कल्याण ही जीवन में सुख प्राप्ति का साधन नहीं है। सत्य और अहिंसा पर आधारित गाँधीजी के जीवन दर्शन में भौतिक कल्याण के अतिरिक्त बहुत कुछ कल्याणकारी तथ्य अवशिष्ट है। मानव का मुख्य ध्येय ईश्वर प्राप्ति है जो कि भौतिक कल्याण के मार्ग से कदापि संभव नहीं। गाँधीजी प्रश्न करते हैं। कि क्या आवश्यकताओं के बढ़ने से मानव जीवन में प्रसन्नता बढ़ी है? क्या मनुष्य को दासता से मुक्ति मिली है? उत्तर है, “नहीं”। गाँधीजी आवश्यकताओं के बढ़ाने के इसलिए भी विरुद्ध थे क्योंकि वे भारत के गाँवों को और वहाँ के रहन-सहन के पुराने तौर तरीकों को बहुत चाहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अहिंसावादी समाज के अस्तित्व के लिए इतिहास में इस जीवन से निकटतम कोई पद्धति नहीं है। गाँधीजी का कहना था कि आवश्यकताओं की वृद्धि मानव का व्यक्तित्व कलकित कर रही है और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल के शोषण का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

आवश्यकताओं के संबन्ध में गाँधीजी का दृष्टिकोण, पारशात्य अर्थशास्त्रियों के विचार के एक दम विपरीत था परन्तु भारतीय परिस्थितियों में उचित व सही था। भारतीय अर्थशास्त्री जे. के. मेहता ने आवश्यकताओं के सदर्भ में गाँधीजी के विचारों का अनुसरण किया।

वर्णाश्रम धर्म

प्राचीन भारत में वर्णाश्रम धर्म पूर्ण व समन्वयात्मक सहकारी जीवन का आदर्श था। समस्त समाज 4 कार्यात्मक समूहों में विभाजित था—

- (i) ब्राह्मण
- (ii) क्षत्रिय

(iii) वैश्य

(iv) शूद्र

गाँधीजी का कहना था कि इस वर्ण व्यवस्था में कतिपय बुराइयों प्रविष्ट कर गयी थी लेकिन प्राचीन काल में इस व्यवस्था ने महती उद्देश्यों को प्रदान किया व आधुनिक तकनीकी रूप में कहलाने वाले श्रम विभाजन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था। गाँधीजी के अनुसार ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है। समस्त समाज एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। इस सदर्भ में वेदोक्त वर्ण व्यवस्था में गाँधीजी की गहरी आस्था थी। इस व्यवस्था में सभी वर्णों का जन्म विराट पुरुष (ईश्वर) से हुआ है—

ब्राह्मणो स्थ मुख मासीद बाहू राजन्य कृत ।

उरुतदस्य यद्वैश्य पदभ्या शूद्रो जायत ॥'

उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय जघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। जिस प्रकार मुख भुजाएँ जघा एव पैर एक ही शरीर के अंग हैं और इनके सुसंचालन से ही मनुष्य कुछ करने में सक्षम होता है, इसी प्रकार चारों वर्णों के सहयोग से ही समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलता है गाँधीजी की वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर "कर्म" था। यहाँ उल्लेखनीय है कि गाँधीजी ने गीता का गहन अध्ययन किया था। गीता के अतर्गत श्री कृष्ण ने अति स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चार वर्ण गुण कर्म विभागानुसार ही मेरे द्वारा बनाए गये हैं —

'चातुर्वर्ण्यं नया सृष्ट गुण कर्म विभागशः ।'

गीता के अतर्गत विभिन्न वर्णों के जो गुण व कर्म बताए गये हैं गाँधीजी के विचारों पर उनकी गहरी छाप है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भिक आधार अवश्य जन्म है किन्तु वर्ण निर्धारण कर्म द्वारा ही होता है। गाँधीजी के शब्दों में 'वर्ण जन्म द्वारा निर्धारित होता है लेकिन उसे उसके दायित्व निर्वाह के द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में होता है तो वह ब्राह्मण कहलायेगा लेकिन जब वह अपने जीवन में आयु के अनुसार कार्य क्षेत्र में आता है और ब्राह्मण के कार्य करने में सक्षम नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलायेगा। यदि किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है व जीवन में ब्राह्मणत्व का निर्वाह भी करता है और अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहता तो भी वह ब्राह्मण है।'

व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह क्रम में 4 अवस्थाएँ हैं—जो कि चार आश्रम कहलाती हैं —

- 1 ब्रह्मचर्य आश्रम
- 2 गृहस्थ आश्रम
- 3 वानप्रस्थ आश्रम
- 4 सन्यास आश्रम

गाँधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुजी है। वर्ण व्यवस्था समाज की सफलता की कुजी है और वर्णाश्रम ही हिन्दुत्व की सफलता का रहस्य है। इस वर्णाश्रम व्यवस्था से पुरुषार्थ चतुष्टय—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ होता है और अतत आत्म तत्त्व की प्राप्ति व सर्वोच्च सत्ता ईश्वर से साक्षात्कार। गाँधीजी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म पृथ्वी पर मानव के लक्ष्य को परिभाषित करता है। वह दिन प्रतिदिन इसलिए जन्म नहीं लेता कि वह धनी होने के स्रोत तलाशे और जीवन—यापन के विभिन्न माध्यम खोजे बल्कि उसका जन्म इसलिए हुआ कि वह अपनी शक्ति के प्रत्येक अणु का उपयोग निर्माता (ईश्वर) को जानने के उद्देश्य से करे। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म गाँधीजी की तत्त्वमीमासा का अंग है।

गाँधीजी की पूर्वी सम्यता में दृढ़ आस्था व प्रेम था जो कि आत्म त्याग व सतोंष की भावना पर आधारित थी। इसके विपरीत पश्चिमी सम्यता के निर्देशक तत्वों में सग्रह व कमी न मिटने वाली मूख प्रमुख थे। प्रथम, कर्त्तव्यों की बात करती है तो दूसरी अधिकारों पर बल देती है। एक परमार्थवादी है तो दूसरी स्वार्थी। गाँधीजी ने पूर्वी सम्यता के साध्यों (ends) की प्राप्ति हेतु वर्णाश्रम व्यवस्था के पुनरुत्थान पर बल दिया तथा कहा कि इसके पुनरुत्थान से ही सच्चे प्रजातंत्र की प्राप्ति होगी। गाँधीजी ने इस वर्णाश्रम धर्म में अनेक सभावनाएँ व्यक्त कीं। उन्हीं के शब्दों में 'वर्णाश्रम इस प्रकार कोई मानव निर्मित सस्था नहीं है बल्कि मानव परिवार को निर्देशित करने वाला सर्वव्यापी जीवन का नियम है। इस नियम के परिपालन से जीवन जीने योग्य बनेगा, शान्ति व प्रेम का विस्तार होगा, सभी प्रकार के झगड़े व विवाद दूर होंगे, भुखमरी व दरिद्रता मिटेगी, जनसख्या की समस्या दूर होगी व बीमारियों व महामारियों का अन्त होगा।'

प्रन्यास सिद्धान्त (Trusteeship)

प्रन्यास सिद्धान्त गाँधी जी की मौलिक देन है। यह समाजवाद की प्राप्ति का अहिंसक मार्ग है। अहिंसा व त्याग की भावना पर आधारित इस सिद्धान्त का आधार ईशोपनिषद् है। ईशोपनिषद् के प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या गाँधीजी ने प्रस्तुत कर प्रन्यास सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

ईशादास्यमिद सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुजुया मा गृध कस्यस्विद् धनम्।'

'अखिल ब्राह्माण्ड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है वह समस्त ईश्वर में व्याप्त है। इस ईश्वर को साक्षी रखते हुए त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत होओ, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात् किसी का भी नहीं है।'

गाँधीजी ने इस श्लोक पर जो भाष्य प्रस्तुत किया वह अपरिग्रह में उनकी आस्था को दर्शाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है अतः तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम्हारा जो कुछ भी है, उसका ईश्वर निर्धिवाद रूप से स्वामी है और उस पर कोई आपत्ति भी नहीं उठा सकता।

जो वस्तु व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है उन पर व्यक्ति का स्वामित्व है। किन्तु इस दशा में भी इसका उपभोग या प्रभाव उत्सर्ग की भावना से होना चाहिए और यह उत्सर्ग या परिहार अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए क्योंकि ऐसा न हो कि इस व्यस्त जगत में जीवन के केन्द्रभूत तथ्य को हम भूल जाएँ।¹⁰

गाँधीजी ने अपने लिए किसी प्रकार की निजी संपत्ति पर अधिकार रखने से इकार किया। उन्होंने किसी ऐसे विश्व की कल्पना नहीं की जहाँ निजी संपत्ति होगी ही नहीं। किन्तु उनके विचार में उतनी ही निजी संपत्ति का होना उचित था जितनी सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक हो और उससे अधिक के लिए उन्होंने न्यास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने पूँजीपतियों से कहा कि वे अपने को उन लोगों का न्यासी (Trustee) मानें जिन पर वे अपनी पूँजी बनाने धारण करने और बढ़ाने पर निर्भर करते हैं। जिनके पास धन है वे अब अपने धन पर गरीबों की ओर से या समाज की ओर से न्यासी के रूप में अधिकार रखें। न्यासी के रूप में उसे स्वामित्व धारण करने का अधिकार होगा और धन बढ़ाने के लिए वे अपने बुद्धि वैभव का उपयोग कर सकते हैं किन्तु अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए बिना शोषण के ऐसा करने दिया जायगा। उनकी सेवा और समाज के लिए उसका क्या महत्त्व है इसे ध्यान में रखकर राज्य कमीशन की दर तय करेगा जो उसे मिलेगा। उत्तराधिकार के सबंध में, हालांकि प्रथम न्यासी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएगा फिर भी राज्य को ही इसे अंतिम रूप देने का अधिकार होगा।

गाँधीजी के प्रन्यास सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में केवल दृढ़ धार्मिक विश्वास ही नहीं था अपितु व्यावहारिकता भी थी। गाँधीजी यह जानते थे कि बलपूर्वक मनुष्यों को उनकी संपत्ति का बुद्धि वैभव से अलग करने का परिणाम होगा— वर्ग संघर्ष घृणा सर्वहारा अधिनायक तंत्र सर्वशक्तिमान एव निग्रह। राज्य तथा इसके परिणामस्वरूप अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने की सभी आशाओं का धूल में मिल जाना। जिन व्यक्तियों ने अपनी विशिष्ट योग्यता के बल पर संपत्ति अर्जित की है यदि बल द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाय तो उत्पादन काफी घट सकता है। इसका परिणाम होगा तात्कालिक लाभ के लिए भविष्य में होने वाले लाभ को विलकुल समाप्त कर देना। अतः उन्होंने बल प्रयोग द्वारा उनकी आय या धन से वंचित करने की अपेक्षा उन्हें इस बात के लिए पेरित करने पर बल दिया कि वे न्यासी के रूप में काम करें। मानव प्रकृति से परिचित होने के कारण गाँधीजी न बताया कि धनी व्यक्तियों को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि उन्होंने न्यासिता को स्वीकार नहीं किया तो अतत उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। उन्हीं के शब्दों में 'संपत्ति के वर्तमान स्वामियों को यह अबसर होगा कि वे दो विकल्पों में से एक का चयन कर लें या तो स्वेच्छा से स्वयं को संपत्ति का न्यासी बना लें या फिर वर्ग संघर्ष का सामना करें।'

गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि " यदि संपत्तिधारी लोग और पूँजीपति आवश्यकता से अधिक पूँजी या संपत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने के लिए स्वेच्छा से तैयार नहीं हो, तो वे यह सुझाव देंगे कि राज्य ऐसे लोगों की संपत्ति का बलपूर्वक हरण कर ले। किन्तु ऐसा तभी किया जाना चाहिए जबकि हृदय परिवर्तन के सभी अहिसक साधन विफल हो गये हों।"¹²

गाँधीजी ने अपने प्रन्यास सिद्धांत को संक्षेप में निम्न प्रकार समझाया है—¹³

(अ) न्यासिता वर्तमान पूँजीवादी समाजतंत्र को समतावादी समाज तंत्र परिणत करने का एक माध्यम है, इसमें पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं है किन्तु यह वर्तमान पूँजीपति वर्ग को अपने आपको सुधारने का एक अवसर अवश्य प्रदान करता है। न्यासिता का आधार यह विश्वास है कि मानव प्रकृति निश्चय ही सुधारी जा सकती है।

(ब) न्यासिता का सिद्धांत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। अगर करता भी है तो सिर्फ उस सीमा तक, जिसकी स्वीकृति समाज स्वयं अपने कल्याण के लिए दे।

(स) स्वामित्व और संपत्ति के प्रयोग का वैधानिक नियम भी न्यासिता के सिद्धांत की परिधि में आता है।

(द) इस प्रकार शासन नियमित न्यासिता के अतर्गत किसी व्यक्ति को समाज के हितों की अवहेलना करके अपनी ही संतुष्टि के लिए संपत्ति पर नियंत्रण रखने और उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता नहीं होगी।

(य) एक न्यूनतम समुचित जीवनयापन आय का जैसे प्रस्ताव है वैसे ही समाज में किसी व्यक्ति विशेष की अधिकतम आय की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इस न्यूनतम और अधिकतम आय का अंतर तर्क सगत और न्यायोचित होना चाहिए और समय-समय पर बदलता भी रहना चाहिए और हर परिवर्तन के समय यह प्रवृत्ति होनी चाहिए कि यह अंतर किसी प्रकार कम हो।

(र) उत्पादन के स्वरूप का निश्चय सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाय, न कि किसी व्यक्ति विशेष की सनक अथवा तालच के आधार पर।

गाँधीजी के प्रन्यासिता सिद्धांत के औचित्य व व्यावहारिकता पर, आलोचकों ने प्रहार किया तथा इसे गाँधीजी की पूँजीपतियों को प्रच्छन्न समर्थन बताया। गाँधीजी ने ऐसे आरोपों का दृढ़ता से प्रतिवाद किया और बताया कि उनका सिद्धांत किसी भी रूप में पूँजीपतियों को प्रभ्रय नहीं देता, यह तो वस्तुतः पूँजीवाद के दोषों के निराकरण का समुन्नत, नैतिक और विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा "मेरा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे काम निकालने के लिए आज गड़ लिया गया हो। अपने मतव्य को छिपाने के लिए खड़ा किया गया आवरण तो यह हरगिज नहीं है। मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेगे तब भी वह रहेगा। उसके पीछे तत्व ज्ञान व धर्म के समर्थन का बल है।"¹⁴

विकेन्द्रीकरण (Decentralisation)

विकेन्द्रीकरण गाँधीजी का आधारभूत सिद्धांत है। यह समाज के आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही संरचनाओं में प्रयुक्त होता है। इसकी विशिष्ट समाजशास्त्रीय महत्ता है। यह उत्पादकों को प्रबंध में प्रभावी भूमिका सभ्य कराता है तथा मशीन का मालिक बनाता है न कि सेवक। यह व्यक्तिगत के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। विकेन्द्रीकरण गाँधीजी के सामाजिक संगठन का आधार है। यह पृथ्वी पर शांति की स्थापना की कुंजी तथा अहिंसाक समाज की नींव है।

गाँधीजी केन्द्रीयकरण (Centralisation) को हिंसा का प्रतीक मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में केन्द्रीयकरण ही शोषण और असमानता का मुख्य कारण है। उनकी मान्यता है कि आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाने का फलस्वरूप पूँजीपति वर्ग समाज में उपलब्ध योग्यताओं और साराधनों का शोषण कर लेने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। उनके अनुसार समाज में धनी व निर्धन वर्ग के मध्य खाई का कारण भी केन्द्रीयकरण ही है। गाँधीजी का स्पष्ट मत है कि विकेन्द्रीकरण के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है।

गाँधीजी ने बड़े पैमाने के उद्योगों के कुछ स्थानों पर केन्द्रित हो जाने की अपेक्षा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया। गाँधीजी चाहते थे कि उत्पादन इकाइयों आम जनता के घरो तक विशेष रूप से गाँवों तक पहुँचें। ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोजगार में वृद्धि। लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुशलता अधिक पायी जाती है व उत्पादन लागत कम आती है। लघु व कुटीर उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तु निम्न कारणों से सस्ती होती है—

(अ) कोई अतिरिक्त स्थापना लागत (establishment charges) नहीं होती।

(ब) बहुत कम औजारों (Tools) की आवश्यकता होती है।

(स) भंडारण की कोई समस्या नहीं होती।

(द) उपभोक्ताओं तक वस्तु पहुँचाने के लिए कोई परिवहन लागत नहीं होती।

(ध) उत्पादन की मात्रा जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। अतः उत्पादन अतिरेक की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती।

(र) इन उद्योगों के अंतर्गत प्रतियोगिता में होने वाले अपव्यय भी नहीं होते।

कृषि के साथ-साथ कुटीर उद्योगों की स्थापना होने पर किसान अपने बेकार समय का सही उपयोग कर सकेंगे। वस्तुतः ग्रामीण जीवन के साथ-साथ इनका विशिष्ट तारतम्य है।

ये उद्योग ग्रामीणों की आय में वृद्धि करेंगे व उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे। इन उद्योगों की स्थापना के माध्यम से जहाँ एक ओर गाँवों की गरीबी व

बेरोजगारी की समस्या दूर होगी वहीं दूसरी ओर गाँव आत्म निर्भर आर्थिक इकाई के रूप में उभरेंगे।

गाँधी जी ने विकेन्द्रीकरण की अवधारणा की राजनीतिक जीवन में भी व्याख्या की। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से गाँधीजी ने ग्राम स्वराज्य की अभिकल्पना की। ग्राम स्वराज्य "राम राज्य" की प्राप्ति का मार्ग है। गाँव आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से एक पूर्ण इकाई होनी चाहिए। इस ग्राम स्वराज्य में श्रम और पूँजी के बीच विवादों, साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं और वर्ग भेद के लिए कोई स्थान नहीं होगा। क्योंकि विकेन्द्रीकरण द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया को श्रम आधारित बनाकर, आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया जायगा, अहिंसा और प्रेम के आदर्श, व्यक्तियों के मन में साम्प्रदायिक वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे।

खादी अर्थशास्त्र

खादी का गाँधी जी के आर्थिक विचारों में विशिष्ट स्थान है। खादी के लिए प्रयुक्त होने वाला माध्यम "चर्खा" इसके साथ अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का तो यह प्रतीक बन गया था। खादी व चरखा गाँधीजी के विकेन्द्रीकरण का रचनात्मक स्वरूप हैं, स्वदेशी आंदोलन का आधार है व ग्राम स्वराज्य का प्राण है। गाँधी जी के खादी के संदर्भ में विचार इतने व्यापक व रचनात्मक हैं कि समग्र रूप में इसे "खादी अर्थशास्त्र" कहा जाता है।

गाँधी ने खादी को स्वराज्य का रहस्य, व अकाल व सूखे के निराकरण का एकमात्र मार्ग बताया है। गाँधी जी ने जीवन प्रदाता बताया है, उन्हीं के शब्दों में "यह ग्रामीणों का नया जीवन व नयी आशा प्रदान करती है। यह लाखों मूँह भरे सकती है। यह अकेले ही हमें ग्रामीणों के करीब ला सकती है। यह लाखों लोगों के लिए सर्वाधिक चर्चित शिक्षा है जिसकी कि आवश्यकता है। यह जीवन प्रदाता है।"¹⁵

गाँधी जी ने आत्म निर्भर गाँव की प्रथम जो दो आत्म निर्भरताएँ बतायी हैं, वे हैं—खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भरता वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कपड़े के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने के लिए प्रत्येक गाँव में जहाँ संभव है, कपास बोयी जानी चाहिए व हर घर में चरखा होना चाहिए व खादी का उत्पादन किया जाना चाहिए।

गाँधीजी ने खादी उद्योग को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की है। खादी को ग्रामीण प्रणाली का सूरज (Sun) बताया है। उन्हीं के शब्दों में, "चरखा तो ग्राम उद्योग का मध्य बिन्दु है। अगर सात लाख गाँवों में चरखा नहीं चले तो अन्य गृह उद्योग भी नहीं चल सकते। चरखा तो सूरज है और दूसरे जो उद्योग हैं वे ग्रह हैं, जो सूरज के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। अगर सूरज डूब जाए तो दूसरे ग्रह घल नहीं सकते, क्योंकि वे सब सूरज पर ही आश्रित हैं।"¹⁶

गाँधीजी ने चरखे की महत्ता को एक आधारभूत उद्योग के रूप में समझा।

'घरखा' को उन्होंने बुनाई छपाई व रगाई उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के जीवन-यापन का साधन बताया। लुहार व खाती के व्यवसाय का आधार बताया। गाँधी जी ने 'घरखा' को धार्मिक व नैतिक मूल्य प्रदान किया। उन्हीं के शब्दों में 'घरखे में नीतिशास्त्र भरा है अर्थशास्त्र भरा है और अहिंसा भरी है।" गाँधीजी ने खादी उद्योग के विकास पर बल दिया व एतदर्थ निम्न उपाय बताये -

(अ) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कताई (सूत कातना) विषय अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किया जाय।

(ब) उन क्षेत्रों में भी कपास बोयी जाए जहाँ बोया जाना संभव है और अब तक नहीं बोयी जाती है।

(स) बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा बुनाई की व्यवस्था की जाय।

(द) ग्राम पंचायतों नगर परिषदों जिला परिषदों सहकारी विभागों व शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए कताई का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाय।

(य) कारखाने के सूत से हथकरघा उद्योग में बने कपड़े की कीमतों पर नियंत्रण हो।

(र) जिन क्षेत्रों में हाथ से बुना हुआ कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ कारखाने के कपड़े के उपयोग पर प्रतिबन्ध हो।

(ल) सभी सरकारी विभागों में हाथ से बने कपड़े का उपयोग हो।

(व) पुरानी कपड़ा मिलों को विस्तार की अनुमति प्रदान नहीं की जाय।

(श) नयी कपड़ा मिल खोलने की अनुमति भी प्रदान नहीं की जाय।

(ठ) विदेशी धागे व कपड़े के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

स्वदेशी

'स्वदेशी' गाँधीजी के सत्याग्रह की उपज है। स्वदेशी एक रचनात्मक कार्य है। गाँधी जी ने स्वदेशी को 'कामधेनु' बताया है जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है तथा हमारी कठिन समस्याओं को दूर करती है। गाँधीजी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जन जागृति पैदा की व भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इसे एक अंग बनाया। इस आंदोलन के अंतर्गत बहिष्कार बायकोट व विदेशी वस्त्रों की होली तक शामिल है। आर्थिक दृष्टि से गाँधी जी ने इसे वार्षिक निकासी को रोकने का माध्यम तो बताया ही लेकिन उससे बहुत अधिक उपयोगी बताया। स्वदेशी हमारे सम्मान की रक्षा करता है प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है ग्राम स्वराज्य की स्थापना करता है सत्य अहिंसा व समता पर आधारित समाज की स्थापना करता है।

गाँधीजी के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है जिसका अर्थ है निकटमत उपलब्ध सदमों के प्रति कर्तव्यों का पालन प्रारम्भ करके धीरे-धीरे कर्तव्यों को व्यापक

बनाए जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेशी में दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। यह तो केवल इस बात की विनम्र स्वीकृति है कि व्यक्ति की कर्तव्य पालन की क्षमताएँ सीमित हैं। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके अपने आप पड़ोस व गाँव की सेवा का द्रव्य लेता है। इस प्रकार यह स्वदेशी की भावना अतः सारे ससार में फैल जाती है।

गाँधी जी ने बताया कि स्वदेशी धर्म विदेशी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन यह सर्व देशी भी नहीं है। स्वदेशी का पालन करने में विदेशी के प्रति घृणा या द्वेष का महत्त्व नहीं है। उनके अनुसार जो चीज देश में नहीं बन सकती उसे विदेश से मगाने में कोई बुराई नहीं है? ऐसा करने पर स्वदेशी के विचार का विरोध भी नहीं होता।

गाँधी जी ने बताया कि प्रत्येक देश की प्रगति के नियमों का तकाजा है कि वहाँ के रहने वाले अपने यहाँ की ही पैदावार और माल को अधिक अपनाएँ। भारतीय संदर्भ में उन्होंने चरखा और खादी को स्वदेशी पर आधारित अर्थशास्त्र के दो प्रभावशाली प्रतीक बताया। स्वदेशी जैसी महान अवधारणा को प्रोन्नत करने हेतु गाँधी जी ने कुछ निर्देश दिये और कहा कि जो भी स्वदेशी के महत्त्व को समझता है वह इनमें से एक या अधिक या सभी को अपना सकता है। -¹⁸

(i) आप चाहे स्त्री हो या पुरुष कताई सीखिये। यदि मुद्रा की आवश्यकता है तो श्रम का मूल्य प्राप्त कीजिए अन्यथा इसे यह मानकर चलिये कि एक घटे का श्रम आपने राष्ट्र को उपहार स्वरूप प्रदान किया है।

(ii) स्वयं बुनाई सीखिए चाहे उसका उद्देश्य मनोरंजन हो या वस्तु की देखभाल करना ही क्यों न हो।

(iii) दर्तमान हस्त करघे में सुधार कीजिए। घरखे में भी सुधार कीजिए। यदि आप धनी हैं तो उन लोगों के लिए धन की व्यवस्था कीजिए जो कि ऐसा कर सकते हैं।

(iv) स्वदेशी की प्रतिज्ञा लीजिए तथा हाथ से ही काते हुए व हाथ से ही बुने हुए कपड़े को संरक्षण प्रदान कीजिए।

(v) इस प्रकार के कपड़े से अपने मित्रों को अवगत कराइये तथा उन्हें यह विश्वास दिलाइये कि तुम्हारी बहिनो द्वारा बुनी हुई खादी में अधिक कला व मानवीयता है।

(vi) यदि आप एक माता हैं तो अपने बच्चे को अधिक स्वच्छ व राष्ट्रीय संस्कार प्रदान कीजिए तथा उन्हें छादी के सुन्दर कपड़े पहनाइये जो कि लाखों भारतीयों को उपलब्ध हैं तथा जिनका कि आसानी से उत्पादन किया जा सकता है।

औद्योगिकीकरण का विरोध

18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रांति ने समस्त ससार को

एक विशिष्ट युग में धकेल दिया है जिसके लक्षण हैं औद्योगिकरण व मशीनीकरण। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की स्थिति में मशीनरी का प्रयोग बहुत बढ़ जाता है।

बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना या औद्योगिकरण उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार की पूँजीवादी स्थिति में आय व धन की असमानता अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। इसके बुरे प्रभाव कल्पनातीत होते हैं। वैज्ञानिक खोज अणु शक्ति के विकास के रूप में अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पैमाने का विस्तार बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ती हुई बेरोजगारी से हम त्रस्त हो जाते हैं। बेरोजगारी की स्थिति की विस्फोटकता इंग्लैण्ड व अमेरिका जैसे औद्योगिक राष्ट्रों में देखी जा सकती है। इसके स्पष्ट प्रभाव भारत जैसे देश में भी देखे जा सकते हैं जहाँ कि आर्थिक दशाएँ एकदम विपरीत हैं। औद्योगिकरण के अतर्गत जीवन स्तर में सुधार व बेरोजगारी में वृद्धि की प्रक्रिया एक साथ सपन्न होती है जिससे विकट समस्याएँ पैदा हो जाती हैं।

गाँधीजी का इस बात में विश्वास नहीं था कि कुछ व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार हेतु अधिकांश श्रम को बेकार ही पड़े रहने दिया जाय। इससे तो कुछ व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार तो क्या जीवन स्तर ही समाप्त हो जायगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन व औद्योगिकरण के पक्ष में अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे जनता को सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध हो पाती हैं। गाँधीजी ने इस गुमराह करने वाली अवधारणा का प्रबल विरोध किया था। गाँधीजी ने कहा कि कारखाने के अतर्गत उत्पादित होने वाली वस्तु सस्ती नहीं बल्कि महंगी होती है क्योंकि यह कुछ श्रमिकों को ऊँची मजदूरी के बदले में अधिक श्रमिकों को रोजगार से बाहर कर देती है। उन बेरोजगार श्रमिकों के लिए वस्तु बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि वह उनकी पहुँच के बाहर हो जाती है। गाँधीजी ने गणना करके बताया कि एक मिल मजदूर 10 मजदूरों को नौकरी से बाहर कर देता है। ग्रामीण उद्योगों के अतर्गत उत्पादन होने की स्थिति में वहाँ एक के स्थान पर 10 मजदूरों को रोजगार मिलता जीवन यापन का साधन मिलता व स्वयं के श्रम द्वारा ही उत्पादित वस्तु उसे अधिक सस्ती मिलती।

गाँधीजी ने औद्योगिकरण के कई गभीर परिणाम गिनाये हैं जिनमें प्रमुख हैं

(i) कुछ हाथों में पूँजी व शक्ति का केन्द्रीकरण।

(ii) परजीविता (Parasitism) में वृद्धि—धनी व मध्यम वर्ग की कार्यकारी या सेवा वर्ग पर आश्रितता शहरों की गाँवों पर आश्रितता औद्योगिक राष्ट्रों की कृषि राष्ट्रों पर निर्भरता।

(iii) श्रम और पूँजी के मध्य संघर्ष।

(iv) धनी व निर्धनों के मध्य बढ़ता हुआ अंतराल व चकाचौंध कर देने वाली असमानताएँ।

(v) वाणिज्यीकरण का घातक विस्तार जहाँ एक ओर तो भौतिकवादी चाह है दूसरी ओर युद्ध की विभीषिका।

प्रो ग्रेग ने भारतीय आर्थिक दर्शन पर लिखित अपनी पुस्तक में औद्योगिककरण की बुराई को समझाया है, उन्हीं के शब्दों में "यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाश्चात्य आर्थिक विचार व विधियों जो कि बड़े पैमाने, श्रम की बचत, श्रम के विशिष्टीकरण व विकास की तीव्रता के रूप में स्वीकार की जाती हैं वस्तुतः व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों को हानि पहुँचा रही है। यह व्यक्तिगत व सामाजिक मूल्यों का हास श्रमिकों की गरीब बस्तियों (Slums), बुरा स्वास्थ्य, काम के अधिक घंटे, सामान्य ग्रामीण जीवन से बिछुड़ना, बेरोजगारी, हड़ताल, वर्ग शत्रुता, राष्ट्रीय व्यावसायिक शत्रुता, आतंकवाद व युद्ध आदि के रूप में परिलक्षित होता है। आर्थिक कुशलता का एक सही अनुमान करते समय लाभ के साथ-साथ इन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक हानियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।"¹⁹

गाँधीजी का कहना था कि आवश्यकताओं की वृद्धि मशीनों के व्यापक प्रयोग, नगरीकरण और औद्योगिककरण सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और इन्हीं की वजह से गाँव उजड़ते जा रहे हैं, वहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है, मानव का व्यक्तित्व कलकित हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल का शोषण हो रहा है।

मशीनीकरण का विरोध

मशीनीकरण व औद्योगिककरण दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। औद्योगिककरण मशीनों के अभाव में हो नहीं सकता तथा औद्योगिककरण के बिना मशीनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। मशीनों के प्रति गाँधीजी का दृष्टिकोण एक मौलिक दृष्टिकोण है जिसमें गाँधीजी के यथार्थवादी होने के कारण समयानुसार परिवर्तन भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मशीनों के प्रति दृष्टिकोण गाँधीजी के आर्थिक चिन्तन का सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष रहा है।

गाँधीजी ने मशीन को बहुत बड़ी बुराई बताते हुए दृढ़ता के साथ कहा है कि वह मशीन के पक्ष में कोई भी अच्छी बात नहीं जानते। उन्हीं के शब्दों में "इसकी बुराईयों का निर्देशन करने के लिए पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि मशीन एक बुरी चीज है। मशीन को "वरदान" मानकर उसका स्वागत करने के बजाय अगर हम शाप माने तो अन्ततः इसका नाश हो जायगा।"²⁰

1908 में प्रस्तुत मशीनों के प्रति दृष्टिकोण पर गाँधी जी दृढ़ न रहे यद्यपि गाँधीजी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि गाँधीजी यथार्थवादी व व्यावहारिक भी थे। मशीन के प्रति उनके दृष्टिकोण में जो प्रगतिशील परिवर्तन हुआ वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने चारों ओर के यथार्थ

वो पहचान उसे अगीवार किया। 1924 में उन्होंने सिगर सिलाई मशीन के उपयोग की बात कही। इतना ही नहीं उन्होंने इस बात की घोषणा की कि यह एक ऐसे दिन का स्वागत करने के लिए तैयार है जिस दिन वोई मशीन तकुओ को ठीव करेगी और इस प्रकार तकुए चराब हो जाने पर कानने वालो को सहायता पहुँचायेगी। इस सदर्म में गाँधीजी वी कसौटी यह थी कि मशीन व्यक्ति की सहायक होनी चाहिए न कि उसकी वैयक्तिकता पर अतिभ्रमण करने वाली उन्ही के शब्दो में मैं समस्त विनाशकारी मशीन का कट्टर विरोधी हूँ। किन्तु मैं साधारण औजार एव उपकरणो तथा ऐसे उपकरणो और मशीनो का स्वागत करता हूँ जिनसे व्यक्ति वा श्रम बचता हो और लाखो झोपडीवासियो वा भार हलवा होता हो।

गाँधीजी ने मशीनो के प्रति अपने दृष्टिकोण में फिर परिवर्तन किया और अपने आलोचको वो एव अर्थशास्त्री के रूप में प्रत्युत्तर दिया कि जब तक बेरोजगार लोग रहेगे जिन्हे अपने हाथ से कमाने के लिए काम न मिले मशीन का वोई स्थान नहीं है। अपने दृष्टिकोण को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए गाँधीजी ने 1934 में लिखा 'यत्रीकरण उस समय तो ठीव है जब काम करने के लिए हाथ थोडे हो किन्तु यह उस स्थिति में ठीक नहीं है जब काम करने के लिए आवश्यकता से अधिक हाथ हो, जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। हमारी समस्या यह नहीं है कि करोडो ग्रामवासियो के लिए अदवाण कैसे दूदा जाय। समस्या यह है कि उनको खाली समय वा उपयोग कैसे दिया जाय जो वर्ष में छ माह के बरिब होता है।

गांधीजी ने मशीन के प्रति अपने दृष्टिकोण को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वे यंत्रो के ऐसे उपयोग के समर्थक हैं जिससे सबका भला हो तथा जिसमें कुछ लोगो को अन्य लोगो वा शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो। उन्होंने कहा कि मैं गृह उद्योग के काम में आने वाली मशीनो के सुधार का स्वागत करूँगा किन्तु विद्युत शक्ति से चलने वाले तकुए जारी करके हाथ से सूत वातने वाली वो हटा देना मैं एव निर्दयता मानूँगा जब तक कि इसके साथ ही करोडो किसानो को उनके घरों में ही व्यवसाय देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था न हो।'

इस प्रकार गाँधीजी के मशीनीकरण के विरोध के मूल में श्रम की प्रतिष्ठा पूर्ण रोजगार वी भावना व मानव मान का कल्याण निहित है।

श्रम अर्थशास्त्र

गाँधीजी ने श्रम अर्थशास्त्र से सबद्ध सभी पन्नों पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किये हैं। श्रम अर्थशास्त्र से सबद्ध गांधीजी के प्रमुख विचारो को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है

(1) श्रम की प्रतिष्ठा गाँधीजी के अनुसार श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। श्रम साधन व साध्य दोनों हैं। गांधीजी ने अपने आर्थिक विचारो में

श्रम को उच्च स्थान प्रदान किया है। उनके लिए श्रम की महत्ता आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। गाँधीजी के अनुसार जिसे अहिंसा का पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, ब्रह्मचर्य को स्वाभाविक बनाना है, उसके लिए तो श्रम रामबाण का काम देता है। काम करना हमारी अभिरुचि का विषय है। गाँधी जी का कथन था कि हम अपने शरीर रूपी अमूल्य जीवित मशीन को तो नष्ट कर रहे हैं व उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक नियम-श्रम की अवहेलना कर रहे हैं। श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है वरन् मस्तिष्क को भी प्रेरित करता है।

गाँधीजी ने श्रम के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत (Bread Labour Theory) प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिए। रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि इस सिद्धांत से समानता स्थापित हो जायगी। धनी व निर्धन के मध्य अन्तराल कम हो जायगा। वर्ग भेद दूर हो जायेगा। मुखपरी शेष नहीं रह जाएगी।

गाँधीजी ने श्रम और पूँजी के मध्य मधुर संबंध की स्थापना पर बल दिया। इस संबंध में गाँधीजी ने कहा "श्रम पूँजी से कहीं श्रेष्ठ है। मैं श्रम और पूँजी का विवाह कर देना चाहता हूँ। वे दोनों मिलकर आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं।" पूँजी को श्रम का सेवक होना चाहिए न कि स्वामी। मजदूरों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनका पालन करने से अधिकार अपने आप मिल जाते हैं।

(ii) श्रम संघ— गाँधी जी के अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है, उसका वही मालिक है। अगर मेहनत या श्रम करने वाले बुद्धिपूर्वक एक हो जायें तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।¹⁷ इस प्रकार श्रम संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है। गाँधी जी के अनुसार श्रम संघों को अति महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होंने श्रम संघों के निम्न कार्य बताए हैं :-

(i) अपने सदस्यों के अधिकारों व हितों की रक्षा करना।

(ii) सदस्यों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना।

(iii) औद्योगिक विवादों को आपसी वार्ता, समझौतों व पंच फैसले के आधार पर निबटाना।

(iv) यदि मालिक पंच फैसले का क्रियान्वयन नहीं करते तो मजदूर को हड़ताल के लिए तैयार करना।

(v) मजदूरों का समग्र विकास—शारीरिक, मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना।

(vi) यह तय करना कि उद्योग समुदाय की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए संचालित हो रहे हैं।

(vii) श्रम के नैतिक व बुद्धिमत्तापूर्ण अधिकारों में वृद्धि करना तथा श्रम को उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करना न कि एक दास के रूप में।

(viii) श्रमिकों को मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त पूरक व्यवसाय में प्रशिक्षित करना ताकि हड़ताल तालाबंदी व नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में भूखा न मरे।

गांधीजी ने श्रम सघ के उपर्युक्त कार्यों के आधार पर एक आदर्श श्रम सघ की कल्पना की। गाँधी जी के सिद्धांतों पर आधारित श्रम सघ का उदाहरण अहमदाबाद श्रम सघ (Ahmedabad Labour Union) थी। गाँधी जी के शब्दों में 'अहमदाबाद श्रम सघ समस्त भारत में अपना के लिए एक आदर्श है। इसका आधार अहिंसा सत्यता व सादगी है। इसके कार्य में कभी बाधा नहीं आई। बिना हंगामे व दिखावे के यह शक्तिशाली होती चली गयी। इसका अपना अस्पताल है मिल मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल है युजुगों के लिए कक्षा की व्यवस्था है अपना मुद्रणालय व खादी डिपो है तथा स्वयं से आयात्तीय भवन है। सभी को वोट देने का अधिकार है व चुनाव का भविष्य निर्धारित करते हैं। मतदाता सूची में प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सुझाव पर सम्मिलित हुए परन्तु कांग्रेस की राजनीति में कभी भाग न लिया। यह शहर की नगर परिषद की नीति को प्रभावित करती है। इसने पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन सफलता पूर्वक किये हैं। मिल मालिक व मजदूर स्वैच्छिक पथ फैसला से शासित होते हैं। इस मजदूर सघ का अनुकरण किया जाना चाहिए।'

(iii) श्रम कल्याण — गाँधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों हैं। श्रम के अतर्गत मानवीय मूल्य भी समाहित हैं। श्रम कल्याण आर्थिक स्थायित्व व सामाजिक समता की स्थापना की पूर्व शर्त है। एक आदर्श समाज में प्रत्येक श्रमिक को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाना ही पर्याप्त नहीं है यद्यपि कार्य व जीवन की बेहतरीन दशाएँ भी आवश्यक हैं। श्रम कल्याण की दिशा में पहला कदम रोजगार की गारंटी व मजदूरी का स्थायित्व है। जब भी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा अन्य समस्याएँ भी होती हैं तब श्रमियों की हड़ताल न्यायोचित होगी। गाँधी जी ने सफल हड़ताल हेतु निम्न शर्तें प्रस्तुत की हैं —

(i) हड़ताल का उद्देश्य न्यायोचित होना चाहिए।

(ii) सभी हड़तालियों के मध्य व्यावहारिक एकता होनी चाहिए।

(iii) हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा काम में न ली जाये।

(iv) हड़ताली हड़ताल का भार स्वयं वहन करे इसके लिए वे अन्यत्र अस्थायी व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं।

(v) जब हड़ताल करने वालों के स्थान पर प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त मात्रा में अन्य

भ्रमिक हों तो हड़ताल को कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि इस अन्याय से मुक्ति पानी है तो एकमात्र उपाय "त्याग पत्र" शेष रह जाता है।

(vi) यदि उपर्युक्त दशाओं के पूरे हुए बिना भी कोई हड़ताल सफल हो जाती है तो इसका स्पष्ट मतलब है मालिक कमजोर हैं।

व्यावसायिक शिक्षा पर जोर

शिक्षा के संबंध में भी महात्मा गाँधी की महत्त्वपूर्ण देन हैं। बुनियादी शिक्षा की पद्धति उन्हीं की चलाई हुई है। इस प्रणाली के अनुसार-शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी। कताई-बुनाई, कृषि आदि में से किसी एक शिल्प के माध्यम द्वारा 14 वर्ष तक के छात्र और छात्राओं को यह शिक्षा दी जायेगी। इस पद्धति द्वारा जो विद्यार्थी शिक्षित होंगे, उन्हें अच्छा ज्ञान हो जायेगा। शिक्षा पर जो व्यय किया जायेगा, उसका भी थोड़ा-बहुत अंश निकल जायेगा और आगे चल कर विद्यार्थी व्यवसाय के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इस प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं में किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।

यह पद्धति र्था शिक्षा-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति द्वारा शिक्षा प्राप्त कर लेने पर छात्र श्रम के महत्त्व को समझेंगे और सहकारिता, सत्य और अहिंसा पर आश्रित समाज के सच्चे सदस्य बन सकेंगे। आजकल शिक्षितों में इस बात की होड़ लगी रहती है कि वे जनता से अधिक से अधिक प्राप्त करें और उसे कम से कम दे। इससे शोषण और स्वार्थ का पोषण होता है। जिससे सामाजिकता और आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है। नई तालीम के शिक्षकों से आशा की जाती है कि वे सेवा, त्याग तथा आत्म-संयम के आदर्शों को अपनायेंगे, अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे, जनता तथा राष्ट्र के सच्चे सेवक बनेंगे और सर्वोदय की विचारधारा को कार्य का रूप देकर उसे आगे बढ़ावेंगे।

गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा वर्णित यह बुनियादी शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित व संचालित किया जायेगा कि यह शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय, बुद्धि और शरीर तीनों के समग्र विकास का माध्यम बने। गाँधीजी के अनुसार "मनुष्य न केवल बुद्धि है, न केवल शरीर है, और न केवल हृदय और आत्मा है। तीनों के समान विकास से ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा। इसी में सच्चा ज्ञान है।"

गाँधीजी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की उनकी योजना व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का माध्यम व आत्मनिर्मिता की प्राप्ति का मार्ग है। उन्हीं के शब्दों में "मेरी शिक्षा योजना, एक शांत सामाजिक क्रांति का माध्यम बनेगी, यह गाँवों और शहरों के मध्य संबंधों को एक स्वस्थ और नैतिक आधार प्रदान करेगी, और एक अधिक न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था की नींव डालेगी, जिसमें कि सपनों और विषमताओं के रूप में समाज का विभाजन नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्वाह के लिए न्यूनतम साधन

उपलब्ध हाथ और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रांति को रचनात्मक माध्यम से पूरा किया जायगा इसमें न तो रक्तपात की आवश्यकता होगी और न ही भारी भ्रष्टाचार की। इसके लिए भारत जैसे बड़े देश का मशीनीकरण नहीं करना पड़ेगा और न ही तकनीकी कौशल और मशीनों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यह भारत की जनता में उस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगी जिसके द्वारा उसका भविष्य स्वयं उनके हाथ में रहेगा।²⁵

भारत के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा जो उच्च शिक्षा दी जाती है गाँधीजी उसके बहुत खिलाफ थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इस विदेशी भाषा के माध्यम ने हमारे बच्चों के दिमागों को शिथिल कर दिया है उनके स्नायुओं पर अनावश्यक ज़र डाला है उन्हें रट्टू और नकलघी बना दिया है मौलिक विचारों और कार्यों के लिये सर्वथा अयोग्य कर दिया है और अपनी विद्या को अपने परिवार के लोगों और आम जनता तक पहुँचाने में उन्हें असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घरों में पूरा विदेशी बना डाला है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के विषय में यह सबसे बड़े दुःख की बात है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम ने हमारे देशी भाषा की बढ़ती को रोक दिया है। अगर मेरे हाथ में एक तानाशाह की सत्ता होती तो मैं आज ही विदेशी माध्यम द्वारा दी जाने वाली हमारे लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर देता और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवाता तथा नहीं बदलते तो उन्हें बरखास्त कर देता। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इतज़ार न करता। वे तो इस परिवर्तन के पीछे-पीछे घली आवेंगी। इस बुराई का तो तुरत इलाज होना चाहिए।

विदेशी शासन के अनेक दोषों में देश के बच्चों पर विदेशी माध्यम लादने के हानिकारक बात इतिहास में एक सबसे बड़ा दोष गिनी जायगी। इसने राष्ट्र की शक्ति क्षीण कर दी है विद्यार्थियों की आयु घटा दी है उन्हें आम जनता से दूर कर दिया है और बिना कारण ही शिक्षा को खर्चीली बना दिया है। अगर यह प्रक्रिया अब भी जारी रही तो यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी।²⁶

शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर हालत में बदला जाना चाहिये और प्रांतीय भाषाओं का उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिए। वह जो भयंकर बरबादी रोज व रोज हो रही है इसके बजाय जो मैं उच्च शिक्षा में अस्थायी रूप से अध्ययन का भी पसंद कर लूँगा।²⁷

गाँधी जी की राम राज्य संकल्पना

राम—नाम की शक्ति में उनका बड़ा विश्वास था। गाँधीजी से बहुत से लोग अजय म्दराज्य का अर्थ पृच्छते थे तो वे कह दिया करते थे स्वराज्य का अर्थ होगा रामराज्य।

सामान्य जनता को गाँधीजी की यह बात बड़ी पसंद आई क्योंकि तुलसीदास सैकड़ों वर्ष पहले रामराज्य का चित्र खींचते हुए बतला चुके थे—

दैहिक दैविक भौतिक तामा, राम राज्य काहू नहि व्यापा
बैर न करहि काहु सन कोई, राम—प्रताप विषमता खोई
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहि कोउ अकुध न लच्छन हीना ।।

तुलसी के राम राज्य का आदर्श गाँधीजी को बहुत अच्छा लगा होगा। किन्तु कुछ लोग ऐसे थे जो राम राज्य को स्वराज्य अथवा आदर्श राज्य के अर्थ में मानने के लिए तैयार न थे। राम राज्य उनकी दृष्टि में एक राजा का राज्य था जो प्रजातंत्र पद्धति के विरुद्ध पडता था। कुछ ऐसे भी थे जो "रामराज्य" में हिन्दू राज्य की सकीर्णता का अनुभव करते थे। "रामराज्य" शब्द को लेकर जब इस प्रकार के आक्षेप उठाये जाने लगे तो गाँधीजी को अक्टूबर 1945 के "हरिजन" में "रामराज्य" संबंधी अपने स्वप्न का निम्नलिखित स्पष्टीकरण करना पडा —

"राम राज्य का धर्म की परिभाषा में अर्थ होगा—पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य। राजनीतिक भाषा में अनुवाद किया जाय तो इसकी व्याख्या होगी—एक लोकतंत्र, जिसमें गरीब और अमीर, स्त्री और पुरुष, गोरे और काले, जाति या मजहब के कारण असमानता नहीं रहेगी, ऐसे राज्य में सब जमीन और सत्ता जनता के हाथ में होगी न्याय शीघ्र शुद्ध और सस्ता होगा, उपासन वाणी और लेखनी की स्वतंत्रता होगी। और इन सबका आधार होगा—स्वच्छा से संयम, धर्म का शासन। ऐसे राज्य—तंत्र की रचना सत्य और अहिंसा पर ही हो सकती है। सुख, समृद्ध तथा स्वावलम्बी देहात और देहाती प्रजा उसके मुख्य लक्षण होंगे। हो सकता है कि यह स्वप्न कभी कार्य का रूप धारण न कर सके परन्तु इस स्वप्न जगत में रहने और इसको शीघ्र से शीघ्र निर्मित करने के प्रयत्न में ही मेरे जीवन का आनन्द है।"

सर्वोदय

(Sarvodaya)

सर्वं भवन्तु सुखिन सर्वं सन्तु निरामया।

सर्वं भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत् ।।

सभी के कल्याण का द्योतक उपर्युक्त वैदिक मंत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के विशिष्ट स्वरूप का परिचायक है तथा गाँधीजी ने इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान हेतु प्रस्तुत किया है "सर्वोदय" का विचार।

सर्वोदय सामाजिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है—'सबका उदय', 'सब प्रकार के उदय और सबके द्वारा उदय। यों गहराई में प्रवेश करने पर और भी अर्थ बन सकते हैं परन्तु ऊपर के तीनों अर्थ सब प्रकार से ग्राह्य और युक्ति समत हैं। सबका उदय

सर्वोदय का लक्ष्य है 'सब प्रकार से उदय' इसकी विशेषता है और "सब के द्वारा उदय" इसका साधन है। जब सब प्रकार से उदय की बात की जाती है तो यह धर्म की दृष्टि से की जाती है जिसमें लौकिक और पारलौकिक उत्थान शास्त्रीय भाषा में अभ्युदय और त्रिश्रेयस सिद्धि दोनों का समावेश है। अतः सर्वोदय में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लक्ष्यो की सिद्धि का आदर्श है।

रिक्कन की पुस्तक 'अन टू दिस लास्ट' ने गाँधीजी को अत्यधिक प्रभावित किया।

अन टू दिस लास्ट के रादेश ने गाँधीजी के जीवन में रचनात्मक परिवर्तन कर दिया। बाद में उन्होंने इसका गुजराती में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। 'अन टू दिस लास्ट' के आधार पर वे सर्वोदय के तीन मूलभूत सिद्धान्तों को ग्रहण कर सके—

1 सब की भलाई में हमारी भलाई है,

2 वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिये क्योंकि आजीविका का अधिकार सब को एक समान है

3 सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।

गाँधीजी ने स्वीकार किया की 'सर्वोदय' के उपर्युक्त तीन सिद्धान्तों में प्रथम से तो वे रिक्कन की पुस्तक के अध्ययन से पूर्व ही परिचित थे। दूसरे सिद्धान्त के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। किन्तु तीसरे का उन्होंने कभी विचार ही नहीं किया था। रिक्कन की पुस्तक ने उन्हें यह प्रकाश प्रदान किया कि पहले सिद्धान्त में ही दूसरे दोनों सिद्धान्त समाविष्ट है। उन्होंने स्वयं को इन सिद्धान्तों पर अगल करने के प्रयत्नों के प्रति समर्पित कर दिया। जैनेन्द्र कुमार ने ठीक ही लिखा है— गाँधीजी ने सर्वोदय में बदल कर रिक्कन की आशा को अधिक व्यापक बना दिया तब वह सच्चा प्रवृत्ति सूचक मात्र न रह कर अधिक भाव वाचक एवं साकेतिक हो गई।^{२०}

यह सर्वोदय शब्द की जन्म-कहानी है। किन्तु भावार्थ में सर्वोदय शब्द बहुत व्यापक है। यह एक नया जीवन दर्शन है। एक नई जीवन पद्धति है। एक नई समाज रचना है। दादा धर्माधिकारी ने कहा है— 'सर्वोदय से तात्पर्य है सबका उदय सबका उत्कर्ष सबका विकास। सर्वोदय शब्द भले ही नया हो किन्तु उसका अर्थ सबका जीवन साथ-साथ सम्पन्न हो इतना ही है। जीवन का अर्थ है विकास अभ्युदय या उन्नति। सबका सहविकास हो इसलिए सर्वोदय। परन्तु प्राचीन समय में अभ्युदय शब्द का प्रयोग ऐतिहासिक वैभव के अर्थ तक ही सीमित था। इसलिए गाँधीजी ने केवल उदय शब्द का प्रयोग किया—एक साथ समान रूप से सबका उदय हो यही सर्वोदय का उद्देश्य है।^{२१}

सर्वोदय की मूल भावना व आशय को और अधिक स्पष्ट करते हुए भारतन कुमारप्पा ने लिखा है 'सर्वोदय से आशय है सबका भला। इस आधार पर सगी व्यक्ति प्रेम से बंधें होंगे जिनमें कोई भेद भाव नहीं होगा। राजा तथा किसान हिन्दू एवं मुसलमान छूत एवं अछूत गौरे तथा काले अपराधी एवं सन्त सन्ती बराबर होंगे। कोई भी दल अथवा व्यक्ति किसी भी दल अथवा व्यक्ति का दमन अथवा शोषण नहीं करेगा। सर्वोदय समाज

में सभी सदस्य समान होंगे, प्रत्येक को उसके परिश्रम का उचित प्रतिफल मिलेगा। सबल व्यक्ति समाज के निर्बल व्यक्तियों की रक्षा तथा उनकी सशक्तता का कार्य करेंगे। इस प्रकार सभी व्यक्ति सबका भला करने में सहायक होंगे।³²

गाँधीजी ने उपयोगितावादियों द्वारा दिये गये नारे—जिस पर भौतिकवादी समाज आधारित है— "अधिकांश व्यक्तियों के लिए अधिकांश वस्तुएँ (Greatest Good to the Greatest Number) की कटु आलोचना की है। भारतीय संदर्भ में तो इसे पूर्णतया अनुपयुक्त बताया है, गाँधी जी ने भारत के लिए नया समाधान पुराने आदर्शों व वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञान के सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। गाँधीजी का आदर्श बना सर्वोदय जहाँ व्यवस्था है 'सभी के लिए अधिकांश वस्तुएँ' (Greatest Goods to All)। श्री मन्नारायण जो कि गाँधीजी के प्रमुख अनुयायी हैं, उनके सर्वोदय के विचारों की व्याख्या निम्न प्रकार करते हैं "गाँधीजी अन्त में सर्वोदय अर्थात् बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास की कामना करते थे। वे अधिक से अधिक का भलाई के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत बहुसंख्यक जनता के हित के लिए अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की जाती है। गाँधीजी इस सिद्धान्त को एक निर्जीव सिद्धान्त मानते थे जिसने मानवता का काफी अहित किया है। उनके अनुसार केवल एकमात्र प्रतिष्ठित मानवीय सिद्धान्त है कि सबका अधिक से अधिक भला हो।"³³

गाँधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी व उनके सर्वोदय कार्यक्रम को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने वाले राष्ट्र सन्त विनाबा भावे ने सर्वोदय की व्याख्या निम्न प्रकार की है—'सर्वोदय की बुनियाद है सत्य निष्ठा। परन्तु इसके साथ ही यह अपने आप में एक क्रान्तिकारी शब्द है। गाँधीजी के निर्वाण के पश्चात सर्वोदय समाज की कल्पना लोगों में फैल गई है परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यह सर्वोदय समाज है क्या एव उसका संगठन किस प्रकार का होगा। परन्तु यह किसी प्रकार का संगठन नहीं है, यह तो एक महान क्रान्तिकारी शब्द है। महान शब्दों में जो शब्द भरा रहता है वह किसी संगठन में नहीं होता। शब्द तारक होते हैं तथा मारक भी। शब्दों से उत्थान भी होता है एव पतन भी। ऐसे ही एक महान शब्द का उपयोग सर्वोदय में किया गया है। यह शब्द कहता है कि हमें चन्द लोगों का उदय नहीं करना है, अधिक लोगों को उदय नहीं करना है, अधिक से अधिक लोगों के उदय से भी हमें सन्तोष नहीं है वरन सब के उदय से ही समाधान होगा। छोटे-बड़े दुर्बल सबल, जड़, बुद्धिमान, सब का उदय होगा तभी हम चैन लेंगे। ऐसा विशाल भाव यह शब्द हमें दे रहा है।"³⁴

गाँधी जन्म-शताब्दी वर्ष में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा प्रमुख अर्थशास्त्री प्रो. वी. के. आर. वी. राव को "पश्चिमी समाजवाद का गाँधीवादी विकल्प" विषय पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। 24 अक्टूबर, 1969 को अपने व्याख्यान में प्रो. राव ने सर्वोदय को पश्चिमी समाजवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

प्रो रव के शब्दों में सर्वोदय अर्थात् सबका उदय। यह एक प्रकार का दग-दिहीन समाज है जा वर्ग-दिनाश पर तो आधारित है किन्तु उन व्यक्तियों के दिनश पर नहीं जिनसे वर्गों का निर्माण हुआ है। यह एक उत्पादन प्रणाली है जो समृद्ध अर्थव्यवस्था की सृष्टि करने के लिए विज्ञान और शिल्प-विज्ञान का प्रयोग करने से नहीं चूकती किन्तु इस प्रक्रिया में वह न ता विकास के लिए वैयक्तिक अभिक्रम या स्वतन्त्रता का हनन करती है न अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं के लिए निरन्तर प्रयास करने के मने-विज्ञान को उत्पन्न करती है। यह एक दितरण-प्रणाली है जो सबके लिए उचित एव न्यूनतम आय का सुनिश्चय करेगी जबकि इसका लक्ष्य यह नहीं होगा कि हिसाबी ढग की सार्दमैमिक समानता हो फिर भी यह इस बात का सुनिश्चय करेगी कि ऐसी समस्त निजी संपत्ति का या बुद्धि-दैनव का प्रयाग जा न्यूनतम से अधिक होगी न्यास के रूप में जनसामान्य के हित के लिए किया जायगा वैयक्तिक विद्वर्धन के लिए नहीं। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ लोग काम करेंगे किन्तु किसी भी व्यक्ति के लिए स्तर या अवसर के मामले में असमानता नहीं होगी जिसमें विश्वास द्वारा परिवर्तन लाया जायेगा और विचार-विमर्श द्वारा मतभेद तथा प्रेम एव पारस्परिक हित को ध्यान में रखकर सघर्ष दूर किये जायेगे। इस सवध में गाँधीजी इतना और कहते थे कि 'यह एक प्रकार का जीवन है जो ईश्वर के प्रति समर्पित है और आत्मा के सवर्धन में लगा है जबकि छोटे या बुद्धिमानि लोग उस धर्म के लिए अपने प्रतिस्थापन को सूत्रबद्ध करना अधिक अध्या समझते थे जो गाँधीजी के जीवन और उपदेश का मूल था।

सर्वोदय की पृष्ठभूमि -

सर्वोदय कार्यक्रम जो कि वस्तुतः गाँधीजी के आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सार है वस्तुतः दो समय अवधियों में विभक्त है-

- (i) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व
- (ii) स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त

(i) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व-गाँधीजी ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति की व्यूह रचना के एक अग के रूप में सर्वोदय का वर्णन किया। इस सदर्म में उन्होंने 13 नदम्बर 1945 को भारतीय सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण हेतु एक रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। *The Constructive programme Its Meaning and Place* की भूमिका में स्पष्ट किया है यह रचनात्मक कार्यक्रम एक लदी सूची मात्र ही नहीं है अपितु अपनाय जाने वाला कार्यक्रम है। यह रचनात्मक कार्यक्रम पूर्ण स्वरज्य की प्राप्ति का मार्ग भी है जिसके साधन हैं सत्य और अहिंसा। इस रचनात्मक कार्यक्रम के अतर्गत 18 कार्य या मद शामिल हैं-

- 1 सामुदायिक एकता
- 2 अस्पृश्यता का निवारण

3. मद्य निषेध
4. खादी का प्रयोग
5. अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास
6. ग्रामीण स्वच्छता
7. बुनियादी शिक्षा
8. प्रौढ शिक्षा
9. महिला-उत्थान
10. स्वास्थ्य शिक्षा
11. प्रान्तीय भाषाओं का विकास
12. राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का विकास
13. आर्थिक समानता
14. किसान का उद्धार
15. श्रम सङ्गठन
16. आदिवासियों की सेवा
17. कुष्ठ रोगियों की सेवा
18. विद्यार्थी सङ्गठन

महात्मा गाँधी ने उपर्युक्त सभी 18 कारकों को आर्थिक विकास के कारक के रूप में प्रस्तुत किया। इनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक कारक हैं तो कुछ मनोवैज्ञानिक रूप में आर्थिक विकास हेतु प्रेरणादायक हैं। इन 'आर्थिक विकास के कारकों' को निम्न समूह या वर्गों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अ) सामाजिक गतिशीलता

1. सामुदायिक एकता
2. अस्पृश्यता का निवारण
3. महिला-उत्थान
4. आदिवासियों की सेवा

(ब) बचत की आदत व सामान्य इच्छा

1. मद्य निषेध
2. खादी का प्रयोग

(स) मानव पूँजी निर्माण

1. ग्रामीण स्वच्छता
2. बुनियादी शिक्षा
3. प्रौढ शिक्षा
4. स्वास्थ्य शिक्षा

(द) मनोवैज्ञानिक कारक

- 1 प्रान्तीय भाषाओं का विकास
- 2 राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का विकास

(य) सत्याग्रह के माध्यम से सामाजिक शक्ति का निर्माण

- 1 महिला-उत्थान
- 2 किसान का उद्धार
- 3 श्रम संगठन
- 4 आदिवासियों की सेवा
- 5 विद्यार्थी संगठन

(र) परार्थ सेवा की आदत

- 1 महिला उत्थान
- 2 किसान का उद्धार
- 3 श्रम संगठन
- 4 आदिवासियों की सेवा
- 5 कुष्ठ रोगियों की सेवा
- 6 विद्यार्थी संगठन

(ल) रोजगार निर्माण व बिना लाग के मजदूरी की प्राप्ति

- 1 खादी का प्रयोग
- 2 अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व गाँधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया। यह सर्वोदय कार्यक्रम स्वाधीनता प्राप्ति के अग क रूप में अवश्य सफल रहा।

(ii) स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त सर्वोदय— 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त गाँधीजी के समर्थकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने के लिए मानस बनाया। एतदर्थ उन्होंने फरवरी 1948 में वर्धा में एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया लेकिन दुर्भाग्य-वश 30 जनवरी 1948 को ही गाँधीजी की हत्या हो गयी। उसके फलस्वरूप सर्वोदय आंदोलन को अपूरणीय क्षति हुई। रचनात्मक कार्यकर्ताओं ने स्थिति को ओर बहतर समझा। भारत की प्रमुख समस्याओं के स्थायी समाधान व भारत में सामाजिक आर्थिक ढाँचे के नव निर्माण हेतु एकजुट होने का निर्णय लिया। एतदर्थ नवम्बर 1949 में वर्धा में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में सर्वोदय योजना को स्वीकार किया गया तथा क्रियान्वयन हेतु सर्वोदय नियोजन समिति गठित की गई। यह भी निर्णय किया गया कि सर्वोदय योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अनुमोदित करा लिया जाय। सर्वोदय योजना के प्रति देश में जनमत तैयार करने पर बल दिया गया।

सर्वोदय नियोजन समिति के अंतर्गत काका साहेब कालेलकर, जे सी कुमारप्पा शंकर राव देव, गुलजारी लाल नदा, आर एस धोते, झाबेर भाई पटेल आदि गाँधीवादी सदस्य सम्मिलित थे। इस समिति ने 30 जनवरी 1950 को "सर्वोदय योजना" प्रकाशनार्थ स्वीकार की।

सर्वोदय-योजना

"सर्वोदय योजना" के प्रारम्भ में तात्त्विक आधार का वर्णन किया गया है।

तात्त्विक आधार²⁵

प्राचीन काल की प्रथाएँ, धर्म-निषेध तथा वर्णव्यवस्था के कारण समाज पर बन्धन क्रमशः शिथिल होने लगे। राजाओं, सरदारों तथा धर्मोपदेशकों के अत्याचारों से मानव-समाज क्रमशः शिथिल होने लगा। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा कर्म-स्वातन्त्र्य की विजय हुई और सच्चे प्रजातन्त्रात्मक शासन का सूत्रपात हुआ।

दुर्भाग्यवश समाज में सुव्यवस्था होने के समय समाज नये-नये बंधनों से फिर जकड़ गया। औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) हुई और उत्पादन बढ़ा परन्तु उत्पादन के साधन अगुलियों पर गिने जाने वाले लोगों के हाथों में चले गये। धनी स्वामीवर्ग तथा गरीब मजदूरवर्ग, इन दोनों वर्गों का समाज में निर्माण हुआ। धनलिप्सा और व्यक्तिगत स्वार्थ, इनका साम्राज्य फैल गया। साम्यवाद, पूँजीवाद तथा तानाशाही का आविर्भाव हुआ और व्यक्तिगत-स्वतंत्रता समूल नष्ट कर दी गई।

गाँधीजी ने ऐसी दशा में उचित मार्ग निकालने का विचार किया और राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक पहलुओं का परस्पर सतुलन कर उनमें एकसूत्रता का निर्माण करना चाहा।

सर्वोदय-योजना

उन्होंने जीवन के आर्थिक पहलू की महत्ता को जान किया। उन्हें अवगत था कि उत्पादन और वितरण से समाज के नैतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्कारों पर खूब प्रभाव पड़ता है।

उन्हे समाज में आर्थिक जीवन के असत्य और हिंसा तथा शोषण पर आधारित समाजव्यवस्था के स्थान में नवीन व्यवस्था चाहिए थी जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। इसलिए उनकी यह उत्कट इच्छा थी कि सहकारिता के सिद्धान्तों पर स्थापित विकेंद्रित उद्योग-धंधों और कृषि का उत्कर्ष हो।

वे रूस के मार्क्सवाद के विरुद्ध थे जिसके अनुसार मजदूरों के हाथों में उत्पादन केंद्रित हो जाता है। साम्यवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप हो जाता है, जिसके अभाव में नैतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टियों से मानव-समाज की उन्नति नहीं होती।

पूँजीवाद में मनुष्य की अपेक्षा यंत्रों के अधिक महत्व दिया जाता है। यंत्रों से काम लेने के कारण मजदूर बेकार कर दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक और राजनीतिक विषमता का निर्माण तो हो ही जाता है।

उनकी यह धारणा थी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण विकेन्द्रीकरण करके प्रत्येक छोटे-छोटे प्रदेशों को स्वावलम्बी बनाकर ऐसे स्वावलम्बी प्रदेशों का सघ बनाया जाना चाहिये।

सर्वोदय के ध्येय

सामाजिक नैतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से मानव-जाति का पूर्ण विकास कर तथा प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाकर अहिंसात्मक समाजरचना की स्थापना करना ही सर्वोदय का ध्येय है।¹⁶

सत्ता संपत्ति तथा जनसंख्यादि विषयों में विकेन्द्रीकरण को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से विकेन्द्रीकरण पर आधारित स्वावलम्बन ही किसी व्यक्ति के जीवन की पूर्णान्ति कर सकता है। वर्णभेद वर्णभेद तथा स्पर्धा पर आधारित वर्तमान समाज-व्यवस्था के स्थान में नई समाज रचना की स्थापना होनी चाहिए जो सहकारिता और विकेन्द्रीयकरण पर आधारित हो। ऐसा होने पर समाज के मुनाफाखोर तथा शोषक वर्ग के लोगों की संख्या कम हो जाएगी। फलस्वरूप सामान्य व्यक्तियों के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में सहायता मिलेगी।

किसी सामान्य कुटुम्ब के लिए पर्याप्त अन्न वस्त्र तथा निवासस्थान की प्राप्ति के लिए मारितक आय कम से कम सौ रुपये होनी चाहिए। इससे बीस गुनी आय महत्तम आय समझी जानी चाहिए। यह महत्तम आय क्रमशः कम होती जाकर लघुतम आय के दसगुने के बराबर हो जानी चाहिए।

कृषि का नियोजन

प्रत्येक किसान को आर्थिक भूमिखण्ड (Economic Holding) मिलना चाहिए। ऐसे आर्थिक भूमिखण्ड पर उसे उचित जीवनस्तर के अनुसार निर्वाह करते आना चाहिए तथा दो एक जोड़ी बैल और साधारण कुटुम्ब को वर्ष भर तक काम मिलना चाहिए। वर्तमान समय में किसी किसान को आर्थिक भूमिखण्ड का मिलना कठिन होने के कारण प्राथमिक भूमिखण्ड (Basic holding) की कल्पना की गई है। यह प्राथमिक भूमिखण्ड आर्थिक भूमिखण्ड से छोटा होकर भी खेती के योग्य होगा। आर्थिक भूमिखण्ड से तिगुने क्षेत्रफल का जमीन का टुकड़ा महत्ता भूमिखण्ड कहलावेगा।¹⁷

जमीन जोतने वाला ही जमीन का मालिक होना चाहिए। वह किसी दूसरे को जमीन के हक न देच सके और उचित रीति से जमीन को जोते ऐसा उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

प्राथमिक भूमिखंड से भी छोटे-छोटे खेत सहकारिता के सिद्धान्तों पर जोते जाने चाहिये। सरकार यथाशक्ति उत्तेजना देकर ऐसे कामों में अग्रसर होवे।

मालगुजारी नष्ट करके खेती के सब दलालों का निर्मूलन होना चाहिये। दूसरों के खेत पट्टे पर जोतने वाले किसान सस्ते भावों पर खेत खरीद सकें। सरकार ऐसे समय उन्हें आवश्यक सहायता देवे। जिनके पास खेत नहीं है ऐसे मजदूरों की खेती की इच्छा पूर्ण करने की दृष्टि से "सामूहिक खेती" (Collective Farming) का प्रयोग किये जाना चाहिये।

खेती के इन सब सुधारों पर देख-रेख करने के लिये एक भारत वर्षव्यापी 'केन्द्रीय भूमिसभा' (Central Land Council) की स्थापना की जानी चाहिये। यह भूमिसभा भारतवर्ष की फसलों पर नियोजन करे अर्थात् इस बात का आदेश देवे कि किस जमीन में क्या फसले पैदा की जावे। प्रत्येक प्रदेश के लिए एक "प्रादेशिक भूमिसभा" (Regional Land Council) होनी चाहिये जो प्रायः पूर्ण स्वतंत्र हों। सतुलित आहार और जीवनमान की दृष्टि से फसलों का नियोजन किया जाना चाहिये।

किसानों की कर्ज चुकाने की शक्ति के अनुसार उनके ऊपर का कर्ज अनिवार्य रूप से कम कर दिया जाना चाहिए। उसी प्रकार साहूकार और कर्ज देने वाली सस्थाओं पर उचित नियंत्रण होना चाहिए।

बहु-प्रयोजन समितियों की सहायता से खेती का माल बेचा जाना चाहिये। दासता (Serfdom) का मूलोच्छेदन करके खेतों पर काम करने वाले मजदूरों का जीवनस्तर सुधारना चाहिये। उनमें सगठन उत्पन्न करना चाहिये।

खेती के ढोंगों तथा फसलों का बीमा करवाने का प्रबन्ध होना चाहिए। इस बात की सावधानी रखी जावे कि पक्के माल और खेती के माल की कीमतें एकसी रहे।

उद्योग-धन्धों में होने वाले सुधार

बड़े-बड़े व्यवसायों का स्थान छोटे-छोटे विकेन्द्रीय उद्योग-धन्धों में। देश की रक्षा के लिए आवश्यक कारखाने, गोला-बारूद के कारखानों, विद्युत-उत्पादन, खदानों, धातुओं की खोज, यंत्रों और रासायनिक पदार्थों के कारखानों को ही तथा केन्द्रित उद्योग-धन्धों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस बात की सावधानी रखी जावे कि बड़े और छोटे व्यवसायों में कुछ भी स्पर्धा न हो पावे। विदेशी स्वामित्व के उद्योग-धन्धे या तो नष्ट कर दिये जावे या सरकार उनकी भालिक हो जावे। किसी भी परिस्थिति में उन पर दया न करनी चाहिये।¹⁹

अभी तक बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के विषय में प्रयोग और सशोधन किये गये हैं। इनका लाभ छोटे उद्योग-धन्धों को भी मिलना चाहिए।

एक ऐसी "औद्योगिक सहकारी समिति" की स्थापना की जानी चाहिए जो विकेन्द्रित ग्रामोद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति करे और उनके पक्के माल को अच्छी कीमतों पर बेच सके। ऐसे गृह-उद्योगों को किजली दी जानी चाहिए। गृह-उद्योगों द्वारा

उत्पन्न आवश्यक माल पर कर रद्द होना चाहिए। सरकार उनके द्वारा बनाए गये पक्के माल को खरीद कर उन्हें उत्तेजना देवे। मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए 'कार्यसमितियों' (Works Committees) की स्थापना होनी चाहिए। हर परिस्थिति में मध्यस्थों एवं शांतिपूर्ण तरीकों से मजदूरों की समस्यायें सुलझाई जावे।

सहकारी-समितियों तथा बीमा-कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। बहुप्रयोजन (Multi-purpose) सहकारी सस्थाओं का जाल फैलाकर उनके द्वारा गृह-उद्योगों को कर्ज मिलना चाहिए। पैसों की महत्ता को कम कर वस्तु-विनिमय (Barter) को उत्तेजना दी जावे। अनाज के रूप में मजदूरी कर तथा लगान देने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

व्यापार, यातायात तथा शासन

योजना के अतर्गत व्यापार में किसी भी प्रदेश से केवल उसकी आवश्यकता से अधिक पदार्थ ही दूसरे प्रदेश में भेजे जाने चाहिए। बहुप्रयोजन समितियाँ ही निर्यात का काम करें। किसी विशेष निर्मित प्रमडल को विदेशी व्यापार की जिम्मेदारी दी जावे, रेलों, हवाई जहाजों और तार की नीति में परिवर्तन करके ग्रामों को प्रधानता दी जानी चाहिए। आवागमन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। टिकट की दर लोगों की सुविधानुसार निश्चित की जानी चाहिए।

शिक्षा में संघावृत्ति की भावना को स्थान मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के हस्तकौशलों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा में औद्योगिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा तथा सहकारिता के सिद्धान्तों का भी समावेश होना चाहिये। प्रारम्भ में मातृभाषा और फिर राष्ट्रभाषा में शिक्षा देनी चाहिए।¹³

शरीर और गृह को स्वच्छता रखना, गदले पानी और कचरेकुड़े की कंसी व्यवस्था करना तथा उससे खाद कैसे बनाना इत्यादि बातों का देहातों में प्रचार होना चाहिए।

स्त्रियों और पुरुषों को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि अन्नों के पोषक-तत्त्वों का नाश न करते हुए भोजन कैसे पकाया जाय। जीवन-सत्त्व-रहित अन्न खाने से शरीर की सहिष्णुता नष्ट हो जाती है और मनुष्य रोगों का घर बन जाता है इसलिए रोगों का प्रतिकार करके शरीर सुदृढ बनाने के लिए सात्विक, पुष्ट और सतुलित आहार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देहात में सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिये। उसी प्रकार प्रसूतिगृहों और अस्पतालों की भी सुविधा होनी चाहिए।

शासन में अधिकतर सत्ता सबसे नीचे की सस्थाओं को होना चाहिए और ऊपर की सस्थाओं के अधिकार क्रमानुसार कम होते जाना चाहिये। शासन-प्रणाली की मूलमूल सस्था की दृष्टि से ग्रामपंचायतों की स्थापना की जानी चाहिये जिनका अधिकार शिक्षा, आरोग्य सार्वजनिक स्वच्छता जमीन तथा विकेंद्रित उद्योग-धंधों पर होना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक पंचायत-सभा होना चाहिये।

इसके पंच ग्रामपंचायतों के पंचों द्वारा चुने जाने चाहिए। इस "प्रादेशिक पंचायत-सभा" के पंचों को एक "प्रांतीय पंचायत-सभा" का निर्वाचन करना चाहिए। इस प्रकार की प्रांतीय पंचायत-सभाएं एक "अखिल भारतीय पंचायत-सभा" का निर्वाचन करें जो जमीन संबंधी-कानून उद्योग-धंधे, सार्वजनिक संस्थाएँ, बिजली की पूर्ति इत्यादि विषयों में सारे देश में एकसूत्रता का निर्माण करें।

उपर्युक्त सब नियोजनों को व्यावहारिक रूप देने के लिए एक "नियोजन-मंडल" नियुक्त होना चाहिए।

देश की रक्षा के लिए अहिंसात्मक प्रतिकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसी प्रकार सेना का खर्च क्रमशः कम किया जाना चाहिए। "शांति सेना" की स्थापना कर अहिंसात्मक प्रतिकार के तत्त्वों को व्यवहार में लाना चाहिए। सर्वोदय योजना में गांधीजी के दर्शन के पूर्ण अनुकरण कर निःशस्त्रीकरण का विचार प्रस्तुत किया।

विदेशी स्वामित्व के व्यवसायों पर कड़े नियंत्रण रखने की नीति को इस योजना में स्वीकार किया गया है।

सर्वोदय योजना : क्रियान्वयन

गांधीजी की विचारधारा पर आधारित सर्वोदय योजना देश में क्रियान्वित न की जा सकी जहाँ एक ओर सर्वोदय योजना तैयार करने वालों में उत्साह का अभाव था वहीं दूसरी ओर सरकार का इसे लागू करने का मन भी न था। गांधीजी की मृत्यु के उपरान्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सर्वमान्य नेतृत्व भी शेष नहीं रह गया था। गांधी जी के प्रमुख अनुयायी विनोबा भावे ने गांधी जी के सर्वोदय दर्शन को भूदान व ग्रामदान आंदोलन के माध्यम से कार्य रूप प्रदान किया। विनोबा भावे के भूदान व ग्राम दान आंदोलन का विवेचन आगामी अध्याय में किया जाएगा।

सर्वोदय योजना एक पूर्ण योजना है जिसमें वास्तविक समाजवाद की प्राप्ति व मानव कल्याण पर विशेष बल दिया गया है लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम सर्वोदय योजना को क्रियान्वित कर सके।

मूल्यांकन

गांधीजी यद्यपि स्वयं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी नहीं रहे न ही उन्होंने अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचार अर्थशास्त्र की अमूल्य निधि है जिसका प्रयोग शाश्वत रूप से होता आया है और होता रहेगा। गांधीजी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों में मानव मूल्य समाहित हैं। उनके आर्थिक चिन्तन को किसी भी परम्परागत वर्गीकरण-व्यक्तिवाद या समष्टिवाद, उदारवाद या समाजवाद, पूँजीवाद या साम्यवाद की परिधि में बाँधना समभव नहीं है। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि उनके विचार पूर्ण नहीं हैं। गांधी जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम-स्वराज्य पर आधारित राम-राज्य की सकल्पना अपने आप में पूर्ण है तथा मानव के नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक,

आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन दुर्भाग्य स्वधीनता प्राप्ति के उपरान्त गाँधीजी द्वारा प्रशस्त मार्ग का हम अनुसरण नहीं कर पाये।

संदर्भ

- 1 हरिजन 9-10 1937
- 2 गाँधी आत्मकथा पृष्ठ 220
- 3 यग इंडिया 13-10-21
- 4 गाँधी हिन्द स्वराज पृष्ठ 44-45
- 5 ऋग्वेद पुरुष सूक्त 10/90
- 6 गीता 4/12
- 7 हरिजन 28 सितम्बर 1934
- 8 गाँधी हिन्दू धर्म पृष्ठ 379
- 9 हरिजन सेवक 17 अप्रैल 1937
- 10 हरिजन 9 अक्टूबर 1937
- 11 ईशोपनिषद श्लोक-प्रथम
- 12 हरिजन 30-1-1937
- 13 हरिजन 16-12-1937
- 14 हरिजन 31-3-1946
- 15 गाँधी सर्वोदय पृष्ठ 51-52
- 16 हरिजन 12-4-82
- 17 यग इंडिया 26-6-1924
- 18 गांधी विचार रत्न गांधी साहित्य 10 सकलनकर्ता-माई दयाल जैन पृष्ठ 228
- 19 गाँधी विचार रत्न गाँधी साहित्य 10 सकलनकर्ता- माई दयाल जैन पृष्ठ 228
- 20 यग इंडिया 26-4-1920
- 21 आर बी ग्रेग ए फिलारसाफी ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डवलपमेंट पृष्ठ 92
- 22 हिन्द स्वराज पाठ 19
- 23 यग इंडिया 17-6-1926
- 24 हरिजन 16-11-1934
- 25 यग इंडिया 5-11-1925
- 26 गांधी सर्वोदय पृष्ठ 114
- 27 गाँधी सर्वोदय पृष्ठ 111
- 28 सलेमरान फ़ार्म गाँधी Sec 775
- 29 हरिजन 17 अप्रैल 1937
- 30 हरिजन 9 अक्टूबर 1937

- 31 हिन्दी नवजीवन, 9-7-1928-30 हरिजन, 9-7-193
32. जैनेन्द्र कुमार-सर्वोदय अर्थशास्त्र पृष्ठ-58
- 33 दादा धर्माधिकारी- सर्वोदय दर्शन (सर्व सेवा सघ) पृष्ठ-16
34. भारत कुमारप्पा-सर्वोदय पृष्ठ-3
35. जैनेन्द्र कुमार-सर्वोदय अर्थशास्त्र पृष्ठ-357
36. विनोबा भावे-सर्वोदय विचार व समाजशास्त्र पृष्ठ-57
- 37 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-100
- 38 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-101
- 39 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-102
- 40 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-104
- 41 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-105
- 42 मधुकर शेटे-आर्थिक नियोजन पृष्ठ-106

प्रश्न

- 1 गाँधीजी के व्यक्तित्व एवं विचारों पर सर्वाधिक किन लोगों एवं ग्रन्थों का प्रभाव पड़ा ? बताइये।
- 2 गाँधीजी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइये।
- 3 गाँधी जी के अर्थशास्त्र सम्बन्धी विचारों पर टिप्पणी कीजिए।
- 4 आर्थिक नियमों के सम्बन्ध में गाँधीजी के विचारों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए।
- 5 आवश्यकताओं के सम्बन्ध में गाँधीजी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।
- 6 गाँधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विस्तार से विवेचना कीजिए।
- 7 सर्वोदय के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए।
- 8 'स्वदेशी वह कामधेनु है जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है।' गाँधीजी के इस कथन के सदर्थ में भारत की वर्तमान समस्याओं के लिए स्वदेशी की सार्थकता पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए।
- 9 गाँधी जी के राम राज्य की संकल्पना पर एक टिप्पणी लिखिए।
- 10 गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित औद्योगिकरण व मशीनीकरण तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 11 गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र के उद्देश्यों व आर्थिक नियमों की चर्चा करते हुए इसके "मानव व आर्थिक मानव" की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए।
- 12 गाँधी के सर्वोदय का अर्थ बताते हुए उसकी पृष्ठभूमि तथा तात्विक आधारों की चर्चा कीजिए।



विनोबा भावे (Vinoba Bhаве)

राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी के वास्तविक उत्तराधिकारी व उनकी विचारधारा को कार्यरूप प्रदान करने वाले राष्ट्र सत विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोदा नामक ग्राम में 11 सितम्बर 1895 को हुआ। उनके पितामह शम्भू राव भावे अत्यन्त धार्मिक व्यक्ति थे। ईश्वर भजन व पूजा पाठ में उनकी गहरी निष्ठा थी। छूआछूत की भावना उनको छू तक नहीं प्रायी थी। विनोबा के पिता नरहरि भावे आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे तथा औद्योगिक शिक्षा में उनको गहरी रुचि थी। विनोबा पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का पडा जो कि धर्मपरायण भारतीय नारी थी। इस प्रकार विनोबा को पिता से वैज्ञानिक सस्कारों की तथा माता से भक्ति सस्कारों की प्राप्ति हुई।

सन 1903 में विनोबा दखौदा आये व उन्होंने तीसरी कक्षा में प्रवेश लिया। पाठशाला से छठी कक्षा उत्तीर्ण करके 1906 में हाई स्कूल में पढ़ने लगे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण वे अपनी कक्षा में सर्वप्रथम रहते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में वे चटाई पर सोते थे कभी तकिया न लगाते थे तथा नंगे पैर रहते थे। 1907 में मात्र 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया था। 1913 में उन्होंने हाई-स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की इस परीक्षा में विनोबा ने गणित में 100 में से 99 अंक प्राप्त किये। 24 मार्च 1916 को इटर की परीक्षा देने बन्दे जाने से एक दिन पूर्व उनकी आध्यात्मिक रुचि ने उन्हें पूर्णतया आध्यात्म के मार्ग पर ला दिया। इसलिए विनोबा ने मैट्रिक के व अन्य सभी प्रमाण पत्र जला दिये। 25 मार्च 1916 को बन्दे में परीक्षा के स्थान पर वे काशी में गंगा किनारे घाट पर चले गये।

4 फरवरी 1916 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर के समय गाँधी के भाषण में विनोबा बहुत अधिक प्रभावित हुए। विनोबा ने गाँधीजी से पत्र व्यवहार किया व 7 जून 1916 को गाँधीजी के निमंत्रण पर साबरमती आश्रम में प्रवेश किया। विनोबा ने कुछ समय बाद गाँधी से नियत कर आश्रम से एक वर्ष का अवकाश लिया व गीता उपनिषद् ब्रह्मसूत्र योग दर्शन आदि का विशद अध्ययन किया एक वर्ष बाद पुन 10 फरवरी 1918 को साबरमती आश्रम लौट आये व पूर्णरूपेण गाँधीजी से जुड़ गये। विभिन्न स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लिया व जेल गये। गाँधी जी विनोबा जी की सन्तर्पण

भावना तथा कार्य के प्रति उत्साह से अत्यधिक प्रभावित थे। विनोबा जी के प्रति यह गाँधीजी का अटूट विश्वास ही था कि 1940 में गाँधीजी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही बनाया।

विनोबा जी पूर्णरूपेण गाँधीजी के प्रति समर्पित थे। 30 जनवरी, 1943 को गाँधीजी के शहीद होने के उपरान्त उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विनोबा जी की पहल पर गाँधीजी के सभी अनुयायी सेवाग्राम में एकत्र हुए। 13-15 मार्च, 1930 को हुए इन् सम्मेलन में "सर्व सेवा संघ" का गठन हुआ तथा गाँधीजी के सर्वोदय कार्यक्रम को रचनात्मक व कार्यात्मक स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया। गाँधीजी द्वारा 1940 के सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे ने इस सत्याग्रह को घरातल पर उतारने के लिए तथा गाँधीजी के सर्वोदय व ट्रस्टीशिप (Trustee ship) दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए निम्न 5 अवधारणाओं पर बल दिया—

(अ) भूमिदान

(ब) ग्रामदान

(स) संपत्ति दान

(द) बुद्धि दान

(ई) जीवन दान

भू-दान विनोबाजी की मौलिक देन है। भू-दान के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान का मार्ग उन्होंने प्रस्तुत किया व उसे व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान किया। भू-दान की परिणति हुई ग्राम दान के रूप में और दोनों ने मिलकर भारत के लिए मार्ग दिखाया। राम राज्य का जहाँ सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम सौहार्द भाईचारे की भावना के साथ एकता पूर्वक हैं। भू पर सभी के अधिकार की सकल्पना भू-दान व ग्रामदान की अवधारणा के अंतर्गत है। विनोबा जी के शब्दों में "भू-दान आंदोलन की यह एक विशेष बात है कि इस न से ग्रामदान आरम्भ हुआ है भू-दान आंदोलन का पहला कदम था" गाँव में कोई भी भूमिहीन न रहें और अंतिम चरण 'गाँव में कोई भी भूमि मालिक न रहे।' हमें स्वामित्व छोड़कर सेवकत्व स्वीकार करना चाहिए। हर एक को उसके पेट के लिए जरूरी अन्न मिलना ही चाहिए यह उसका अधिकार है। स्वामित्व का अधिकार किसी को नहीं है।'

भू-दान

भू-दान का अर्थ

भू-दान दो शब्दों से मिलकर बना है। भू-अर्थात् भूमि। भूमि से यहाँ आशय वस्तुतः कृषि भूमि से है। दान का शाब्दिक अर्थ है स्वेच्छा से आपने अधिकार को किसी वस्तु या सेवा को दूसरे को सौंप देना। दान एक स्वेच्छिक प्रक्रिया है जो कि किसी दबाव या कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जाता। इस प्रकार भू-दान का आशय है स्वेच्छा से भूमि का दान। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी आदर्यकता के अतिरिक्त भूमि का

दान करे या कोई भूमिपति अपनी अल्प भूमि में से भी एक हिस्सा भूमिहीनो को दान करे तो वह विनोबा जी के अनुसार भू-दान है। यहाँ उल्लेखनीय है कि विनोबा जी ने पहले भू-दान यज्ञ का प्रारम्भ नहीं किया अपितु पहले उन्हें भूमि दान में प्राप्त हुई और फिर उन्होंने इस भू-दान यज्ञ का प्रारम्भ किया।

भू-दान का प्रारम्भ

7 मार्च 1951 को विनोबा जी ने शिवरामपल्ली (आंध्र प्रदेश) सर्वोदय सम्मेलन हेतु रोवा ग्राम से पदयात्रा आरम्भ की। 7-14 अप्रैल 1951 तक आयोजित इस सर्वोदय सम्मेलन के अंतिम दिन विनोबा जी ने तैलगाना जाने का अपना इरादा प्रकट किया। तैलगाना की स्थिति उस समय अति विकट थी। यहाँ एक ओर साम्यवादियों ने और दूसरी तरफ सेना ने असुरक्षा की जटिल स्थिति पैदा कर दी। वे वापस यहाँ लौटने से पहले स्वयं वस्तु स्थिति को समझना चाहते थे।

राम नयमी के शुभ मुहूर्त और तदनुसार 15 अप्रैल 1951 को विनोबा जी ने इस शांति यात्रा पर पैदल ही प्रस्थान किया। अपनी इस पद यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस या सेना की मदद लेने से इकार कर दिया। स्वतंत्र भारत के सर्वोदय आंदोलन के इतिहास में यह यात्रा अति महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय सिद्ध हुई।

विनोबा जी 18 अप्रैल 1951 को पदयात्रा के तीसरे दिन नलगोडा जिले के गाँव पोचमपल्ली पहुँचे जो कि साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था। पोचमपल्ली की जनसंख्या 3000 थी। यह पोचमपल्ली गाँव ही है जहाँ से विनोबा जी का भू-दान यज्ञ प्रारम्भ हुआ। विनोबा जी के साथ श्री मन्नारायण की पत्नी भी साथ थी उन्होंने जो गर्म-स्पर्शी विवरण पोचमपल्ली के घटनाक्रम का दिया है उसे श्री मन्नारायण ने अपनी पुस्तक **ऋषि विनोबा** में निम्नरूपेण प्रस्तुत किया है।

जैसे ही विनोबा गाव में पहुँचे वैदिक मधो के साथ उनका स्वागत किया गया कुछ देर बाद यात्रा के सदस्य स्नान वगैरह के लिए गाँव में चले गये। स्वयं विनोबा ने स्थानीय शाला में कुछ देर आराम किया फिर एकदम उठे व लोगों की आर्थिक स्थिति को स्वयं समझने के लिए गाव में चले गये। प्रारम्भ उन्होंने हरिजन वस्ती से किया। उनकी हालत को अपनी आँखों से देखने के लिए मकान के अंदर भी गये। जब वे अपने स्थान-शाला पर वापस लौटने लगे तब कुछ हरिजनों ने उन्हें घेर लिया और कहा हम बहुत गरीब हैं ब्रेकार भी है इसलिए और भी दुखी हैं। कृपया हमारी कुछ मदद कीजिए।

मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकता हूँ? विनोबा ने पूछा।

हमें तो सिर्फ काम चाहिए और कुछ नहीं। मेहरवानी करके कुछ जमीन दिला दीजिए तो उस पर मेहनत करके हम अपनी गुजर कर लेंगे। इस दया के लिए हम सदा आपके एहसानमन्द रहेंगे।

विनोबा को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। उन्होंने कहा आपके गाँव में

आये मुझे अभी कोई एक घटा हुआ है। नहाने और कुछ आराम के बाद हम सब कताई करेंगे। तब आप शाला में आ जाये तो हम बैठकर विचार करेंगे। मैं यह भी सोचूँगा कि आपको जमीन कैसे मिले।

तदनुसार हरिजनो के 40 परिवार विनोबा के पास आये। कताई समाप्त होने पर विनोबा ग्रामीणों के सामने एक खटिया पर बैठे। हरिजनों का एक प्रतिनिधि हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने जमीन की माँग वाली वही प्रार्थना फिर दोहरायी और कहा " हम धरती माता की सेवा करेंगे और वह जो देगी उससे बच्चों का पेट भरेगे।"

आपको कितनी जमीन की सही-सही जरूरत है ? विनोबा ने पूछा।

कुछ देर आपस में विचार करने के बाद हरिजनों के अगुआ (प्रतिनिधि) ने कहा "80 एकड़ काफी होगी। हम 40 घर के आदमी हैं। हर परिवार के लिए 2 एकड़ काफी होगी।"

विनोबा गहरे विचार में पड़ गये। परन्तु कोई हल सूझ नहीं रहा था इसलिए धीरे से उन्होंने कहा " मैं सरकार से बातचीत करूँगा और देखूँगा कि आपको कुछ जमीन मिल सकती है या नहीं। समस्या कठिन है फिर भी कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है।"

और तब उन्हें एकाएक ख्याल आया कि शायद सामने बैठे गाँव के लोगो में से ही इन गरीबों की जरूरत को पूरी करने के लिए कोई तैयार हो जाय। उन्होंने आँखें ऊपर उठाईं, श्रोताओं की तरफ देखकर कुछ मुस्कराये और बिना किसी आशा-अपेक्षा से कहा, भाइयो आप में कोई इन हरिजनो की मदद कर सकता है? वे जमीन पर अपनी गुजर के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं।

और कौसा आश्चर्य। स्थानीय कार्यकर्ताजो में से एक रामचन्द्र रेड्डी खड़े हुए और विनोबा के सामने हाथ जोड़कर बोले "महाराज, मेरे पास कुछ जमीन है और मैं उसे देने के लिए किसी सदपात्र की तलाश में हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि 200 एकड़ जमीन में से आधी जमीन कुछ योग्य पात्रों में बांट दी जाय। मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि क्या करूँ। परन्तु कुछ सूझ नहीं पा रहा था। आज का दिन मेरे लिए सोने का बनकर आया है। कृपा करके 100 एकड़ का यह दान आप जरूर स्वीकार कर लें। इस कृपा के लिए मुझ पर बड़ा उपकार होगा।"

न तो विनोबा को और न उनके साथियों को विश्वास हो रहा था। परन्तु रामचन्द्र रेड्डी तो हाथ जोड़कर खड़े थे और विनोबा की मजूरी की राह देख रहे थे।

विनोबा भावे विनोद हो गये। यह तो सचमुच चत्कार ही था। हरिजनो ने तो केवल 80 एकड़ जमीन माँगी थी और दाता अपने मन से 100 एकड़ जमीन दे रहा था। विनोबा ने फिर हरिजनो की तरफ देखा। 100 एकड़ के दान की बात तो उन्होंने भी सुन ली थी। परन्तु फिर भी वे तो अपनी 80 एकड़ की बात पर ही दृढ़ रहे। उन्होंने अपने वचन को फिर दोहराया कि पूरे दिल से धरती माता की सेवा करेंगे। लोभ लालच का वहाँ नामोनिशान नहीं था।

अगोछे से अपने आँसुओं को पोछकर विनोबा बोले मैं यहाँ खाली हाथों आया था और कल सुबह भी यहाँ से अगले गाँव खाली हाथों ही जाऊँगा। दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों यहाँ हमारे बीच बैठे हैं। वे हमारे सामने ही जमीन दे दे और ले ले। दाता हरिजन भाइयों को कुछ पैसा और खेती के औजार भी दे ताकि वे सहकारिता की पद्धति से खेती कर सकें।

रामचन्द्र रेड्डी ने विनोबा के सामने नम्रता पूर्वक सर झुका कर इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। हरिजनो ने आनंद और सतोष के साथ विनोबा के चरण छुए और इस प्रकार भू-दान की गगोत्री का प्रवाह प्रारम्भ हुआ।

विनोबा जी के लिए यह घटना कल्पनातीत थी। इसमें उन्हें भगवान का हाथ नजर आया व गाँव-गाँव जाकर भू-दान यज्ञ का विस्तार करने का सफल्य लिया। उन्हीं के शब्दों में

आदमी जो कुछ करता है सदा अपने सोचे अनुसार ही नहीं करता। ऐसी उदात्त क्रियाओं के पीछे सदा कोई देवी शक्ति होती है। मे तो एक श्रद्धाशील आदमी हूँ और भगवान के नाम पर काम करता रहा हूँ। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मैं गरीबों के लिए इस प्रकार जमीन की माँग करने के लिए गाँव-गाँव घूमूँगा।

भू-दान यज्ञ का लक्ष्य

पोचम पल्ली गाँव से 18 अप्रैल 1951 को प्रारम्भ हुआ भू-दान यज्ञ शीघ्र ही बंगाल विहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश आदि अधिकांश प्रान्तों में तेजी से फैलने लगा। विनोबा जी कितनी भूमि भू-दान के अर्तगत चाहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर विनोबा जी निम्न शब्दों में देते हैं—

'यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है फिर भी दरिद्र नारायण की भूख बहुत ज्यादा है। इसलिए जब गुजरसे लोग पूछते हैं कि आपका अक क्या है कितनी जमीन आपको चाहिए, तो मैं जवाब देता हूँ 5 करोड़ एकड़। अगर परिवार में 5 भाई हैं तो छठा गुझे मान लीजिए और चार हों तो 5 वॉ। इस तरह यह कुल जेरकाशत जमीन का 5वाँ या छठा हिस्सा होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विनोबा जी का भूदान का लक्ष्य 5 करोड़ एकड़ था। अप्रैल 1951 से सितम्बर 1951 तक मात्र 6 माह में 30 000 (तीस हजार) एकड़ जमीन भू-दान के अर्तगत आ चुकी थी।

भू-दान यज्ञ से सवद्ध विनोबा जी के विचार

(अ) भू-दान सत्याग्रह का रचनात्मक प्रयोग है— सत्याग्रह केवल अन्याय के प्रतिकार का एक नैतिक और आध्यात्मिक उपकरण ही नहीं अपितु नवीन समाज रचना का एक समर्थ साधन भी है। भू-दान आदालत वस्तुतः जमीन की भिक्षा का आदोलन नहीं यत्कि यह तो अन्यायपूर्ण भू-व्यवस्था के विरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह है।

(ब) भूमि पर सबका समान अधिकार— विनोबा जी के अनुसार ईश्वर ने पृथ्वी जल, तेज, वायु आकाश, इन पंच महाभूतों का निर्माण सभी प्राणियों के लिए किया है। अतः प्रकृति की चीजों पर सभी का समान अधिकार है। जब जल तेज वायु तथा आकाश का उपभोग सभी जीव समान रूप से करते हैं तो पृथ्वी के उपभोग का भी सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। जब चार महाभूतों का वितरण ईश्वर ने समान रूप से किया है तो मानव को क्या अधिकार है कि वह भूमि का वितरण स्वयं करे। विनोबा के अनुसार भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कुछ लोगों को भूमिहीन रखना एक प्रकार का अन्याय है और इन अन्याय को दूर करने का मार्ग है भू-दान यज्ञ।

(स) भू-दान सर्वोत्तम दान— हिन्दुस्तान की संस्कृति का सर्वोत्तम अंश भगवान की मूर्ति सजाने में है। जो भी भोग हम चाहते हैं, प्रकृति के अनुसार वह हम भगवान को अर्पित करके ही सेवन करेंगे। हम जो भोग भोगेंगे वह भगवान के लिए भोगेंगे, जो काम करेंगे वह भगवान के लिए करेंगे। भगवान दीन, दुःखी गरीब व्यक्ति में भी निवास करता है, उनकी सेवा भगवत् सेवा है। एतदर्थ हम उन्हें भोजन वस्त्र आदि दान देते हैं लेकिन वह दान उनकी मूख को स्थायी रूप से नहीं मिटा सकता। यदि हम उसे उत्पादन का साधन देते हैं, तो उसे फिर माँगना नहीं पड़ेगा। उसे हम यदि अच्छी जमीन देते हैं तो वह उस पर काश्त करके अपने बाल बच्चों का पालन-पोषण करेगा और फिर माँगने न आयेगा। इसीलिए भू-दान सर्वोत्तम दान है।

(द) भू-दान - साम्य योग की स्थापना—विनोबा जी के अनुसार “स्वराज्य की प्राप्ति के बाद हमें ‘साम्य योग’ की स्थापना का आदर्श रखना होगा, इसी को हमने सर्वोदय कहा है। इस साम्य योग की स्थापना करने के लिए ही तो मैं गाँव में घूम रहा हूँ। आजकल मैं भू-दान माँगता हूँ। जिनके पास जमीनें नहीं हैं, उन्हें भूमि देना चाहता हूँ। आखिर यह सारा गोरख-धम्मा क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कि आज समाज में ऊँच-नीच माने जाने वाले सभी दर्जे मिटने चाहिए यह कैसे हो सकता है कि जो खुद खेती नहीं करते, उनके हाथ में खेती हो? और जो खुद खेती नहीं जानते, वे उस पर दूसरों के हाथ से काम करवाते हैं और जो जानते हैं वे मजदूर के तौर पर काम करते हैं।”

विनोबा जी के अनुसार हमारी संस्कृति पृथ्वी को माता मानती है और स्वयं को उसका पुत्र।

‘माता भूमि पुत्रोऽह पृथीव्या,’

माता पर तो सभी पुत्रों का अधिकार समान रूप से होता है अतः हम सभी का पृथ्वी पर समान अधिकार है।

(य) भू-दान - राम राज्य की स्थापना का मार्ग— विनोबा जी के अनुसार भू-दान दिलों को जोड़ता है फिर जमीन जुड़ती है और सहकारिता का विकास होता है। भू-दान अतः समस्त ग्राम को एक परिवार में परिवर्तित कर राम राज्य की स्थापना का

मार्ग प्रशस्त करता है। विनोबा जी ने भू-दान की 5 भूमिका निर्धारित कर राम राज्य की स्थापना समझायी है विनोबा जी द्वारा निर्धारित 5 भूमिकाये निम्नलिखित हैं—³

(i) अशांति शमन—पहली भूमिका केवल स्थानिक दुःख निवारण की थी।

(ii) ध्यानकर्षण—दूसरी भूमिका व्यापक सद्भावना जगाने की थी और सारे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की थी।

(iii) निष्ठा निर्माण—तीसरी भूमिका कार्यकर्ताओं में आत्म विश्वास पैदा करने की थी।

(iv) व्यापक भूमिदान—चौथी भूमिका एक प्रदेश में छटे हिस्से भूमि की माँग किस तरह पूरी हो सकती है यह देखने की थी।

(v) भूमि क्रांति—पाँचवी भूमिका ग्राम का एक परिवार धानाने की है।

5वीं भूमिका के बाद ग्राम राज्य और राम राज्य प्रारंभ हो जायेगा।

ग्राम-दान

ग्राम-दान वस्तुतः रामराज्य या ग्राम राज्य की प्राप्ति का मार्ग है। ग्राम-दान का प्रथम चरण है भू-दान जिसके अंतर्गत समाज में कोई भूमिहीन न रहे। ग्राम-दान भूमि के संपूर्ण मालिक्यत को गांव पर सौंप सेवावृत्ति अपनाएने का विचार है विनोबा जी के शब्दों में जमीन और संपत्ति शक्ति और बुद्धि का मालिक परमेश्वर है उनकी वृद्धि का कारण समाज है हम सब तो उसके सेवक हैं। हर एक को उसके पेट के लिए जितना जरूरी है उतना ही मिलना चाहिए। मालिक्यत का अधिकार किसी को नहीं भू-दान यज्ञ की यह अंतिम बात है।

विनोबा जी ने ग्राम-दान को वरदान बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है ग्राम-दान की घटना दुनियाँ के इतिहास में अदभुत मानी जायेगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनियाँ में शांति की स्थापना हो जायेगी। यह विश्व शांति के लिए वोट है। विश्व शांति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शक्ति ग्राम-दान में है ग्राम-दान वरदान है।

ग्राम-दान का प्रारंभ तो वस्तुतः भू-दान से होता है। विनोबा जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यदि मैं सीधे ही ग्राम-दान की बात करता तो वह बनने वाली नहीं थी। भू-दान में करुणा समाविष्ट है जबकि ग्राम-दान में सहयोग एवं समता की एक कल्पना है। समता यदि करुणा पूर्वक आती है तो ही वह कल्याणकारी होती है अन्यथा नहीं।

ग्राम-दान हेतु प्रक्रिया—प्रारंभ में जो ग्राम-दान हुए उनमें सभी भूमिपतिव्या ने अपनी जमीनें ग्राम समाज को सौंप दी। उसके बाद प्रत्येक परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर इन जमीनों को नए सिरे से बाँट दिया गया। इन ग्रामदानी गाँवों की जमीन में से 10 प्रतिशत भाग सहकारी कृषि के लिए सुरक्षित कर दिया जाता तथा शेष जमीन को काश्तकार जीवन भर जोतता। अगर उन जमीनों की काश्त ग्राम सभा की योजना के अनुसार होती रहे तथा उसका लगान भी ग्राम सभा को समय पर

दिया जात रहे तो यह अगली पीढ़ी के पास रह सकती थी। इस जमीन को ग्रामसभा की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता था न गिरवी रखा जा सकता था। 10 प्रतिशत सहकारी शामलाती भूमि की उपज का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किये जाने की व्यवस्था थी। ग्रामदान की यह योजना कम व्यावहारिक रही। तब विनोबा जी ने साथियों से विचार-विमर्श कर इसे अधिक लचीला बना कर दूसरी सुलभ ग्रामदान योजना बनायी।

योजनानुसार ग्राम के 75 प्रतिशत भूस्वामी मिलकर 5 प्रतिशत जमीन तो भूमि हीनों को दे दें शेष 95 प्रतिशत स्वयं की काशत के लिए रख लें। समस्त भूमि पर स्वामित्व तो ग्राम सभा का ही रहेगा। ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो जमीन बेची जा सकती है और न ही गिरवी रखी जा सकती है। गाँव के सभी बालिग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक ग्राम में ग्राम विकास कोष होगा जिसमें प्रत्येक काशतकार को अपनी उपज का 30 प्रतिशत या आय का 40 प्रतिशत देना होगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें इतना ही प्रतिशत शरीर श्रम के रूप में देना होगा। गाँव का प्रबन्ध सर्वानुमति से होता है न कि बहुमत से। ग्रामदान के लिए यह आवश्यक है कि गाँव की कुल जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग उपर्युक्त सिद्धान्तों को स्वीकार करे और उसमें कम से कम इतने भूमिपति शामिल हो कि गाँव की कुल जमीन का 51 प्रतिशत इसमें शामिल हो जाय।

ग्राम-दान के उद्देश्य :- विनोबा जी ने ग्राम-दान की सकल्पना का प्रचार स्वयं ने गाँव-गाँव में जाकर किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की एतदर्थ अत्यधिक पदयात्रा की।

ग्राम-दान के विनोबा जी ने 7 बुनियादी उद्देश्य गिनाये—^०

1. गरीबी को मिटाना।

2. जमीन के मालिकों में प्रेम और स्नेह की भावना को जागृत करना और इस प्रकार देश के नैतिक वातावरण को सुधारना।

3. देश में जहाँ जगह-जगह आमतौर पर एक तरफ बड़े जमींदारों और दूसरी ओर बेदखल किये गये भूमिहीनों के मध्य वर्गविद्वेष का वातावरण फैल रहा है, उसे दूर करके उसके स्थान पर समाज में बन्धु भाव और परस्पर सहायक बनने का भाव पैदा करना।

4. यज्ञ दान और तप के हमारे अनोखे तत्व ज्ञान पर आधारित हमारी भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करके उसे बलवान बनाना। इस प्रकार सच्चे धर्म में मनश्च की श्रद्धा को बढ़ाना।

5. श्रम धर्म, अपरिग्रह सहकारिता और स्वावलम्बन पर आधारित नयी समाज रचना का निर्माण।

6. देश के समस्त राजनीतिक दलों को एक मंच पर मिल जुलकर काम करने का अवसर प्रदान करना और इस प्रकार स्वार्थ और कटुता को निर्मूल करना।

7. विश्व शांति में मदद पहुँचाना।

ग्राम-दान, कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य —ग्राम-दान की अवधारणा उसकी व्यापकता व महत्ता को निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

1 भारत की एक आध्यात्मिक परम्परा है जिसमें मानव त्याग प्रेम करुणा और अद्वैत भावना को महत्त्व दिया जाता है। भारतीय यह जानता है कि जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर का है। अपना कुछ भी नहीं न धरती न सपत्ति न शक्ति न बुद्धि। अतः विश्व पुरुष को अर्पण करके ही उससे जो मिले उसे भोगता है।¹

2 परिवार में एक दूसरे की चिन्ता और ख्याल किया जाता है इसीलिए उसमें आनन्द की अनुभूति होती है। परन्तु आज वह सीमित है मैं और मेरे तक। उसे वसुधैव कुटुम्ब तक ले जाना है और उसका मुख्य कदम ग्राम-दान है।²

3 विनोबा कहते हैं कि लोगों ने कल्पना कर रखी है कि समाज में कुछ आस्तिमान (Haves) हैं और कुछ नास्तिमान (Have Nots) हैं। परन्तु एक दिन मेरे ध्यान में आया कि इस दुनियाँ में कुल के कुल लोग आस्तिमान हैं। परमेश्वर की कृपा से दुनियाँ में नास्तिमान कोई नहीं है। किसी के पास भूमि है किसी के पास सपत्ति है किसी के पास प्रेम। हर किसी के पास कोई न कोई चीज पडी है लेकिन उस चीज का उपयोग वह सीमित रूप में करता है। उन्होंने आगे कहा कि ग्राम-दान का विकसित अर्थ है कि जिसके पास जो हो वह उसे ग्राम को समर्पित करे; नहीं तो यह होगा कि कुछ लोगों का धर्म देने का है और कुछ का धर्म लेने का। ऐसा नहीं हो सकता। धर्म वही है जो सब पर लागू होता है जैसे सत्य धर्म है तो वह सब पर लागू होता है करुणा धर्म है तो सब पर लागू होता है।

4 ग्राम-दान एक पूर्ण विचार है। यह एक जटिल प्रत्यय है जिसमें कई प्रकार की प्रतिमाओं का एक साथ अनुपम संगठन हुआ है। धर्म की दृष्टि से यह करुणा और सेवा का विज्ञान की दृष्टि से सहयोग का समाज की दृष्टि से टूटे हुए हृदय को जोड़ने का आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी ग्रामीण कुटीर उद्योग व खादी का राजनीतिक दृष्टि से शासन मुक्त समाज वास्तविक लोक शक्ति और लोकनीति का प्रतिरक्षा की दृष्टि से शांति सेना का और अहिंसक क्रांति के मार्ग के रूप में यह नयी तालीम हृदय परिवर्तन तथा विचार परिवर्तन के आधार पर शांतिमय क्रांति का सूचक है।³

5 ग्राम-दान में विज्ञान का कल्याणकारी रूप ही समाहित है। यदि वह शोषण का माध्यम होता है तो उसका ग्राम-दान में कोई स्थान नहीं है। विज्ञान को समस्त जनता की भलाई का पहले ध्यान रखना चाहिए। विज्ञान मानव के लिए है न कि मानव विज्ञान के लिए मानवता विज्ञान से श्रेष्ठ है।

6 ग्राम-दान धर्म अर्थ विज्ञान आदि से भी अधिक व प्रभावी सकल्पना है। ग्राम एक पूर्ण आत्मनिर्भर इकाई है। यह आत्मनिर्भरता समानता व सहअस्तित्व के साथ मिश्रित है। यह एक विशिष्ट साम्य योग है जहाँ सभी सेवक हैं कोई मालिक नहीं है।

7 यह दुनियाँ से भय व हिंसा को समाप्त कर विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करने वाली सकल्पना है।

ग्रामोदय—ग्राम स्वराज्य—राम राज्य

विनोबा भावे द्वारा प्रस्तुत ग्राम-दान की सकल्पना राम राज्य की प्राप्ति का साधन है। राम राज्य वस्तुतः एक ऐसी शासन कल्पना है जिसमें सभी सुखी हों, प्रेम सौहार्द व भाईचारे के साथ सभी मिल-जुल कर रहे, व जहाँ किसी भी प्रकार शोषण न हो। राम राज्य स्वराज्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम स्वराज्य ग्रामोदय का परिवर्तित स्वरूप है, ग्रामोदय के अन्तर्गत ग्राम-दान व ग्राम सकल्प दोनों ही समाहित हैं। इस प्रकार —ग्रामोदय = ग्राम दान + ग्राम सकल्प।

ग्राम दान हेतु समस्त ग्रामवासियो या ग्राम दाताओं को ग्राम दान पत्र भरना होता है साथ ही उन्हें ग्राम सकल्प, पर भी हस्ताक्षर करने होते हैं। ग्राम सकल्प वस्तुतः किये जाने वाले कार्यों का प्रतिज्ञा पत्र है। यहाँ ग्राम दान पत्र व ग्राम सकल्प दोनों ही दिये जा रहे हैं।

ग्राम-संकल्प

यह ग्राम न बदोबस्त
तहसील जिला प्रदेश

सत्य-अहिंसा की बुनियाद पर ऐसा समाज कायम करना, जिसमें किसी का शोषण न हो और नागरिकों को ग्रामपरिवार के अभिमुख बनाकर ग्राम-जीवन के सब अंगों का विधायक कार्य द्वारा विकसित करना, जिससे ग्रामीणों को दारिद्र्य, बीमारी, अज्ञान, कर्ज और आपसी फूट जँच-नीच का भेदभाव छुआछूत दूर होकर उन्हें आत्मशक्ति का भान हो और ग्राम-सकल्प एव ग्राम-दान द्वारा ग्राम-स्वराज्य निर्माण हो।

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले उक्त दृष्टि से सकल्प करते हैं कि हम .—

- 1 जमीन की मालकियत का विसर्जन कर ग्राम-परिवार में दाखिल होंगे।
- 2 किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानेंगे और अपने झगड़े आपस में गाँव के बुजुर्गों की सलाह से तय करेंगे।
- 3 नियमित रूप से सूत काटेंगे।
- 4 हाथ-कुटा घावल, हाथ पिता आटा घानी का तेल गुड़ या ग्रामोद्योगी चीनी, ग्रामोद्योगी चमड़े की चीजे और चिकित्सा या मजबूरी हालत को छोड़कर घर में या गाँव में गाय का दूध, दही, घी और उनसे बने पदार्थ इस्तेमाल करेंगे।
- 5 घर अहाता और गाँव साफ रखेंगे और मल-मूत्र को गाड़कर उसकी खाद बनायेंगे।
- 6 सामूहिक प्रार्थना और एक घंटे का पाठशाला द्वारा बुनियादी तालीम पायेंगे।
- 7 अपने श्रम बुद्धि, सम्पत्ति का उपयोग गाँव की सेवा में करेंगे।

हस्ताक्षर

संदर्भ

- 1 विनोबा भावे, ग्रामदान अखिल भारतीय सर्व सेवा सघ प्रकाशन, पृ 7
- 2 ऋषि विनोबा—श्री मन्मारायण पृष्ठ 85-88
- 3 ऋषि विनोबा—श्री मन्मारायण पृष्ठ 88
- 4 विनोबा, व्यक्तित्व एवं विचार—सस्ता साहित्य प्रकाशन मडल (1971) पृष्ठ 428
- 5 विनोबा, व्यक्तित्व एवं विचार—सस्ता साहित्य प्रकाशन मडल (1971) पृष्ठ 429
- 6 विनोबा, व्यक्तित्व एवं विचार—सस्ता साहित्य प्रकाशन मडल (1971) पृष्ठ 447
- 7 विनोबा, ग्रामदान पृष्ठ 11
- 8 विनोबा, ग्रामदान पृष्ठ 12
- 9 ऋषि विनोबा—श्री मन्मारायण पृष्ठ 356
- 10 ऋषि विनोबा—श्री मन्मारायण पृष्ठ 237
- 11 विनोबा, ग्रामदान पृष्ठ 13
- 12 विनोबा, ग्रामदान पृष्ठ 13
- 13 डॉ दशरथ सिंह, गाँधीवाद को विनोबा की देन, पृष्ठ 545

प्रश्न

- 1 विनोबा भावे के अनुसार भू-दान का क्या तात्पर्य है ?
- 2 विनोबा जी का भूदान का यज्ञ कहा से प्रारम्भ हुआ ? नाम बताइये।
- 3 विनोबा जी ने ग्राम-दान के कौन-कौन से दुनियादी उद्देश्य बतलाए हैं ? लिखिए।
- 4 विनोबाजी की ग्रामदान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
- 5 विनोबाजी के भू-दान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
- 6 'ग्राम दान वस्तुतः रामराज्य प्राप्ति का मार्ग है। विनोबा जी के उक्त कथन के संदर्भ में ग्रामदान के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।



डॉ भीमराव अम्बेडकर

(Dr Bhimrao Ambedkar 1891-1956)

जीवन प्ररिचय

आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना व दलित वर्गों के उत्थान के प्रतीक डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महुँ छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल एवम माँ का नाम भीमा बाई था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के खेडा तालुके के एक छोटे से गाँव अम्बेडके का रहने वाला था। गाँव के नाम पर आधारित कुलनाम—अम्बेडकेकर को बाद में स्कूल शिक्षा के दिनों में उनके एक प्रिय ब्राह्मण शिक्षक ने अपना उपनाम अम्बेडकर प्रदान किया। अम्बेडकर अपने पिता की 14वीं सतान थे। इनके पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् महुँ से महाराष्ट्र के कोकण जिले के ग्राम दापोली में आकर बस गये। यहीं अम्बेडकर की प्रारम्भिक शिक्षा हुई। बाद में उनके पिताजी रोजगार की तलाश में बम्बई आकर बस गये। उनके पिताजी ने भीमराव को ऐलफिस्टन हाइस्कूल में भर्ती करा अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कटिबद्ध इच्छा का परिचय दिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उन्हें 750 अंकों में से 282 अंक प्राप्त हुए। निश्चय ही एक अछूत व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। समस्त महार समाज ने इस बात पर हर्ष मनाया और श्रीम का अभिनन्दन करने के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री एस के बोले की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। 1913 में उनके पिताजी का देहांत होने के कारण उनकी उच्च शिक्षा की इच्छा अधूरी दिखाई देने लगी। परन्तु बड़ौदा महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। इसके लिए उन्हें बड़ौदा राज्य से एक अनुबन्ध करना पड़ा जिसके अनुसार उन्हें उच्च शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात् 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करना आवश्यक था। जून 1913 में वे उच्चतर अध्ययन के लिए अमेरिका चले गये। वहाँ उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से 1915 में 'मास्टर ऑफ आर्ट्स' की उपाधि प्राप्त की। 1917 में ही उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से ही 'नेशनल डिप्लोमेण्ड ऑफ इंडिया-एन हिस्टोरिक एण्ड एनेलिटिक स्टडी' शीर्षक शोध प्रबंध पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी (पी एच डी) की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद बाबासाहेब लदा आ गये और विधि के अध्ययन के लिए 'ग्रेजुएट' में तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए 'लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइन्स' में प्रवेश

लिया। परन्तु इसी बीच उनकी छात्रवृत्ति समाप्त होने पर बीच में ही अगस्त 1917 में वापस भारत लौटना पड़ा और अनुबन्ध के अनुसार 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी। एक वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा छोड़ कर वापस बम्बई आ गये।

नवम्बर 1918 में उन्हें बम्बई के सिडनहॅम कालेज में राजनीति अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और श्रेष्ठ वक्तता के कारण उन्होंने विद्यार्थियों के एक अच्छे शिक्षक की ख्याति प्राप्त करली थी। परन्तु उच्च शिक्षा की ललक पुनः उन्हें लन्दन खींच ले गयी और उन्हें "प्रोविन्शियल डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इम्पिरियल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इंडिया" शीर्षक शोध प्रबंध पर 1921 में मास्टर ऑफ साइन्स की उपाधि प्राप्त हुई। 1922 में उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालय में 'दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी' शीर्षक पर एक अन्य शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। 1923 में उन्हें डी एस सी की उपाधि प्रदान की गयी।

अप्रैल 1923 में वापस बम्बई लौटकर अम्बेडकर ने वकालत आरम्भ की। इसी वर्ष से उन्होंने बम्बई से एक पाक्षिक समाचार पत्र 'बहिष्कृत भारत' का भी प्रकाशन आरम्भ किया। दलितों को संगठित करने के लिए 20 जुलाई 1924 को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। 1926 में अम्बेडकर को बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया। कौंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने दलितों के उद्धार और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखा। 1928 में भारत दोरे पर आये साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार का आह्वान किया था किन्तु अम्बेडकर ने इस कमीशन से सहयोग करने के लिए बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इसकी कार्यवाहियों में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। अम्बेडकर के इस कदम की काफी आलोचना भी हुई और उन्हें 'विश्वासघाती' कहा गया। अम्बेडकर ने सामान्य कमीशन के समक्ष अपने ज्ञापन में बम्बई प्रेसिडेन्सी में दलित वर्गों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान की मांग की।

1930 से 1933 के मध्य ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीन गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इन गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल सहित उनके लिए स्थानों के आरक्षण की मांग की।

अगस्त, 1932 में ब्रिटिश सरकार ने 'साम्प्रदायिक पचाट' की घोषणा की, जिसमें अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन-मण्डल को स्वीकार किया गया। महात्मा गाँधी ने 'साम्प्रदायिक पचाट' के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारम्भ किया अतः अम्बेडकर को गाँधी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और सितम्बर 1932 में यरवदा जेल में 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर, 1936 में अम्बेडकर ने 'इन्डिपेण्डेन्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया' की स्थापना की परन्तु 1942 में एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल के रूप में

अनुसूचित जाति पेंडरेशन का गठन किया गया और इनडिपेंडेंट लेबर पार्टी आफ इंडिया का भी इसी में विलय कर दिया गया।

बम्बई विधानसभा में कांग्रेस द्वारा 25 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें दूसरे विश्वयुद्ध में हिन्दुस्तानिया की स्वीकृति के बिना भारत को शामिल करने की निंदा की गयी थी। अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव में संशोधन पेश किया जिसमें कहा गया था कि भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि देश में जनतांत्रिक सिद्धान्त लागू किए जाए। भारत को एक स्वतंत्र जगति माना जाए जिसे अपना ऐसा सविधान बनाने का अधिकार हो जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे भी शामिल हों। इस सविधान को लागू करते समय अल्पसंख्यकों के प्रमाणित प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को सुना जाए। बर्तानिया सरकार ऐसे सविधान को लागू करने के लिए बाध्य हो।'

द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को जबरन धकेलने पर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दिया परन्तु गाँधी एव कांग्रेस के रवैये के विरुद्ध अम्बेडकर का कहना था कि 'देशमक्ति कांग्रेसियों की पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अतः जो लोग कांग्रेस के विरुद्ध विचार रखते हैं उनको भी जीने और सम्मान प्राप्ति का पूरा अधिकार है।'

1940 में अम्बेडकर की जगत प्रसिद्ध पुस्तक 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' (पाकिस्तान पर विचार) प्रकाशित हुई। पुस्तक में बाबा साहेब ने हिन्दुओं को सलाह दी कि वह भारत का विभाजन—हिन्दुस्तान और पाकिस्तान—को स्वीकार कर ले। पुस्तक में यह दलील दी गयी थी कि यह बात किसी भी मीन में को निकाले बिना मान ली जाती चाहिए कि मुसलमान एक कौम है हिन्दुओं को यह समझाया गया है कि वह पाकिस्तान बन जाने से कौमी शांत सीमाओं की नियुक्ति से न घबराये क्योंकि आधुनिक सत्तार नवीन खोजों के सामने भौगोलिक निर्णयात्मक नहीं है। पुस्तक में यह भी सुझाव दिया गया था कि हिन्दुओं की आवादी पाकिस्तान से और मुसलमानों की आवादी का यहाँ से अवश्य सम्पूर्ण विभाजन किया जाना चाहिए। पुस्तक में अम्बेडकर ने लिखा है कि अखण्ड भारत एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए सघर्ष करना चाहिए। जबरदस्ती कोई हल नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि 'सागर में जहाज को नष्ट होने से बचाने के लिए अधिक सम्मान को उतारकर उसे हल्का कर देना चाहिए। यदि केन्द्र में शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है तो भारत भी विभाजन स्वीकार करले नहीं तो परिणाम भयानक होंगे। थोपी गयी एकता उन्नति में रुकावट सिद्ध होगी। उनकी स्वतंत्रता की सारी आशाएँ मिट्टी में मिल जाएगी। यदि अखण्डता पर जोर दिया गया तो देश के बड़े-कई भागों में अधिक बेचैनी व्याप्त होगी और कुछ नहीं। अखण्ड भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा।' अम्बेडकर के इन विचारों से मुसलमाना विशेषकर जिन्ना के तर्कों को बल मिला परन्तु इससे हिन्दुस्तानी बाबा साहेब से नाराज हो गये।

कांग्रेस से अम्बेडकर के तीव्र विरोध रह पिर भी कांग्रेसी नेताओं विशेषकर

नेहरूजी के मन में अम्बेडकर की प्रतिभा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण के लिए गहरी प्रशंसा का भाव था। 1946 में कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया। और नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमण्डल में विधिमन्त्री के रूप में शामिल किए गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1952 में अम्बेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा किन्तु वे निर्वाचित नहीं हो सके। 1952 में बम्बई विधानमण्डल द्वारा वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

6 दिसम्बर, 1956 को दिल्ली में उनका देहात हो गया। सामाजिक न्याय व सम्मानपूर्ण जीवन के लिए शताब्दियों से पीड़ित, शोषित और दलित वर्गों के संघर्ष का प्रेरणा स्रोत और महान योद्धा नहीं रहा।

अम्बेडकर की कृतियाँ

अम्बेडकर ने भारतीय ग्रन्थों, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्रोतों तथा अर्थशास्त्र, विधि व न्यायशास्त्र का गभीर अनुशीलन किया था। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं—

- 1 कास्ट्स इन इंडिया (1917)
- 2 स्माल होल्डिंग्स इन इंडिया एण्ड देअर रेमेडीज (1918)
- 3 द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी (1923)
- 4 द इयॉल्यूशन ऑफ प्राविसियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया (1925)
- 5 एनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1937)
- 6 फंडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1939)
- 7 मि गाँधी एण्ड द इमैन्सीपेशन ऑफ द अन्टचेबल्स (1943)
- 8 रानाडे, गाँधी एण्ड जिन्ना (1943)
- 9 थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940)
- 10 व्हॉट कांग्रेस एण्ड गाँधी हैव डन टू द अन्टचेबल्स (1945)
- 11 हू वर द शूद्राज? (1946)
- 12 स्टेट्स एण्ड माइनोंटिरिज (1947)
- 13 द अन्टचेबल्स (1948)
- 14 थाट्स ऑन लिग्विस्टिक स्टेट्स (1955) और
- 15 द बुद्ध एण्ड हिज धम्म (1957)

आर्थिक विचार

अम्बेडकर अर्थशास्त्र के एक अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी एम ए का शोधपत्र प्राचीन भारतीय वाणिज्य (Ancient Indian Commerce) और एम एस सी (लन्दन) से ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूँजी का प्रादेशिक विकेन्द्रीकरण (Provincial Decentralization of Imperial Finance in British India) तथा डी एस सी (D Sc) का शोध पत्र 'रूपये की समस्या' (The Problems of the Rupee) प्राप्त की। उनका हिल्टन-यंग आयोग का सम्मुख गवाही में करैसी समस्या पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने विचार तत्कालीन समस्याओं जैसे भूमिहीन मजदूरों छोटी जोती महार वतन (Mahar Watan) सामूहिक कृषि भूमिदार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन आदि पर व्यक्त किए। 1917 से 1956 तक लगभग चार दशकों तक सभी राजनीतिक एवं आर्थिक घटनाओं पर विचार व्यक्त किया।

परन्तु उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें (The Evolution of Provincial Finance in British India, and The Problem of the Rupee) में ही उनके आर्थिक विचार समाहित नहीं हैं इनके अतिरिक्त स्वतंत्र श्रमिक पार्टी व अनुसूचित जाति परिषद के घोषणापत्रों तथा उनके द्वारा भारतीय संविधान एवं वज्रट भाषणों में भी व्यक्त किये गये हैं।

कई बार अनेक अवसरों पर अम्बेडकर ने भूमि सुधार खेती के प्रकार तथा औद्योगिकरण पर विचार व्यक्त किये हैं। उनका लक्ष्य अछूत भूमिहीन या छोटे किसानों को ऊपर उठाना था। वे यह महसूस करते थे कि अछूत भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का समाधान भारतीय कृषि समस्या या अधिक विस्तार में भारतीय आर्थिक समस्या के निदान पर निर्भर है। उनके द्वारा व्यक्त किये गये आर्थिक विचारों का अध्ययन हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं -

कृषि व्यवस्था

भारत में कृषि व्यवस्था की एक विलक्षण विशेषता है। यहाँ भू-स्वामित्व सम्पन्नता का ही मामला नहीं है बल्कि यह सामाजिक स्थिति का भी सूचक है। अम्बेडकर के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मूलभूत कारण भूमिव्यवस्था में परिवर्तन में देरी है। उच्च जातियाँ ही सामान्यतः कृषि भूमि के स्वामी रहे हैं जो जमींदारों के नाम से जाने जाते हैं। मध्यम जातियों परम्परागत रूप से बटाई पर खेती करते हैं और निम्न जातियाँ भूमिहीन श्रमिक हैं। देश में कृषि व्यवस्था बड़े भू-स्वामियों के हाथ में सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक मजबूत उपकरण है। गरीब ग्रामीणों एवं भूमिहीन श्रमिकों का एक बड़ा भाग कृषि दासों जैसा जीवन जीने हेतु बाध्य है क्योंकि कृषि जोतों का लोगो में असमान वितरण व्याप्त है। परम्परागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर निर्भर है ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मूलभूत कारण है। आज भी बड़े भूस्वामी अशिक्षितों और बेरोजगार लोगों का शोषण करते हैं।

अम्बेडकर भारतीय कृषि व्यवस्था से भलीभाँति परिचित थे जो कि वास्तव में सामाजिक प्रतिबन्ध और आर्थिक शोषण का उपकरण है। अतः इसके लिए उन्होंने भारतीय कृषि का राष्ट्रीयकरण सामूहिक खेती के साथ अपनाएँ का सुझाव दिया। वे चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था हो जहाँ न भूस्वामी हो, न किरायेदार और न ही भूमिहीन श्रमिक हो। वे सभी की स्वतंत्रता एवं कल्याण चाहते थे। उनका विचार था कि भारत में चकबंदी या मुजारा कानून व्यर्थ है। उससे कृषि में समृद्धि नहीं आ सकती, केवल सामूहिक खेती बाड़ी ही अछूतों की सहायक हो सकती है। वे यह महसूस करते थे कि भूमिहीन श्रमिकों का सहकारी खेती में कोई उचित स्थान नहीं है।¹ अम्बेडकर चाहते थे कि कृषि का राज्य उद्योग के रूप में निम्न प्रकार से संगठन बनाया जाय।²

(i) राज्य को भूमि प्राप्त कर उसे उचित आकार के खेतों में विभाजित किया जाय और निम्न शर्तों पर खेती हेतु गोंदों को भूमि उपलब्ध करायी जाए (अ) फार्मों में 'सामूहिक कृषि' के रूप में कृषि की जाय (ब) खेत सरकारी कानूनों एवं दिशा-निर्देशों से जोते जाय और (स) काश्तकार आपस में मिलकर हिस्सा बाटें, उससे पहले खेत पर हुए व्यय का भुगतान कर दिया जाय।

(ii) भूमि ग्रामीणों को बिना जातिगत भेदभाव के बाट दी जाय, जिसमें कोई भूस्वामी नहीं होगा, कोई बटाईदार नहीं होगा और न ही भूमिहीन श्रमिक होगा।

(iii) राज्य को सामूहिक फार्मों पर खेती करने के लिए पानी की पूर्ति, पशुपालन, बीज, खाद आदि हेतु दित्त उपलब्ध करवाये।

(iv) राज्य ऐसे फार्मों पर निम्नांकित कार्यों के लिए अधिकृत होगा—(अ) फार्म उत्पादन पर राज्य निम्न चार्ज ले सकता है। प्रथम भू लगान के एक अनुपात में, द्वितीय, ऋणधारी कारतकारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्ति और तृतीय पूँजीगत वस्तुओं का एक निश्चित अनुपात जिनकी पूर्ति फार्म पर राज्य ने की है। (ब) जो किसान खेती करने की शर्तों के विरुद्ध कार्य करे या राज्य द्वारा प्रदत्त खेती के साधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की जानबूझ कर अवहेलना करे या जो सामूहिक खेती की योजना के साथ विद्वेषपूर्ण व्यवहार करे उनके विरुद्ध दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।³

डॉ० अम्बेडकर भारत के औद्योगीकरण के पक्ष में भी तर्क देते थे क्योंकि यह देश की कृषि समस्याओं का सबसे बढ़िया उपचार है। वे चाहते थे कि कृषि का पुनः संगठन हो। उनके विचार में भारत में छोटी एवं अनार्थिक जातों से भारतीय कृषि बड़ी मात्रा में पीड़ित है। वास्तव में, उनके विचार में कृषि औद्योगीकरण के लिए उपयोगी क्षेत्र है और यह वास्तविक रूप में सत्य सिद्ध भी हुआ है क्योंकि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के योजना निर्माताओं ने अपनाया है। अम्बेडकर के अनुसार अमेरिका जैसे देशों में भी कृषि से ही विकास कर औद्योगीकरण का मार्ग अपनाया है। अम्बेडकर की सन् 1918 में प्रकाशित पुस्तक 'स्मॉल होल्डिंग्स इन इण्डिया एण्ड देअर रेमेडीज' में यह मत व्यक्त

किया था कि जब तक छोटी और बिखरी हुई जातने योग्य भूमि का विस्तार एव चकबन्दी नहीं होगी तब तक भारत के कृषि सुधार में प्रगति नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि यह किसी चुनौती के भय के बिना कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण छोटी-छोटी जातों का विस्तार का बढावा देगा और उनके विस्तार को भी समभव बनायेगा। हालांकि यह हो सकता है कि उससे चकबन्दी न आ पाये। यह एक विवादहीन तथ्य है कि जब तक भूमि पर अधिशुल्क लगा रहेगा तब तक चकबन्दी आसान नहीं हो पायेगी। अतः चकबन्दी करने से पूर्व समस्त भारत में औद्योगीकरण होना चाहिए।”

इस प्रकार अम्बेडकर ने कृषि सुधार को औद्योगीकरण के साथ जोड़ा ताकि ग्रामीण एव शहरी प्रगति में एक प्रकार का सम्पर्क बना रहे। वास्तव में उन्होंने कृषि एव उद्योग दोनों को एक दूसरे का पूरक क्षेत्र माना है। यही कारण है कि जो बात अम्बेडकर ने 1918 में कही उसे ही हमारे विशेषज्ञों ने 1950 के परचात स्वीकार कर यह महसूस किया कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए न केवल कृषि सुधार बल्कि साथ ही समूचे भारत में औद्योगीकरण की भी परम आवश्यकता है।

अम्बेडकर ने 1928 में बम्बई विधान परिषद में प्रस्तुत विल में यह भी माग की कि जो भूमि बटाईदारों के पास है वे उन्हें पूरे मालिये पर दी जाए और उनसे बेगार लेनी बंद की जाये। उनका विचार था कि बटाईदारों को उजरत (मेहनताना) देने का काम इस प्रकार लापरवाही और निर्दयता के साथ भारतीय किसानों को न सौंपा जाये क्योंकि यह एक निर्दयी प्रथा है। उन्होंने बटाई प्रथा की यह कहकर भी आलोचना की कि बटाई के बाद में महार जैसे भूमिहीन काश्तकारों को इतनी कम आय प्राप्त होती है जिससे वे अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं।

अम्बेडकर के किसानों के हित सम्बन्धी विचार उनके नेतृत्व में 15 जनवरी 1938 में मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में निहित हैं जिसमें प्रमुख मार्गों निम्न प्रकार से थीं —

(1) खेत में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाय।
 (2) चूँकि किसान का लगान माफ कर दिया गया है इसलिए ठेके की राशि भी माफ की जाय। खेती प्रणाली या ईमानदार सिस्टम मुआवजे के बिना समाप्त किया जाए। चूँकि रजवाडाशाही आर्थिक रूप से हानिकारक है अतः शीघ्रताशीघ्र इसे समाप्त कर देना चाहिए।

(3) छोटे किसानों को सिचाई आदि की वसूली में आधी रकम की छूट दे दी जाए।

कृषि श्रमिक—अम्बेडकर के अनुसार जो सुविधाएँ औद्योगिक श्रमिक को दी जाती हैं। वही सुविधाएँ कृषि श्रमिक को दी जानी चाहिए। क्योंकि कृषि श्रम भी इससे अलग नहीं है। उनके अनुसार कार्य की दशाएँ प्रावधानी निधि नियोजन के दायित्व कार्य की क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य बीमा पेंशन आदि के लाभ सभी प्रकार के श्रम को प्राप्त होने चाहिए।
 जो या औद्योगिक श्रमिक हो या कृषि श्रमिक।”

भूमि का स्वामित्व-अम्बेडकर ने 17 मार्च 1928 को बम्बई विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसका मुख्य उद्देश्य 1874 के बम्बई मौरुली कानून में सशोधन करना था, यह कानून महारों से बेगार लेने की आज्ञा देता था। अम्बेडकर ने उनकी बेकारी समाप्त करने और उनके स्वामित्व की भूमि उन्हें दिलवाने हेतु इस बिल को पेश किया। उनकी भाव थी कि जो भूमि बटाईदारों के पास है वे उन्हें पूरे मालिये पर दी जाय और उनसे बेगार लेनी बंद की जाये। परन्तु उनका यह बिल पास नहीं हो सका और 24 जुलाई 1929 को अम्बेडकर को यह बिल वापस लेना पड़ा।

कृषि कर एवं सम्पत्ति कर-अम्बेडकर के अनुसार मालिया और आयकर लगाते समय सरकार यह भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है, जब आय हो परन्तु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वह छोटा किसान हो अथवा जागीरदार। चाहे वह एक एकड़ का ही स्वामी हो तो भी उसे जागीरदार के बराबर मालिया देना पड़ता है, फसल हो या न हो परन्तु निर्धन को तो मालिया देना ही पड़ता है जिसे उन्होंने अन्यायपूर्ण बताया।⁹

राज्यसभा में 18 सितम्बर 1953 को सम्पत्ति कर पर बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा कि सम्पत्ति कर लेने पर जितना खर्च आयेगा उतनी इससे आय नहीं हो सकेगी। इसलिए भारत को यूरोप की अन्धी नकल नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि भारत यह कानून लागू करे, भारत को यूरोपीय लोगों के सिद्धान्तों पर तो आ जाने दो। उन्होंने आगे कहा कि यदि हिन्दुस्तान एक कम्युनिस्ट देश होता तो बात अलग थी। उनको इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत शीघ्र ही एक कम्युनिस्ट देश हो जायेगा। परन्तु जब तक भारत रूसी प्रणाली नहीं अपना लेता उस समय तक उसको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए जिसके साथ धन की वृद्धि में विघ्न पैदा हो। उन्होंने कहा कि यह सम्पत्ति कर बिल के विरोधी नहीं हैं, परन्तु वह यह अवश्य चाहते हैं कि धनिकों जिनसे भारत में लोग घृणा करते हैं तथा धन के बीच अंतर देखना चाहते हैं। इसलिए वह पूँजीपतियों की वकालत नहीं कर रहे।¹⁰

औद्योगीकरण

अम्बेडकर सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे वे केवल महत्वपूर्ण उद्योगों का ही स्वामित्व और कार्य प्रणाली राज्य के अधीन करने के पक्ष में थे। वे यह भी सुझाव देते थे कि जो उद्योग महत्त्वपूर्ण उद्योग नहीं हैं परन्तु मूल उद्योग हैं उन्हें या तो राज्य चलाये या राज्य द्वारा स्थापित निगम सञ्चालित करे।¹¹ उनका विचार था कि वास्तव में मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारतीय समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों के सर्वोत्थान व सुरक्षा के लिए सहायक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि डॉ अम्बेडकर ने कभी भी निजी क्षेत्र का विरोध नहीं किया। उनका यह निश्चित मत था कि मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ क्षेत्र निजी उद्यमियों के स्वामित्व में

होने चाहिए परन्तु साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निजी उद्यमियों को समाज के वृद्ध हितों का ध्यान रखना होगा। सरकार को स्वयं यह निश्चित करना होगा कि कौन से उद्योग राज्य के द्वारा चलाये जाय या निजी क्षेत्र के द्वारा या निजी क्षेत्र तथा राज्य दोनों के नियंत्रण में हो। डॉ० अम्बेडकर ने यह महसूस किया कि निजी क्षेत्र अकेला लाभ अधिकतम करण के उद्देश्य पर संचालित होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र औद्योगीकरण की गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। डॉ० अम्बेडकर का यह मानना था कि देश की भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था गरीबों का हित नहीं कर सकती क्योंकि पूँजीपति तथा जमींदार पिछड़ों का शोषण करते हैं। उन्होंने यह भी माना कि यदि निजी उद्योगपति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण का प्रयत्न करते हैं तो इससे सम्पत्ति वितरण की असमानताएँ बढ़ेंगी मजदूरों का शोषण बढ़ेगा तथा इसके साथ-साथ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की अन्य बुराईयाँ जन्म लेंगी। इसलिए डॉ० अम्बेडकर ने निजी क्षेत्र के लाभ पर नियंत्रण तथा बड़े औद्योगिक घरानों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए उद्योगों के आंशिक राष्ट्रीयकरण की वकालत की। ऐसा सोचते समय उनके मस्तिष्क में श्रमिकों की दयनीय स्थिति सामने थी तथा वे औद्योगीकरण एवं रोजगार का पुनर्गठन कर श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार व गरीब तथा अल्पसंख्यकों की सहायताार्थ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते थे।

अनुसूचित जाति परिषद के 1952 के घोषणापत्र में अम्बेडकर का सुझाव था कि उद्योगों में राज्य का ही स्वामित्व हो और राज्य को ही उन्हें संचालित करना चाहिए। अम्बेडकर का विचार था कि जमीन के टुकड़े-टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या के दबाव के कारण ही कृषक आज गरीब हैं। इसका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाए तथा नये उद्योग चालू किए जाए। लोगों की योग्यता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जाये। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उद्योग सरकार की मलकीयत हो या सरकार के प्रबंध अधीन चलाए जाए। अम्बेडकर द्वारा गठित पार्टी आजाद मजदूर पार्टी (1939) का विचार था कि मजदूरों की भर्ती नियुक्ति और तरक्की तथा उनका कार्य समय निश्चित करने उचित पारिश्रमिक सार्वजनिक अवकाश एवं साफ सुथरे निवास का प्रबंध हो।

15 सितम्बर 1938 को बम्बई सरकार द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक बिल को अम्बेडकर ने मजदूरों के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला बताया जिसमें हड़ताल को दण्डित करना तथा औद्योगिक विवादों में समझौते को बाध्यकारी बनाना था। अम्बेडकर का कहना था कि दस बीस या दो सौ जितने भी लोग चाहे एक साथ मिलकर हड़ताल करें वानूनी तौर पर कोई अन्तर नहीं पड़ता। सत्ताधारी टोले की ओर से यह कहना कि मजदूरों द्वारा सामूहिक हड़ताल पड़यंत्र है गलत और निराधार है। मालिक मजदूर सबको के बारे में अम्बेडकर के निम्न विचार रहे—¹²

(i) हड़ताल को दण्डित करना मजदूरों को गुलामी की अवस्था की ओर धकेलना है।

(ii) समझौते की बातचीत हड़ताल रोकने का बहाना नहीं होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जो सरकार मजदूरों के मतों से निर्वाचित होती है, उसे मजदूरों की भलाई एवं हितों का कार्य ही करना चाहिए हानि पहुँचाने का नहीं।

(iii) उद्योगों में शांति के लिए मजदूर को मालिक की जजीर से नहीं बाधा जाना चाहिए। उनके शब्दों में मैं ऐसी शांति नहीं चाहता, यह तो उन लोगों की शांति है, जिनके पेट भरे हुए हैं, और जिनके बटन उनकी तोड़ो को छूते हैं हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए।"

अम्बेडकर ने भारत के तेजी के साथ औद्योगीकरण के लिए राज-समाजवाद को अत्यावश्यक माना है। उनके मत में दैनिक व्यापार और उद्योग ऐसा नहीं कर सकते। अम्बेडकर के औद्योगीकरण सम्बन्धी विचार उनकी पुस्तक 'स्टेट्स एण्ड मिनिस्ट्रीज' में इस प्रकार से दिए हैं—

(i) जो उद्योग साधन उद्योग हैं अथवा जो साधन उद्योग घोषित कर दिए जाए वे राज्य की सम्पत्ति होंगे और सरकार की ओर से चलाये जायेंगे।

(ii) जो उद्योग साधन उद्योग नहीं हैं परन्तु मूल उद्योग हैं वे राज्य की सम्पत्ति होंगे और उन्हें सरकार चलायेगी।

(iii) बीमा राज्य के एकाधिकार में होगा और प्रत्येक नागरिक को विवश किया जायेगा कि वह अपने पारिश्रमिक के अनुसार, जैसे कि कानून द्वारा निश्चित किया जाये, जीवन बीमा करवायेगा।

(iv) कृषि राज्य उद्योग होगा।

(v) सरकार वैयक्तिक पुरुषों से ऐसे उद्योग बीमे और कृषि भूमियों के समूचे अधिकार प्राप्त कर लेगी।

उन्होंने आगे लिखा है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता और समाज के ढांचे की रूपरेखा के मध्य कड़ियों को कोई सबध दृष्टिगोचर नहीं होता, परन्तु इन दोनों में घनिष्ट सबध हैं। यदि निम्नलिखित विचारों को समझ रखा जाये तो यह मली भाँति दृष्टिगत हो जाता है—

(i) व्यक्ति स्वयं में एक अंत है।

(ii) व्यक्ति के कुछ ऐसे उससे पृथक न किए जाने वाले अधिकार हैं, जिन्हें विधान को अनिवार्यत गारंटी करना चाहिए।

(iii) व्यक्ति को किसी सुविधा की प्राप्ति के कारण अपने किसी मौलिक अधिकार को छोड़ने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) राज्य वैयक्तिक पुरुषों को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करेगा, जिससे वह दूसरों पर शासन करे।

अम्बेडकर के उपर्युक्त विचारों से यह मत व्यक्त होता है कि वे उद्योगों के निजी हाथों में सौंपे जाने के विरुद्ध थे क्योंकि इससे ऐसी ही अस्तमानताएँ उत्पन्न होगी जैसे निजी पूँजीवाद ने यूरोप में उत्पन्न की है।

अम्बेडकर ने मजदूरों के संगठन और उाकी भलाई को एक निश्चित और ऐतिहासिक दिशा दी। इस सबंध में उनके विचार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों एवं प्रयासों से प्रगट होते हैं।

(i) सामाजिक सुरक्षा—अम्बेडकर के अनुसार मजदूरों को अतिनिर्दयी शर्तों और परिस्थितियों में काम करने को विवश हाना पडता है। न तो उद्योगों में उनका कोई निश्चित वेतन था और न ही कोई सेवा शर्तें निर्धारित थीं। उन्होंने सेंट्रल असैम्बली में 1946 को एक बिल पेश किया जो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना जिससे मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बढी।

(ii) मजदूर संगठन—अम्बेडकर ने ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके उन सभी यूनियनों को मान्यता देना लाजमी ठहराया जो बतौर एक पंजीकृत यूनियन के रूप में एक वर्ष की अवधि से काम कर रही हो और अपनी मान्यता के लिए लिखित प्रार्थनापत्र पेश करें। अम्बेडकर के लेबर मेम्बर बनने से पूर्व यूनियनों को यह अधिकार नहीं था। इन्हीं के प्रयत्नों से 1946 में लेबर ब्यूरो अर्थात् मजदूर कार्यालय स्थापित किया। अम्बेडकर के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की दशा उनकी समस्याओं और माँगों की जानकारी प्राप्त करना था जिससे समाज एवं सरकार मजदूरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सके एवं अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु विवश किया जा सके।

(iii) बीमा योजना—अम्बेडकर का विचार था कि बीमा का राष्ट्रीयकरण केवल लोगों की भलाई ही नहीं करता अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। अम्बेडकर दो कारणों से बीमा को राज्य के एकाधिकार में सौंपना चाहते थे— (i) राष्ट्रीयकृत बीमा निजी बीमा से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि सरकार को ही बीमा राशि का अंतिम भुगतान करना पडेगा (ii) इससे राज्य को आर्थिक नियोजन के वित्त पोषण के लिए आवश्यक साधनों की प्राप्ति होगी जिसकी अनुपस्थिति में वित्त मुद्रा बाजार से ऊँची ब्याज दर पर उधार लेना पडेगा डॉ अम्बेडकर ने राज्य बीमा को व्यक्ति एवं राज्य दोनों के हित में माना है। उनका यह निश्चित मत है कि बीमा पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए तथा राज्य का प्रत्येक प्रौढ नागरिक को जीवन बीमा पालिसी लेने के लिए बाध्य करना चाहिए।

अम्बेडकर ने मार्च 1943 में औद्योगिक मजदूरों के लिए बीमारी बीमा योजना तैयार करने के उद्देश्य से एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त थी। प्रो वी पी अदरकर इसमें विशेष अधिकारी थे। अम्बेडकर की इस बीमा योजना पर टिप्पणी करते हुए तत्कालीन वायसराय लार्ड बयल ने सेंट्रली आफ स्टेट को निम्न शब्दों में लिखा था

'डॉ अम्बेडकर की मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। किन्तु उसने विभिन्न विभागों की अनुमति प्राप्त नहीं की है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रादेशिक सरकारें अम्बेडकर की योजना को विशेषकर इसके चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने वाले भाग को लागू करने के लिए प्रशासनिक प्रबंध कर सकेंगी ? तो भी हम आगामी बजट अधिवेशन में बिल पेश करके शुरुआत कर सकते हैं, और इसे लोकमत के लिए परिचलित कर सकते हैं।'¹²

(iv) खानों में सुधार—अम्बेडकर इस बात से दुखी थे कि कोयला खानों में मजदूरों की दशा पशुओं से भी बुरी थी। उनसे जानवरों की भांति काम लिया जाता था किन्तु उनको वेतन नाम मात्र का ही मिलता था, उनकी सुरक्षा का कोई सतोषजनक प्रबंध नहीं था। यहाँ तक कि छोटे-छोटे औजार भी इंग्लैंड से मगवाये जाते थे। अम्बेडकर ने खान मजदूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें उचित वेतन देने सम्बन्धी कई मौलिक और प्रभावशाली कदम उठाये। अम्बेडकर ने खान मजदूरों के भूमिगत काम पर लगे प्रतिबंध पर कठोरता से अमल करने पर जोर दिया।

स्त्री मजदूरों को वेतन के साथ प्रसूति छुट्टियों की सुविधा भी बाबा साहब ने ही दिलाई।

(v) सफाई मजदूर—अम्बेडकर सफाई मजदूरों की हालत से परिचित थे। उन्हें हटताल करना तो दूर यदि एक सप्ताह तक काम पर नहीं आये तो उन्हें 15 दिनों तक जेल भेजा जा सकता था। दिल्ली नगरपालिका में भी ऐसा ही नियम प्रचलित था। अम्बेडकर ने इन्हे समाप्त करवाया और दिल्ली की सर्वप्रथम सफाई मजदूर संगठन म्यून्सिपल कामगार यूनियन भी अम्बेडकर के नेतृत्व में स्थापित हुए। संक्षेप में इन मजदूरों को जो सहत एव सुविधाएँ मिली हैं वे अम्बेडकर के प्रयासों से ही प्राप्त हुई हैं।

नशाबंदी—नशाबंदी की समस्या पर अम्बेडकर के विचार हैं कि 'नशाबंदी की समस्या की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर है कि आप इस समस्या का आर्थिक समाधान निकाल सकते हो कि नहीं?' अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति आत्मकेन्द्रित और राष्ट्र को तबाह करने वाले प्रमावां को नष्ट करके अधिक प्राप्त की जा सकती है। 1927 में अम्बेडकर ने बम्बई असेम्बली में सरकार की मद्यनिषेध नीति पर बोलते हुए यह तर्क दिया कि नशाबंदी की समस्या राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रश्न था और यदि मद्य निषेध पूर्णतः ईमानदारी से लागू किया जाय तो यह एक भारी लागत का मामला हो सकता है। फिर भी लॉग सस्ती दरों पर उपलब्ध अवैध शराब पीना बंद नहीं करेंगे। डॉ अम्बेडकर का मत था कि यदि सरकार वास्तव में नशाबंदी को लागू करना चाहती है तो इसे टैरिफ दरों को नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि सरकार दैध शराब के उपभोग को नियंत्रित करने में सफल हो सकती है परन्तु इससे अवैध शराब के उपभोग वृद्धि में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिलेगा। उनका विचार था कि किसी

भी सरकार को नशाबंदी नीति के क्रियान्वयन का तब तक वायदा नहीं करना चाहिए जब तक कि वह होने वाली आय की सम्भावित हानि की व्यवस्था नहीं कर ले। इसलिए डॉ. अम्बेडकर का मत था कि सरकार को इस सम्बन्ध में उदार नीति अपनानी चाहिए तथा इसे जनता की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि वह अवैध शराब का सेवन नहीं करे। यदि सरकार स्वयं शराब का उत्पादन हैल्थ टॉनिक के रूप में करती है तथा इसकी आपूर्ति सरती दरों पर करती है तो जनता अवैध शराब के लिए नहीं जायेगी तथा सरकार का नशाबंदी नीति के क्रियान्वयन पर होने वाला लाखों रुपये का व्यय भी बच जायेगा।

बेगार—अम्बेडकर ने 19 मार्च 1928 से बेगार के विरुद्ध सघर्ष आरम्भ किया। उन्होंने उस दिन बम्बई विधान परिषद में एक बिल पेश किया जिसका भाव 1874 के बम्बई मौरुली जमींदारी कानून में सशोधन करना था। यह कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने की आज्ञा देता था। अम्बेडकर ने बेगार रूपी दासता की जजीरे तोड़ने के लिए यह बिल पेश किया। उन्होंने बम्बई असेम्बली में कहा कि यह एक निर्दयी प्रथा है यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई न्याय नहीं। यदि सरकार इन लोगों से काम करवाना चाहती है तो सरकार इन्हे पूरी उजरत देने का प्रबन्ध भी करे। अम्बेडकर ने माग की कि जो भूमिया बटाईदारों के पास हैं वे उन्हे पूरे मालिये पर दी जाये और उनसे बेगार लेनी बंद की जाय। उनकी मान्यता थी कि बेगार महारों की उन्नति में जबरदस्त रुकावट है अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

गरीबी एवं बेरोजगारी—अम्बेडकर का कहना था कि कानून सभी सार्वारिक प्रसन्नताओं का घर है आप कानून गठन की शक्ति पर अधिकार करो। इसलिए आपका कर्तव्य है कि पूजापाठ तप व्रतों पर समय नष्ट करने की अपेक्षा कानून गठन की शक्ति प्राप्त करने का उद्यम करो। इसी से आपकी भुखमरी समाप्त होगी।

उन्होंने आगे लिखा है कि विधानमण्डल का कर्तव्य है कि वह कपड़ा मकान शिक्षा औषधि और आजीविका के साधन प्रदान करे।

उन्होंने यह स्वीकार किया कि जमीन के टुकड़े-टुकड़े होना और उन पर जनसंख्या के दबाव के कारण ही कृषक गरीब हैं। इसका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाय और नये उद्योग चालू किये जायें। उन्हे तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाय।

स्पष्ट है कि अम्बेडकर गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में सामूहिक कृषि को अपनाने तथा उद्योग क्षेत्र में नये उद्योग लगाने एवं पुराने उद्योगों को बहाल करना मुख्य उपचार मानते थे।

उन्होंने बताया कि किसानों और मजदूरों को बिना किसी जाति पाति के भेद के एक मजदूर संगठन कायम करना चाहिए और विधानसभाओं में योग्य वक्ता चुनकर भेजना चाहिए। यदि वह ऐसा करेंगे तो यह देश के लिए लाखों मन अनाज पैदा करेंगे और करोड़ों गज कपड़ा बुन सकेंगे। आप न नगे रहेंगे और न ही भूखें।

आर्थिक समानता एव रहन-सहन का स्तर-अम्बेडकर ने कहा है कि पूँजीपति जो निर्धन जनता को कुचल रहे हैं उनके विरुद्ध साझा मोर्चा तैयार करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ गया है। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इससे कुछ न कुछ प्राप्त ही होगा। इसके लिए हमें प्रत्येक बलिदान के लिए तैयार रहना होगा और शेरों की भाँति गर्ज कर आगे बढ़ना होगा।

आर्थिक असमानता के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह ठीक है कि दुनिया में हर जगह असमानता है, परन्तु यह परिस्थितियों का कारण है। इसे कहीं भी धार्मिक अवलम्ब नहीं है। परन्तु भारत में न सिर्फ असमानता ही है वरन् यहाँ के लोग समानता को नापसंद भी करते हैं। अतः जब तक समाज में आर्थिक समानता के साथ सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती देश का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता।

अम्बेडकर के इस संबन्ध में यह भी विचार था कि बम्बई और मद्रास में गैर ब्राह्मण पार्टियों का पतन इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने आदमियों को सरकारी नौकरी देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। उनकी न तो कोई उदार नीति थी और न ही उन्होंने मजदूरों और किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया। जिन लोगों का गैर ब्राह्मण पार्टियों ने सरकारी नौकरी दी वे भी गद्दी पर बैठते ही अपने वर्ग को भूल गये और दूसरों की तरह चढ़पट्ट बन गये तथा उनके बीच सुस्ती आ गयी।"

मार्क्सवाद से असहमति

अम्बेडकर ने 15 जनवरी, 1938 में एक किसानों की जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि "जिन कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म संबंधी पुस्तकें पढ़ी हैं, उससे भी कहीं अधिक पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। उनका मत है कि कम्युनिस्ट स्थिति की वास्तविकता को नहीं पहचानते।" उन्होंने कहा कि "संसार में दो ही वर्ग हैं, एक वर्ग वह है—जिनके पास सब कुछ है, और दूसरा वर्ग वह है जिसके पास कुछ नहीं। एक धनी वर्ग है तो दूसरा निर्धन। एक लुटेरा वर्ग है तो दूसरा लूटा जाने वाला। तीसरा मध्यम वर्ग बहुत कम है।" उन्होंने किसानों और मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि "यदि वह अपनी निर्धनता के कारणों पर विचार करे तो उनको पता चल जायेगा कि उनकी बरबादी का कारण केवल इस लुटेरे वर्ग की खुशहाली और अमीरी ही है।"

मार्क्सवाद समाज में समता लाने की एक विधि अथवा वैज्ञानिक विचारधारा है। यह गरीबों के हित में एक ऐसा आंदोलन है जिसमें पूँजीवादी व्यवस्था का विनाश निहित है। फिर भी अम्बेडकर और मार्क्सवाद के बीच कुछ मौलिक मतभेद हैं इसलिए उन्होंने मार्क्सवादी जीव पद्धति के प्रति अपनी स्पष्ट असहमति प्रकट की। उनका विचार था कि चिंतन की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए किसी भी 'वाद' में आदमी को जकड़ा न जाए। उनकी जीवन दृष्टि में यह मान्यता है कि परिस्थितियों और सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र चिन्तन की प्रेरणा पर रोक लगाना आदमी के व्यक्तित्व की हत्या करने

के समान है। इस प्रकार वैयक्तिक स्वतंत्रता की दृष्टि से अम्बेडकर ने मार्क्सवादी जीवन पद्धति को स्वीकार नहीं किया। उनकी राय में किसी भी समझदार व्यक्ति या निष्पक्ष बुद्धिजीवी को चाहिए कि वह मार्क्सवाद गौंधीवाद या किसी अन्य सिद्धान्त के महत्व को मानवहित उपयोगिता और विकास की दृष्टि से परखे। किसी भी विचारधारा का पूर्व मूल्यांकन करना अनिवार्य है।

अम्बेडकर यह मानते थे कि भारत में गरीबी है। पर उसका एक मात्र उपचार मार्क्सवाद नहीं है भारत जैसे देश में जहाँ की समाज व्यवस्था रूस तथा चीन से भिन्न है। भारत में मार्क्सवादी नेता लगभग ऊँची या ब्राह्मण जाति से हैं जिन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप मार्क्सवाद की कभी भी व्याख्या नहीं की। अम्बेडकर ने कहा है कि यदि कार्लमार्क्स भारत में बैठ कर दास कैपिटल की रचना करता तो वह उसे दूसरे ढंग से लिखता।¹⁵ यहाँ के मार्क्सवादी भारतीय समाज व्यवस्था पर विचार किए बिना ही साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो उनकी विचार प्रणाली का गभीर दोष है।

अम्बेडकर का एक और मौलिक मतभेद मार्क्सवादियों के साथ था। उन्हें तानाशाही कतई पसंद नहीं थी क्योंकि तानाशाही में सामान्य जनता का विकास रूक जाता है। उन्हें खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान तो मिल सकता है पर जनसाधारण के स्वतंत्र सोचने समझने और उसकी अभिव्यक्ति पर कड़ा प्रतिबन्ध लग जाता है। पिजरे में बढ़ होने के बजाय धन के अभाव में स्वतंत्रतापूर्वक रहना डॉ अम्बेडकर को कहीं अधिक पसंद था। मार्क्सवादी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता जो साम्यवादी नीति के विरुद्ध अथवा उसकी आलोचना करने वाला हो। उन्हीं के शब्दों में मैं ऐसी व्यवस्था में नहीं जी सकता। रोटी खाकर जीना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है। मैं पिगफिलॉसफी में विश्वास नहीं रखता कि खाओ पीओ और पशुओं की भाँति इन्द्रिय तृप्ति करके मर जाओ। मैं मानव प्राणी को मननशील अर्थात् सोचने और समझने वाला प्राणी समझता हूँ। गरीबी और अमीरी के भेद को मैं प्रजातांत्रिक ढंग से दूर करना चाहता हूँ। सत्तार की सबसे बेहतर राज पद्धति प्रजातांत्रिक प्रणाली है। मेरा इसलिए ही कम्यूनिस्टों से यह बड़ा भारी मतभेद है।¹⁶

स्पष्टतः अम्बेडकर का राजनीतिक खूनी क्रांति या विप्लव में विश्वास नहीं था। वह प्रजातांत्रिक राज प्रणाली से ही राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के पक्षपाती थे जबकि मार्क्सवादी लोग मूलतः राजनीतिक क्रांति को ही लेकर चलते हैं। डॉ साहब की मान्यता थी कि यदि भारत में कभी कम्यूनिस्ट लोग क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने में सफल हो गये तो दलितों को क्या मिलेगा? उन्हें तो जहाँ वे हैं वही रहना पड़ेगा। क्योंकि क्रांति के बाद भी प्रशासनिक मशीनरी सत्ता एवं श्रमिकों की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होने से दलितों की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दलित जो सड़के साफ करते हैं गदगी उठाते हैं खेतों में मजदूरी का काम करते हैं छोटी मोटी दरतकारी का कार्य

करते हैं, वे वही उलझे रहेंगे। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मिल जायेगा परन्तु प्रशासन एव सेना में स्थान नहीं मिल सकेगा। अम्बेडकर के शब्दों में "कम्युनिस्ट शासन में आज का अछूत और पिछड़ा वर्ग समाज में तीसरे दर्जे पर ही रहेगा और वर्ण व्यवस्था के अनुयायी सवर्ण लोगों के हाथों में ही शासनाधिकार सत्ता बनी रहेगी। भले ही कम्युनिस्ट राज में इतनी तीसरी श्रेणी वालों से छुआछूत न रहे, किन्तु इन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे निचले डण्डे पर ही रहना पड़ेगा और ऊपर वाले डण्डे पुराने सवर्णों के कदमों से नीचे रहेंगे।"

अम्बेडकर की मान्यता थी कि भारत में साम्यवाद वर्तमान परिस्थितियों में पूर्णतः स्थापित करना असंभव होगा क्योंकि भारतीय साम्यवादी नेता अपने पितृसँ का तर्पण करते हैं। श्राद्ध में विश्वास करते हैं, माथे पर धार्मिक तिलक या चिन्ह लगाते हैं और उपनामों के रूप में जातिगत पदों का प्रयोग करते हैं। ये सभी बातें मूल मार्क्सवाद के विरुद्ध हैं।

उनका विचार है कि भारत में साम्यवादी नेता आर्थिक-राजनीतिक सत्ता हथियाने का आह्वान तो कर सकते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल सकती है, परन्तु वे जातिभेद समाप्त नहीं कर सकते। अम्बेडकर ने सामाजिक समीक्षा के आधार पर मार्क्सवाद का खण्डन किया और कहा कि मार्क्सवाद देशकाल के अनुसार ही उपयोगी हो सकता है। वह कोई सार्वभौमिक उपाय नहीं है जो सब परिस्थितियों में अपने आप लागू हो जाये। धर्म के उपयोग को लेकर भी डॉ० अम्बेडकर का मार्क्सवाद के साथ गहरा मतभेद था। मार्क्सवादी जीवन पद्धति में धर्म को कोई स्थान नहीं है वे धर्म को एक अफीम की सजा देते हैं। जो मनुष्य को वास्तविकता से पृथक कर देती है। धर्म जीवन में अनावश्यक है, क्योंकि वह शोषणवादी प्रवृत्तियों को जन्म देता है।

परन्तु अम्बेडकर ने इस मत को कभी भी स्वीकार नहीं किया उनके अनुसार धर्म मानव जीवन का एक अंग है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा तथा वैयक्तिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म मानव व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता उसके बुद्धि भी है जिसे आध्यात्मिक खुराक की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति धर्म द्वारा ही होती है। परन्तु वे धर्म के नाम पर पाखण्ड तथा अंधविश्वास कतई पसंद नहीं करते थे। उनके धर्म की धारणा मानवतावादी थी। जिसकी प्रमुख भूमिका सामाजिक स्तर पर ही सम्य है।

अम्बेडकर के मत में दुनिया में गरीबी है और सदैव रहेगी। रूस में भी गरीबी है लेकिन गरीबी मिटाने के लिए मानव की स्वतंत्रता का बलिदान करना उचित नहीं है। जहाँ तक सम्पत्ति के अधिकार का प्रश्न है, मार्क्सवाद उसे राज्य के कानून द्वारा समाप्त करना चाहता है, क्योंकि निजी सम्पत्ति सामाजिक और अर्थिक शोषण का कारण है। परन्तु अम्बेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म में भी निजी सम्पत्ति को सामाजिक बुराई माना है पर बुद्ध ने निजी सम्पत्ति न रखने के अधिकार को केवल भिक्षु सघ तक ही सीमित रखा है। इस प्रकार अम्बेडकर ने मार्क्सवाद की तुलना में बुद्धवादी जीवन पद्धति को दलितों

के लिए कही अधिक अच्छा समझा। बुद्ध मार्ग में न केवल समता तथा बहुत्व है बल्कि स्वतंत्रता भी है जो मार्क्सवादी जीवनपद्धति में नहीं मिलती।

निष्कर्ष रूप में अम्बेडकर ने मार्क्सवाद के आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया वे श्रमिकों की सशस्त्र क्रान्ति से क्रान्ति लाना कतई पसंद नहीं करते थे। अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कहा था कि रूस में साम्यवाद दबाव एवं डण्डे के सहारे टिका हुआ है और जब तानाशाही का जाल वहाँ ढीला होगा तब साम्यवादी व्यवस्था बदल जायेगी। उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। आज साम्यवाद को रूसी लोगों एवं नेताओं ने दफनाकर पूँजीवादी व्यवस्था को अपना लिया है। वहाँ की जनता ने उसे मन से कभी भी स्वीकार नहीं किया। जैसे ही वहाँ स्वतंत्रता और जनतंत्र का वातावरण उदभूत हुआ। जनता ने साम्यवादी जामा उतार फेंका।⁹

राज्य समाजवाद—अम्बेडकर यह चाहते थे कि भारत में राज्य गरीबों एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षक हो। अम्बेडकर का इस आर्थिक दर्शन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों के आर्थिक जीवन में उच्च उत्पादन स्तर से वृद्धि होगी तथा निजी उद्योगों को बढ़ा भी नहीं करना पड़ेगा। उन्हीं के शब्दों में 'वास्तव में राज्य स्वामित्व का उद्देश्य कृषि में सामूहिक पद्धति तथा उद्योग के क्षेत्र में राज्य समाजवाद का विशुद्ध रूप अपनाना है। उन्होंने यह तर्क दिया कि राज्य द्वारा पूँजी की आपूर्ति के बिना न तो भूमि से ही और न उद्योगों से ही बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण अम्बेडकर के अनुसार भारत का तीव्र औद्योगीकरण राज्य समाजवाद से ही संभव है। निजी उद्योग देश का तीव्र औद्योगीकरण नहीं कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो इससे देश में यूरोप की तरह आय और धन की असमानता बढ़ेगी और यह भारत के लिए एक चेतावनी होगी।

उनके अनुसार चकवन्दी तथा खेतिहर कानूनों का निर्माण भी लाभकर सिद्ध नहीं होगा। केवल सामूहिक फार्म ही देश के लिए लाभकर सिद्ध हो सकते हैं।

यह मानते हुए कि आधारभूत उद्योगों का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो अम्बेडकर ने लिखा है कि 'धीमा भी राज्य के हाथ में होना चाहिए। कृषि को राज्य उद्योग बनाया जाए। सारी कृषि भूमि राज्य के हाथों में हो और उसे जाति या धर्म के भेदभाव के बिना गाँव वालों को सौंपा जाय जिसमें न कोई जमींदार रहे न किरायेदार और न ही कोई भूमिहीन मजदूर। अम्बेडकर ने 'स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटीज पुस्तक में समाज की समाजवादी रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया है कि राज्य समाजवाद को संविधान की धाराओं द्वारा ही स्थापित किया जाय ताकि विधायिका और कार्यपालिका के सामान्य कार्य उन्हें परिवर्तित न कर सकें। राज्य समाजवाद का व्यावहारिक रूप संसदीय जनतंत्र द्वारा लाया जाना चाहिए। क्योंकि संसदीय जनतंत्र समाज के लिए सरकार की न्यायोचित व्यवस्था है। संविधान के कानूनों द्वारा समाज के आर्थिक ढाँचे के स्वरूप एवं संरचना का निर्धारण होना चाहिए।

अम्बेडकर की राज्य समाजवाद की धारणा मानवजीवन की तीन आर्थिक प्रक्रियाओं पर अधिक बल देती है

(i) समाज के निर्धन वर्गों की मांगों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और समस्त कृषि योग्य भूमि को राज्य के अधिकार में लाया जाये।

(ii) समस्त उत्पादक स्रोतों का स्वामित्व राज्य के हाथों में हो, तथा

(iii) जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना उत्पादित वस्तुओं का वितरण सभी वर्गों के लोगों में न्यायोचित ढंग से हो।

आर्थिक कल्याण व संसदीय प्रजातंत्र—अम्बेडकर का विचार था कि भारत में लोगों का आर्थिक कल्याण संसदीय प्रजातंत्र के साथ राज्य समाजवाद से ही सम्भव है। उनके मस्तिष्क में समाजवाद और प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता थी। वे इस अवधारणा को सम्पत्ति के समान वितरण और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे।

डॉ० अम्बेडकर नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में थे। वे नियोजित अर्थव्यवस्था को सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त मानते थे। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र में तानाशाही को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र में तानाशाही को रोकने के लिए संविधान के कानून की जरूरत पर बल दिया है, जिससे बहुमत के बल पर कोई भी दल उसमें अपनी इच्छा या नीति के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सके।

मौद्रिक विचार—डॉ० अम्बेडकर के मौद्रिक विचार उनकी पुस्तक 'रूपये की समस्या' में सग्रहित है। अम्बेडकर ने रूपये की समस्या में बताया है कि 'मुद्रा समस्या को हल करते समय रूपये और पाँड के सम्बन्ध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश लोगों को मुनाफेबाजी के लिए किस प्रकार तोड़मरोड़ा और किस प्रकार भारतवासियों पर असख्य सकट ढाए। अंग्रेजों की इस हेराफेरी ने ही सभी भारतीय लोगों को गम्भीर आर्थिक कठिनाइयों में डकेल दिया, क्योंकि भारतीय धन का ब्रिटिश खजाने की ओर निरन्तर बहाव हो गया। बाद में उन्हें अपने शोध प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन करने पड़े और 'द प्रॉब्लम ऑ द रुपी' सन् 1947 में पुनः हिस्ट्री ऑफ इन्डियन करेंसी एण्ड बैंकिंग भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुई।

इससे पूर्व 25 दिसम्बर 1925 में अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा और वित्त के लिए रायल कमीशन के सामने शहादत दी, उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि 'विदेशी मुद्रा के विनिमय का भारत को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता। इसलिए इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे सौने के स्तर की देशीय स्थिरता प्राप्त नहीं।'

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अम्बेडकर का आर्थिक दर्शन सिद्धान्त ही महत्वपूर्ण नहीं रहा अपितु इन्हें व्यवहार में भी लागू किया। उनका दर्शन मानवतावादी था, जो सीधा मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उनके महत्वपूर्ण विचारों का स्वतंत्रता, समानता प्रजातंत्र, समाजवाद आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सन्दर्भ

- 1 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 167
- 2 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 178
- 3 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 181-82
- 4 डब्ल्यू एन कुबेर बी आर अम्बेडकर पृष्ठ 100
- 5 डॉ डी आर जाटव दी इकॉनामिक फिलॉसफी ऑफ डॉ अम्बेडकर पेपर पृष्ठ (11)
- 6 बी आर अम्बेडकर स्टेट एण्ड माइनोरिटिज 1947 पृष्ठ 15-16
- 7 डी आर जाटव डॉ अम्बेडकर पृष्ठ 237
- 8 डब्ल्यू एन कुबेर बी आर अम्बेडकर पृष्ठ 130
- 9 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 58
- 10 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 288-89
- 11 अम्बेडकर स्टेट एण्ड माइनोरिटिज 1947 पृष्ठ 15
- 12 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 166-167
- 13 एल आर बाली दी ट्रांसफर ऑफ दी पावर वोल्यूम VI, डॉक्यूमेंट नं 269
- 14 एल आर बाली डॉ अम्बेडकर जीवन और मिशन पृष्ठ 211-213
- 15 डी आर जाटव डॉ अम्बेडकर पृष्ठ 195
- 16 डी आर जाटव डॉ अम्बेडकर पृष्ठ 196
- 17 डी आर जाटव डॉ अम्बेडकर पृष्ठ 197
- 18 डी आर जाटव डॉ अम्बेडकर पृष्ठ 199

प्रश्न

- 1 अम्बेडकर द्वारा लिखित महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम लिखिए।
- 2 अम्बेडकर के भू-स्वामित्व सम्बन्धी विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- 3 अम्बेडकर ने देश के तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य समाजवाद को अत्यावश्यक क्यों माना है ? कारण बताइये।
- 4 अम्बेडकर किन कारणों से वीमा को राज्य के अधिकार में देने के पक्ष में थे। स्पष्ट कीजिए।
- 5 अम्बेडकर के प्रमुख आर्थिक विचारों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालिए।
- 6 अम्बेडकर के कृषि सम्बन्धी विचारों को लिखिए।
- 7 अम्बेडकर के औद्योगीकरण सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 8 अम्बेडकर के औद्योगीकरण तथा मावर्सवाद सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कीजिए।
- 9 भारतीय कृषि सामाजिक प्रतिबन्ध एवं आर्थिक शोषण का एक उपकरण है अतः इसका राष्ट्रीयकरण वर सामूहिक खेती को अपनाना होगा अम्बेडकर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
- 10 अम्बेडकर की समाजवाद की अवधारणा मानव जीवन की आर्थिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं / स्पष्ट कीजिए।



जवाहर लाल नेहरु (Jawahar Lal Nehru)

जवाहर लाल नेहरु का जन्म 14 नवम्बर, 1889 में इलाहाबाद के एक सपन्न कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनके पिता भारत के जाने-माने बैरिस्टर पण्डित मोतीलाल नेहरु व माता श्रीमती स्वरूपरानी नेहरु थीं। नेहरु की शिक्षा का प्रारंभ किसी विद्यालय में नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता अपने पुत्र को किसी स्थानीय शिक्षा-संस्था के उन प्रभावों से बचाना चाहते थे, जिनकी वाछनीयता के प्रति वे शकालु थे। अतः थ्योसोफीकल सोसाइटी (Theosophical Society) से संबंधित श्रीमती एनीबेसेन्ट के सुझाव पर एक आयरिश शिक्षक टी. ब्रक्स (T. Brooks) को उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए रखा गया। ब्रक्स के अध्यापन के प्रभाव के कारण बालक जवाहर लाल में स्कॉट, चार्ल्स डिकिन्स, थैकरे, शरलक होम्स, मार्कट बेन आदि अंग्रेजी साहित्यकारों के साहित्य में रूचि उत्पन्न हुई। किशोरावस्था तक उन पर जिन व्यक्तियों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा उनमें उनकी माता श्रीमती स्वरूप रानी, उनके पिता मोतीलाल नेहरु व भारत में थ्योसोफीकल समाज की प्रचारक एनीबेसेन्ट प्रमुख थी। अपनी माता से जवाहर लाल नेहरु को स्वाभाविकतः कोमलता, पिता से व्यवहार की शालीनता तथा श्रीमती एनीबेसेन्ट से उन्हें वैचारिक भव्यता, वाक-पटुता व भाषण कला की निपुणता प्राप्त हुई।

1905 में 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ वे हैरो के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल में अध्ययन हेतु प्रविष्ट हुये। इस स्कूल में वे दो सत्रों तक पढे। स्कूल में उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से अनेक शिक्षक काफी प्रभावित हुये, तथा उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया।

अक्टूबर, 1907 में जवाहर लाल ने कैम्ब्रिज के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश ले लिया। ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्रियों में इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। जवाहर लाल ने अध्ययन के लिये विज्ञान के विषयों—रसायन शास्त्र भौतिक—विज्ञान और दनस्पति विज्ञान का चयन किया। किन्तु उनकी रूचि इन विषयों तक ही सीमित नहीं थी। कैम्ब्रिज में या छुट्टियों के दिन लन्दन में वे ऐसे बहुत से लोगों से मिलते थे, जिनसे वे साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र आदि विषयों पर बातचीत किया करते थे। जवाहर लाल ने इन सभी विषयों पर पुस्तकें पढ़कर व्यापक जानकारी अर्जित की। इसी दौरान

वे समाजवादी विचारों तथा अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार जार्ज बर्नार्ड शॉ और दार्शनिक बर्टेंड रसेल जैसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आये और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित भी हुये।

1909 में जवाहर लाल ने अपने पिता के साथ यूरोप के कई देशों की यात्रा की। 1910 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात् उन्होंने बैरिस्टरी की शिक्षा के लिये लंदन के इनर टैम्पल में प्रवेश ले लिया। बैरिस्टरी की पढाई के दौरान वे राजनीति दर्शन और इतिहास से संबंधित अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी विचारों और आयरलैण्ड के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली। 1912 में वे बैरिस्टर हो गये और सात वर्ष इंग्लैंड में रहने के पश्चात् भारत लौट आये।

भारत लौटने पर जवाहर लाल नेहरू सार्वजनिक गतिविधियों की और आकृष्ट हुये। 1912 में वे पहली बार कांग्रेस के बॉकीपुर अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये। 1916 में वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। कई सैद्धांतिक प्रश्नों पर वे गाँधीजी के विचारों को स्वीकार नहीं कर सके तथापि राजनीति में नैतिक तत्त्व को सर्वोपरि मानने की गाँधी जी की प्रवृत्ति ने उनको अभिभूत कर लिया। गाँधी जी से उनका सम्पर्क दिन-प्रतिदिन प्रगाढ़ होता गया और उन्होंने राजनीति में स्वयं को गाँधी जी का अनुयायी बना लिया। 1916 में उनका विवाह कमला कौल से हुआ। वे दृढ़ इच्छा शक्ति की साहसी महिला थी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वे भी स्वतंत्रता के संघर्ष में सम्मिलित हो गईं। वे कई बार जेल भी गईं।

1920 में गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने असहयोग के कारण देश की जनता में उत्कट उत्साह व्याप्त हो रहा था। चौरी-चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण गाँधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। जवाहर लाल ने आंदोलन के स्थगन के गाँधी जी के निर्णय की कड़ी आलोचना की।

1926 में जवाहर लाल ने यूरोप की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने यूरोप में हो रहे आर्थिक राजनीतिक व वैचारिक परिवर्तनों को निकट से देखा। 1927 में ब्रूसेल्स में पीडित देशों की कांग्रेस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये। इस यात्रा के दौरान वे सावियत रूस भी गये। रूस में अपनाये गये योजनाबद्ध विकास ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया व भारत के लिये भी उन्होंने योजनाबद्ध विकास की कल्पना की।

जवाहर लाल ने अपने जीवन में अनेक बार लम्बी-लम्बी जेल यात्राएँ कीं। इन जेल यात्राओं का सार्थक उपयोग उन्होंने लेखन में किया। उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ 'जेल' में ही लिखीं। इन रचनाओं में 'विश्व इतिहास की झलक' आत्मकथा (My Story) तथा 'डिस्कवरी ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तकों ने विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू की उत्त्लेखनीय भूमिका रही। उन्हें भी अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री

का दायित्व सभाला तथा 15 अगस्त 1947 को वे स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने व 27 मई 1964 तक मृत्यु पर्यन्त इस पद पर बने रहे। इस प्रधानमंत्रित्व काल में नेहरु ने भारत के आधुनिकीकरण के स्वप्न को साकार करने का अथक प्रयास किया। नेहरु के आर्थिक विचारों को निम्न शीर्षकों में रखा जा सकता है—

1. लोकतांत्रिक समाजवाद

भारत में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानता के समापन व पूँजीवादी दोषों के निराकरण हेतु नेहरु ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया। नेहरु जी ने प्रारम्भ में ही यह समझ लिया था कि बिना समाजवाद लाये भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। नेहरु जी के समाजवादी विचार उनकी पुस्तक "विदर इंडिया" (Wither India) में मिलते हैं। सन् 1927 की रूस यात्रा ने नेहरु की समाजवादी विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके लिए समाजवाद का अर्थ समानता से था। लेकिन नेहरु अच्छी तरह जानते थे कि एकदम से पूँजीवाद को नष्ट कर समाजवाद नहीं लाया जा सकता। अतः इसके लिए कठोर उपायों का सहारा न अपनाकर उदार तरीके अपनाने पर बल दिया।

15 दिसम्बर 1952 को लोकसभा में भाषण करते हुए नेहरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा "हमें अपने देश को सघर्ष और जोरजबर्दस्ती से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाने का विचार नहीं करना चाहिए। हमारी बहुत-सी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से ही हासिल हुई हैं और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि हम इस तरीके को छोड़कर हिंसा का तरीका अपना लें। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने हिंसात्मक तरीके से अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को, जो भले ही कितने भी ऊँचे हों, प्राप्त करने की कोशिश की तो हमें बहुत देर लगेगी और उल्टा हम उन्हीं बुराइयों को बढ़ावा देंगे जिनसे कि हम लड़ रहे हैं। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश ही नहीं है बल्कि यहाँ बहुत-सी विविधता और अनेकता भी हैं। अगर यहाँ किसी ने तलवार उठाई तो यह लाजमी है कि कोई दूसरा तलवार लेकर उसका मुकाबला करने उठ खड़ा होगा। तलवार का इस तरह का टकराव नीचे गिरकर एक निरुद्देश्य हिंसा में बदल जायेगा। इससे राष्ट्र की जो सीमित शक्तियाँ हैं, वे या तो बहुत बट जाएगी या फिर बहुत दुर्बल तो हो ही जाएगी।"

नेहरु जी ने लोकतन्त्री मार्ग को इस सन्दर्भ में प्रतिष्ठित करते हुए कहा कि "शांतिपूर्ण तरकीबी ही अन्ततः लोकतन्त्री तरकीबी का रास्ता है। लोकतन्त्री चिन्तन के अंतिम साध्य को अगर हम ध्यान में रखें, तो तिर्फ वोट दे देना और बाकी सब काम दूसरों पर छोड़ देना ही काफी नहीं होगा। अंतिम लक्ष्य आर्थिक लोकतन्त्र है, अंतिम लक्ष्य यह है कि गरीब और अमीर के भेद और उन लोगों का अंतर खत्म हो जिनमें से कुछ के पास अवसर हैं और दूसरे जिनके पास किसी तरह के अवसर नहीं हैं या बहुत थोड़े हैं। इस लक्ष्य के रास्ते की हर रूकावट को हटा देना होगा, भले ही यह काम दोस्ती और सहकार के जरिए हो और चाहे कानून और सरकार के जोर से हो।"

नेहरु ने समाजवाद को भारतीय सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का एकमात्र उपाय बताया। समाजवाद सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति का मार्ग है। नेहरु ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत की समस्याओं का समाधान समाजवाद में है और जब मैं इस शब्द को प्रयोग करता हूँ तो मैं इसे केवल अस्पष्ट और मानववादी के रूप में नहीं अपितु वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टि से देखता हूँ। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अतिरिक्त भी और कुछ है। यह एक जीवन दर्शन है और इसी कारण मुझे प्रिय है। मुझे गरीबी बेरोजगारी और भारतीय लोगों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए समाजवाद के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता।

नेहरु ने समाजवाद की व्याख्या भारतीय संदर्भ में विशिष्ट प्रकार से की। उन्होंने समाजवाद का अन्धानुकरण नहीं किया अपितु देश में परिस्थितियों के अनुसार ही समाजवाद के स्वरूप की बात कही। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में नेहरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम यह महसूस करना चाहिए कि समाजवाद का दर्शन सारी दुनिया के समाज की संरचना में धीरे-धीरे व्याप्त हो गया है विवाद के केवल दो ही विद्वु हैं एक शान्ति और दूसरा इसे पूर्ण प्रभावी बनाये जाने हेतु अपनाए जाने वाली विधि। भारत को भी गरीबी और असमानता को समाप्त करने के लिए समाजवाद को अपनाना होगा। हम भारतीय संदर्भ में इसे अपने तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण रूप में अपना सकते हैं। हमारा आर्थिक कार्यक्रम मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए तथा धनी की कीमत पर व्यक्ति का बलिदान नहीं करना चाहिए। यदि एक उद्योग श्रमियों की भूख मिटाए बिना नहीं चल सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। यदि भूमि पर काम करने वाले श्रमिकों को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल पाता तो मध्यवर्तियों को व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए जो कि उभय को बीच में ही हड़प जाते हैं।

इस प्रकार जवाहर लाल नेहरु जहाँ एक ओर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे वहीं दूसरी ओर समाजवाद की स्थापना पर बल दिया। इस प्रकार लोकतंत्र व समाजवाद दोनों के सम्मिश्रण से बना है लोकतांत्रिक समाजवाद। इस लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रति नेहरु आजीवन पूर्ण समर्पित रहे। लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति उनकी पूर्वाग्रह-मुक्त अन्तर्दृष्टि ने उन्हें यह समझने व प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया कि लोकतंत्र और समाजवाद परस्पर विरोधी विचारधाराएँ नहीं हैं, परन्तु अनिवार्यतः परस्पर पूरक हैं उनका विचार था कि बिना समाजवादी आग्रहों के लोकतांत्रिक भावना वास्तविक रूप नहीं ले सकती। नेहरु के अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का अनिवार्य परिणाम है। आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक है और राजनीतिक लोकतंत्र ही समाजवाद का माध्यम बन सकता है। सच्चे समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से ही की जा सकती है।

इस लोकतांत्रिक समाजवाद जो कि लोकतंत्र व समाजवाद का सम्मिश्रण है के अन्तर्गत निम्न तथ्य देखने को मिलते हैं -

(i) आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक रूप में कार्य कर रहा सरकारी तंत्र।
 (ii) अवसर की समानता तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न अयोग्यताओं का निराकरण।

(iii) आय की समानताएँ और एतदर्थ एकाधिकार औद्योगिक तथा भू-स्वामित्व सबधी असमानताओं को कम करना।

(iv) आर्थिक विकास का उच्च स्तर।

(v) आधारभूत उद्योगों का सार्वजनिक स्वामित्व।

(vi) सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना।

(vii) न्याय पर आधारित आर्थिक जीवन का संगठन तथा सभी को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी।

(viii) नियोजित केन्द्रीय निर्देशन व साथ ही साथ राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण।

(ix) प्रबन्ध में श्रमिकों की अधिकाधिक सहभागिता।

लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में पूँजी और अन्य आर्थिक ससाधनों को पूँजीपति वर्ग के हाथों में केन्द्रित नहीं होने दिया जायगा बल्कि यह व्यवस्था की जायेगी कि देश की वास्तविक पूँजी और साधनों पर जनता का प्रभावी नियन्त्रण हो। नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र के मार्ग की ओर प्रगति करने का माध्यम है। लोकतांत्रिक समाजवाद की उनकी धारणा में जनता के राजनीतिक अधिकारों की मान्यता, आर्थिक और सामाजिक न्याय ससाधनों के केन्द्रीकरण का निषेध, तथा उत्पादन व वितरण की न्याय सम्मत प्रणाली को सुनिश्चित किये जाने पर एक साथ बल दिया है। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला माना है।

2. अर्थशास्त्र के उद्देश्य

नेहरू एक व्यावहारिक अर्थशास्त्री थे। भारत की आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु नेहरू ने समय-समय पर अपने आर्थिक विचार व्यक्त किये। नेहरू जी को अपने आर्थिक विचारों को क्रियान्वित करने का प्रधानमंत्री के रूप में पर्याप्त अवसर मिला। नेहरू ने इस अवधि में राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्रियों से परामर्श किया। उनका विश्वास था कि भारत जैसे विकासशील देश की उन्नति तब तक नहीं की जा सकती जब तक सभी भारतवासियों को उनके जीवन यापन के लिए भोजन वस्त्र मकान व अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और जब तक इन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है आदर्श की बात करना व्यर्थ है। इस प्रकार नेहरू के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए।

नेहरू ने यद्यपि स्वयं तो अर्थशास्त्र के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया लेकिन उनका स्पष्ट मत था कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत निरपेक्ष नहीं अपितु सापेक्ष होने चाहिए। प्रत्येक देश को इन सापेक्ष नियमों को अपने देश में अपनी सामाजिक-आर्थिक दशा के अनुरूप अपनाना चाहिए और इस सदर्म में नेहरू ने महादेव गोविन्द रानाडे का अनुसरण करते हुए भारत के अलग अर्थशास्त्र के नियमों पर बल दिया तथा यह तथ्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सदर्म में उनकी नीतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस सदर्म में उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन प्रणाली पर बल दिया जिसके अंतर्गत आर्थिक नियम देश काल व परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बनाए जाते हैं।

3 आर्थिक नियोजन

नेहरू भारत में आर्थिक नियोजन के जनक हैं। नेहरू ने भारत के तीव्र आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का मार्ग प्रस्तुत किया 1927 में नेहरू जब रूस गये और वहाँ नियोजनबद्ध विकास पर दृष्टिपात किया तो वे उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए तथा उन्होंने भारत में भी आर्थिक नियोजन का सपना सजोया। नेहरू इस सदर्म में बहुत अधिक भाग्यशाली भी रहे क्योंकि देश में जब पहली बार राष्ट्र के पुनरुत्थान हेतु नियोजनबद्ध विकास की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आई और तदनुसार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ तो नेहरू को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू 1938 से पूर्व ही आर्थिक नियोजन की बात कह चुके थे।

राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning Committee) के अध्यक्ष के रूप में नेहरू की भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रीय नियोजन समिति की रिपोर्ट भारत में आर्थिक नियोजन का आधार सिद्ध हुई। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विशद जानकारी एकत्र की तथा प्रत्येक क्षेत्र के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किये। इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व नेहरू ने प्राप्त अवसर का पूर्ण सदुपयोग किया इस अवसर के साथ न्याय किया तथा इसे भारत में आर्थिक नियोजन की मजबूत आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहर लाल नेहरू। नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत में आर्थिक नियोजन के अपने सपने को मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना के रूप में कदम उठाकर साकार रूप में परिणत किया। यह ज्ञातव्य है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेहरू आजीवन योजना आयोग के अध्यक्ष रहे।

भारत में आर्थिक नियोजन विभिन्न प्रतियोगी उद्देश्यों के मध्य सतुलन स्थापित करता है। ये उद्देश्य सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं खाद्यान्न व उपभोग वस्तुओं के उत्पादन परिवहन आधारभूत उद्योग-जैसे-लोहा इस्पात उद्योग भारी रसायन उद्योग भारी विद्युत सबंधी उद्योग व रक्षा उद्योग आदि के विकास के रूप में परिलक्षित होते हैं।

समग्र रूप में, आर्थिक नियोजन दोहरे उद्देश्यो—राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि व आय व धन की असमानता में कमी—की प्राप्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि एक वाक्य में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहे तो वह है— "सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास" (Economic Growth With Social Justice)।

नेहरू की राज्य नियोजन में दृढ़ आस्था थी। नेहरू ने यह भलीभांति समझ लिया कि राष्ट्र की स्वतंत्रता किस प्रकार भारी उद्योगों व शक्ति ससाधनों पर आधारित है, स्वतंत्र भारत किस प्रकार विश्व की तकनीकी दौड़ में शामिल हो सकता है। यह नियोजित विकास न केवल भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वरन् भारतीय सस्कृति के आधुनिक विश्व के साथ जो अंतराल है, उसे दूर करने के लिए भी आवश्यक है। नेहरू का यह सोचना था कि नियोजित औद्योगिक विकास के क्रियात्मक स्वरूप तथा समाजवादी नियंत्रण के अभाव में लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। इस शताब्दी में पिछली शताब्दी की तरह यह पर्याप्त नहीं है कि राज्य सहायता व प्रेरणा पर आधारित निजी क्षेत्र का विकास किया जाय। नेहरू ने उपर्युक्त दृष्टिकोण को राज्य नियंत्रण के रूप में लागू भी किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य नियंत्रण के पक्ष में जितने दृढ़ विचार राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने व्यक्त किये वो अब कुछ उदार हो चुके थे। उनका समाजवादी दृष्टिकोण भी उतना उग्र नहीं रह गया तथा उन्होंने देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया।

जनवरी 1955 में अवादी प्रस्ताव (Avadi Resolution) के अंतर्गत नेहरू ने नियोजन का ध्येय भारत में समाजवादी समाज की स्थापना बताया है। इस समाजवादी समाज के अंतर्गत उत्पादन के प्रमुख साधन सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण में रहेंगे, उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जायेगी, राष्ट्रीय संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था की जाएगी। नेहरू ने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया कि प्रगतिशील समाज में धन को समान रूप में बाटना इतना अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि धन का और अधिक उत्पादन। योजना में जनता की आवश्यकताएँ मौद्रिक रूप में नहीं मापी जानी चाहिए अपितु वास्तविक भौतिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ, रोजगार आदि पर बल दिया जाना चाहिए और इनकी प्राप्ति उत्पादन वृद्धि द्वारा ही हो सकती है। समाजवादी पद्धति पर कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कुछ इसे सच्चे मार्ग के रूप में ले सकते हैं तो कुछ इसे सुविधा के लिए दिए हुए मौखिक आश्वासन के रूप में समझ सकते हैं।

जवाहर लाल नेहरू ने आर्थिक नियोजन को राष्ट्र के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी बताया है। उन्होंने कहा कि योजना आवश्यक है अन्यथा हम उत्पादन के साधनों का जो कि सीमित मात्रा में है, बेकार ही पड़े रहने देंगे। योजना का अर्थ केवल परियोजनाओं का एकत्रीकरण नहीं होता, अपितु परियोजनाओं का आधार तय करना तथा

उन्हे इस प्रकार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है ताकि समाज सभी दृष्टि से प्रगति कर सके। हमारे देश में गरीबी की भयावह समस्या है। हमारे समक्ष सर्वदा एक कठिन विकल्प है—या तो हम कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जो कि अनुकूल भी है उत्पादन केन्द्रित करें और पिछड़े हुए क्षेत्रों को कुछ समय के लिए छोड़ दे या क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास भी साथ-साथ करें। एक सतुलन का मार्ग अपनाया गया है तथा समेकित राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की गयी है। एक राष्ट्रीय योजना में किसी भी प्रकार की कठोरताएँ नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी हठधर्मिता पर आधारित नहीं होने चाहिए अपितु वर्तमान तथ्यों को ध्यान में रखकर होने चाहिए। यह हो सकता है और आज के दिन जैसा मैं सोचता हूँ, बहुत से क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन निजी उपक्रमों को राष्ट्रीय योजना में सम्मिलित करते हुए इन पर आवश्यक नियंत्रण भी लगाए जाने चाहिए।

नेहरु ने एक सामान्य आदमी को सामाजिक न्याय प्रदान करने की दृष्टि से नियोजन को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इण्डिया (Discovery of India) में कहा है कि सामाजिक संरचना को समाज में सग्रह करने की प्रवृत्ति को सीमित करना होगा तथा विकास में बाधाओं को दूर करना होगा। सामान्य आदमी के लाभ के लिए यह नियोजन पर आधारित होगा। यह लाभ जीवन स्तर में सुधार प्रगति के अवसरों में वृद्धि तथा मानव में अन्तर्निहित गुणों के विकास के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सभी प्रयास लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए।³

नेहरु आर्थिक नियोजन के माध्यम से भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिणत करना चाहते थे। नियोजन के पीछे मूल विचार ही औद्योगिकरण रहा जिसके बिना गरीबी बेरोजगारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनर्निर्माण संभव नहीं था। इस प्रकार एक राष्ट्रीय औद्योगिकरण योजना के अतर्गत बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग व कुटीर उद्योग सम्मिलित होते हैं। ऐसा करते समय योजना के अतर्गत कृषि को नहीं भुलाया जा सकता। नियोजन का क्षेत्र विस्तृत और अधिक विस्तृत होता चला जाता है जब इसके अतर्गत सामाजिक सेवाओं को भी शामिल कर दिया जाता है।

नेहरु जी ने योजना निर्माण करते समय योजना आयोग को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा है। उनके अनुसार योजना आयोग को सविधान की सीमाओं के अतर्गत ही योजना बनानी चाहिए। यद्यपि नेहरु जी स्वयं योजना आयोग के अध्यक्ष थे परन्तु लोकसभा में 15 दिसम्बर 1952 को दिये गये वक्तव्य से नेहरु जी के विचार स्पष्ट हैं। उनके अनुसार 'हम लोग एक लोकतंत्री ढांचे में काम कर रहे हैं जिसे हमने खुद चुना है और जो हमारे सविधान में और संसद में निहित है। यह स्वाभाविक है कि हमारा आयोजन देश की व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन योजना आयोग को यह हक नहीं है कि वह कोई ऐसा कार्यक्रम बनाये जिसका हमारे सविधान या व्यवस्था से जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं कोई वास्ता ही नहीं हो।'⁴

नेहरू जी ने भारत में नियोजन की बात जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तुत की अतः नेहरू द्वारा प्रस्तुत यह आर्थिक नियोजन "जनतांत्रिक नियोजन" कहलाता है। हमारे देश में योजना आयोग कोई सर्व शक्ति संपन्न संस्था नहीं है। यद्यपि योजना आयोग का अध्यक्ष पद प्रधानमंत्री होता है तथापि योजना आयोग योजना का निर्माण करता है तथा अंत में योजना के क्रियान्वयन हेतु संसद के पटल पर रखा जाता है। योजना का क्रियान्वयन केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग का गठन संसद के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ है तथा संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

नेहरू ने योजना की समय अवधि को लेकर यह मत व्यक्त किया कि योजना दीर्घकालिक व अल्पकालिक दोनों ही प्रकार की होनी चाहिए। दीर्घकालिक लक्ष्य अल्पकालिक योजनाओं से प्राप्त किए जाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को मध्यवर्ती कड़ी के रूप में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। नेहरू जी के शब्दों में "यह सबसे जरूरी है कि हम 15 वर्ष की अवधि में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका हमें सही और साफ विचार हो। फिर हम इस बड़ी और सामान्य योजना में समायोजित हो सकने वाली छोटी-छोटी योजनाओं पर आ सकते हैं। ओर फिर सबसे छोटी, यानि एक साल की या वार्षिक योजना भी बड़ी योजना में समायोजित होनी चाहिए।"

पंचवर्षीय योजना एक बड़ा ढांचा होना चाहिए जिसमें उपर्युक्त परिवर्तन हो सके जो सिर्फ हमारे साधनों की दृष्टि से न हो बल्कि उस लंबी और दूर की तस्वीर को ध्यान में रखते हुए भी हो जो वक्त के साथ-साथ हम विकसित करते हुए जाएंगे। जब हम अपने सामने 15 वर्ष का लक्ष्य रखेंगे तो छोटी-छोटी योजनाओं को स्वीकार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा।"

4. औद्योगिकरण

नेहरू ने तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से आधुनिक भारत की आधार शिला रखी। नेहरू का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि बिना औद्योगिकरण के भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। यदि भारत को आर्थिक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो तीव्र औद्योगिकरण एक अनिवार्यता है तथा बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नेहरू जी ने तीव्र औद्योगिकरण पर बल देते हुए अपनी पुस्तक "दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया" में लिखा है "आधुनिक विश्व के सदस्यों में कोई शायद ही इस यथार्थ को चुनौती दे सकता है कि जब तक एक राष्ट्र उच्च स्तर पर औद्योगिकृत नहीं है तथा उसने अपनी शक्ति ससाधनों का विकास नहीं कर लिया है, वह परस्पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता की स्थिति में अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। औद्योगिकरण के अभाव में न तो उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है और न ही गरीबी की समस्या को कम किया जा सकता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राष्ट्र विश्व संतुलन

के साथ समायोजित नहीं हो सकता तथा अधिक विकसित राष्ट्रों की उग्र प्रवृत्तियों का भी सामना नहीं कर सकता। यदि उसे राजनीति स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है तो राष्ट्र का आर्थिक नियंत्रण दूसरे राष्ट्रों को सौंपना पड़ेगा और राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई आशय नहीं रह जाएगा। यह नियंत्रण छोटे पैमाने पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था को अनविर्य रूप से अस्त-व्यस्त कर देगा। इसलिए लघु व कुटीर उद्योगों पर आधारित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का निर्माण पूर्णतया निष्फल हो जाएगा। न तो यह देश की आधारभूत समस्याओं को दूर कर पाएगा और न ही आधुनिक विश्व के ढांचे में समायोजित हो सकेगा। यह केवल उपनिवेशीय भाग रह जाएगा। आधुनिकतम तकनीकी उपलब्धियों पर आधारित अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से प्रभावी होगी यदि तकनीक बड़ी मशीनों की मांग करती है जैसा कि वर्तमान में है तो बड़ी मशीनों की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इसके प्रभाव स्वीकार करने चाहिए।

नेहरु जी आधुनिक तकनीक व तदनुसार मशीनों पर बल देते हुए उन उद्योगों की स्थापना का पक्ष लेते हैं जो मशीनों का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि हमें औद्योगिकरण करना है तो सबसे अधिक महत्त्व की बात यह है कि हम भारी उद्योग कायम करें जो मशीनों का निर्माण करते हैं। एतदर्थ भारी उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं तथा उनकी दृष्टि में भारी उद्योगों का विकास ही औद्योगिकरण है। नेहरु के शब्दों में अहमदाबाद बम्बई या कानपुर में लगे हुए बहुत से सूती वस्त्र के कारखाने औद्योगिकरण नहीं हैं यह तो इसके साथ खिलवाड़ है। मैं सूती वस्त्र के कारखानों पर आपत्ति नहीं उठाना चाहता हमें उनकी जरूरत है— परन्तु इस प्रकार हमारा औद्योगिकरण का विचार इन साधारण सूती वस्त्र के कारखानों तक ही सीमित एव सकुचित हो जाता है और हम इसे ही औद्योगिकरण कहने लगते हैं। औद्योगिकरण से इस्पात उत्पन्न होता है इससे संचालन शक्ति पैदा की जाती है वे ही इसका आधार हैं। यदि आप एक बार आधार कायम कर लें तो फिर निर्माण करना आसान हो जाता है। भारत में आयोजन को प्रशस्त करने वाली विधि में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा और इसका अर्थ यह है कि आधारभूत उद्योगों (Basic Industries) को प्रथम स्थान दिया जाये।

स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन ने भारत के औद्योगिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश में जितना भी औद्योगिक विकास हुआ वह औपनिवेशिक दृष्टि से था। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत नेहरु के समक्ष औद्योगिक विकास को लेकर दो विकल्प थे और उन्होंने एक विकल्प को चुना था।

प्रथम विकल्प— उपभोक्ता वस्तु के उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाय जिससे जनता को विशेष रूप से गरीबी से त्रस्त लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

द्वितीय विकल्प — दीर्घकालीन वृद्धि हेतु एक मजबूत नींव रखी जाये जिसके लिए भारी उद्योग जैसे इस्पात भारी मशीन भारी विद्युत सामान भारी मशीनरी उद्योग

तथा आधारभूत ढांचे के लिए विद्युत उत्पादन, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि का विकास किया जाय।

नेहरू जी ने प्रथम विकल्प के स्थान पर द्वितीय विकल्प को चुना। नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि भारत में प्रचुर प्राकृतिक ससाधन हैं तथा पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध है। उनका मत था कि भारत का आर्थिक विकास आधुनिक औद्योगिकरण द्वारा ही संभव है। उसी के द्वारा ही आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। अन्य आर्थिक उद्देश्य जैसे गरीबी का उन्मूलन, रोजगार, उच्चतम जीवन स्तर भी इस प्रकार की व्यूह रचना द्वारा प्राप्त हो सकेंगे।

इस विकास व्यूह रचना हेतु विशाल पूँजीगत विनियोग व विदेशी तकनीक के आयात की आवश्यकता है। प्रारम्भिक अवधि में लाभ का अनुपात भी कम रहेगा। अत्यधिक पूँजी गहन उद्योगों की स्थापना के कारण रोजगार में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पायगी। रोजगार की दृष्टि से तो श्रम गहन पद्धति पर आधारित ग्रामीण उद्योग अधिक श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार आत्मनिर्भर ग्राम विकास की सफलता अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी नेहरू का कहना था कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का आर्थिक विकास आधुनिक विज्ञान व तकनीक पर आधारित भारी उद्योगों के विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

नेहरू आधुनिक औद्योगिकरण में प्रारम्भिक अवस्था में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं थे। इस अवस्था में, जिसे दात निकलने की अवस्था भी कह सकते हैं, विदेशी विनिमय व सशर्त विदेशी सहायता की कठिनाई सामने आती हैं। आंतरिक राजनीतिक व सामाजिक शक्तियाँ आर्थिक असमानता को तेजी से बढ़ा सकती हैं, क्षेत्रीय असंतुलन भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन नेहरू का विश्वास था कि दीर्घकाल में ये सब बुराइयाँ स्वतः ही दूर हो जाएगी।

नेहरू का दृढ़ विश्वास था कि प्रारम्भिक अवस्था में पूँजीगत वस्तुओं व उपभोक्ता वस्तुओं के मध्य असंतुलन हो सकता है, जिसका परिणाम उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव भी हो सकता है लेकिन दीर्घकाल में पूँजीगत वस्तुओं की सहायता से उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा और जीवन-स्तर में स्वतः ही सुधार होगा।

नेहरू ने राष्ट्र की आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया। उनके अनुसार परिवहन के साधनों का व्यापक मात्रा में सुलभ होने पर न केवल छोटे पैमाने के उद्योगों का अपितु बड़े पैमाने के उद्योगों का भी विकेंद्रित विकास संभव हो सकेगा। इस विकेंद्रित विकास के फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन दूर किये जा सकते हैं तथा संतुलित विकास की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सकता है।

नेहरू पर कुछ आलोचक यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने लघु व कुटीर उद्योगों की उपेक्षा की, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। नेहरू ने लघु व कुटीर उद्योगों का कभी विरोध नहीं किया। उनके अनुसार लघु व कुटीर उद्योगों के विकास से बेरोजगारी की

समस्या हल होती है तथा उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक आपूर्ति समभव है। लेकिन इन उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनरी का उत्पादन तो बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों के विकास द्वारा ही सुलभ होता है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नेहरू के आधुनिकीकरण या तीव्र औद्योगिकीकरण का केन्द्र बिन्दु यह नहीं है कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना हो अपितु यह है कि आधारभूत उद्योगों का विकास हो ताकि राष्ट्र के समग्र विकास हेतु एक आधार तैयार किया जा सके। इन आधारभूत उद्योगों की सहायता से जहाँ एक ओर लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना को भी बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर कृषि का आधुनिकीकरण भी समभव हो सकेगा। इससे दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि व आत्मनिर्भरता का दोहरा लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

नेहरू ने इन आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही किये जाने पर बल दिया। इसके पीछे नेहरू के कई तर्क थे। एक तो सामान्य तर्क था कि इनमें विनियोग की मात्रा बहुत अधिक लगती है तथा परिपक्वता अवधि (Gestation Period) भी बहुत लम्बी होती है। चूँकि इन आधारभूत उद्योगों का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है अपितु राष्ट्र के दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि के लिए एक आधार तैयार करना है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में ही इनके विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

नेहरू की यद्यपि उद्योगों के सामाजिकीकरण में दृढ़ आस्था थी लेकिन उन्होंने राष्ट्रीयकरण को अन्धानुकरण के रूप में नहीं अपनाया। राष्ट्रीयकरण सभी बीमारियों का कोई जादुई (Magic) इलाज नहीं है। जो लोग सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का तर्क दे रहे हों उनके लिए नेहरू का उत्तर था कि राष्ट्रीयकरण समाजवाद का पर्याय नहीं है। उन्होंने सदस्यों को सलाह दी कि यह कल्पना मत करो कि समाजवाद में राष्ट्रीयकृत उद्योग समाहित है अतः सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

उपर्युक्त सदस्र्ग में उल्लेखनीय है कि नेहरू ने सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के सहअस्तित्व पर बल दिया। उनके इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप की विस्तृत विवेचना आगे दी गयी है।

नेहरू का सौभाग्य था कि उन्हें भारत के आधुनिकीकरण के स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ। उनके द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण पर दिया गया बल प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं व 1948 तथा 1956 की औद्योगिक नीतियों में परिलक्षित होता है।

उल्लेखनीय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना वस्तुतः परियोजनाओं का एकत्रीकरण व योजनावधि में अनुपालन मात्र थी, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही थी, जो आधुनिकीकरण व विकास की व्यूह रचना को व्यक्त करती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विस्तार पथ को दर्शाती है। इसी प्रकार 1948 की औद्योगिक नीति भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिचय उद्योगों के वर्गीकरण व उन पर नियंत्रण

के माध्यम से कराती हैं। वस्तुतः 1956 की औद्योगिक नीति नेहरू की संकल्पना की द्योतक है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की रूपरेखा का आधार भी है। दोनों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है -

(अ) 1956 की औद्योगिक नीति :-नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व में ससद दिसम्बर 1954 में समाजवादी पद्धति पर आधारित समाज (Socialist Pattern of Society) को आधारभूत सामाजिक और आर्थिक नीतियों के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना भी प्रारंभ हो चुकी थी। उपर्युक्त दोनों तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए व भारत को सुदृढ़ औद्योगिक आधार प्रदान करने के लिए 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्तुत की गई जिसके निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं।

1. उद्योगों का वर्गीकरण :-प्रस्ताव में उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया जो 1948 की औद्योगिक नीति के वर्गीकरण की तुलना में अधिक स्पष्ट व प्रभावी है। राज्य ने किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन को अपने हाथ में लेने का सहज अधिकार सुरक्षित रख लिया। उद्योगों के तीन वर्ग हैं -

(i) वे जिनका पूर्ण दायित्व राज्य पर हो।

(ii) वे जिन पर राज्य का अधिकार बढ़ता जाएगा और जिनमें साधारणतः राज्य नये उद्यमों की स्थापना करेगा किन्तु निजी क्षेत्र से यह आशा की जाएगी कि वह उनके संचालन में राज्य की सहायता करेगा।

(iii) शेष सभी उद्योगों व उनके भावी विकास को सामान्यतः निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जायगा।

प्रथम वर्ग में 17 उद्योग शामिल किये गये जो इस प्रकार हैं- अस्त्र-शस्त्र, अणु शक्ति, लोहा व इस्पात, लोहा व इस्पात की भारी ढलाई व तैयारी, भारी सयंत्र व मशीनरी, भारी बिजली के सयंत्र, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, अलौह धातुएँ, अणु शक्ति के उत्पादन से संबंधित खनिज, हवाई जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल यातायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन व सबद्ध सामान का उत्पादन तथा विद्युत उत्पादन व वितरण।

द्वितीय वर्ग में 12 उद्योग शामिल किये गये जो इस प्रकार हैं-अन्य खनिज उद्योग, अल्युमिनियम तथा अन्य अलौह धातुएँ जिन्हें प्रथम वर्ग में नहीं रखा गया, मशीनी औजार, लौह मिश्रित धातुएँ तथा औजारी इस्पात, रसायन उद्योग व एण्टीबायोटिक्स और अन्य आवश्यक औषधियाँ, उर्वरक, संश्लिष्ट रबर, कोयले का कार्बनीकरण, रासायनिक घोल, सड़क परिवहन व समुद्री परिवहन।

उल्लेखनीय है कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत तीनों वर्गों में प्रतिद्वन्द्विता के स्थान पर परस्पर सहयोग की भावना पर बल दिया गया है।

2 औद्योगिक नीति के अंतर्गत उपर्युक्त वर्ग विभाजन से स्पष्ट है कि सभी

आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अतर्गत ही रखे गये।

3 क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर भी बल दिया गया है।

4 लघु व कुटीर उद्योगों पर भी बल दिया गया है। एतदर्थ विभेदक कर (Differential Tax) तथा प्रत्यक्ष अनुदान (Direct Subsidies) का प्रस्ताव रखा गया है।

इस प्रकार 1956 की औद्योगिक नीति नेहरू की तीव्र औद्योगिकरण की सकल्पना का प्रतीक है।

(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण हेतु नेहरू ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महालनोबिस को आमंत्रित किया। महालनोबिस ने अपने चार क्षेत्रीय विकास मॉडल (Four Sector Growth Model) के अतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार की। यह मॉडल भारी उद्योगों के विकास पर आधारित है तथा यह रूस की नियोजन पद्धति का अनुसरण करता हुआ है। मॉडल के अतर्गत राष्ट्र के आर्थिक विकास का आधार तैयार करने के लिए प्रारंभ में बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस प्रकार नेहरू की आर्थिक विचारधारा के अनुरूप ही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र को लघु व कुटीर उद्योगों पर छोड़ा गया है। यद्यपि योजना में खाद्यान्न आपूर्ति को पूर्णतया लोचदार माना गया है तथापि सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर भावी कृषि विकास की कल्पना की गयी है।

5 कृषि विकास

नेहरू ने राष्ट्र की दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि पर बल दिया। एतदर्थ उन्होंने केवल औद्योगिकरण पर ही ध्यान नहीं दिया अपितु भारत के कृषि विकास पर भी ध्यान दिया। कृषि को भी नेहरू आधुनिक कृषि के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व ही नेहरू ने जमींदारी प्रथा का प्रबल विरोध किया था। अनुपस्थित भू-स्वामी अर्थात् ऐसे भू-स्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते नेहरू की दृष्टि में शोषण के प्रतीक हैं। उनका स्पष्ट मत था कि वर्तमान भू-धारण व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिए तथा किसान व सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। नेहरू ने जमींदार प्रथा का विरोध केवल शोषण व असमानता को लेकर ही नहीं अपितु उनका स्पष्ट मत था जमींदारी प्रथा अधिक उत्पादकता व अधिक उत्पादन के लिए व्यावहारिक बाधा भी है। उत्पादन में तीव्र वृद्धि व उसका अधिक समान वितरण भारतीय समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं।

नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत में भूमि की समस्या एक गंभीर समस्या है तथा इसका कोई भी समाधान हमारी कृषि व भू-साधारण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना नहीं खोजा जा सकता। नेहरू ने भारत में भूमि समस्या को ऐतिहासिक दृष्टि से

देखा, समझा व प्रस्तुत किया। इस सदम में उनके द्वारा प्रस्तुत निम्न विचार उल्लेखनीय हैं -

(i) भू-स्वामित्व, उत्पादकता वृद्धि में प्रमुख बाधा है। देश में जनसंख्या बहुत अधिक है व उसके अनुपात में भूमि बहुत कम है। यह भारत की भू-नीति का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। नेहरू ने जमींदार व जागीरदारों को बिगड़े हुए बच्चे कहा जिन्होंने अपने आप को बौद्धिक दृष्टि से पूर्ण नपुंसक बना लिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है तथा लोगों की जमीन पर अपने को परजीवी बना लिया है। भू-धारण व्यवस्था महान ऐतिहासिक अपराध है। इसका उन्मूलन न केवल स्थिर समाज की पुरानी संस्थागत संरचना को समाप्त करेगा बल्कि उत्पादकता में वृद्धि करेगा।

(ii) पूँजी की कमी व कृषि तकनीक के समुचित प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु कृषि अधिकाधिक रूप में सहकारिता के आधार पर की जानी चाहिए। यह सहकारी कृषि व्यक्ति मिलकर भी कर सकते हैं जिसमें भू-स्वामित्व अलग-अलग बना रहेगा तथा संयुक्त स्वामित्व में भी कर सकते हैं। यहाँ ज्ञातव्य है कि नेहरू ने सामूहिक कृषि केवल बेकार भूमि पर कृषि करने की स्थिति में कही हो अन्यथा उन्होंने भारत के लिए सहकारी कृषि ही उपर्युक्त बताया है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान परिस्थिति में " मैं नहीं समझता कि भारत में सामूहिक कृषि उचित है।" नेहरू ने बिना किसी मध्यवर्ती के छोटी-छोटी जोतों पर आधारित कृषि को प्राथमिकता प्रदान की। नेहरू की यह विचारधारा वस्तुतः व्यक्तिवाद व समाजवाद के मध्य एक समझौता है। राज्य को किसानों की आवश्यकता की स्थिति में ही सहायता करनी चाहिए।

(iii) श्रम शक्ति व मशीन को एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करना है न कि एक दूसरे के प्रतिस्थापक के रूप में। राष्ट्रीय दृष्टि से उत्पादन में श्रम शक्ति के प्रयोग को महत्ता दी जानी चाहिए। नेहरू के अनुसार अन्य देशों में अपनाए गये कृषि विकास के "मॉडल" भारतीय परिस्थितियों में उपर्युक्त नहीं हैं। साधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए हमें कृषि विकास की अपनी व्यूह रचना विकसित करनी होगी। नेहरू के अनुसार श्रम शक्ति तथा मशीन के मध्य मूर्खतापूर्ण तुलना की जाती है। यदि एक मशीन वास्तव में हजार या दस हजार श्रमिकों के बराबर काम कर सकती है तथा ऐसा करने पर दस हजार आदमी बेकार हो जाते हैं या भूखे मरते हैं तो मशीन का प्रयोग सामाजिक लाभ नहीं होगा। यदि भारत की तुलना अन्य छोटे पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र या कम जनसंख्या घनत्व वाले विकसित राष्ट्र जैसे रूस व अमेरिका से की जाती है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान स्थिति में प्रत्येक देश में जो कि विकास करना चाहता है, नियोजन आवश्यक है।

(iv) कृषि पर बढ़ते हुए जनसंख्या दबाव से नेहरू अनभिज्ञ नहीं थे। उन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी के मध्य में केवल 55 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न थी।

ब्रिटिश सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया। उनका मत था कि उचित आर्थिक प्रणाली द्वारा समस्त जनसंख्या को उत्पादक बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। उनके अनुसार भूमि के सदर्थ में प्रमुख बाधा भूमि व जनसंख्या का अनुपात नहीं है बल्कि 'भूमि का प्रबन्ध है।'

(v) नेहरू का विश्वास था कि खाद्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने व किन्नान को उचित प्रतिफल दिलाने के लिए समस्त खाद्य व्यापार को धीरे-धीरे स्वागत करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त अवधारणात्मक पृष्ठ भूमि के अनुसार नेहरू ने अपने प्रधानमन्त्रित्व काल में कुछ प्रभावी कदम भी उठाये हैं। 1951 में भूमि सुधार के अतर्गत समस्त मध्यवर्ती वर्ग को हटा दिया और इस प्रकार किसान व सरकार का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। चकबंदी व सहकारी कृषि के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किया। नेहरू द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जिस शांति और बिना वर्ग संघर्ष के हुआ कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला योगदान है।

दीर्घकालीन कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए नेहरू ने सिंचाई परियोजनाओं, बहु-उद्देशीय योजनाओं, रासायनिक खाद के कारखानों, कीटनाशक दवाओं का उत्पादन, कृषि में यंत्रीकरण आदि पर विशेष बल दिया। उन्होंने भाखड़ा नागल परियोजना का शिलान्यास करते समय इसे आधुनिक युग का मंदिर कहा।

6 मिश्रित अर्थव्यवस्था

नेहरू ने आर्थिक विचार व्यक्त करते हुए भारत में भारत की परिस्थितियों के अनुकूल सिद्धांत अपनाने व अपनाए जाने पर बल दिया है और इस सदर्थ में नेहरू की विचारधारा परस्पर विरोधी ध्रुवों का अनूठा मिलन है। यह मिलन या सम्मिश्रण अपना विशिष्ट रूप लिए हुए है। नेहरू एक ओर लोकतंत्र के पक्षधर थे तो दूसरी ओर समाजवाद के पक्षधर थे। वह व्यक्तिवादी भी थे और समाजवादी भी। इस दैर्घारिक सम्मिश्रण ने उन्हें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का ही पक्षधर बनाया और उन्होंने दोनों के सह-अस्तित्व के आधार पर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रतिपादित किया।

मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व। नेहरू के अनुसार दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर पूरक होने चाहिए न कि प्रतिद्वन्द्वी। ऐसा होने पर राष्ट्र के ससाधनों का अनुकूलतम उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसाकि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है नेहरू ने आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित करने पर बल दिया व दूसरी ओर लघु व कुटीर उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र पर छोड़ने की बात कही। लेकिन उन्होंने निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं की अपितु न्यायोचित सरकारी नियंत्रण का पक्ष लिया।

नेहरू उत्पादन वृद्धि के प्रबल पक्षधर थे और उनका स्पष्ट मत था कि उत्पादन

वृद्धि के लिए यदि राष्ट्रीयकरण आवश्यक हैं तो प्रत्येक कदम पर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाने चाहिए। यदि यह उत्पादन वृद्धि में बाधा है तो राष्ट्रीयकरण का कोई औचित्य नहीं है।

नेहरु जी का मत था कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग कृषि निजी क्षेत्र के अतर्गत ही है। ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लेकिन दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किये जाने चाहिए।

नेहरु जी ने अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को वास्तविक रूप प्रदान किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत 6 अप्रैल, 1948 को राष्ट्रीय सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा में मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि आगामी कुछ वर्षों में राज्य विद्यमान उत्पादन इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर अपने कार्यक्षेत्रों में नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करेगा। इस प्रकार औद्योगिक नीति के अनुसार निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र साथ-साथ कार्य करेंगे। उल्लेखनीय बात यह है कि निजी क्षेत्र को देश की सामान्य औद्योगिक नीति के अधीन कार्य करना होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंधी इन मूल विचारों के अनुसार सरकार ने उद्योगों को मोटे तौर पर चार वर्गों में विभाजित किया :-

(i) प्रथम वर्ग में अस्त्र-शस्त्र और युद्ध सामग्री के निर्माण, परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रबंध पर केन्द्रीय सरकार का पूर्ण एकाधिकार रहेगा।

(ii) दूसरे वर्ग में जिन उद्योगों को शामिल किया गया, वे थे, कोयला, लोहा और इस्पात, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन निर्माण, तार और बेतार यंत्र और खनिज तेल। भविष्य में इन उद्योगों के अतर्गत विद्यमान निजी उद्यम का प्रश्न है, राज्य सरकार, किसी भी औद्योगिक इकाई को अपने स्वामित्वाधीन कर सकेगी।

(iii) तीसरे वर्ग में उन मूलभूत महत्त्व के उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनका आयोजन और नियमन केन्द्रीय सरकार स्वयं करना आवश्यक समझती थी। इस वर्ग में कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों में नमक, मोटर गाड़ियाँ, ट्रेक्टर, बिजली, इंजीनियरी की भारी मशीनरी, मशीनी औजार, भारी रासायनिक सामान, उर्वरक, अलौह धातुएँ, रबर, संचालन शक्ति और औद्योगिक अल्कोहल, सूती और ऊनी कपड़ा, सीमेंट, चीनी, कागज और अखबारी कागज, वायु और नौ-परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से संबंधित उद्योग शामिल किए गए। अन्त में यह संकेत किया गया कि उक्त सूची अतिन नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो और उद्योग भी इस वर्ग में शामिल किये जा सकते हैं।

(iv) चौथे वर्ग में औद्योगिक क्षेत्र के शेष उद्योगों को शामिल किया गया। इन उद्योगों में निजी एवं सहकारी उद्यम स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। 1956 की औद्योगिक नीति में भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित ही था।

7 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

ग्रामीण भारत को पुनर्निर्माण हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू की एक प्रमुख देन है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय नियोजन के अंग के रूप में अपनाया। इसके अंतर्गत सामुदायिक परियोजनाएँ व राष्ट्रीय विस्तार सेवा इसके अंतर्गत समाहित है जो कि मूलतः भारत की ग्रामीण जनसंख्या के समग्र कल्याण के लिए एक प्रयास है। इस कार्यक्रम के मुख्य पहलू के अंतर्गत सभी कार्य कर रही विकास सरथाओं को एकीकृत करना व सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु नियोजित प्रयास करना है। यह सामाजिक परिवर्तन स्वयं की सहायता व सहकारिता के द्वारा ग्रामीण परिवारों में विशेष रूप से उन ग्रामीण परिवारों में जो सदियों से शोषण के शिकार रहे हैं पर लागू होगा।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यद्यपि प्रथम योजना में ही शामिल कर लिया गया था तथापि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट था। प्रशासनिक दृष्टि से खण्ड स्तर (Block Level) पर खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति हुई।

(i) सहकारी कार्यक्रमों का विकास विशेष रूप से सहकारी कृषि का विकास।

(ii) यथायत्न का एक सरथा के रूप में विकास ताकि वे ग्रामीण विकास में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकें।

(iii) कृषि जोतों की चकवदी।

(iv) ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विकास।

(v) ग्राम समुदाय के कमजोर वर्ग विशेष रूप से छोटे किसान भूमिहीन कृषक कृषि श्रमिक व छोटे कारीगरों की सहायता के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।

(vi) महिलाओं व ग्रामीण युवाओं हेतु गहन कार्य।

(vii) आदिवासियों के लिए गहन कार्य।

वस्तुतः नेहरू द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे मूल भावना तो गाँधीजी के ग्राम स्वराज्य की थी लेकिन मार्ग इस सदर्भ में नेहरू के स्वयं का था।

8. भारत में विदेशी पूँजी

प्रत्येक अल्प विकसित राष्ट्र को राष्ट्र के तीव्र विकास में पूँजी की समस्या का सामना करना पड़ता है। देश के अंतर्गत पूँजी का अभाव होता है। यदि हमें तीव्र गति से विकास करना है तो पूँजी की आवश्यकता की परिपूर्ति हेतु विदेशी पूँजी पर निर्भरता वैज्ञानिक तकनीकी तथा उद्योगिक ज्ञान की आवश्यकता की स्थिति में और भी बढ़ जाती है। नेहरू ने विदेशी पूँजी की आवश्यकता की तीव्रता को समझा व विदेशी पूँजी को आमंत्रित किया। इस विदेशी पूँजी के आमंत्रण में नेहरू ने विदेशी विनियोजकों को निम्न तीन आश्वासन दिये —

(i) विदेशी उपक्रमों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा जो कि भारतीय उपक्रमों पर सामान्यतया लागू नहीं होता है।

(ii) विदेशी निवेशकर्ताओं को नकद लाभ की अनुमति प्रदान की गयी तथा विदेशी विनियम को ध्यान में रख कर अपने पूँजी विनियोग के पुनः प्राप्ति का आश्वासन दिया गया।

(iii) सरकार ने अपरिहार्य परिस्थितियों में समान क्षतिपूर्ति की गारंटी भी विदेशी निवेशकर्ताओं को प्रदान की।

नेहरू के आश्वासनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी निवेशकर्ता भारत में पर्याप्त मात्रा में आये। भारत में उनके प्रवेश के पीछे मूल कारण यह था कि भारत में निवेशित पूँजी पर लाभ की दर अधिक थी। उनके स्वयं के देशों में प्रतियोगिता के कारण लाभ की दर कम थी।

नेहरू ने तीव्र औद्योगिक विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त सन्स्थाओं व अन्य स्रोतों से केवल भारत में पूँजी प्राप्त की। उनका यह स्पष्ट मत था कि इस पूँजी आगमन के दुष्परिणाम केवल भारत में स्थापित उपक्रमों में उत्पादन आरम्भ होने तक ही रहेंगे तथा बाद में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन नेहरू जी स्वयं तो सार्वजनिक उपक्रमों में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्रारम्भ होने तक हमारे मध्य नहीं रहे। आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में भी नियोजित विकास हेतु विदेशी पूँजी की आवश्यकता बढ़ती चली गयी और आज हम विदेशी ऋण के जाल में फँस चुके हैं, व विदेशी ऋण भुगतान एक प्रमुख समस्या हो गयी है।

9. नेहरू और गाँधी : तुलनात्मक विवेचन

आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारों के अतर्गत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है गाँधी व नेहरू के आर्थिक विचार। नेहरू के व्यक्तित्व व विचारों पर गाँधीजी के सान्निध्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। गाँधीवाद के अनेक तत्त्वों से मौलिक असहमति रखते हुए भी नेहरू गाँधी के अनन्य अनुयायी थे। गाँधीजी के प्रति नेहरू के मन में श्रद्धा का भाव था तथा उनसे वैचारिक असहमति के पश्चात् भी उनके नेतृत्व में नेहरू की गहरी आस्था थी। सार्वधिक वैचारिक असहमति आर्थिक विचारधारा के सदर्भ में थी।

गाँधीजी के आर्थिक विचार मूलतः जीवन मूल्यों पर आधारित थे जिनमें नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, न्यायिक मूल्य समाहित थे। आर्थिक दर्शन का आधार सत्य और अहिंसा जैसे तत्त्व थे। मानव मात्र के कल्याण की भावना से गाँधीजी परिपूर्ण थे। दूसरी ओर नेहरू की आर्थिक विचारधारा में भारतीय मूल्यों के साथ-साथ पाश्चात्य जगत की आर्थिक व भौतिक प्रगति स्पष्ट परिलक्षित होती है। गाँधी व नेहरू दोनों के आर्थिक विचारों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् दोनों की तुलना करने पर निम्न तथ्य उल्लेखनीय है -

(i) नेहरू ने जीवन-स्तर (Standard of Living) में सुधार पर बल दिया जबकि गाँधीजी ने जीवन के स्तर (Standard of Life) में सुधार पर बल दिया। गाँधीजी के जीवन के स्तर में आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्य समाविष्ट हैं।

(ii) नेहरू जी का मत था कि हमें पूर्व और पश्चिम के मध्य किसी प्रकार का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है जबकि गाँधीजी पाश्चात्य भौतिकवादी प्रगति के प्रबल विरोधी थे।

(iii) नेहरू जी का दृष्टिकोण अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति पर आधारित था और उन्हान उत्पादन व रोजगार दोनों में से उत्पादन को प्राथमिकता प्रदान की जबकि गाँधी जी की दृष्टि में रोजगार की प्राप्ति सर्वोपरि हैं।

(iv) नेहरू श्रम की प्रतिष्ठा उस रूप में स्थापित नहीं कर पाये जिस रूप में गाँधीजी का मतव्य था। नेहरू की विचारधारा में श्रम की तुलना में मशीन को अधिक महत्त्व था यद्यपि श्रम कानूनों के माध्यम से उन्होंने श्रम को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया।

(v) नेहरू जी आधुनिकतम तकनीक व मशीनों के प्रबल समर्थक थे तथा आधुनिक भारत का निर्माण व दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि का आधार इस मशीनीकरण के रूप में ही देखते थे। इस मशीनीकरण के अभाव में वे आर्थिक विकास की कोई कल्पना नहीं करते थे जबकि दूसरी ओर गाँधीजी मशीनीकरण के प्रबल विरोधी थे तथा मशीन को सबसे बड़ा शत्रु समझते थे।

(vi) नेहरू बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना पर आधारित औद्योगिकरण के पक्षधर थे तथा इसी के माध्यम से भारत का आधुनिकीकरण चाहते थे। दूसरी ओर गाँधीजी का स्पष्ट मतव्य था भारत की आर्थिक प्रगति ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के द्वारा ही सम्भव है।

(vii) गाँधीजी समता पर आधारित समाज की कल्पना करते थे। सत्य और अहिंसा उनके विचारों का मूल था। धन की असमानता को समाप्त करने के लिए उन्होंने एतद्ध 'ट्रस्टीशिप' का विचार प्रस्तुत किया जबकि नेहरू ने उनके ट्रस्टीशिप की कटु आलोचना की। उन्हीं के शब्दों में 'यदि ट्रस्टीशिप के विचारों में कुछ है तो हम ब्रिटिश सरकार से इस दावे का बयों विरोध करते हैं कि ब्रिटेन भारत का ट्रस्टी है।'

(viii) गाँधी जी ने उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण को उचित नहीं माना किन्तु नेहरू की विचारधारा समाजवाद से प्रभावित थी और वे उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में थे और धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे।

(ix) गाँधीजी प्रत्येक दृष्टि से भारत को आत्म निर्भर बनाना चाहते थे लेकिन नेहरू जी का विचार था कि विश्व में कोई भी राष्ट्र अपने आपको आत्म निर्भर बनाने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वर्तमान युग परस्पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का युग है।

(x) गाँधी जी ने ग्राम को एक पूर्ण आत्म निर्भर इकाई बनाकर ग्राम स्वराज्य का मत व्यक्त किया। नेहरु जी आत्म निर्भरता को इस ग्राम स्वराज्य के रूप में प्राप्त करने के लो विरोधी थे परन्तु उन्होंने ग्राम स्वराज्य की मूल भावना को दृष्टिगत रखकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

(xi) नेहरु जी समाजवादी पद्धति पर आधारित समाज की रचना के पक्षधर थे तो दूसरी ओर गांधी जी सर्वोदय पर आधारित समाज रचना पर जोर दे रहे थे।

10. नेहरु : एक मूल्यांकन

नेहरु एक युग दृष्टा थे। भारत के स्वाधीन होने से पूर्व ही वे आधुनिक भारत की कल्पना कर चुके थे और एतदर्थ प्रधानमंत्री के रूप में यथा संभव योगदान भी किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त भारत ही नव स्वतंत्र राष्ट्रों में एक ऐसा राष्ट्र है जो नेहरु के प्रधानमंत्रित्व में शीघ्र ही विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान बना पाया। नेहरु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महान व्यक्ति थे।

नेहरु के आर्थिक विचारों पर दो महान आर्थिक विचारकों का स्पष्ट प्रभाव है। गांधीजी के साथ नेहरु निकटस्थ रूप में जुड़े रहे अतः गाँधीजी के चिन्तन की उन पर अमिट छाप है यद्यपि नेहरु के विकास का मार्ग गाँधीजी के मार्ग से भिन्न है। कार्ल मार्क्स के साम्यवादी व प्रगतिशील विचारों से नेहरु अभिभूत थे और उन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपनाये का प्रयास भी किया। गाँधी व मार्क्स के सयुक्त प्रभाव के कारण नेहरु के विचारों को गांधीवादी मार्क्सवाद के रूप में समझा जाता है।

नेहरु के आर्थिक चिन्तन में पूर्व और पश्चिम, पुरातन और नवीन, अध्यात्मिक और भौतिक, व्यक्तिवादी और समाजवादी, पूँजीवादी और साम्यवादी तत्त्वों के सहज समावेश ने उनके चिन्तन को एक विलक्षण स्तर प्रदान किया।

नेहरु के आर्थिक चिन्तन का विलक्षण स्वरूप नेहरु की भारत के आधुनिकीकरण हेतु अपनायी गयी नीति के अंतर्गत स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर पूरकता की कल्पना की है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को परस्पर पूरक मानकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत विकसित किया है। बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग तथा लघु व कुटीर उद्योगों में परस्पर आश्रितता की अभिकल्पना कर औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि व उद्योग दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है यह तथ्य स्थापित कर राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास की कल्पना की है। राष्ट्र के समग्र विकास पर बल देते हुए तीव्र औद्योगिकरण के मार्ग द्वारा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि उनका मुख्य ध्येय है। नेहरु समस्त विश्व में भारत की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे।

इस प्रकार नेहरु को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा।

सदर्म

- 1 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार—जवाहर लाल नेहरू के भाषण पृष्ठ 108
- 2 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार—जवाहर लाल नेहरू के भाषण पृष्ठ 108
- 3 जवाहर लाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पृष्ठ 406
- 4 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार—जवाहर लाल नेहरू के भाषण पृष्ठ 105
- 5 प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार—जवाहर लाल नेहरू के भाषण पृष्ठ 149
- 6 भारत सरकार प्रॉब्लम्स इन दी थर्डप्लान पृष्ठ 35
- 7 आर पी दुबे जवाहर लाल नेहरू—पृष्ठ 176 (ए स्टडी इन आइडियोलोजी एण्ड सोसियल चेंज)
- 8 आर पी दुबे—जवाहर लाल नेहरू पृष्ठ 192 (ए स्टडी इन आइडियोलोजी एण्ड सोसियल चेंज)
- 9 जवाहर लाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी पृष्ठ 553

प्रश्न

- 1 नेहरूजी के अनुसार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए ?
- 2 नेहरूजी ने आर्थिक नियोजन का उद्देश्य किसे माना है ? बताइये।
- 3 नेहरूजी के कृषि विकास सम्बन्धी विचारों को स्पष्ट कीजिए।
- 4 जवाहर लाल नेहरू के प्रमुख आर्थिक विचारों को संक्षेप में लिखिए।
- 5 नेहरू तीव्र औद्योगिकरण के साथ—साथ कृषि को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? यदि हाँ तो कारण बताइये।
- 6 नेहरू को गॉंधी का अनुयायी तो माना जा सकता है परन्तु गॉंधीवादी आर्थिक विचारों का नहीं स्पष्ट कीजिए।
- 7 औद्योगिकरण के बिना भारत का आर्थिक विकास संभव नहीं है। नेहरू के इस कथन को स्पष्ट करते हुए उनकी आर्थिक विकास की इस नीति की भारतीय सदर्म में आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- 8 मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा सामुदायिक विकास पर नेहरू के विचारों पर टिप्पणी लिखिए।
- 9 नेहरू भारत में आर्थिक नियोजन के जनक हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए नेहरू के आर्थिक नियोजन सम्बन्धी विचारों की विवेचना कीजिए।



राम मनोहर लोहिया (Ram Manohar Lohia : 1910-1967)

राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च, 1910 को अयोध्या के निकट अकबरपुर गाँव में हुआ। उनके पिता श्री हीरालाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। लोहिया मात्र 2 वर्ष 6 माह के ही हुए थे कि उनकी माता का देहान्त हो गया। माँ के अभाव में दादी ने पालन-पोषण का भार संभाला। लोहिया की प्रारम्भिक शिक्षा घर के निकट स्थित टडन पाठशाला में हुई।

लोहिया को 5 वी कक्षा में विश्वेश्वर नामक हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। लेकिन उनके पिता इस अतराल में बम्बई आ गये और लोहिया ने बम्बई के मारवाडी विद्यालय से 1925 में मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1927 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1929 में कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा हेतु लोहिया ने भारत से लदन के लिए प्रस्थान किया। लदन में मात्र एक सप्ताह रुके और बर्लिन पहुँच गये। बर्लिन विश्वविद्यालय में लोहिया ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो बर्नर जेम्बार्ट को अपना शिक्षक चुना। विश्वविद्यालय के नियमानुसार साक्षात्कार हेतु लोहिया प्रो जेम्बार्ट के समक्ष उपस्थित हुए। उनके कुछ प्रश्नों का लोहिया ने जर्मन भाषा की अनभिज्ञता के कारण अंग्रेजी में उत्तर दिया। प्रो जेम्बार्ट ने मुस्कराकर कहा "मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं।" यह सुनकर लोहिया बहुत दुःखी हुए और कहा कि मैं आपसे तीन माह बाद मिलूँगा। तीन माह तक जर्मन भाषा का गहन अभ्यास कर प्रो जेम्बार्ट के पास पहुँचे। प्रो जेम्बार्ट उनकी निष्ठा से अत्यन्त प्रसन्न हुए व लोहिया को अध्ययन की अनुमति सहर्ष प्रदान की। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोधप्रबंध पूरा किया व बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट (पी एच डी) की उपाधि प्राप्त की।

राम मनोहर लोहिया मात्र 14 वर्ष की आयु में एक प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के "गया" में आयोजित अधिवेशन (1924) में सम्मिलित हुए। यह एक अनहोनी घटना थी। उस समय लोहिया हाई स्कूल में ही पढ़ते थे।

1927 में कलकत्ता में अखिल-बंग विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु सुभाष चन्द्र बोस आमंत्रित थे किन्तु वे न आ सके। उनकी अनुपस्थिति

मे राम मनोहर लोहिया को ही सर्व सम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। लोहिया ही पहले गैर बंगाली युवक थे जिन्होंने बंगाल की सक्रिय राजनीति में इस अल्पायु में ही विशिष्ट स्थान बना लिया था।

1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् लोहिया 1933 में भारत लौटे। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र-प्रवक्ता हेतु मालवीय जी से सपर्क किया लेकिन अन्य किसी की नियुक्ति पूर्व में ही हो जाने के कारण, यह सम्भव न हो सका। लोहिया ने 1934 में आजीवन राष्ट्र सेवा का निर्णय ले लिया। इसी वर्ष वह कांग्रेस के अतर्गत गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ गये व मुख पत्र 'दी कांग्रेस सोशलिस्ट (The Congress Socialist)' का उन्होंने संपादन भी प्रारम्भ कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये। 1946 में ही वे जेल से रिहा हो सके। फरवरी 1947 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस से अलग कर दिया। लोहिया का अन्य समाजवादियों के साथ नेहरू को समर्थन को लेकर विवाद बना रहा अतः 1964 में उन्होंने सम्युक्त समाजवादी दल की स्थापना की जिससे वे मृत्यु पर्यन्त जुड़े रहे।

लोहिया विचारों की दृष्टि से मार्क्स की तुलना में गाँधी के अधिक नजदीक थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त उन्होंने नेहरू की नीतियों व कांग्रेस की प्रखर आलोचना की है।

लोहिया का नेहरू जी से प्रथम सपर्क 1928 के कलकत्ता में आयोजित युवक सम्मेलन में हुआ। दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1935 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में नेहरू जी ने लोहिया को पर-राष्ट्र विभाग का दायित्व सौंपा। 1946 में कांग्रेस अधिवेशन में लोहिया ने नेहरू जी के समक्ष कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का प्रस्ताव रखा जिसे नेहरू ने अस्वीकार कर दिया। लोहिया ने स्वतंत्र भारत में नेहरू द्वारा अपनायी गयी आधुनिकीकरण नीति की प्रबल आलोचना की।

लोहिया के विचार उनके द्वारा लिखित निम्न प्रमुख पुस्तकों में व्याप्त हैं—

- (i) आसपेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिमी
- (ii) व्हील्स ऑफ हिस्ट्री
- (iii) मार्क्स गाँधी एण्ड सोसलिज्म
- (iv) इंडिया चायना एण्ड नर्दन फण्टीयर्स
- (v) दी कास्ट सिस्टम

लोहिया एक समाजवादी विचारक

लोहिया ने समाजवाद को समानता एवं सपन्नता का प्रतीक बताया। समाजवाद

के अर्थात् जो प्रमुख तत्व उभरकर सामने आये थे जैसे सम-सामयिक राजनीतिक एव सामाजिक व्यवस्था से इंकार होना, वर्तमान अव्यवस्था को वर्तमान राजनीति एव सामाजिक द्रष्ट सस्थाओं की देन मानना, नैतिक एवं मानवीय गुणों पर आधारित नवीन व्यवस्था की शुरुआत करना, नवीन जीवन मूल्यों के लिए क्रांतिकारी मार्ग अपनाना आदि को लोहिया ने आत्मसात् किया और उसे अधिक सशक्त व प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया। लोहिया का समाजवाद शोषण मुक्त समाज की ऐसी संकल्पना है जिसमें दासता, अमानवीयता, असहिष्णुता, चरित्र हीनता, भेदात्मकता आदि अमांगलिक दोषों से मानव जीवन को बचाया जा सकता है, इसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए राज्य या समाज को अधिक महत्व देने की योजना है। साथ ही व्यक्तिगत जोखिम एवं प्रतिस्पर्धा का अंत करना भी इसके मूल में है। इसमें उन्नति के समान अवसरों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया गया है। लोहिया ने इसे मानवतावाद का पोषक और विश्व की स्वतंत्रता के लिए सशक्त विचार बताया है। लोहिया ने भारत में समाजवाद का प्रारंभ गाँधी जी के विचार व कार्यों से माना है तथा उसी परिप्रेक्ष्य में स्वयं के विचार प्रस्तुत किये हैं। उन्हीं के शब्दों में "भारत में समाजवाद या समाजवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इस बात को लेकर विवाद हो सकता है, विवाद इस बात को लेकर भी हो सकता है कि समाजवाद का अर्थ क्या है? एक मेरा जैसा व्यक्ति गाँधी जी के विचार व कार्यों को भारत में समाजवाद का प्रारंभ मानता है क्योंकि समाजवाद को एक विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन मानना गलत होगा। यदि हम हमारा ध्यान गरीबी व असमानता दूर करने के लिए संपत्ति के राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित करें, जैसा कि समाजवाद में सुझाया गया है, और अन्य पक्षों की उपेक्षा करें तो इसका आशय होगा गाँधीजी के विचारों को समाजवाद की परिधि से बाहर करना होगा। लेकिन यदि हम केवल चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत सुधार और दरिद्र नारायण की अवधारणा को ही सब कुछ मानें और "दया" का मार्ग स्वीकार करें तो भी उचित नहीं होगा क्योंकि घनी इस बात को दयनीय रूप में ही लेंगे वे न तो स्वयं को निर्धन मानेंगे और न ही निर्धनों के साथ समायोजित हो पाएंगे। मेरे विचार में समाजवाद इससे (गाँधीजी के विचारों से) अधिक कुछ और भी है। आप इसे धर्म या आध्यात्मवाद कह सकते हैं। यदि हम किसी एक पक्ष को ही समाजवाद मानें तो अनुचित होगा।"

लोहिया ने जीवन पथ के ध्रुवों के मध्य अपने समाजवाद को समाहित किया है और "गरीब आदमी के शोटी में भगवान" को भारत में सच्चा समाजवाद बताया है। उन्होंने बताया कि "आध्यात्मवाद और भौतिकवाद, व्यक्तिगत सुधार और सामाजिक सुधार, आदर्श और संपत्ति का राष्ट्रीयकरण वर्तमान समय में दो अतिम छोर हैं और इन दोनों के मध्य किसी न किसी प्रकार सवाद या समायोजन स्थापित करना है जिससे ये दोनों मानव हृदय की प्रभावी सहज प्रवृत्ति विश्व को परिवर्तित कर सके। प्रयास पहले भी हुए लेकिन

परिणाम भयानक रहे। चाहे भौतिक वाद हो या पूँजीवाद दोनों ही परस्पर एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं।”

डॉ राम मनोहर लोहिया ने नेहरू के समाजवाद की कटु आलोचना की। नेहरू के समाजवाद के प्रति लोहिया ने कहा कि “मैं उस समाजवाद की बात कर रहा हूँ जिसे आज अधिकांश जनता समाजवाद कहती है और वर्तमान में प्रभावी है। यह नेहरू का समाजवाद है जो आज दिखायी दे रहा है। इसका जन्म 1927-28 में हुआ था। जब जनता नेहरू को भारत में समाजवाद का जनक कहती है तब 1928 की बात करती है। नेहरू ने उस समय जो बात कही वह वस्तुतः स्वाधीनता प्राप्ति हेतु प्रभावी आंदोलन चलाने के लिए एक प्रकार का वामपंथी राष्ट्रवाद था। आर्थिक पक्ष की दृष्टि से भारतीय समाजवाद में औद्योगिकरण व्यावसायिक सहकारिता राष्ट्रीयकरण आर्थिक नियोजन आदि नीतियाँ समाहित थीं। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका प्रारंभ वामपंथी राष्ट्रवाद के रूप में हुआ जो कि आज भी जारी है। सामाजिक सुधार या धन के सामाजिकरण के माध्यम से गरीबी व असमानता दूर करना इसके प्रेरणा स्रोत नहीं हैं।”

राम मनोहर लोहिया का दृढ़ विश्वास था कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी राष्ट्रों से भिन्न है। अतः कार्ल मार्क्स की यह विचारधारा कि “राष्ट्रीयकरण सभी समस्याओं का हल है”, भारत में लागू नहीं हो सकती। यद्यपि नेहरू ने भारत में समाजवाद राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही थोपा है। लोहिया के अनुसार भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत में भाषा जाति धर्म क्षेत्र या प्रान्त प्रभावी कारक है। ये संवेदनशील मूल प्रवृत्तियाँ हैं और जब तक इन बाधाओं का निराकरण नहीं किया जायगा अर्थिक समानता की कल्पना भी संभव नहीं है।

कोई समाजशास्त्री जो यह कहता है कि इस दिल या दिमाग की इन सहज प्रवृत्तियों में परिवर्तन के बिना रोटी की समस्या दूर कर सकता है तो निश्चय ही यह मूर्ख है और कुछ नहीं जानता। वह जो यह कहता है कि औद्योगिकरण के माध्यम से कारखानों की संख्या गुणक रूप में बढ़ाकर अन्य समस्याएँ जैसे जाति भाषा धर्म आदि स्वतः ही हल हो जाएँगी वस्तुतः दुनियाँ आदमी या भारत को वह समझता ही नहीं है।”

इस प्रकार लोहिया के समाजवाद में जीवन के सभी पहलू समाहित हैं। उनके अनुसार एक ओर सामूहिक सपदा में वृद्धि करनी होगी व दूसरी ओर निजी सपदा से जनता का लगाव दूर करना होगा। ये दोनों कार्य मिलकर ही भारत में नया समाजवाद स्थापित कर सकते हैं।

भारत में राष्ट्रीय आय का असमान वितरण

डॉ राम मनोहर लोहिया की अवधारणा है कि समस्त सप्ताह में राष्ट्रीय आय का असमान वितरण देखने को मिलता है। सारे सप्ताह में छोटे और बड़े आदमी के बीच अंतर

है, लेकिन भारत में यह अंतर भारक है। गोरे देशों में चाहे पूँजीवादी अथवा साम्यवादी हो—लोगों की आय में दो, पाँच, सात गुने का अंतर होता है। यह अंतर भारत में 50, 100 और 300 गुने का साधारण तौर पर होता है। इसका परिणाम है कि एक तरफ भोजन और कपड़ा नहीं है और दूसरी तरफ आधुनिकता और शौकीनी का सदा बढ़ता परिहास है। यह अंतर तब और मुखर होता है जब उसके साथ जातीय, धार्मिक व राजनीतिक शक्तियाँ और आ मिलती हैं। लोहिया ने ससद में इस असमानता व गरीबी के आकड़े अति प्रभावी रूप से प्रस्तुत किये तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के समको पर गहरा प्रहार था।

लोहिया ने सरकार द्वारा प्रस्तुत समकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भारत की 27 करोड़ जनता मात्र 3 आने प्रतिदिन पर जीवन निर्वाह कर रही है। इस निष्कर्ष को उन्होंने विभिन्न आधारों पर गणना करके देश के समक्ष प्रस्तुत किया। ये निष्कर्ष इस तथ्य पर आधारित थे कि देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या के पास राष्ट्रीय आय का 50-60 प्रतिशत भाग निहित है। यह तथ्य भी सरकारी समकों से स्पष्ट है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 22 अगस्त 1960 को ससद में वक्तव्य दिया कि राष्ट्रीय आय में 42 प्रतिशत व प्रति व्यक्ति आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब लोहिया ने यह प्रश्न किया कि यह वृद्धि कहाँ चली गयी है? तब सरकार ने 14 अक्टूबर 1960 को राष्ट्रीय आय वितरण समिति गठित की। लेकिन इस समिति की कार्य प्रणाली को देखकर लोहिया को उसी प्रकार का एक प्रश्न फिर करना पड़ा कि यह समिति कहाँ चली गयी? ससद के माध्यम से लोहिया ने समस्त देश का ध्यान आकृष्ट किया व आर्थिक असमानता व गरीबी के सदर्भ में ससमक निम्न वक्तव्य दिया "हिन्दुस्तान में एक एकड़ से कम भूमि पर खेती करने वाले 34 प्रतिशत परिवार हैं व 14 प्रतिशत जमीन एक प्रतिशत परिवार के पास चली जाती है। इस आकड़े से कुछ खतरनाक नतीजा निकलता है। मैंने तो 27 करोड़ के लिए तीन आने वाली बात कही थी। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि 10-15 करोड़ हिन्दुस्तानी सिर्फ दो आने की आय पर रहते हैं।"

डॉ. लोहिया ने तीन आने से कम के समकों को प्रामाणिक समकों के आधार पर सिद्ध करते हुए आगे कहा कि "ये खुद सरकार के ही आकड़े हैं, इन सरकारी अक शास्त्रियों में कुछ होड़ भी चला करती है। एक सस्था यहाँ दिल्ली में ही काम करती है जिसको कहते हैं व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद (National Council of Applied Economic Research-NCAER)। उसने 29 जिलों के नाम दिये हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 100 रु के नीचे बैठती है। उदाहरण के लिए यह औसत दरभंगा में 96 रु प्रति व्यक्ति, छपरा में 96 रु प्रति व्यक्ति, देवरिया में 98 रु प्रति व्यक्ति तथा टेहरी गढ़वाल में 84 रु प्रति व्यक्ति आय वार्षिक है। अगर मेरी पिछली

विधि के अनुसार उच्च जनता की 50 प्रतिशत आय को अलग कर दिया जाय तो यह औसत शेष 10 प्रतिशत जनता के लिए 3 आने प्रतिदिन से भी कम बैठती है।*

डॉ. लोहिया ने आर्थिक विषमता को दूर करना परम आवश्यक बताया। यहाँ उन बुनियादी विधियों व बिन्दुओं पर सक्षिप्त चर्चा की जा रही है जो लोहिया के मौलिक एव प्रभावी चिन्तन से सामने आएँ हैं -

(अ) आय का अधिकतम तथा न्यूनतम अंतर कम से कम हो। एक और करोड़पति व दूसरी ओर अर्द्ध नग्न व भूखा इंसान ये दो भयानक असमानताएँ समाज की धुरी को हिला देती है। दोनों को प्रकृति ने एक-सा बनाया है। एक जगह जन्म दिया है फिर भी दोनों में इतना अंतर है जो हमारी सामाजिक सचेतना को खोखला कर रहा है।

(ब) कर्मचारियों के वेतन में भी अंतर है। एक समान कार्य हेतु केन्द्रीय कर्मचारी व राज्य कर्मचारी के वेतन में अंतर है। स्थायी व अस्थायी कर्मचारी के वेतन में अंतर है। निजी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी के वेतन में अंतर व्याप्त है।

(स) लोहिया के अनुसार सरकार अधिकारियों को सुविधा के नाम पर जो व्यय कर रही है वह वस्तुतः गरीबों के साथ अन्याय व धोखा है तथा उससे विषमता में वृद्धि हो रही है। इस अनावश्यक शाही खर्च में तुरत कमी की जानी चाहिए।

(द) देश की कुल आमदनी का 67 प्रतिशत व्यय उन लोगों पर हो रहा है जो कि विशेषाधिकार प्राप्त हैं बड़े हैं साहूकार हैं और शेष 33 प्रतिशत आम जनता पर। वस्तुतः यह अंतर सिद्ध करता है कि सरकार स्वयं भेदभाव की इस खाई को पाटना नहीं चाहती। आवश्यकता इस बात की है कि देश की आय आम जनता के हित में व्यय की जानी चाहिए।

(य) लोहिया के अनुसार न्यूनतम व अधिकतम वेतन के मध्य अनुपात 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(र) लोहिया औसत आय की वृद्धि के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि किसी देश की औसत आय में वृद्धि उस देश की सपन्नता की सूचक है। वे मानते थे कि आय बढ़ेगी तो उत्पादन में स्वतः वृद्धि होगी। इससे आर्थिक पिछड़ापन भी दूर होगा और लोगों का जीवन-स्तर भी सुधरेगा।

राष्ट्रीयकरण सबधी विचार

डॉ. लोहिया उद्योगों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि निजी व सार्वजनिक दोनों के सह-अस्तित्व की स्थिति में दोनों एक दूसरे से परस्पर दुराइयों ग्रहण करते हैं। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कुप्रबंध (Mismanagement) की बुराई ग्रहण करता है तो निजी क्षेत्र शोषण की बुराई सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान करता है हमारे देश में दोनों के सह-अस्तित्व का जो प्रयोग किया गया है वह निष्फल रहा है।

डॉ लोहिया ने धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण करने की नीति का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण एक साथ ही किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र शोषण की जड़ है इसे एक साथ समाप्त करना होगा। औद्योगिक क्षेत्र के अतर्गत निजी क्षेत्र घरेलू पारिवारिक उद्योग तक ही सीमित होना चाहिए। जहाँ एक ही परिवार के व्यक्ति श्रम करके एक छोटी-सी औद्योगिक इकाई को संचालित करते हैं उसे ही राष्ट्रीयकरण से मुक्त रखना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त तीव्र औद्योगिक विकास संभव हो सकेगा। एक औद्योगिक इकाई के माध्यम से दूसरी औद्योगिक इकाई प्रारम्भ हो सकेगी तथा देशों में कारखानों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। कारखानों से प्राप्त अतिरिक्त को कृषि विकास में विनियोजित कर कृषि का विकास भी तेजी से संभव हो सकेगा।

विकेन्द्रीकरण संबंधी विचार

डॉ लोहिया ने विकेन्द्रीकरण को राष्ट्र के समग्र विकास हेतु एक अनिवार्यता बताया। विकेन्द्रीकरण हेतु उन्होंने चौखम्भा राज्य (For Pillar State) की योजना प्रस्तुत की। भारत में विद्यमान सघात्मक व्यवस्था (Federal System) को वे अपूर्ण व्यवस्था मानते थे। उनके अनुसार सर्वोच्च शक्ति केन्द्र व राज्य में ही निहित न होकर अन्य छोटी इकाइयों में विकेंद्रित होनी चाहिए। देश को एक सूत्र में बांधे रखने व देश के समग्र विकास को गति प्रदान करने के लिए लोहिया की चौखम्भा योजना के 4 खम्भे हैं।

(अ) केन्द्र (Centre)

(ब) राज्य (Province or State)

(स) मंडल (Mandal or District)

(द) गाँव (Village)

इस चौखम्भा योजना के अतर्गत सशस्त्र सेना केन्द्र के, सशस्त्र पुलिस राज्य के तथा पुलिस मण्डल व ग्रामों के अधीन रहेगी। देश के बड़े उद्योग मंडल व ग्रामों के अधीन रहेंगे। मूल्यों पर नियंत्रण केन्द्र रखेगा। मंडल तथा ग्राम कृषि, पूँजी तथा श्रम का अनुपात निर्धारित करेगा। सहकारिता, कृषि सुधार, सिंचाई, भू-राजस्व की वसूली राज्य नियंत्रित होगी। कर के रूप में जो धन केन्द्र के पास एकत्रित होगा, उसके चार भाग आनुपातिक तरीके से वितरित कर दिए जायेंगे अतः यहाँ भी समानता की स्थिति देश के विकास में सहयोग करेगी।

डॉ लोहिया प्रशासन में भी विकेन्द्रीकरण के हामी थे अतः उनका कहना था कि जिलाधीश का पद समाप्त कर देना चाहिए। उसके समस्त अधिकार मंडल अधिकारियों को सौंप दिये जायें। डॉ. लोहिया विधायी शक्ति के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। लोहिया के अनुसार राज्यों ने राज्यपाल के पद की कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन होना आवश्यक है ताकि जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय मिल सके। लोहिया

यह भी चाहते थे कि वर्तमान कानूनो में परिवर्तन कर या उनमें सशोधन कर उन्हें लोकतंत्र के अनुकूल बनाया जाए। प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए दो-तीन राज्यों के मध्य एक न्यायालय पर्याप्त है। साथ ही एक ही लोक सेवा आयोग से काम चलाया जा सकता है। इससे समानता रहेगी व न्याय भी प्राप्त हो सकेगा।

डॉ लोहिया की धारणा थी कि किसी भी देश का विकास उसकी नागरिक क्षमता व चेतना पर निर्भर करता है। नागरिक क्षमता विकेंद्रित शासन के बिना संभव नहीं है। अतः व्यवस्थापिका व कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके ही राष्ट्र निर्माण में सामान्य नागरिक को सहयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार चौखाम्मा योजना के द्वारा समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय का शासन स्थापित किया जा सकता है। परस्पर सहयोग पर आधारित यही डॉ लोहिया की कल्पना का समाजवाद है।

मशीनों का उपयोग

डॉ लोहिया मशीनों के उपयोग के सदर्भ में मध्यम मार्गी थे। उन्होंने जहाँ एक ओर भारी मशीनों की सहायता से तीव्र औद्योगिकरण की नेहरू की अवधारणा का प्रबल विरोध किया वहीं दूसरी ओर गाँधी जी के प्रबल समर्थक होने के बावजूद 'चरखे' का भी विरोध किया। डॉ लोहिया भारतीय सदर्भ में विद्युत चालित छोटी-छोटी मशीनों के पक्षधर थे। विद्युत चालित छोटी मशीनों की कल्पना भी लोहिया की दूर दृष्टि थी। इस कल्पना का विवरण उन्होंने इस प्रकार दिया।

"हर व्यक्ति के पीछे पश्चिमी यूरोप में 3000 रु और अमेरिका में 8000 रु की लागत पूँजी उद्योगों में लगाई जाती है और भारत में केवल 150 रु। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर चलने वाले कल-कारखानों का चलाना इस देश में लागत पूँजी के अभाव में नामुमकिन है। अतः छोटी मशीनों पर चलने वाले उद्योगों से ही देश का उत्पादन बढ़ सकता है। देश के गाँवों और शहरों में कच्चे माल की विपुलता है। पर आज इसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। केवल छोटी मशीनों की मार्फत ही उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। मैं उस जमाने का चित्र आँखों के सामने देख रहा हूँ जबकि देश के सभी गाँवों में और शहरों में विद्युत चालित छोटी मशीनों का एक बड़ा जाल बुनकर लोगों को काम दिया गया है और देश की संपत्ति बढ़ रही है।"

डॉ लोहिया चाहते थे कि शक्ति चालित छोटी मशीनों का हमारे देश के वैज्ञानिक आविष्कार करे तथा देश को अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सहयोगी बने। डॉ लोहिया परिघम के वैज्ञानिक विकास से निश्चित रूप से प्रभावित थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के नवीन आविष्कारों से राष्ट्रीय विकास को गति मिलेगी। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि छात्रों को विदेशों में भेजना चाहिए लेकिन राज्य का उन पर पूरा नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि देश का धन नष्ट न हो। अगर संभव हो तो विदेशी वैज्ञानिकों को शिक्षा देने के लिए देश में आमंत्रित किया जा सकता है।

कृषि विकास व खाद्यान्न आपूर्ति

डॉ लोहिया के समय देश में खाद्यान्न समस्या अति विकट थी। लोहिया का दर्शन सभ्यता व आत्म निर्भरता का था। लोहिया का स्पष्ट मत था कि खाद्यान्न समस्या का एकमात्र हल कृषि विकास के माध्यम से उत्पादन वृद्धि ही है। लोहिया का मत था कि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के माध्यम से देश न केवल आत्म निर्भर हो सकेगा अपितु देश में सपन्नता का मार्ग भी खुल जाएगा।

डॉ लोहिया का कृषि विकास के सदर्भ में सुझाव था कि अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जाय। कृषि में नवीन वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित किया जाय तथा आधुनिकतम तकनीक से लाभ उठाया जाय। कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाय। ट्रैक्टर तथा अन्य कृषिगत सामान हेतु किसानों को साख सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रयत्न हो और उससे एक सामान्य दृष्टि पैदा हो, जिसका काम कृषकों को सरकारी तंत्र की सुविधाओं से जोड़ना हो।

डॉ लोहिया ने भारत में कृषि विकास के सदर्भ में भू-अन्न सेना की योजना प्रस्तुत की। भू-सेना बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाएगी और वहाँ खेती करेगी या कराएगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् हालैण्ड ने भी ऐसा ही किया था। हालैण्ड को इस प्रयोग में आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई थी। भारत में तो भू-सेना तैयार करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। इससे दोहरा लाभ होगा, एक ओर तो बेकारी दूर होगी व दूसरी ओर खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ेगा। इस योजना का लागत लाभ विश्लेषण भी लोहिया ने सरकार को प्रस्तुत किया था।

डॉ लोहिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री प. नेहरू की कृषि नीति की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उनके अनुसार प्रशासन पर सरकारी तंत्र बुरी तरह हावी होता जा रहा है। फलतः सरकारी लाभ की योजनाएँ सामान्य किसानों को लाभान्वित नहीं कर पा रही हैं। वे पूर्ववत् ही लाभ से वंचित हैं। अतः सरकारी तंत्र को सीमित कर लाभ की योजनाओं में प्रत्येक को सम्मिलित किया जाय। लोहिया ने कृषि मूल्यों पर सरकारी नियंत्रण का भी सुझाव दिया था।

भारत में भूमि सुधार

डॉ लोहिया प्रकृति से ही शोषण के विरुद्ध थे अतः उन्होंने जमींदारी प्रथा का प्रबल विरोध किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही। डॉ लोहिया ने भूमि के समान वितरण पर बल दिया। एतदर्थ भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु कानून बनाये जाए व प्रभावी तरीके से लागू किये जाए। देश में सहकारी कृषि को प्रोत्साहित किया जाय।

डॉ लोहिया ने भू-राजस्व के सदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा है कि छोटे किसानों

से किसी भी प्रकार का लगान वसूल न किया जाय। जिस किसी भी किसान के पास 625 एकड़ से कम कृषि भूमि है वह लगान से पूर्णरूपेण मुक्त किया जाय।

विश्व सरकार की सकल्पना

लोहिया "विश्व सरकार" की स्थापना के प्रमुख समर्थक थे। विश्व सरकार की उनकी कल्पना बहुत पुरानी थी। वे अपनी विकेन्द्रीकरण की चौखम्भा योजना में एक और खम्भा "विश्व" का स्थापित कर "विश्व सरकार" की सकल्पना करते रहे। सितम्बर 1949 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व सरकार के प्रमुख समर्थकों का एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉ राम मनोहर लोहिया ने किया। इस सम्मेलन में विश्व भर के राजनीतिज्ञ व विचारक एकत्र हुए। डॉ लोहिया की विश्व सरकार की सकल्पना को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। डॉ लोहिया ने कहा—

"सारे यूरोप में जो सैनिक तैयारी चल रही है उसे देखकर मुझे अचरज होता है। यदि विश्व की सकल्प शक्ति दृढ़ निश्चय न करेगी तो विस्फोट होगा ही। आज शक्तिशाली गुटों से अलग रहकर जो राष्ट्र निष्पक्ष रहने का प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए मेरे मन में प्रेम और हमदर्दी है। केन्द्रीकरण को दूर करना एक महत्त्वपूर्ण सवाल है। विश्व सरकार से ही यह सवाल हल होगा। सारी दुनिया में एक पाँच खम्भों पर आधारित व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। स्थानीय कारोबार में ग्राम व नगर को आजादी हो। अपने इलाके की व्यवस्था में जिले को अधिकार हो। प्रांतीय क्षेत्र की व्यवस्था प्रांत की हाथ में रहे। कुछ मुख्य प्रश्न केन्द्र की सरकार को सौंप दिये जायें और विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा विश्व के पुनर्निर्माण के सीमित कार्य करे। इन पाँचों खम्भों पर विश्व सरकार को आधारित होना चाहिए। ऐसी विश्व सरकार ही हथियार बंदी करके युद्ध को रोक सकेगी और शांति स्थापित कर सकेगी।"

लोहिया एक मूल्यांकन

डॉ लोहिया एक मौलिक समाजवादी विचारक व प्रमुख अर्थशास्त्री थे। लोहिया के विचारों पर गाँधीजी का स्पष्ट प्रभाव था। गाँधीजी की सत्य व अहिंसा लोहिया के क्रांतिकारी विचारों में समाहित हैं। लोहिया की विकेन्द्रीकरण योजना का आधार गाँधीजी के विचार ही हैं जिन्हें उन्होंने अधिक वैज्ञानिक व व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया।

डॉ लोहिया कार्ल मार्क्स की वर्ग विहीन समाज की अभिकल्पना से अभिभूत अवश्य थे परन्तु उन्होंने भारत में मार्क्सवाद की स्थापना को अनुचित बताया। उन्होंने रूस व चीन दोनों के साम्यवाद को भारत में न अपनाएँ जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रूस का साम्यवाद लेनिन-स्टालिन का व्यक्तिवाद है व चीन का साम्यवाद माओवाद है।

डॉ लोहिया ने नेहरू की इस बात के लिए कटु आलोचना की कि वे रूस की नियोजन पद्धति का अन्धानुकरण कर रहे हैं। रूस की नियोजन पद्धति रूस में ही समीचीन हो सकती है भारत की परिस्थितियों के अतर्गत नहीं। लोहिया ने भारी उद्योगों

का प्रबल विरोध किया। नेहरू की धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की योजना को भी अनुचित सिद्ध की। उन्होंने कहा यह राष्ट्रीयकरण एक साथ ही किया जाना चाहिए अन्यथा धन का केन्द्रीकरण कई रूप में हो जायगा और भारत में यही हुआ। लोहिया दूर दृष्टा थे। उन्होंने कहा था कि यदि भारत नेहरू की आर्थिक नीतियों पर ही चलता रहा तो अंततः सामाजिक आर्थिक असमानता राष्ट्र को जकड़ लेंगी, गरीबी व बेरोजगारी की समस्याएँ विकराल रूप धारण कर लेंगी व समाजवादी समाज की स्थापना मात्र स्वप्न बनकर रह जायेगी। उनका यह कथन भी उस समय सारगर्भित व दूर दृष्टिपूर्ण था लेकिन आज सत्य है।

संदर्भ

- 1 ओंकार शरद, लोहिया के विचार, पृष्ठ 19
- 2 उपर्युक्त, पृष्ठ 21
- 3 उपर्युक्त, पृष्ठ 25
- 4 उपर्युक्त, पृष्ठ 28
5. सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज— डॉ. राम मनोहर लोहिया—लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली—1990 पृष्ठ 36
- 6 ओंकार शरद, लोहिया 'एक जीवनी' पृष्ठ 37
- 7 उपर्युक्त, पृष्ठ 188
8. उपर्युक्त, पृष्ठ 194

प्रश्न

- 1 लोहिया द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए।
- 2 लोहिया के अनुसार अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन के मध्य कितना अनुपात होना चाहिए?
3. विकेन्द्रीकरण हेतु लोहिया द्वारा प्रस्तुत चौखम्भा राज्य की योजना को स्पष्ट कीजिए।
- 4 लोहिया के भूमि सुधार सम्बन्धी विचारों पर टिप्पणी कीजिए।
- 5 नेहरू जी के आलोचक के रूप में लोहिया के विचार प्रस्तुत कीजिए।
- 6 लोहिया के प्रमुख आर्थिक विचारों की व्याख्या कीजिए।
7. लोहिया के राष्ट्रीय आय के वितरण, राष्ट्रीयकरण, विकेन्द्रीकरण, मशीनों के उपयोग, कृषि तथा विश्व सरकार की संकल्पना पर विचार कीजिए।
- 8 "लोहिया एक समाजवादी विचारक थे" क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सिद्ध कीजिए।
- 9 "लोहिया कार्ल मार्क्स के वर्ग विहीन समाज की अभिकल्पना से अभिभूत अवश्य थे परन्तु उन्होंने भारत में मार्क्सवाद की स्थापना को अनुचित बताया।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।



पण्डित दीन दयाल उपाध्याय (Pandit Deen Dayal Upadhyaya 1916-1968)

परिचय

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय सादा जीवा उच्च विचार सरल व्यवहार तथा कर्मन्ता की साक्षात्कार मूर्ति थे। प्रतिबन्ध परिस्थितियों से जूझकर उमरे से रास्ता निगलने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी। पण्डित जी का जन्म राजस्थान में जयपुर अजमेर रेलमार्ग पर धाविया गांव में उनका पिता श्री मुन्नीलाल शुक्ल के घर में हुआ। उनके पिता धाविया के रेलवे मास्टर थे। उनके पिता श्री भगवती प्रसाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। पण्डित जी के पिता का विधा उनके बाल्यकाल में ही हो गया था इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा श्री राधारमण गुल ने किया जो राजस्थान में गंगापुर स्टेशन पर फ्रंटियर मेल के गाई थे।

पण्डित दीन दयाल ने बचपन में ही अपने प्रति बढेरा करतने तथा ध्येयार्थ में ध्यान एकाग्र करने का मंत्र ग्रहण कर लिया था। इसलिए पण्डितजी ने राजस्थान में सीकर के बाल्याण हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा की और अजमेर बोर्ड में प्रथम श्रेणी में प्रथम रहकर उत्तीर्ण हुए। पत्ररवरूप बोर्ड ने और विद्यालय ने उन्हें स्वर्णपत्र दिए। उसके दो वर्ष बाद राजस्थान में पिलापी के रिस्ता कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा उन्हें दो स्वर्ण पत्र प्राप्त हुए। बंगाल के साहाय्य धर्म कॉलेज से गणित विषय लेकर बी ए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। कॉलेज शिक्षा उन्होंने छात्रवृत्ति के बल पर ही पूरी की।

सन् 1937 में वह राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से सम्पर्क में आये तथा उत्तर प्रदेश में प्रचारक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। संघ पर प्रतिबन्ध लगने के बालखण्ड में उन्होंने 'वाचजन्य साप्ताहिक तथा 'स्वदेश' दैनिक पत्र का संपादन कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त पण्डित जी ने सग्रह चन्द्रगुप्त जगदगुरु शंकराचार्य नामक दो पुस्तकें भी लिखी। आजादी के बाद कांग्रेस ने राष्ट्र के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व सार्वजनिक विकास का जो मार्ग चुना उससे असहमत बचि होकर पण्डित दीन दयाल ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नयी राजनीतिक पार्टी 'जासंघ' के गठन में सक्रिय योगदान दिया तथा 1952 में उन्हें इस पार्टी के प्रथम अखिल भारतीय महासचिव का पदभार सौंपा गया जिसे 1967 तक निभाया। पण्डित दीन दयाल को संघ कार्य

के स्थान पर राजनीतिक कार्य बिल्कुल भी रुचिकर नहीं था। परन्तु इस कार्य के प्रति इतना उदासीन होते हुए भी उसे इतनी सुव्यवस्थित रीति एवं शास्त्रीय पद्धति से, पूरा मन लगाकर तथा सारी शक्ति जुटाकर किया कि जनसंघ देश में लोकप्रिय दल बन गया। ग्रेग बैम्स्टर ने अपनी पुस्तक "जनसंघ" में लिखा है "जनसंघ ही एक मात्र ऐसा दल है जिसने 1952 से 1967 तक के हर चुनाव में प्राप्त मतों का प्रतिशत एवं लोकसभा व विधानसभाओं में मिले स्थानों का अनुपात लगातार बढ़ाया है।"

"जनसंघ : आइडियोलॉजी एण्ड आर्गनाइजेशन इन पार्टी बिहेवियर" शीर्षक निबन्ध में बाल्टर के एण्डरसन ने उपाध्याय के बारे में लिखा "उपाध्याय के 1967 में जनसंघ का अध्यक्ष पद स्वीकार करने का अर्थ था कि दल की संगठनात्मक नींव डालने का काम पूरा हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रबल प्रतिस्पर्धी के नाते सत्ता की प्रतियोगिता में उतरने का उसका सकल्य है।"

दीनदयाल जी का मूल स्वभाव संघ प्रचारक का ही था। संघ कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में नये स्थान पर कार्य प्रारम्भ करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तथा दीनदयाल इन कठिनाइयों को किस प्रकार सफलता पूर्वक पार कर लेते थे, आज वह अकल्पनीय है। आज यदि लोगों को यह बताया जाय तो आश्चर्य होगा कि गोलागोकर्णनाथ के लोगों ने उन्हें मडमूजे की दुकान से चने खरीदकर उन्हीं पर कई दिनों तक निर्वाह करते देखा था। मुहम्मदी के लोगों ने उन्हें दुकान के बाहर की पटरी पर रात बिताते देखा था। स्टेशन से गांव जाने के लिए जब तागेवाला 2 पैसे अधिक माग रहा था तो उनकी बचत करने के लिए गरीबी में दीन दयाल को भीगते हुए गांव हरदोई के लोगों ने देखा था। बाढ़ परिस्थितियों की तो प्रतिकूलता थी ही, साथ ही स्वयं दीन दयाल की अनासक्त कर्मयोगी प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण थी। आगे चलकर जीवन में अनुभूतता प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने उसका लान नहीं उठाया। अपने कपड़े स्वयं धोकर करते थे और अपने फटे-पुराने कपड़ों की सिलाई भी वे स्वयं करते थे। कोई भी कपड़ा या कपड़ा जब तक पहनने के लायक ही नहीं रहता था, तब तक बदलते नहीं थे। स्वदेशी का आग्रह उन्होंने प्रत्यक्ष आचरण में उतारा था। सार्वजनिक धन का उपयोग न्यासी की भांति कितनी मितव्ययता से करना होता है, इसका आदर्श उन्होंने अपने आचरण से प्रस्तुत किया था।

सभी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना उनका स्वभाव बन गया था। कारण, बाह्यतः वे लौकिक व्यवहार में कितने ही निमग्न क्यों न दिखाई देते हों, उनका सच्चा लक्ष्य "ज्ञानोत्तर भक्तिपूर्ण कर्मयोग" ही था। फिर भी दैनिक व्यवहार में उनका आचरण सामान्य लोगों जैसा होता था। इसीलिए उनके पास के लोग भी इसकी कल्पना नहीं कर पाते थे कि वास्तव में वे कितने महान हैं।

'राष्ट्रधर्म' का काम देखते समय उन्होंने कई बार कम्पोजिंग, बाइंडिंग तथा डिस्पेजिंग का काम भी स्वयं किया था। निष्काम कर्मयोग उनकी सहज प्रवृत्ति थी।

अद्वार व्यक्तिगत आकांक्षा आदि क्षुद्र भावनाओं का स्पर्श भी उनको नहीं होता था। ओटश के अनुसार उन्होंने राजनीति का क्षेत्र में प्रवेश किया किन्तु उनकी वृत्ति थी—दुनिया में है दुनिया के तलवगार नहीं। बाजार से मिलने हैं खरीददार नहीं। इतनी निर्लेप!

अपने छोटे से राजनीति जीवन (1952-68) में उन्होंने देश में ऐसा राजनीतिक सगठन (जसद अर्ध भारतीय जनता पार्टी) टाडा किया है जो आज केन्द्र की सत्ता में है। पूँजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थाओं से उत्पन्न विषय को उन्होंने 'एकात्म गाव दर्शन' का सिद्धांत दिया जो न केवल व्यक्ति-जीवन से लेकर सम्पूर्ण मानव जाति का चिन्तन है अपितु मातृभूत प्रकृति और उससे भी आगे जाकर परमेश्वरी तत्व सबकी रचनात्मक दृष्टि से और समग्र रूप से टोह लेने वाला चिन्तन है। इसी तरह तीसरे विद्युत् के रूप में उपाध्याय ने विश्व को 'एकात्म अर्थ नीति' का सिद्धांत दिया जो आजकल देश के एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना आधार स्तम्भ बनया है। अति प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी ज्वलत ध्येय निष्ठा विशुद्ध चरित्र स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व तथा असाधारण सगठन-कुशलता के बल पर जनसंघ को उन्होंने 15-16 वर्ष की समयवधि में द्वितीय क्रमांक का अखिल भारतीय दल का स्थान प्राप्त करा दिया।

इस दल के प्रथम अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने केवल दो-एक वर्ष के अल्प परिचय में ही उनके बारे में कहा था— मुझे ऐसे दो दीन दयाल के दीजिये मैं सारे देश का तबशा बदल दूंगा। मुखर्जी के ये उद्गार पूर्णतया यथार्थ थे।

11 फरवरी 1968 को प दीन दयाल का मृत शरीर मुगलसराय स्टेशन के यार्ड में पड़ा पाया गया। इस पड़यंत्रकारी घटना का रहस्य अभी तक अज्ञात है। भारतीय राजा के राजनीतिक क्षितिज पर विचार कार्य और प्रगति की महान् आशाएँ जो अति विषय जीवन उभर कर सामने आ रहा था और अति प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन के आधार पर युगानुरूप नूतन व्यवस्थाएँ मौलिक चिन्ता और दार्शनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण व्यावहारिक व्याख्याएँ प्रस्तुत कर रहा था वह सहसा ओझल हो गया। देश के गौरवशाली अतीत से नव्य भविष्य को जोड़ने वाले वर्तमान का महान् शिल्पी मिर-निद्रा को प्राप्त हो गया। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सभी क्षेत्रों में जन-साधारण के सुख दुःख में समरस होने लगे नेतृत्व का सूत्र धारण करने वाला महान् नेता विद्यमान हो गया।

प दीन दयाल जी की रचनाएँ

प दीन दयाल उपाध्याय ने अपने अत्यन्तकालीन जीवन में राष्ट्रीय जीवन व राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित कई लेख एवं पुरतवे लिखी। यद्यपि राष्ट्र की विचार प्रक्रिया में पण्डितजी का विपुल व गतिशील योगदान था तथापि उसकी तुलना में उनके बारे में लिखा गया साहित्य बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

- (i) चन्द्रगुप्त मौर्य-राष्ट्र धर्म प्रवाशा
- (ii) जगन्मूर शारदाचार्य-राष्ट्र धर्म प्रवाशा

- (iii) The Two Plans (1958)
- (iv) Devaluation-A Great Fall (1966)
- (v) Integral-Humanism (1967)
- (vi) जनसंघ सिद्धांत और नीति
- (vii) अखण्ड भारत
- (viii) इनको भी आजादी चाहिए
- (ix) अमेरिकी अनाज पी एल 480
- (x) भारतीय अर्थनीति (विकास की एक दिशा)
- (xi) बेकारी की समस्या और उसका हल
- (xii) एकात्म मानववाद
- (xiii) विश्वासघात
- (xiv) टैक्स या लूट
- (xv) राष्ट्र जीवन की समस्याएँ

इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथ उनके भाषणों व लेखों के संकलन हैं। 1968 में ही पंडित जी के "आर्गनाइजर में लिखे लेखों का संकलन 'जयक्रो पब्लिशिंग हाउस' द्वारा "पोलिटिकल डायरी" नाम से प्रकाशित हुआ था। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर दिल्ली में 'दीन दयाल शोध संस्थान' की स्थापना की गयी है जिसने कई परियोजनाएँ हाथ में ले रखी हैं। इस संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं।

- (i) पंडित दीन दयाल उपाध्याय व्यक्ति दर्शन (अंग्रेजी), 1972
- (ii) एकात्म मानव दर्शन (हिन्दी-अंग्रेजी) 1972
- (iii) गाँधी, लोहिया और दीन दयाल (हिन्दी), 1979
- (iv) पण्डित दीन दयाल उपाध्याय-व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन
- (v) Who Killed Upadhyaya ?
- (vi) प दीन दयाल उपाध्याय हत्याकांड मुकद्दमा
- (vii) प दीन दयाल उपाध्याय-महाप्रस्थान
- (viii) एकात्म मानववाद एक अध्ययन
- (ix) His Legacy Our Mission
- (x) राष्ट्र पुरुष पंडित दीन दयाल उपाध्याय

इनके अलावा हिन्दी, मराठी अंग्रेजी में उनके योगदान से संबंधित कई रचनाएँ हैं।

पं. दीन दयाल का आर्थिक चिन्तन

प दीन दयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित "एकात्म अर्थ नीति" के विवेचन से पूर्व उनके द्वारा विश्व को दिये गये एकात्म मानव दर्शन के विचार को समझना आवश्यक है।

एकात्मक मानव दर्शन -

एकात्म मानव दर्शन का अर्थ है मानव-जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म सबंधों का दर्शन। यह एक ऐसा जीवन-दर्शन है जो मनुष्य का विचार केवल आर्थिक मानव के एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का तथा ऐसे मानव के अन्य मानवों एवं मानवोत्तर सृष्टि के साथ परस्पर पूरक एकात्म सबंधों को भी ध्यान में रखकर समृद्ध सुखी एवं कृतार्थ जीवन की दिशा दर्शाता है।

एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। भारतीय संस्कृति एकात्मवादी है अतः शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा से युक्त धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के चतुर्विध पुरुषार्थों की साधना करने वाला तथा एक ही साथ परिवार जाति राष्ट्र एवं मानव समाज आदि विविध एकात्म समष्टियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाला मानव इस दर्शन का केन्द्र बिन्दु है।

एकात्म मानव दर्शन व्यक्ति-जीवन का भी उसके सभी अंगों को ध्यान में रखते हुए सकलित विचार करता है। मानव शरीर मन बुद्धि और आत्मा का सकलित रूप है। अतः मनुष्य के सर्वांगीण विकास का विचार वास्तव में उसके शरीर मन बुद्धि और आत्मा आदि सभी के विकास का सकलित विचार है। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने उनकी विविध मागों और इच्छा-आकांक्षाओं को पूरा करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सामने कर्तव्य के रूप में चार पुरुषार्थों का आदर्श रखा है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति के साथ-साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल है जिससे समाज की सुयोग्य धारणा बन सके।

(i) मानव के आदर्श एवं परिपूर्ण जीवन के लिए चतुर्विध सुख

मनुष्य के आदर्श एवं परिपूर्ण जीवन की कल्पना करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्यतः मानव कैसा है। इस सबंध में मानव के स्वभाव की प्रथम विशेषता है उसके जीवित रहने की इच्छा। मरण प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर्जीवनमुच्यते जीवन क्षण भंगुर है ससार असार है सुख राई जैसा तथा दुख पहाड जैसा है आदि वचनों के प्रचलित होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति दीर्घकाल तक जीवित रहना चाहता है। इसी कारण भारतीय परम्पराओं में दीर्घायुष्मान भव चिरजीवी भव आदि आर्शावचनों का समावेश है।

किन्तु मनुष्य दीर्घायु के साथ-साथ अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है। इसी सुख प्राप्ति के लिए वह दिन भर दौड धूप करता रहता है। परन्तु उसकी सुख की कल्पना प्रायः एकाकी होती है अर्थात् उसके सुख की कल्पना में इन्द्रियों द्वारा मिलने वाले सुख या शरीर का सुख ही संपूर्ण सुख है। उसकी संपूर्ण सुख की कल्पना में रोग मुक्त शरीर हाथ में भरपूर पैसा सुन्दर मकान सुन्दर पत्नी होनहार सतान पोष्टिक

मोजन सुन्दर वस्त्र आभूषण, रंगीन टी वी, कार व समाज में प्रतिष्ठा आदि प्रमुख बातें शामिल हैं।

इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए वह 'येन केन प्रकारेण' साधन जुटाता है। जो व्यक्ति जितने अधिक साधन जुटा लेता है वह उतना ही अधिक सुखी होता है। परन्तु यह देखा गया है कि जैसे-जैसे एक इच्छा पूरी होती है आगे दूसरी इच्छा आ खड़ी होती है। अर्थात् उपभोग में वृद्धि के कारण वासनाएँ कम होने की बजाय बढ़ती हैं।

वासनाओं के बढ़ने की पूरी छूट देना तथा उनका पूर्णतः क्षय करना दोनों ही एक दम चरम बिन्दु हैं। भारतीय सस्कृति में इन दोनों चरम बिन्दुओं को एक तरफ रखकर समन्वित मार्ग दर्शाया है। पुरुषार्थों में अर्थ और काम, दोनों का समन्वय कर भौतिक सुखों का मानवीय जीवन में जो स्थान है उसे स्वीकार है। परन्तु हमारी सस्कृति ने शारीरिक सुखों के साथ मन, बुद्धि एवं आत्मा के उन्नत सुखों का भी विचार किया है। मानवीय जीवन की परिपूर्णता के लिए इन सभी सुखों की अपरिहार्यता का प्रतिपादन कर इस सस्कृति ने उसके द्वार मानव के लिए खोल दिये हैं। इन्द्रियजन्य सुखों से प्रारम्भ कर मन, बुद्धि का उन्नयन करते हुए, उन सुखों को भी अनुभव करते हुए घनीभूत परम सुख अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति तक का प्रवास एक यात्रा के रूप में भारतीय सस्कृति ने मानव के समक्ष रखा है।

(ii) चतुर्विध सुख एवं चतुर्विध पुरुषार्थ

अब प्रश्न उठता है कि मानव के आदर्श एवं परिपूर्ण जीवन के लिए चतुर्विध सुखों की प्राप्ति कैसे हो ? सामान्य रूप से मनुष्य के शरीर के सुख के लिए निर्वाह-साधन, मन के सुख के लिए मन की शांति, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान तथा आत्मा के सुख के लिए विवेक आवश्यक होता है। वास्तव में ये मनुष्य की चार क्षुधाएँ हैं। इन क्षुधाओं को तृप्त कर मनुष्य के सर्वांगीण एवं सतुलित विकास के लिए भारतीय सस्कृति ने कर्तव्य के रूप में चार पुरुषार्थों का आदर्श रखा है। ये चार पुरुषार्थ हैं-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष।

प्रथम तीन पुरुषार्थों का सबंध प्रत्यक्ष रूप से इसी जीवन के साथ होता है जब कि मोक्ष का सबंध परलोक से है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग व ज्ञान मार्ग हमारे यहाँ बताये गये हैं। उनमें कर्म मार्ग का सबंध शरीर के साथ, भक्ति मार्ग का सबंध मन के साथ और ज्ञान मार्ग का बुद्धि के साथ है। यद्यपि यह सत्य है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मोक्ष पुरुषार्थ का मार्ग अन्य तीन पुरुषार्थों के मार्गों से सर्वथा स्वतंत्र या समानान्तर चलता है। भक्ति-समन्वित, ज्ञानयुक्त निष्काम कर्म मोक्ष का मार्ग है कर्म विहीन भक्ति केवल भावुक होती है। ज्ञान रहित कर्म अधा होता है। भक्ति एवं कर्महीन ज्ञान पगु होता है। सुख का विचार करते समय शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विचार जिस प्रकार अपरिहार्य है, उसी प्रकार चूँकि मोक्ष परमसुख है, उस सुख की ओर जाने वाला मार्ग भी स्वभावतः एकात्म होता है।

इन चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त पूर्ण मानव ही एकात्म मानव दर्शन का केन्द्र बिन्दु है। परन्तु इस ससार में मानव अकेला नहीं रहता अन्य लोग भी इसके साथ रहते हैं।

परिवार जाति राष्ट्र संपूर्ण मानव समाज आदि विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति का अन्य मानवों के साथ संबन्ध आता है। मानव-मानव के बीच यह संबन्ध और व्यवहार सुचारु रूप से चलते रहें और उसका व्यक्तिगत तथा समष्टि जीवन सभी अंगों से उन्नत एवं सुखी हो इसके लिए जो विविध संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ निर्मित की जाती हैं उनमें मानव को सहभागी होना पड़ता है। उसे इन संबन्धों में और इन व्यवस्थाओं में प्राप्त कर्तव्यों को निभाना भी पड़ता है। इस मानव की दृष्टि एकाकी सकुचित या विकृत हो तो वह अपने इस कर्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं निभा पायेगा। अतः अब हमें यह विचार करना होगा कि पूर्णत्व का साधक मानव उत्तरोत्तर अधिकाधिक मानव समूहों के सम्पर्क में आये तो उसके मन की रचना कैसी हो प्रत्यक्ष व्यवहार कैसा हो समाज के साथ उसका संबन्ध कैसा होना चाहिए आदि बातों पर भी विचार करता है। पं. दीन दयाल जी ने कहा—
 इन चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त पूर्व मानव ही हमारी आराधना का निकष (कसौटी) और साधन है। आदर्श पूर्ण मानव का यह चित्र हमारे मन में सुस्पष्ट एवं पक्का चित्रित हो तो फिर एकात्म मानव की दिशा में होने वाला उसका मार्गक्रमण ठीक से ध्यान में आना सरल हो जायेगा।

(iii) व्यक्ति एवं परिवार

एकात्म मानव दर्शन में परिवार संस्था का बहुत महत्व है क्योंकि व्यक्ति को अहम से वयम की ओर ले जाने के अर्थात् समष्टि जीवन को पहला पाठ परिवार में ही दिया जाता है। परिवार में अनेक व्यक्ति होते हैं पति-पत्नी बहु-बेटियों नाती-पोते भाई-बहिन ससुराल ओर मायके के लोगों आदि का समावेश परिवार में ही होता है। इन सबके साथ आत्मीयता के संबन्धों को प्रत्यक्ष में अनुभव भी किया जाता है। परिवार में कोई सुख-दुःख का कार्य होता है तो सभी परिवार के सदस्य हाथ बटाते हैं। परिवार के व्यक्तियों के व्यवहार की न तो कोई नियमावली होती है और न कोई सविधान। सभी का आचारण आपस में समझदारी से और सहज रूप से चलता रहता है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं हमारी धमनियों में एक ही रक्त बहता है इस आत्मीयता के बोध से जो भावबन्धन निर्मित होता है उसी का यह चमत्कार है।

पाश्चात्य देशों में परिवार संस्था तेजी से टूट रही है तथा हमारे यहाँ भी यह सकीर्ण होती जा रही है। पाश्चात्य देशों में इस संस्था के टूटने के तीन प्रमुख कारण हैं— प्रथम व्यक्ति स्वातंत्र्य द्वितीय कम्युनिष्ट देशों में कम्यूनिस तथा तृतीय समाजवादी प्रशासन या कल्याणकारी राज्य।

परिवार व्यक्ति को समष्टि-जीवन का पहला पाठ देने वाली संस्था है। आपस में स्नेह एक दूसरे के लिए कष्ट उठाने की प्रवृत्ति सहनशीलता आदि कई सद्गुणों के संस्कार जिनकी समाज धारणा के लिए आवश्यकता होती है परिवार जीवन के स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। परिवार की इस कल्पना को अधिकाधिक विशाल करते जाना उसको समाजव्यापी व विश्वव्यापी बनाना ही आत्मिक विकास की दिशा है और यही

एकात्म मानव दर्शन की भी केन्द्रीय कल्पना है।

(iv) व्यक्ति एवं समाज

व्यक्ति व समाज के संबंधों के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधारा में अंतर है। पाश्चात्य लोग यह मानते हैं कि व्यक्ति एकत्र होकर परस्पर हितों की रक्षा हेतु समाज का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को "सोशल कांटेक्ट थ्योरी" का नाम दिया गया है। इस धारणा ने कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न कर दिये हैं। जैसे समाज व व्यक्ति में श्रेष्ठ कौन है? कुछ यह मानते हैं चूंकि व्यक्तियों ने एकत्र होकर समाज का निर्माण किया है अतः निर्माता होने के नाते व्यक्ति समाज से श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि व्यक्ति के लिए समाज का निर्माण करना अपरिहार्य हो गया इससे यह सिद्ध होता है कि समाज व्यक्ति से हर तरह से श्रेष्ठ है।

आज पाश्चात्य देशों में वे दोनों विचारधाराएँ प्रचलित हैं। पहली विचारधारा के लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर समाज की उपेक्षा करते हैं तो दूसरी विचारधारा वाले लोग समाज को सर्वसत्ताधीन बनाने की धुन में व्यक्ति बहुसंख्यी व्यक्तित्व को समाप्त कर डालते हैं। पूँजीवादी समाज व्यवस्था पहली विचारधारा की सतान है तो समाजवादी व कम्युनिष्ट समाज रचना सत्तावाद की निष्पत्ति है।

पाश्चात्य समाज में आज प्राणलेवा स्पर्धा, तनाव, रक्त-पात एवं संघर्ष आदि दिखायी पड़ता है। एकात्म दर्शन की भूमिका है कि समाज व्यक्तियों का बनाया होता है—यह पाश्चात्य लोगों की मूल धारणा ही गलत है। यह तो ठीक है कि समाज व्यक्तियों का समूह होता है, फिर भी व्यक्ति एकत्र हो गये और उन्होंने समाज का निर्माण किया, ऐसा कहीं भी दिखायी नहीं देता।

समाज कोई क्लब नहीं है, ज्वाइट स्टॉक कम्पनी या सहकारी सस्था भी नहीं है। समाज इस तरह कृत्रिमता से नहीं बनाया जा सकता। 5-10 लाख या 10-20 करोड़ एकत्र हो गये उन्होंने आर्टीकल आफ एशोसियेशन प्रकाशित किया, सब की एक सभा बुलायी, उसका पंजीकरण किया और जन समूह को समाज कहा जाने लगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता। समाज जो प्रकृति से होने वाला एक जीवना निर्मित होती है।

समाज अपनी रक्षा, जीवन के आदर्शों की अभिव्यक्ति के और विकास के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ व संस्थायें स्थापित करता है। शिक्षा के लिए गुरुकुल संस्था, देश की अन्तर्बद्ध रक्षा के लिए राज्य संस्था, व्यक्ति व समाज के विकास के लिए दर्शाश्रम व्यवस्था आदि प्राचीन भारतीय संस्थाओं का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय गान्धिता है कि समाज सहज केन्द्रिय जैविक सृष्टि है। कृत्रिम मानवीय उपायों से न तो वह बनता है और न नष्ट होता है। जिन कारणों से व जिन पद्धतियों से सजीव ससार का निर्माण होता है, उन्हीं कारणों व पद्धतियों से भिन्न-भिन्न समाजों का उदयास्त होता रहता है।

व्यक्ति व समाज के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करते हुए दीन दयाल जी ने कहा "हम अपने व्यक्तिगत हित व अहित का विचार करें, यही उचित व्यवस्था है। व्यक्ति

का हित व समाज का हित दोनों में कोई विरोध या संघर्ष नहीं है। कुछ लोग भ्रम में पड़ते हैं कि आप व्यक्तिवादी हैं या समाजवादी ? हमारा उत्तर होता है कि हम व्यक्तिवादी भी हैं तथा समाजवादी भी। भारतीय विचारधारा के अनुसार हम व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करते और समाज हित का विचार भी आज्ञा नहीं होने देते। क्योंकि हम समाज हित का विचार करते हैं इसलिए हम समाजवादी हैं किन्तु साथ ही हम व्यक्ति की भी उपेक्षा नहीं करते इसलिए हम व्यक्तिवादी भी हैं। किन्तु हम व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं मानते इसलिए हमारा कहना होता है कि हम व्यक्तिवादी नहीं हैं किन्तु साथ में हम यह भी नहीं मानते कि समाज का व्यक्ति की सभी स्वतंत्रताओं का अपहरण करने का अधिकार है और उसे किसी एक सीमा में बाधकर निर्जीव यंत्र के समान उससे काम लेने का अधिकार है। इसलिए हम समाजवादी भी नहीं हैं। हमारी मान्यता है कि व्यक्ति के बिना समष्टि की कल्पना करना असम्भव है और समष्टि के बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति और समाज दोनों का समन्वित कल्याण साध्य करने की दृष्टि से ही सारा चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।⁹

(v) समष्टि के पुरुषार्थ

व्यक्ति के समान समाज भी एक जीवमान घटक है ऐसा कहने के बाद स्वभाविक प्रश्न होता है कि क्या समाज के भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा होते हैं? समाज यदि कुछ लोगों द्वारा आपस में सविदा (करार) कर निर्मित की हुई वस्तु नहीं है यदि वह एक सजीव सत्ता है तो फिर किसी जीवमान घटक के समान समाज के भी शरीर मन बुद्धि व आत्मा अवश्य होंगे। पण्डित दीन दयाल जी ने दैनिक जीवन का एक परिचित उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है समूह के भी शरीर मन बुद्धि और आत्मा होते हैं। उदाहरण के लिए 40 लोगों का एक क्लब है। ये 40 लोग मिलकर उस क्लब का शरीर तैयार करते हैं। इकट्ठे होकर इकट्ठे रहकर एक क्लब बनाने की इच्छा या सकल्प उस क्लब का मन होता है। यह इच्छा न हो तो क्लब का निर्माण नहीं होगा। यदि इच्छा समाप्त हो जाय तो क्लब का भी विसर्जन हो जायेगा। इस इच्छा के मूर्तरूप लेने पर क्लब का कारोबार सुचारु ढंग से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं। सदस्यता पदाधिकारियों के चुनाव चढ़ा आदि के बारे में सोच समझकर कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। इन नियमों के सहारे क्लब का कारोबार ठीक ढंग से चल सकता है। ये नियम और व्यवस्था क्लब की बुद्धि हैं। किन्तु क्लब बनाने की इच्छा मन में होना तथा उसके लिए विचार पूर्व कुछ नियम आदि बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। क्लब के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। वह उद्देश्य केवल मनोरजन का हो मनोरजन के साथ सेवा का हो या कुछ और हो क्लब का कारोबार अन्ततः इस लक्ष्य को सामने रखकर चलाया जाता है। यह लक्ष्य ही उस क्लब की आत्मा है।¹⁰

केवल मनोरजन का उसके जैसे ही सीमित लक्ष्य को सामने रख कर चलायी जाने वाली छोटी-सी संस्था के जहाँ शरीर मन बुद्धि आत्मा होते हैं तो फिर पीढियों

से एकत्रित रहने वाले, एकसध एकरस समाज के बारे में—राष्ट्र जीवन के बारे में—तो ये सब बातें कहीं अधिक प्रबल उत्कट रूप में अवश्य ही रहती होंगी।

एक राष्ट्र की भूमि और उस भूमि में परम्परा से पुत्र के रूप में रहता आया जन-समूह उस राष्ट्र का शरीर है। हमारे यहां की प्राचीन परिभाषा में उसे देश की सज्ञा दी गयी है। इस जन-समूह की इच्छा या उसका सामूहिक जीवन का सकल्य उस राष्ट्र का मन है। इस समाज और राष्ट्र का जीवन ठीक से चलता रहे अर्थात् उसकी धारणा के लिए उसके लिए कुछ नियम, व्यवस्थाएँ हो वे राष्ट्र का समष्टि-धर्म कहलाता है तथा चौथी बात है उस राष्ट्र का जीवन लक्ष्य उस राष्ट्र की आत्मा है। इन चारों रसायनों से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार जैसे शरीर मन बुद्धि व आत्मा से एक व्यक्ति बनता है ठीक उसी तरह भूमि व जन (शरीर) सामूहिक सकल्य (मन), धर्म (बुद्धि) तथा जीवन लक्ष्य (आत्मा) से मिलकर राष्ट्र का निर्माण होता है।¹

चूँकि व्यक्ति के समान समाज के भी शरीर मन बुद्धि व आत्मा होते हैं अतः जिस प्रकार व्यक्ति के समग्र व सतुलित विकास के लिए धर्म अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार समष्टि व राष्ट्र के सदर्भ में उनका विचार आवश्यक है।

जिस सहज प्रवृत्ति, सकेतो विवेकशीलता नियम उपनियमों व व्यवस्थाओं के कारण व्यक्ति-व्यक्ति, व्यक्ति-समूहों में, राष्ट्र-राष्ट्र के बीच आपस में सौमनस्य रहकर उनका जीवन सुचारु रूप से चलता है, इन सब बातों का समष्टि धर्म में अन्तर्भाव होता है।

व्यक्ति की भाँति समाज के लिए अर्थ-पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है पर्याप्त मात्रा में अर्थ का उत्पादन न हो तो समाज का योगक्षेम सुचारु ढंग से नहीं चलेगा। अर्थ का अभाव या प्रभाव जब समष्टिगत होता है तब समष्टि के सामने भी अनेक समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं।

समाज की उन्नति-अवनति का निर्णायक उत्तर अन्त में समष्टि के मनोबल पर निर्भर रहता है। समाज मानस जीवन्त हो तो सर्वथा प्रतिकूल परिस्थिति को भी दह मात दे सकता है तथा भस्म में से नया जीवन खड़ा कर सकता है। अपने जन्म के बाद मरुस्थल को नन्दनवन कर दिखाने वाला छोट्टा-सा इब्राइल, दूसरे विश्वयुद्ध के समय का इंग्लैण्ड युद्धोत्तर काल का जापान एवं जर्मनी भारतीयों द्वारा ब्रिटिश लोगों को उखाड़ फेंकना पाकिस्तान के आक्रमणों का मुहताब जवाब देना आदि समष्टि के काम पुरुषार्थ के उदाहरण हैं।

समष्टि का मोक्ष को स्पष्ट करते हुए दीन दयाल जी लिखते हैं "प्रत्येक राष्ट्र उस परम सत्ता द्वारा नियत किये जीवन कार्य को लेकर ही जन्म लेता है। इस कार्य की पूर्ति के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करना ही उस राष्ट्र के विकास की सर्वोत्तम एवं एकमेव साधना है।"²

आत्मा की इस अभिव्यक्ति के लिए स्वराज्य अर्थात् परतत्रता से मुक्ति पहली आवश्यकता है। स्वराज्य के बिना राष्ट्र अपन आत्मा की तथा जीवन कार्य की न तो अभिव्यक्ति कर सकेगा और न उन्नति ही कर सकेगा। स्वतंत्रता केवल राजनीति नहीं अपितु आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्व राज्य मयी होनी चाहिए। सामान्य धारणा होती है कि मोक्ष केवल व्यक्तिगत विषय है और उसका मार्ग सांसारिकता से मुख मोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर जाकर अन्तःहृदय में ध्यान लगाये केवल एकत्र मे ही पास करना है। मोक्ष के बारे में यह धारणा निश्चय ही एकांगी व गलत है। एकात्म मानव दर्शन में मोक्ष जागतिक जीवन से मुख मोड़ने वाला नहीं है। मोक्ष व्यक्ति परिवार जाति राष्ट्र के क्रम से समुचे मानव-समूह को आत्मीयता की लपेट में लेकर परमसुख की ओर ले जाने वाला क्रियाशील पुरुषार्थ है।³

मोक्ष को स्पष्ट करते हुए प दीन दयाल जी ने कहा मुक्ति कभी व्यक्तिगत नहीं होती वह समष्टिगत ही होती है। समाज विपन्नावस्था में हो तब भी उसे उसके हाल पर छोड़कर मैं अकेले मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसी गलत धारणा लिये लोग चलते हैं। समाज मुक्त होगा तो उसका स्तर ऊचा उठेगा वह उन्नत होगा तभी व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी। हमारे यहाँ किसी भी पुराण में आपको यह वर्णन नहीं मिलेगा कि परमात्मा ने अवतार लिया और वह किसी गुफा में जाकर अपनी मुक्ति के लिए तप करने बैठा।


(vi) एकात्म समाज-व्यवस्था

समाज एवं व्यक्ति का सबंध टहनी और पत्तो जैसा या शरीर व उसके अवयवों जैसा हाने के कारण उनके ये पुरुषार्थ भी परस्पर पूरक होते हैं। व्यक्ति और समाज दोनों को एक दूसरे को जोड़े रखने का कार्य जिसके द्वारा करना होता है उसे हमारे यहाँ पुरुषार्थ की सज्ञा दी गयी है। व्यक्ति व समष्टि के पुरुषार्थ के आपसी सबंध के बारे में सूत्ररूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा कर्म उपभोग एवं यज्ञ इन चारों बातों से व्यक्ति व समाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज की दी हुई शिक्षा तथा सत्कारों से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। हमारी विचार-प्रक्रिया को समाज ही गतिमान बनाता है। माता-पिता गुरुजना तथा शिक्षा संस्थाओं आदि से जो शिक्षा व्यक्ति को मिलती है उसकी सहायता से ही व्यक्ति अपने आप समाज के लिए कर्म अथवा उद्योग कर सकता है। व्यक्ति द्वारा किये गये कर्म के फल के रूप में समाज व्यक्ति के योगक्षेम की तथा उपभोग की व्यवस्था करता है। इस चतुः सूत्री में दोथा भाग है यज्ञ। यज्ञ का सबंध कर्म तथा उस कर्म से निहित भावना से रहता है। व्यक्ति उद्योग या व्यवसाय के रूप में जो कर्म करता है उसके द्वारा ही वह समाज से जुड़ा रहता है। स्थूल दृष्टि से देखने पर लगता है कि मनुष्य केवल अपने लिये ही उद्योग करता रहता है किन्तु वस्तुतः वह समाज के लिए काम करता है। कुल उत्पादन में से थोड़ा अपने लिए रख कर बाकी समाज के लिए बाजार में बेच देता है। समाज ने उसे खती बाड़ी की शिक्षा दी। वह उसका मूल्य समाज को अनाज पैदा करके देता है। समाज ने बुनकर को वस्त्र बुनना सिखाया तो बुनकर समाज की कपड़ की आवश्यकता पूरी करता है। शिक्षक विद्यार्थी अवस्था में परिवार के बड़े सदस्यों गुरुजनों तथा समाज से सत्कार ग्रहण करता है तथा आगे जाकर नयी पीढ़ी

के अनगिनत विद्यार्थियों को ज्ञान व सस्कार देने का कार्य करता है।

अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऐसे कर्मों से ही समाज की नाना प्रकार की आवश्यकताएँ पूर्ण होकर समाज की धारणा होती है। शिक्षा, कर्म, योगक्षेम एवं यज्ञ, यह धारणाचक्र इस प्रकार अखंड रूप से चलता रहता है। अर्थात् यह कर्म केवल आवश्यक योगक्षेम या उपभोग की दृष्टि न रखते हुए कर्तव्य-भावना तथा समर्पण-वृत्ति से किया जाये, तभी सही अर्थों में यज्ञ बनता है। कर्तव्य भावना से किये गये ऐसे कर्मयज्ञ के कारण व्यक्ति का योगक्षेम तो भलि भाँति चलता ही है, साथ ही उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसके अतिरिक्त वह कर्म भी उत्तम होकर समाज को भी सभी अंगों से पुष्ट एवं उन्नत करता है।

इस प्रकार शिक्षा, कर्म, उपभोग (योगक्षेम) एवं यज्ञ, इन चारों बातों से व्यक्ति एवं समाज आपस में जुड़े होते हैं। एक घन (Cube) की आकृति के माध्यम से यह सबध स्पष्ट किया जा सकता है। इस सबध को चित्र-1 में सपष्ट किया गया है।



चित्र-1

क, ख, ग, घ-व्यक्ति
च, छ, ज, झ-समष्टि

शिक्षा समाज स व्यक्ति की ओर कर्म व्यक्ति से समाज की ओर उपभोग समाज स व्यक्ति की आर ओर यज्ञ व्यक्ति से समाज की ओर ऐसी यह सरचना है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली चार बातों में से दो का दायित्व समाज पर तथा शेष दो का व्यक्ति पर है। समाज एव व्यक्ति दोनों अपने-अपने दायित्व को प्रयासपूर्वक एव कर्तव्य-भावना स निभाते हैं तो व्यक्ति और समाज दोनों का एकात्म स्वरूप साकार होगा।

इस प्रकार हमारे यहाँ व्यक्ति व समाज का अस्तित्व सुख-दुख हित-अहित न केवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपितु एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और ये दोनों घटक शिक्षा कर्म योगक्षम तथा यज्ञ इन चार बातों से आपस में संबंधित हैं। हमारे यहाँ व्यक्तिगत जीवन एव समष्टि जीवन का आपस में तालमेल रखने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था एव वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया था। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मुख्यतः व्यक्ति की धारणा एव विकास है तो वर्ण व्यवस्था मुख्यतः समष्टि की धारणा को समक्ष रखकर की गयी है। अर्थात् व्यक्ति धर्म एव समष्टि धर्म परस्पर पूरक है।

(vii) समष्टि से परमेष्ठी तक ।

अब तक क वर्णन में हमने चारों पुरुषार्थों से परिपूर्ण व्यक्ति-जीवन से प्रारम्भ कर आगे चलकर परिवार समाज राष्ट्र और समुच्च मानव-समाज तक की बढ़ती कक्षाओं और उनके बीच परस्पर एकात्म संबंधों का विचार किया। परन्तु भारतीय संस्कृति की इस भूमि में विकसित एकात्म दर्शन केवल मानव के पास आकर ही नहीं रुकता है। वह प्रकृति की मानवोत्तर प्राणि-सृष्टि वनस्पति-सृष्टि तथा प्रकृति की दी हुई अन्य बातों पर भी विचार करता है। मानव जीवन का इस प्रकार सर्वांगीण विचार करते समय इन सभी बातों का उसमें समावेश करना एक परिपूर्ण एकात्म दर्शन के नाते उपयुक्त एव अपरिहार्य भी है। जल वायु प्रकाश वनस्पति प्राणी खनिज सम्पदा आदि हमारे जीवन के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके बिना जीवन भी असंभव हो बैठेगा। "वनस्पति-सृष्टि और मानवोत्तर प्राणि-सृष्टि में कई सीमित होते हैं इसलिए उनका नियंत्रित उपभोग ही उपयुक्त होगा। प्राकृतिक संपदा के दुरुपयोग के कारण ही आज विश्व के समक्ष पर्यावरण की समस्या आ खड़ी हो गयी है।

इसी कारण भारतीय संस्कृति में प्रकृति की पूजा होती है। पहाड़ नदियों वृक्ष पौधे गाय आदि की पूजा तथा चींटियाँ कबूतर व चिड़ियों को नित्य दाना आदि मानवोत्तर प्राणि-सृष्टि व वनस्पति-सृष्टि के प्रति हमारी आस्था का द्योतक है।


एकात्म दर्शन

पाश्चात्य जीवन दर्शन एव भारतीय जीवन दर्शन में व्यक्ति एव समष्टि के बीच संबंधों के बारे में काफी विरोधाभास है। पाश्चात्य विचारधारारें अधिकांशतः प्रतिक्रिया के रूप में उदित हुईं। राम के धर्मपीठ के एकाधिकारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ तथा लोकतंत्र की अगुती पकड़कर पैदा हुए पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद तथा कम्यूनिज्म का जन्म हुआ।

पाश्चात्य लागा ने व्यक्ति जीवन के ही नहीं समष्टि जीवन के परिवार राष्ट्र विश्व

मानव आदि वृहत घटकों का विचार पृथक-पृथक किया है। यह सही है कि इन सभी इकाइयों का उन्होंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया है, किन्तु बाहर से अलग-अलग दिखायी देने वाली इन इकाइयों को जोड़ने वाली जो एक सुदृढ आन्तरिक कड़ी होती है उसका विचार ही नहीं किया। उदाहरण के लिए व्यक्ति के बारे में विचार करते समय उन्होंने मनुष्य के शरीर, मन तथा बुद्धि के बारे में पर्याप्त विचार किया परन्तु इस प्रकार के विचार करते समय व्यक्ति परिवार, राष्ट्र मानव-जाति मानवोत्तर सृष्टि आदि वृहतर इकाइयों का ही एक अगम्य घटक है, इस विशेषता को उन्होंने ध्यान में ही नहीं लिया। परिवार के विरुद्ध व्यक्ति एक राष्ट्र के विरुद्ध दूसरा राष्ट्र, विश्व मानवता के विरुद्ध राष्ट्रवाद, प्रकृति के विरुद्ध मानव ऐसे सघर्ष होते रहे हैं। इसका प्रमुख कारण इस एकात्म-सूत्र के बोध का अभाव ही है।

पाश्चात्य विचार धारा सकेन्द्री वृत्त समूहों की एक आकृति चित्र सख्या-2 से स्पष्ट की जा सकती है। इस आकृति के केन्द्र स्थान में एक बिन्दू है उसे व्यक्ति माने। इस बिन्दू के चारों ओर के वृत्त को परिवार चक्र इसके बाहर बड़े चक्र को जातीय समुदाय उससे आगे राष्ट्र, मानवता तथा विश्व मानव के कई चक्र बनाये हैं।




चित्र-2

सकेन्द्री रचना

इस सकेन्दी रचना में व्यक्ति केन्द्र बिन्दु है तथा सभी वृत्त एक दूसरे से विलग है परन्तु दास्तव में ऐसा नहीं होता सभी एक दूसरे से सन्धिगत है। समाज निर्माण में पश्चात्त्य लोग की "संशल काण्ट्रक्ट थ्यरी" तथा विगत 500 वर्षों में पोपशाही के विरुद्ध राष्ट्रीय चर्च समतशाही के विरुद्ध लोकतंत्र पूँजीवाद के विरुद्ध समाजवाद जैसे जो सघर्ष हुए उसी कारण उनकी पद्धति में यह पृथक्ता आदी होगी।

मानव जीवन का इस प्रकार टुकड़ों में विचार करने की पद्धति के कारण भारत के बाहर मानव एकता के लिए किये गये प्रयत्न किसी न किसी प्रकार एक अंग के टाचे न टोक-पँटकर बिटाने की दिशा में होते रहें। इस्लाम व ईसाई सम्प्रदाय के बोर में विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इन दोनों पथों का विस्तार दूर-दूर तक हुआ परन्तु सारे प्रयास सभी मानवा को एक प्रेरित और एक पवित्र ग्रथ की परिधि में बिटाने की भूमिका ही हुये। वह अतः न केवल एक मृग-मरीचिका ही रही।

मार्क्स न न राष्ट्र न धर्म न निर्जी सम्पत्ति न विवाह तथा न परिवार के पाव सूत्रा के आकार पर धर्म विहीन समाज की रचना करनी चाहिए। परन्तु आज हम देखते हैं कि विश्व मानचित्र से साम्यवाद लाभग समाप्त हो गया है। पूँजीवादी व्यवस्था में परिवार संस्था समाप्त हो गयी है नैतिक मूल्यों का संकट खड़ा हो गया है अमर्यादित उभनाग तथा अति उर्जा कटित औद्योगिकरण की वजह से पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गयी है।



चित्र-3

अन्तः संतक संस्था

मानव एकता का विचार केवल भारतीय सस्कृति ने किया है। हमारे यहाँ न केवल मानव एकता का विचार हुआ है बल्कि सपूर्ण प्राणी—मात्र तथा चराचर सृष्टि की एकता के भी विचार किया गया है। यह विचार पृथगात्मकता की भूमिका से नहीं बल्कि विविधता के मूल में विद्यमान एकता के आधार पर हुआ है। विविधता से विमूषित समस्त सृष्टि में एक ही चैतन्य—तत्व समाया है। यही इस विविधता में एकता का प्रमुख सूत्र है। एकता के इस सूत्र को ध्यान में रखकर इस आंतरिक एकता की अनेक रूपी अभिव्यक्ति में रहने वाली परस्पर पूरकता को पहचानते हुए मनुष्यो पर इस परस्परानुकूलता के सरकार करना तथा उस एकता को दृढितर बनाना ही सच्ची सस्कृति है। भारतीय सस्कृति एकात्मवादी है जिसे कुण्डलिन, सर्पिल या अखण्ड मडलाकार रचना की सजा दी गयी है। इसमें प्रत्येक मण्डल उसके आगे व पीछे के मण्डल से सबंध रखकर ही विकसित होता है (चित्र सख्या-3)। इस रचना का प्रारम्भ व्यक्ति से होता है परन्तु यह व्यक्ति केवल भौतिक सुख या अर्थ—काम के पीछे लगा न रहकर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति के बाद अगला मण्डल परिवार का, उसके बाद समुदाय, राष्ट्र मानवता तथा विश्व मण्डल से आगे परमेष्ठी तत्व के मण्डल तक पहुँचता है। परमेष्ठी तत्व का मण्डल अपने में सभी मण्डलों को समा लेता है। यही नहीं, परमेष्ठी तत्त्व स्वयं भी अन्य मण्डलों में व्याप्त रहता है क्योंकि परमेष्ठी तत्त्व सर्वातीत, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी और सर्वमय भी है। यही सर्वान्तर्यामी, सर्वव्यापी परम तत्त्व की एकात्म मानव दर्शन की आत्मा है।

इस प्रकार एकात्म मानव दर्शन एक पूरा जीवन दर्शन है। इसलिये एक तरफ समाज के घटकों को इस दर्शन के सभी अंगों से सस्कारित करते हुए, जीवन को भौतिक अभ्युदय के साथ सबंध रखने वाले राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदि समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में इस दर्शन के सजीवक सस्कारों को पहुँचाना चाहिए। प दीन दयाल जी ने एक स्थान पर कहा कि कौन—कौन से क्षेत्र में किस बिन्दु पर कितना बल देना चाहिए यह तो तारतम्य से निर्धारित करना होगा परन्तु दृष्टि व आक्रामणशीलता सभी मोहरों पर हाँगी चाहिए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो हमारे पूर्वजों के भारत से भी अधिक गौरवशाली हो तथा यहाँ जन्मा प्रत्येक मनुष्य अपने—अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए सपूर्ण मानव जाति के साथ ही नहीं अपितु सपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता का साक्षात्कार करता हुआ नर से नारायण बनने के लिए समर्थ हो।

एकात्म अर्थ नीति : एक तीसरा विकल्प

प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों को समृद्ध एवं सुखी जीवन—यापन की सुविधाएँ प्रदान करना रहा है। आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये अर्थव्यवस्थाएँ जी तोड़ कर पीछे पडी हुई है। इस विवशता ने कई तरह के आविष्कारों को जन्म दिया है, आर्थिक साधनों के कई साँतों का पता लगा है तथा उत्पादन में कई

गुना वृद्धि भी हुई है। अधिक समृद्धि की दौड़ में कई अर्थव्यवस्थाएँ ता आगे निकल गयीं तथा कई बाफ़ी पिछड़ गयीं। परन्तु अति समृद्धिशाली व अभाव ग्रस्त दोनों ही अर्थव्यवस्थाएँ अलग-अलग तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं।

इन समस्याओं का समाधान करने हेतु पश्चिमी देशों में पूँजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराएँ पनपीं। पूँजीवाद अपने मूल रूप में आज कहीं भी अस्तित्व में नहीं है तथा साम्यवाद व समाजवाद अपने कई रूप बदलता हुआ विश्व मानचित्र से लगभग समाप्त हो गया है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, मार्क्स, हाब्सबाम, केस, बर्नहम, शुम्पीटर आदि अर्थ वैज्ञानिकों ने विगत वर्षों में कई अर्थशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किये। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रा. गुर्नार-भिर्डल, प्रो. जेकब वाइनर आदि अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक चिन्तन प्रस्तुत किया।

पूँजीवाद चार सिद्धांतों पर खड़ा हुआ है -

- (i) अस्तित्व के लिए संघर्ष (Struggle for existence)
- (ii) सर्वोत्तम का अस्तित्व (Survival of the fittest)
- (iii) प्रकृति का शोषण (Exploitation of nature)
- (iv) व्यक्तिगत अधिकार (Individual rights)

इन चार सिद्धांतों व आधार पर पूँजीवाद का विकास हुआ। पूँजीवाद को अपने विकास में एडम स्मिथ व कीन्स के विचारों का काफी सहयोग प्राप्त हुआ।

एडम स्मिथ एक जगह कहते हैं कभी किसी का भला मत करो भला करना ही है तो तब करो जब ऐसा करने से तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है (Don't try to do any good, let good come out as a by product of selfishness)। कीन्स ने कहा

आने वाले कम से कम सौ वर्षों में यदि सच्चाई का कोई उपयोग नहीं है और असत्य ही उपयुक्त है तो हमें चाहिए कि सच को झूठ और झूठ को सच मान लें। अधिकाधिक धन प्राप्त करने की भूख अधिकाधिक लाभ अर्जित करने की स्पर्धा और उसके लिए बरती जाने वाली दक्षता ही आने वाले कुछ समय के लिए हमारे देवता हैं। ये देवता ही हम आर्थिक आवश्यकताओं की अधी गली से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जायेंगे।"

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी जगत के लिए बेकारी व मंदी की समस्या से निपटने के लिए केस का अर्थशास्त्र बरदान सिद्ध हुआ। परन्तु स्मिथ व कीन्स के विचारों ने अस्तित्व के लिए संघर्ष तथा सर्वोत्तम का अस्तित्व जैसे सिद्धांतों के कारण पूँजीवादी देशों में जीवन को बाफ़ी प्रतिस्पर्धा पूर्ण बना दिया। प्रत्येक व्यक्ति कहीं दूसरे से पिछड़ न जाय इस डर से रात-दिन मशीनों की तरह काम करने लगा। इस कारण लोगों के जीवन में रक्तचाप, तनाव, हृदय रोग आदि बढ़ गये। लोगों को नींद लेने के लिए काम्पोज लेनी पड़ती है। जितनी हत्याएँ बलात्कार, तलाक व आत्म हत्याएँ अमरीका में होती हैं उतने अपराध अन्य देशों में नहीं पाये जाते। उनकी पारिवारिक संस्था

ही समाप्त हो गयी है। उद्योगों के केन्द्रीकरण के कारण विशाल महानगर खड़े हो गये तथा उनका जन जीवन प्रकृति से तो दूर हो ही गया परन्तु नैतिक दृष्टि से भी पिछड़ गया।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों की प्रतिक्रिया में ही मार्क्सवादी अर्थचिन्तन सामने आया। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो मार्क्सवाद के बारे में यह कहा गया कि यह एक अत्यन्त वैज्ञानिक विचारधारा है जिसके सामने सभी विचारधारारों समाप्त हो जायेंगी तथा ऐसे समाज का निर्माण होगा जो समता युक्त तथा सभी प्रकार के शोषण से भी मुक्त होगा। परन्तु मुश्किल से 70 वर्ष बाद ही साम्यवाद का यह महल ढहने लगा तथा आज विश्व मान चित्र से लगभग समाप्त हो गया है। बड़े तन्त्रे चौड़े कायदे करने वाली साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएँ लोगों को न्यूनतम रोटी-कपड़ा भी उपलब्ध नहीं करवा पायी।

भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी लोगों की स्थिति काफी दयनीय है। गरीबी बेकारी असमानता, स्फीति, भुगतान असतुलन आदि कई समस्याएँ ज्यों की त्यों खड़ी हैं। प. दीन दयाल जी ने कहा कि विश्व आज भीषण सन्नम के चौराहे पर खड़ा है। इस चक्र-व्यूह से उसे छुड़ा सकने वाला क्या कोई तीसरा विकल्प है? दीन दयाल जी ने बड़े ही आत्म विश्वास पूर्वक कहा है कि भारतीय सस्कृति के एकात्म मानव दर्शन के अतर्गत एकात्म अर्थनीति ही ऐसा तीसरा विकल्प बन सकता है।

जैसा कि इस अध्याय के प्रारम्भ में बताया गया है कि एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा जीवन-दर्शन है जो मनुष्य का विचार केवल "आर्थिक मानव" के एकांगी दृष्टिकोण से न करते हुए जीवन के समग्र पहलुओं का तथा ऐसे मानव के अन्य मानवों एवं मानवोत्तर सृष्टि, साथ परस्पर पूरक एकात्म सब्धों को भी ध्यान में लेकर समृद्ध, सुखी एवं कृतार्थ जीवन की दिशा दर्शाता है।

अर्थनीति का विचार करते समय आर्थिक बातों के साथ ही कुछ अनार्थिक बातों का भी विचार करना पड़ता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने इन आर्थिकेतर बातों पर कोई विचार नहीं किया। कुछ अर्थशास्त्रियों जैसे जे. एस. मिल के अनुसार "यह नहीं कहा जा सकता कि सभी आर्थिक प्रश्नों का केवल अर्थशास्त्र के आधार पर ही समाधान ढूँढा जा सकता है। अनेक आर्थिक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके महत्वपूर्ण राजनीतिक व नैतिक पक्ष भी होते हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।"

प्रो. जेकब वाइनर का भी इसी प्रकार का मत है "केवल अधिक पूँजी, अधिक भूमि, कोयले की अधिक खाने आदि बातों के आधार पर आर्थिक प्रगति नहीं की जा सकती। अच्छी शिक्षा, सस्कार, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन एवं श्रम की प्रतिष्ठा को सजोचे रखना भी उसके लिए आवश्यक होता है।" प्रो. गुनार्त मिर्डल ने भी इसी तरह के विचार

प्रकट किये। उन्होंने बताया अर्थशास्त्रज्ञों द्वारा निरूपित उत्पादन के घटकों के गुणधर्मों के साथ आर्थिकेत्तर घटकों का पर्याप्त सबंध रहता है इसलिए आर्थिक घटकों के साथ आर्थिकेत्तर घटकों का भी विचार करने वाले अर्थशास्त्र का हमें विकसित करना होगा।

परन्तु आज पश्चिमी अर्थशास्त्र विज्ञान का अधिकाधिक विचार कर मानव की केवल भौतिक समृद्धि बढ़ाने की दिशा में ही साक्षता है तथा आज उसे भौतिक समृद्धि के साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं सतोष प्राप्त करा देने वाली सर्जीवनी की उसे तलाश है। दीन दयाल जी द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानव दर्शन और उसके अंतर्गत एकात्म अर्थ नीति में इस सर्जीवनी का अनुभव किया जा सकता है।

अपने आर्थिक चिंतन को व्याख्यित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ने 'भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा' नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में अर्थनीति की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने 'एकात्म मानव' के अध्यायों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। समाज से अर्थ के अभाव व प्रभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' कहा गया है¹ उनके द्वारा बताये गये आर्थिक विचार निम्न प्रकार हैं—

1 भारतीय संस्कृति में अर्थ

भारतीय संस्कृति में धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है। सुखस्य मूलम धर्म। धर्मस्य मूलमर्थ। चाणक्य के इस कथन के अनुसार अर्थ क दिना धर्म नहीं टिकता। * 1953 में लिखे अपने प्रथम अर्थनीति प्रलेख में उपाध्याय लिखते हैं

हम जानते हैं कि भारतीय ढंग सदा से ही धर्म का ढंग रहा है (मजहब का नहीं) जोर धर्म के इस ढंग पर ही आर्थिक नवनिर्माण के लिए नवशो को तैयार करने की जरूरत है धर्म की वेदा की व्याख्या हम लेते हैं जिसमें उसके 12 लक्षण गिनाए गए हैं। इनमें धर्म का आद्य लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है (श्रमेण तपसा सृष्टा) और वह है श्रम। श्रम को धर्म का पहला लक्षण बताया। श्रम की महत्ता का ज्ञान मार्क्स और एंजिल्स के जन्म तक रुका नहीं रहा वह अतिपुरातन काल में सहज अनुभूति से हमें मानवता को दे दिया था। अतः श्रम का अधिकार देना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है (Duty to work) इसी प्रकार मनुष्य को श्रम करने का यह अधिकार देना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। अतः श्रम का अधिकार (Right to work) मनुष्य का सङ्घैतिक अधिकार है। राज्य का यह पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे। इन अवसरों में किसी प्रकार का भेदभाव न जाति का न रंग का आर न लिंग का होना चाहिए। राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जागी याजना बनाई जाए उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों का काम दिलाना होना चाहिए (Full employment)।² इसी आधार पर दीनदयाल उपाध्याय पंचवर्षीय याजनाओं

के निर्माण के सदर्थ में सदैव यह आग्रह करते रहे कि हमें अपना आयोजना लक्ष्य घोषित करना चाहिए "सब को काम"।

2. धन का मनाविज्ञान

धन का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है। अभाव के क्षणों में की गई चोरी को भारतीय शास्त्रकार अपराध नहीं वरन् "आपद्धर्म" की सजा देता है

"उन्होंने (विश्वामित्र ने) धर्म की अनेक भर्यादाओं को भग किया। आपद्धर्म की सजा देकर शास्त्रकारा ने उनके इस व्यवहार को उचित उहशया है। यदि अर्थ के अभाव की आपत्ति बनी रहे तो फिर आपद्धर्म अर्थात् चोरी ही धर्म बन जाय। यदि यह आपत्ति समष्टिगत हो जाय अथवा समष्टि का बहुतांश इससे व्याप्त हो जाये तो वे एक दूसरे की चोरी कर के अपने आपद्धर्म का निर्वाह करेंगे।"

अर्थात् समाज में अर्थ का अभाव अथवा अभावमूलक नियोजन समाज में अधर्म को धर्म बना देता है वैसे ही "अर्थ का प्रभाव भी धर्म का नाश करता है अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में और उससे प्राप्त भोग-विलास में सग (आसक्ति) उत्पन्न कर देता है तब अर्थ का प्रभाव कहा जाता है। "सर्व गुणा काचनमाश्रयति"

जब समाज में सभी धनपरायण हो जाए तो प्रत्येक कार्य के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। धन का यह प्रभाव प्रत्येक के जीवन में अर्थ का अभाव उत्पन्न कर देगा।^२

इसलिए वे यह प्रतिपादित करते हैं कि "समाज के मानदण्ड ऐसे बनाए जायें कि हर वस्तु पैसे से न खरीदी जा सके। ... (पैसे से ही मूल्य आकने का परिणाम यह होगा कि दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पायेगी) शरीर शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमाकर, अपनी रक्षा का मूल्य चूकायेगा (पुसखोरी होगी)। श्रम का रूपये-पैसे में मूल्य आकना असमव है। श्रम और पारिश्रमिक दोनों का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध होने पर भी, व्यवहार जगत् के लिए सर्वमान्य एवं सर्वकष मूल्य सिद्धांत निश्चित करना न तो सरल है, ओर न उपादेय ही। वास्तविकता तो यह है कि दोनों का मूल्यांकन पृथक मानदण्ड से होता है। श्रम की प्रतिष्ठा उससे मिलने वाले अर्थ के कारण नहीं, अपितु उसके धर्मत्व से है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक उसके द्वारा किए श्रम का प्रतिपादन नहीं वरन् उसके "योगक्षेम" की व्यवस्था है।"^३

उपाध्याय इस प्रकार के समाजशास्त्र व मनोविज्ञान के हिमायती हैं जिसमें कर्म की प्रेरणा का आधार तमे वृत्ति नहीं, वरन् कर्त्तव्य सुख है। वे उस अर्थशास्त्र के खिलाफ हैं जो मानव जीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा करता है।

व्यक्तियों की अबाध व असीम प्रतिस्पर्धा को न तो हम सामाजिक जीवन

का नियामक मान सकते हैं और न सुरक्षापूर्ण ही। यह मान्यता 'मात्स्य न्याय' का प्रतिपादन करने वाली है। हमन इस न्याय को कभी धर्मसंगत नहीं माना। समाज में मानव की कुछ स्वतंत्रताओं पर मर्यादा आवश्यक होती है। अनियंत्रित स्वतंत्रता केवल कल्पना की वस्तु है। हाँ यह नियंत्रण जितना बाहरी होगा मानव को कष्टदायी होगा। शिक्षा और सरकार दर्शन और आदर्शवाद व्यवहार में मनुष्य को आत्म-नियंत्रण सिखाते हैं।¹⁴

अपनी ही गति से चलने वाले अर्थशास्त्र के हवाले समाज को नहीं किया जा सकता। अर्थचक्र का समाजशास्त्र व धर्मशास्त्र के अनुकूल नियोजन करना आवश्यक है इसलिए वे कहते हैं अपनी ही गति से बराबर गतिमान अर्थव्यवस्था असंभव है उसे गति देने के लिए और बाद में भी कम से कम रूकावट के साथ सुचारु रूप से चलते रहने के लिए व्यक्ति और समाज के जीवन में प्रेरणा का स्रोत अर्थ के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र ढूँढना होगा। राष्ट्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा कुटुम्ब का प्रेम आदि अनेक प्रेरणाएँ वाञ्छित अर्थरचना को बनाने व टिकाने में सहायक हाती हैं।¹⁵

उपाध्याय की मान्यता है कि उपभोगवाद स्पर्धावाद व वर्गसर्घर्ष इन सबका आधार अनियंत्रित उपभोग है। पश्चिम ने अधिकाधिक उपभोग के अपने पुराने सिद्धांत को ही चलने दिया और उसमें संशोधन की जरूरत नहीं समझी। वास्तविकता यह है कि अधिकाधिक उपभोग का सिद्धांत ही मनुष्य के दुःखा का कारण है। उपभोग की लालसा यदि पूरी की जाय तो वह बढ़ती चली जाती है। वर्गसर्घर्ष जिसके ऊपर समूचा साम्यवाद टाँका है उसे उपभोग के कारण ही उत्पन्न होता है। भारतीय मतवाद जब वर्गसर्घर्ष का खण्डन करता है तब उसका तात्पर्य यही होता है कि उसने उपभोग की बजाय न्यूनतम उपभोग को आदर्श बनाया है। मनुष्य की प्राकृत भावनाओं का सरकार कर के उसमें अधिकाधिक उत्पादन समान वितरण तथा सयमित उपभोग की प्रवृत्ति पैदा करना ही आर्थिक क्षेत्र में सारकृतिक कार्य है। इसमें ही तीना का सतुलन है।

साम्यवादी व पूँजीवादी विचारधाराएँ समाजशास्त्र मानवशास्त्र विधिशास्त्र सभी को अर्थशास्त्र के हवाले कर देती हैं। अर्थशास्त्र उनकी समस्त गतियों का नियामक है। अर्थशास्त्र की औद्योगीकरण-प्रवृत्ति ने वित्तीय सत्ता के केन्द्रीकरण को पोषण प्रदान किया है इससे मानव जीवन का ही मशीनीकरण हो गया है। उपाध्याय धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र में पारस्परिक सतुलन के हिमायती हैं इस सतुलन कार्य को वे सारकृतिक कार्य मानते हैं तथा इस दृष्टि के अनुकूल अर्थव्यवस्था की स्थापना के हिमायती हैं।

3 स्वामित्व का सवाल

सम्पत्ति किसकी ? यह साम्य समाज का आदिकालिक प्रश्न है। सम्पत्ति को सर्पण समाज चक्र का नियामक मान लेने से इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई।

व्यक्तिवाद व समाजवाद के विचारधारात्मक संघर्ष ने इसे एक नदीन आयाम दे दिया, सम्पत्ति पर व्यक्ति का अधिकार अथवा सम्पत्ति पर समाज का अधिकार ? उपाध्याय "सम्पत्ति" के स्वामित्व के लिए व्यक्ति व समाज के द्वन्द्व को ही गलत मानते हैं, अतः इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं देते ।

हर व्यक्ति समाज का प्रतिनिधि है अतः वह समाज की सम्पत्ति के एक हिस्से का 'रक्षक' या संरक्षक है। उपाध्याय व्यक्ति का श्रेयहीन करने के खिलाफ है व्यक्ति स्वयं 'समाज पुरुष' का अंग है, अतः वह स्वयं ही समाज की धरोहर है इसलिए सम्पत्ति पर अमोघ अधिकार तो समाज का ही है लेकिन वे समाज की एकमात्र प्रतिनिधि सस्था के नाते "राज्य" को मानने के लिए तैयार नहीं है। अतः निजी सम्पत्ति के अधिकार ने नाम पर समाज के कुछ लोगों के हाथ में सम्पत्ति का केन्द्रीकरण या सम्पत्ति के सामाजिक अधिकार के नाम पर राज्य में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को वे समान रूप से गलत मानते हैं। आम आदमी को पूँजीपतियों अथवा राज्य सस्था का मजदूर या गुलाम बना देना, वे मानवता का अपमान समझते हैं। उपाध्याय सम्पत्ति पर न तो व्यक्ति का अमर्यादित स्वामित्व स्वीकार करते हैं तथा न ही अमर्यादित राज्याधिकार। वे स्वामित्व के केन्द्रीकरण के खिलाफ हैं अतः वे विकेन्द्रित राज्य व विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं।

उपाध्याय कहते हैं, " समाजवादी निजी सम्पत्ति को ही समाप्त करने की बात करते हैं। उनका सिद्धांत व व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से समर्थन करना कठिन है। यद्यपि सृष्टि के आरम्भ से ही "अपरिग्रह" एवं "मागृध कस्यस्विदनम्" का उपदेश मिला है, किन्तु यह ससार मेरे और तेरे का ही नाम है। साम्यवादी जो निजी सम्पत्ति की भावना को जड़मूल से समाप्त कर देना चाहते थे, पहले व्यक्तिगत और फिर कुछ-कुछ अंश में निजी सम्पत्ति को भी स्वीकार करने लगे। निजी सम्पत्ति के कारण बुराईयों उत्पन्न होने पर भी हम उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। हाँ, हमें निजी सम्पत्ति की मर्यादाएँ अवश्य स्थापित करनी होंगी।"²⁰

व्यक्तिगत सम्पत्ति के नियमन एवं अर्थोत्पदकीय आयोजना के लिए उपाध्याय राज्याधिकार को भी स्वीकार करते हैं। जहाँ कुछ हाथों में पूँजी के केन्द्रीयकरण का खतरा हो वहाँ राष्ट्रीयकरण को वाछनीय मानते हैं

जहाँ तक कुटीर उद्योगों का सवाल है खतरा बहुत कम है लेकिन जहाँ बड़े उद्योगों का क्षेत्र शुरू होता है वहाँ यह खतरा उत्पन्न होता है। सुरक्षा उद्योगों को तो राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। अब प्रश्न बचता है पूँजी उद्योगों का उनका भी अंतिम रूप से राष्ट्रीयकरण कर देना उद्देश्य होना चाहिए। आज पूँजी उद्योग व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं। उनसे व्यक्तिगत क्षेत्र का क्रमिक उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब तक यह राष्ट्रीयकरण अंतिम रूप से सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक बड़े उद्योगों के गुट बनने देने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जिन उद्योगों में ये गुट बन गए हैं उनका राष्ट्रीयकरण

कर लिया जाये। कुटीर उद्योग का विकास करते समय भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका गुट बनाकर पूँजीपति उन पर नियंत्रण स्थापित न कर लें। जापान में वितरण तथा सम्पत्ति की असमानता का कारण वहाँ क कुटीर उद्योगों पर पूँजीपतियों का नियंत्रण ही है।⁴

स्वामित्व के सवाल का जिस प्रकार पूँजीवाद व समाजवादी लोग प्रस्तुत करते हैं उसे वे उनकी विभक्त दृष्टि का परिचायक मानते हैं। उपाध्याय के नजर में सम्पत्ति के स्वामित्व की बजाय केन्द्रीकरण का सवाल ज्यादा अहम है साथ ही उपभोगवाद की अवधारणा का सवाल भी महत्वपूर्ण है अतः व लिखते हैं

स्वामित्व के साथ अनिर्बंध नियंत्रण एवं मनमान उपभोग की धारणाओं ने इस विषय का गलत पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया है। किसी भी वस्तु पर मेरा स्वामित्व होने के बाद भी मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं कि मैं उसका चाहे जैसा उपभोग करूँ। स्वामित्व एवं उपभोग की दोनों भावनाओं को जब तक हम अलग-अलग नहीं करेंगे तब तक हम होने वाली बुराइयों को नहीं रोक सकेंगे। जिस वस्तु का मैं स्वामी हूँ उसका उपभोग समाज हित में ही करने का मुझे अधिकार है यह विचार प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख चाहिए।

राज्य भी जब स्वामित्व ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्तियों द्वारा ही व्यवस्था करता है। जो व्यक्ति आज अपनी चीज का मनमाना उपयोग करने से नहीं डरता वह समाज की वस्तु का उपयोग भी वैसा ही नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। यदि उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दण्डनीति आवश्यक समझते हैं तो वह उसके पास स्वामित्व का अधिकार रखते हुए भी काम में लाई जा सकती है।⁵

दीनदयाल उपाध्याय व्यक्ति के निजत्व को कुचलन वाले राज्याधिकार व समाज की उपेक्षा करने वाले दैवव्यक्तिक अधिकारों के खिलाफ हैं वे इसे मानव की अस्वस्थ अवस्था का परिचायक मानते हैं। सम्पत्ति पर व्यक्ति या राज्य के अनिर्बंध नियंत्रण के अधिकार का सवाल भी इस अस्वस्थ अवस्था की उपज है। उनका मत है गभीरता से देखें तो स्वामित्व का अधिकार वारतव में निश्चित मर्यादाओं तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार ही है समय के साथ इन अधिकारों में परिवर्तन होता रहता है। अतः हम सैद्धांतिक दृष्टि से व्यक्ति और समाज के झगड़ में नहीं पड़ेंगे।

सम्पत्ति का उपभोग बुद्धि (समाज) के हित में होता है मनमान ढंग से नहीं। ट्रस्टीशिप का यह भारतीय सिद्धांत गोंधीजी गुरुजी आदि विचारकों ने समाज के सम्मुख रखा है।⁶

ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हर व्यक्ति का समाज का दायित्ववान घटक मानता है। समाज में दायित्व-बाध का शिथिलन न आवे तथा दायित्व का सरकार सामाजिक परिवेश का स्वाभाविक परिणाम है ऐसी समाज रचना मानवी समाज रचना है। व्यक्ति की शैतानियत पर राज्य का अकुश एवं राज्य की हैवानियत के खिलाफ व्यक्तियों

का विद्रोह सत्कारहीन समष्टि का परिचायक है। "अकुरु" व "विद्रोह" मजबूरी के हथियार हैं इनका यदाकदा उपयोग व्यावहारिक माना जा सकता है लेकिन अखण्ड अकुश एव अखण्ड विद्रोह की व्यवस्थाओं का नियोजन, विदेक सम्मत नहीं माना जा सकता। व्यक्ति व समष्टि के साझेपन में ही मानवता का सुख अन्तर्निहित है। अतः सम्पत्ति पर यह साझा अधिकार ही, उपाध्याय के एकात्म मानववाद को अभिप्रेत है।

पूँजीवाद का निषेध

दीनदयाल उपाध्याय, पश्चिम की विचार-सरणी से उत्पन्न, व्यक्तिवाद के लोकतंत्रीय पक्ष के समर्थक हैं, लेकिन पूँजीवाद को व्यक्तिवाद की विकृति मानते हैं। उन्मुक्त आर्थिक स्पर्धा पूँजीवाद का आधार है, स्पर्धा-स्वातंत्र्य को ही पूँजीवादी लोग व्यक्ति स्वातंत्र्य कहते हैं, लेकिन उपाध्याय इससे पूरी तौर पर असहमत हैं। उनका कहना है

'कहा जाता है कि स्वतंत्र एव प्रतिस्पर्धी-पण व्यक्ति को उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है। (यह सही नहीं है) विरोधियों (स्पर्धियों) के समाप्त होने पर, एक या कुछ उत्पादकों का उस क्षेत्र में एकाधिपत्य हो जाता है, तो वे उपभोक्ता से उसके प्रजातंत्रीय अधिकारों को छीन लेते हैं। फिर मूल्य, माग और पूर्ति के नियमों से तय न होकर, उत्पादकों की अपनी इच्छा और योजना से तय होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में यह एक प्रकार की "डिक्टेटरशिप" है। प्राप्त शक्ति तथा प्रचार तंत्र के सहारे उत्पादकों के स्वामी सामान्य जन को, उसके अधिकार से वंचित करते हैं। एतदर्थ आवश्यक है कि उत्पादन के सामर्थ्य की मर्यादा निश्चित की जाये, जो कि विकेन्द्रीकरण से ही समभव है।'²⁸

उपाध्याय कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन के सामर्थ्य के केन्द्रीकरण के प्रबल विरोधी हैं " यदि एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की स्वतंत्रता दूसरे के मार्ग में बाधक बनती है, तो यह नहीं दी जा सकती। एक बड़े कारखाने का मालिक, यद्यपि स्वयं उत्पादन की स्वतंत्रता का उपभोग करता है, किन्तु वह छोटे-छोटे उद्योगों को समाप्त कर, उनकी स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फिर कई बार उसके कारखाने में मजदूरों की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित हो जाती है। अतः नियमन आवश्यक है।'²⁹

पूँजीवाद की प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ हाथों में केन्द्रीकृत कर देने की है। अपनी समाज निरपेक्ष मानसिकता के कारण वह मनुष्यों के हित की बजाय अपने स्वामित्व के कारण पर ही अधिक बल देता है। यह केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ही, पश्चिम के औद्योगिकरण को पनपाती है जहाँ मशीन मनुष्य के लिए सहयोगिनी बनकर नहीं बरन् स्पर्धिनी बनकर आई। नित नए यांत्रिक अभिनवीकरण ने पूँजीवाद को बल प्रदान किया, अतः उपाध्याय बेतहाशा मशीनीकरण व औद्योगिकरण के खिलाफ है।³⁰ वे कहते हैं

'उत्पादन' पर अधिक बल देने के कारण अमरिका आदि में पूँजीवाद का विस्तार हुआ। नवाविष्कृत यंत्र, इस वृद्धिगत उत्पादन के कारण बने और इन यंत्रों के स्वामी ही,

उत्पादन के स्वामी भी बन गए। लाभ में जब श्रमिकों को भाग नहीं मिला जब उनमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई उन्होंने एक नई प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद का विकास किया जिसमें पुन वितरण पर बल दिया और इसके लिए राज्य द्वारा व्यक्ति को कुचलकर रख दिया गया।⁴⁰ पूँजीवादी व्यवस्था समाज में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है सम्यक जीवन का नियोजन नहीं करती। समाज के सांस्कृतिक मूल्यों को नष्ट कर उसे उपभोगवाद के दुष्चक्र में फसाकर लोलुप बनाती है। पूँजीवाद द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक मानव की कल्पना भी भ्रमपूर्ण है। उपभोगवाद व आर्थिक मानव की कल्पनाओं ने आर्थिक जीवन एवं मानव को विभक्त कर दिया है श्रम एवं आनंद के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी है। यत्र को मनुष्य का सहयोगी बनाने के बजाय मनुष्य का यत्र का पुर्जा बना दिया है। उत्पादन कार्य में से शिल्प व सृजन के सुख का अपहरण कर लिया है। दीनदयाल आगे कहते हैं

एक स्वतंत्र जुलाहे को समाप्त कर उसे विशाल कारखाने का मजदूर बना दिया गया। बाजार के स्थान पर एक विभागीय स्टोर्स बना दिया गया। दर्जी के स्थान पर रेडीमड कपडा लाकर रटा दिया गया। मनुष्य यानी एक जन्तु जो आठ घंटे यत्रवत् मजदूरी करे ओर सोलह घंटे खाए। कार्य और जीवन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। पश्चिम के कई देशों में कहा जाता है पाच दिन काम के और दो दिन छुट्टी के। उन दो दिनों में केवल मस्ती केवल खनापीना और मौज काम की बात भी नहीं। अर्थात् वे पाच दिन कमाई करते हैं तथा दो दिन जीवित रहते हैं। अतः हमें मनुष्य के कमाई के साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य और दारतविक जीवन के बीच कोई खाई न रहे। हाड-मांस के मनुष्य के पास हृदय मरिक्क व शरीर तीनों की भूख है इन तीनों का ही विचार करना होगा। अन्यथा कार्य के आठ घंटों का जो अमानवीय प्रभाव (Dehumanising effect) होता है उसे समाप्त करने में ही उसके शेष सोलह घंटे व्यतीत हो जाते हैं उनके समाप्त होते ही वह पुन आठ घंटों के चक्र में फस जाता है।⁴¹

5 समाजवाद का निषेध

व्यक्तिवाद के समानान्तर समाजवाद का विचार भी पश्चिम में पैदा हुआ। समाजवाद का प्रतिनिधि अततोगत्वा सर्वहारा की तानाशाही वाला साम्यवाद बन गया। जो अलाकतात्रिक राज्यवाद एवं वर्गवाद के साथ ही पूँजीवाद के समान औद्योगीकरण व केन्द्रीकरण का समर्थक है। उपाध्याय समाजवादी वृत्ति के प्रशंसक हैं लेकिन उसके राज्यवाद व केन्द्रीकरण के व्यावहारिक उपायों के सर्वथा खिलाफ हैं।

समाजवाद व्यक्तिवाद के अतिवाद का निषेध करता है। वह व्यक्ति की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन का हामी है व्यक्ति को अव्यवस्था की ही उपज मानता है। उसका यह व्यवस्थावाद ही उसे अन्ततः राज्यवादी बना देता है। उपाध्याय व्यक्ति बनाम व्यवस्था के विवाद को भी गलत मानते हैं। कोई व्यवस्था व्यक्ति-निरपेक्ष नहीं होती तथा

कोई व्यक्ति व्यवस्था निरपेक्ष नहीं हो सकता। वे इस प्रकार की समाज व्यवस्था के पोषक हैं जो अपने 'मनुष्य' की चिन्ता करता है।

बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। मनुष्य ही प्रथम आता है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर बुराई फैला देगा। समाज की प्रत्येक परम्परा और व्यवस्था किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा प्रारम्भ की गई है। परन्तु उसी अच्छी परम्परा पर जब बुरा व्यक्ति आ बैठा तो वहाँ बुराई आ गई। इसकी क्या गारंटी है कि यदि कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर बुराई करता है तो उसके स्थान पर राज्य का व्यक्ति बैठा देने पर बुराई न फैलेगी? अतः हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जगाने पर केन्द्रित होना चाहिए था।^{२७}

केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति मनुष्य के कर्तव्य भाव को मारती है। उसमें "मजदूर" का भाव जगाती है। "मजदूरी" का भाव "मजबूरी" का भाव है। इसमें कर्ता को सम्मान एवं कर्तव्य का सुख नहीं रहता। उपाध्याय मानते हैं कि समाजवाद में केन्द्रीकरणवादी पूँजीवाद के सब दोष विद्यमान रहते हैं, राज्यवादी नौकरशाही का एक अतिरिक्त दोष ओर जुड़ जाता है। अतः वे पूँजीवाद व समाजवाद दोनों की साझी आलोचना करते हैं।

वर्तमान साम्यवाद तथा पूँजीवाद दोनों में स्वामित्व के स्वरूप का अंतर छोड़कर और कोई फर्क नहीं है। अतः दोनों में ही व्यक्ति के विकास की सुविधा नहीं है।^{२८} दोनों ही प्रत्यक्ष या परोक्ष अपनी केन्द्रित सत्ता की सुरक्षा के लिए राज्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। उपाध्याय विवेचित करते हैं कि "पूँजीवादी अर्थव्यवस्था पहले आर्थिक क्षेत्र पर आधिपत्य जमाकर फिर परोक्ष रूप से राज्य पर अधिकार करती है, तो समाजवाद राज्य को ही संपूर्ण उत्पादन का स्वामी बना देता है। दोनों व्यवस्थाएँ व्यक्ति के प्रजातन्त्रीय अधिकार एवं उसके स्वस्थ विकास के प्रतिकूल हैं।"^{२९}

उपाध्याय केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को ही अमानवीय मानते हैं। मनुष्य का सांस्कृतिक चेतना व्यक्ति-व्यक्ति में, व्यक्ति और समाज में, प्रकृति और व्यक्ति में तथा कर्ता और कृति में, परस्पर 'आत्मीयता' का संचार करती है। ये दोनों व्यवस्थाएँ इस "आत्मीयता" के संचार को समाप्त कर सबधों में एक यात्रिकता पैदा कर देती हैं। 'केन्द्रीय व्यवस्थाएँ मानव को मानव न मानकर उसके एक 'टाईप' के साथ व्यवहार करती हैं। इनमें मानव की विविधताओं और विशेषताओं के लिए कोई स्थान नहीं। फलतः वे उसे उँचा उठाने के स्थान पर एक मशीन का पुर्जा मात्र बना देती हैं उसका अपना व्यक्तित्व मर जाता है। अतः विकेन्द्रकरण ही हमारी संस्कृति के अनुकूल है।^{३०} केन्द्रीकृत औद्योगीकरण में श्रद्धा रखने वाली पूँजीवादी समाजवादी व्यवस्थाओं को उपाध्याय मानव विरोधी मानते हैं। अतः वे 'समग्र मानववाद' के आधार पर आर्थिक लोकतंत्र व विकेन्द्रित अर्थनीति का निरूपण करते हैं। उनके अनुसार पूँजीवाद व समाजवाद, दोनों ही 'लोकतंत्र' का व्यवहारवत् निषेध करते हैं।

6 आर्थिक लोकतंत्र

दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र को केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है 'प्रत्येक का वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निकष है वैसे ही प्रत्येक को वाम यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदण्ड है।' * प्रत्येक को वाम के अधिवार की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं 'काम प्रथम तो जीविकोपार्जनीय हो तथा दूसरे व्यक्ति को उसे चुनने की स्वतंत्रता हो। यदि वाम के बदले में राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग उसे नहीं मिलता हो तो उसके वाम की गिनती बेगार में होगी। इस दृष्टि से न्यूनतम वेतन न्यायोचित वितरण तथा किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है।' ** उपाध्याय आगे कहते हैं

'जैसे बेगार हमारी दृष्टि में वाम नहीं है वैसे ही व्यक्ति के द्वारा काम में लगे रहते हुए भी अपनी शक्ति भर उत्पादन न कर सक्ता काम नहीं है। अंडर इम्प्लायमेंट भी एक प्रकार की बेवारी है।'

उपाध्याय उस अर्थव्यवस्था को अलोकतंत्रिय मानते हैं जो व्यक्ति के उत्पादन स्वातंत्र्य या सृजन कर्म पर आघात करती है। अपने उत्पादन का स्वयं स्वामी न रहने वाला मजदूर या कर्मचारी अपनी स्वतंत्रता को ही बेचता है। आर्थिक स्वतंत्रता व राजनीतिक स्वतंत्रता परस्पर अन्योन्याश्रित है राजनीतिक प्रजातंत्र बिना आर्थिक प्रजातंत्र के नहीं चल सकता। जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र है वही राजनीतिक दृष्टि से अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकेगा अर्थस्य पुरुषो दास * (- पुरुष अर्थ का दास हो जाता है)।

मनुष्य के उत्पादन स्वातंत्र्य पर सबसे बड़ा हमला पूंजीवादी औद्योगीकरण ने किया है। अतः उपाध्याय औद्योगीकरण का इस प्रकार से नियमन चाहते हैं जिससे कि वह स्वतंत्र लघु एवं बुटीर उद्योगों को समाप्त न कर सके आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं? तो संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करने चलते हैं। यह संरक्षण देश के उद्योगों का विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से तथा देश के छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से देना होगा। * उपाध्याय यह महसूस करते हैं कि पश्चिमी औद्योगीकरण के नवल ने भारत के पारम्परिक उत्पादकों को पीछे धकेला है तथा विद्युतियों को आगे बढ़ाया है हमने पश्चिम की तकनीकी प्रविद्या का आटा बंद कर के अनुकरण किया है। हमारे उद्योग का स्वाभाविक विवास नहीं हो रहा। वे हमारे अर्थव्यवस्था के अभिन्न व अन्योन्याश्रित अंग नहीं अपितु उपर से लादे गए हैं। (इनका विवास) विदेशियों के अनुकरणशील सहयोगी अथवा अभिवर्त्ता कतिपय देशी व्यापारियों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि भारत के उद्योगपतियों में सबसे सब व्यापारी आदतियों तथा सटोरियों में से आए हैं। उद्योग एवं शिल्प में लगे कारीगरों का विवास नहीं हुआ है। **

देश के आम शिल्पी व कारीगर की उपेक्षा करने वाला औद्योगीकरण अलोकतांत्रिक है। पूँजीवाद व समाजवाद के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद को उपाध्याय गलत मानते हैं। इन दोनों ने ही स्वयंसेवी क्षेत्र (Self employed sector) का गला घोटा है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वयंसेवी क्षेत्र का विकास करना। इसके लिए विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था जरूरी है

राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेन्द्रीकरण कर के जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा में विकेन्द्रीकरण कर के अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं, अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए। राजनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को जिस प्रकार तानाशाही नष्ट करती है, उसी प्रकार अर्थनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को भारी पैमाने पर किया गया औद्योगीकरण नष्ट करता है। इसलिए तानाशाही की भांति ऐसा औद्योगीकरण भी वर्जनीय है।⁴⁵

यत्रचालित औद्योगीकरण की मर्यादा को स्पष्ट करते हुए उपाध्याय एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं 'प्रत्येक को काम का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो सम-वितरण की दिशा सुनिश्चित हो जाती है और हम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ते हैं। औद्योगीकरण को उद्देश्य मानकर चलना गलत है। इस सिद्धांत को गणित के सूत्र में यों रख सकते हैं $\text{ज} \times \text{क} \times \text{य} = \text{इ}$ '⁴⁶

यहाँ 'ज' जन का परिचायक है, 'क' कर्म की अवस्था व व्यवस्था का, 'य' यत्र का तथा 'इ' समाज की प्रभावी इच्छा या इच्छित सकल्प का द्योतक है। 'इ' तथा 'ज' तो सुनिश्चित है 'इ' और 'ज' के अनुपात में 'क' तथा 'य' को सुनिश्चित करना है। लेकिन औद्योगीकरण लक्ष्य होने पर 'य' को सुनिश्चित करना है। लेकिन औद्योगीकरण लक्ष्य होने पर 'य' सबको नियंत्रित करता है। 'य' के अनुपात में जन की छटनी होती है। 'य' के अनुपात में 'इ' को भी यंत्रों के अति उत्पादन का अनुसरण करना पड़ता है, जो कि सर्वथा अवाञ्छनीय है। 'ज' की छटनी कर देने वाली कोई भी अर्थव्यवस्था अलोकतांत्रिक है। 'इ' को नियंत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था तानाशाही है, अतः 'ज' तथा 'इ' के नियंत्रण में 'क' तथा 'य' का नियोजन होना चाहिए वही लोकतांत्रिक एवं मानवीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है।

7. भारी औद्योगीकरण का निषेध

बड़े उद्योगों के उत्पादन के केन्द्रीकरण के कारण लथा भाग व पूर्ति पर यत्रवाद के हावी हो जाने के कारण बड़े उद्योग तानाशाही प्रवृत्ति वाले व अमानवीय हो जाते हैं। उपाध्याय ने अपने साहित्य में इस विषय का बड़ा विशुद्ध विवेचन किया है। उसका हम विभिन्न बिन्दुओं में निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं

- 1 भारतीय परम्परागत अर्थव्यवस्था से असबद्ध होने के कारण इन्हें आरोपित करना होगा इससे समाज की समरसता भंग होगी।
- 2 यह स्वतंत्र उत्पादक शिल्पी के पूरक नहीं वरन् प्रतिकूल हैं अतः अवाञ्छनीय हैं।
- 3 ये प्रत्येक को काम के लक्ष्य के भी प्रतिकूल हैं। औद्योगिक बेरोजगारी बढ़ाते हैं।
- 4 ये पूँजीप्रधान हैं अतः यह भारत के सामान्य उद्योजक व उत्पादक के सामर्थ्य के बाहर हैं।
- 5 इनकी आयात निर्भरता बहुत है फलतः ये हमारे भुगतान सतुलन पर भारी बोझ डालते हैं।
- 6 ये देश में उपलब्ध प्रबन्ध व श्रमिक प्रशिक्षा के साथ मेल नहीं खाते।
- 7 ये श्रमिक को कुटुम्ब कुल जाति और ग्राम समाज से उच्छेद कर एक नवीन कृत्रिम चोड़िल मानव-मूल्य-विरहित दातावरण में षडा कर देते हैं। इस दातावरण में मानव मजदूर भर रह जाता है। उसके शय सभी मूल्यों का विनाश होकर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करने के स्थान पर विकृतियों का शिकार बनता है। भारत की संस्कृति का उनसे मेल नहीं खाता।
- 8 इनका बहुत सामाजिक मूल्य चुकाना पडता है। नागरीकरण (शहरीकरण) के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य आवास आदि की भारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- 9 इनकी उत्पादन व प्रबन्ध प्रणाली जटिल है जो आशुफलदायी भी नहीं है। लगाई गई पूँजी का गुणक प्रभाव भी कम रहता है।
- 10 कृषि का निकट सम्बन्ध न होने से दोनों के बीच शोषणकारी व जटिल दलाल निकायो का जन्म होता है।
- 11 औद्योगिक श्रम संगठन और नियमों की आज की स्थिति ने भारत में श्रम को महगा व अनुत्तरदायी बनाया है। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन रही है जहाँ औद्योगिक पूँजी व श्रम मिलकर उपभोक्ता का शोषण कर सकेंगे।¹⁷
- 12 हमारी श्रम प्रधान कृषि से मजदूरों को हटाकर शहरो में ले जाने से कृषि पर प्रतिकूल परिणाम होगा। संख्या व गुण दोनों से ही ग्राम पिछड़ेगा।
- 13 जिन परिस्थितियों में पश्चिम के देशो ने बडे उद्योगो की स्थापना की थी वे आज हमे उपलब्ध नहीं हैं। उनके पास उपनिवेशो के विस्तृत बाजार थे जहाँ वे पक्का माल बिना किसी प्रतियोगिता के बेच सकते थे तथा कच्चा माल तथा खाद्य सरते भाव पर खरीद सकते थे। मजदूरों को कम तनखाह पर रखकर भारी मात्रा में पूँजी संचय कर सकते थे। इस पर भी उन्हे विकास में डेढ सौ वर्ष लगे।
- 14 एक स्थान पर केन्द्रित होने अथवा स्थानीकरण की प्रवृत्ति के कारण इससे सार्वदेशिक एव विस्तृत विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। (भारत में संगठित

उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का 66 प्रतिशत बंगाल, बम्बई व मद्रास में है) देश के कुछ भागों का विकास, शोष में असतोष उत्पन्न कर एकता और राष्ट्रीयता के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

15 बड़े उद्योगों के परिणामस्वरूप ऐसे शक्तिशाली आर्थिक गुट तैयार हो जाते हैं जो देश की राजनीति पर भी कब्जा कर बैठते हैं।

16 बड़े उद्योग भयानक विषमता का सृजन कर समाज में 'बर्गसघर्ष' की स्थितियों का निर्माण करते हैं।⁴⁵

इन सबके अलावा, बड़े उद्योगों का एक और खतरनाक पक्ष है विदेशी पूँजी निवेशकों से सहज ही उनकी दांस्ती हो जाती है। उपाध्याय राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूँजी को बहुत अमंगलकारी मानते हैं। उनका मत है

हमारे देश को विदेशी पूँजी के बल पर औद्योगिकृत नहीं किया जाना चाहिए। विदेशी पूँजी के राजनीतिक के अलावा आर्थिक प्रभाव भी अशुभ होते हैं। विदेशी पूँजी का विनियोग स्वदेशी श्रम का शोषण करता है। बड़े उद्योग व विदेशी पूँजी का विनियोग हमारे यहाँ परिचामी प्रकार के शोषणवादी पूँजीवाद को उत्पन्न करेगा। पूँजीवाद के सभी दोषों का हमारे समाज में प्रवेश हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए बहुत विषैला होगा।⁴⁶

उपाध्याय इस बात को बहुत गलत मानते थे, कि दोषपूर्ण बुनियाद पर खड़े पूँजीवाद व समाजवाद को सिद्धान्तवाद के नाम पर नवस्वतंत्र विकासशील देशों में अपनाए की होड़-सी लगी है। उनके अनुसार पुस्तकीय सिद्धान्तों की बजाय सामाजिक व्यावहारिकता को इस संदर्भ में अपनी नीति का आधार बनाया जाना चाहिए। आर्थिक व उत्पादकीय सत्ता का केन्द्रीकरण सामाजिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्य का शत्रु है, हमें परिचम के गलाकाटी अनुभव से कुछ सीखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

8. अपरमात्रिक उद्योग नीति

भारी एवं आरोपित औद्योगीकरण के विरुद्ध होते हुए भी उपाध्याय स्वस्थ औद्योगीकरण के विकास के समर्थक थे

प्राचीन शास्त्रकारों ने वाणिज्य, शिल्प एवं उद्योग के बारे में लिखा है कि उन्हें 'अपरमात्रिक' होना चाहिए। किन्हीं आवश्यक दस्तुओं के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। हाँ, देश के 'उद्धर्त' माल को बाहर निकालने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग होना चाहिए।⁴⁷

'अपरमात्रिक' अर्थात् उत्पादन में स्वावलम्बन से कुछ अधिक उत्पन्न करने वाली उद्योग नीति होनी चाहिए। उद्योग नीति की वाछनीयता के निकष हैं

1 वह सबको काम देने में सहायक हो।

2 उत्पादन के केन्द्रीकरण के बजाय विकेन्द्रीकरण में सहायक हो।

3 उसका विकास पारम्परिक उत्पादक कारीगर व शिल्पी के औजारों के आधार पर हो।

4 वह भारत की कृषि ग्राम व्यवस्था के लिए पूरक हो।

5 वह ग्रामों से प्रतिभा पलायन न होने दे ग्रामों का ही उद्योग अपरम्पारिक हो।

6 मानव मूल्यों के प्रति घातक प्रभाव वाला न हो।

7 जन-श्रमप्रधान उद्योग नीति हो यत्रप्रधान नहीं। जन-श्रम के सहायक के रूप में मशीना का यथायोग्य विकास हो।

मुनीफाखोरी व एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए उपाध्याय निम्न उपाय सुझाते हैं

1 निगम व्यवस्था

2 रासदीय नियंत्रण

3 प्रबंध में श्रमिकों का सहभाग तथा

4 विकेन्द्रीकरण की आर्थिक आयाजना।

वाञ्छित उद्योग नीति के विकास की चुनौती का सामना करने के विषय में उपाध्याय एम एस टक्कर का उद्धृत करते हैं। टक्कर ने मद्रास में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति पद से बोलते हुए कहा था

अभी तक हमने बाहर के देशों से स्पर्ति ली है। हमने मशीनों कारखानों तज्ञों तथा कारीगरों का आयात किया है। शायद यह उन परिस्थितियों में आवश्यक रहा हो। परिणाम यह हुआ है कि भारत में जो बड़े यांत्रिक उद्योग स्थापित हुए हैं वे दूसरे देशों की नकल भर हैं। देशी आविष्कारों पर विकसित उद्योग कदाचित ही मिलेंगे। हमें पश्चिम से बड़ी उदारता से सहायता मिलेगी। हम ज्ञान विज्ञान एवं सौहार्द को जहाँ से भी वह मिलेगा लेंगे। किन्तु प्रत्येक पुष्प से गधु लेकर भी शहद में परिवर्तित करने वाली मधुमक्षिका की भाँति हमें संपूर्ण प्राप्त सहायता को अपनी आवश्यकता व लक्ष्यों के अनुरूप ढालकर देश में औद्योगीकरण के एस दावे का विकास करना होगा जिसे हमें अपना कह सकें। यह भारत के वैज्ञानिकों एवं प्राविधिकों के ऊपर दायित्व है। "

मनुष्य और मशीन

उपाध्याय मनुष्य तत्व पर मशीन के हावी हो जाने के विरोधी हैं। उत्पादन के केन्द्रावरण की प्रवृत्ति वाले मशीनीकरण के वे विरोधी हैं लेकिन मानव श्रम को सुगम करने वाले तथा अपरम्पारिक उत्पादन देने वाले सहयोग यंत्र के वे समर्थक हैं। उनका मत है जहाँ एक ओर मशीन के श्रद्धालु भक्त हैं ता दूसरी ओर कष्टर दुरमन भी मौजूद है। एक मशीन के अभिनवीकरण के अभाव को ही भारत की गरीबी का कारण मानकर चलते हैं तो दूसरे अभिनवीकरण और यंत्रिकरण को ही देश के विनाश के लिए

जिम्मेदार मानते हैं। वास्तव में मशीन न तो मनुष्य का शत्रु है, न मित्र। वह एक साधन है तथा उसकी उपादेयता समाज की अनेक शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।¹⁷ मशीनीकरण के सदर्भ में पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। उपाध्याय इसके लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं "पश्चिम से जो मशीनें हमें मिलती हैं, वे उन देशों द्वारा पिछली कई शताब्दियों में विकसित की गईं। उनका मानकीकरण करके, वे आज बाजार में बेच रहे हैं। हम उन्हें खरीदते हैं किन्तु यह भूल जाते हैं कि वे एक लम्बे आर्थिक विकास का कारण नहीं, उसके परिणामस्वरूप हैं।"¹⁸ उपाध्याय यंत्रारोपण के बजाय यंत्रों के स्वदेशानुकूल विकास के पक्षपाती हैं। हमें छोटे व कुटीर उद्योगों के संचालन एवं अपने शिल्पियों तथा कारीगरों के सहयोग के लिए आधुनिकतम सुलभ यंत्र चाहिए, पूँजीपतियों को उत्पादन का एकाधिकार बनाने वाले यंत्र हमारी अर्थव्यवस्था के शत्रु हैं।

दीनदयाल कहते हैं : "हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही नहीं, अपितु हमारे सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन-मूल्यों की पोषक नहीं, तो कम से कम अवरोधी अवश्य होनी चाहिए।"¹⁹

इस प्रकार उपाध्याय न तो मशीन के भक्त हैं तथा न विरोधी, मशीन को समाज एवं अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होने देना चाहते। जब समाज एवं अर्थव्यवस्था पर मशीन हावी हो जाती है तो उसमें "केन्द्रीकरण" का दोष आता है। "केन्द्रीकरण" से पूँजीवाद व समाजवाद की दोषपूर्ण क्रिया-प्रतिक्रियाएँ होती हैं, अतः एक तनावपूर्ण असहज प्रक्रिया से दिविकपूर्वक, बचने के लिए वे पुरजोर आग्रह करते हैं कि हमें विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग व स्वविकसित लघु मशीन के संयोजन की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए।

10. विकेंद्रित अर्थव्यवस्था

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है, इसके लिए उपाध्याय स्वावलम्बी समर्थ ग्राम-पंचायतों व जनपद व्यवस्था के पक्षधर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हमारे ग्राम तथा जनपद होने चाहिए। ग्रामों को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अन्ततः भारत को उजाड़ने वाले सिद्ध होंगे। शहर व ग्रामों का विषम विकास, हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए भी घातक होगा। ससाधनों व सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण हम पूँजीवाद व उसके प्रतिक्रियात्मक दुष्चक्र से बच नहीं सकते, अतः आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही, भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए उपादेय है। अतः उपाध्याय कहते हैं

"...विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयंसेवी क्षेत्र (Self employed sector) को खड़ा करना होगा। यह क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा, मनुष्यता का विकास हो सकेगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर

उसके गुणों का विकास हो सकता है। यह विवेचिन्त अर्धव्यवस्था भारत ही सारा को दे सकता है। " जो व्यवस्था भारी उद्योगों व केन्द्रीकरण के दुष्प्रकार में एक बार फरा गई उसे कम्पस लीटन कठिन है आर कृषि उद्योग के देशों को प्रमो-पुत्री-लघु उद्योग वाली विवेचिन्त अर्धव्यवस्था को अपनाना चाहिए।

विकेन्द्रीकरण से वे समस्याएँ हल होती हैं जिनका कारण अति केन्द्रीकरण है। पूँजीवाद अतिकेन्द्रीकरण के कारण ही उत्पन्न होता है। जब लोगों को बड़े पैमाने पर उत्पादन का अवसर ही नहीं मिलेगा तो पूँजी इकट्ठी ही कैसे हो सकेगी? इसमें गाय तो अधिकाधिक स्वावलम्बी हमें ही व्यक्ति को प्रेरणा मिलने के कारण वस्तु का गुण तथा उत्पादन दोनों ही बढ़ेंगे। पुरातन काल में कुटीर उद्योग जितनी उत्तम श्रेणी की वस्तुएँ तैयार करते थे उतनी आज की मशीन नहीं तैयार कर पाती। कुटीर उद्योगों में हस्त कौशल और शिल्प को जो बहुत बड़ा ध्यान मिलता है वह मशीन उद्योगों में बिल्कुल नहीं मिल पाता। जिस प्रकार राजनीतिक लोकतान्त्रिक ग्राम-पंचायत आदि इकाइयों से लोकतंत्र में ग्राम तथा कुटीर उद्योगों और इसी प्रकार विकेन्द्रीकरण के अनुसार किए जाने वाले कृषि उत्पादन के जो रा उठकर लोकतंत्र ऊपर जाना चाहिए। साम्यवाद के द्वितीय अर्थनीति का ही एक अंग है अतः उसकी जड़े आसामान्य हैं जबकि इस अर्धव्यवस्था की जड़ धरती के भीतर गहरी घुसी हुई है। " उपाध्याय के मतानुसार बड़े उद्योगों का सर्वथा निषेध विकेन्द्रीकरण का हेतु नहीं है। वे बड़े उद्योगों को छोटे उद्योगों पर अवलम्बित करना चाहते हैं

उत्पादक वस्तुएँ बड़े उद्योग तैयार करें तथा उपभोग वस्तुएँ छोटे उद्योगों द्वारा बनाई जाएं। दूसरा उपभोग वस्तु के उत्पादन के काम में आने वाली वस्तुओं को अलग-अलग छोटे पैमाने पर तैयार करना तथा उनका एकत्रीकरण बड़े कारखानों में करना जैसे रिटर्नजरलैण्ड में घड़िया के पुर्जे छोटे-छोटे शिल्पियों द्वारा तैयार करके उन्हें इकट्ठा करके घड़ी के रूप में बड़े कारखाने में तैयार किया जाता है। मोटर आदि जितनी बड़ी-बड़ी चीजें हैं उनके बहुत से भाग इसी प्रकार तैयार किए जा सकते हैं। जर्मनी में इस दृष्टि से बहुत काम हुआ है। वहाँ रेलगाड़ियाँ बनाने के लिए 77 प्रतिशत जहाज बनाने के लिए 70 प्रतिशत तथा मोटर के निर्माण में 62 प्रतिशत इन छोटे उद्योगों द्वारा तैयार सामान प्रयुक्त होता है यदि उपर्युक्त दो वर्गों के उद्योगों को भलीभाँति स्थापित कर दिया जाए तो प्रतिस्पर्धी उद्योग का क्षेत्र बहुत सीमित हो जायेगा। "

दीनदयाल उपाध्याय इस बात से सहमत नहीं हैं कि छोटे उद्योग आर्थिक दृष्टि से निष्कार्य नहीं होते। उनका मत है कि बड़े उद्योगों की निष्कार्यता एक भय है वास्तविक निष्कार्यता छोटे उद्योगों में ही होती है

सत्य तो यह है कि निष्कार्यता बड़े पैमाने पर उत्पादन से नहीं अधिक उत्पादन के कारण होती है। अगर हम इतिहास को देखें तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर कपड़ा तैयार होने पर भी भारत का कपड़ा वहीं जाकर सस्ता पड़ता था। जापान की जो

वस्तुएँ सस्ती बाजार में आकर, बाकी सब माल को निकाल देती हैं, बड़े कारखानों में नहीं, घरों में बनती है। यदि उनकी (छोटे उद्योगों की) असुविधाएँ दूर कर दी जाय तथा बड़े उद्योगों को जो सुविधाएँ अतिरिक्त कारणों से प्राप्त हैं, न मिलें, तो निश्चित ही वे (छोटे उद्योग) बाजी मार ले जायेंगे। हमें मालूम है कि 1930-37 के काल में, छोटे-छोटे मोटर चलाने वालों ने रेलों को प्रतियोगिता में पछाड़ दिया था। यदि शासन और युद्ध रेलों की मदद को नहीं आते, तो उनके लिए जीवित रहना कठिन हो जाता।⁵⁸

बड़े उद्योगों की किफायत भ्रमपूर्ण है, इसका निरूपित करते हुए उपाध्याय कहते हैं 'श्री एम एम मेहता ने अपनी पुस्तक "स्ट्रक्चर ऑफ इण्डियन इंडस्ट्रीज" में बड़े उद्योगों की वृद्धि की विशद व्याख्या की है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि—

1 बड़े उद्योगों की 'किफायत' उचित प्रतियोगिता के कारण नहीं, बल्कि उसे दबाकर, डाका डालने वाली व्यापारिक क्रियाओं से प्राप्त होती है।

2 बड़े उद्योगों की दूसरे पक्षों से अपने लिए हितकर और अच्छी शर्तें मनवाने की क्षमता, कार्य-कुशलता का फल नहीं, अपितु आर्थिक एवं वित्तीय सामर्थ्य के परिणामस्वरूप है।

3 बड़े उद्योग बहुधा मजदूरों का शोषण करते हैं, ऊँचे मूल्य लेते हैं तथा अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए वैज्ञानिक सुधारों को दबा देते हैं।

4 एक बार बाजार का आधिपत्य स्थापित करने के बाद उनकी औद्योगिक कुशलता की प्रेरणा नष्ट हो जाती है।

5 अधिकांश बड़े-बड़े उद्योग, धीरे-धीरे विकास के आधार पर नहीं, बल्कि वित्तीय एवं शासनिक एकीकरण के कारण बड़े हैं।

6 ये उद्योग मदी के समय, जब अपनी अधिकाधिक योग्यता तथा आर्थिक क्षमता 'दखाने का अवसर रहता है, नहीं बड़े, बल्कि तेजी के उस काल में बड़े, जबकि 'सिक्यूरिटियों' और 'स्टॉक' से ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका रहता है।

7 ये इतने बड़े हैं कि इनका आर्थिक दृष्टि से संचालन किया ही नहीं जा सकता।

हम यह जानते हैं कि बैंकों, रेलों, आबतियों आदि सबकी सुविधा इन बड़े उद्योगों को सहज ही मिल जाती है। - (जबकि) छोटे उद्योग असंगठित होने के कारण, आज की बाजार अर्थव्यवस्था में, कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर, पक्के माल को बेचने तक की श्रृंखला की व्यवस्था नहीं रोक पाते। एक बार यह श्रृंखला पूरी हो गई तो फिर उनका (छोटे उद्योगों का) मुकाबला करना कठिन होगा। शासन का कर्तव्य है कि वह इस संगठन को खड़ा करने में सहायक हो।⁵⁹

इन छोटे उद्योगों में अन्तर्निहित, अनन्त संभावनाओं के विषय में भी उपाध्याय बहुत आशांचित हैं, वे कहते हैं छोटे उद्योगों का क्षेत्र जो एक बार काफी सकुचित हो गया था, विशद होता जा रहा है। जिन वस्तुओं की छोटे आधार पर उत्पादन की हम

कल्पना नहीं कर सकते थे वे अच्छी और आर्थिक आधार पर पैदा की जाने लगी है। हाल ही में चीन के एक समाचार ने कि वहाँ इस्पात भी छोटे आधार पर पैदा किया गया है औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विवास की समावनाओं को काफी बढ़ा दिया है।^{१०}

विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में छोटे व कुटीर उद्योग अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड होंगे तो भी आधुनिक उत्पादन व्यवस्था एवं मानवीय आवश्यकताएँ ऐसी है कि बड़े उद्योगों की एकदम अवहेलना नहीं की जा सकती अतः वे बड़े उद्योगों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं लेकिन इससे आर्थिक सत्ता का वन्दनीकरण न हो इसके लिए वे मुख्यतः दो सुझाव रखते हैं 1 शासन व्यवस्था द्वारा नियमन की तथा 2 श्रमिकों की स्वामित्व में हिस्सेदारी की व्यवस्था हो। इस विषय में वे निजी व सार्वजनिक उद्योग की रुढ़िवादी व्याख्याओं के प्रति कट्टरता को अव्यावहारिक मानते हैं उनका इन सदमों में मत है

1 कोई बड़ा रुढ़िवादी व सैद्धांतिक (Theoretical) दृष्टिकोण अपनातीक नहीं होगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ब्लैक ने अक्टूबर 1957 में विश्व के प्रमुख उद्योगपतियों के सम्मेलन में कहा था 'मैं पूँजीवाद के पुजारियों से जो यह प्रचार करते हैं कि निजी पूँजी विश्व की सभी विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है उतना ही परेशान हूँ जितना कि समाजवादियों से जो यह दावा करते हैं कि सार्वजनिक उद्योग ही संपूर्ण मांग को सतुष्ट कर सकता है। अदिकसित देशों में व्यावहारिक दृष्टि से निजी उद्योग और शासन दोनों की अपनी-अपनी मर्यादा होती है। कहा गया है कि अदिकसित देशों में दुर्लभ उत्पादन यदि कोई है तो वह है जोधिम उठाने वाला उद्यमी (entrepreneur) ऐसी अवस्था में राज्य को स्वामित्व ही आगे आना पड़ता है। समाजवाद से कोसों दूर भागने वाले कई देशी राज्यों ने इसी कारण अपनी ओर से उद्योग-व्यवस्था की स्थापना की। अतः व्यावहारिक नियम यह भी बनाया जा सकता है कि जहाँ निजी क्षेत्र न आ सकता हो वहाँ शासन प्रवेश करे। हालांकि शासन का कार्य साधरणतया अर्थोत्पादन नहीं है।^{११} जहाँ ऐसे उद्योगक मिलते हों, वहाँ उपाध्याय का मत है कि शासन उनका नियमन करे तथा उन पर ससदीय नियंत्रण हो।^{१२}

2 बड़े उद्योगों की एक बड़ी विकृति है 'पैसे' को मालिक मानना तथा श्रम को मजदूर।

उपाध्याय बड़े उद्योगों की मिल्कियत को भी श्रमिकों प्रबन्धकों व अशाधारियों में विकेन्द्रित करना चाहते हैं

अचल उत्पादन के सम्बन्ध में जैसे भूमि में श्रम करने वाले उत्पादक के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है (भूमि उसकी जो जोते)। फिर क्यों न उद्योग में भी मजदूरों का स्वामित्व स्वीकार किया जाय ? यह आश्चर्य का ही विषय है कि कम्पनियों में एक शेयर होल्डर तो जो बहुधा किसी उद्योग से लाभान्वा के अतिरिक्त और कुछ सम्बन्ध नहीं रखता स्वामित्व के अधिकार का उपभोग करे और जो मजदूर उस कारखाने में बराबर

काम करता है, वास्तविक रूप से बलों को सक्रिय बनाता है तथा जिसकी पूरी जीविका उस उद्योग के भले-बुरे पर निर्भर है, सदैव ही परायापन अनुभव करता रहे। निस्पृहता की यह भूमिका ठीक नहीं। अतः आवश्यक है कि अशहारी के साथ मजदूर को भी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो, उसे भी लाभ और प्रबन्ध में भागीदार बनाया जाय। इस प्रकार श्रमिकों के प्रतिनिधि संचालन मण्डल में रहेंगे।^७

विकेन्द्रीकरण को दीनदयाल उपाध्याय अर्थव्यवस्था का केन्द्रीय मुद्दा मानते हैं। विकेन्द्रीकरण से ही हम सामाजिक न्याय व स्वदेशी स्वावलम्बन को प्राप्त कर सकते हैं। उनका मत है कि "आज की परिस्थिति में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा के परिवर्तन को बताना हो तो वे हैं "विकेन्द्रीकरण" और "स्वदेशी"।"^८

11. कृषि

प दीनदयाल जी ने भारत की प्रवृत्ति व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अर्थव्यवस्था की सीढियों का निम्न क्रम बताया - कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यापार और समाज सुरक्षा-सेवा। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से सबंधित हैं कि इसमें से किसी एक क्षेत्र का विचार अन्य क्षेत्रों को छोड़कर नहीं कर सकते। ऊपर दिये गये सोपानों का क्रम बदलकर, खेती को वरीयता न देते हुए जिन अविकसित राष्ट्रों ने नियोजन किया-जैसे घाना, इंडोनेशिया, ब्राह्म आदि उनके लिए अपना सच्चा आर्थिक विकास करना समभव नहीं हो पाया। हमारे देश में भी इसी प्रकार का अनुभव रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हमने खेती की उपेक्षा कर पश्चिम ढंग के औद्योगिकरण पर बल दिया और आर्थिक विकास करने का प्रयास किया। किन्तु विकास के स्थान पर दरिद्रता और बेरोजगारी में वृद्धि ही हुई।

भारत कृषि प्रधान देश है। हमारी राष्ट्रीय आय में लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन कृषि से ही होता है। लगभग 70 प्रतिशत आजीविका भी कृषि क्षेत्रों से ही उपलब्ध होती है। अतः जब तक कृषि के सभी अंगों का विकास नहीं होता, देश के आर्थिक प्रश्न सुलझेंगे नहीं, इस बात पर चिंतन करके ही दीनदयाल जी ने अपने कृषि सबंधी विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने पहचान लिया था कि कृषि विकास को सुदृढ़ किए बिना देश का औद्योगिकरण विस्तृत एवं पक्की नींव पर खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ का किसान केवल अनाज का और उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादक ही नहीं है, वह कारखानों में निर्मित होने वाले पक्के माल का बड़ा ग्राहक भी है। किसान का उत्पादन और उसकी आय जितनी मात्रा में बढ़ेगी उतनी मात्रा में ही उसकी क्रयशक्ति भी बढ़ेगी और उतनी ही अधिक मात्रा में उद्योगों में तैयार होने वाला माल खरीद सकेगा।

दीनदयाल जी का कहना था कि खाद्यान्न उत्पादन में हमें स्वावलम्बी बनना होगा और ऐसा स्वावलम्बन कृषि को वरीयता देने से ही हासिल हो सकता है। इस सबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1951 में प. नेहरू ने घोषणा की थी कि अब विदेशों से अनाज

का आयात नहीं किया जायेगा' परन्तु उनकी यह घोषणा केवल हवा में ही रही। 1954 से 1966 के 12 वर्षों में करोड़ों रुपये का अन्न अमरीका कनाडा आस्ट्रेलिया आदि देशों से आयात किया गया। अगस्त 1956 से 1960 के पौन चार वर्ष के काल में अकेले अमरीका से 1067 करोड़ रुपये के अनाज का आयात किया गया। अनाज के आयात की ये बातें दीनदयाल जी को बहुत व्यग्र करती थी। इसके स्थान पर वे चाहते थे कि अनाज के मामले में स्वावलम्बी होने के लिए सरकार एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेती परन्तु इसके स्थान पर सरकार ने पी एल 480 (पब्लिक लॉ 480) के तहत व्यापक पैमाने पर गेहूँ आयात करने का अनुबंध किया।

प दीनदयाल का यह सोचना बाद में सही निकला कि इस प्रकार के अनुबंधों के कारण देश पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सस्थाओं का दबाव बढ़ जाता है जब 6 जून 1966 को भारत सरकार ने अमरीका व विश्व बैंक के दबाव में रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। विदेशों से मिलने वाली सहायता का उपयोग ठीक से तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाय ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ऐसी सहायता का सदुपयोग किया गया हो। ऐसा न करने पर वे देश अपनी सहायता का उपयोग अपनी दबाव की राजनीति को हमारे गले उतारने के लिए ही करते रहेगे। पी एल 480 के संबंध में यही हुआ। 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने पाकिस्तान की पुकार को दी जाने वाली अनाज की सभी सहायता रोक देने की घोषणा की और शास्त्रीजी की प्रस्तावित अमरीका यात्रा स्थगित करने की एक पक्षीय घोषणा की। परन्तु शास्त्रीजी ने स्वामिमान दिखाकर अमरीका की अपनी यात्रा निरस्त कर दी। उन्होंने अमरीका को बता दिया कि हमें अनाज की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्रीजी के इस निर्णय का दीनदयालजी ने स्वागत किया और कहा कि भारत के किसान भागीरथ प्रयत्न कर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनायेंगे।

कृषि में बहुत थोड़ी पूँजी लगाकर बहुत अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। साथ ही कृषि-उद्योगों में उत्पादन बहुत थोड़ी अवधि में ही हाथ में आ जाता। इन कारणों से वे खेती को योजना में वरीयता देने के पक्ष में थे और इस मांग को उन्होंने जनसंघ के मंच से बार-बार उठाया भी था। तीसरी योजना के इस प्रारूप को वे पूरा होने वाला नहीं मानते थे जिसमें कहा गया था कि देश इस योजना के अंत तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जायेगा। इसका कारण था देश के कृषि विकास कार्यक्रमों का अपर्याप्त होना।

कृषि-आर्थिक विकास के सदर्भ में विचार करते समय उन्नत खेती की प्रविधि सहकारी खेती उन्नत बीज रासायनिक खाद कीटनाशक यंत्रीकरण आदि बातें सामने आती हैं। दीनदयाल जी इन उन्नत प्रविधियों व साधनों का विरोध नहीं करते थे। किन्तु उनका कहना था कि इन बातों का विचार करते समय हमारे देश की स्थिति तथा पश्चिमो

देशों को इन उन्नत तकनीकों के बारे में प्राप्त मूल अनुभव का भी हमें ठीक ढंग से विचार करना चाहिए। विज्ञान के लाभ भारतीय किसान तक अवश्य पहुँचाने चाहिए, किन्तु साथ ही उन प्रयोगों के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

कृषि के लिए बड़ी-बड़ी बांध परियोजनाएँ बनाम छोटे-छोटे बांध

स्वतंत्रता के बाद खेती को पानी पहुँचाने के लिए बड़ी-बड़ी बांध परियोजनाएँ प्रारम्भ कर दी गई थी और इन परियोजनाओं का उत्पादन की दृष्टि से कुछ तात्कालिक लाभ भी हमें मिला। किन्तु इस प्रश्न का सभी अंगों से विचार करने पर दीनदयाल जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि खेती के विकास के लिए बड़ी-बड़ी बांध परियोजनाओं की अपेक्षा छोटे-छोटे बांध ही अधिक उपयुक्त हैं। अपनी भारतीय अर्थनीति पुस्तक में उन्होंने 1951-56 तक के काल में विभिन्न बांध परियोजनाओं के कारण कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि की सांख्यिकीय जानकारी प्रस्तुत की है। उससे स्पष्ट है कि बड़ी बांध परियोजनाओं पर बजट में स्वीकृत राशि में से 92% राशि खर्च होकर भी कृषि उत्पादन केवल 47% बढ़ा, जबकि छोटी बांध परियोजनाओं पर उसी अवधि में 63% खर्च होकर खेती का उत्पादन 91% बढ़ा। दीनदयाल जी ने आकड़े देकर यह भी दिखा दिया है कि छोटी बांध परियोजनाओं के कारण रोकें गये पानी में से 95% पानी खेती के काम आ सकता है जबकि बड़ी बांध परियोजनाओं का केवल 55% पानी का ही उपयोग किया जा सकता है।

बड़ी बांध योजनाओं से जिस भूमि को पानी मिलता है, उसके नीचे पानी का तल थोड़े ही दिनों में ऊँचा उठ जाता है। इस प्रकार भूमि के नीचे पानी का तल बढ़ जाने के कारण भू-गर्भ के विविध क्षार भू-तल के ऊपर आ जाते हैं और खेती के काम आने वाली भूमि बजर बन जाती है। बड़े बांधों के कारण पानी का निकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता क्योंकि भूमि की पानी सोख लेने की क्षमता कम हो जाती है फलस्वरूप थोड़ी सी वर्षा आ जाने पर आस पास के प्रदेश में बड़ी बाढ़ आ जाती है। दूसरी मुख्य बात यह है कि बड़ी बांध परियोजनाएँ मुख्यतः पूँजी प्रधान होती हैं इनमें होने वाला खर्च और समय लगातार बढ़ता ही रहता है। इसके अलावा ये परियोजनाएँ बहुधा विदेशों से आयातित सामग्री, तकनीक व साधनों पर निर्भर करती हैं।

खाद और उर्वरक

अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है किन्तु भूमि का सही परीक्षण कर उत्पादन की प्रणाली, फसल सिंचाई के साधन आदि का विचार करके ही उसके उपयुक्त एवं योग्य मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए। यह निःसंदेह कहा जा सकता है कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अतः इनका प्रयोग गोबर आदि की खाद के साथ मिलाकर सीमित मात्रा में करना

चाहिए। हमारे देश में लगभग 8 000 लाख टन गोबर होता है। इसमें से लगभग आधा गोबर उपले बनाकर जलाने के काम आता है। गोबर को जलाने के काम में लाने की यह प्रथा बंद कर गोबर गैस सयंत्र लगाना ईंधन और खाद के रूप में उसका दोहरा उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से गाँवों की ईंधन समस्या हल करने में सहायता मिलेगी और रासायनिक उर्वरकों के कारण होने वाला भूमि का क्षरण भी रुक जायेगा।

भू-स्वामी कृषि

दीनदयाल जी की भू-स्वामी कृषि प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जोतने वाला कृषक ही भूमि का स्वामी होता है। हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था में विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से अनेक मध्यस्थों का समावेश होता गया है। इन मध्यस्थों में से जमींदार और जागीरदार तो अब समाप्त हो गये हैं परन्तु रैयतवारी प्रथा अभी भी विद्यमान है जिसमें वे अपनी भूमि स्वयं न जोतते हुए किसी दूसरे को बटाई पर देते हैं और किसान द्वारा उत्पन्न की गई उपज में से आधे से लेकर छटा भाग तक ले लेते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जब तक विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों को किराए पर उठाने का अधिकार है तब तक भूमिपति (Land-holder) को अपनी जमीन किराए पर देने से रोकना अन्याय होगा। किन्तु हमें भूमि और अन्य सम्पत्तियों में भेद करना होगा और विशेषकर आज के समय जबकि भूमि में व्यापक सुधार कर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषक कई बार तो ज्यादा अन्न उत्पादित करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे यह भय बना रहता है कि अगर अधिक उत्पादन हुआ तो खेती की कीमत बढ जायेगी और फिर उसको वहाँ से हटाकर या तो मालिक खुद जोतेगा अथवा किसी दूसरे को अधिक किराये (बटाई) पर दे देगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भूमि पर से सब प्रकार की बेदरबलिया समाप्त कर दी जाये। जो समाज प्रत्येक को काम देने की जिम्मेदारी लेना अपना आवश्यक कर्तव्य समझता हो वह बेदखल करके किसान को आजीविका के साधन से कैसे वंचित कर सकता है? हाँ यदि वह भूमि को स्वयं न जोतकर अपनी आजीविका किसी दूसरे रास्ते से कमा ले तो उसे भूमि पर स्वामित्व बनाये रखने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

भूमि का वितरण

सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक किसान के पास अधिक से अधिक कितनी भूमि रहे इसे निश्चित करने की नितात आवश्यकता है। एक बार यह अधिकतम सीमा निश्चित हो गयी तो उस सीमा से अधिक भूमि उस किसान से ली जा सकती है। किन्तु आज भूमिहीन किसानों में से अधिसंख्य किसान हरिजन होने के कारण भूमि के वितरण के प्रश्न को आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक एवं राजनीतिक आयाम भी प्राप्त हुए हैं। अतः भूमिहीनों को भूमि देने का प्रश्न अत्यंत विवादग्रस्त बना हुआ है।

योजना आयोग ने इस सब्ध में जो आँकड़े प्रस्तुत किये हैं उनमें जोतों की संख्या निश्चित करते समय विभिन्न मध्यवर्ती अधिकारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया और न सिद्धित एवं असिद्धित मूखण्डों में विभेद किया गया है। अतः उससे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। कृषि-श्रमिक जाय समिति ने इस ओर महत्वपूर्ण काम किया है तथा जमीनवाले और बिना जमीन वाले खेतिहर मजदूरों का अनुमान लगाया है किन्तु वहाँ भी प्रत्येक को कितनी जमीन और कैसे दी जायेगी इसका विचार नहीं हुआ। वास्तविकता तो यह है कि जमीन बाँटने की जितनी कल्पनायें हैं वे एक स्थिर अर्थव्यवस्था का आधार लेकर चलती हैं। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना चाहते हैं तथा समाज के सभी वर्गों के सम्मुख रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं तो फिर भूमि के बारे में इतनी मूख नहीं रहेगी। यदि समाज सुधार के द्वारा सामाजिक समता स्थापित हो जाय तो खेतिहर मजदूर को उचित मजदूरी मिलने लगे तब यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खेतिहर के पास भूमि भी हो।

पुनः मजदूरों में ऐसा वर्ग बहुत बड़ा है जो वर्ष में कुछ ही दिन खेतों पर काम करता है तथा शेष समय अन्य उद्योग धंधों में व्यस्त रहकर अपनी जीविकापार्जन करते हैं। खेती में बुवाई व कटाई के समय अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है अतः ऐसे समय में आशिक रूप से अन्य गैर कृषि कार्यों में व्यस्त रहने वाले मजदूरों की हमें सहायता लेनी होगी। अगर ऐसे भूमिहीन मजदूरों को हमने नाम मात्र की जमीन दे भी दी तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत ऐसी नाम मात्र की जमीन से चिपटे रहने के कारण वे न तो अन्य गैर कृषि धन्धों की ओर ठीक से लग पायेंगे और न आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की खेती पर मजदूरी ही कर पायेंगे। अतः भूमि वितरण में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जिसको भूमि मिले वह उसका आर्थिक जोत के रूप में उपयोग कर सके। इस दृष्टि से प्राथमिकता भूमिहीनों की अपेक्षा उन्हें प्राप्त हो जिसके पास अनार्थिक एवं अपर्याप्त जोते हैं।

सहकारी खेती का विरोध

प दीनदयाल जी सहकारी कृषि के विरुद्ध थे। उनका विश्वास था कि इसकी अंतिम परिणति सामुदायिक खेती में होगी, भूमि का आज का स्वामी भूमिहीन मजदूर बन जायेगा एवं लोकतंत्र की अपेक्षा तानाशाही प्रवृत्ति मजबूत होगी। सहकारिता का अनुभव विश्व भर में ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं रहा। सहकारी खेती हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करने के लक्ष्य के विरुद्ध भी जायेगी।

दीनदयाल जी इतना अवश्य चाहते थे कि वास्तविक किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए न लाभ व हानि के आधार पर सभी सहायक एवं पूरक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सेवा सहकारिताओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए।

कृषि उपज की कीमत

किसान केवल अनाज या कच्चे माल का उत्पादक न होकर उद्योगों में बनाये जाने वाले माल का बहुत बड़ा ग्राहक भी होता है। अतः किसान को उसकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। उसी प्रकार औद्योगिक माल एवं कृषि उपज मूल्य में सतुलन भी होगा चाहिए। अपनी पुस्तक *Two Plans Promises Performance and Prospects* में लिखते हैं। 'रोटी से उपजने वाले माल और कारखाने में तैयार होने वाले माल के मूल्यों में समानता न होने के कारण प्रारम्भिक निर्माताओं और श्रमिकों पर त्याग करने की दिवशता बलवत् लाद दी जाती है।

12 विदेशी पूँजी

स्वावलम्बन की दृष्टि से पूँजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हमारे देश में श्रम शक्ति तथा कच्चा माल विपुल मात्रा में उपलब्ध है परन्तु औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूँजी की कमी है। आर्थिक नियोजन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। श्रम प्रधान नियोजन के स्थान पर पूँजी प्रधान नियोजन प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप पूँजी की कमी अधिक महसूस हुई और इस कमी की पूर्ति हेतु विदेशी पूँजी आमंत्रित की गई।

विदेशी पूँजी मुख्यतः तीन प्रकार से प्राप्त होती है 1 विदेशी पूँजीपतियों से व्यक्तिगत रीति से 2 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से तथा 3 विदेशी सरकारों से। यह पूँजी ऋण के रूप में अथवा उद्योगों में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त होती है। विदेशी पूँजी के बारे में दीनदयाल जी कहते हैं आज पश्चिमी राष्ट्र उनके अपने हित के लिए नयी-नयी योजनाएँ प्रस्तुत करते हैं। उपनिवेशवाद तथा राजनीतिक दासता अब अतीत की बातें हो चली हैं। उनके स्थान पर आर्थिक एवं वैचारिक आधार पर अन्य देशों को अपने नियंत्रण में लेने की योजनाएँ पश्चिमी देशों द्वारा प्रारम्भ की गयीं।

विदेशी पूँजी और रुपये का अवमूल्यन

रुपये का अवमूल्यन सामान्यतः न होने वाली घटना होती है परन्तु जब बाध्यतावश अवमूल्यन किया जाता है तो उसका परिणाम केवल आयात तक ही सीमित नहीं रहता अपितु उत्पादन मूल्यों औद्योगिककरण तथा आर्थिक विषमता पर उसका दूरगामी प्रभाव होता है।

5 जून 1966 को रुपये का मूल्य विदेशी मुद्रा (डालर) में 36.5 प्रतिशत कम किया गया था। वित्त मंत्रालय ने उस समय अपनी विज्ञापित में कहा था कि यदि यह अवमूल्यन नहीं किया जाता तो विदेशों से सहायता मिलना असम्भव हो जाता। दीनदयाल ने अवमूल्यन एक महापतन नाम पुस्तिका में लिखा कि विदेशी राजनीतिक दबाव में आकर रुपये का अवमूल्यन किया गया। भारत में अवमूल्यन के समर्थन में जो आयात कम होने व निर्यात वृद्धि के तर्क दिये जाते हैं वे समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरते

हैं। दीनदयाल जी के शब्दों में "आंतरिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अवमूल्यन के दोहरे परिणाम होते हैं। निर्यात बढ़ने के कारण देश में वस्तुओं की कमी होकर कीमतें बढ़ जाती हैं वही आयातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से देश के आंतरिक बाजार भाव और अधिक बढ़ जाते हैं।

विदेशी पूँजी और विदेशी उत्पादन प्रणाली

इस संबंध में दीनदयाल जी ने अपनी 'अर्थनीति' में कहा है कि "विदेशी पूँजी के साथ हमें विवश होकर विदेशों की उत्पादन प्रणाली भी स्वीकार करनी पड़ती है। हमारे देश में प्रचलित पूँजीपति और विशेषज्ञ उनके अपने देश में प्रचलित उत्पादन-पद्धति के अनुसार और उपलब्ध यंत्र सामग्री की सहायता से यहाँ उत्पादन प्रारम्भ करते हैं। इससे हमारा देश औद्योगिकरण के मार्ग पर चार कदम आगे तो बढ़ जायेगा किन्तु गहरी जड़ों वाले विकासोन्मुख एवं व्यापक औद्योगिकरण की नींव कदापि नहीं रखी जा सकती। इस प्रकार की विदेशी उत्पादन प्रणाली से रोजगार निर्माण भी कम होगा।

इस विदेशी उत्पादन प्रणाली और साधन सामग्री के कारण स्वदेशी विज्ञान एवं अनुसंधान कार्य पिछड़ गये और देश का परावलंबन अधिकाधिक बढ़ता गया। विदेशी सहयोग के समझौते में विदेशी कम्पनियों आयात-निर्यात कच्चा माल, पक्के माल की बिक्री, रायल्टी आदि विषयों में अपनी शर्तों को लागू करवाती है जिससे स्थानीय उद्योगों पर विपरीत दूरगामी प्रभाव पड़ता है। कई बार स्वयं के देश में काल-बाह्य (out dated) हुई यंत्र सामग्री एवं उत्पादन प्रविधि सहायता लेने वाले देशों के उद्योगों के सिर पर मढ़ी जाती है।

इस संबंध में दीनदयाल जी का मत था कि विदेशों से पूँजी आयात न करके उद्योग के प्राथमिक निर्माण तक के तंत्र विज्ञान का आयात करना अधिक हितकारी होगा। वे आग्रहपूर्वक कहते थे कि ऐसे विदेशी तंत्र विज्ञान पर सदा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपितु अनुसंधान द्वारा इस विषय में स्वयं पूर्ण होना चाहिए।

13. अर्थ संस्कृति

मानव जीवन में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग ये तीन कृतियाँ, उसके आर्थिक जीवन को रूपायित करती हैं। अनियंत्रित या असंयमित उपभोग, वितरण में विषमता व लूट को प्रेरित करता है, उत्पादन की भी कोई मर्यादा नहीं रहती, यह असंस्कृति आर्थिक जीवन है। उपाध्याय की अर्थ संस्कृति का सूत्र है 'अपरमात्रिक उत्पादन, समान वितरण तथा संयमित उपभोग'।

उत्पादन की मर्यादा के लिए वे तीन बातें कहते हैं

1. उपभोग की आवश्यकता एवं अपेक्षित बचत के लिए पर्याप्त उत्पादन को अपरमात्रिक उत्पादन कहते हैं। यह उत्पादन की मर्यादा है।

2 जिस उत्पादन को खपत के लिए बाजार खोजना पड़े लोगों में उपभोग की लालसा जगानी पड़े वह सामाजिक सरकारों में असतुलन उत्पन्न करता है। बड़े उद्योग व उपभोगवाद में चोली-दामन का साथ है।

3 प्राकृतिक ससाधनों की एक सीमा है। उनका उच्छृंखल दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति में एक Equalbrium है प्रकृति अपनी पद्धति से क्षय की पूर्ति करती रहती है। मानव इतनी तेजी से उसका विनाश कर रहा है कि न तो प्रकृति क्षतिपूर्ति कर पाती है और न उसका सतुलन ही टिक पाता है। प्रत्येक क्रिया के सर्वांगीण परिणामों का विचार करने लायक ज्ञान का अभी भी मानव के पास अभाव है। अतः प्राकृतिक ससाधनों की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला उत्पादन वर्जनीय है।

वितरण में समानता के नियमन के विषय में भी वे तीन बातें कहते हैं

1 वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि 'रोटी कपड़ा मकान पढाई और दवाई ये पाँच आवश्यकताएँ प्रत्येक व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए।'⁶⁶

2 अधिकतम व न्यूनतम आय का नियत अनुपात नहीं बिगडना चाहिए।

3 वितरक निकाये उत्पादक व उपभोक्ता के साथ सतुलन वाली हों। अतिरिक्त मूल्य उपभोक्ता के लिए शोषणकारी न हों तथा उत्पादक व वितरक में अतिरिक्त मूल्य का न्यायसंगत बटवारा हो।

उपभोग के विषय में उनकी मान्यता है—

1 सयमित उपभोग का तात्पर्य है स्वस्थ शरीर की आवश्यकता के अनुकूल उपभोग। इन्द्रिय लोलुपता को जगाकर किया जाने वाला उपभोग शारीरिक व सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से घातक होता है।

2 अनियंत्रित उपभोग असमान वितरण का कारण है। उपभोग में सयम तथा सादा जीवन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। उत्पादन उपभोग का नियंत्रण नहीं करता उपभोग ही उत्पादन का नियंत्रण करता है।

3 आर्थिक अभाव तथा प्रभाव दोनों ही उपभोग को असयमित करते हैं अतः अर्थव्यवस्था ऐसी चाहिए जो जीवन के अर्थायाम की सम्पूर्ति करे।⁶⁷

4 आत्मिक बौद्धिक व मानसिक आनंद के अभाव में भी व्यक्ति का भौतिक उपभोग असयमित हो जाता है। व्यक्ति जब सब प्रकार के आनंद की पूर्ति केवल भौतिक उपभोग से प्राप्त करने की कोशिश करता है तो 'उपभोगवाद' के त्रासदायी दृष्टिक्रम में फसता है। अतः सयमित उपभोग के संयोजन के लिए समाज में योग्य शिक्षा व सरकार की व्यवस्था आवश्यक है सांस्कृतिक आनंद उपभोग को सयमित करता है।

इस प्रकार उपाध्याय निरूपित करते हैं कि उत्पादन उपभोग व वितरण कोरी आर्थिक क्रियाएँ नहीं हैं इनके अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू भी हैं। इन पहलूओं

की उपेक्षा करने वाला उत्पादन, उपभोग व वितरण, मानव को विषमता, लोलुपता, शोषण एव असवेदनशीलता से ग्रस्त करेगा। अतः हमें केवल आर्थिक नियोजन व नियमन ही नहीं, वरन् एक अर्थ-संस्कृति का भी विकास करना है, जिससे हम अर्थ-विकृति से बच सकें।

14. आदर्श अर्थव्यवस्था

उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों से आदर्श अर्थव्यवस्था के कुछ अभिधारणात्मक तत्त्व उभरकर सामने आते हैं, जिनको निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है -

- 1 "अर्थायाम"
- 2 "भ्रम का मूलभूत कर्तव्य एव अधिकार" -सबको काम।
- 3 "उपभोगवाद", "स्पर्धावाद" व "वर्गसघर्ष" का निषेध।
- 4 "स्वामित्व का नहीं, स्वामित्व के केन्द्रीकरण का सवाल"।
- 5 कोई स्वामित्व समाज निरपेक्ष नहीं, कोई व्यक्ति स्वामित्व निरपेक्ष नहीं --न्यास सिद्धांत"।

- 6 "पूँजीवाद व समाजवाद" का निषेध
- 7 "आर्थिक लोकतंत्र"।
- 8 "अर्थ सूत्र-ज X क X य =इ"।
- 9 भारी औद्योगीकरण का निषेध।
10. "विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था एव लघु उद्योग"।
- 11 "अपरमात्रिक उद्योग व उत्पादन"।
- 12 "अदेवमात्रिका कृषि"।⁶⁸
13. "स्वयंसेवी उत्पादन क्षेत्र"
14. "अर्थ संस्कृति", आदि।

अपने बम्बई के प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा कि "हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए -

- 1 प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की आशुति तथा राष्ट्र के सुरक्षा सामर्थ्य की व्यवस्था।
- 2 इस स्तर के उपरांत उत्तरोत्तर समृद्धि, जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को वे साधन उपलब्ध हो सकें, जिनसे वे अपनी "चिति" के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान कर सकें।
- 3 उपर्युक्त लक्ष्यों की सिद्धि के लिए प्रत्येक स्वयं एव स्वस्था व्यक्ति को साभिप्राय आजीविका का अवसर देना तथा प्रकृति के साधनों को मितव्ययिता के साथ उपयोग करना।

4 राष्ट्र के उत्पादक-उत्पादना का विचार कर अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास करना।

5 यह व्यवस्था 'मानव' की अवहेलना न कर उसके विकास में साधक हा तथा समाज के सांस्कृतिक व अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करे। यह लक्ष्मण रेखा है जिसका अतिक्रमण अर्थरचना को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए।

6 विभिन्न उद्योगों आदि में राज्य व्यक्ति तथा अन्य सरथाओं के स्वामित्व का निर्णय व्यावहारिक आधार पर हो।⁶⁴

उपर्युक्त प्रकार की अर्थव्यवस्था के नियमन में मुख्य बाधा तो राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव एवं आर्थिक विचारों की समाजवाद एवं पूँजीवाद सन्धी पाश्चात्य अवधारणाओं की भ्रमोत्पादक विचार सारणी है लेकिन उपाध्याय मानते हैं कि स्वदेशी निहित स्वार्थ भी इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है

भारत में ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जिनके हित पाश्चात्य अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं। पिछले सौ वर्षों में जिस अर्थव्यवस्था का भारत में विकास हुआ है उसने भारत और पश्चिम के औद्योगिक देशों की व्यवस्था को एक दूसरे का पूरक बनाया है। इसमें भारत के हितों का संरक्षण नहीं हुआ बल्कि उनका बराबर शोषण ही होता रहा। इस शोषण की क्रिया में पाश्चात्य आर्थिक हितों ने भारत के कुछ वर्गों को भी अपने अभिकर्ता के रूप में साझीदार बनाया है। प्रारम्भ में व्यापारी व कमीशन एजेंट के रूप में और बाद में कुछ अंशों में उद्योगपति (स्वतंत्र अथवा साझीदार) के रूप में इनके हित सबध विदेशी आर्थिक हितों के साथ बंध गए। इस वर्ग का देश के आर्थिक जीवन पर प्रभुत्व रहा है। आज भी संख्या तथा देश की राष्ट्रीय आय में उनका योगदान कम होते हुए भी वे समाज और देश के जीवन पर भारी प्रभाव रखते हैं इस वर्ग की आकांक्षाएँ निश्चित हैं। वे अधिकाधिक अपने विदेशी प्रतिद्वन्द्वियों का स्थान ग्रहण करना चाहते हैं।

पाश्चात्य अर्थशास्त्र के भारतीय विद्वानों से उनका सहज ही सम्-संयोग मेल बैठ जाता है। भारत के सभी समाचारपत्र विशेषकर अंग्रेजी उनके प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये सब मिलकर जाने या अनजाने में ऐसा मायाजाल रच देते हैं कि साधारण जन उसमें स निकल ही नहीं पाता।⁶⁵ इस मायाजाल से शीघ्र चमत्कारिक परिणामाकाक्षी राजने का भी सामंजस्य हो जाता है। इस सदर्भ में उपाध्याय कहते हैं

विदेशी सहायता विदेशी विशेषज्ञों की सम्मतिर्यों तथा विदेशी जीवन का चित्ताकर्षक बाह्य स्वरूप तथा थोड़ी अवधि में कुछ कर दिखाने की राजनीतिक आवश्यकताओं ने उनको (राजनेताओं को) जनजीवन से दूर हटाकर उसकी समस्याओं को यथार्थ आकलन करने में अक्षम बना दिया है। उपाध्याय आग्रहपूर्वक प्रतिपादित करते हैं कि 'भारत के स्व' का साक्षात्कार किए बिना हम अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे।⁶⁶

दीनदयाल उपाध्याय का अर्थचिन्तन समग्रतावादी है। निपट आर्थिक दृष्टि से ही संपूर्ण मानव जीवन को देखने के वे विरोधी हैं। मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से उनका अर्थचिन्तन आदर्शवादी है, लेकिन वह चिन्तन अव्यावहारिक न बने अतः उन्होंने साथ-साथ व्यवहार्य व्यवस्थाओं के विवेचन का भी प्रयत्न किया है।

वे किसी बड़ विशेष से कट्टरतापूर्वक बंधने की बजाय, शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रवाह में यथासमय आवश्यक परिवर्तन एवं मानवीय विवेक में आस्था रखते हैं। अपनी "भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा" पुस्तक के विषय में वे लिखते हैं

"जैसा कि पुस्तक के नाम से प्रकट होगा यहाँ एक दिशा की ओर सकेत भर किया गया है। विकासोन्मुख भारत की मोटी रेखाएँ खींची गई हैं। अनेक छोटी-छोटी रेखाओं का अकन एव चित्र में रंग भरने का काम प्रकृति और पुरुष द्वारा ही पूरा होगा। यह जैसे-जैसे होता जायेगा, चित्र वैसे ही भरता जायेगा। हमारा कर्तव्य है कि दर्शक कह उत्सुकता छोड़कर निर्माता की लगन और पुरुषार्थ से उसमें जुट जाएँ।"²

आज तृतीय विश्व का हर देश पश्चात्य अर्थशास्त्र से जुझ रहा है। राजनीतिक साम्राज्यवाद भी अब प्रच्छन्न आर्थिक साम्राज्यवाद का अधिष्ठान ग्रहण कर रहा है। आधुनिक पश्चात्य तकनीकी के साथ प्रताड़ित समाजों की प्रतिभा का मेल बैदना कठिन है। आज न चाहते हुए भी तृतीय विश्व के देश साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्वदेशी जन को भूखा मारकर भी साम्राज्यवादियों को बाजार देने के लिए वे बाध्य हैं। पश्चात्य तकनीकी व तज्ञ, स्वदेशी अर्थसत्ता पर ही नियंत्रण कर लेते हैं। कुछ संपृद्धि के टापू खड़े कर लेते हैं, आम आदमी विषमताग्रस्त होकर उपेक्षित होता है, नेतृ वर्ग एवं मध्यम प्रतिभा के घनी अल्पशिक्षित वर्ग के निहित स्वार्थों को साम्राज्यवादी पश्चात्य अर्थशास्त्र कुछ सीमा तक पूरा करता रहता है। परिणामतः एक सांस्कृतिक अराजकता, राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक मुलामी का सृजन हो रहा है।

इन साम्राज्यवादी पश्चात्य आक्रमणों से बचने के लिए माओ-त्से-तुंग व जूलियस न्येरेरे जैसे जन-नेताओं ने अपने देशों को इन साम्राज्यवादी मुख्य धारा से काटकर तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर अनेक ग्राम प्रधान एवं लघु उद्योग प्रधान स्वावलम्बी प्रयोग किए हैं। लेकिन इन प्रयोगों को करने के लिए उन्होंने तानाशाही राज्यशास्त्र व्यवस्थाओं के दुष्परिणाम अब वहाँ प्रकट भी होने लगे हैं। उपाध्याय राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में "विकेंद्रित" व "स्वदेशी" आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में अपने विचारों का नियमन करते हैं, अतः वे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

उपाध्याय के आर्थिक विचार मानव प्रधान एवं समाजपरक हैं। उनका सांस्कृतिक अर्थशास्त्र आत्मरजक भी लगता है, बुद्धिगम्य भी, लेकिन जिन निहित स्वार्थों का उन्होंने वर्णन किया है, क्या उन्हें संस्कारों के बल पर नियंत्रित किया जा सकता है? लोकतांत्रिक

मानवाधिकारों के दुरुपयोग ने श्री पूजीदाद को जन्म दिया था। सरकार द्वारा नियमन तो उपाध्याय को स्वीकार हे नियंत्रण नहीं। सरकारी व ससदीय नियमन तथा आर्थिक निहित स्वार्थों में सघर्ष की अवस्था का वर्णन उपाध्याय अपने विचारों में नहीं करते हैं। उनका विवचन ज्यादा विधायक है तथा सृजनात्मक है। यह सही है कि सघर्ष को किसी दर्शन का आधार नहीं बनाया जा सकता लेकिन व्यवहार में उससे बचना कठिन है। दीनदयाल उपाध्याय का उत्तर है सरकार शिक्षा लोकमत परिष्कार व नियमन यही लक्ष्मण-रेखा है इसी की मर्यादा में हमें प्रयोग करने चाहिए। मानव की श्रेष्ठता में उनका अगाध विश्वास है।

संदर्भ

- 1 शरद अनन्त कुलकर्णी प दीन दयाल उपाध्याय विचार-दर्शन खण्ड-4
एकात्म अर्थनीति पृ 13
- 2 उपर्युक्त पृष्ठ 13
- 3 विनायक वासुदेव नेने प दीन दयाल उपाध्याय विचार-दर्शन खण्ड-2
एकात्म मानव दर्शन 12
- 4 उपर्युक्त पृष्ठ 27
- 5 उपर्युक्त पृष्ठ 27-28
- 6 उपर्युक्त पृष्ठ 39-57
- 7 उपर्युक्त पृष्ठ 51-52
- 8 उपर्युक्त पृष्ठ 58-61
- 9 उपर्युक्त पृष्ठ 63
- 9 उपर्युक्त पृष्ठ 63
- 10 उपर्युक्त पृष्ठ 64
- 11 उपर्युक्त पृष्ठ 65
- 12 राष्ट्र चिन्तन पृष्ठ 132-133
- 13 एकात्म मानव दर्शन पृ 76
- 14 उपर्युक्त पृष्ठ 78-90
- 15 उपर्युक्त पृष्ठ 91-95
- 16 उपर्युक्त पृष्ठ 96-103
- 17 उपर्युक्त पृष्ठ 9-10
- 18 दीनदयाल उपाध्याय भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा अध्याय-2
भारतीय संस्कृति में अर्थ राष्ट्रधर्म पुस्तक प्रकाशन लखनऊ (1958 में
प्रकाशित) पृ 18
- 19 क्र 2 पृ 16

- 20 दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनसंघ की अर्थनीति (भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन, 1953 के अवसर पर कार्यकर्ता शिविर के लिए भेजा गया लेख) पाठ्यन्याय जनसंघ अधिवेशनांक, 25 जनवरी 1954 पृ 8
- 21 क्र 2 पृ 17
- 22 क्र 2 पृ 18
- 23 क्र 2 पृ 18
- 24 क्र 2 पृ 20
- 25 क्र 2 पृ 23
- 26 क्र 1, अध्याय-12 अर्थनीति का भारतीयकरण पृ 85
- 27 क्र 1, अध्याय-10 छोटे उद्योग और बड़े उद्योग पृ 113-114
- 28 क्र 4 पृ 9
- 29 क्र 2 अध्याय-10 'छोटे उद्योग और बड़े उद्योग' पृ 125
- 30 क्र 2 पृ 125
- 31 क्र 2 अध्याय-3 आधारभूत तत्त्व, पृ 28
- 32 क्र 2 पृ 28
- 33 क्र 1 अध्याय-12 अर्थनीति का भारतीयकरण पृ 85
- 34 क्र 1 पृ 92-93
- 35 क्र 1 पृ 90
- 36 क्र 2 अध्याय-10 छोटे उद्योग और बड़े उद्योग, पृ 115
- 37 क्र 2 अध्याय-3 आधारभूत तत्त्व पृ 29
- 38 क्र 2 पृ 30
- 39 क्र 2 पृ 27
- 40 क्र 2 पृ 27
- 41 क्र 2 पृ 29
- 42 क्र 2 पृ 26
- 43 क्र 2 अध्याय-6 उद्योग, पृ 65
- 44 क्र 2 पृ 66
- 45 दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र जीवन की समस्याएँ, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लि., मॉडल हाउसेज लखनऊ प्रथम संस्करण 1960 अध्याय-9 अर्थनीति का भारतीयकरण पृ 42
- 46 क्र 29 पृ 44
- 47 उपर्युक्त पृ 44
- 48 उपर्युक्त पृ 45
- 49 उपर्युक्त पृ 46

- 50 क्र 2 अध्याय-6 उद्योग अपरमात्रिक पृ 63
- 51 क्र 2 पृ 67
- 52 क्र 2 अध्याय-7 मनुष्य और मशीन पृ 77-78
- 53 क्र 2 पृ 74
- 54 एकात्म दर्शन दीनदयाल शास्त्र सरथान नई दिल्ली अध्याय-4 राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थरचना पृ 64
- 55 क्र 37 अध्याय-13 विकन्दित अर्थव्यवस्था पृ 95
- 56 क्र 37 अध्याय-12 अर्थनीति के भारतीयकरण पृ 87
- 57 क्र 2 अध्याय-10 पृ 120
- 58 क्र 2 पृ 121
- 59 क्र 2 पृ 122-123
- 60 क्र 2 पृ 123
- 61 क्र 2 पृ 126
- 62 दीनदयाल उपाध्याय विकेन्द्रीकरण की विडम्बना पाचजन्य उद्योग अफ दीपावली स 2024 30 अक्टूबर 1967 पृ 14
- 63 क्र 45 पृ 14
- 64 क्र 37 अध्याय-4 राष्ट्रजीवन के अनुकूल अर्थव्यवस्था पृ 71
- 65 क्र 2 अध्याय-4 प्राथमिकताएँ पृ 34
- 66 क्र 4 पृ 9
- 67 एकात्म अर्थनीति पृष्ठ-18
- 68 हमारे भारतीय शासन का यह ध्येय रहा है कि वह सिचाई की योग्य व्यवस्था करे। कृषि को अदेवमात्रिका बनाने का शास्त्रकारों को आदेश है।
 क्र 2 अध्याय-5 कृषि पृ 43
 (वामन शिवराम आष्टे द्वारा रचित सरकृत-हिन्दी कोश में अदेवमात्रिक का अर्थ निम्न प्रकार दिया है
 अदेव
 1 जो देवताओं की भाँति न हो और
 2 देवविहीन अपवित्र। सम
 मातृक (वि) जहाँ वर्षा न हुई हो माता की भाँति दूध पिलाने या पानी देने के लिए जहाँ वर्षा का देवता काम न करता हो।)
- 69 क्र 37 अध्याय-4 राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थरचना पृ 70
- 70 क्र 2 अध्याय-1 अर्थ चिन्तन पृ 13-14
- 71 क्र 2 पृ 14
- 72 क्र 2 पृ 3

प्रश्न

- 1 प दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिए।
- 2 एकात्म मानव दर्शन का अर्थ लिखिए।
- 3 दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार पूँजीवाद किन सिद्धांतों पर आधारित है ? नाम लिखिए।
- 4 प दीनदयाल के अनुसार अर्थीयाम किसे कहते हैं ?
- 5 प दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानववाद' के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
- 6 भारतीय सस्कृति में अर्थ धन के मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए प दीनदयाल के स्वामित्व, पूँजीवाद तथा समाजवाद पर विचार स्पष्ट कीजिए।
- 7 जिस अर्थशास्त्र को मानव के समग्र जीवन और उसके आर्थिक घटकों के सम्बन्ध का भान न हो वह मानव को शाश्वत कल्याण की योग्य दिशा कदापि नहीं दे सकता।' इस कथन को दृष्टिगत रखते हुए प दीनदयाल उपाध्याय की 'एकात्म अर्थनीति' की व्याख्या कीजिए।
- 8 'विश्व आज भीषण सन्नम के चौराहे पर खड़ा है। इस स्थिति से निकलने के लिए भारतीय सस्कृति के एकात्म मानव दर्शन के अन्तर्गत एकात्म अर्थनीति ही तीसरा विकल्प बन सकती है। प दीनदयाल के इस कथन की व्याख्या कीजिए।
- 9 उपाध्याय के 'आर्थिक लोकतंत्र' की व्याख्या कीजिए।
- 10 प दीनदयाल उपाध्याय के कृषि तथा विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था पर विचार स्पष्ट कीजिए।
- 11 नेहरू जी के औद्योगीकरण पर आधारित आर्थिक विकास की जगह प दीनदयाल ने औद्योगीकरण के सम्बन्ध में क्या विचार दिए। इस सम्बन्ध में उनकी अपरमात्रिक उद्योग नीति भी स्पष्ट कीजिए।
- 12 प दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों से ऐसे कौन से अभिधारणात्मक तत्व उभर कर आते हैं जिनके आधार पर एक आदर्श अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की जा सकती है ?
- 13 प दीनदयाल जी द्वारा विश्लेषित निम्न पर सल्लेप में टिप्पणियाँ कीजिए
 - (i) आदर्श अर्थव्यवस्था
 - (ii) विदेशी पूँजी
 - (iii) विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था
 - (iv) मनुष्य एवं मशीन
 - (v) अपरमात्रिक उद्योग नीति
 - (vi) आर्थिक लोकतंत्र

जे के मेहता

(J K Mehta 1901-1980)

जे के मेहता साक्षिप्त परिचय

भारतीय आध्यात्मिक परम्परा के अनुशीलकर्ता व उसकी महान परम्परा के परिग्रह्य म अर्थशास्त्र के दृष्टा विश्व प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री जे के मेहता का जन्म 25 दिसम्बर 1901 का राजनन्द गाव म हुआ। ज के मेहता का पूरा नाम जमशद केखुशरो मन्ता (Jamshed Kaikhusroo Mehta) था। उनके पिता खुशरोमनचर्जी मन्ता कबई के एक मध्यमवर्गीय परिवार स थ। ज के मेहता की प्रारम्भिक शिक्षा राजनन्द गाव म हुई। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करन के उपरान्त उन्होने मूर सेन्द्रल कॉलेज इलाहाबाद म प्रवेश लिया व गणित अग्रेजी व अर्थशास्त्र के विषया के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 म इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा वही शाधककार्य म सलग्न हो गये।

1927 म चार माह उन्हान क्राइस्ट चर्च कॉलेज (Christ Church College) कानपुर म अध्यापन कार्य किया तथा शीघ्र ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) के रूप म उनकी नियुक्ति हो गयी। कुछ समय उपरान्त ज के मेहता वकी रीडर हो गये। 1951 म वे प्राफेसर व विभागाध्यक्ष बन गये तथा 36 वर्ष तक इस पद पर रहे। विश्वविद्यालय मे अध्यापन कार्य के उपरान्त 1963 मे सेवनिवृत्ति हो गये परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयाग दिल्ली ने उनकी सराहनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें यूजीसी प्राफेसर ऑफ इकॉनामिक्स (U G C Professor of Economics) नियुक्त किया। प्रा ज के मेहता ने एतदर्थ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ही चयन किया और 1963 से 1969 तक पद पर रहे। 1968 मे प्रा ज के मेहता भारतीय आर्थिक परिषद (Indian Economic Association) के अध्यक्ष भी रहे। प्रा ज के मेहता आजीवन अर्थशास्त्र के अध्ययन व अध्यापन से जुड रहे आर संपूर्ण अवधि में लेखन कार्य में सलग्न रहे। अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उनके अप्रतिम योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सक्ता उनके द्वारा लिखित पुस्तकें निम्न प्रकार हैं

1 Groundwork of Economics

2-Studies in Advanced Economic Theory

3-Public Finance

4-Lectures on Modern Economic Theory

5-Economic Problems of Modern India

6-A Philosophical Interpretation of Economics

7-Economics of Growth

8-A Guide of Modern Economics

9-Economic Development Principles and Problems

10-Foundation of Economics

11- Principles of Exchange

12-Elements of Economics-Mathematically interpreted

13-Macro Economics

14-Rhyme, Rythm and Truth in Economics

अर्थशास्त्र की परिभाषा व क्षेत्र (Definition and Scope of Economics)

मानव व्यवहार जो कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है मस्तिष्क के असंतुलन की स्थिति का परिणाम है। मस्तिष्क के असंतुलन की स्थिति इसलिए है क्योंकि यह अनावश्यक ही इस पर कार्य कर रही शक्तियों से प्रभावित है। यह इसलिए भी है कि ससार प्रतिक्रिया स्वरूप हमें उत्तेजित कर रहा है कि हमारा मस्तिष्क अज्ञान स्थिति में है। एक मस्तिष्क जो कि प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजना प्रदान नहीं कर सकता, पूर्ण विश्राम की स्थिति में होगा और निश्चयपूर्वक सतुलन की स्थिति में भी होगा। मस्तिष्क का असंतुलन हमारे चारों तरफ फैले हुए ससार के विरुद्ध विरोध स्वरूप हमारे मानसिक स्व (Mental Self) की जागृति का प्रतीक है।

प्रो जे के मेहता ने बताया कि बाहरी उत्प्रेरणाओं पर भिन्न-भिन्न मस्तिष्क भिन्न-भिन्न रूपेण प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ परिस्थितियों में उत्प्रेरणाओं का समूह इस प्रकार की क्रिया प्रदान करता है तो दूसरी परिस्थिति में अन्य प्रकार की क्रिया प्रदान करता है। कुछ परिस्थितियों में ये उत्प्रेरणाएँ किसी प्रकार की भी क्रिया को जागृत नहीं कर पाती। यद्यपि यह परिस्थिति बहुत कम पायी जाती है। जो व्यक्ति उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रभावित नहीं कर पाती है।

प्रो मेहता ने मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह तो मानव मस्तिष्क का नियम है कि वह असंतुलन (Disequilibrium) को नापसंद करता है तथा सतुलन की प्राप्ति के लिए सधर्ष करता है। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही गतिविधियाँ सतुलन की प्राप्ति के साधर्य (Means) हैं। असंतुलन की स्थिति की चेतना दुख है। चेतना की असंतुलन की स्थिति में कमी या सतुलन की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने को सुख कहा जा सकता है। इस प्रकार दुख का निवारण ही सुख

है। प्रारम्भिक दुःख जितना अधिक होगा उसके निवारण पर सुख भी उतना ही अधिक होगा। अधिकतम सुख की प्राप्ति हेतु दुःख को न्यूनतम करना होगा।²

प्रो जे के मेहता ने समस्त दुःखों का मूलकारण आवश्यकता (Want) को बताया है। समस्त क्रियाएँ या गतिविधियाँ इसलिए सम्पन्न होती हैं क्योंकि आवश्यकता का अस्तित्व होता है। उन्होंने कहा कि जब मरिच्छक असतुलन की स्थिति में होता है तथा सतुलन के लिए संघर्ष करता है तो यह कहा जा सकता है कि यह सतुलन चाह रहा है। इस प्रकार आवश्यकता व दुःख दोनों साथ-साथ उपस्थित होते हैं। जब तक आवश्यकता असंतुष्ट रहती है दुःख विद्यमान रहता है तथा इसके निवारण की प्रक्रिया सतुष्टि या सुख (Pleasure) उत्पन्न करती है। जब आवश्यकता का पूर्ण निवारण हो जाता है तो किसी भी प्रकार का दुःख शेष नहीं रहता तथा और अधिक सुख प्राप्ति की कोई संभावना भी शेष नहीं रह जाती तथा यह स्थिति मरिच्छक के सतुलन का परिचायक है। जहाँ न दुःख है न सुख वरन् प्रसन्नता (Happiness) है। इस प्रकार प्रसन्नता को हम इस यथार्थ की चेतना कह सकते हैं कि हमारा मानसिक स्व (Mental Self) सतुलन की स्थिति में है।³

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मानसिक स्व के असतुलन से दुःख की अनुभूति होती है तथा इस असतुलन के निवारण से सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार सतुलन की प्राप्ति हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इस मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति हेतु तदनुरूप सतुलन की प्राप्ति हेतु हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जहाँ हमारा मरिच्छक वातावरण के विरोध का अंत कर सके। इस विशिष्ट स्थिति की प्राप्ति हेतु दो मार्ग हैं—⁴

प्रथम मार्ग के अन्तर्गत मरिच्छक की इच्छानुसार वातावरण परिवर्तित किया जाए। इस मार्ग का अनुसरण करने पर हमें चारों ओर व्याप्त ससार को पुनर्व्यवस्थित करना होगा। वस्तुतः यह साधनों के उपयोग से सम्बन्धित है। साधनों के उपयोग हेतु प्रयास करना होगा और प्रयास अनिवार्य रूप से विभिन्न क्रियाओं का परिचायक है। ये क्रियाएँ वस्तुतः वातावरण के प्रति मानव मरिच्छक की प्रतिक्रिया है। हमारा मरिच्छक शरीर के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। जब मरिच्छक असतुलन की स्थिति में होता है तो शरीर में कुछ निश्चित परिवर्तनों का वारण होता है जिसका कि परिणाम साधनों का उपयोग कहा जा सकता है।

द्वितीय मार्ग के अनुसार मरिच्छक को इस प्रकार ढाला जाय कि वह वातावरण से व्याकुल ही न हो। इस मार्ग के अन्तर्गत हम आंतरिक स्व को इस प्रकार परिवर्तित कर सतुलन स्थापित करते हैं कि हमारा मरिच्छक वातावरण से प्रभावित ही नहीं होता तथा इसे किसी प्रकार का विरोध व्यक्त करने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। इस विधि का अनुपालन अधिक कठिन है। हमसे अधिकशासक यह नहीं जानते कि हमारे स्व का कौनसा भाग मरिच्छक को शिक्षित कर सकता है ताकि वह कार्य कर रही बाह्य

शक्तियों को बश में कर लें। यहाँ किसी प्रकार का विरोध या निग्रह नहीं होगा। मस्तिष्क को प्रतिक्रिया व्यस्त करने से रोका नहीं जायेगा वरन् उसे इस प्रकार परिवर्तित किया जायेगा कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त ही न करे। धर्म व दर्शन हमें इस सदर्म में पर्याप्त शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

प्रो जे के मेहता भारतीय धर्म व दर्शन के एक प्रखर मनीषी थे। भारतीय धर्म व दर्शन में उनकी गहन आस्था ही नहीं वरन् तदनुरूप उन्होंने स्वयं के जीवन को ढाला भी। प्रो. मेहता ने एक ओर अर्थशास्त्री के रूप में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया व दूसरी ओर वे भारतीय धर्म व दर्शन के प्रकाण्ड पंडित व मर्मज्ञ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के उपरान्त भी जीवनस्तर (Standard of Living) की तुलना में जीवन मूल्यों (Life Standard) पर बल दिया। ऋषि, मुनियों की भाँति वे सत्य की खोज में सलग्न रहे। वे एकमात्र अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्थशास्त्र को भारतीय आध्यात्मवादी परम्परा के परिप्रेक्ष्य में देखा व प्रस्तुत किया।

प्रो जे के मेहता की गॉंधी जी के 'सादा जीवन उच्च विचार' में गहन आस्था थी। गॉंधी जी का भी कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिये। आवश्यकताएँ तो अनन्त हैं हम उन्हें जितना बढ़ायेंगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। गॉंधी जी के शब्दों में 'यह मन उस चंचल पक्षी के समान है जिसे जितना मिलता है, उतनी ही ज्यादा इसकी भूख बढ़ती जाती है और अंत में फिर भूखा का भूखा रहता है। इसलिए इच्छाओं की सीमाओं का अत्यन्त विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय-हाय करना मात्र एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। सम्यता का सच्चा अर्थ अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि सप्रयास कम करना है।'

प्रो जे के मेहता ने आध्यात्मवादी दृष्टिकोण के कारण उपर्युक्त दो समव मार्गों में से द्वितीय मार्ग को चुना। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्रियों ने एक नियम की भाँति मस्तिष्क के सतुलन हेतु प्रथम मार्ग पर बल दिया है। यह माना गया है कि ससाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम से ही असतुलन का दूर किया जा सकता है। लेकिन प्रो मेहता ने प्रथम मार्ग का विरोध करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह सत्य है कि ससाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम से मस्तिष्क के असतुलन को कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है लेकिन पूर्ण सतुलन की प्राप्ति इसके द्वारा असंभव है। प्रथम मार्ग में पूर्ण सतुलन अल्पावधि में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रथम मार्ग से असतुलन दूर करने की प्रक्रिया कुछ नये असतुलन उत्पन्न करती है। प्रत्येक कार्य जो कि वर्तमान इच्छा या आवश्यकता को दूर करने के लिए किया जाता है नई आवश्यकता को जन्म देता है। एक आवश्यकता की सतुष्टि दूसरी आवश्यकता को जन्म देती है।

प्रो मेहता ने स्पष्ट किया कि केवल प्रथम मार्ग का अनुसरण करने पर अर्थशास्त्र

मानव व्यवहार का अध्ययन है जिसके अन्तर्गत सतुलन की प्राप्ति हेतु या आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधना का उपयोग समाहित है मानवीय क्रियाएँ—शारीरिक व मानसिक दोनों ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु हैं। ये मानवीय क्रियाएँ वस्तुतः सतुलन की प्राप्ति का साधन (Means) हैं। इस प्रकार सतुलन की प्राप्ति साध्य (End) तथा मानवीय क्रियाएँ साध्य की प्राप्ति हेतु साधन (means) हैं। प्रथम मार्ग का अनुसरण करने पर पूर्ण सतुलन की प्राप्ति असम्भव है और इस यथार्थ की स्थिति में मानवीय व्यवहार का उद्देश्य जितना सम्भव हो सके सतुलन के निकट पहुँचना है। इस प्रकार स मानवीय क्रियाएँ जिनका कि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है इस स्थिति को पाने का साधन मात्र है।

मानवीय क्रियाएँ साधनों के उपयोग द्वारा सतुलन की बिंदु की प्राप्ति का माध्यम हैं। साधनों के विभिन्न उपयोग हैं उनका उपयोग निश्चित तरीके से किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधनों के उपयोग के एक विशिष्ट तरीके का चयन करता है। एक अर्थशास्त्री इस उपयोग के चयन हेतु आधारभूत नियम बनाते समय मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। आधारभूत नियमों का निर्धारण इसलिए सम्भव है क्योंकि वे वास्तव में पाये जाते हैं। सभी व्यक्तियों के मरिच्छक की बाह्य शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया लगभग समान ही होती है तथा एक मानव की प्रतिक्रिया सभी समय एक समान होती है। ये आधारभूत नियम चयन प्रक्रिया में मानव को सहायता प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्री इन आधारभूत नियमों की खोज करते हैं तथा ये आधारभूत नियम या सिद्धान्त मिलकर अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धान्त (Economic Theory) का निर्माण करते हैं।

प्रो मेहता के अनुसार अर्थशास्त्री सभी आधारभूत नियमों के अन्तर्गत मानवीय साधनों को इस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं कि अधिकतम सतुष्टि की प्राप्ति हो सके। अधिकतम सतुष्टि की प्राप्ति का आधार यह है कि मानव सतुलन चाहता है। सतुलन को प्राप्त करने हेतु असतुलन को दूर करना होता है। असतुलन का निराकरण या निवारण दुःख निवारण के सदृश्य है। पुनश्च दुःख निवारण सुख की प्राप्ति ही है। अधिकतम सम्भव सुख दुःख के न्यूनतमकरण (Minimisation of pain) द्वारा सम्भव हो पाता है और जब दुःख न्यूनतम होगा तब हम अंतिम साध्य सतुलन के निकटतम होंगे।

प्रो मेहता ने स्पष्ट किया कि अधिकतम सुख की प्राप्ति का निर्धारण करते समय प्रथम मार्ग का अनुसरण करने वाले अर्थशास्त्री समय तत्त्व पर ध्यान नहीं देते उनके अनुसार समय तत्त्व का भी एक विशिष्ट स्थान है; यह अधिक महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति वर्तमान में सतुलन प्राप्त करना चाहता है या अतत भविष्य में प्राप्त होने वाले पूर्ण सतुलन पर बल देता है। व्यक्ति वर्तमान में कम सतुलन (Less equilibrium) को प्राथमिकता देता है तथा भविष्य में बृहत्तर सतुलन (Greater equilibrium) को प्राथमिकता प्रदान करता है। यह भी विचारणीय है कि क्या व्यक्ति भविष्य की कीमत पर आज के सतुलन पर ही बल देता है। इन सभी प्रश्नों के समाधान के समय हमारे समक्ष समय अधिमान

की समस्या आ जाती है। प्रो मेहता के अनुसार यह सत्य है कि हम वर्तमान में रहते हैं। हमारी सारी मानसिक प्रक्रियाएँ वर्तमान अनुभव एवं अनुभूतियों के अधीन होती हैं तथा हम वर्तमान से जुड़े होते हैं न कि मृत भूता या अजन्मे भविष्य से। यही कारण है कि हम वर्तमान को अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं लेकिन प्रो मेहता ने वर्तमान की अपेक्षा भविष्य के पूर्ण सतुलन पर अधिक बल दिया। भविष्य को अधिक प्राथमिकता देने का कारण है कि भविष्य वर्तमान में स्पष्ट परिलक्षित होता है। हमें भविष्य का विचार होता है और अधिकांश व्यक्ति भविष्य की प्रत्याशा में वर्तमान में निर्णय लेते हैं। भविष्य की सुखद कल्पना की जाती है, निकट भविष्य में आने वाली खुशियाँ वर्तमान में हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक विश्लेषणार्थ वर्तमान के साथ-साथ भविष्य पर भी बल दिया जाना आवश्यक है। भविष्य का विश्लेषण वर्तमान के लिये उपयोगी है।'

प्रो मेहता ने द्वितीय मार्ग का अनुसरण किया तथा वर्तमान व भविष्य दोनों को दृष्टिगत रखते हुए निरपेक्ष व पूर्ण सतुलन पर बल दिया। अधिकतम सतुष्टि या सुख की प्राप्ति के स्थान पर प्रसन्नता (Happiness) पर बल दिया है। प्रो मेहता के शब्दों में 'हम स्वतंत्रता पूर्वक कह सकते हैं कि समस्त व्यवहार का उद्देश्य या तो मानसिक सतुलन की स्थिति को प्राप्त करना है, या दुख को न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना है या सुख को अधिकतम करना है, या अधिक स्पष्ट शब्दों में अंतिम ध्येय प्रसन्नता (Happiness) की प्राप्ति है। असतुलन दुःखमय है। असतुलन को दूर करने की प्रक्रिया या सतुलन पर पहुँचने की प्रक्रिया सुखमय है। निरपेक्ष सतुलन की प्राप्ति पर मानसिक स्थिति प्रसन्नता की परिचालक है। सुख और दुःख असतुलन के सहवर्ती हैं। दुःख असतुलन के साथ जुड़ा है तथा सुख इसके निवारण के साथ जुड़ा है। इस प्रकार सुख या सतुष्टि इस तथ्य की मानसिक अनुभूति है कि निरपेक्ष या पूर्ण सतुलन की प्राप्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया जारी है। प्रसन्नता इसकी परिणति है तथा सुख इसकी प्रतीती मात्र है। हमें सुख का अनुभव तभी होता है जब हम यह जानते हैं कि हम प्रसन्नता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम प्रसन्नता का अनुभव तभी करते हैं जब हम यह जानते हैं कि हमें किसी प्रकार का न तो कोई दुःख है, न कोई आवश्यकता है और न ही किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन है।'

प्रो मेहता के अनुसार हमारी सुख-दुःख की गणनाएँ व मानव व्यवहार का अध्ययन हमारे वर्तमान जीवन क्रम के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति सतुलन के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रयासरत रहता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधनों का उपयोग कर अधिकाधिक आवश्यकताओं से मुक्ति चाहता है। समस्त आवश्यकताओं से मुक्ति की स्थिति में ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता है अन्य शब्दों में आवश्यकता विहीनता (Wantlessness) की स्थिति में ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए व्यक्ति सघर्ष करता है।

प्रो मेहता के अनुसार आवश्यकता विहीनता की स्थिति मानव व्यवहार का वास्तविक लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने हेतु हमें समस्त आवश्यकताओं से मुक्ति पानी होगी यदि हम वर्तमान में सभी आवश्यकताओं से मुक्ति पा लेंगे तो भविष्य में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। लेकिन प्रो मेहता ने स्पष्ट किया है कि समस्त आवश्यकताओं से एक साथ मुक्ति नहीं हो सकती। हमें इन आवश्यकताओं को इस प्रकार कम करत जाना है कि पुन वे हमारे समक्ष न आये तथा आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त हो जाये। हमें एतद्दर्श नई-नई आवश्यकताओं की उत्पत्ति को वर्तमान में निषेध करना होगा अन्यथा भविष्य में आवश्यकता विहीनता की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इस आवश्यकता विहीनता की स्थिति की प्राप्ति हेतु समस्त मानव व्यवहार अर्थशास्त्र विज्ञान की विषय वस्तु है।

प्रो जे के मेहता ने पूर्ण व निरपेक्ष सतुलन आवश्यकता विहीनता की प्राप्ति हेतु समुचित मार्ग निम्न चित्र की सहायता से प्रस्तुत किया है।*



चित्र-1

चित्र-1 के अन्तर्गत एक विश्रामगृह है जो कि अतिम ध्येय आवश्यकता विहीनता का द्योतक है प्रारम्भिक बिंदु से इस विश्रामगृह को जाने वाले मार्ग सभी दिशाओं में फँसे हुए हैं जो यह बता रहे हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न साधन या मार्ग हैं। चित्र में दर्शित यात्री वह व्यक्ति है जिसकी क्रियाएँ विचार-विमर्श हेतु हमारे समक्ष हैं। वह व्यक्ति विश्रामगृह पर विभिन्न मार्गों में से किसी का भी चयन कर पहुँच सकता है। लेकिन प्रो मेहता के अनुसार एक मार्ग ही ऐसा है जो उसे सतत रूप से विश्रामगृह पर ले जाता है। यह मार्ग चित्र में चिह्नित (Arrowed) है व गहरी रेखाओं के रूप में दृश्य है। इस मार्ग के अतिरिक्त कोई भी मार्ग लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मार्ग नहीं है। प्रत्येक मोड़ पर विश्राम गृह की ओर जाने वाले उचित अनुचित मार्ग दोनों ही हैं। विश्राम गृह पर हम अनुचित मार्ग को अपना लेने पर भी पहुँच सकते हैं लेकिन अतत हमें उचित मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ेगा अत समीचीन यही होगा कि हम प्रारम्भ से ही उचित मार्ग को अपनाएँ। कोई भी व्यक्ति A या B स्थिति से प्रारम्भ होने की स्थिति में भी अतत उचित मार्ग पर चलकर ही विश्राम गृह पर पहुँच सकता है।

प्रो मेहता की दृष्टि में सर्वोत्तम व्यवहार यही है जो व्यक्ति को विश्राम गृह के

उतना ही निकट ले जाये जितना सम्व हो। अर्थशास्त्र के अतर्गत हम उस मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो विश्राम गृह पर पहुँचाने हेतु किया जाता है।¹⁰

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रो. जे. के. मेहता ने अतिम ध्येय (पूर्ण व निरपेक्ष सतुलन) आवश्यकता विहीनता की प्राप्ति हेतु मानव व्यवहार को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताया है। उन्होंने विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनाए जा रहे मार्ग, मानव व्यवहार लक्ष्य व अर्थशास्त्र की विषयवस्तु को स्पष्ट करते हुए स्वयं द्वारा प्रस्तुत मार्ग लक्ष्य व तदनुसार अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को अध्यारोपित किया है। यह कार्य उन्होंने वैज्ञानिक अर्थशास्त्री की भाँति सफलतापूर्वक किया है। अर्थशास्त्र को भी उन्होंने उपर्युक्त परिपेक्ष्य में ही परिभाषित किया है।

प्रो. मेहता द्वारा प्रदत्त अर्थशास्त्र की परिभाषा—

प्रो. मेहता भारतीय दार्शनिक व आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए स्वयं के द्वारा पूर्ण सतुलन प्राप्ति हेतु द्वितीय मार्ग— मस्तिष्क को इस प्रकार ढाला जाए कि वह वातावरण से व्याकुल ही न हो का वरण करते हुए अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। उनके द्वारा प्रदत्त परिभाषा निम्न प्रकार है—

‘अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीन स्थिति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रयत्न करता है।’¹¹

(Economics is a Science that studies human behaviour as a means to the end of wantlessness)

आवश्यकता विहीन स्थिति, जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है, दुःख के न्यूनतमकरण व प्रसन्नता की स्थिति की परिचायक है और प्रो. मेहता ने इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिक स्पष्ट शब्दों में अर्थशास्त्र को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है।

‘अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो दीर्घकाल में दुःख को न्यूनतम करने के प्रयास के रूप में किया जाता है अथवा दूसरे शब्दों में, आवश्यकताओं से मुक्ति पाने और प्रसन्नता की स्थिति तक पहुँचने के प्रयास के रूप में किया जाता है।’¹²

(Economics is, therefore, the science that studies human behaviour as the effort to minimise pain in the long run of in other works, as an endeavour to gain freedom, from wants and reach the state of happiness)

प्रो. मेहता की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र, आवश्यकता विहीन स्थिति की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले समस्त मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह मानव को आवश्यकता के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आवश्यकताओं से मुक्ति एक साथ प्राप्त नहीं की जा सकती। इसकी प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम निम्नस्तरीय आवश्यकताओं की अपेक्षा उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। प्रो. मेहता के अनुसार निम्न

स्तरीय आवश्यकताओं के स्थान पर उच्चस्तरीय आवश्यकताओं को अपना लेने से निम्न स्तरीय आवश्यकताएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। प्रो. मेहता ने इस संदर्भ में एक उदाहरण भी दिया है कि घटिया फिल्म देखने की अपेक्षा उत्तम साहित्य पढ़ना चाहिये। आवश्यकता विहीन स्थिति की प्राप्ति पूर्ण व निरपेक्ष सतुलन की प्राप्ति है जहाँ न दुःख है न सुख है वरन् प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आवश्यकता विहीन स्थिति हमें निर्वाण (Nirvana) का मार्ग प्रशस्त करती है। निर्वाण एक आधारभूत सत्य (Fundamental Truth) है।

प्रो. मेहता व प्रो. रॉबिन्सन की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलना

प्रो. जे.के. मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा की तुलना यदि हम अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं से करें तो वैचारिक दृष्टि यह प्रो. रॉबिन्सन की परिभाषा के अधिक निकट है। प्रो. रॉबिन्सन पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रो. रॉबिन्सन की परिभाषा की तुलना करने हेतु उनकी परिभाषा पर दृष्टिपात आवश्यक है। प्रो. रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है -

अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका सबंध लक्ष्यों व वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों से होता है।”

(Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses)

प्रो. रॉबिन्सन की परिभाषा से निम्न तथ्य स्पष्ट हैं—

1 अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।

2 उद्देश्यों या लक्ष्यों से आशय मानवीय आवश्यकताओं से है जो कि अनन्त व असीमित होती हैं।

3 साधन सीमित होते हैं।

4 सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं।

5 आवश्यकताओं की अनन्तता व सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग चयन की समस्या उत्पन्न करते हैं।

प्रो. मेहता तथा प्रो. रॉबिन्सन दोनों ही अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन बताते हैं। दोनों ही मानवीय आवश्यकताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और ऐसा करते समय दोनों ही चयन संबंधी क्रियाओं पर बल देते हैं परन्तु प्रो. मेहता के विचार प्रो. रॉबिन्सन से काफी भिन्न हैं। इस वैचारिक भिन्नता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है—

1 प्रो. रॉबिन्सन ने आवश्यकताओं की असीमिता व अनन्तता को दृष्टिगत रखते हुए

भी उनकी पूर्ति पर बल दिया है जबकि प्रो मेहता ने इन आवश्यकताओं को कम करने तथा अतन्त्र आवश्यकता विहीन स्थिति की प्राप्ति पर बल दिया है।

2 प्रो रॉबिन्स ने मानसिक सतुलन की प्राप्ति के प्रथम मार्ग का अनुसरण किया है जबकि प्रो मेहता ने अधिक श्रेयस्कर द्वितीय मार्ग का अनुसरण किया है।

3 प्रो रॉबिन्स का दृष्टिकोण अदूरदर्शी है क्योंकि वे अधिकतम सतुष्टि की प्राप्ति में विश्वास करते हुए उसे आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित कर देते हैं जबकि प्रो मेहता का दृष्टिकोण दूरदर्शी है क्योंकि वे पूर्ण निरपेक्ष सतुलन पर बल देते हैं जहाँ न सुख है और न दुःख वरन् प्रसन्नता ही प्रसन्नता है यह स्थिति आवश्यकता विहीन स्थिति है।

4 प्रो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना है तथा उस नीति शास्त्र से दूर रखा है दूसरी ओर प्रो मेहता ने अर्थशास्त्र में नैतिक विचारों को समाविष्ट कर अर्थशास्त्र का आदर्श विज्ञान माना है।

आवश्यकता विहीनता का अर्थ (Meaning of Want lessness)

आवश्यकताएँ अनन्त हैं असीमित हैं और जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तत्काल ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। हितोपदेश में कहा भी गया है—

यद्यदेव हि वाच्छेद ततो वाछदा प्रवर्तते ॥

अर्थात् जिस वस्तु की इच्छा की जाती है उसी से और इच्छा बढ़ती है। और इस प्रकार इच्छाएँ चक्र की पंक्ति के समान बढ़ती ही चली जाती हैं। उनकी कभी तृप्ति नहीं होती है।

भृंहरी ने भी नीतिशतक में इस यथार्थ को स्वीकार किया है। इसी कारण प्रो जे के मेहता ने भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ सतोषपरम सुखन का अनुसरण करते हुए आवश्यकता विहीनता को अंतिम ध्येय माना जिसके अंतर्गत प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। प्रो जे के मेहता द्वारा प्रस्तुत यह प्रसन्नता की स्थिति सतोष रूपी अमृत से प्राप्त सुख के सदृश ही है। हितोपदेश में कहा भी गया है—

सतोषामृत तृप्ताना यत्सुखम शान्त चेतसाम्

कुत्स्त्रघन लुब्धानामितश्चेत्तश्च धावताम् ॥९

अर्थात् सतोष रूपी अमृत से तृप्त और शान्त चित्त वालों को जो सुख मिलता है वह धन के लोभी और (इसीलिए) इधर-उधर भटकने वाला को कहीं से प्राप्त होगा ?

प्रो जे के मेहता ने इस सतोष की स्थिति को ही अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता की स्थिति के रूप में लिया है तथा इस अनिर्वर्चनीय सुख की स्थिति को प्रसन्नता की स्थिति के रूप में लिया है तथा ध्येय की प्राप्ति हेतु मानव व्यवहार के अध्ययन को अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताया है।

आवश्यकता विहीनता पूर्ण व निरपेक्ष सतुलन है तथा प्रसन्नता की स्थिति की द्योतक है। प्रा जे के महता ने इस स्थिति का आध्यात्म के विकास के साथ जोड़ा है तथा ऐसा करते समय उन्होंने क्रिया व प्रतिक्रिया के मध्य अंतर किया है। उनका मत है कि आवश्यकता विहीन स्थिति में व्यक्ति क्रिया (Action) ही करता है प्रतिक्रिया (Reaction) नहीं करता है। प्रा मेहता ने इस क्रिया व प्रतिक्रिया के अंतर को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। उन्हीं के शब्दों में 'यदि तुम पेड़ पर चढ़ते हो फल ताड़ते हो तथा उसे खाते हो तो निश्चित ही तुम बाह्य उत्प्रेरणाओं के विपरीत विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया कर रहे हो। दूसरी ओर यदि तुम्हें फल खाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है तो तुम निश्चय ही उत्प्रेरणाओं की अनुपालना के केवल क्रिया कर रहे हो।'

प्रो मेहता का स्पष्ट मत है कि एक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति बाहरी उत्प्रेरणाओं के समक्ष केवल क्रिया करता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता है और इस सदर्भ में प्रतिक्रिया का शाब्दिक अर्थ अनायास ही हमें आभास कराता है कि आवश्यकता विहीनता अहिंसा (Non-violence) के ही समान है। इस प्रकार आवश्यकता विहीनता की स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया शय नहीं रह जाती है। इस आवश्यकता विहीनता की स्थिति में सुख दुःख की अनुभूति शय नहीं रह जाती है।¹⁰ महता ने आवश्यकता विहीनता की स्थिति की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है कि 'आपके विवेक के अनुसार आदेश की कटार अनुपालना आवश्यकता विहीनता की स्थिति का गठन करती है। आप जो चाहते हैं या कार्य मत कीजिये वरन वह कार्य कीजिये जिसे आपका विवेक चाहता है। व्यक्तिगत स्वार्थ के दृशीभूत होकर मत चलिए अपितु विश्वव्यापी स्वार्थ के अनुसार चलिए। स्वार्थी नहीं स्वार्थहीन (Selfless) बनो। स्वयं को स्वविवेकानुसार कार्य करने की अनुमति प्रदान करते समय हम स्वयं को विश्वव्यापी शक्तियों के अनुसार संचालित होने दें। ये शक्तियाँ - सर्वशक्तिमान ईश्वर से निकलती हैं।'¹¹

प्रो महता की आवश्यकता विहीनता की स्थिति क्रियाहीनता की स्थिति नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है 'आवश्यकता विहीनता का आशय क्रिया विहीनता (Actionlessness) कदापि नहीं है जब हम आवश्यकता विहीनता की नीति का अनुसरण करते हैं तो आर्थिक क्रियाएँ रुक नहीं जाती हैं। एक समाज आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य पर आधारित आर्थिक नीतियों का पालन उत्पादन की मूल पद्धति में परिवर्तन के बिना भी कर सकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन व उपभोग में आवश्यकता विहीनता के आदर्शानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।¹² आवश्यकता विहीनता का आशय यह कदापि नहीं है कि हम खाना-पीना बन्द कर दें और न ही आय अर्जन नहीं करने से है। ये सभी कार्य जा कि आवश्यक है स्वार्थहीन उद्देश्य से करने हैं। आय प्राप्ति का उद्देश्य हमारे स्वयं के लिए उपयोग नहीं होना चाहिये बल्कि उन सभी की सहायता के उपयोग होना चाहिये जिन्हें हमारा विवेक उचित मानता है। जीवन के प्रति ऐसा आवश्यकता विहीन आचरण न केवल हम प्रसन्नता प्रदान करेगा वरन सामाजिक

कल्याण हेतु हमें योगदान करने योग्य बनाएगा। एक व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण के रूप में समान रूप से देखना होगा। व्यक्ति कल्याण व सामाजिक कल्याण के मध्य समानता को हमारे पवित्र धर्म ग्रन्थों में भी विशिष्ट स्थान दिया गया है।

प्रो जे के मेहता ने आवश्यकता विहीनता को गाँधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के परिपेक्ष्य में भी प्रस्तुत किया है तथा इसे समस्त समस्याओं का अंत माना है। प्रो मेहता के शब्दों में 'यदि हम सभी प्रसन्नता के सही मार्ग का अनुसरण कर लें तो राज्य का कार्य यदि समाप्त नहीं होगा तो बहुत बड़ी सीमा तक कम हो जायेगा। निर्धनों के कल्याण हेतु धनी वर्ग पर कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह भी आवश्यक नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक धन प्राप्त करने से रोका जाए। महात्मा गांधी जी का धनी व्यक्तियों के लिए ट्रस्टीशिप में विश्वास था। गाँधी जी की इच्छा थी कि धनी व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिये व अपने पास बनाए रखना चाहिये। लेकिन गाँधी जी की यह भी इच्छा थी कि धनी इसका उपयोग स्वयं के लाभ के लिए तो करे लेकिन साथ ही निर्धनों के कल्याण के लिए भी करे। अन्य शब्दों में, वह यह चाहते थे कि व्यक्ति आवश्यकता रहित हो उन्होंने हमारा ध्यान व्यक्ति व सामाजिक कल्याण के मध्य आधारभूत संबंध की ओर आकृष्ट किया। हमारी समस्याओं का अंत आवश्यकता विहीनता के मार्ग में निहित है।

आवश्यकताओं का दर्शन (The Philosophy of Wants)

आवश्यकताएँ अनंत होती हैं, असीमित होती हैं व अपरिमित होती हैं, किन्तु उनकी पूर्ति की जा सकती है। इन आवश्यकताओं के सदर्म में अब तक दो सर्वमान्य तथ्य उभर कर आये हैं।¹

1 एक आवश्यकता की सतुष्टि दुःख दूर करती है। तथा

2 एक आवश्यकता को सतुष्ट करने की प्रक्रिया नई आवश्यकता को जन्म देती है।

प्रो जे के मेहता ने इसे कुछ अचेतन आवश्यकताओं के चेतन होने के रूप में देखा है;

प्रो मेहता ने आवश्यकताओं को इस प्रकार दो भागों में रखा है—

1 चेतना आवश्यकताएँ (Conscious Wants)

2 अचेतन आवश्यकताएँ (Unconscious Wants)

प्रो मेहता ने चेतन व अचेतन आवश्यकताओं की सूक्ष्म दार्शनिक विवेचना की है। उन्होंने धनी व निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं व उनके सतुष्टि के स्तर की गहन समीक्षा की है। प्रो मेहता के आवश्यकताओं के दर्शन को निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है—

1 चेतन व अचेतन आवश्यकताएँ

प्रो मेहता ने बताया कि जब एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तो निश्चय ही सतुष्टि की प्राप्ति होती है और यह सुख या सतुष्टि की प्राप्ति दुःख निवारण की प्रक्रिया के रूप में होती है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवश्यकता के विद्यमान रहने या उसके सतुष्ट न कर पाने की स्थिति में दुःख की अनुभूति होती है जो कि मस्तिष्क की चेतनता का प्रतीक है। प्रो मेहता के अनुसार यही चेतन आवश्यकताएँ हैं। उन्होंने अचेतन आवश्यकताओं को और मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। प्रो मेहता के अनुसार कुछ आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जिनकी वर्तमान में हम अनुभूति होती है परन्तु दुःख का निवारण नहीं होता। दुःख का निवारण इसलिए नहीं होता क्योंकि वे मस्तिष्क की चेतन अवस्था में विद्यमान ही नहीं होती हैं। ये अचेतन आवश्यकताएँ हैं ये चेतन आवश्यकताओं को पूरा करने पर अस्तित्व में आती हैं। कुछ अचेतन आवश्यकताएँ तो चेतन आवश्यकताओं के साथ स्वतः ही सतुष्ट हो जाती हैं।¹⁹

प्रो मेहता ने अचेतन आवश्यकताओं का दार्शनिक विश्लेषण करते हुए बताया कि इनकी अनायास आपूर्ति सुखदायक है। एक व्यक्ति जिसने न कभी पिक्चर (Picture) के विषय में सुना न कभी देखा है तो निश्चय ही उसकी इसे देखने की चेतन आवश्यकता नहीं होगी और न ही इसके अभाव में दुःख की अनुभूति होगी। लेकिन फिर भी यदि वह पिक्चर देखता है तो निश्चय ही आनंदित होगा लेकिन यह सुख दुःख निवारण के रूप में नहीं होगा। इस प्रकार अचेतन आवश्यकता की पूर्ति धनात्मक योगदान प्रदान करेगी। एक अचेतन आवश्यकता की सतुष्टि कल्याण में धनात्मक योगदान प्रदान करती है इसलिए इसे सतुष्ट किया जाना चाहिये। लेकिन उल्लेखनीय है कि इसकी सतुष्टि चेतन आवश्यकता की सतुष्टि के साथ स्वतः ही हो जाती है। लेकिन एक बार अचेतन आवश्यकता की सतुष्टि हो जाने के बाद पुनः यह चेतन आवश्यकता के रूप में हमारे सम्मुख आ जाती है। और इस प्रकार आवश्यकता विहीनता के अंतर्गत दोनों को समान रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2 धनी व निर्धन की आवश्यकताएँ

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक औसत निर्धन व्यक्ति एक औसत धनी व्यक्ति के समान सुखी नहीं है। इसलिए निर्धन व्यक्ति दया का पात्र है। प्रो मेहता ने इस तथ्य का सशक्त शब्दों में टिप्पणी किया है। प्रो मेहता ने बताया कि इस दया के वितरण व धन के मध्य विपरीत संबंध का कोई वैज्ञानिक न्याय नहीं है। अर्थात् निर्धन व्यक्ति निर्धनता के कारण दया का पात्र है इस बात का कोई वैज्ञानिक या न्यायसम्मत आधार नहीं है। प्रो मेहता के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति की इच्छाएँ एक धनी व्यक्ति की तुलना में कम होती हैं तथा वह अपनी चैन आय के माध्यम से न्यून आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। इसकी कुछ आवश्यकताएँ ही सतुष्ट हुए बिना रह जाती हैं।

दूसरी ओर धनी व्यक्ति की आवश्यकताएँ अधिक होती हैं तथा अधिक लाभ के उपरान्त भी उसकी अधिक आवश्यकताएँ बिना सतुष्ट हुए रह जाती हैं, जो कि धनी व्यक्ति के दुःख का कारण है। यद्यपि यह सत्य है कि निर्धन व्यक्ति की सतुष्ट आवश्यकताएँ धनी व्यक्ति की तुलना में बहुत कम होती हैं परन्तु उनकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक होती है।¹

प्रो जे के मेहता ने धनी व निर्धन के जीवन-स्तर की तुलना यथार्थ रूप में की है। उनके अनुसार जीवन-स्तर के प्रति धनी व निर्धन दोनों की आवश्यकताएँ समान सख्या में नहीं होती। उच्च जीवन स्तर के उपरान्त भी धनी व्यक्ति की आवश्यकताएँ जीवन स्तर को सुधारने के लिए निर्धन की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक होती हैं। आवश्यकताओं की विशाल सख्या के कारण धनी व्यक्ति की काफी आवश्यकताएँ असतुष्ट रह जाती हैं तथा उसे दुःख की अनुभूति होती है। जीवन स्तर के प्रति निर्धन वर्ग की आवश्यकताएँ अचेतन अवस्था में होती हैं और ये अचेतन आवश्यकताएँ दुःख का कारण कदापि नहीं हैं।

प्रो मेहता ने इस सदर्म में एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि धनी व निर्धन दोनों के लिए धन की सीमात उपयोगिता एक समान नहीं होती। निर्धन व्यक्ति के लिए धन की सीमात उपयोगिता अधिकांश परिस्थितियों में धनी व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। प्रो मेहता ने बताया कि निर्धन व्यक्ति की प्रसन्नता का स्तर धनी व्यक्ति की तुलना में अधिक होता है। लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं है कि निर्धन व्यक्ति पर धनी व्यक्ति की तुलना में अधिक कर लगाया जाए। कर भार तो धनी व्यक्ति पर ही अधिक होना चाहिये। इस सदर्म में दो तथ्य उत्तरदायी हैं।²

1. धनी व्यक्ति के लिए धन की सीमात उपयोगिता तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है।

2. धनी व्यक्ति की, कर लगने पर, असतुष्ट आवश्यकताओं की तीव्रता निर्धन व्यक्ति की असतुष्ट आवश्यकताओं की तुलना में कम होती है।

प्रो मेहता ने बताया कि कर का निर्धारण त्याग की मात्रा के अनुसार होना चाहिये और उपर्युक्त दोनों तथ्यों के आधार पर धनी व्यक्ति पर अधिक मात्रा में कर लगाया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रो मेहता ने आवश्यकताओं की दार्शनिक विवेचना कर सामाजिक न्याय की स्थापना व अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हेतु कर निर्धारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है।

विशुद्ध व व्यावहारिक अर्थशास्त्र (Pure and Applied Economics)

प्रो जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को विशुद्ध व व्यावहारिक दोनों ही रूप में प्रस्तुत किया है। प्रो मेहता के अनुसार प्रत्येक विज्ञान दो शाखाओं में विभाजित होता है— विशुद्ध व व्यावहारिक। यही अर्थशास्त्र के साथ भी है। विशुद्ध गणित व विशुद्ध भौतिक शास्त्र की

भाति विशुद्ध अर्थशास्त्र होता है तथा व्यावहारिक भौतिक शास्त्र व व्यावहारिक गणित की भाति व्यावहारिक अर्थशास्त्र भी होता है।^{१८}

प्रो जे के मेहता ने विशुद्ध व व्यावहारिक विज्ञान के मध्य विभाजन के इस कथन को कि प्रथम प्रकाश देता है व दूसरा फल देता है अवैज्ञानिक बताया है। उनके अनुसार 'यह कहना पर्याप्त होगा कि विशुद्ध विज्ञान के अतर्गत हम सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जबकि व्यावहारिक विज्ञान के अतर्गत हम दिए हुए ढांचे में उपर्युक्त सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं। चूंकि अर्थशास्त्र विज्ञान की विषय वस्तु मानव व्यवहार का अध्ययन है अतः विशुद्ध अर्थशास्त्र इस व्यवहार से शासित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह विशुद्ध अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन साधनों की सीमितता के निश्चित दृष्टिकोण के अतर्गत करता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अतर्गत हम यह देखते हैं कि ये सिद्धांत मानवीय क्रियाओं के विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार लागू होते हैं।

प्रो मेहता के अनुसार विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत हम कल्याण के क्षेत्र में अधिक होते हैं। हम हमारे मस्तिष्क में एक शब्द की कल्पना करते हैं और यह शब्द हमारे अध्ययन की विषय-वस्तु बन जाता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अतर्गत हम वास्तविक ससार के क्षेत्र में होते हैं या और अधिक स्पष्ट शब्दों में हम ससार के उस क्षेत्र में होते हैं जिसे हम देखते और अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत मस्तिष्क अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत उसका अनुभव व चेतना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

प्रो मेहता के अनुसार व्यावहारिक अर्थशास्त्र का अध्ययन अतिम ध्येय की प्राप्ति है और होनी चाहिये। विशुद्ध अर्थशास्त्र की केवल यही महत्ता है कि यह हमारे अतिम ध्येय की प्राप्ति का साधन है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग करता है तथा यह देखता है कि ये किस प्रकार निश्चित व्यावहारिक क्षेत्र के अतर्गत कार्य करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम हमें सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता है। ये सामान्य सिद्धांत शून्य के अन्तर्गत कार्य नहीं कर सकते अतः इनके कार्य करने के लिए परिस्थितियों उत्पन्न करनी होंगी और एतद्धर्ष हमें वास्तविक जगत की आवश्यकता होगी। प्रो मेहता ने आवश्यकता विहीनता की प्राप्ति अतिम ध्येय बताया है। यह अतिम ध्येय प्रसन्नता का द्योतक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति व्यावहारिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य तथा विशुद्ध अर्थशास्त्र इसकी प्राप्ति का साधन है। विशुद्ध अर्थशास्त्र व व्यावहारिक अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन अतिम ध्येय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है।

प्रो जे के मेहता ने विशुद्ध अर्थशास्त्र व व्यावहारिक अर्थशास्त्र के मध्य अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत सिद्धांत शामिल किए जा सकते हैं तथा व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अतर्गत नियम शामिल किए जा सकते

है। इस प्रकार व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अतर्गत हम ग्रेशम के नियम (Gresham's Law) व तुलनात्मक लागत के नियम (Law of Comparative Cost) को सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरी ओर विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत हासमान प्रतिफल का सिद्धांत (Principle of Diminishing Returns) व प्रतिस्थापन के सिद्धांत को सम्मिलित कर सकते हैं।¹⁷ प्रो. मेहता ने इस सदर्म में सिद्धांत व नियम दोनों के मध्य अंतर स्पष्टरूपेण समझने पर बल दिया है।

प्रो. मेहता के मत में हमारे विज्ञान विशुद्ध अर्थशास्त्र के अतर्गत मुख्य आधारभूत सिद्धांत सीमान्त उपयोगिता हास नियम जिसे हासमान उपयोगिता का सिद्धांत (Principle of Diminishing Utility) भी कहा जा सकता है। विशुद्ध अर्थशास्त्र में बहुत से सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित हैं। यह सिद्धांत अन्य सिद्धांतों के साथ मिलकर व्यावहारिक अर्थशास्त्र की समस्त समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। एक व्यावसायी, एक गृह स्वामी व एक प्रशासक के समझ आने वाली समस्त समस्याओं को समुचित रूप में समझने में अर्थशास्त्र विज्ञान सहायता करता है। प्रो. मेहता ने विशुद्ध व व्यावहारिक दोनों ही अर्थशास्त्र को समान उपयोगी बताया है।¹⁸

व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics & Macro Economics)

प्रो. जे. के. मेहता ने व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र विज्ञान के अध्ययन की दो शाखाएँ हैं, का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है। दोनों के अध्ययन की विषय वस्तु की विशद विवेचना करते हुए अध्ययन की आवश्यकता को निरूपित किया है। यद्यपि उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के अध्ययन को ही महत्ता प्रदान की है।

प्रो. मेहता के अनुसार एक समाज के अतर्गत बहुत-सी इकाइयाँ समाहित हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान इन इकाइयों के व्यवहार से जुड़ा है। यदि इन इकाइयों के ऊपर कार्य कर रही उत्प्रेरणाओं को निकाल दिया जाय तो सभी सतुलन की स्थिति में होंगी और अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु कोई विषय वस्तु प्रदान नहीं करेगी। लेकिन वास्तविक जगत में प्रत्येक इकाई बहुत-सी उत्प्रेरणाओं से नियंत्रित है जो कि उस वातावरण से निकलती हैं जहाँ ये इकाइयाँ स्थित हैं। एक इकाई के व्यवहार की सामान्य पद्धति वह है जिसे प्राप्त करना अर्थशास्त्र विज्ञान का लक्ष्य है।

प्रो. मेहता के मत में तकनीकी भाषा में अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उपभोग व उत्पादन के नियम समाहित हैं। यदि एक अर्थशास्त्री को 'व्यक्ति' (Individual) के व्यवहार का पूर्ण ज्ञान है तथा वातावरण से सबद्ध पूर्ण जानकारी है तो निश्चय ही वह बता सकता है कि व्यक्ति (Individual) कितना कार्य करेगा, कितनी मात्रा में वह उत्पादन करेगा, कितनी मात्रा में बेचेगा, कितनी मात्रा में खरीदेगा, कितनी मात्रा में बचत करेगा, और

कितनी मात्रा में उपभोग करेगा आदि। अध्ययन के अतर्गत आवश्यकताएँ उनकी सरचना व गहनता व्यक्ति से सबद्ध ज्ञान उपलब्ध कराती है जबकि दूसरी ओर वातावरण की प्रकृति जिसके अतर्गत मानवीय व भौतिक शक्तियाँ निहित हैं उन उत्प्रेरणाओं का ज्ञान कराती है कि समुपस्थित है।¹⁹

उपर्युक्त विवरण के अतर्गत प्रस्तुत एक इकाई के व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति अर्थशास्त्र है। इसे व्यक्ति या सूक्ष्म अर्थशास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक विशिष्ट इकाई सभी इकाइयों को मिलाकर एक साथ रखने पर सापेक्ष रूप में बहुत छोटी होती है। एक इकाई का सही व्यक्तिगत आर्थिक अध्ययन हम यह जानने में सक्षम बनाता है कि एक विशिष्ट इकाई किस प्रकार व्यवहार करती है। यह हमें उस स्थिति की जानकारी प्रदान करती है जिसमें एक इकाई सतुलन की स्थिति में होती है। इस प्रकार व्यक्तिगत आर्थिक अध्ययन उन इकाइयों व समाज के विषय में कुछ नहीं बताती जो कि उस इकाई विशेष से संबंधित है। समस्त इकाइया का एक साथ व्यक्ति अर्थशास्त्र में अध्ययन हमें इस योग्य बनाता है कि समाज किस प्रकार व्यवहार करता है। प्रा. मेहता के अनुसार यह अध्ययन व्यक्तिगत आर्थिक अध्ययन नहीं है अपितु समष्टिगत आर्थिक अध्ययन है यह समष्टि आर्थिक अध्ययन है जो समस्त (The whole) का अध्ययन करता है।²⁰

प्रा. मेहता के अनुसार व्यक्ति समाज में रहते हैं अतः अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपेक्षा नहीं कर सकते उसे एक का नहीं बरन समस्त व्यक्तियों (All the individuals) का अध्ययन करना चाहिये एतदर्थ वह अध्ययन का कोई मार्ग अपना सकता है। प्रा. मेहता ने इस अध्ययन के दो मार्ग बताये हैं—²¹

अर्थशास्त्री एक समय बिंदु पर एक इकाई का अध्ययन कर सकता है फिर वह सभी अध्ययनों को येनकेन प्रकारेण समायोजित कर सकता है। यह वस्तुतः एक साथ अध्ययन की जा रही सभी व्यक्तिगत अर्थ व्यवस्थाओं का आंशिक सतुलन विश्लेषण (Partial equilibrium analysis) है। एक विस्तृत समाज के अतर्गत इस प्रकार का विश्लेषण निश्चय ही एक कठिन कार्य है। इसके विश्लेषणार्थ गणितीय विधियाँ प्रयुक्त करनी होंगी जिससे यह जटिल हो जावेगा।

2. समाज के अध्ययन के समष्टि आर्थिक अध्ययन का दूसरा मार्ग है कि हम समाज को इकाई मानकर अध्ययन करें। इसके अतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से प्रारंभ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समाज को ही एक इकाई मानकर अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। समाज की अपनी आवश्यकताएँ हैं इसका अपना वातावरण है जिसके विरुद्ध यह प्रतिक्रिया करता है। इसका वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन है उपभोग है तथा बचत व विनियोग है। समष्टि आर्थिक अध्ययन की यह विधि हम विस्तृत परिणाम प्रदान करती है। प्रा. मेहता के अनुसार प्रथम विधि से इसका मूलमूल अंतर यह

है कि इसके अतर्गत वातावरण का आशय प्रकृति (Nature) से है, जिसे अर्थशास्त्री भूमि (Land) कहते हैं।

प्रो मेहता के अनुसार दोनों अध्ययन विधियों में द्वितीय विधि श्रेष्ठ है, यद्यपि प्रथम विधि की महत्ता को भी स्वीकार करना होगा।

स्थैतिक, विकासात्मक व प्रावैगिक अर्थशास्त्र

(Static, Developmental and Dynamic Economic)

एक उत्पादन इकाई के सतुलन के विस्तार अथवा सकुचन की प्रायः अनुपस्थिति होती है। यह एक स्थिति है जिसके अतर्गत किसी इकाई की विस्तार या सकुचन की कोई इच्छा नहीं होती। प्रो मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन के अतर्गत हम सतुलन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। प्रो मेहता ने इस सतुलन की स्थिति को अर्थशास्त्र के तीन विशिष्ट स्वरूपों के अतर्गत स्पष्ट किया है—

1. स्थैतिक अर्थशास्त्र (Static Economics)

हम सतुलन की स्थिति से यह निश्चित करते हैं उत्पादन के प्रत्येक साधन का क्या अंश होगा, सभी उत्पादित वस्तुओं की क्या कीमत होगी व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की क्या मात्रा होगी। जब हम आर्थिक प्राणाली के अतर्गत इस सतुलन की स्थिति की प्राप्ति की प्रत्याशा करते हैं व उसका अध्ययन करते हैं तो उसे स्थैतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। हमारा उद्देश्य उस स्थिति का निर्धारण है जो कि उन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी जो कि सबसे प्रारम्भ में होती है वह स्थिति जिसके अतर्गत दी हुई आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, सतुलन की स्थिति है, अधिक स्पष्ट यह स्थैतिक समय है। यह अध्ययन समय बिंदु (Time point) से संबद्ध होता है।¹²

2. प्रावैगिक अर्थशास्त्र (Dynamic Economics)

जब प्रारम्भिक समक में कोई परिवर्तन नहीं होता समायोजनों की प्रक्रिया द्वारा अंतिम स्थिति प्राप्त की जा सकती है और यदि हम चाहे तो ऐसा मार्ग अपना सकते हैं जिसके द्वारा पूर्ण सतुलन प्राप्त किया जा सके। यह अध्ययन प्रावैगिक अर्थशास्त्र कहा जा सकता है जिसके अतर्गत समयानुसार समायोजन की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। हम यहाँ मार्ग निर्धारित करते हैं जिसके अतर्गत आर्थिक परिवेश समय-समय पर परिवर्तित होता है। यह अध्ययन समय बिंदु के स्थान पर समय-अवधि (Period of Time) से संबद्ध होता है।¹³

3. विकासात्मक अर्थशास्त्र (Developmental Economics)

विकासात्मक अर्थशास्त्र के अतर्गत एक दी हुई अवधि में उत्तरोत्तर प्राप्त होने वाली सतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ये सतुलन की स्थितियाँ सतुलन की अंतिम स्थिति की प्राप्ति हेतु हैं जो समयावधि के अंत में प्राप्त होती हैं। प्रो मेहता के

अनुसार हमारा विकासात्मक अर्थशास्त्र प्रो टिन्बर्गन (Pro Tinbergen) के आधिक प्राद्वैगिकी के सदृश है जिसके अंतर्गत अतः प्रभावी प्रक्रियाएँ शामिल हैं। प्रो टिन्बर्गन के अनुसार इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए तथा कदम-कदम पर इस अनुकूल प्रक्रिया के अनुगमन के लिए उत्तरोत्तर होने वाली गतिविधियों के लिए जिस सिद्धांत की आवश्यकता है वह आर्थिक प्राद्वैगिकी (Economic Dynamics) कहा जाता है।¹

उपयोगिता की मापनीयता (Measurability of Utility)

उपभाग आवश्यकताओं की सतुष्टि से शासित सिद्धांतों का एक अध्ययन है। आवश्यकताओं की सतुष्टि उपयोगिता (utility) उपजाती है और इस प्रकार उपभाग को उपयोगिता को आनदाभूति से शासित सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रो मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है अतः हमें उपयोगिता के मात्रात्मक स्वरूप की व्याख्या करना आवश्यक है। आवश्यकता उनकी सतुष्टि व उपभोक्ता के सतुलन के वैज्ञानिक विश्लेषणार्थ उपयोगिता मापनीयता अत्यावश्यक है।

प्रो मेहता ने उपयोगिता के मात्रात्मक मापन पर बल दिया है। उन्होंने प्रो हिक्स व एल्न द्वारा प्रस्तुत तटस्थता वक्र विश्लेषण को भी उपयोगिता का मात्रात्मक मापन ही सिद्ध किया है। प्रो मेहता ने उपयोगिता के मापन के सद्वर्ग म विभिन्न व्यावहारिक प्रश्न तथा उनके समाधान से संबंधित निम्न तथ्य प्रस्तुत किये।²

1 उपयोगिता एक मापदायक पदार्थ है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक भौतिक पदार्थ ही मापा जा सकता है लेकिन एक मापदायक अभौतिक पदार्थ कैसे मापा जा सकता है? प्रो मेहता ने जन सामान्य के इस प्रश्न का जन सामान्य की भाषा में उत्तर देते हुए कहा है कि और भी बहुत से मापदायक पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें मापा जाता है जैसे ऊर्जा विद्युत ताप आदि। इसलिए यह कहना गलत है कि उपयोगिता एक अभौतिक पदार्थ है अतः इसे मापा नहीं जा सकता।

2 उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। यह समय-समय पर बदलती रहती है। यह प्रश्न किया जाता है कि एक स्थायी रूप से परिवर्तनशील पदार्थ मापा जा सकता है तो दूसरा भी मापा जा सकता है। एक समय बिन्दु पर किसी पदार्थ की उपयोगिता स्थिर रहती है अतः यह मापी जा सकती है।

3 उपयोगिता के मापन की कोई इकाई (Standard) नहीं है। भौतिक पदार्थों का मापन निश्चित इकाई की सहायता से कर सकते हैं। अतः किसी क्षण पदार्थ की लम्बाई गज (Yard Stick) द्वारा वजन पौंड (Pounds) द्वारा मापा जा सकता है। लेकिन उपयोगिता को मापने वाली इस प्रकार की इकाई नहीं है। लेकिन प्रो मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत सतुष्टि को भौतिक इकाइयों द्वारा मापा जा सकता है। इस प्रकार 'मुद्रा' उपयोगिता के मापन की इकाई है। प्रो मेहता ने इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि भौतिक लक्ष्य कमी नहीं मापे जाते हैं। जबकि हम

किसी कपड़े को मापते हैं तो उस क्षण उसकी लंबाई मापते हैं। लम्बाई अनौतिक है व उपयोगिता के सदृश्य है। इस प्रकार प्रो मेहता के अनुसार उपयोगिता को अमापनीय कहना गलत है।

प्रो मेहता के अनुसार मार्शल द्वारा उपयोगिता की मापनीयता के सदर्थ में प्रस्तुत गणनात्मक दृष्टिकोण (Cardinal approach) उचित व सार्थक है। उन्होंने कहा कि मार्शल ने मुद्रा रूपी इकाई द्वारा उपयोगिता को जिस प्रकार मापा है, वह सही है। प्रो मेहता के अनुसार प्रो हिक्स व ऐलन आदि द्वारा प्रस्तुत क्रमवाचक दृष्टिकोण भी वस्तुतः दूसरे रूप में उपयोगिता को मापनीय लेकर ही चलता है। उन्होंने क्रम वाचक दृष्टिकोण के अतर्गत भी उपयोगिता की मापनीयता को उदाहाण द्वारा सिद्ध किया है।

माना कि पाँच वस्तुओं की उपयोगिता मात्रानुसार बढ़ते हुए क्रम में रखें। इस प्रकार उपयोगिताओं को रखने पर ज्ञात होता है कि प्रथम वस्तु से न्यूनतम उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरी वस्तु से प्रथम की तुलना में कुछ अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी तथा अंतिम वस्तु से सर्वाधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। यदि हम इस क्रम को निम्न रूप में प्रस्तुत करें— 1,3,5,7, व 9 तो निश्चय ही उपयोगिता के सदर्थ में अधिक प्रभावी तथ्य हमारे समक्ष आएगा कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने की स्थिति में उपयोगिता बढ़ जाती है। प्रो मेहता के अनुसार उपयोगिता के इस क्रम से जिसमें कि उपयोगिता मापनीय है, एक बात और स्पष्ट होती है कि हम यह कह सकते हैं कि पहली इकाई की तुलना में दूसरी से 3 गुना व तीसरी इकाई से 5 गुना उपयोगिता प्राप्त होती है।¹⁰

प्रो मेहता ने गणितीय दृष्टि से उपयोगिता को दो स्वरूपों के अतर्गत मापनीय सिद्ध किया है।¹¹

1. रूपात्मक रूपान्तरण (Monotonic Transformation)

यदि हम विभिन्न वस्तुओं के स्थान पर एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों को क्रमानुसार रखें तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमात उपयोगिता घनात्मक है। उपर्युक्त उदाहरण के क्रम—1,3,5,7 व 9 से ज्ञात होता है कि सीमात उपयोगिता 2,2,2 व 2 होगी जो कि घनात्मक है। गणितीय भाषा में कहा जा सकता है कि जब सीमात उपयोगिता मापनीय है तो सीमात उपयोगिता का चिन्ह (घनात्मक या ऋणात्मक) निश्चित है।

2. रैखिक रूपान्तरण (Linear Transformation)

यदि हम उपभोग की जाने वाली वस्तु की क्रमानुसार उपयोगिता के सदर्थ में अधिक जानकारी रखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि वस्तु की क्रमानुसार उपभोग की जाने वाली इकाइया बढ़ती हुई उपयोगिता प्रदान करती है। उपयोगिताओं के मध्य इस प्रकार के संबंध के प्रस्तुतीकरण हेतु इसे विशिष्ट प्रकार की श्रेणियों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए श्रेणिया हैं—


3	4	4
8	10	11
15	18	21
24	28	34
35	40	50

इन सभी तीनों श्रेणियों के अतर्गत सीमात उपयोगिताएँ बढ़ती हुई है। यहाँ हम केवल यह ही नहीं जानते हैं कि सीमात उपयोगिता ऋणात्मक है या धनात्मक है अपितु यह भी जानते हैं कि यह सीमात उपयोगिता किस गति में परिवर्तित हो रही है। तब हम यह भी जानते हैं कि सीमात उपयोगिताएँ घट रही है या बढ़ रही है। इन श्रेणियों की विशाल सख्या हो सकती है। गणितीय भाषा में उपयोगिता रैखिक रूपान्तरण तक मापनीय है। प्रो मेहता के अनुसार इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह (क्रमवाचक) दृष्टिकोण गणनावाचक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया है। हम केवल यह ही नहीं कह सकते कि एक की उपयोगिता अधिक है या दूसरी की अधिक है अपितु यह भी कह सकते हैं कि दोनों के मध्य क्या अंतर है। हम सीमात उपयोगिताओं की परस्पर तुलना कर सकते हैं।

प्रो मेहता के अनुसार सत्य यह है कि उपयोगिता के सदर्थ में चाहे गणनावाचक दृष्टिकोण हो या क्रमवाचक दृष्टिकोण हो वास्तविकता यह है कि उपयोगिता मापनीय है।

प्रो मेहता ने प्रो हिव्स व ऐलन द्वारा प्रस्तुत तटस्थता वक्र विश्लेषण के सदर्थ में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि वास्तव में इसी तथ्य पर आधारित है कि 'उपयोगिता मापनीय है' यद्यपि प्रो हिव्स स्वयं के द्वारा प्रस्तुत तटस्थता वक्र विश्लेषण को अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। उनका सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति के स्वयं के अधिमान होते हैं। विभिन्न तटस्थता वक्र विभिन्न अधिमानों को दर्शाते हैं। एक व्यक्ति उसी तटस्थता वक्र को पसन्द करेगा जो मूल बिंदु से सापेक्षतया दूर हो। प्रो हिव्स का इस अधिमान के सदर्थ में स्पष्ट तर्क है कि प्रत्येक ऊपर वाले तटस्थता पर नीचे वाले तटस्थता वक्र की तुलना में वस्तु की मात्रा अधिक है।¹⁰

प्रो मेहता ने तटस्थता वक्र विश्लेषण को चित्र द्वारा समझाते हुए स्पष्ट किया है कि व्यक्ति द्वारा ऊपर वाले तटस्थता वक्र को अधिमान इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि उस पर वस्तु की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है यह तथ्य चित्र 2 से स्पष्ट है—¹⁰



चित्र-2

उपर्युक्त चित्र-2 के अतर्गत कई तटस्थता वक्र दिए हुए हैं। एक उपभोक्ता तटस्थता वक्र-1 की तुलना में तटस्थता वक्र-2 पर उपभोग करना पसंद करेगा क्योंकि तटस्थता वक्र-2 पर Y- वस्तु की OB मात्रा प्राप्त हो रही है जो कि तटस्थता वक्र-1 की OA मात्रा की तुलना में AB मात्रा अधिक है।

इसी प्रकार उपभोक्ता तटस्थता वक्र-3 का चयन तटस्थता वक्र-2 की तुलना में करेगा। तटस्थता वक्र-3 पर तटस्थता वक्र-2 की तुलना में X वस्तु की BC मात्रा अधिक प्राप्त हो। प्रो मेहता के अनुसार BC मात्रा के समान तटस्थता वक्र-3 पर अधिक उपयोगिता मिलेगी और उपभोक्ता इसका चयन करेगा। प्रो मेहता के मत में किसी वस्तु की अधिक मात्रा, अधिक उपयोगिता की परिचायक है और इस प्रकार प्रो ह्यक्स द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण किसी न किसी रूप में यथार्थ वगैरे स्वीकार करता है कि उपयोगिता मापनीय है।

प्रो मेहता ने उपयोगिता की मापनीयता के पक्ष में परेटो (Pareto) द्वारा प्रस्तुत कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) से सबद्ध विचारों की समुचित व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि डॉ ओ लान्गे (Dr O LANGE) द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता फलन (Utility Function) भी उपयोगिता को मापनीय सिद्ध करता है।

कल्याण का अर्थशास्त्र (Welfare Economics)

प्रो मेहता के अनुसार समस्त अर्थशास्त्र को जितना हम जानते हैं, कल्याण का अर्थशास्त्र है व अवश्य होना भी चाहिये। यद्यपि इस सदर्म अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक व्यक्तिगत अर्थशास्त्र (Economics of individuals) व दूसरा समाज का अर्थशास्त्र (Economics of society) है। कल्याण के आधार पर प्रथम व्यक्तिगत कल्याण का अर्थशास्त्र व द्वितीय सामाजिक कल्याण का अर्थशास्त्र होगा।

प्रो मेहता के अनुसार कल्याण का अर्थशास्त्र वस्तुतः सामाजिक कल्याण का अर्थशास्त्र ही है। सामाजिक कल्याण का परिभाषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। सामाजिक कल्याण 'व्यक्तिगत' के मस्तिष्क में निवास करता है। समाज का कोई मस्तिष्क नहीं होना है अतः सामाजिक कल्याण का अनुभव व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार कल्याण व्यक्तिगत है या सामाजिक उसका व्यक्तियों द्वारा ही अनुभव किया जाता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है और इस प्रकार सामाजिक कल्याण निश्चय ही व्यक्तिगत कल्याण से बढ़ता है।

प्रो मेहता के अनुसार सामाजिक कल्याण एक फलन है—व्यक्तियों के मस्तिष्क व उस वातावरण का जिसमें व्यक्ति निवास करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जब सामाजिक कल्याण का मापन करता है तो वह सामाजिक कल्याण वस्तुतः दो तथ्यों पर निर्भर करता है।

- 1 वातावरण जिसमें व्यक्ति निवास करता है तथा
- 2 व्यक्ति के मस्तिष्क का व्यवहार।

व्यक्ति के मस्तिष्क का व्यवहार उस समय हमारे समक्ष उपस्थित होता है जब वह व्यक्तियों के कल्याण की न्यायोचित समीक्षा करता है। यह व्यक्तियों का कल्याण ही समूह रूप में सामाजिक कल्याण है।

प्रो मेहता के मत में सामाजिक कल्याण का मापन विशुद्ध रूप से मानसिक व मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है अतः इसके मापन का कोई निश्चित मानदंड समझ नहीं है। लेकिन प्रो मेहता के अनुसार फिर भी यह एक उपयोगी अवधारणा है। उनके अनुसार यदि हमारा मस्तिष्क कुछ सोचता है तथा सामाजिक कल्याण को मापता है तो निश्चय ही मापन या निष्कर्ष संवेदनशील व बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे और इस मापन का कुछ उपयोग किया जा सकता है तो यह महत्वहीन नहीं होगा। और भी इस प्रकार का मापन व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग में लाये जा सकते हैं।

प्रो मेहता ने सामाजिक कल्याण को किसी राष्ट्र के आर्थिक पुनर्निर्माण में अत्यन्त उपयोगी बताया है। उनके अनुसार यदि किसी राष्ट्र के आर्थिक पुनर्गठन का गहन विचार किया जाना प्रस्तावित है प्रभावी रूप से वास्तव में किया जा रहा है तो निश्चय ही यह संवेदनशील मस्तिष्क हमें बता सकता है कि नयी व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक कल्याण होने वाला है या वास्तव में हो चुका है। आवश्यक समझो के दिये होने पर यह मस्तिष्क हमें बता सकता है कि विभिन्न संभव आर्थिक पुनर्गठन के स्वरूप में से कौनसा स्वरूप सामाजिक कल्याण में सर्वाधिक वृद्धि करेगा।

प्रो मेहता की दृष्टि में सामाजिक कल्याण के एक मानसिक व मनोवैज्ञानिक अवधारणा होने के कारण हम इसके लिए कोई वस्तुपरक माप तो प्रदान नहीं कर सकते लेकिन हम एक स्थिति के अंतर्गत सामाजिक कल्याण की तुलना दूसरी स्थिति से कर

सकते हैं, और बता सकते हैं कि किस स्थिति में सामाजिक कल्याण अधिक है और नीति निर्माताओं को इस अत्युपयोग ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रो मेहता के अनुसार यह सीमात सामाजिक कल्याण (Marginal social welfare) ही है। जिसकी कि हमें सार्थक उपयोगिता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि सीमात सामाजिक कल्याण घनात्मक है या ऋणात्मक। यदि सीमात सामाजिक कल्याण घनात्मक है तो नीति वाछनीय है। हम इस नीति का अनुसरण करते हैं। हमारी नीति में तब तक किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी जब तक यह सीमात सामाजिक कल्याण शून्य (Zero) नहीं हो जाये। जब सीमात सामाजिक कल्याण शून्य होगा तभी सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा और यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है।

लगान (Rent)

प्रो जेके मेहता ने लगान को आय नहीं माना है। उनके अनुसार 'लगान लागत के ऊपर एक अतिरेक है' (Rent is surplus above cost)। प्रो मेहता की दृष्टि में जब एक उत्पादन का साधन केवल एक ही विशिष्ट उपयोग में लाया जाता है तो उसको समस्त आय प्रकृति से एक अतिरेक (surplus) ही है। साधन के उपयोग में निहित लागत या त्याग एक साथ समाप्त हो जाता है। यदि कोई एक ही प्रकार का कार्य करने में सक्षम है तो निश्चय ही वास्तविक शाब्दिक अर्थ में कोई त्याग नहीं होगा और समस्त आय अतिरेक ही होगी और यह अतिरेक ही लगान है।

प्रो जेके मेहता के अनुसार यह असंभव है कि कोई साधन निरपेक्ष रूप में केवल एक ही विशिष्ट उपयोग में प्रयुक्त होता है। अतः किसी साधन की विशिष्टता व अतिविशिष्टता के मध्य अंतर समझाना आवश्यक है। यह अंतर किसी साधन के विशिष्ट होने या अतिविशिष्ट होने के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम किसी साधन के विशेष पहलू को ध्यान में रखते हैं तो उसकी समस्त आय प्रकृत्यनुसार अतिरेक या लगान होगी। किसी भी साधन में इस अतिरेक या लगान की मात्रा साधन के विशिष्टता तत्त्व के साथ जुड़ी हुई है। जिस साधन की विशिष्टता का गुण जितना अधिक होगा, उस साधन को उतना ही अधिक अतिरेक या लगान प्राप्त होगा।⁴⁴

प्रो मेहता के अनुसार अतिरेक या लगान या साधन की विशिष्टता एक सापेक्ष मूल्य है निरपेक्ष मूल्य नहीं है। अतिरेक सर्वदा दो मात्राओं के मध्य अंतर का परिणाम है। लगान किसी साधन को प्राप्त होने वाली एक मात्रा है, जो कि इसके एक उपयोग की उत्पादकता के व दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में उत्पादकता के मध्य अंतर है। इसी प्रकार अन्य उपयोगों में भी इसे ज्ञात किया जा सकता है।

प्रो जेके मेहता ने लगान के सदर्भ में निम्न तथ्य निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किये हैं—⁴⁵

1 लगान एक सापेक्ष अवधारणा (Relative Concept) है न कि एक निरपेक्ष अवधारणा (Absolute Concept)।

2 जब इसका अतिरेक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वास्तविक अर्थों में एक से अधिक परिणाम प्रस्तुत करने में सक्षम है।

3 प्रत्येक प्रकार की आय लगान या अतिरेक के रूप में प्रकट हो सकती है।

4 प्रत्येक प्रकार की आय के अंतर्गत अतिरेक का तत्त्व पाया जाता है।

5 इस अतिरेक का मात्रात्मक मापन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम लगान को एक साधन के लगान के रूप में ले रहे हैं या लगान वाले साधन के विशिष्ट उपयोग के रूप में ले रहे हैं।

6 हम इस अतिरेक या लगान को किसी भी रूप में क्यों न ले रहे हों यह वस्तुतः सामान्य या विशिष्ट उपयोग दोनों के ही अंतर्गत साधन की विशिष्टता का ही परिणाम है।

लाभ (Profit)

प्रा. जे. के. मेहता के अनुसार लाभ साहसी को जोखिम वहन करने के बदले में प्राप्त हानि वाला प्रतिफल है। यह प्राथमिक स्थिति में ही प्राप्त होता है। लाभ जोखिम वहन करने के बदले में या असामान्य व अप्रत्याशित प्राप्ति के रूप में ही होता है। स्थैतिक स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम यह कहते हैं कि स्थैतिक स्थिति में लाभ प्राप्त होता है तो निश्चय ही हमारा ज्ञान अपूर्ण होगा। हमारे ज्ञान की अपूर्णता की मान्यता की स्थिति में ही स्थैतिक स्थिति में अल्पकाल व दीर्घकाल के मध्य अंतर किया जा सकता है। प्रा. मेहता के अनुसार यदि हम स्थैतिक स्थिति में अल्पकाल की बात कर रहे हैं तो वस्तुतः यह प्राथमिक स्थिति से स्थैतिक स्थिति में आने पर सक्रमण काल की स्थिति है। इस स्थैतिक स्थिति में साहसी को शक्यता में कोई अंतर नहीं होता है और इस प्रकार किसी प्रकार के जोखिम की स्थिति शक्य नहीं रह जाती है। अतः स्पष्ट है कि स्थैतिक स्थिति में अंतर्गत लाभ की प्राप्ति नहीं होती।

प्रा. मेहता के अनुसार केवल प्राथमिक स्थिति में ही लाभ प्राप्त होता है। प्राथमिक स्थिति में अंतर्गत अल्पकाल ही या दीर्घकाल लाभ की प्राप्ति होती है। अल्पकाल के अंतर्गत फर्म मार्ग के अनुसार उत्पादन के पैमाने को समायोजित करने की स्थिति में नहीं होती अतः इस अवधि में अनायास ही लाभ या हानि की स्थिति प्राप्त हो सकती है। गतिशील संसार में पूर्ण समायोजन दीर्घकाल में भी संभव नहीं है अतः इस अवधि में कीमती औसत लागत के समान नहीं हो पाती। जोखिम की स्थिति विद्यमान रहती है और इस प्रकार प्राथमिक स्थिति में ही जोखिम वहन करने के बदले साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। लाभ सदैव अनिश्चित व अप्रत्याशित होता है।"

प्रतिनिधि फर्म (The Representative Firm)

संतुलन शब्द की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा दी जा सकती है कि यह वह स्थिति है जिसमें उत्पादन के विस्तार व संकुचन की कोई प्रवृत्ति न हो। इस प्रकार एक फर्म के संतुलन का आशय उस स्थिति से होगा जिसमें इसके विस्तार व संकुचन की कोई प्रवृत्ति न हो। उद्योग के संतुलन का आशय भी उस स्थिति से होगा जिसमें इसके उत्पादन में कमी व वृद्धि की प्रवृत्ति न हो।⁴⁷

प्रो जे के मेहता ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के संतुलन को स्पष्ट करते हुए कहा कि संतुलन की स्थिति में उत्पादन के विस्तार व संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। संतुलन की स्थिति में निम्न से एक शर्त अवश्य पूरी होती है—⁴⁸

1 जब व्यक्तिगत फर्म संतुलन की स्थिति में होती है तो नई फर्मों के प्रवेश व पुरानी फर्मों के बहिर्गमन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है।

2 जब व्यक्तिगत फर्म में संतुलन की स्थिति नहीं होती और कुछ फर्मों के अवस्तितार व कुछ के संकुचन की स्थिति होती है तो उत्पादन परस्पर वृद्धि व कमी में समायोजित होकर उतना ही रहता है तथा फर्मों की संख्या में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती।

3 जब फर्म संतुलन की स्थिति में नहीं होती है। कुछ के विस्तार व कुछ के संकुचन की स्थिति होती है तथा कुछ बहिर्गमन करती है तब भी उत्पादन में परस्पर समायोजन के कारण कोई वृद्धि या कमी नहीं होती।

इस प्रकार उद्योग के संतुलन हेतु सभी फर्मों का संतुलन आवश्यक नहीं है। उद्योग का संतुलन उस स्थिति में भी हो सकता है जब फर्म उद्योग में प्रवेश व बहिर्गमन कर रही हो। ऐसी स्थिति में उत्पादन परस्पर समायोजन के कारण पूर्व स्तर पर ही बना रहता है। उसमें विस्तार व संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। प्रो जे के मेहता ने संकुचन के आशय के उपर्युक्त परिपेक्ष्य में प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया है उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म वास्तविकता के अधिक निकट है, स्पष्ट है तथा तर्क सम्मत है।

प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रो मार्शल ने प्रस्तुत किया, प्रो मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जिसका पर्याप्त जीवन है जो पर्याप्त सफल है जो सामान्य योग्यतानुसार व्यवस्थित है, जो आंतरिक व बाहरी बचते दोनों ही सामान्यतः प्राप्त कर चुकी है तथा जो उत्पादन की समग्र मात्रा से संबंधित है।⁴⁹

प्रो मेहता के अनुसार प्रतिनिधि फर्म का न विस्तार होता है न संकुचन होता है। जबकि अन्य फर्मों के उत्पादन में वृद्धि या कमी हो सकती है। प्रो मार्शल द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म के निम्न दो वास्तविक दोष हैं—

1 मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह अवधारणा स्थैतिक स्थिति के लिए है या प्रावैगिक स्थिति के लिए है या दोनों के लिए है।

2 यह साधना गलत है कि प्रतिनिधि फर्म सदैव सतुलन की स्थिति में होती है इस वस्तुतः उद्योग का प्रतिनिधित्व करना चाहिये। उद्योग के विस्तार के साथ इसका विस्तार होना चाहिये व समुच्चय के साथ समुच्चय होना चाहिये। प्रो पीगू (Prof PIGOU) ने भी मार्शल द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म की व्याख्या पर प्रहार किया तथा स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह प्रतिनिधि फर्म नहीं है अपितु एक सतुलन फर्म (Equilibrium firm) है।

प्राग्भवे मानता प्रतिनिधि फर्म की प्रो मार्शल द्वारा प्रस्तुत अवधारणा को प्रागक व अस्पष्ट बताया तथा उसकी तर्कीय मूलिक रूप में प्रस्तुत किया। उसकी अवधारणा में प्राग्भवे की अवधारणा के दोषों का निवारण किया गया है।

प्रो मेहता के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है। जब उद्योग का विस्तार हो रहा होता है तब इसका विस्तार होता है व उद्योग के समुच्चय की स्थिति में इसका समुच्चय होता है।

(A Representative Firm is that firm which represents the industry fully That is it expands when the industry is expanding and contracts when the industry is contracting)

प्रो मेहता की प्रतिनिधि फर्म के सार्वभौम में निम्न दो तथ्य उल्लेखनीय हैं-

1 प्राग्भवे द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म प्रो मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव सतुलन की स्थिति में नहीं होती। यह तो सम्पूर्ण समय समस्त उद्योग की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

2 प्रो मेहता द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म केवल दीर्घकालीन प्रावैगिक स्थिति में कीमत निर्धारण में सहायता प्रदान करती है। दीर्घकालीन रथैतिक स्थिति का यहाँ कोई महत्त्व नहीं है।

प्रो मेहता की परिभाषा से स्पष्ट है कि उद्योग के विस्तार व समुच्चय के साथ फर्म का भी विस्तार व समुच्चय होता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब प्रतिनिधि फर्म का विस्तार होता है तो उद्योग का भी विस्तार हो रहा होता है तथा इसके समुच्चय की स्थिति में उद्योग भी समुच्चय होता है। प्रतिनिधि फर्म के विस्तार की स्थिति में नवीन संसाधन उद्योग में प्रवेश करते हैं ताकि इसके समुच्चय की स्थिति में संसाधन बाहर चले जाते हैं। यह वहना न्याय सम्मत होगा कि उद्योग के अतर्गत प्रतिनिधि फर्म सभी फर्मों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। उद्योग के अतर्गत प्रवेश करने वाली अन्य फर्मों के लिए भी यह आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है। प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत कीमत निर्धारण करती है।

जब प्रतिनिधि फर्म का विस्तार हो रहा होता है तो उद्योगों के अतर्गत नयी फर्मों के प्रवेश की प्रवृत्ति होगी व उद्योग का विस्तार होगा। इसका परिणाम कीमत में कमी

होगी। कीमत में कमी से फर्मों के विस्तार की प्रवृत्ति कमजोर हो जायेगी। स्थायित्व की स्थिति तब आयेगी जब प्रतिनिधि फर्म के विस्तार की प्रवृत्ति शेष नहीं रह जायेगी। इस स्थिति के अतर्गत कीमत प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर हो जायेगी। सकुचन की स्थिति में इसके विपरीत स्थिति होगी। प्रतिनिधि फर्म के सकुचन की स्थिति में कीमत इसकी औसत लागत की तुलना में कम हो जाती है। कुछ फर्म उद्योग से बाहर चली जाती है। पुनः कीमत प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर हो जाती है। प्रतिनिधि फर्म पुनः सतुलन की स्थिति को प्राप्त हो जायेगी। उद्योग में सतुलन की स्थिति होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है परन्तु अतत यह प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होगी।

प्रो. मेहता ने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधि फर्म व प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत भी सदैव स्थिर नहीं रहती ये परिवर्तित हो सकती है। लेकिन कीमत की प्रवृत्ति सदैव प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत के बराबर होने की रहती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रतिनिधि फर्म की औसत लागत ही कीमत का निर्धारण करती है।

उपर्युक्त विवरण को गणितीय भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। माग और पूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। माग को स्थिर लिया जाता है तथा पूर्ति लागत पर निर्भर करती है। यह व्यक्तिगत फर्म की लागत नहीं है अपितु समस्त उद्योग की लागत है। बहुत-सी फर्मों की औसत लागत, उद्योग की औसत लागत से कम या अधिक हो सकती है। लेकिन एक फर्म अवश्य होगी जिसकी औसत लागत उद्योग की औसत लागत के समान होगी यह फर्म ही प्रतिनिधि फर्म है। चूंकि इस फर्म की लागत, उद्योग की लागत के समान है अतः यह कहना न्यायसम्मत होगा कि इसकी औसत लागत कीमत का निर्धारण करेगी।

सार्वजनिक वित्त (Public Finance)

प्रो. जे. के. मेहता ने सार्वजनिक वित्त से सबद्ध प्रत्येक क्षेत्र पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने सार्वजनिक वित्त की परिभाषा के साथ इसके प्रत्येक अंग पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। सार्वजनिक वित्त पर प्रो. मेहता के विचारों को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. सार्वजनिक वित्त की परिभाषा

'सार्वजनिक (Public) व वित्त (Finance) दोनों को मिलाकर समुक्ताक्षर 'सार्वजनिक वित्त' बना है। प्रो. मेहता के अनुसार सार्वजनिक वित्त किसी सार्वजनिक सस्था के वित्तीय सबधों से सबद्ध है। और इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का विज्ञान किसी सार्वजनिक सस्था द्वारा वित्तीय ससाधनों की प्राप्ति व उपयोग से सबद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करता है।¹⁰

प्रो. मेहता द्वारा प्रदत्त परिभाषा सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र को बहुत अधिक व्यापक बना देती है। सार्वजनिक सस्थाओं के अतर्गत राज्य के अतिरिक्त और भी सस्थाएँ जैसे

स्कूल क्लब रायुक्त पूजा यपनी आदि भी सम्मिलित हो जाती है। लेकिन प्रो मेहता ने स्पष्ट विद्या है कि सार्वजनिक शब्द वा यदा आशय राज्य से है। इस प्रकार यह राज्य के वित्तीय सासाधन व इसके उपयोग वा अध्ययन करता है।

2 सार्वजनिक आय

प्रो मेहता के अनुसार आय साधन है व सार्वजनिक वस्तु (Public Good) साध्य है। राज्य अपनी समस्त गतिविधिया इस प्रकार लागू करता है ताकि सामाजिक कल्याण मे वृद्धि हो सके। आधुनिक आर्थिक सार्ग में ये गतिविधिया मुद्रा द्वारा भली-भाति सम्पन्न की जा सकती है। यह सार्वजनिक आय को बढ़ाओ हुए वह इसका उपयोग सेवाओं के निष्पादन व समाज के लाभ मे करते हुए होती है। एतदर्थ ही वारोपण किया जाना है। अधिक् विस्तृत व स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक व्यय हेतु सार्वजनिक आय प्राप्त की जाती है। सार्वजनिक व्यय निश्चित ही समाज के लिए लाभप्रद है तथा दूसरी ओर सार्वजनिक आय मे हानि होती है। यदि इसका विशुद्ध परिणाम कल्याण मे वृद्धि हे तो निश्चय ही राज्य द्वारा किया गया यह कार्य न्यायोचित होगा।³

प्रो मेहता ने प्रो पीगू द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक आय के न्यूनतम त्याग के सिद्धांत व प्रो अदारकर (Prof ADARKAR) के विचारों से असहमति व्यक्त करते हुए सार्वजनिक वित्त आय वा उचित सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रो मेहता के शब्दों मे हमें सार्वजनिक आय की नियोजन अवस्था व आय मे वास्तविक वृद्धि के मध्य अंतर करना होगा। जब हम सार्वजनिक आय के नियोजन के सदर्भ मे सोचते है तो निश्चय ही यह सोचते है कि कितनी मुद्रा बढ़ायी जानी चाहिये। निश्चय ही हम यह ध्यान रखते है कि मुद्रा को किस प्रकार खर्च किया जायेगा और यह किस प्रकार जनता के कल्याण को प्रभावित करेगी। जब हम साधते है कि मुद्रा किस प्रकार बढे तो निश्चय ही सार्वजनिक व्यय से असंबन्ध हमारा मत हो सयता है।⁴

प्रो जेक मेहता ने सार्वजनिक आय को चार भागों मे वर्गीकृत किया है—

1 कर (Taxes)

2 शुल्क (Fees)

3 (Duties)

4 विविध स्रोत जैसे उपहार (Gift) दंड (Fines) विशेष निर्धारण (Special Assessment) आदि।

3 सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

प्रो मेहता के अनुसार सार्वजनिक व्यय वा सार्वजनिक वित्त मे वही स्थान हे जो कि अर्थशास्त्र के अध्ययन मे उपयोग वा ह। जिस प्रकार समस्त गतिविधियों का अंत है उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय समस्त विनीय गतिविधिया का अंत है। सार्वजनिक व्यय अंतिम ध्येय (Final end) नहीं है अपितु यह राज्य द्वारा समाज का समर्पित सेवाओं के

रूप में एक साधन (Means) है। यह वस्तुतः राज्य द्वारा प्राप्त आय के व्यय को दर्शाता है। और इस प्रकार यह कुछ उपयोगिता प्राप्ति हेतु उत्पादन क्रिया है।

प्रो मेहता के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति मुद्रा खर्च करता है उसी प्रकार राज्य भी अपनी आय खर्च करता है। इस प्रकार किसी भी समय दो अभिकर्ताओं द्वारा वित्तीय साधन खर्च किये जाते हैं। ये अभिकर्ता हैं जनता व राज्य। राज्य जनता द्वारा मिलकर बना है अतः यह कहा जा सकता है कि जनता अपने वित्तीय साधनों को दो प्रकार से खर्च कर सकती है—

1 निजी रूप में तथा, 2 सार्वजनिक रूप में

प्रो मेहता के अनुसार यदि हम इसी दृष्टि से विचार करें तो निजी व सार्वजनिक व्यय के मध्य अंतर की प्रकृति को समझने में सहायता मिलेगी। सार्वजनिक व्यय व्यक्तियों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में कुशलता पूर्वक पूरा नहीं कर सकता। जनता को अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परस्पर सहयोग करना होता है। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार की प्रकृति का होता है जो व्यक्तियों द्वारा कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता।¹⁶

प्रो मेहता ने सार्वजनिक व्यय को नवीन रूप में दो भागों में विभाजन किया है।¹⁷

1. स्थिर व्यय (Constant Expenditure) स्थिर सार्वजनिक व्यय वह व्यय है जो जनता को जनता द्वारा इस सेवा के उपयोग के अनुसार निर्धारित नहीं होता अर्थात् यदि जनता इस सेवा का उपयोग कम करे तो यह कम नहीं होता तथा अधिक उपयोग किये जाने पर बढ़ता नहीं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रतिरक्षा व्यय (Defence Expenditure) है यह व्यक्तिगत उपयोग के आधार पर निश्चित नहीं होता है।

2. परिवर्तनशील व्यय (Variabal Expenditure) परिवर्तनशील व्यय वह व्यय है जो व्यक्तियों द्वारा सेवा के उपयोग द्वारा प्रभावित व निर्धारित होता है। यदि सार्वजनिक सेवा का उपयोग अधिक किया जाता है तो सार्वजनिक व्यय बढ़ जाता है दूसरी ओर यदि सार्वजनिक सेवा का उपयोग कम किया जाता है तो सार्वजनिक व्यय कम हो जाता है। इस व्यय के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं— डाकघर सेवाओं पर व्यय न्यायिक अदालतों पर व्यय, सार्वजनिक उपक्रमों पर व्यय आदि।

4. सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में प्रो मेहता के विचार सत्यता के परिचायक हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति मुद्रा उधार लेना प्रारंभ करता है तो यह उसकी आदत बन जाती है। वह अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना ऐसा करता है। यही भय राज्यों के संदर्भ में भी व्याप्त रहता है। किसी भी राज्य की सरकार का गठन वहाँ रह रही जनता द्वारा होता है। सरकार द्वारा ऋण लेना एक आदत बन जाती है और यह एक गंभीर खतरा है।

प्रो जे जे मेहता जे अनुसार एक राष्ट्र का सार्वजनिक ऋण इसकी अर्धव्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करता *

1 जब सरकार द्वारा मुद्रा वृद्धि हेतु ऋण लिया जाता है तो जनता अपने बजट समायोजित करती है जब सरकार कर (Taxes) लगाती है तो जनता कर चुकाने के लिए अपने व्यय में कटौती करती है लेकिन जब उतनी ही मात्रा राज्य द्वारा ऋण के रूप में वसूल की जाती है तो जनता सामान्यतः खर्च में कटौती नहीं करती है वरन् अपनी पुरानी व वर्तमान बचत द्वारा जारी ऋण पत्र ग्रहण करती है। यह सार्वजनिक ऋण का प्रथम व तुरन्त प्रभाव है।

2 द्वितीय प्रभाव सार्वजनिक ऋण का दूरगामी प्रभाव है। इसके अंतर्गत लिये गये सार्वजनिक ऋण का जनता पर होना वाले व्यय की स्थिति में पहुँचने वाला लाभकारी प्रभाव समाहित है। यह वस्तुतः इस तथ्य से संबद्ध है कि सार्वजनिक ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। प्रो मेहता का स्पष्ट मत है कि सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादन कार्यों में लिए जान पर ही सार्वजनिक ऋण का लाभकारी प्रभाव सम्भव है। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक ऋण का उत्पादन उपभोग वितरण निजी उद्योग बना ब्याज की दर पर पन्ने वाले प्रभाव का सूक्ष्म विप्लेषण किया जाता है।

5 वित्तीय प्रशासन (Financial Administration)

प्रो मेहता ने वित्तीय प्रशासन को सार्वजनिक वित्त का चतुर्थ व अंतिम अंग निरूपित करते हुए इसकी महत्ता सिद्ध की है। उनके अनुसार राज्य की विभिन्न वित्तीय गतिविधियों के संचालन हेतु एक सरकारी ऋण की आवश्यकता है। इस वित्तीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बजट तैयार करना है। यह बजट सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक ऋण का बजट है। प्रत्येक राज्य में एक संस्था है जो यह निश्चय करती है कि क्या गतिविधियाँ संपन्न की जाएंगी और वर्ष व अंतर्गत उनकी क्या मात्रा होगी। इस प्रकार वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण बजट प्रक्रिया समाहित है।

सैद्धांतिक अध्ययन की दृष्टि से वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत हम उन आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनके आधार पर वित्तीय गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रशासन की ऐतिहासिक विवेचना भी की जा सकती है तथा एक देश की दूसरे देश से तुलना की जाती है। अन्य शब्दों में वित्तीय प्रशासन को सफल बनाने हेतु सभ्य प्रयास किये जाते हैं।

इस प्रकार प्रो जे जे मेहता का स्थान आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्रियों में सर्वोपरि है। प्रो मेहता द्वारा प्रस्तुत विचारों का अध्ययन समस्त विश्व में अर्थशास्त्र के मनीषियों द्वारा सुखी पूर्वक किया जाता है। उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ अर्थशास्त्र विषय को अप्रतिम देन है। प्रो मेहता वस्तुतः अर्थशास्त्र के विद्वान् थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया व उनके अंतर्गत आवश्यक व महत्वपूर्ण संशोधन किये। उन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत गणित का प्रयोग कर इसे और अधिक व्यावहारिक बनाने का सफल प्रयास किया।

प्रो मेहता ने भारतीय सस्कृति व आध्यात्मिक परम्परा का निर्वाह करते हुए इसके उच्च मूल्यों को अर्थशास्त्र में समाविष्ट किया। उन्होने यह कार्य अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में आवश्यक सशोधन करते हुए किया। ऐसा करते समय उन्होने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को और अधिक सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय दर्शन के मूलाधार-समस्त दुःखों का आव्यन्तिक निवारण व निरतिशय सुख की प्राप्ति का मार्ग आवश्यकता विहीनता की स्थिति की प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत किया। यह आवश्यकता विहीनता की स्थिति ही प्रो मेहता के अनुसार पूर्ण व निरपेक्ष सतुलन है जिसकी प्राप्ति अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ही मानव व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु है। इसी परिपेक्ष्य में प्रो मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया।

प्रो जे के मेहता के सदर्भ में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होने अर्थशास्त्र विज्ञान के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक व दार्शनिक मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा की।

प्रो जे के मेहता ने विशुद्ध अर्थशास्त्र के स्थान पर व्यावहारिक अर्थशास्त्र को, व्यक्ति अर्थशास्त्र के स्थान पर समाधि अर्थशास्त्र को, स्थैतिक अर्थशास्त्र के स्थान पर प्राथमिक अर्थशास्त्र को तथा वास्तविक अर्थशास्त्र के स्थान पर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को वरीयता प्रदान की। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा पर एक सुधार है। उनके द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण अधिक व्यावहारिक व समीचीन है वस्तुतः उन्होने अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जो योगदान दिया वह अतुलनीय है।

संदर्भ

- 1 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 1
- 2 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 1
- 3 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 2
- 4 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 2
- 6 गाँधी - हिन्द स्वराज्य, पृष्ठ 44-45
- 6 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 3
- 7 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 5
- 8 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 7
- 9 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 9
- 10 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 10
- 11 जे के मेहता - एडवान्सड इकोनामिक थ्योरी, पृष्ठ 10
- 12 जे के मेहता - लेक्चर्स आन मॉडर्न इकोनामिक्स, पृष्ठ 8
- 13 राबिन्स एल-एन ऐसे ऑन दी नेचर एण्ड सिग्निफिकेन्स ऑफ दी इकोनामिक्स, पृष्ठ 16

- 48 जे के मेहता - लेक्चर्स आन मॉडर्न इकॉनामिक्स, पृष्ठ 175
 49 मार्शल - प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनामिक्स पृष्ठ 318
 50 जे के मेहता (Edited by)- फन्डामेन्टल्स ऑफ इकॉनामिक्स, पृष्ठ 360
 51 जे के मेहता (Edited by) - फन्डामेन्टल्स ऑफ इकॉनामिक्स, पृष्ठ 318
 52 मेहता, जे के, अग्रवाल, एस एन - पब्लिक फाइनेन्स - थ्योरी एंड प्रेक्टिस, पृष्ठ 3
 53 जे के मेहता (Edited by)- फन्डामेन्टल्स ऑफ इकॉनामिक्स पृष्ठ 635
 54 जे के मेहता, अग्रवाल, एस एन - पब्लिक फाइनेन्स - थ्योरी एंड प्रेक्टिस, पृष्ठ 46
 55 जे के मेहता (Edited) - फन्डामेन्टल्स ऑफ इकॉनामिक्स, पृष्ठ 632
 56 जे के मेहता, अग्रवाल, एस एन - पब्लिक फाइनेन्स - थ्योरी एंड प्रेक्टिस, पृष्ठ 21
 57 जे के मेहता, अग्रवाल, एस एन - पब्लिक फाइनेन्स - थ्योरी एंड प्रेक्टिस, पृष्ठ 40
 58 जे के मेहता अग्रवाल, एस एन - पब्लिक फाइनेन्स - थ्योरी एंड प्रेक्टिस, पृष्ठ 125

प्रश्न

- 1 प्रो जे के मेहता द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तको का नाम लिखिए ?
- 2 प्रो मेहता ने समस्त दुखों का मूल कारण किसे माना है ?
- 3 प्रो मेहता द्वारा प्रदत्त अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए ?
- 4 प्रो मेहता तथा प्रो रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलना कीजिए ?
- 5 प्रो जे के मेहता के आवश्यकता के सम्बन्ध में विचारों को स्पष्ट लिखिए ?
- 6 प्रो मेहता के व्यक्ति एवं समष्टि, स्थैतिक एवं प्रावैगिक तथा कल्याण का अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विचारों को लिखिए ?
- 7 प्रो जे के मेहता के सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी विचारों की व्याख्या कीजिए ?
- 8 निम्न पर टिप्पणी लिखिए -
 - (i) प्रतिनिधि फर्म
 - (ii) कल्याण का अर्थशास्त्र
 - (iii) उपयोगिता का माप
 - (iv) विकासात्मक अर्थशास्त्र
 - (v) विशुद्ध व व्यावहारिक अर्थशास्त्र
 - (vi) चेतन व अचेतन आवश्यकताएँ



चरणसिंह

(Charan Singh 1902-1987)

जीवन परिचय - चौधरी चरणसिंह का जन्म 23 दिसम्बर 1902 में मेरठ जिले के नुरपुर में एक किसान परिवार में हुआ। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा राजकीय हाईस्कूल मेरठ से पास की। बी.एस.सी. करने के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एम.ए. की डिग्री प्राप्त की और आगरा विश्वविद्यालय से ही लॉ करने के लिए मेरठ में बसने लगे। 1925 में उनकी गायत्री देवी से विवाह सम्पन्न हुआ। तिलक एव गोंधीजी की प्रेरणा पाकर चरणसिंह स्वतंत्रता आन्दोलन में दूरे और कई बार जेल भी गये। 1929 में चौधरी जी कांग्रेस में शामिल हुए। आजादी से पूर्व उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में छपराईली से जीतकर चुने। इस स्थिति से चरणसिंह लगातार पाँच बार विधायक चुने गये। उत्तर प्रदेश सरकार में चौधरी 1940 में शामिल हुए। 1967 में चन्द्रभानु गुप्त मन्त्रिमंडल में हटाकर मुख्यमंत्री बनने तक न्याय सूचना वृत्ति स्वास्थ्य राजस्व परिवहन इत्यादि प्रमुख विभागों को कुशलता से सम्भाल चुके थे। वे दुबारा 1970 में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 29 अगस्त 1974 में उन्होंने भारतीय लोकदल की स्थापना की। आपातकाल के बाद सभी गैर कांग्रेसी दलों (साम्यवादीयों को छोड़कर) के विलय से जनता पार्टी का गठन हुआ जिसमें चौधरी जी की निर्णायक भूमिका रही। 1977 के चुनावों में सफलता मिलने पर वे मोरारजी देसाई मन्त्रिमंडल में गृहमंत्री व उपप्रधानमंत्री बने। बाद में अगस्त 1979 को देसाई सरकार को हटाकर स्वयं देश के प्रधानमंत्री बने परन्तु कांग्रेस का समर्थन न मिलने के परिणामस्वरूप गध्यावधि चुनाव हुए वे जनवरी 1980 तक इस पद पर रहे। उनकी मृत्यु मई 1987 में हुई।

चरणसिंह समूचे भारत में किसानों के प्रतिनिधि नेता थे। उन्होंने जीवन भर अपनी छवि किसान नेता से अलग हटकर नहीं बनने दी। इसी वजह से चौधरी साहब जहाँ वहाँ जाते तो लाखों की संख्या में किसान उनके मुँह से नहीं बात सुनने को आतुर रहते थे। यह आश्चर्यजनक ही बात जायेगा कि बगैर किसी मजबूत समर्थन के एक व्यक्ति आधे भारत में सार्वभूत दल के सामने चर्चाची टाडी बनने में सफल रहा।

चौधरी जी को जाट नेता के रूप में मान्यता मिली लेकिन इतना ही बड़ा सच है कि वही उन्होंने जाट सस्थाओं के कार्यक्रमों में शिरका नहीं की। और ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी पद पर पहुँच कर उन्होंने कभी जातिवादी रवैया अपनाया हो।

चरणसिंह के साथ त्रासदी यह रही कि कभी भी वे किसी एक पार्टी को लगातार बनाये नहीं रख सके। कांग्रेस से राजनीतिक जीवन शुरुआत करने के बाद भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी, दमकिपा लोकदल आदि दल बनाते रहे। चरणसिंह लोकसभा से भी दूर नहीं थे। आपातकाल के बाद 1977 के चुनावों में जनता पार्टी को विजय मिलने पर मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री एवं चरणसिंह गृहमंत्री बने। परन्तु उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षी सपना था, और इसी सपने ने जनता पार्टी के प्रयोग को चकनाचूर कर दिया।

वे साफ दिल के थे। इसलिए सबका विश्वास कर लेते थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि वे प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बनाये जा रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी को तोड़ना चाहती थी। राजनारायण द्वारा खेले गये खेल में चरणसिंह की छवि काफी धुमिल हुई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस (स) फिर दलित मजदूर किसान पार्टी और पुन लोकदल बनाकर अपने समर्थकों को हमेशा जुटाये रखा।

उनके जीवन से एक बड़ी शिक्षा ली जा सकती है वह है— सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार के खात्मे की। वे स्वयं पाक-साफ रहे और उत्तर प्रदेश में मंत्री एवं मुख्यमंत्री बनने पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रयास किये। लोकतंत्र में दशवाद के कट्टर विरोध का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा कि होश रहते हुए उन्होंने अजीतसिंह को राजनीति में प्रश्रय नहीं दिया।

चरणसिंह ने खेत-खलिहानों के महत्व के साथ स्वदेशी भावना का परिपालन कर, उनकी स्मृति को जनजीवन में बनाएँ रखा।

चौधरी चरणसिंह मूलतः गँधीवादी विचारक थे। अपने आर्थिक विचारों में चरणसिंह ने महात्मा गँधी की भारत के लिए आर्थिक नीति को ही समझाने का प्रयास किया है। उनके अनुसार देश के राजनीतिक नेता एक और तो महात्मा गँधी को राष्ट्रपिता कहते आये हैं। आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते रहे हैं, पर दूसरी तरफ उनके आर्थिक दर्शन की उपेक्षा करते आये हैं। इनकी इस दुहरी नीति का ही नतीजा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारा देश गरीब है। हजारों लोग प्राकृतिक आपदाओं के मौत के मुँह में चले जाते हैं। लाखों बच्चे एवं बूढ़े कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा तथा बेरोजगारी हमारी व्यवस्था के अंग बन गये हैं। आजाद भारत में रिश्वतखोरी का दानव रात-दिन ताकतवर होता जा रहा है। इसका सिर्फ एक कारण है और वह है, हमारे नीति निर्माताओं द्वारा गलत आर्थिक नीति को अपना लेना अर्थात् गँधी द्वारा प्रतिपादित कृषि तथा लघु-उद्योग विकास की नीति को टुकरा कर भारी उद्योगों के विकास की नीति को स्वीकार करना।

चरणसिंह के अनुसार स्वतंत्र भारत को विरासत में चार समस्याएँ मिली हैं, जिनका आपस में सम्बंध है, ये समस्याएँ—गरीबी, बेरोजगारी और कम रोजगार,

वैयक्तिक आय में गरीब असमानताएँ और कठिन काम न करने की प्रवृत्ति है। ये सभी समस्याएँ जीवन के गलत दर्शन से उत्पन्न हुईं। लम्बे अर्से तक विदेशी अथवा अल्पसंख्यकों का शासन रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति से भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। इसके विपरीत इन समस्याओं का विकराल रूप होता गया है। इनके साथ ही राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के उच्च पदाधिकारियों में भी प्रत्येक प्रकार का भ्रष्टाचार फैला है। इन सबका उत्तरदायी चौधरी चरणसिंह ने राजनीतिक नेतृत्व को माना है। देश के नेताओं ने हमारी समस्याओं के निराकरण करने के लिए विदेशों के सिद्धान्तों को लागू करना चाहा जबकि हमारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे में ही आर्थिक व्यवस्था पुनर्संरचना करनी चाहिए थी।

भारत की वर्तमान दुर्दशा का अर्किर्भाव चौधरी भी स्वतंत्रता के साथ ही मानते हैं उनके अनुसार गोंधीजी कृषि को सर्वप्रथम प्राथमिकता देने के साथ-साथ कुटीर उद्योग अथवा हस्तकलाओं को भी बढ़ावा देने के पक्ष में थे और इनके बाद ही भारी उद्योगों का विकास करना था। परन्तु गोंधीजी के इन विचारों को उनके उत्तराधिकारी (नेहरू जी) ने अस्वीकार कर ऐसी नीतियों को अपनाया जो आन्तरिक स्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थीं। गोंधीजी भारत के निर्माण को निम्न स्तर से ऊपर उठाना चाहते थे जिनका केन्द्र ग्राम था जबकि नेहरू जी भारत को ऊपरी स्तर से प्रारम्भ करके निम्न स्तर तक ले जाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने नगर को केन्द्र माना। कृषि और श्रम प्रधान तथा अल्पकालीन योजनाओं की अपेक्षा नेहरू जी ने विशाल खर्चीली पूँजी प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता दी जो न केवल अधिक समय लगने वाली थी अपितु विरल ससाधन यथा-सीमेंट इस्पात जटिल तकनीकी विशेषता और विदेशी मुद्रा के बेकार उपयोग कराने में लगी रही। परिणामस्वरूप एक ओर आय की समानता बढ़ी और एकाधिकार का प्रादुर्भाव हुआ तो दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ी। चौधरी इसका मूल कारण पूँजी प्रधान परियोजनाओं तथा उद्योगों को प्राथमिकता तथा श्रम प्रधान उद्यमों एवं कुटीर उद्योगों की अवहेलना मानते हैं। भारत की आर्थिक उन्नति में मुख्य बाधा राजनीतिक नेतृत्व विशेषकर आयोजकों और शहरी अर्थशास्त्रियों को माना है जिनका मार्क्स के उन सिद्धान्तों के प्रति आकर्षण रहा है जो हमारे देश की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं की दृष्टि से नितात बेकार है। भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि योजना का गठन उन आदर्शों पर टिकाया गया है जिनमें साधारण समझ का भी भाव नहीं रहा। चौधरी जी ने अपनी आर्थिक नीति में कृषि हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रमुखता दी है। विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन पर बल दिया गया है तथा इन सबसे ऊपर आज की परिस्थितियों में राजकीय एजेंसियों को अर्थव्यवस्था के क्रम में यथासम्भव कम से कम भूमिका अदा करने के लिए कहा है। चौधरी चरणसिंह ने विभिन्न विचारों तथा एजेंसियों द्वारा दिये आकड़ों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि की प्रगति आवश्यक है न कि बड़े उद्योगों की। उद्योगों का विकास कृषि के माध्यम से ही हो सकता

है। देश कृषि की उन्नति से ही स्वावलम्बी हो सकता है, विदेशी सहायता से नहीं। देश में व्याप्त गरीबी, बेकारी, आदि आर्थिक समस्याओं का निदान कृषि की प्रगति में ही सन्निहित माना है क्योंकि नेहरू जी की पश्चिमी परक नीति के परिणामस्वरूप चात्सीस वर्ष के नियोजन के बाद भी ये समस्याएँ कम होने के बजाय बढ़ी ही हैं। इसका मूल कारण चौधरी जी ने कृषि, गोंदो, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों की उपेक्षा एवं पश्चिमी की नकल बड़े उद्योगों को प्राथमिकता, शहरों को गोंदों से अधिक प्राथमिकता तथा विदेशों पर निर्भरता को माना है।

चौधरी चरणसिंह के विचार उनके द्वारा लिखित "भारत की अर्थ नीति - गाँधीवादी रूपरेखा" 1977 (इंडियाज इकोनामिक पॉलिसी गाँधीयन ब्ल्यू प्रिंट), भारत की मयावह आर्थिक स्थिति - "कारण और निदान" (1982) (इकोनामिक नाइट मेअर ऑफ इंडिया इट्स काज एण्ड वयोर) तथा (3) "इंडियन पावर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन (1964)" पुस्तकों में सन्निहित है, जिनका अध्ययन निम्न बिन्दुओं के रूप में कर सकते हैं

I कृषि

चरणसिंह के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यदि हम अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन करें तो हमें अतीत की ओर देखना होगा जिसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। (i) वह काल जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी के रूप में घुसे थे तब देश खाद्यान्नों का आयातक नहीं बरन् निर्यातक था। देश में हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का स्वर्णिम युग था। बेकारी, गरीबी आदि समस्याएँ नहीं थीं। (ii) वह काल जब हमने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारम्भ की और अपने देश से विदेशियों को बाहर निकाल दिया तथा बाद में नियोजन के माध्यम से देश की उन्नति करनी चाही, जिसमें प्रगति के बजाय हमने खाद्यान्नों का तेजी से आयात किया। हमारी गिनती दुनियाँ के निर्धनतम देशों में होती है। देश में ससार के चौथाई पशु है फिर भी हमारी दुग्ध सप्लाई ससार की मात्र 5 प्रतिशत ही है। अधिकांश जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। कृषि की स्थिति दयनीय है। चौधरी जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया है-

(i) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता :- स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि हमारे लोगों के जीवन की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अथवा उसकी भूमिका को महसूस करने में असफलता हुई है। इसका मुख्य कारण भारी उद्योगों के प्रति अधिक ललक रही है। भोजन मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनुष्य सड़के, शिक्षा, आवास, कपड़ा एवं बड़े उद्योगों को टाल सकता है लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। गाँधीजी ने एक बार कहा था कि "एक भूखा व्यक्ति किसी भी काम को करने से पूर्व अपनी क्षुधा शांत करने की बात सोचता है, वह अपनी आजादी और सभी कुछ एक ग्लास पाने के लिए बेच देगा।" क्या भारत में

साम्यवाद हमारे देश की लाकतात्रिक शासन प्रणाली की अपेक्षा कहीं पहले खाद्यान्न समस्या के निवारण में समक्ष होगा। यह स्थिति सोवियत रूस ने स्वयं ही अपनी असफलता स्वीकार करके स्पष्ट कर दी है अमेरिका से प्रति व्यक्ति भूमि अधिक होने के बावजूद रूस 1963 से बराबर खाद्यान्न का आयात कर रहा है।

वास्तव में 1946 से अब तक शायद ही ऐसा कोई वर्ष हो जब हमने खाद्यान्न का आयात ना किया हो। 1950 से 1976 तक चालू कीमतों पर 7283 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात किया। यदि यही राशि किसानों पर देश में ही खर्च होती तो भारत कृषि में ही नहीं औद्योगिकरण में भी काफी सफलता प्राप्त कर लेता।

उनके अनुसार कम कृषि उत्पादन से कुपोषण बढ़ा है तथा ससतार की परिस्थितियों तेजी से बदल रही हैं इसीलिए हम विदेश से लगातार खाद्यान्न आयात नहीं कर सकते। इसकी तीन प्रमुख बाधाएँ हैं—

(अ) जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उन देशों से जिनसे हम आज अनाज खरीदते हैं उनकी अपनी जनसंख्या भी बढ़ रही है और उनकी भूमि के कटाव की सम्भावना है तथा असम्भव शर्तें थोपना चाहेंगे।

(ब) मुक्त व्यापार या प्रतियोगिता आज कहीं नहीं देखी। जो देश आत्मनिर्भर हैं वे विदेशी वस्तुएँ खरीदना नहीं चाहते और यदि उन्हें उस माल की आवश्यकता भी होती है तो वे घुगी जैसे अनेक कर लगा देगे। तथा

(स) विशाल जनसंख्या के कारण हमें अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ता जायेगा जबकि हमारे माल की कीमतों में गिरावट आयेगी। इसके अलावा आत्म सम्मान की मांग निर्यात करने वाले देशों का हम पर प्रभुत्व जमाने की सम्भावना युद्ध के समय खाद्यान्न आने की अनिश्चितता और धनी अथवा शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हमारे स्वप्न का साकार बनाने की इच्छा भी ऐसे कारक हैं कि हमें कृषि की उन्नति कर खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकें और अन्य देशों पर आश्रित न हो।

(ii) कच्चे माल का उत्पादन — समस्त जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो उपभोक्ता उद्योगों को चलाने के लिए लगातार और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कच्चे माल को उपलब्ध कराती है। कृषि फसला से उत्पन्न कच्चा माल कतिपय उद्योगों जैसे कपड़ा तेल निकालने चावल कूटने आटा जूट चीनी वनस्पति तम्बाकू-निर्माण आदि के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार वनरोपण व पशुपालन से भी लकड़ी गौद सीसा चमड़ा हड्डियों आदि उद्योगों को कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार खदानों से लोहा तांबा बाक्साइट कोयला पत्थर आदि भूजीगत वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। बाहर से कच्चे माल का आयात अंतिम रूप से तैयार की गई वस्तुओं के लिए

अधिक मूल्य बढ़ाने वाला होगा। बड़ी हुई कीमतें इतनी अधिक होंगी कि हमारे देश के अधिकांश लोग इसे नहीं चुका पायेंगे। ऐसे माल की बिक्री विदेशी बाजारों में भी नहीं हो पायेगी, क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता करना भी मुश्किल होगा। अतः कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाना होगा और कुछ अनुपातों में मूल्य को उद्योगों के लिए कच्चे माल के उत्पादन में काम लिया जा सकता है।

चौधरी चरणसिंह ने कपास का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो कपास सुपर फाइन साइडिंग मलमल, वायल, कैम्ब्रिक, घोटियों और पापलीन तैयार करने में काम आता है। भारत उसका 90 प्रतिशत मिश्र या सूझान से खरीदता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका 10 प्रतिशत भाग भी न तो अच्छा बनाया जा सका है और न ही उसे निर्यात किया जा सकता है। जबकि विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा कपास की खेती भारत में सबसे अधिक होती है, लेकिन उत्पादन सबसे कम है।

(iii) जनता की क्रय शक्ति :- चौधरी जी का मत है कि जब देश की 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित हो तथा आय एवं रोजगार भी कृषि पर ही निर्भर हो तो उनकी क्रयशक्ति भी कृषि की स्थिति पर ही निर्भर होगी। क्रयशक्ति कृषि-उत्पादन की वृद्धि से ही मिलेगी। जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही वह उत्पादन उत्पादकों की आवश्यकताओं से अधिक होगा और उत्पादन बिक्री के लिए उपलब्ध होगा तथा विक्रेता अथवा उत्पादक के लिए क्रयशक्ति अधिक प्राप्त होगी। कृषि शक्ति के बढ़ने से कृषि उत्पादन सामान और सेवाओं की माँग अधिक होगी। किसानों की आमदनी बढ़ने से औद्योगिक विकास के लिए भी खुला बाजार मिल जायेगा। हमारे अपने घरेलू बाजार के बिना ये कारखाने शीघ्र ही धूलि-धूसरित हो जायेंगे।

यहाँ तक की कुटीर उद्योगों अथवा हस्तशिल्पों का भविष्य इस बात पर आधारित है कि हमारे देहाती क्षेत्रों में किसानों की आय में किस दर से वृद्धि हो जाती है। कोई भी किसान एक जोड़ी जूता उस समय तक नहीं खरीद सकता जब तक कि वह अपने उत्पादन में से कुछ हिस्सा बाजार में बेच नहीं देता क्योंकि खेतों में जूते नहीं उगाये जा सकते।

जिस प्रकार उद्योग क्रयशक्ति के लिए कृषि पर निर्भर है उसी प्रकार सेवाओं (शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, परिवहन, आदि) की माँग भी कृषि की उन्नति में ही निहित है। उद्योगपति, परिवहन कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सभी कृषि उत्पादन के बढ़ने के साथ ही सम्पन्न होते जाते हैं।

(iv) कृषि से कामगारों की मुक्ति :- चौधरी चरणसिंह के अनुसार विकसित कृषि से जनता को क्रयशक्ति ही नहीं मिलती अपितु इससे मजदूर भी कृषि से मुक्त होकर औद्योगिक तथा तृतीयक कार्यों में लग सकेंगे। इस प्रकार मजदूरों के मुक्त होने या स्थान्तरित हुए बिना न तो देश का विकास हो सकेगा और न ही गरीबी मिट

सकती है। घरणसिंह ने जापान एव ब्रिटेन के आर्थिक विकास के रूप को भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनाने का सुझाव दिया है जो लेक्स मॉडल पर घरा उतरता है। भारत की विशाल जनसंख्या भूमि ससाधनों की तुलना में अर्थात् कम भूमि-श्रम अनुपात औद्योगिकरण अथवा रोजगार वृद्धि में बाधक है क्योंकि अधिक लोग कम लोगों की अपेक्षा खाद्यान्न अधिक पैदा करेंगे। चूंकि व्यक्तियों को खाद्यान्न की आवश्यकता अधिक है। लोग कृषि कार्य तभी छोड़ते हैं और वस्तुओं का निर्माण तभी करते हैं जब केवल खाद्यान्न उपलब्ध ही नहीं होता बल्कि वह निर्मित माल की अपेक्षा सस्ता होता है। घरणसिंह का विचार है कि जो किसान जिनकी जोत अलामकारी है वह कुटीर एव लघु उद्योग को अपना लें। परिणामस्वरूप शेष किसानों के जोतों का क्षेत्रफल भी बढ़ जायेगा और उनकी आमदनी एव क्रयशक्ति में बढोतरी हो जायेगी। उनकी क्रयशक्ति बढ़ने से कृषि वस्तुओं व सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप अधिक कामगारों की मांग होगी और ये कामगार द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र को कृषि से ही प्राप्त होंगे। इन्होंने विभिन्न देशों के उदाहरण से स्पष्ट किया है वे सभी देश जो आज समृद्ध हैं वहाँ गत वर्षों में कृषि क्षेत्रों से कृषि वस्तु रोजगारों में कामगारों के अंतरण में वृद्धि हुई है।

(v) **कृषि उत्पाद का निर्यात** - चौधरी जी के मत में कृषि पदार्थों का घरेलू मांग से अधिक उत्पादन को विदेशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है जिससे हम औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत माल के आयात को वित्तपोषित कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी उचित है कि हम उद्योग से हट कर कृषि उत्पादन पर बल दें ताकि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ निर्यात कर विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करें। इसलिए हमें उन नकली डिजायनों और औद्योगिक वस्तुएँ तैयार करने में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम निर्यात करते हैं और जिनसे सहायता के रूप में 300 करोड़ से अधिक की राशि प्रतिवर्ष नहीं पाते बल्कि औद्योगिक राष्ट्रों से यही याचना करते रहते हैं कि वे अपने सीमा शुल्क कम करते रहे।

भारत की स्थायी आर्थिक स्थिति-कृषि की प्रधानता - घरणसिंह के अनुसार ऐतिहासिक अभिलेखा से यह प्रमाणित होता है कि भारत बहुत पहले ही कृषि प्रधान देश बन चुका था। बड़े पैमाने के विनिर्माण और अन्तरनिर्माण क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र में कामगारों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	कृषि क्षेत्र में कामगारों का प्रतिशत
1911	72.3
1921	73.1
1931	72.0
1941	74.0

1851	72 8
1961	71 94
1971	72 01

स्रोत :- सेंसस ऑफ इण्डिया, 1961, 1971

ईस्ट इण्डिया कम्पनी जो एक व्यापारिक संस्था थी, जिसने 1757 में बंगाल में सत्ता हथियाने के बाद 1857 में सम्पूर्ण भारत पर अधिकार जमा लिया और बाद में भारत पर चौथा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसी वाणिज्यिक नीति अपनायी गयी जिसमें भारतीय माल पर निषेधात्मक कर लगा कर यूरोप में आयात को नियंत्रित किया और ब्रिटिश माल पर साधारण कर लगा कर निर्यात को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजों की नीति थी कि भारत में कच्चे माल का उत्पादन कराया जाये और ब्रिटेन के बने हुए माल की भारत में खपत की जाय। मुक्त व्यापार की आड़ में हिन्दूओं को बाध्य किया कि लकड़ायाय, शर्करायाय, गन्नासो आदि में भाग से चलने वाली खड्डियों से तैयार किए हुए माल को ले जिसे खरीदने के लिए नाम मात्र के कर लगाये जबकि बंगाल और बिहार के हाथों से बने हुए कपड़े का धागा सुन्दर और मजबूत था, लेकिन इन कपड़ों पर इंग्लैण्ड में आयात पर कहीं अधिक निषेधात्मक कर लगाये गये।

धरणासिंह ने एच एच विल्सन के कथन को उद्धृत करते हुए स्पष्ट किया है कि ब्रिटिश निर्माताओं ने राजनीतिक अन्धाय का सहारा लिया ताकि वह अपने प्रतिद्वन्द्वी को हटा सके और अन्ततोगत्वा उसका दमन ही कर दे जिसके साथ बराबरी की शर्तों पर प्रतियोगिता नहीं हो सकती थी। परिणामस्वरूप लाखों भारतीय कारीगरों को आमदनी का नुकसान हुआ और स्वदेशी उद्योगों के पतन के बाद कृषि ही एक मात्र विकल्प रहा जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें।

उनके अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्बल राष्ट्रीय उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र (परिवहन, संचार, व्यापार आदि) का अंश तो बड़ा है परन्तु यह आर्थिक प्रगति का सूचक नहीं है, क्योंकि सेवा क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र ही देश के रहन-सहन के स्तर को उँचा उठा सकते हैं। अतः वित्तीय संसाधनों का उत्पादक स्रोतों से अनुत्पादक स्रोतों की ओर अंतरण हुआ, जो भारत जैसे अत्यन्त निर्धन देश के लिए उपयुक्त नहीं है।

उद्योग बनाम कृषि - चौधरी धरणासिंह ने नेहरू विकास व्यूह रचना की इस आधार पर आलोचना की है कि जो देश मुगलकाल से ही आर्थिक जड़ता की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटिश शासन ने अपने स्वार्थों के लिए देश का भरपूर शोषण किया, आजादी के बाद कृषि विकास को प्रथमिकता की दृष्टि से प्रथम स्थान देना चाहिए था परन्तु नेहरू जी ने रूस से प्रभावित होकर कृषि से हटकर भारी उद्योगों को प्रथमिकता दी। यही कारण है कि जब फिर कभी उनके विचारों में कृषि का महत्व आया तो उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनों

से बड़े पैमाने पर सहकारी फार्मों तथा खाद्यान्नों में राज्य व्यापार का समर्थन किया। नेहरू जी चीन यात्रा से लौटने के तुरन्त बाद ही बिना मंत्रीमंडल योजना आयोग तथा दल की कार्यकारिणी से परामर्श के ही अपनी नीति की घोषणा कर दी और औद्योगिकरण को स्वीकार कर पुराने छोटे कारखानों को नकार दिया। भारी मशीनों के निर्माण से ही देश की तीव्र गति से उन्नति पर बल दिया।

नेहरू जी यह तो ठीक कहते थे कि लोगों के रहन-सहन का स्तर उँच्चा उठाने के लिए देश का औद्योगिकरण आवश्यक है। लेकिन नेहरू जी ने गलती यह की कि रूस की नकल करने की कोशिश में पहले भारी उद्योगों के विकास की नीति अपनायी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गयी। भारतीय परिस्थितियों स्पष्ट करती है कि अगर भारत को जिन्दा रहना है और आगे बढ़ना है तो खेती से नहीं बचा जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम औद्योगिकरण की प्रक्रिया बंद कर दें। बल्कि कृषि एवं उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सवाल यह है कि प्राथमिकता सर्वप्रथम किसे दी जाय ?

चौधरी के मत में इस नीति परिवर्तन में नेहरू जी को प्रो महालनोबिस का मार्गदर्शन मिला। उन्होंने औद्योगिक नीति का सकल्प तैयार किया। परिणामस्वरूप पहली योजना (1951-56) में जो कृषि निवेश था वह दूसरी योजना (1956-61) में घटा कर आधा कर दिया और औद्योगिक निवेश पाँच गुना बढ़ा दिया। तीसरी योजना (1961-66) दूसरी योजना का ही प्रतिरूप था केवल इतना सा परिवर्तन हुआ कि कृषि निवेश में केवल 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। नेहरू जी ने कृषि के विकास और उसके माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास की अपेक्षा जिसे सभी लोकतंत्रीय देशों ने अपना लक्ष्य बनाया था और जो हमारी राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की भी माँग थी को छोड़कर विदेशी ऋणों और उधार लिये गये खाद्यान्न के बल पर साम्यवादी-सिद्धांत की ओर उन्मुख हुए। उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि एक नया औद्योगिक आधार तैयार किया जाए और आर्थिक आत्मनिर्भरता की उपलब्धि की जाए।

चरणसिंह के अनुसार जब से देश आजाद हुआ है दुनियाँ यह विचित्र तमारा देख रही है कि अमेरिका जो औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित देश है भारत जैसे कृषि प्रधान देश को खाद्यान्न दे रहा है। अमेरिका तेल आयात की कमी का अधिकांश भाग खाद्यान्नों के निर्यात से ही पूर्ण करता है परन्तु अमेरिका जो आधुनिक शिखर पर है वह कृषि पशुधन एवं तत्व सबंधी व्यापार के बलबूते पर ही हुआ है अमेरिका के 4 130 लाख एकड़ कृषि भूमि के 1/4 भाग में वे फसले उगाई जाती हैं जिनका केवल निर्यात ही किया जाता है परन्तु भारत में 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति कृषि में भाग करते हुए भी निर्यात करना दूर अपना पेट भी नहीं भर पाते।

आखिरकार नेहरू जी को यह सोचने हेतु मजबूर होना पड़ा कि हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग का क्या स्थान है ? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी 1963

के अंत तक 2800 करोड़ रु अनाज के आयात पर खर्च हो चुके थे। विदेशी ऋण काफी बढ़ चुके थे और कीमतें भी काफी उँची हो चुकी थी। इस समय उन्हें धोषणा करनी पड़ी कि 'कृषि उद्योग से अधिक महत्वपूर्ण है।' कृषि ही है जिससे प्रगति के लिए साधन सम्पत्ति जुटती है, यदि हम कृषि में असफल रहते हैं तो हम उद्योग में भी असफल हो जाते हैं। कृषि उद्योग से अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका सरल कारण यह है कि उद्योग कृषि पर निर्भर करता है। उद्योग निःसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कृषि ठोस तथा स्थाई और प्रगतिशील न हो।

चौधरी जी यह लिखते हैं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि नेहरू जी जैसे नेता की अपनी कोई नीति नहीं थी, जो हमारी विशेष परिस्थितियों के अनुकूल होती लेकिन वे प्रेरणा के लिए बाह्य स्रोत की ओर ही देखते रहे। चीन में तीन खराब फसलें (1959-61) होने पर ही अपनी नीति में भारी उद्योगों के स्थान पर कृषि को वरीयता दी। परन्तु भारत में सौ खराब फसलों के बाद भी नीति में परिवर्तन नहीं आया। चरणसिंह ने इसके पीछे यह तर्क दिया कि माओ त्से-तुंग ग्रामीण लोगों से उम्बर कर आये थे, जबकि हमारा शासक परिवार शहरी विशिष्ट वर्ग से आया है। जिन्हें बचपन से ही वैभवपूर्ण जीवन मिला है। वे यह नहीं जानते कि कृषि भी एक जैविक प्रक्रिया है, जो प्रकृति की अप्रत्याशित और विशेषतया अनियंत्रित शक्तियों से शासित होती है और किसी गरीब आदमी या पूर्णरूप से राष्ट्र के लिए खराब फसल का क्या परिणाम होता है।'

भारत में भारी उद्योगों की सर्वप्रथम नीति अपनायी गयी, उसीगे रुरा की ही नकल थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक कारखानों ने हमारी अर्धव्यवस्था को गैर औद्योगिक बनाने में मदद की है और हमारे लाखों कामगारों को बेरोजगार बना दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्रीय आय में उत्तार-चढ़ाव कृषि उत्पादन में परिवर्तनों पर निर्भर है, लोगों का रहन-सहन का स्तर ही नहीं वरन् अन्य क्षेत्रों की उन्नति भी कृषि उत्पादन की वृद्धि पर ही निर्भर होती है। छठे दशक के अंत में योजना आयोग ने भी स्वीकार किया है कि 'जिन राज्यों ने कृषि उत्पादन में काफी प्रगति की है, उन राज्यों ने अन्य दिशाओं में भी काफी प्रगति की है।' यह आम बात है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है परन्तु बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक उद्योग है। जबकि पंजाब एवं हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही है जहाँ भारी उद्योगों की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ देश भर में सबसे अधिक कृषि उत्पादन होता है। इसी प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश के जिलों के तुलनात्मक विवेचन से सिद्ध किया है कि मेरठ जिला कृषि को बलबूते पर ही कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े पैमाने के उद्योगों वाले राज्यों से ज्यादा प्रगतिशील है साथ ही दुर्गापुर, मिलाई तथा राजरकेला के तीन इस्पात संयंत्रों जिन पर 1951 से 1975 तक 1125 करोड़ रु व्यय हो चुके हैं, इस अवधि में देश ने वर्तमान कीमतों पर 7200 करोड़ रु के खाद्यान्न तथा 2000 करोड़ रु

की कपास आयात की है और इसका भुगतान भी दुर्लभ विदेशी मुद्रा में किया गया। यदि हम इस आयातित खाद्यान्न कपास को यहीं पैदा करते तो इस राशि से एक दर्जन से कहीं अधिक इस्पात रायत्र और लग्न लेते। जबकि इन कारखानों से 50 प्रतिशत भी उनकी क्षमता का उत्पादन प्राप्त नहीं कर सके।

देश में औद्योगिकरण तभी सम्भव है जब हम कामगारों को कृषि से कृषितर व्यवसायों में हस्तान्तरण करें। यह हस्तान्तरण तभी सम्भव हो सकता है जब कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और कृषि उत्पादन देश की आवश्यकताओं से अधिक अन्न उत्पादन करने लगे। यही समृद्धि का मूल मंत्र है।

इसके साथ ही चरणसिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज जिन परिस्थितियों में भारत में कृषि की जाती है उनको बदलना होगा और उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन करना ही होगा। यदि हमने ऐसा नहीं किया और खाद्यान्न का अभाव बना रहा तो उन्नत कृषि ही एक ऐसा साधन है जो औद्योगिक और अन्य कृषितर कामगारों को खाने के लिए खाद्यान्न उद्योगों के लिए कच्चा सामान विदेशों से पूँजी माल की खरीद हेतु मुद्रा उद्योग उत्पादनों के लिए आंतरिक बाजार और उद्योगों परिवर्तन तथा वाणिज्य आदि चलाने हेतु कामगारों को उपलब्ध करा सकता है।

चरणसिंह ने यह भी मत व्यक्त किया है कि अब तक कृषि उत्पादन में कमी रही है उससे औद्योगिकरण में सबसे अधिक बाधा उपस्थित हुई है और वित्त षोषण की कमी के साथ-साथ कीमतों में तर्जी से वृद्धि हुई है। आंतरिक बाजारों का संकुचन हुआ है शहरों में बैचेनी बढी है और निवेश का वातावरण विकृत हो गया है। अतः उद्योग एवं कृषि दोनों का ही विकास काफी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है। जैसा ही कृषि का विकास होता है और किसान समृद्ध होते हैं वैसे ही उद्योग समृद्ध होता है। परन्तु उन्होंने उद्योगों के बजाय कृषि को ही प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार मनुष्य बिना औद्योगिक वस्तुओं के रह सकता है लेकिन वह बिना खाद्यान्न के जीवित नहीं रह सकता। कृषि गरीबी अथवा पूँजीगत माल के उद्योग के बिना भी हो सकती है, लेकिन उद्योग बिना कृषि के नहीं चल सकते। सीमेंट इस्पात और बिजली बिना भी कपड़े, जूते और किताबें बनायी जा सकती हैं। स्पष्ट है कि कृषि विकास ही हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मू—व्यवस्था

चौधरी चरणसिंह के मत में मृत्ति की उत्पादकता इस बात पर निर्भर होती है कि उसका स्वामित्व किसके पास है और स्वामी उस पर किस काम करता है। छोटी-छोटी स्वामित्व है या छोटी का सहकारीकरण या समूहीकरण हो गया है या फिर बहुत बड़े-बड़े सरकारी या निर्जी फार्म हैं। उन्हीं मृत्ति प्रणाली के सदस्यों में निम्न प्रकार से व्यक्त किया है।

(1) सरकारी खेती —आजादी के बाद नेहरू जी ने दूसरी योजना से रूस

एव चीन का अनुकरण करते हुए सहकारी खेती अपनाने पर जोर दिया जिसमें आवश्यक रूप से भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को एकत्र करना और सयुक्त प्रबंध करना निहित था। 1959 में कांग्रेस अधिवेशन के बाद सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण, विपणन, वितरण, ग्रामीण उद्योग की वृद्धि, भूमि सुधार सभी क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन पर जोर दिया।

परन्तु कृषि उत्पादन एक जैविक प्रक्रिया है। न तो इसमें समय बचाया जा सकता है और न ही कृषि को कूता जा सकता है। सयुक्त कारोबार में ज्यों-ज्यों प्रोत्साहन कमजोर पड़ते जाते हैं सयुक्त फार्मों में उत्पादन गिरता जाता है फार्मों का आकार बढ़ाने से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते अपितु श्रमिकों को यथोचित स्थान देने की आवश्यकता पड़ती है और उनके प्रबंध करने में कठिनाई होती है। यंत्रीकरण का दबाव पड़ने पर सयुक्त फार्म में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी और उसका निराकरण नहीं होगा।

चरणसिंह के मत में, कृषि विज्ञान और वाणिज्य के अलावा जीवन का एक मार्ग भी है, जिसे सरलता से नहीं बदला जा सकता। सहकारी अथवा सामूहिक खेती में शामिल होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता तथा पहल करने की इच्छा त्याग दे, और ऐसा भारतीय किसान कभी नहीं चाहता जिसमें प्रेरणा एव अपनी पहचान दोनों ही नष्ट हो जाय। मानवीय प्रकृति ही ऐसी है कि एक माँ से पैदा होने वाले भाई भी एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह आशा करना व्यर्थ है कि एक साधारण परिवार का सदस्य अपने हितों को छोड़कर हजारों लोगों के हितों के साथ जोड़ दे, जो उनके जीवन में अभी तक नितांत अजनबी रहे हैं।

इसी कारण भारत तथा इजराइल में सहकारी फार्म पहले ही टूट चुके हैं और रूस में भी इनको जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थापित किया था वे प्राप्त नहीं हुए हैं, लोग राजकीय सामूहिक फार्मों के बजाय अपने निजी फार्मों में ज्यादा काम करने लगे और रूस की कृषि असफल हो गयी।

चरणसिंह ने यह प्रतिपादित किया है कि जब सहकारी खेती रूस में ही सफल नहीं हुई, वह भारत में कहीं सफल होगी, क्योंकि भारतीय ग्रामीणों की आवश्यकताओं, अभावों, प्रवृत्तियों और मनोविज्ञान समर्पण (सहकारी खेती में) के अनुरूप नहीं है। सिंह ने अपनी पुस्तक ' इंडियन पावर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन ' में यह स्पष्ट किया है कि भारत में सहकारी खेती का प्रयोग उन शहरी बुद्धिजीवियों के प्रयोग की उन योजनाओं में से एक है जिनका आधार विदेशी लेखकों की वे पुस्तकें रही हैं, जो भारत के लिए अव्यावहारिक हैं। सहकारी खेती भी एक ऐसी ही योजना है जो असफल हो चुकी है और कभी भी सफल नहीं होगी।³

जैसाकि आशा की जाती थी, हमारे राष्ट्र का समय, शक्ति और धन काफी बर्बाद हो जाने के बाद योजना आयोग ने चौथी योजना में अतंत सहकारी कृषि का विचार

बिल्कुल ही त्याग दिया। परन्तु 1972-73 में कांग्रेस एव वामपंथियों ने फिर सहकारी खेती के समर्थन में अपनी आवाज उठाई क्योंकि इंदिरा गांधी ने सोचा कि यदि नेहरू को सफलता नहीं मिली तो मुझे तो मिल सकती है। परन्तु अतत सहकारी खेती के पक्ष में पुन आवाज भी समाप्त हो गयी लेकिन देश का बहुमूल्य समय नष्ट हो गया और देश की परिस्थितियों ओर भी खराब हो गयी।

(i) फार्म का आदर्श आकार - किसी व्यक्ति को एक छोटा खेत रखने की इजाजत दी जाये तो इसका क्षेत्रफल क्या हो या किस सीमा के अन्दर वह खेत रहे? सिद्धांत तथा न्याय का तर्काला यह है कि व्यक्ति उतनी ही भूमि अपने पास रखे जितनी वह प्रचलित तरीके से खेती कर सके। भूमि की उपज खेतों के आकार पर निर्भर नहीं करती बरन् वह मिट्टी की उर्वरता जलवायु पर अधिक निर्भर करती है बड़ी-बड़ी मशीनों से उत्पादन वृद्धि में सहायता तो मिल सकती है परन्तु यह एक मात्र कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो अमेरिका व रूस में जापान एव यूरोपीय देशों से अधिक उत्पादन होता।

बड़े फार्म में प्रति एकड़ उतना ही उत्पादन होता है जितना कि छोटे फार्म पर प्रति एकड़ उत्पादन होता है। साथ ही यदि छोटे फार्मों पर निवेश किया जाय तो उनका प्रति एकड़ उत्पादन बड़े-बड़े फार्मों के प्रति एकड़ उत्पादन की अपेक्षा अधिक हो सकता है।

चरणसिंह ने बड़े फार्मों के बजाय छोटे फार्मों को निम्न कारणों से प्राथमिकता दी है या इन्हें भारतीय खेती के लिए लाभदायक माना है -

(i) हमारे यहाँ श्रम की नहीं भूमि की कमी है।

(ii) जनसंख्या की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है।

(iii) भारत के सामने बेरोजगारी की समस्या है इसलिए राष्ट्रीय हित में कृषि ही अर्धव्यवस्था की माँग है जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम लोगों को रोजगार मिले जो छोटे खेतों में ही सम्भव है।

(iv) जापान ब्रिटेन आदि देशों से यह सिद्ध हो चुका है कि छोटे खेत बड़े खेतों के बजाय प्रति एकड़ कम उत्पादन नहीं देते बरन् ज्यादा ही देते हैं।

(v) यहाँ प्रति इकाई लागत कम आती है।

(vi) छोटे-छोटे फार्मों पर खेत अधिक मजदूर ही काम पर नही लगाये जाते बरन् कृषि आय का भी समान रूप से वितरण किया जाता है।

(vii) कृषितर वस्तुओं की भी माँग को प्रोत्साहन मिलता है।

(viii) समतावादी समाज को प्रोत्साहन मिलता है।

इनके आधार पर चरणसिंह ने छोटे फार्मों की वकालत की है। हमारे देश में आज कृषि का क्षेत्र कम है जबकि इसकी तुलना में लोगों की संख्या ज्यादा है जो कृषि पर

निर्मर है। इस प्रकार छोटे फार्मों की प्रणाली हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है अर्थात् हमारे उद्देश्यों को पूरा करती है।

(3) भारत में भूमि सुधार :- भारत में कानून द्वारा जमींदारी या मध्यस्थ प्रणाली को समाप्त कर दिया। परन्तु चरणसिंह के अनुसार जमींदारों को स्वयं खेती करने के लिए वापस भूमि प्राप्त करने की छूट प्रदान की गयी। गत वर्षों में किसानों की बेदखली की गयी। उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं भी भूमि सुधारों को उपलब्धियों के रूप में नहीं माना है। उन्होंने लेडिजिन्स्की के इस निष्कर्ष को व्यक्त किया है कि भूमि सुधार के लिए वास्तव में जितने कानून बनाये गये, चाहे वे लगान नियमन के हों, सुरक्षा और कब्जे का स्वागित्त्व अथवा अधिकतम सीमा निर्धारण से संबंधित हों, उनका देश भर में क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्योंकि केन्द्र ने राज्य सरकारों को यह छूट दे दी कि राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाये जिनसे जमींदार 30 से 60 एकड़ तक भूमि स्वयं खेती के लिए वापस प्राप्त कर सकें। चरणसिंह ने नक्सली आंदोलन के जन्म का मुख्य कारण जमींदारी उन्मूलन के संबंध में कांग्रेस- नेतृत्व के सिद्धान्त एवं व्यवहार में अंतर को माना है।

कृषि मजदूरों का प्रतिशत बढ़ा है, जिससे बेरोजगारी एवं कम रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

यंत्रीकृत फार्मों की संख्या बढ़ने से लाखों गरीब किसान बेदखल कर दिए गये। अधिकतम सीमा के संबंध में भी 1972 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर नया कानून तो बन गया। परन्तु 1979 तक 52 लाख 75 हजार एकड़ अतिरिक्त अनुमानित भूमि में से मात्र 22 लाख 84 हजार एकड़ भूमि ही सरकार के कब्जे में आ सकी। भूमि सुधार कार्यक्रम का मूल्यांकन यह बताता है कि मध्यस्थ वापस भूमि पर काब्ज हो गये, बटाई पर खेती करने के ढंग की कार्रवाई में किसानों का शोषण किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण जमींदारों का राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों एवं अफसरों के रूप में सत्ता प्राप्त करना रहा। उन्होंने पंजाब, हरियाणा मध्यप्रदेश विधान सभाओं के उदाहरणों से सिद्ध किया है कि वे जमींदार सांसद एवं विधायक बने जिनके पास अधिकतम भूमि की सीमा से अधिक भूमि रही है। चरणसिंह के भूमि सुधार संबंधी विचारों को हम निम्न बिन्दुओं में और स्पष्ट कर सकते हैं -

भूमि का पुनर्वितरण :- भूमि से आदमी का कभी भी मोह-भग नहीं होता। भूमि की निरन्तर जीवतता की उस भूमि में काम करने वाले लोगों को सीधे ही सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है परन्तु इसके उचित वितरण की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े-बड़े फार्मों ने स्पष्टतया व्यक्तियों के बीच असमानताएँ पैदा कर दी हैं। भूमि का पुनर्वितरण आवश्यक है। अतः राज्यों की स्थिति, भूमि की बनावट, साधनों की उपलब्धता के आधार पर भूमि का उचित वितरण आवश्यक है। चरणसिंह ने पुरानी तकनीक से होने वाली कृषि में एक लाभकारी जोत का आकार

75 से 10 एकड़ तथा नयी प्राद्योगिकी में 25 से 500 एकड़ तक भूमि की गुणवत्ता तथा उपलब्धता पर निर्भर मानी है।

फिर भी अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करते समय कानून में यह प्रावधान है कि आगामी 20 वर्ष तक वह व्यक्ति न तो उसे बेचे आर न ही कहीं गिरवी रखे। नहीं तो आवंटनी भूमि बेच दोगे तो फिर भूमिहीन हो जायेंगे अतः आवंटन का उपविभाजन नहीं हो।

चकबंदी — चरणसिंह के अनुसार बिखरी हुई जोतों का एक चक बना देने से उत्पादन के तीनों कारकों अर्थात् भूमि श्रम व पूँजी का कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। चकबंदी के फलस्वरूप जलनिवासी का नियंत्रण सिंचाई जल की आपूर्ति अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है। जिससे भूमि का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग हो सकता है क्योंकि छोटे-छोटे खेतों पर कुएँ नहर या नलकूप से सिंचाई आसान नहीं है तथा झगड़े और हाजात हैं। साथ ही एक ही जगह पर किसान की भूमि होने से उसी समय एव श्रम की बचत तो होती ही है बाढ़ या घरेबंदी भी आसान हो जाती है। कृषि उपकरणों का बेहतर उपयोग समभव होता है। उनके अनुसार चकबंदी से भूमि पूँजी एव श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है और प्रति एकड़ उत्पादकता काफी बढ़ जाती है। पर उनका मानना है कि किसानों का अपने खेत के प्रति अटूट प्रेम तथा पड़ोशियों से द्वेष होने से चकबंदी पूर्ण नहीं हो पाती। उन्होंने आकड़े देकर सिद्ध किया है कि देश के आधे राज्यों में चकबंदी कानून बनाया है जबकि आंध्रप्रदेश आसाम केरल उड़ीसा तमिलनाडू पंजाब तथा जम्मू एव कश्मीर में तो कानून भी नहीं बनाया है। चकबंदी का अधिकांश कार्य पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश एव महाराष्ट्र में तथा आंशिक रूप से गुजरात तथा बिहार में हुआ है।

सवा सहकारी समितियाँ — चरणसिंह की मान्यता है कि चकबंदी छोटे-छोटे एव फल हुए खेतों की समस्या का निराकरण कर सकती है पर भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा सकती इससे सीमांत अथवा अलानकारी जातों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि ये अलानकारी जातें न तो किसान के लिए पर्याप्त भोजन तथा कपड़े उपलब्ध करा सकती हैं और न ही उसके परिवार को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध करवा सकती हैं। किसान के स्वामित्व का सम्युक्त कृषि में परिवर्तन ही एक ऐसा सारथगत परिवर्तन है। परन्तु इस कदम का किसानों द्वारा विरोध हुआ है और इसका सदैव विरोध होगा। उनकी मान्यता है कि साझे की खेती से न उत्पादन बढ़ता है न बेरोजगारी घटती है और न जनताग्रीय व्यवहार सुदृढ़ होता है। हमारे देश में जातें छोटी हैं और छाटी ही रहेगी। उनका कहना है कि स्वतंत्र अस्तित्व के खेत बने जिन पर व्यक्तिगत ढंग से किसान काम करे साथ ही सहकारिता के सिद्धांत पर इस स्वतंत्र अस्तित्वों की एक कड़ी बने देश को सवा समितियों की आवश्यकता है जो किसानों को छाटी जातों पर ही साधन उपलब्ध कराये। जापान एव पश्चिमी यूरोप में ऐसी व्यवस्था है जिसमें खेत एव खेतीहर की अलग-अलग पहचान पर आच नहीं आती। चरणसिंह ने लिखा है कि

हम लोग कम्यूनिष्टों के तौर तरीकों की नकल करना तो चाहते हैं परन्तु अपने असली इरादों को छिपाने के लिए जनतन्त्रीय शब्दावली का जामा पहनाते हैं। जापान, जर्मनी, इंग्लैण्ड की तरह सहकारी समितियाँ तभी सफल हो सकती हैं, जब वे जनता की आकांक्षाओं के अनुसार जनता में से ही किसी सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति अथवा समाधान के एक उपादान के रूप में निकलकर आये। भारत के अतिरिक्त और किसी भी देश में सहकारी आंदोलन सरकारी महकमे की तरह नहीं चलाया जाता है।

(4) कृषि में पूँजी का अभाव :- चरणसिंह की मान्यता है कि भारत सरकार बराबर खेती को प्राथमिकता देने की बात कहती आयी है और उत्पादन के लक्ष्य भी बहुत ऊँचे निर्धारित करती आयी है लेकिन हमारी योजनाओं में कृषि के लिए बहुत कम सार्वजनिक परिव्यय की व्यवस्था की जाती रही है, और निजी पूँजी लगाने के लिए बिल्कुल नहीं या बहुत कम अभिप्रेरणएँ दी गयी हैं। कोई यदि कहे कि कृषि को जानबूझ कर पूँजी से वंचित रखा गया है तो सच ही होगा। दुनियाँ में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसके लिए हमारी सरकार के पास धन न रहा हो, लेकिन कृषि के लिए नहीं रहा। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में 1951-52 से 1978-79 तक के योजना व्यय के आकड़ों से सिद्ध किया है कि कृषि के निवेश के परिरूप में दूसरी योजना के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि उसके बाद भारत की खाद्य स्थिति लगातार बिगड़ रही है। चालू कीमतों के आधार पर सरकारी प्रकाशनों में दिए गये गगनचुम्बी आकड़ों से ऐसा लगता है कि अद्यावधि व्यय किया जा रहा है, लेकिन उरुते भोले-भाते लोग गुमराह ही होते हैं। कृषि के लिए पहली योजना में कुल व्यय का परिव्यय 37 प्रतिशत था, घटकर दूसरी योजना में 20.9 प्रतिशत रह गया और उसके बाद से कमी भी 23.4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ा जबकि सगठित उद्योग व खदान में निवेश पहली योजना में 4.9 प्रतिशत से बढ़ा कर दूसरी योजना में 24.1 प्रतिशत कर दिया और उसके बाद से 23.7 प्रतिशत से नीचे नहीं रहा। पाचवी योजना 1974-78 में कृषि में 21.2 तथा उद्योगों में 25.5 प्रतिशत परिव्यय हुआ। इससे स्पष्ट है कि कृषि में देश की 72 प्रतिशत कार्यशील जनता लगी रहती है, राष्ट्रीय आय में योगदान भी इसी का सर्वाधिक है, फिर भी कुल योजना व्यय का 25 प्रतिशत से कम का आवंटन किया जाता है। (पहली योजना को छोड़कर) जबकि उद्योग व खनन में कार्यशील जनता का केवल 10 प्रतिशत से अधिक भाग रोजगार का नहीं होता, राष्ट्रीय आय में योगदान 16 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए पूँजी का आवंटन कृषि से अधिक रहा।

चरणसिंह ने इस तरफ भी हमारा ध्यान खींचा है कि कृषि क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अनुदान और राज्य सहायता प्रदान की जाती रही है, परन्तु हमारा ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है कि शहरी क्षेत्रों को कितनी सहायता और सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में राशन की मात्रा 32 प्रतिशत दुकान है जबकि शहरों में 68 प्रतिशत राशन की दुकानें हैं। रियायती दरों पर ब्याज आवास परिवहन एवं शिक्षा की सुविधाएँ,

रेल्वे आदि का लाभ शहरों को ही प्राप्त होता है गाँवों को नहीं। पश्चिमी देशों के बराबर पहुँचने की हमारी आकक्षा ने देश को कहीं पहुँचा दिया है इस कुछ निश्चित उदाहरणों से स्पष्ट किया है जैसे कुल उत्पादित बिजली का 1974-75 में 1231 प्रतिशत कृषि उपभोग में तथा 65.69 प्रतिशत भाग उद्योगों में उपयोग में लाया गया। 1976-77 में यह अनुपात 14.44 प्रतिशत तथा 62.47 प्रतिशत रहा है। फार्म क्षेत्र को मात्र 8 प्रतिशत ही डीजल की आपूर्ति होती है। चतुर्थ योजना (1974-79) में इस्पात कारखाना में अपनी उत्पादन क्षमता से 30 प्रतिशत उत्पादन हो रहा था फिर भी उस अवधि में 2800 करोड़ रु की चौका देने वाली रकम योजना आयोग खर्च करना चाहता था। योजना आयोग ने पाचवी योजना में विजय नगर (कर्नाटक) में 753 करोड़ रु तथा विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश) में 747 करोड़ रुपये की लागत के कारखानों के लिए प्रारंभिक कार्य की मद में 450 करोड़ रुपये की रकम रखी थी यह जानते हुए कि ये कारखाने कभी भी अपनी लागत नहीं निकाल पायेंगे फिर भी इन पर कृषि की कीमत पर भारी निवेश किया गया।

चरणसिंह ने मत व्यक्त किया है कि कृषि को निजी क्षेत्र से भी सहायता प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि निजी तौर पर काम करने वाले व्यक्तियों को प्रशासकीय आदेशों तथा मूल्य-विकृतियों ने अपरोक्ष रूप से इतना उत्साहित कर दिया है कि वे ग्रामीण क्षेत्र से अपने ससाधनों का शहरों में स्थानान्तरण कर रहे हैं।

चरणसिंह का विचार है कि कृषि को समृद्ध बनाना है तो उसे सस्ती दरों पर और दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति करनी होगी। विश्वमर में सरकारों ने यह उचित समझ कर ही किसानों की ऋण की आवश्यकताएँ पूरी की हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक ही रहा परन्तु हमारी सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। जब बैंकों एवं जीवन बीमा का राष्ट्रीकरण हुआ था तो यह साचा था कि इससे कृषि लघु उद्योगों को वित्त आपूर्ति हो सकेगी परन्तु यह आशा भी हमारी पूरी नहीं हो पायी है क्योंकि अब भी इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों में ही भारी निवेश किया जाता रहा है। परन्तु ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों ने जरूर इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। और वे कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र की वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सिंह ने किसानों के बैंकों के बढ़ते हुए ऋण की वाछनीयता के साथ-साथ बैंकों में ऋण वितरण के भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया है। उन्होंने डॉ. कर्णसिंह को उद्धृत किया है जिन्होंने ऋण की राशि का एक तिहाई भाग रिश्वत में जाने का उल्लेख किया था परन्तु शासक दल की दृष्टि में किसी प्रकार का बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार अपराध नहीं माना गया। इसके साथ ही उन्होंने सहकारी कर्मचारियों द्वारा कृषि ऋणों में की गयी लूटमार का भी जिक्र किया है जिनकी वजह से किसानों को ऋण पर्याप्त मात्रा में एवं सही समय पर नहीं मिल पाता।

चौधरी जी ने यह तो स्वीकार किया है कि हमारे पास पूँजी की कमी है। परन्तु सवाल निवेश नीति की प्राथमिकताओं के क्रम को बदलने की है क्योंकि निवेश की निर्धारित धनराशि बड़े पैमाने के उद्योगों और सेवाओं की तुलना में कृषि न केवल

अपेक्षाकृत अधिक धन पैदा करती है, बल्कि अधिक रोजगार भी प्रदान करती है। अतः अलासकारी उद्योगों को वरीयता देने के स्थान पर कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह मत भी व्यक्त किया है कि आधुनिक विकसित देशों ने कृषि पर अत्यधिक बल दिया, जिसके फलस्वरूप वहाँ कृषि सर्वाधिक पूँजी प्रधान मूल उद्योग हो गया है, और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा है। आज से 50 वर्ष पूर्व भारत तथा चीन में प्रति एकड़ चावल की पैदावार पश्चिमी देशों से अधिक थी परन्तु आज कैनीफोर्निया में प्रति एकड़ पैदावार चीन से दस गुना से भी अधिक है। बहुत से औद्योगिक देश जो खाद्यान्नों का आयात करते थे आज न केवल अपनी आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं। बल्कि वे अतिरिक्त खाद्योत्पादक भी करते हैं।

(5) किसान का शोषण :- चरणसिंह का विचार है कि हमारे यहाँ जोतों का आकार छोटा है, और यदि कृषि जिसों की कीमतों को अलासकारी स्तरों पर गिरने दिया जाय तो कृषि विकास नहीं होगा। तथा साथ ही मौसम की अनिश्चितताओं के कारण पैदावार में उतार-चढ़ाव भी होते हैं। फलस्वरूप कृषि उत्पादन का माँग के अनुरूप समायोजन नहीं हो पाता और यही किसानों की निर्धनता का कारण है। अतः किसानों के लिए कीमतों को व्यावहारिक बनाने और न्यूनतम कीमतों की गारंटी देने से उसकी कहीं अधिक सहायता की जा सकती है। परन्तु भारत सरकार ने 29 अगस्त 1956 को अमेरिका से पी एल 480 के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न आयात का समझौता करके तथा वसूली मूल्य हमेशा बाजार कीमतों से कम रहने के कारण किसानों का अपेक्षाकृत अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने का उत्साह नहीं रहा। जब अमेरिका ने अपनी समी खाद्यान्न सहायता रोकने की धमकी दी, तभी हरित क्रांति के रूप में हमारी कृषि की नवीन नीति को अपनाया गया। 1972-73 में गेहूँ व्यापार का राष्ट्रीयकरण होने पर किसानों को अपने उत्पादन का कुछ भाग कम कीमत पर देने के लिए बाध्य होना पड़ा। राज्य व्यापार तो 1974 में बंद कर दिया गया परन्तु तुलनात्मक रूप से कम कीमत की नीति जारी रही। दूसरी तरफ उर्वरकों की कीमतें बहुत अधिक रहने से किसान उनका अधिक उपयोग नहीं कर सके। चौधरी जी ने माइकेल लिपटन का इस सदर्भ में यह उल्लेख किया है कि कृषि की कीमतों की तुलना में उर्वरकों की कीमतें पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में अधिक रही है, और यह कीमतें विश्व में सब से अधिक हैं। इसलिए कृषि उत्पादकों की ऊँची कीमतों का माँगना उदारता अथवा राजकीय सहायता की दलील ही नहीं बल्कि समता के आधार पर एक सही दावा है।

उनका मत है कि किसानों का शोषण कृषि जिसों की कम कीमत ही नहीं दरन् कृषि साधनों की ऊँची कीमत का भी होना है, उन्होंने इसे उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि भारत में जहाँ एक 10 हार्स पावर टिलर 22,000 रुपये से अधिक में प्राप्त होता है जबकि जापान में वह 16,000 रु से भी कम कीमत पर किसान को प्राप्त हो जाता है। (यह तुलना 1978 की कीमतों के आधार पर की गयी है)। भारतीय किसान को अमेरिकी

किसान की तुलना में नाइट्रोजन तथा डीजल की कीमत भी अधिक देनी पड़ती है, चाहे वह गरीब ही क्यों न हो जो उनके द्वारा दी गयी निम्न सारणी से दृष्टिगोचर होता है -

भारतीय और अमेरिकी किसानों के लिए नाइट्रोजन और डीजल तेल की तुलनात्मक लागत

भेद	भारतीय किसान	अमेरिकी किसान
1 नाइट्रोजन प्रति किलोग्राम (रूपयों में)	3 50 रूपये (यूरिया के रूप में)	1 83 रूपये (एनीड्राअस अमोनिया के रूप में)
2 डीजल तेल (प्रति लीटर रूपयों में)	1 50 रूपये	0 72 रूपये

चौधरी जी ने कृषि वैज्ञानिक और नोबल पुरस्कार विजेता डॉ नार्मन ई बोरलौग को 11 सितम्बर 1973 में भारतीय कृषि शोध संस्थानों के माषण के इस कथा को अद्भूत करते हुए कहा कि भारत में अनाज की पैदावार और भी कम होती जायेगी यदि अनाज की कीमतें अवारतविक रूप से कम रखी जाती हैं। हरित क्रांति की असफलता के मुख्य कारणों में उन्होंने एक कारक वसूली कीमतों की कमी को भी माना है। सरकार ने एक तरफ गेहूँ और घावल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया दूसरी तरफ उन वस्तुओं के मूल्यों पर सरकार ने नियंत्रण का कोई प्रयत्न नहीं किया जिन्हें किसानों को खरीदना था। इससे किसानों का दुःख शोषण हुआ जिसमें सरकार की नीतियाँ ही मुख्य भागीदार रही।

चौधरी जी के अनुसार सरकार तथा नगरवासियों की ओर से प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यदि किसानों को खाद्यान्नों की उँची कीमत दी गयी तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। परन्तु स्फीति का कारण यह न होकर प्रतिवर्ष बजट घाटे को पूरा करने हेतु अतिरिक्त नोटों का निर्गमन रहा है। दूसरी तरफ जब सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महँगाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय लेती है तो सरकार या ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में मुद्रास्फीति के बारे में कोई तर्क नहीं होता, यह बात उस समय भी याद नहीं रहती जाती जब औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाती है। चौधरी जी के अनुसार किसानों को अधिक कीमत मिलने से कृषि में विनियोग बढ़ेगा और वह ज्यादा उत्पादन कर सकेगा।

उनके अनुसार एक तरफ सरकार खाद्यान्नों की कीमत नहीं बढ़ाती और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा का सकट होते हुए भी उससे कहीं अधिक दर पर विदेशों से आयात करती है। उन्होंने 1974 का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि उस वर्ष में 200 डॉलर टन की औसत कीमत पर गेहूँ आयात किया गया जबकि देश में वसूली मूल्य 105 रूपये प्रति विक्टल अथवा 132 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया और पास बात यह थी कि आयातित गेहूँ की गुणवत्ता से देशी गेहूँ की गुणवत्ता कहीं अधिक अच्छी थी।

कृषि कर के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि जो लोग कृषि कर की बात करते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं है कि प्रत्येक किसान को चाहे उसकी आय कुछ भी क्यों न हो, राज्य सरकार को मू राजस्व अथवा विकास कर के रूप में प्रत्यक्ष कर देना होता है जबकि एक नगर निवासी या कृषितर कामगार को केवल उस स्थिति में ही कर देने की आवश्यकता है, जब वह प्रतिवर्ष 12,000 रुपये से अधिक राशि की आमदनी कर पाता है।

चौधरी जी ने सरकार की खाद्यान्न कीमत नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न आपूर्ति का साधन माना है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, उन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान्न, वनस्पति, तेल, चीनी आदि सरकार हानि सहन करके भी आपूर्ति करती है, जबकि शहरों की अपेक्षा गाँवों में ज्यादा गरीब होते हुए भी वहाँ 30 प्रतिशत से अधिक राज सहायता खाद्यान्न कमी भी नहीं पहुँचा है।

अतः चरणसिंह ने भारत सरकार की इस नीति को शोषण एवं असमान व्यवहार का प्रतीक माना है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता शहर के निवासियों के हाथों में होना है जो शहरी हितों को ही प्राथमिकता देते हैं।

(6) गाँव की वचना :- चौधरी जी के अनुसार 1947 के बाद से शहरी क्षेत्र के मुकाबले में गाँवों में रहने-सहन का स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आयी है और गाँवों तथा शहरों के बीच असमानता की खाई अधिक चौड़ी हो गयी है। सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, बिजली और शिक्षा की व्यवस्था करने में गाँव तथा शहर के बीच सरकारी भेदभाव से ही गाँवों के प्रति सरकार के रवैये का पता चल जाता है। पीने का साफ पानी को ही लीजिए, पंचवटी योजना के शुरुआत में 85 प्रतिशत शहरी आबादी को नल का पानी मिल रहा था, जबकि 1,16,000 गाँव ऐसे थे जिनमें 6 कराड से अधिक निवासियों के लिए पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इनमें से भी 90,000 तो ऐसे गाँव थे जिनके आस-पास एक मील की दूरी तक पानी का कुआ भी नहीं था।

बिजली की आपूर्ति के सदर्भ में उनके विचार हैं कि एक तो गाँवों को बिजली मिलती नहीं और जहाँ मिलती है वहाँ उन्हें उद्योगों से अधिक कीमत पर एवं कम समय दी जाती है। शिक्षा के सदर्भ में उन्होंने लिखा है कि शिक्षा से जितना आदमी का दिमाग खुल जाता है उतना और किसी वस्तु से नहीं परन्तु शिक्षा का भी झुकाव गाँवों की अपेक्षा शहरों की तरफ रहा है। 1971 की जनगणना के अनुसार गाँवों में साक्षरता 23.74 प्रतिशत रही जबकि शहरों में यह 52.49 प्रतिशत थी। जहाँ तक उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का सवाल है, वहाँ इसे गाँवों से पूर्णतया दूर रखा गया है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि उच्च सेवाओं में अधिकतर शहर वाले ही चुनकर आते हैं गाँव वाले नहीं।

चरणसिंह ने कृषि और गाँवों की अपेक्षा का कारण यह माना है कि हमारा शासक वर्ग शहरी है, उसका दृष्टिकोण शहरी है। अतः देश का नेतृत्व जब तक गाँवों की

आवश्यकताओं तथा वास्तविकताओं से अपरिचित होता है उस हद तक उसकी आर्थिक नीति जाने या अनजाने शहरों के लिए ही होती है। उन्होंने इस सदर्म में यह भी विचार व्यक्त किया है कि उच्चतर सेवाओं की भर्ती अधिकाधिक अनुपात में वर्तमान नौकरशाही से ही हो रही है। अतः वर्तमान नौकरशाही एक विरासती जाति बनती जा रही है और गाँव वालों के लिए इन सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद से होते जा रहे हैं।

चौधरी जी का विचार है कि इन सब का प्रभाव यह हो रहा है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति ने लोगों को गाँव से शहर की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया है जिससे असमानता बढ़ रही है। ग्रामीण भी शहरी जीवन को अपना भविष्य का आदर्श मानने लगे हैं और गाँवों का विकास नहीं हो पाता।

II औद्योगिक टाचा

चरणसिंह के अनुसार कृषितर साधनों का विकास जीवन-स्तर को उँचा उठाने के लिए नहीं बल्कि रोजगार के साधन के रूप में भी आवश्यक है। हमें 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद किस प्रकार की औद्योगिक अभिरचना अपनानी चाहिए थी। इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं—एक भारतीय जागरण के प्रेरक महात्मा गाँधी का और दूसरा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। गाँधी जी हमेशा देश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया करते थे वह हमेशा कहते थे भारत गाँवों में रहता है शहरों में नहीं। गाँव वाले गरीब हैं उनमें अधिकतर बेरोजगार या अल्परोजगार प्राप्त होते हैं। अतः उनको उत्पादक रोजगार देना होगा जिससे देश की सम्पत्ति बढ़े। उनका तर्क था कि जब देश में पर्याप्त मानव शक्ति हो और हमारे पास पूँजी की कमी हो तो हमें पूँजीगत यंत्रीकृत उद्योग जो पश्चिमी आदर्श है जिनसे न केवल बेकारी ही बढ़ेगी अपितु धन का सकेन्द्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में होगा और इन बुराईयों के साथ पूँजीवाद का उदय होगा। इसलिए उन्होंने कुटीर व हस्तशिल्प उद्योगों पर जोर दिया। गाँधी का आदर्श चर्खा था परन्तु गाँधी जी का उद्देश्य यह नहीं था कि सभी मशीनरी का उन्मूलन कर दिया जाय वे केवल उनके परिशीमन के पक्ष में थे। गाँधी जी के ही शब्दों में यदि हमें मशीनों की आवश्यकता महसूस होगी तो हम निश्चय ही उन्हें प्राप्त करेंगे। ऐसी प्रत्येक मशीन की उपयोगिता है जो व्यक्ति की सहायता करे लेकिन उन मशीनों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए जिनके माध्यम से केवल कुछ ही लोगों के हाथों में सत्ता केन्द्रित हो जाती है और जो आम लोगों को केवल मशीन प्रवृत्त बनाती हो यदि वास्तव में वे उन लोगों को बेरोजगार न करती हों उनको छोटी इकाइयों द्वारा विकेन्द्रित उत्पादन पसन्द था।

इसके विपरीत नेहरू जी बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के पक्ष में थे उनकी नीति की प्रमुख बात उत्पादन है न कि रोजगार। रोजगार महत्वपूर्ण है लेकिन उत्पादन के सदर्म में बिल्कुल महत्वहीन है और उत्पादन पहले से श्रेष्ठतर तकनीकों से ही बढ़

सकता है। नेहरू जी व उनके सलाहकारों ने मान लिया था कि देश को भारी उद्योगों-कोयला, बिजली, लोहा व इस्पात, भारी रासायनिक कारखानों की आवश्यकता है, जिससे भारी उद्योगों का उत्पादन होता रहेगा। उनकी मान्यता थी कि तेज सवृद्धि के लिए भारी उद्योगों का होना आवश्यक है, उनके विस्तार से अर्थव्यवस्था स्वावलम्बी होगी, उनके विकास से ही मध्यम एव लघु उद्योगों में जान आयेगी, और अन्ततोगत्वा वृहत्तर रोजगार क्षमता भी बढ़ेगी।

पूँजी प्रधान उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियाँ अविद्यमान :- चरणसिंह के विचारों में नेहरू जी विकास की जिस पश्चिमी नीति की नकल करना चाहते थे, उसके लिए इतनी अधिक पूँजी लगाने की जरूरत है जो भारत के लिए समभव न तब थी और न अब है। इसके साथ ही भारत में भूमि एव प्राकृतिक साधनों की मात्रा एव गुणवत्ता स्थिर है, जबकि आबादी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आर्थिक सवृद्धि तभी हो सकती है, जब देश में पूँजी निर्माण बढ़े। पूँजी निर्माण बचत तथा करो की मात्रा पर निर्भर करती है, और हमारे लोगों की आमदनी कम होने से न तो बचत ही ज्यादा है, और न ही करो से ज्यादा आय प्राप्त हो सकती है।

चरणसिंह की मान्यता है कि यदि भारत एक सौ वर्ष पहले ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना औद्योगिकरण करता तो उसके लिए विकास का पश्चिमी मार्ग खुला हुआ होता, क्योंकि एक सौ वर्ष पहले इस पूरे महाद्वीप की कुल जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, मृत्यु दर ऊँची थी, जनसंख्या वृद्धि की दर आधे प्रतिशत से भी कम थी और उद्योगों में लगाने के लिए तब आज की जितनी अधिक पूँजी की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज वह रास्ता पूरी तरह बंद है, भारी उद्योगों के लिए जितनी पूँजी चाहिए, उतनी न तो हमारे पास है, और न ही हम जमा कर सकते हैं, और न ही भारी उद्योग आज की बढ़ती जनसंख्या को रोजगार दे सकते हैं।

चरणसिंह ने नेहरू जी की रूस का अनुसरण करके भारी उद्योगों को प्राथमिकता देने सबधी नीति की इस आधार पर आलोचना की है कि रूस ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता जिसका भारत उपयोगी रूप में अनुसरण कर सके। आज की परिस्थितियों में साम्यवाद उत्पादन बढ़ाने में उतना सक्षम नहीं है, जितना की पूँजीवाद है। उनके विचार में भारत चीन से भी कुछ नहीं सीख सकता, यदि साम्यवाद के तरीके से रूस ने स्पष्ट रूप से अपनी जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा नहीं किया, जबकि उसके पास पर्याप्त ससाधन थे। चीन के पास तो बहुत कम ससाधन होने से ऐसी आशा ही नहीं की जा सकती है। यदि चीन ने भारत की तुलना में थोड़ी सफलता भी प्राप्त की है, तो इसका मुख्य कारण उसके द्वारा गाँधी जी की एक से अधिक शिक्षाओं का ग्रहण करना है।

चरणसिंह के अनुसार नेहरू जी पश्चिमी अर्थशास्त्रियों-नर्कसे तथा लेविस की इस दलील के शिकार हो गये कि निर्धन देशों में आय कम है, इसलिए बचत कम है, बचत कम होने से निवेश कम होता है इसलिए उत्पादकता कम है, क्योंकि उत्पादकता कम

है इसलिए अग्र कम है अतः विशाल विदेशी सहायता के बिना प्रचुर विकास नहीं कर सकते। परन्तु हमारे लिए एक रास्ता और भी खुला हुआ था जो गाँधीजी ने हमें दिखाया था यही था देश का धीरे-धीरे व धैर्यपूर्वक अपने ससाधनों के सहारे नीचे से निर्माण किया जाय। लेकिन नेहरू जी अमेरिका व सोवियत संघ की तरह एक औद्योगिक अभिरचना की सहायता करने पर तुले हुए थे। इसलिए उन्होंने सारा ध्यान व सारी मेहनत विदेशी पूँजी व विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में लगा दी। यही नहीं उन्होंने सारे घरेलू ससाधन भी भारी उद्योगों में लगा दिए और खाना पानी कपड़ा भूकान शिक्षा व स्वास्थ्य की आवश्यकताओं तक की उपेक्षा की।

समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था - चरणसिंह के अनुसार पश्चिमी साहित्य में वर्णित जनतंत्र में दृढ़ विश्वास रखने और साथ ही रूसी क्रांति के उद्देश्यों से आकर्षित होने की वजह से भारतीय राज-नेताओं विशेषकर नेहरू जी एक ऐसी राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था के स्वप्न देखते थे जिसमें न किसी का शोषण हो सके बल्कि हर एक को अपनी उन्नति के लिए अवसर भी मिल सके। इसलिए नेहरू जी ने समाजवाद व पूँजीवाद में समझौता करके 'मिश्रित-अर्थव्यवस्था' स्वीकार करती जिसमें राष्ट्र के भौतिक ससाधनों पर कुछ राज्य का और कुछ नागरिकों का स्वामित्व रहे तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र एक साथ चले। नेहरू जी की समाजवाद में अद्वैत श्रद्धा उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाती है 'मैं इस बात का कायल हूँ कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं के निराकरण की कुँजी समाजवाद में ही निहित है और जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तब मैं अस्पष्ट मानवतावादी तरीके के रूप में नहीं बल्कि समाजवाद को एक वैज्ञानिक आर्थिक विचार के रूप में समझता हूँ। फिर भी समाजवाद आर्थिक सिद्धान्त से भी कहीं बढ़कर है मुझे समाजवाद के अलावा कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता जिससे भारतीय लोगों की गरीबी उनकी व्यापक बेरोजगारी उनके पतन और गुलामी को दूर किया जा सके।' चरणसिंह के अनुसार उनकी ये नीतियाँ ही देश का दुर्भाग्य साबित हुईं।

1959 में कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी कृषि के संबन्ध में सकल्य पारित किया और 1971-73 में इस आशय की घोषणा की गयी कि कृषि क्षेत्र में पर राजकीय अथवा सयुक्त फार्मों की स्थापना की जाये तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण पर भी विचार किया जाने लगा। सभी साम्यवादियों के समान नेहरू जी को भी उद्योग की भांति कृषि में भी बड़ी यूनितों पर विश्वास था। यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस-मंच से सहकारी कृषि के पक्ष में सकल्य पारित करवाया और राजकीय फार्मिंग के विचार के साथ ही टिलवाड की।

चरणसिंह के अनुसार नेहरू जी के समान ही इंदिरा गाँधी ने भी समाजवाद का नारा दिया और इसी मार्ग पर अग्रसर होकर बैंको एवं अन्य संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन इन मामलों में गाँधी जी की आवाज अनसुनी कर दी गयी जिसका नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीयकरण अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के प्रयोग आर्थिक सद्बुद्धि के हमारे मार्ग में बड़े-बड़े पत्थर जैसे अवरोध बनकर उभरे हैं।

इस सदर्म में यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज हमें चरणसिंह के विचारों के अनुरूप ही चलने हेतु बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि धीरे-धीरे पुनः हम घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र के अधीन करते जा रहे हैं।

विदेशी ऋण एवं सहायता :- चरणसिंह के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योग की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा निजी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ नावाजिब ढग से बढ़ा है। स्वतंत्रता के समय देश में अग्रेज रिजर्व बैंक में 1,180 करोड़ रुपये के सिक्के व सोना तथा अन्य कीमती धातुएँ छोड़ कर गये थे। इसके अलावा इंग्लैण्ड 1,733 करोड़ रुपये का देनदार (हमारा कर्जदार) था और हमें युद्धपूर्व ऋण के भुगतान में 425 करोड़ रु मिलने थे साथ ही 115 करोड़ रुपये ब्रिटिश साम्राज्य के पास जमा खजाने में से भी हमारा हिस्सा मिलना था। अर्थात् कुल मिलाकर हमारे पास 3,453 करोड़ रुपये थे। परन्तु आज निर्यात बढ़ने तथा विदेशी शासकों के रख-रखाव के लिए रूपया भोजना बढ़ हो जाने पर भी भारत सर्वोच्च ऋणी देशों में हो गया है। आज हमारी दशा यह है कि हमें विदेशी ऋणों पर ब्याज चुकाने हेतु भी ऋण लेना पड़ता है। उनके अनुसार 1972 में भारत पर विदेशी ऋण राष्ट्रीय आय का 20.2 प्रतिशत था। हम अग्रेजों द्वारा छोड़ा धन पानी की तरह बहा चुके हैं। 1951-79 की अवधि में हमारे द्वारा माँगी गयी राशि 19,231.6 करोड़ रु थी और इसमें 9.7 प्रतिशत सीधा अनुदान था।⁶

सिंह ने स्पष्ट किया है कि विदेशी विनिमय के संकट एव पी एल-480 के अन्त के आयात की बढ़ती हुई निर्भरता ने ही हमारे नीति निर्माताओं को विश्व बैंक के अधीन घनी देशों से सहायता की कीमत पर अपने आधारभूत दृष्टिकोण के प्रति समझौता करना पड़ा और 1966 का अवमूल्यन हमारे ऊपर थोप दिया गया जिसके फलस्वरूप एक ही बार में विदेशी ऋण दायित्वों में 2,648 करोड़ रु की वृद्धि हो गयी।

हमें अपने ऋणों के भुगतान के लिए दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तुएँ—चाय, चीनी, कॉफी, तिलहन, बासमती चावल काजू आदि का निर्यात करना पड़ता है, और अपने देश के लोगों को भूखा रखा जाता है तथा उपलब्ध वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। सिंह के विचार में भारत जैसे विकासशील देश ऋणों के रूप में विदेशी सहायता माँगता है लेकिन यह बात भुला दी जाती है कि विदेशी सहायता की निर्भरता आर्थिक रूप से गला घोटने वाली ही नहीं बल्कि अपमानजनक भी है। नेहरू जी तो उद्योग के मूर्ति-पूजक थे वह विदेशी पूँजी को लाने के लिए चाहे वह कर्जों की शक्ति में हो या चाहे विदेशी पूँजीपतियों द्वारा यहाँ लगायी गयी हो—कमर कस कर जुट गये। परन्तु नेहरू जी को यह मालूम नहीं था कि भारतीय वित्तीय ससाधनों का विदेशियों द्वारा लूटे जाने का ही नाम विदेशी सहयोग है।

चरणसिंह ने नेहरू जी की विदेशी सहायता के दृष्टिकोण की इस आधार पर आलोचना की है कि हम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शोषण से स्वतंत्रता प्राप्त करने का संघर्ष

किया था और अपने देश को स्वतंत्रता दिलायी थी परन्तु आज हमारे यहाँ केवल एक विदेशी शोषक ही नहीं बल्कि कई शोषक हैं (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में) जिन्होंने मिलकर 25 वर्षों की अवधि में 7 गुना शोषण बढ़ा दिया है। चरणसिंह ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि हमारे पास न आवश्यक मात्रा में पूँजी है न आवश्यक मात्रा में प्राद्योगिकी है जिसकी वजह से हम दूसरों की सहायता का सहारा लेने के ऐसे कुचक्र में फस गये हैं जिसका कहीं अंत नहीं है। दुख की बात यह है कि हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी पूँजी विदेशी मशीनों और विदेशी प्राद्योगिकी पर निर्भर है। जबकि चीन एवं जापान ने न विदेशी पूँजी का आयात किया न विदेशी प्रबन्ध का परन्तु आज वे विकास के शिखर पर हैं। जबकि हमने दियासलाई जैसी तुच्छ वस्तु का उत्पादन भी विमको जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को सभला दिया जो माचिस के कुल उत्पादन के 60 प्रतिशत से अधिक भाग पर कब्जा किये हुए है।

चरणसिंह के अनुसार इन विदेशी कम्पनियों द्वारा देश की लूट में हमारे कुछ राजनीतिक नेता भी साझेदार हैं। जिन्हें ये विदेशी कम्पनियाँ चन्दा मदिरा की आपूर्ति विलासपूर्ण होटलों में मनोरंजन तथा विदेश जाने पर उनकी आतिथ्य की व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं और वे इनके हितों के पोषक होते हैं।

चरणसिंह ने इसे नवउपनिवेशवाद की सजा दी है जो देश का तरह-तरह से शोषण करती है इस शोषण के सब्ध में अनुमान लगाने की बात तो अलग है अभी तक इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम भी नहीं उठाये गये हैं क्योंकि इस लूटपाट में राजनीतिज्ञ एवं अधिकारी वर्ग भी हिस्सा बँटाते हैं और प्रबुद्ध समाज को पतनोन्मुख कोका कोला एवं चुइगम संस्कृति का उत्साही मार्गदर्शन बना दिया है।

निजी क्षेत्र व आर्थिक शक्ता का केन्द्रीकरण — चरणसिंह के अनुसार कांग्रेस ने संविधान में उल्लेखित नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में मार्च 1971 के लोक सभा चुनावों में यह वचन दिया कि कतिपय लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ता और सम्पत्ति का सकेन्द्रण नहीं होने दिया जायेगा क्योंकि यह स्थिति लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की संकल्पना के साथ मेल नहीं खाती। लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरह आगे चलकर इस विषय को भी भूला दिया गया और भारी उद्योगों के कारण हमारे यहाँ हर वर्ष सम्पत्ति व आर्थिक शक्ता का केन्द्रीकरण चौकड़ियों भर-भर कूद कर बढ़ रहा है तथा टाटा विडला मफतलाल सिघानिया थापर आदि घरानों की परिसम्पत्ति में दिन-रात वृद्धि हो रही है।

उनके अनुसार इन बड़े-बड़े घरानों ने देशी प्राद्योगिकी के विकास के लिए कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किये हैं जबकि उनके हाथ में विशाल मानवीय और अन्य संसाधन हैं। उनकी सबुद्धि का अधिकांश भाग विदेशी प्राद्योगिकी और पूँजी के आयात पर ही निर्भर करता है तथा इनकी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत भाग सार्वजनिक क्षेत्र

की वित्तीय सस्थाओं द्वारा ही वित्तपोषित किया जाता है। 11 दिसम्बर, 1963 में नेहरू जी ने भी स्वीकार किया था कि योजना से सम्पत्ति कुछ ही हाथों में सकेन्द्रित नहीं होनी चाहिए लेकिन सरकार और योजना आयोग दोनों ही सकेन्द्रण को बचाने के लिए प्रभावकारी उपाय करने में असफल सिद्ध हुए।

बढ़ती हुई आय की असमानताएँ :- चरणसिंह के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हमें 30 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद हमारी जनसंख्या का 2/5 भाग राष्ट्रीय आय का लगभग 16 प्रतिशत भाग प्राप्त करता है, जबकि इसकी तुलना में शीर्ष 5 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का 22 प्रतिशत भाग ले लेते हैं, जो हमारी जनसंख्या के कुल आधे लोगों को प्राप्त आय से कुछ ही अधिक है। देश में एक तरफ पाच सितारा संस्कृति फलफूल रही है तो दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं, पटरियों पर सोते हैं, पहिने के लिए कपड़े नहीं है। देश में भारी उद्योगों ने चाहे वे निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में दोहरी अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर दी है, जिसके फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी और निष्क्रियता के भीतरी प्रदेश में समृद्धि के कुछेक क्षेत्रों का ही निर्माण हो पाया है। इससे शीर्ष के लोगों के हाथ में सम्पत्ति एकत्रित हो गयी है और लाखों लोग बेकार और गरीब हो गये हैं। "गरीबी हटाओ" नारा के बाद भी एकाधिकारी घरानों का तेजी से उदय हो रहा है, जिनकी सम्पत्ति दिन-रात बढ़ रही है तथा वे विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गदी बस्तियों में रहने वाले बेकारों की भीड़ तथा रोटी के एक ग्रस के अभाव में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।

चरणसिंह ने आय की असमानता बढ़ने के कारणों में कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा अर्जित आय के अलावा औद्योगिक कामगारों, बैंकों, विभिन्न निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का बढ़ता वेतन, महँगाई मत्ता से अर्जित आय को मुख्य माना है, साथ ही कोटा या धारक, लाइसेंसधारी, लाभ उठाने वाले, तस्कर, काला धंधा करने वाले, कमीशन एजेंट, ट्रॉसपोर्टर और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से भी आय में असमानताएँ बढ़ती हैं। उनके अनुसार कांग्रेस के समाजवादी रूप ने समाज के उच्च शिखर के लोगों को जो कि हमारे जनमानस में 10 प्रतिशत है, और ये लोग औद्योगिक कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये सबसे अधिक धनी व्यक्ति शहरी जनसंख्या में मिलते हैं। भारी उद्योगों में परिणामस्वरूप कृषि को तो पूँजी के अभाव से ग्रस्त कर दिया है और एक कृषक तथा कामगार की आय के बीच की खाई दिन-रात चौड़ी होती जा रही है। उनके अनुसार 1950-51 में इनका अनुपात 12 का था जो बढ़कर 1976-77 में 1.4 हो गया। और यह स्थिति उस भारत की है जो समाजवादी है।

बढ़ती हुई बेरोजगारी :- चरणसिंह के अनुसार भारी उद्योगों पर जोर देने के परिणामस्वरूप भारत में बेरोजगारी एवं अल्परोजगार बढ़ा है और सबसे बड़ा सामाजिक एवं आर्थिक दुर्गुण सिद्ध हो रही है। नेहरू जी को प्राद्योगिकी एवं भारी उद्योग रूपी जुड़वाँ

देवताओं पर अधविश्वास था। यह विश्वास गलत साबित हुआ। पश्चिम में श्रम की कमी थी इसलिए आदमी की जगह मशीन से काम लेना जरूरी था। पर यह प्रौद्योगिकी भारत जैसे देशों की समस्या का हल नहीं है जहाँ श्रमिकों को अल्परोजगार मिलता है और वे भर-पेट खाना नहीं खा पाते तथा पूँजी की बेहद कमी है। नेहरू जी को यह भ्रम हो गया कि भारी पूँजी-प्रधान उद्योगों से उत्पादन बढ़ता है जिससे राष्ट्रीय आय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है इससे गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी। अर्थव्यवस्था में इतनी जान आ जायेगी कि वह अपने आप ही बढ़ने लगेगी और छोटे एवं मध्यम उद्योगों में भी जान फूँक देगी जिससे रोजगार के बहुत से नये रास्ते खुल जायेंगे। नेहरू जी इसलिए राष्ट्रीय आय बढ़ाना ही नियोजन का लक्ष्य मानते थे और उनकी दृष्टि में रोजगार के नये अवसर आय-वृद्धि का उप-उत्पाद मात्र थे। इसीलिए सवृद्धि को अधिकाधिक द्रुतगामी बनाने के लिए पूँजी को रियायतें प्रदान की गयीं और पूँजी प्रधान लागत बढ़ाने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग किया। रोजगार को सम्पूर्ण सवृद्धि उप-उत्पाद बनाकर पीछे का दर्जा दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि श्रम प्रदान करवाने की आय इतने लोगों में बट जायेगी कि दुबारा लगाने के लिए बचत करने लायक किसी की आय नहीं होगी।

चरणसिंह के मत में रोजगार व उत्पादन में तथा रोजगार में वृद्धि और आय में कोई विरोध नहीं है। सामाजिक न्याय तथा विकास एक साथ सम्भव है। गाँधी जी की सलाह के विपरीत नेहरू आधुनिक क्षेत्र के मोह में फँस गये क्योंकि आधुनिक तकनीकी का जादू इतना मोहक था कि वे चौंधियाँ गए और यह नहीं देख सके कि एक उप-उत्पाद के नाते प्राद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में बेकारी बढ़ाकर व आय की असमानताओं में वृद्धि कर कितनी सामाजिक कीमत वसूल कर रही है। नतीजा यह है कि स्वराज्य के तीस वर्ष बाद भी देशभर में गाँवों में दरिद्रता और बेकारी बढ़ती जा रही है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। बल्कि सोच-समझ कर चलायी गयी योजना का नतीजा है। सत्रह से अधिक वर्षों तक भारी उद्योगों को तरजीह देने की नीति से जब देश को बहुत हानि हो चुकी तब नेहरू जी की समझ में आया कि गांधी जी सही कहते थे। 11 दिसम्बर 1963 में नेहरू जी ने ससद में कहा कि मैं अधिकाधिक महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के बारे में सोचने लगा हूँ मैं पूरी तरह से आधुनिक मशीन का प्रशंसक हूँ और बेहतरीन मशीन व बेहतरीन तकनीक चाहता हूँ लेकिन हमारे देश में हालत यह है कि हम आधुनिक युग में चाहे जितना बढ़ जायें उसका बहुत दिनों तक हमारे लोगों की बहुत बड़ी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें उत्पादन में भागीदार बनाने के लिए कोई और उपाय करना होगा चाहे उत्पादन यंत्र आधुनिक के मुकाबले में बहुत कुशल न हों। परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और छह महीने में ही वे चल बसे।

निष्कर्ष रूप में चरणसिंह ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मूल कारण नेहरू जी द्वारा अधिकाधिक पूँजी प्रधान उद्योगों का स्थापित करना माना है जिससे अधिक लोग

बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमारे देश में लबी-चौड़ी योजनाएँ जिनमें जरूरत से अधिक बल भारी उद्योग पर दिया जाता है, पाँच वर्ष में जब पूरी होती है, तो मालूम होता है कि पहले से अधिक बेरोजगारी फैली हुई है। भारत अग्रेजों के आने से पूर्व विशुद्ध रूप से कृषि देश ही नहीं था, यह एक महत्वपूर्ण निर्माण केन्द्र भी था। इस देश से यूरोप, अरब, मिश्र और चीन को बहुत सी वस्तुएँ निर्यात की जाती थीं। अग्रेजों ने अपने स्वार्थ के कारण भारतीय हस्तकलाओं को उखाड़ फेंका और देश में उद्योग ही कम नहीं हुए वरन् कृषि की स्थिति भी निम्नतर स्थिति में पहुँच गयी। परन्तु स्वतंत्रता बाद भी हमारी सरकार की अव्यावहारिक नीतियों से गाँवों में कृषि को छोड़कर कोई धधा नहीं बचा है। पूँजीवादियों के हित में आधुनिकीकरण के नाम पर मशीन प्रक्रिया के लागू करने से रोजगार कम होता गया और असख्य लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं।

श्रम नीति :- चरणसिंह के अनुसार, आर्थिक, विशेषकर औद्योगिक विकास भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है, औद्योगिक विकास को एक मजबूत और स्पष्टतया परिभाषित श्रम नीति की आवश्यकता है, जिससे श्रमिक उत्पादकता बढ़े, लेकिन सरकार आज तक इस प्रकार की नीति का निर्माण करने में असफल रही है। इसके विपरीत ऐसे श्रम कानून देश में बनाये गये हैं जो प्रगति में अवरोधक ही सिद्ध हुए हैं। सिंह की मान्यता है कि भारत में औद्योगिक श्रमिक प्रारम्भ से ही दूसरे देशों की तुलना में अधिक अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त करता रहा है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों को बिना विवाद के स्वीकार किया। परन्तु इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि भारत जैसे कम विकसित देशों में जहाँ रहन-सहन का स्तर दयनीय हो, हम भी कामगारों को वही सुविधा उपलब्ध करवाये जो कि पश्चिमी देशों के कामगारों को मिलती है। उन्होंने कुछ कानूनों की व्याख्या कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इन कानूनों से देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी नहीं बढ़ा है, बल्कि अव्यवस्था और अराजकता का माहौल ही पैदा हुआ है। जिनकी विवेचना इन्होंने निम्न रूप में व्यक्त की है—

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार एक बार मजदूरी की कम से कम दर निर्धारित होने के बाद नियुक्त उन्हीं निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान करे, चाहे उसकी क्षमता हो या ना हो, साथ ही संबंधित सरकार को 3 वर्षों में या प्रतिकूल कीमत वृद्धि की दशा में मजदूरी में संशोधन करना चाहिए। इसके अलावा बोनस, उपदान राशि, भविष्य निधि, बीमा अथवा परिवार पेंशन, प्रबंध में भागीदारी, बर्खास्त किए कामगारों को प्रतिकर भुगतान आदि के लिए भी कानून बनाए।

चरणसिंह के विचार में इन प्रावधानों की तुलना उस सुरक्षा और सुविधाओं से की जानी चाहिए जो एक औसत ग्रामीण को, यहाँ तक कि नगर निवासि अथवा उद्योगत्तर कामगार को मिलती है। अब बोनस भी अनुग्रही अदायगी अथवा लाभ का हिस्सा नहीं रहा है। एक माह का वेतन बोनस के रूप में भुगतान करने का मुद्दा कामगारों ने नहीं बल्कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने स्वयं 1971 में शुरु किया था। यह एक राजनीतिक चाल थी।

उनके अनुसार श्रमिक सघो पर राजनीतिक दलों का आधिपत्य होता है और कभी-कभी ये सघ कामगारों को न केवल हिंसा के लिए बल्कि उस सयत्र को नष्ट करने के लिए मजबूर करते हैं जो उनके जीवन-यापन का मुख्य स्रोत है। दुर्भाग्य से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी श्रमिकों की प्रवृत्ति अनुत्तरदायी रही है उन्होंने बिहार व उत्तर प्रदेश के उदाहरणों से यह व्यक्त करने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ अधिक मजदूरियों और अधिक उत्पादन के बीच कोई तालमेल की सकल्यना उभर कर नहीं आयी है। जबकि जापान में कामगारों की प्रवृत्ति यह होती है कि वे अपने नियोक्ताओं के हितों में योगदान करते हैं उनकी अपनी कम्पनी के प्रति वफादारी पूर्णतया पौराणिक है। अनुशासन और कार्य करने की इच्छा जापानियों के जन्मजात सस्कार है। अतः हमें भी यदि उन्नति करनी है तो हम स्वेच्छिक अनुशासन एवं आत्म नियमन को स्वीकार करना होगा। उनके अनुसार हमें यह स्वीकार करना होगा कि विभिन्न श्रम कानून मजदूरी बढ़ाते हैं इससे हमारे श्रम प्रधान देश में श्रम की तुलना में मशीनें सरती हो जाती हैं जिससे श्रम की आवश्यकता कम होती जाती है। सरता श्रम हमारी सबसे बड़ी परिसम्पत्ति है और राष्ट्रीय हित में तथा श्रम के हित में इसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। इसके उपयोग से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे आर्थिक सवृद्धि में वृद्धि होगी आय की असमानताएँ घटेगी और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्नत अथवा उपर्युक्त तकनीकें - चरणसिंह के अनुसार हमारे यहाँ श्रम पर्याप्त है लेकिन पूँजी का अभाव है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने ऐसे उत्पादन ढ़े तरीकों या तकनीकों को तैयार करे जा पूँजी की मितव्ययिता बढ़ाये। हमारी परिस्थितियों में यह सुविधाजनक होगा कि उपलब्ध पूँजी को कम श्रम में अधिक सघनता से न लगाकर अधिक श्रम में लगाया जाय। इसलिए देश भर में फैले हुए कुटीर एवं श्रम प्रधान उद्योगों में अभिनवीकरण अथवा प्राद्योगिकी को उन्नत करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जाय—चाहे उपयोग में आने वाली पूँजी अधिक न हो।

चरणसिंह का मत है कि हमें ग्रामीण उद्योगों में आधुनिक तकनीक का स्वागत कर इसे उनमें प्रयोग करे जैसे हाथकरघा उद्योग ने आधुनिक कारखानों में तैयार सूती और सिन्थेटिक धागों का सफलता पूर्वक प्रयोग किया है। इसी प्रकार से गोबर गैस सयत्र ग्रामीण समुदायों को जैव उर्वरकों को उपलब्ध करने में भारी योगदान कर सकते हैं। नवीन अनुसंधानों से नये कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है। उदाहरणार्थ वर्धा स्थित ग्रामीण उद्योगों के लिए केन्द्रीय शोध संस्थान ने कुम्हार के चाक को इस डिजाइन में बनाया है कि उसमें बाल-विद्यरिग लगे हुए हैं इससे उत्पादन ही नहीं बढ़ा है बल्कि मानव श्रम की भी बचत हुई है। उनके अनुसार गोंधी जी ग्रामीण उद्योगों और हस्तशिल्प के अग्रदूत रहे वे मशीनों के विरोधी नहीं थे बल्कि उनका विचार था कि 'मैं सबसे जटिल मशीनरी के उपयोग का समर्थन करता हूँ। यदि इसका द्वारा भारत की

बेकारी और उसके फलस्वरूप गरीबी को हटाया जा सके।"

परन्तु हम पश्चिमी डिजाइन पर आधारित ऐसी तकनीक को स्थान दे रहे हैं जो केवल श्रम लागतों को ही कम कर सकती है पूँजीगत लागतों को नहीं। हमें ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिनसे निम्नलिखित तत्त्वों की यथा सम्भव पूर्ति हो सके— (1) उत्पादन की प्रति इकाई के हिसाब से पूँजी उपयोग को कम करना, (2) निवेश की प्रति इकाई के हिसाब से अधिकतम रोजगार की खोज करना (3) हमारे देश, क्षेत्र या गाँव में स्थानीय प्रतिभाओं, कच्चे माल और उपलब्ध ससाधनों का नवीन रूपों में अधिकतम उपयोग करना, (4) इसमें ऊर्जा उपभोग को न्यूनतम करना, तथा (5) पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, जिसमें प्रकृति में जलवायु सबंधी सतुलन बना रह सके।

चरणसिंह की मान्यता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को छोटी मशीनों में भी प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसी मशीनों के लिए अपेक्षाकृत कम पूँजी की आवश्यकता होती है और रोजगार भी अधिक उपलब्ध होगा तथा शोषण भी नहीं हो सकेगा और बेकारी भी नहीं बढ़ेगी। हमें कम पूँजी प्रधान (कृषि और) दस्तकारियों तथा छोटे पैमाने के विकेन्द्रित उद्योगों पर जोर देना होगा।

III. एक नीति-विकल्प

चरणसिंह की मान्यता थी कि यदि देश को बचाना है तो नेहरूवादी नीति के स्थान पर गाँधीवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें आज की स्थिति से निकलने के लिए गाँधी जी के पास वापस जाना होगा। गाँधी जी के विचार न केवल 1977 के लिए सर्वाधिक उपर्युक्त है बल्कि हमारे लिए वे 2000 ई में भी उपर्युक्त रहेंगे। हमने 1947 में गाँधी का मार्ग छोड़कर पश्चिमी नीति का अनुसरण करके एक गलत नीति का चुनाव किया है। गाँधीवादी नीति का उद्देश्य वृहत स्तर पर, विकेन्द्रीकरण के आधार पर अधिकतम उत्पादन व सगठन करना और उसके लिए स्थानीय साधनों व योग्यताओं का प्रयोग करना है। अतः हमें मुख्यतः इन दो बातों पर ध्यान देना है— (1) वित्तीय साधनों के ऋतवारे को कृषि के फस में बदलना और (2) जहाँ तक हो सके बड़ी मशीनों का प्रयोग छोड़ देना। इससे एक ओर तो ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी और दूसरी ओर अपने उपलब्ध साधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें विदेशी पूँजी एवं विदेशी तकनीक को छोड़कर आत्म निर्भरता प्राप्त होगी।

चरणसिंह का कथन है कि एक प्रकार से भारत के योजना बनाने वालों का "मूल अपराध" कृषि की उपेक्षा है। जिससे कृषि की स्थिति बिगड़ने से हमें खाद्य पदार्थों के आयात पर 6000 करोड़ रुपया अब तक व्यय करना पड़ा है। दूसरी गलती हमने यह की कि बहुत लेंची उड़ान ली और राजनीतिक सत्ता पाते ही भारी उद्योगों के मोह में फस गये। गाँधी जी चाहते थे देश का निर्माण नीचे से शुरू हो और अपने ही ससाधनों से किया जाय। परन्तु हम यह भूल गये।

इसलिए हमें ससाधना को उच्च मध्यवर्गीय क्रयशक्ति पर आधारित महानगरीय औद्योगिकृत पूँजी प्रधान व केन्द्रित उत्पादन से हटाकर ऐसे कृषि रोजगार-प्रधान व विकेंद्रित उत्पादन में लगाकर जो गाँधी के शब्दों में न केवल सर्वसाधारण के लिए किया जाता है बल्कि उनके द्वारा किया जाता हो।

चरणसिंह के अनुसार अधिकतर देशों में पहले कृषि एवं श्रम-प्रधान उद्योगों का विकास हुआ जिसकी वकालत गाँधी जी करते थे। जापान इसका प्रमुख उदाहरण है चीन भी इसी रास्ते पर चल रहा है। यही एक मार्ग है जिससे हम बेकारी एवं गरीबी की समस्या हल कर सकते हैं और साथ में ऐसे भारी उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं जो उनके यहाँ होने ही चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक प्रगति का एक मात्र आधार कृषि ही है और अन्य क्षेत्र नहीं क्योंकि बिना कृषि उत्पादन के न तो कोई व्यापार चल सकता है और न ही दस्तकारी। भारत की प्रगति का मापदण्ड यह नहीं है कि हम कितना इस्पात या कितना टी वी सेट या कितनी मोटर गाड़ियाँ बना सकते हैं बल्कि यह है कि हम कितनी मात्रा में व किस तरह जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे खाना कपड़ा आवास स्वास्थ्य शिक्षा आदि को उस आदमी तक पहुँचा सकते हों जिसे गाँधी जी **आखिरी आदमी** कहते थे। ऐसे बहुत से विकासशील देश हैं जिनको भारत से अधिक प्राकृतिक साधन उपलब्ध नहीं हैं फिर भी वहाँ रोजगार का बाहुल्य है कम गरीब हैं कम बच्चे मरते हैं और साक्षरता भी ज्यादा है जैसे ताइवान मिश्र इजराइल आदि। जबकि हमारी नीतियाँ गलत होने से हम गरीबी एवं दरिद्रता के गर्त में पड़े हैं।

चरणसिंह ने बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा शत्रु माना है उनके विचार से बेरोजगारी का हल गरीबी एवं आय की व्यापक असमानताओं की समस्याओं के समाधान का कुंजी है। उनके अनुसार यदि किसी सेना के मनोबल का मापदण्ड है कि वह अपने घायल सैनिकों की देखभाल कैसे करती है और उन्हें मैदान में पड़ा न छोड़ने के लिए कितने खतरे उठाती है उसी प्रकार किसी अर्थनीति या राजनीति की गुणवत्ता का मापदण्ड यह है कि वह अपने पीड़ित दुर्बल बेरोजगार भूक नागरिकों का उद्धार कैसे करती है और कैसे राहत पहुँचाती है। **भारत में राजनीतिक नेतृत्व की परख अब उनके क्रांतिकारी नारों से नहीं बल्कि लोगों को दिए गये काम से होगी।**

चरणसिंह ने तीन ऐसे क्षेत्र बताए हैं जिनमें बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं—(1) कृषि जिसमें पशुपालन देशी खाद बनाना सफाई तथा गोबर गैस शामिल है। (2) गाँवों में निर्माण कार्य जैसे सिंचाई परियोजनाएँ भूमि संरक्षण भूमि उद्धार जंगल लगाना आदि और (3) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि हम रोजगार की समस्या का दिल से निदान करना चाहते हैं तो कम से कम उन क्षेत्रों में जहाँ खेती हर मजदूरों की प्राथमिकता है वहाँ बड़ी मशीनों को प्रशासनिक या वित्तीय प्रोत्साहन देने से बचना होगा। श्रम प्रधान उद्योगों को स्वचालित उद्योगों के आक्रमण से बचाना होगा तथा उनका विकास

करना होगा। हमे बेरोजगारी के समाधान के लिए उत्पादकता एवं रोजगार दोनों को एक साथ बढ़ाना होगा न कि बिना रोजगार बढ़ाये ही उत्पादकता बढ़ाये, जैसाकि अब तक हमारे भाग्य विधाता करते आये हैं।

संदर्भ

- 1 चरणसिंह—भारत की भयावह आर्थिक स्थिति पृष्ठ 59
- 2 चरणसिंह—भारत की भयावह आर्थिक स्थिति पृष्ठ 112
- 3 चरणसिंह —इंडियन पावर्टी एण्ड इट्स सोल्यूसन 1964
- 4 चरणसिंह—भारत की भयावह आर्थिक स्थिति पृष्ठ 140
- 5 चरणसिंह— भारत की अर्थनीति— पृष्ठ 37
- 6 माइकेल लिपटन—द क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लैनिंग आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1968 पृष्ठ 102
- 7 चरणसिंह—भारत की भयावह आर्थिक स्थिति पृष्ठ 236
- 8 चरणसिंह—भारत की भयावह आर्थिक स्थिति पृष्ठ 273-75

प्रश्न

- 1 'चरणसिंह मूलत गोंधीवादी विचारक थे स्पष्ट कीजिए।
- 2 चरणसिंह के अनुसार देश की समृद्धि का मूल मंत्र क्या है ?
- 3 चरणसिंह के अनुसार स्वतंत्र भारत को विरासत में कौनसी चार समस्याएँ मिली हैं ? नाम लिखिए।
- 4 चरणसिंह द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइये ?
- 5 चौ चरणसिंह ने किन कारणों से बड़े फार्मों के बजाय छोटे फार्मों को प्राथमिकता दी है ? बताइये।
- 6 'चौधरी चरणसिंह नेहरू की आर्थिक नीतियों के कटु आलोचक थे' पुष्टि कीजिए।
- 7 चरणसिंह ने चकबदी के कौन-कौन से लाभ बताये हैं ? लिखिए।
- 8 चौधरी चरणसिंह के आर्थिक विचारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए ?
- 9 चरणसिंह के कृषि सम्बन्धी विचारों को लिखिए ?
- 10 चरणसिंह के मत में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्व बताइये ?
- 11 कृषि, उद्योग, सहकारी खेती औद्योगीकरण के सम्बन्ध में नेहरू जी के विचारों की चरणसिंह द्वारा किये गये आलोचनात्मक विचारों को स्पष्ट कीजिए ?
- 12 चरणसिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे कौनसे क्षेत्र बताये हैं जहाँ रोजगार की समानताएँ हैं ?
- 13 चरणसिंह के अनुसार भारत के लिए उपर्युक्त तकनीक कौनसी होनी चाहिए ?



अमर्त्य सेन (Amartya Sen)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 14 अक्टूबर 1998 को स्वीडन की रायल-विज्ञान अकादमी ने विश्व के श्रेष्ठ सम्मान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। प्रो सेन को यह पुरस्कार उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार से न केवल प्रो अमर्त्य सेन का व्यक्तिगत सम्मान बढ़ा है अपितु भारत की विश्व में अर्थशास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से विश्वसनीयता भी बढ़ी है। नोबेल पुरस्कार के अन्तर्गत प्रो सेन को एक स्वर्ण पदक प्रशसा पत्र तथा 10 लाख अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई है। प्रो सेन से पूर्व पाँच भारतीयों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 1913 में विश्व प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1930 में प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सी वी रमन को भौतिकी में रमन-प्रभाव के लिए 1968 में हरगोविन्द खुराना को दवा के क्षेत्र में 1979 में मदर टरेसा गरीबों के लिए काम करने के लिए तथा 1983 में सुब्रह्मण्यम चन्द्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

नोबेल पुरस्कारों की सूची में अर्थशास्त्र को सर्वप्रथम 1969 में शामिल किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में घोषित होता है तथा स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम में दिसम्बर माह में प्रदान किया जाता है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रेग्नेर फ्रिश तथा जन टिम्बरगन को संयुक्त रूप से दिया गया। अर्थशास्त्र में कुछ प्रमुख नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्रियों में सेम्यूलसन (1970) साइमन कुजनेट्स (1971) जॉन हिक्स एव कैनेथ ऐरो (1972) डब्ल्यू लियोन्टिफ (1973) गुर्नार मिर्डल तथा फ्रैंड्रिक हेयक (1974) मिल्टन फ्रीडमैन (1976) जेम्स टोबिन (1981) रॉबर्ट सोलो (1987) अमर्त्य सेन (1998) राबर्ट मुण्डेल (1999) जेम्स हेकमेन (2000) तथा जार्ज एकरलोफ माइकल स्पेन एा जोसेफ स्टिगलिज को संयुक्त रूप से 2001 में प्रदान किया गया।

अमर्त्य सेन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वह विश्वविद्यालय परिसर में ही जन्मे पूरे जीवन भर किसी न किसी विश्व विद्यालय परिसर में ही रहे और सेन का जन्म 3 नवम्बर 1933 को रवीन्द्रनाथ टैगोर के विश्वभारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में

हुआ। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। प्रो सेन का अध्ययन कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कालेज में हुआ। इन्होंने अपना शोधकार्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीमती जोन रॉबिन्सन के निर्देशन में पूर्ण किया। प्रो सेन ने कलकत्ता, केम्ब्रिज, देहली विश्वविद्यालय, हावर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया तथा एम आई टी, स्टेन फोर्ड, बर्कले तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। प्रो सेन का अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारम्भ से ही लगाव था। वे हमेशा शिक्षक बनना ही पसन्द करते रहे और शैक्षणिक जीवन से जुड़ाव ही उनका लक्ष्य रहा है। वर्तमान में सेन केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कालेज के पद पर कार्यरत हैं।

प्रो सेन रवीन्द्रनाथ टैगौर के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं। उनके अर्थशास्त्र के लेखन पर 1943 के बंगाल अकाल का गहरा प्रभाव रहा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के शिकार हुए।

अमर्त्य सेन कई शैक्षणिक सस्थाओं के अध्यक्ष रहे हैं। प्रमुख रूप से 1984 में इकोनॉमेट्रिक्स सोसायटी 1986 से 1989 तक अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक परिषद, 1989 में भारतीय आर्थिक परिषद तथा 1994 में अमेरिकी आर्थिक परिषद के अध्यक्ष रहे।

प्रो. सेन की 20 पुस्तकें तथा 225 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने अकाल एव गरीबी पर प्रमुख रूप से कार्य किया है। इन्होंने अपना प्रथम शोधकार्य 'तकनीकों के चुनाव' पर किया जिसमें श्रमिकों के वर्तमान एव भावी रोजगार का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में श्रमिकों के कल्याण पक्ष को भी शामिल किया गया है।

प्रो सेन द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएँ निम्नांकित हैं -

1. Collective Choice and Social welfare (1970)
2. On Economic Inequality (1973)
3. Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation (1981)
4. Choice, Welfare and Measurement (1982)
5. Resources, Values and Development (1984)
6. Commodities and capabilities (1985)
7. On Ethics and Economics (1987)
8. The Standard of Living (1987)
9. Inequality Re-examined (1995)

प्रो. सेन के प्रमुख आर्थिक विचार

अमर्त्य सेन ने आर्थिक क्षेत्र में विविध पक्षों पर अपनी पुस्तकों एव लेखों में विचार

निर्णय की स्थिति में पहुँचा जा सकता है। यद्यपि इससे सामान्यतया के गुण में कमी आती है। सेन का विचार है कि व्यवहार में ऐरो के असम्भव प्रमेय की आवश्यकता नहीं होती है। सेन के अनुसार सामाजिक चुनाव में मुख्य मुद्दा यह है कि हम किस प्रकार व्यापक सहमत निर्णयों के आधार पर किसी नीति निर्देश तक पहुँचते हैं और हमारे चिन्ता का कारण भी यही व्यावहारिक कारण होना चाहिए। उनका मत था कि बहुमत के नियम में कई तरह की कमियाँ हैं, विशेषरूप से जब बहुमत कोई निर्णय कर लेता है तो अल्पमत की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण के लिए, यदि इक्विवॉलन प्रतिशत लोगों ने किसी नीति के पक्ष में मत प्रकट किया है और उनका प्रतिशत लोगों ने उस नीति के विरोध में मत व्यक्त किया है तो बहुमत के सिद्धांत के अनुसार उनका प्रतिशत लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बहुत समय तक उपयोगितावादी दृष्टिकोण हावी रहा। जिसकी बेंथम, जे. एस. मिल, एजवर्थ, मार्शल, पीगू आदि ने मुख्य रूप से पेरवी की। उपयोगितावाद के अन्तर्गत सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के लिए उपयोगिता फलन का उपयोग किया जाता है। इससे लोगों के अधिकार एवं स्वतंत्रता की उपेक्षा होती है जो कि सेन के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक चुनाव एवं कल्याण के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सेन ने अपने प्रकाशन "Collective choice and social welfare" में वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। उपयोगितावाद के वैयक्तिक उपयोगिता के जोड़ के आधार पर निर्णय लेने से सूचनात्मक कमी से कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में बाधा पहुँचती है। सेन ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में सामाजिक चुनाव के क्षेत्र में वैयक्तिक अधिकार, स्वतंत्रता का खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार ऐरो के असम्भव प्रमेय से जो निराशावाद अल्पन हो गया था उसे अमर्त्य सेन के योगदान से दूर करने में मदद मिली है। उन्होंने सामाजिक चुनाव के सिद्धांत में एक नये क्षेत्र की शुरुआत की और यह मत व्यक्त किया कि अन्तर्वैयक्तिक तुलना के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याओं के सामूहिक निर्णयों के सम्बन्ध में एक सगत तथा गैर-अधिनायकवादी नियम को प्राप्त करने की सम्भावना किस प्रकार प्रभावित होती है तथा वैयक्तिक उपयोगिता में अन्तर्वैयक्तिक तुलना की स्थिति को स्वीकार किया है।

2 असमानता का अर्थशास्त्र

प्रो. सेन के आर्थिक असमानताओं के विश्लेषण से आर्थिक असमानता की अवधारणा को समझने में बहुत सहायता मिली है। सेन ने अपनी पुस्तक "On Economic Inequality" में पूर्व के सभी सिद्धांतों की कमियों का उल्लेख किया है। सेन ने यह पाया कि यद्यपि समानता के इच्छित उद्देश्य मानने पर सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं फिर भी उन्होंने आर्थिक समानता मापने के अलग-अलग सन्न परिभाषित किये हैं। उदाहरण के लिए जॉन रॉल ने प्राथमिक या आवश्यक द्रव्यों के वितरण में समानता की

आवश्यकता प्रदर्शित की है रोनाल्ड डॉर्किन ने साधनों की समानता की बात की है हर्षयानी तथा हेथक ने सभी पक्षों के लिए समान हितों के लिए समान भार की चर्चा की है तथा हेटकिन्सन ने अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में पहुँचाने की बात की है जहाँ सामाजिक कल्याण अधिकतम होता हो।

आजकल सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति जानने के लिए मानव विकास सूचकांक को विकसित किये जाने के प्रयास किये जाने लगे हैं। 1991 से चार्ल्स हुमों ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक (Human freedom index) बनाने के प्रयास किये हैं।

प्रो सेन ने अपनी पुस्तक 'Inequnty Recexamined (1992) में बताया है कि असमानता किसी प्रमुख चर से प्रभावित होती है। असमानता को मापने के लिए मानव सूचकांक की भांति जीवन की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई माप होना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता सम्बन्धी सूचकांक की चर्चा करने के बाद असमानता को मापने तथा विकास सम्बन्धी व्यूहरचना का क्षेत्र बढ़ गया है। प्रो सेन ने असमानता व अन्याय के क्षेत्र में परिवार व समाज के स्तर पर लिंगभेद सम्बन्धी अवधारणा का भी जिक्र किया है। इस सम्बन्ध में सेन ने भारतीय समाज में व्याप्त उच्चस्तरीय लिंग असमानता तथा महिला उपेक्षा का वर्णन किया है। प्रो सेन ने विकारशील देशों में विपरीत तरीके से बढ़ रहे स्त्री-पुरुष अनुपात की भी चर्चा की है। उन्होंने अपने लेखों में स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं की उपेक्षा की तरफ भी न केन्द्रित किया है। सेन ने अपने लेख में खोई स्त्री (Missing women) का एक मोटा अनुमान तीन करोड़ सत्तर लाख के लगभग लगाया है जो अधिक जीवित रहती बशर्ते उनके सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्बन्धी अलाभकारी तत्वों को हटा दिया जाता। सेन तथा सेन गुप्ता ने अपने लेखों में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में लड़कियों के स्वास्थ्य सुरक्षा पोषण तथा अन्य आवश्यकताओं की उपेक्षाओं की ओर ध्यान खींचा है। सेन ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि प्रचार माध्यम महिला अत्याचारों को मोटी सुर्खियों में छापते हैं परन्तु समाज व परिवारों के द्वारा महिलाओं की उपेक्षाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती। इसलिए आर्थिक विकास के लाभ पुरुष और महिलाओं के बीच ठीक अनुपात में उपलब्ध नहीं होते हैं। महिलाओं का पिछड़ापन तथा उनकी उपेक्षा कई सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। उन्होंने अपने लेखों में इस सम्बन्ध में जातिव्यवस्था बालविवाह दहेजप्रथा सतीप्रथा आदि का वर्णन किया है। उनका यह मानना है कि महिलाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उपर्युक्त तत्वों में कमी के साथ सत्री शिक्षा तथा महिला आय सवर्द्धन के उपाय किये जाने आवश्यक हैं। उनकी यह निश्चित मान्यता है कि यदि महिलाओं को लाभ पूर्ण रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो महिलाओं के स्तर में सुधार होगा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी जिसका आगे की स्त्रियों अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

प्रां. सेन के उपर्युक्त शोध के बाद महिला क्षेत्र में शोध बढ़ा है तथा बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने आये हैं। सेन के अनुसार जनसंख्या नीति एवं महिलाओं की समृद्धि में सीधा सम्बन्ध है जिसके कारण प्रजनन प्रारूप में बदलाव आ सकता है, यद्यपि आज जन्म दर में कमी लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है परन्तु सेन बलपूर्वक जन्मदर नियंत्रण के विरुद्ध रहे हैं। जैसा कि चीन में तथा भारत में आपत्तिकाल के समय हुआ। सेन का विश्वास है कि प्रजातंत्र में बलपूर्वक तरीकों की राजनीतिक लागत काफी ऊँची होती है। बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण के तरीकों के कारण स्वेच्छिक जन्म दर नियन्त्रण कार्यक्रम भी असफल हो जाते हैं। सेन ने कर्नल व तमिलनाडू का उदाहरण दैते हुए बताया कि इन राज्यों में महिला शिक्षा दर ऊँची होने के कारण ही यहाँ जन्म दर चीन की जन्मदर से भी कम रही है।

सेन ने अपने लेखों में इस बात को सिद्ध किया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के स्वास्थ्य सूचक प्रगति पर है वहाँ महिलाओं ने आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके विपरीत जिन राज्यों में लिंग असमानता तथा महिलाओं की उपेक्षा की गयी है वे आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। लिंग असमानता तथा उपेक्षा सेन के अनुसार बड़ी सामाजिक असफलता है जिसके कारण अन्य आर्थिक एवं सामाजिक बुराईयों का उदय होता है।

3 गरीबी और अकाल

गरीबी एवं अकाल पर सेन का योगदान वास्तव में समाज के गरीब वर्गों से उनके लगाव का परिचायक है। रेन (Rein) के अनुसार लोगों को इतना गरीब नहीं बनने दिया जाना चाहिए कि वे उत्तेजित हो जाएं या समाज के लिए कष्टदायक बन जाएं। यह स्थिति गरीबों के लिए उतनी दुःखद भी नहीं होती जितनी कि पूरे समुदाय के लिए गरीबी कष्टप्रद होती है। सेन गरीबी के सम्बन्ध में इस तरह के विचारों के विरोधी हैं। सेन ने यह प्रश्न किया कि हमारी चिन्ता का केन्द्र बिन्दु गरीब होना चाहिए या अन्य पूरा समाज? सेन के अनुसार निर्धनता एक नैतिक मुद्दा है तथा गरीबों की क्षमताएँ तथा कार्यप्रणाली हमारे चिन्ता के मुख्य बिन्दु हैं। उन्होंने निर्धनता के माप के लिए उचित सूत्र विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि निर्धनता मापने के हेड काउट अनुपात (Head Count ratio) तथा आय अंतराल माप में कुछ सीमाएँ हैं। यह अनुपात निर्धनता के बारे में उस स्थिति में भी गलत सूचना प्रदान करता है जबकि सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विभिन्न आय वर्गों के लोगों की आमदनी बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे के सबसे अधिक आय वर्ग के समीप भी ले आया जाता है। उदाहरण के लिए यदि निर्धनता रेखा के लिए 250 रु प्रतिमाह न्यूनतम आय मान ली जाए तो 200 रु 150 रु, 75 रु प्रतिमाह पाने वाला व्यक्ति भी निर्धन माना जायेगा। यदि सरकार निर्धनता दूर करने के उपायों से 75 रु मासिक प्राप्त करने वाले तथा 150 रु. मासिक

आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आमदनी बढ़ाकर 240 रु भी कर दे तो भी Head count ratio के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे ही माने जायेंगे क्योंकि इससे निर्धनता के अनुपात में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह आय अंतराल विधि भी निर्धन लोगों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं देती है। इसलिए एक ऐसे माप की आवश्यकता है जो निर्धनों में निर्धनता की मात्रा का पता लगा सके। इसके लिए सेन ने निर्धनता का एक ऐसा माप सुझाया है जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों में व्याप्त आय की असमानता पर आधारित है। इन कमियों को दूर करने के लिए सेन ने निर्धनता मापने के लिए निम्न सूत्र को विकसित किया -

$$P = H [I + (1 - I) G]$$

जहाँ

P = सेन निर्धनता सूचकांक

H = निर्धनता की रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात (Head Count Ratio)

I = आय के वितरण का माप

G = गरीबों में आय वितरण का गिन्नी गुणांक

(i) सेन के अनुसार P का मूल्य सभी इच्छित शर्तें पूरी करता है जैसे यह गरीब व्यक्ति की आमदनी में कमी होने पर संवेदनशील है जबकि गैर-गरीब की आमदनी बढ़ने पर असंवेदनशील है।

(ii) यदि गरीब से गैर-गरीब का आय को आय का हस्तांतरण होता है तो P का मूल्य बढ़ता है।

सेन के इस सूचकांक के विकसित होने के बाद इस क्षेत्र में भी शोध बढ़ा है। प्रो सेन के इस निर्धनता सूचकांक का प्रतिवर्ष UNDP द्वारा मानवीय विकास सूचकांक बनाने में प्रयोग किया जाता है। निर्धनता एवं वितरण का विश्लेषण करते समय सेन ने अपना ध्यान भूख पर केन्द्रित किया है। इससे विकासशील देशों में अकालों की स्थिति पर शोध बढ़ने लगा है।

परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार यदि खाद्यान्न आपूर्ति में किसी क्षेत्र में कमी आती है तो उसका परिणाम भूख एवं मृत्यु के रूप में होता है। सेन ने इस परम्परागत तर्क की आलोचना करते हुए लिखा कि भूख वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन खाने को नहीं मिलता। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि खाद्यान्न की कमी है। उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल की चर्चा करते हुए बताया कि अकाल जाँच आयोग का यह कथन बिल्कुल गलत है कि अकाल का कारण खाद्यान्न की आपूर्ति में महत्वपूर्ण कमी होना है। उन्होंने कहा कि 1943 का प्रतिव्यक्ति उत्पादन 1941 के प्रतिव्यक्ति उत्पादन से अधिक था। सेन ने 1973 के इथोपिया तथा बंगलादेश के अकाल का वर्णन करते हुए लिखा कि अकाल बिना खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी के कारण भी उत्पन्न हो

सकते हैं। उनका यह मानना है कि अकाल बाजार की असफलता के कारण या लोगों की क्रय शक्ति में कमी के कारण होता है। प्रो. सेन का यह कहना भी सही है क्योंकि यह संभव है कि किसी वर्ष विशेष में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो जाए परन्तु बाजार की असफलता के कारण खद्यान्न लोगों तक नहीं पहुंच पाते या खद्यान्न लोगों तक पहुंच भी जाए पर लोग पर्याप्त क्रय शक्ति के अभाव में उसे खरीद नहीं सके। अतः उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा बाजार संपन्न की अकुशलता को सुधारने तथा ऐसे समय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

4 विकास की सार्थक व्यूह रचना

वर्षों से विकास अर्थशास्त्र के अनतर्गत प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि का विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें यह मान कर चला जाता है कि प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि के साथ विकास के अन्य घटक जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन की प्रत्याशा आदि भी साथ-साथ बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आय का स्तर एवं आय का वितरण बहुत लम्बे समय से विकास अर्थशास्त्र के आधार स्तम्भ रहे।

प्रो. सेन ने अपने लेखों में यह बताया कि विकास की वर्तमान परिभाषा सही मायने में विकास की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। 1980 से पूर्व सेन की विकास की अवधारणा भी मोटे रूप से इसी परम्परागत विकास की अवधारणा के आसपास रही परन्तु उन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सस्थागत जटिलताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1980 के बाद सेन की विकास की अवधारणा शिल्कुल बदल गई। 80 के दशक के प्रारम्भ में उनके लेख 'तकनीक का चुनाव' (Choice of technique 1960) में यह बताया कि विकासशील देश किस प्रकार से अपने विकास की सम्भावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं। उनका अधिकांश ध्यान सस्थागत जटिलताओं तथा अर्थव्यवस्थाओं की अपूर्णताओं की तरफ रहा।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सदर्भ में विवेकशील चुनाव सेन के कृषि अर्थशास्त्र के शोध में परिलक्षित होता है। 60 के दशक के प्रारम्भ में भारत के कृषि अर्थव्यवस्था के विकास पर बड़ी लम्बी बहस चली थी। उस समय अर्थशास्त्री कृषि फार्म के आकार तथा उत्पादकता में व्याप्त विपरीत सम्बन्धों के शोध में व्यस्त थे। यह बहस भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके दिमाग में दो बातें घर कर गयी थी—वया सामूहिक कृषि को अपनाया जाय या कृषि को बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। फार्म के आकार एवं उत्पादकता के विपरीत सम्बन्धों ने कृषि को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ देने का सुझाव दिया परिणामस्वरूप नई कृषि नीति विकसित होने लगी।

सेन ने उपर्युक्त कृषि नीति को चुनौती दी। उन्होंने अपने शोध के आधार पर यह बताया कि भारतीय किसानों का एक बहुत बड़ा भाग एक अलग मानसिकता से काम

करता है जिसे अस्तित्व की विवेकशीलता कह सकते हैं जो किसान के अनुकूलतम रतार से अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है। अस्तित्व की यह विवेकशीलता सेन ने छोटे फार्म एव अधिक उत्पादकता के रूप में जानी। विकासशील देशों में कृषि की विवेकशीलता के अन्तर्गत सेन ने यह पाया कि यदि कृषि में परिवार द्वारा लगाये गये कृषिगत ससाधन (Inputs) को बाजार कीमत पर आका जाए तो भारतीय किसानों के बहुत बड़े भूभाग के कृषि फार्म घाटे में चलते हैं। सेन के इस महत्वपूर्ण योगदान के बाद विकासशील देशों में कृषकों के व्यवहार से सम्बन्धित कई घटकों कृषि तकनीक की कुशलता राज्य का योगदान तथा बाजार का योगदान आदि पर खुली बहस होने लगी। सेन ने यह पाया कि विकासशील देशों में कृषि के मामले में राज्य एव बाजार का योगदान अन्य घटकों की तुलना में ज्यादा होता है। सेन ने विकास के अर्थशास्त्र में मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण को विकसित कर एक नयी बहस प्रारम्भ की। उन्होंने अपनी पुस्तक निर्धनता एव अकाल में यह बताया कि राज्य को विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू करने चाहिए जिनमें अनुदानित खाद्यान्न वितरण योजना स्वास्थ्य रक्षा जाल तथा लोगों की क्रय शक्ति को कम करने वाले घटकों पर रोक आदि शामिल हैं। सेन ने विकासशील राष्ट्रों के समक्ष दो वैकल्पिक व्यूह रचनाएँ प्रस्तुत की। प्रथम विकास प्रेरित सुरक्षा व्यूहरचना तथा द्वितीय समर्थन प्रेरित सुरक्षा व्यूहरचना। प्रथम दृष्टिकोण (Trickle down effect) पर आधारित है तथा द्वितीय किसी अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक प्रावधान करने पर बल देती है। सेन के विकास सम्बन्धी विचारों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी लोगों को शिक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार आधारभूत शिक्षा के फैलाव से आर्थिक समानता में वृद्धि होती है। सेन का शिक्षा पर दबाव स्व-सुरक्षा के उपकरण के रूप में है। उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि निम्न औसत शिक्षा की दर निम्न महिला शिक्षा की दर राज्यों में शैक्षिक स्तरों में असमानता अल्प आयु समूह में व्याप्त अशिक्षा की व्यापकता स्कूलों में बीच में पढाई छोड़ने की उच्च दर आदि भारत में कृषि नीति की कमियों बाल श्रम के अधिक फैलाव तथा उच्चशिक्षा पर अधिक जोर आदि को प्रकट करती है। वह यह तर्क देते हैं कि भारत में अर्थिक सुधारों के सदर्भ में शैक्षणिक प्राप्ति को जनता की सुधार कार्यक्रमों के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सेन ने अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों को छूकर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कल्याण सूचकांक को निर्धनता सूचकांक को सामाजिक अधिकारों व सामाजिक अदसरो अकाल के धारताविक कारणों तथा विकास अर्थशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की प्रबल भूमिका को उजागर करके आर्थिक विश्लेषण को एक सार्थक स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया है उनके अध्ययन में अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र नीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र व गणित का एक सम्पूर्ण समन्वय देखने को मिलता है।

संदर्भ

- 1 Roy sunondo,' The Economics of Amortya sen-A Review' of Occasional papers, Reserve Bank of India, vol 19, No , Dec.1998, P. 396
- 2 पूर्वोक्त पृ 399-401
- 3 पूर्वोक्त, पृ 402

प्रश्न

- 1 अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताइये।
- 2 अमर्त्य सेन के कल्याण सम्बन्धी विचारों को समझाइये।
- 3 असम्भव प्रेमय क्या है ?
- 4 प्रो सेन के सामाजिक चुनाव के सिद्धान्त को समझाइये।
- 5 गरीबी एवं अकाल पर प्रो सेन के दृष्टिकोण को समझाइये।
- 6 प्रो सेन द्वारा विकसित निर्धन्ता को मापने का सूत्र बताइये।
- 7 प्रो सेन के विकास सम्बन्धी व्यूहरचना को स्पष्ट कीजिए।
- 8 प्रो अमर्त्य सेन के प्रमुख आर्थिक विचारों को समझाइये।

